

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय कृषि-अर्थव्यवस्था

(Economics of Agricultural Development in India)

संख्या
मुद्रणकुमार कपूर



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
जयपुर

शिक्षा तथा समाज-कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को विश्वविद्यालय स्तरीय प्रन्थ-निर्माण प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राजस्थान हिन्दी प्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित।

प्रथम-संस्करण : १६७४

Bhartiya Krishi-Artha Vyavastha

सामान्य संस्करण : १६.००

पुस्तकालय संस्करण : २०.००

⑥ सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक :

राजस्थान हिन्दी प्रन्थ अकादमी

ए-२६/२, विद्यालय मार्ग, तिसक नगर,

बायपुर-४

मुद्रक :

भालेख प्रिन्टर्स,

एम० आई० रोड, बायपुर

प्रस्तावना

भारत की स्वतंत्रता के बाद इसकी राष्ट्र माध्यम को विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रश्न राष्ट्र के सम्मुख था। किन्तु हिन्दी में इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित, उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों उपलब्ध नहीं होने से यह माध्यम परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। परिणामतः भारत सरकार ने इस न्यूनता के निवारण के लिए "वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली शायोग" की स्थापना की थी। इसी योजना के अन्तर्गत १९६६ में पांच हिन्दी-भाषा प्रदेशों में ग्रन्थ अकादमियों की स्थापना की गई।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के उत्कृष्ट ग्रन्थ-निर्माण में राजस्थान के प्रतिष्ठित विद्वानों तथा अध्यापकों का सहयोग प्राप्त कर रही है और मानविकी तथा विज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट पाठ्य-ग्रन्थों का निर्माण करवा रही है।

प्रस्तुत पुस्तक इसी क्रम में तैयार करवाई है। यह हिन्दी में मारतीय कृषि-अर्थशास्त्र के सभी महत्वपूर्ण अगांव पर बहुमूल्य सामग्री प्रस्तुत करते हुए अर्थशास्त्र, कृषिशास्त्र, कृषि प्रबन्ध आदि के विश्वविद्यालयीय छात्रों के लिये उपयोगी पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करने के उद्देश्य से लिखी गई है। हिन्दी में समवतः इस विषय पर यह प्रथम पुस्तक है। इसमें लेखक ने विभिन्न स्रोतों से प्रामाणिक सांख्यिकीय सामग्री प्रस्तुत करते हुए मारतीय कृषि के समस्त आर्थिक पक्षों का विस्तृत विवेचन किया है।

भाशा है यह पुस्तक उपर्युक्त विषयों के विद्यार्थियों के लिये तो लामदायक होगी ही, कृषि तथा अर्थशास्त्र के विद्वानों और जिज्ञासुओं के लिये संदर्भ ग्रन्थ के रूप में भी पर्याप्त समादर प्राप्त कर सकेगी। इस पुस्तक की समीक्षा के लिए अकादमी थीर्ती चैरिसिह बरला, व्याख्याता, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रति श्रामारो है।

बेतर्सिह राठौड़

शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, एवं

मध्यक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

गोपीकृष्ण घ्यास

निदेशक

प्राक्कथन

एक सुदृढ़ कृपि व्यवस्था अल्प-विकसित देशों में तेजी से बढ़ना रुग्न को भोजन ही प्रदान नहीं करती बल्कि एक ऐसा स्थिर आधार भी प्रस्तुत करत है जिस पर आद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। आधिक संबृद्धि के लिये इस प्रकार की प्रगति का विशेष महत्व है।

भारतीय आधिक विकास में कृपि के योगदान से सम्बन्धित बाढ़मय (साहित्य) का अभाव बुरी तरह से अखरता है। सामान्यतः विकास अर्थशास्त्रियों का कृपि ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, जबकि दूसरी और कृपि-अर्थशास्त्रियों के अध्ययन आंतर-क्षेत्रकीय विवेचनों तथा विश्लेषणों तक सीमित होते हैं। सबृद्धि प्रक्रम में कृपि का निर्धारणात्मक महत्व है, इसलिए अंतर-क्षेत्रकीय संबंधों की समस्याएँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जिननी कि अंतर-क्षेत्रकीय सम्बन्धों की। यह गंथ इस अभाव को कम करने की दिशा में ही एक प्रयास है।

प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी में अपने प्रकार की प्रथम रचना है और सभवतः भारतीय कृपि अर्थव्यवस्था पुर सदर्म ग्रन्थ के रूप में बहुत उपयोगी मिल होगी। पुस्तक में जहाँ उत्पत्तियों तथा निविष्टियों में सबृद्धि का विस्तृत विवेचन किया गया है, वहाँ उत्पत्ति-निविष्टि, निविष्टि-निविष्टि तथा अंतर-क्षेत्रकीय संबंधों के विश्लेषणों का भी समावेश है। पुस्तक में कृपि विषय-एन, कृपि-कीमत, फार्म-परिमाप व भूमि-सुधार, कृपि वेरोजगारी, पूँजी निर्माण, विज्ञान एवं अनुसधान सम्बन्धी समस्याओं की और विशेष ध्यान दिया गया है। आशा है प्रस्तुत पुस्तक विद्यार्थियों को विभिन्न विश्लेषणों की न्यूनताओं तथा पुष्टताओं का विवेचन करने की ओर प्रेरित करेगी।

संदर्भ ग्रन्थ के साथ-साथ यह पुस्तक कृपि विकास के अध्यापकों तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये पाठ्य पुस्तक का भी काम करेगी। इस विषय पर कोई अच्छी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है और प्रायः पाठ्यक्रमों का पठन-पाठन विकीर्ण विक्रम-सामग्री के आधार पर ही किया जाता है। यह पुस्तक कृपि, अर्थशास्त्र, कृपि-अर्थशास्त्र, तथा कृपि-प्रबंध के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। नीति-निर्माताओं और अधिकारियों को भी आधिक चित्तन के लिये पुस्तक न काढ़ी सामग्री प्राप्त होगी।

भारत में कृपि क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। पुस्तक में सर्वव वास्तविक आँकड़ों पर आधारित नवीनतम एवं अद्यननीय विषय सामग्री को तकँ-सगत, सगदित तथा व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

पुस्तक की रचना में मुझे अनेक कृपि अर्थशास्त्रियों तथा कृपि विज्ञान विशेषज्ञों का प्रोत्तमाहन, सहयोग तथा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैं कॉर्नेल विश्वविद्यालय, न्यूयार्क के कृपि अर्थशास्त्र विभाग के प्रो. जॉन डब्ल्यू. बेल्लर का विशेष रूप में आभारी हूँ जिनकी अनुकूल्या से मुझे कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित अनेक लेख, निवन्ध व शोधपत्र प्राप्त होते रहे हैं। पुस्तक के निर्माण में भारतीय कृपि अनुसधान परिषद के उप महा निदेशक डॉ. जे. एस.

कंवर की सहायता भी मुझे प्राप्त हुई है। योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य डॉ. बी. एस. मिन्हास, अम्बई विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के डॉ. सी. एच. शाह, राजस्थान विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रो. राजकुमार, कृषि मूल्य आयोग के संयुक्त निदेशक डॉ. पी. सी. बासिल, यू.एस.एड के डॉ. बी. सेन व इथामल राव तथा भारतीय साहियकीय संस्थान के डॉ. आर. के. लाहिरी के लेखों व विचारों से भी मैं लाभान्वित हुआ हूँ। मैं यू.एस.एड (USAID) दिल्ली के कृषि-अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख विलियम ई. हेन्ड्रेस के तथा फोड़फोड़िशन के मूचना सलाहकार श्री मनी नायर का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे विषय सम्बंधी अनेक प्रतिवेदन व प्रपत्र उपलब्ध कराये। भारतीय दाद निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, पेस्टीसाईड्ज ऐसोसियेशन, इण्डियन सोसायटी ऑफ एन्ड्रीकर्लचरल इकोनॉमिक्स के अधिकारियों ने भी मुझे पूरा सहयोग दिया है।

मैं पुस्तक के समीक्षक राजस्थान विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के डॉ. जी. एस. बरसा के प्रति थद्धापूर्ण कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिनकी स्पष्ट टिप्पणियों, सहायक समालोचनाओं तथा मूल्यानन सुझावों ने पुस्तक को उपयोगी बनाने में मेरी बड़ी सहायता की है।

मन्त्र में मैं राजस्थान हिन्दी धन्य अकादमी के निदेशक तथा अधिकारियों का हृदय से आभारी हूँ जिनकी प्रेरणा, सहयोग तथा सहानुभूति से यह रचना-कार्य पूर्ण हुआ है।

पाठकों से मेरा अनुरोध है कि वे चुटियों व अन्य दोषों से भवगत कराने का कष्ट करें। मैं उनके सुझावों व समालोचनाओं का सर्वेव स्वागत करूँगा।

जून, १९७४.

सुदर्शनकुमार कपूर

विषय-सूची

१. आर्थिक विकास तथा कृषि-नीति	१
२. उत्पादन दक्षता : कृषि-उत्पादिता	२५
३. जल प्रबन्धन तथा मिचाई	५१
४. उद्योगों का उपयोग	७६
५. उन्नत तथा ग्रधिक उपज देने वाले वीजों का उपयोग	८०
६. पौध-संरक्षण	१०७
७. यन्त्रीकरण	११८
८. कृषि-उद्यार	१४३
९. कृषि-विपणन	१७८
१०. कृषि-कोमर्त्ते तथा कीमत-नीति	२१२
११. कार्य-परिमाप तथा भूमि-मुद्धार	२४४
१२. कृषि-अम, वेरोड़गारी तथा रोजगार-नीति	२७४
१३. कृषि तथा पूँजी-निर्माण	३१४
१४. कृषि अनुसंधान और शिक्षा	३४३
१५. पारिभाषिक-शब्दावली	३५६

आर्थिक विकास तथा कृषि-नीति

(क) आर्थिक विकास में कृषि का योगदान

१.१ (१) आर्थिक विकास

वह अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान जनसंख्या को अधिक ऊँचे स्तर पर धारण करने हेतु अधिक पूँजी या अधिक श्रम या अधिक उपलब्ध प्राकृतिक साधनों के उपयोग की प्रचुर समावनाएँ उत्पन्न करती है या यदि प्रति व्यक्ति आय पहले ही काफी ऊँची हो तो बिना जीवन-स्तर को घटाए अधिक जनसंख्या को धारण कर सकती है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। सिद्धान्त वह देश अल्पविकसित माना जाता है जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए या आय के बर्तमान उच्च स्तर पर ही और अधिक अर्थात् अतिरिक्त जनसंख्या को धारण करने के लिए प्रचुर संभावनाएँ रखता है। मुख्यतः अल्प विकास के मूल लक्षण निम्न बातों में अभिलक्षित होते हैं :—

- (१) निम्न जीवन-स्तर तथा निर्धनता का कुचक्क
- (२) अल्प विकसित प्राकृतिक साधन
- (३) जनाधिक्य तथा अधिक कृपीय-भ्रनुपात
- (४) पूँजी का अमाव
- (५) उपादान-असंतुलन
- (६) ग्रामीण क्षेत्रक की प्रधानता
- (७) निर्वाहमानी कृषि
- (८) बेरोजगारी तथा ग्राम्य अल्प रोजगार
- (९) निर्यात पर निर्भरता आदि-आदि।

अतः आर्थिक विकास वह प्रक्रम है जिसके द्वारा एक जनसंख्या अपने लिए अभीष्ट पदार्थ तथा सेवाएँ प्रदान करने की अपनी दक्षता को बढ़ाती है और इस प्रकार व्यक्तिगत जीवन-स्तरों तथा सामान्य कल्याण में वृद्धि करती है। संक्षेप में, एक लम्बी अवधि तक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के प्रक्रम को आर्थिक विकास कहते हैं। जनसंख्या के ओसत जीवन स्तर को तभी बढ़ाया जा सकता है जबकि पदार्थों तथा सेवाओं के कुल उत्पादन में जनसंख्या की तुलना में अधिक तेजी से विस्तार हो। अतः उच्च उत्पादिता आर्थिक विकास की आधारभूत अनिवार्यता है। लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा करने के लिए भूमि, श्रम तथा ग्राम्य संसाधनों के सदोहन तथा अधिक दक्ष उपयोग की आवश्यकता होती है और मही आर्थिक विकास का मुख्य कार्य है। जीवन-स्तरों में वृद्धि से अभिप्राय है—

अधिक पौष्टिक आहार, बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा, बेहतर आवास, अधिक सुख सुविधाएँ व विश्राम, अधिक मध्यकालीन संचार सुविधाएँ इत्यादि।

उपरोक्त अध्ययन से हमें पता चलता है कि आर्थिक विकास के तीन मुख्य घटक हैं :

- (१) आर्थिक सबूद्धि—आर्थिक सबूद्धि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में बूढ़ि द्वारा व्यक्ति की जाती है। सतत आर्थिक सबूद्धि अर्थात् प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में बूढ़ि आर्थिक विकास नीति का मुख्य घोषणा है।
- (२) सामाजिक प्रगति—सामाजिक प्रगति से अभिप्राय है ऐमा बातावरण तथा ऐसे अवशर प्रदान करना कि व्यक्ति अपनी योग्यताओं का विकास कर सके तथा देश के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में अच्छी प्रकार से भाग ले सके। इस उद्देश्य के लिए शिक्षा, आवास तथा स्वास्थ्य में उन्नति जरूरी है। अर्थात् व्यक्तिगत गुणों तथा कौशल का इस प्रकार से विकास हो कि वे सामान्य कल्याण में अपना भरपूर योगदान दे सकें।
- (३) राजनीतिक स्थिरता—आर्थिक सबूद्धि तथा सामाजिक प्रगति की दिशा में सुध्यवस्थित परिवर्तन को राजनीतिक स्थिरता कहते हैं। अतः सुध्यवस्थित आर्थिक सबूद्धि तथा सामाजिक प्रगति ही आर्थिक विकास के मुख्य घोषणा हैं।

(ii) कृषि का महत्त्व

निम्न आय देशों में, जहाँ अधिकाश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं, कृषि का विकास उच्च आय-स्तर प्राप्त करने तथा अधिक तेज आर्थिक सबूद्धि में सहायक होता है। इन देशों के आर्थिक विकास में कृषि का विशेष महत्त्व है। कृषि जनसंख्या के लिए केवल मोजन की आपूर्ति ही नहीं करती, बल्कि उच्चोगों के लिए कच्चा माल भी जुटाती है। कृषि-उत्पादिता में बूढ़ि के फलस्वरूप ही अधिशेषों का अन्य क्षेत्रकों में निवेश हेतु अतररण सभव हो सकता है अर्थात् कृषि अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए पूँजी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह जन-शक्ति का भी स्रोत है। कहने का अभिप्राय यह है कि कृषि क्षेत्रक पर केवल उत्पादन में बूढ़ि तथा आर्थिक सबूद्धि के प्रोत्साहन हेतु अन्य क्षेत्रकों के विकास का ही उत्तरदायित्व नहीं निभाती बल्कि साथ-साथ यह कृषक तथा उसके परिवार के कल्याण में भी योग देती है।

उत्पादन में अदक्षता कृषि क्षेत्रक में निम्न आय का मुख्य कारण है। उच्च उत्पादन-दक्षता ही आय-स्तर तथा जीवन के सामान्य स्तर में बूढ़ि ला सकती है। अनाज की आवश्यकता तथा कृषि उत्पादन में दक्षता का अत्यधिक निम्न स्तर भूमि, श्रम तथा अन्य उपलब्ध संसाधनों के जुटाव तथा अधिक दक्ष उपयोग की माँग करते हैं। यह ध्यान रहे कि कृषि क्षेत्रक में बढ़ती हुई श्रम-शक्ति को लपाने की क्षमता सीमित ही होती है, इसलिए उच्चोग तथा सेवाओं जैसे कृपीतर क्षेत्रकों में भी द्रुत विस्तार आवश्यक होता है। कृषि विकास का मुख्य आर्थिक घोषणा है प्रति व्यक्ति आय बूढ़ि में भरपूर योग देना है।

अल्प विकसित देशों में कृषि को प्रमुख स्थान प्राप्त है और आर्थिक विकास तभी संभव है जब आमील लोगों की काफी संख्या कृषि को छोड़ जाए। इस फालतु जनसंख्या को अधिक

उत्पादक कृपीतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए व्यापक औद्योगिकरण की आवश्यकता है। इससे जो लोग कृषि में रह जाएंगे, वे अपने फार्मों को अधिक दक्ष यंत्र-संचालित इकाइयों में समर्थित कर सकेंगे। परन्तु ये निपक्ष केवल दोषकालीन उद्देश्यों के संदर्भ में उपयुक्त हैं।

किसी भी अर्थव्यवस्था के दो मुख्य क्षेत्र हैं—कृषि तथा उद्योग। आर्थिक विकास के लिए इन दोनों क्षेत्रों का विकास आवश्यक है। अतः कृषि तथा नगर उद्योग विकास के परस्पर मन्त्रवन्धों का विवेचन हमारे अध्ययन के लिए उपयोगी होगा।

१.२ कृषि तथा औद्योगिक विकास में परस्पर सम्बन्ध

(अ) कृषि-विकास का योगदान—अल्प विकसित देशों में कृषि-विकास औद्योगिक विकास की पहली शर्त है। एक बद अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादिता में वृद्धि की दर अनाज की माँग में वृद्धि की दर से अधिक होनी चाहिए। वर्धमान कृषि उत्पादिता औद्योगिक विकास को कई प्रकार से समर्थन देती है।

- (१) कृषि उत्पादिता में वृद्धि के फलस्वरूप काफी श्रम-शक्ति औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध हो जाती है और साथ ही कृपीतर क्षेत्र की बढ़ती हुई खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना सभव होता है।
- (२) कृषि-विकास से कृषि ग्राम में वृद्धि होनी जिससे औद्योगिक माल को स्थान के लिए ग्राम्य शक्ति बढ़ेगी। ग्राम्य बचतों का औद्योगिक विकास हेतु निवेश किया जा सकता है।
- (३) कृषि प्रगति के कारण औद्योगिक मजदूरों के लिए उचित व अनुकूल कीमतों पर अनाज का समरण किया जा सकता है जिसके कारण उद्योगों से अधिक लाभ प्राप्त होगा।

खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार की उपस्थिति में कृषि-विकास का औद्योगिक विकास में योगदान कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी देश के लिए अपनी खाद्य आवश्यकताओं के कुछ भाग को आयात करना अधिक लाभकारी होगा। अपेक्षाकृत अखात उत्पादन का कुछ भाग निर्यात करना अधिक लाभदायक होगा क्योंकि इसके बदले में अनाज का आयात किया जा सकता है। यहाँ भी बढ़ती हुई उत्पादिता बांद्रनीय है क्योंकि इससे एक और औद्योगिक पूँजी के आयात के विस्तृयन के लिए दुर्लभ विदेशी मुद्रा की बचत होगी तथा दूसरी ओर बागान-कृषक द्विवद्ध कृषि अर्थव्यवस्था (छूलेस्टिक एप्रीकल्चरल इकोनोमी) के एकीकरण को प्रोत्तमान प्राप्त होगा। यदि कृषि उत्पादिता काफी अधिक हो तो फालतू अनाज का निर्यात कर मुगतान-सतुलन को अनुकूल बनाया जा सकता है और घरेलू औद्योगिकरण पर अनुकूल प्रभाव डाला जा सकता है। सक्षेप में कृषि विकास सामान्य आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योग देता है। अर्थव्यवस्था की उत्कृष्ट अवस्था में स्वधारित आर्थिक संवृद्धि में प्रवेश करने से पहले कृषि का विकास अनिवार्य है। इसके साथ-साथ यह कहना भी उचित होगा कि औद्योगिक विकास का भी कृषि-उत्पादन की वृद्धि में भरपूर योगदान होता है।

(ब) औद्योगिक विकास का घोगदान—जैसे ही अर्थव्यवस्था का औद्योगिक विकास होता है, वैसे वैसे परिलामस्वरूप कृपि-प्रगति की दर सी तेज होती जाती है। ऐसा कई प्रकार से होता है :

- (१) औद्योगीकरण में मजदूरी-स्तुप्रों (वेज गुड्स) की भाँग में बृद्धि होती है जिनमें अनाज मुख्य वस्तु है।
- (२) औद्योगीकरण से कृपि पदार्थों के बाजार में विस्तार होता है जिसके फलस्वरूप कृपि का निर्वाहमात्री क्षेत्रक नष्टप्रायः ही हो जाता है, तकदी फमलों के अधिक विशिष्ट व दक्ष आधार पर उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, कृपि परिकरण उद्योगों (एग्रीहल्कर एवं इन्डस्ट्रीज) का दिक्काम होता है और ग्रामीण तथा नगरीय अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है।
- (३) औद्योगीकरण से कृपि श्रमिकों को अनेक प्रकार की उपमोग वस्तुएँ मुलम कराई जाती हैं जिससे उनका आवश्यकता-स्तर बढ़ता है, फलस्वरूप अधिक उत्पादन प्रयास को बढ़ावा मिलता है।
- (४) औद्योगिक विकास से नवीन व देखतर निविटियों तथा उत्पादक वस्तुओं का निर्माण होता है जो कृपि-उत्पादिता में प्रत्यक्ष रूप में बृद्धि करती है। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप कृपि क्षेत्रके अन्तर्गत अधिक दक्ष उत्पादन बाजार की मुविधा प्राप्त होती है।
- (५) औद्योगीकरण से अधिक उत्पादक कृपीतर रोडगार अवसरों का निर्माण होता है जिनमें फालतू वेकार कृपि-थ्रमशक्ति को खपाया जा सकता है। इससे कृपि में रहने वाले तथा छोड़ने वाले दोनों प्रकार के लोगों को लाभ होता है।
- (६) यदि कृपि-थ्रमिकों की काफी सख्त्या को उद्योग में खपाया जा सके तो कृपि-क्षेत्र में अथ-शक्ति का अभाव हो जाएगा जिससे प्रत्यक्ष तथा आरोपित मजदूरी बढ़ जाती है। इस कंची मजदूरी को दराए रखने के लिए कृपि-उत्पादिता में बृद्धि करना अत्यावश्यक है। इसके लिए कृपि के आकार तथा पूँजी-थ्रम अनुपात को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अतः औद्योगिक विकास कृपि के पुनर्गठन को प्रोत्साहन देता है।
- (७) औद्योगीकरण से नवीन कौशल, पूँजी-निर्माण तथा तकनीकी नवक्रियाओं का प्रसार होगा तथा जन्म-दर घटेगी।

सक्षेप में हम कह सकते हैं कि कृपि तथा उद्योग दोनों क्षेत्रक एक दूसरे के विकास में योग देते हैं और दोनों ही समग्र अर्थिक सबृद्धि के लिए उत्तदरायी हैं। परन्तु एक बात स्पष्ट है और उस पर कोई दो मत नहीं हैं और वह यह कि जदतक अत्यविकसित देश घरेलू उत्पादन द्वारा या आयात द्वारा एक विश्वमनीष अनाज अधिशेष प्राप्त नहीं कर लेता या बना नहीं लेता देश का आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। अन्न की प्रचुरता आर्थिक विकास की आधारभूत शर्त है। अतः कृपि प्रधान अल्प विकसित देशों में कृपि का विकास आर्थिक विकास हेतु अनुहूल परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है।

यहाँ सार्वजनिक कृषि-नीति के लक्ष्यों का वर्णन करना उचित ही होगा।

१.३ कृषि-नीति के लक्ष्य

प्रत्येक आर्थिक नीति का, चाहे वह कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित हो या अन्य क्षेत्रों से, मुख्य उद्देश्य समुदाय के आर्थिक कल्याण में सुधार करना होता है। आर्थिक कल्याण का मूल्यांकन दो प्रतिमानों के संदर्भ में किया जा सकता है। ये प्रतिमान हैं—उत्पादन प्रतिमान तथा वितरण प्रतिमान। ये प्रतिमान कृषि-नीति के लक्ष्यों की पूर्ति के प्रतीक हैं। कृषि-नीति के निम्नलिखित लक्ष्य हैं।

(१) अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य—कृषि-नीति का मुख्य उद्देश्य सामाजिक उत्पाद (राष्ट्रीय आय) में बढ़िया करना है, अर्थात् कृषि-नीति का प्रमुख आर्थिक लक्ष्य 'सामाजिक उत्पाद' का अधिकतमकरण है। कहने का अभिप्राय यह है कि कृषि-नीति ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने संसाधनों का अधिकतम लाभ उठा सकें। अधिकतम सामाजिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए उपादानों का आवंटन इस प्रकार से करना होगा कि सारी अर्थव्यवस्था में उनके सीमात उत्पाद मूल्य समान हो। अधिकतम सामाजिक उत्पाद तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि एक विशेष प्रकार के श्रम, पूँजी अथवा श्रम-संसाधन के सीमात प्रतिफल समान हों। बेरोजगारी की विद्यमानता लक्ष्य की असफलता की दोतक है। कृषि-नीति की सफलता या असफलता का इस बात से पता चलेगा कि इसके द्वारा सामाजिक उत्पाद में बढ़िया होती है या कमी ? क्या संसाधनों के प्रतिफल बराबर हैं या उनमें बहुत अधिक अंतर है अर्थात् क्या कृषि-नीति से संसाधनों के आवंटन में सुधार होगा या बिगड़ होगा ? कहने का अभिप्राय यह है कि वह कृषि-नीति सफल कहलाएगी जिसमें संसाधनों का आवंटन इष्टतम हो।

सेकेप में अधिकतम सामाजिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए संसाधनों का इष्टतम आवंटन होना चाहिए। इस प्रतिमान को प्राप्त करने के लिए वर्तमान संसाधन-आवंटन में सुधार करना जरूरी है। रेयनर शिकेले ने अपनी पुस्तक 'कृषि नीति : फार्म कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कल्याण' (रेयनर शिकेले : एश्रीकलचरल पॉलिसि, फार्म प्रोग्राम एण्ड नेशनल बैनफेयर, मैक्सिया हिल, १९५४) में कृषि-नीति के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक कार्यक्रमों तथा उपायों की विस्तृत व्याख्या की है। संसाधन-आवंटन में सुधार लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम व उपाय ये हैं : जल प्रबन्ध तथा सिचाई, भू-संरक्षण, भूमि उद्धार, ग्रामीण मड़लन, उर्वरकों का उपयोग, कौट एवं रोग-नियंत्रण, भूमि उपयोग-आयोजन, कृषि उधार की व्यवस्था आदि-आदि।

एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न उपाय किए जा सकते हैं और किसी कार्यक्रम की सफलता की कोटि विशिष्ट कार्यक्रमों के चयन पर निर्भर करती है। यदि उपाय अनुपयुक्त हो, तो समय कार्यक्रम असफल हो सकता है चाहे लक्ष्य कितना ही अच्छा बयो न हो। कृषि-विकास के संदर्भ में इन कार्यक्रमों तथा उपायों का विस्तृत अध्ययन पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में किया गया है।

(२) इष्टतम आय वितरण का लक्ष्य—अधिकतम सामाजिक उत्पाद के लक्ष्य के

अतिरिक्त कृषि-नीति का दूसरा महत्वपूर्ण आधिक लक्ष्य आय का इष्टतम वितरण है। इसके बिना सामान्य आधिक कल्याण का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। कहने का अभिप्राय यह है कि कृषि-नीति ऐसी होनी चाहिए कि सबको पेट भर रोटी मिले और इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रयासों, योग्यता तथा राष्ट्रीय आय में उसके योगदान के अनुरूप आय प्राप्त हो। अतः इस वितरण-प्रतिमान के दो रूप हैं—निर्वाह-प्रतिमान तथा योगदान-प्रतिमान। कृषि-नीति की मफलता इस बात पर निर्भर होगी कि क्या इससे उन परिवारों की सहाया में कोई कमी आई है जो न्यूनतम जीवन-स्तर से भी नीचे रह रहे हैं? क्या इस नीति में व्यक्ति द्वारा सामाजिक उत्पाद में योगदान के अवसरों में विस्तार हुआ है? क्या यह नीति कृषक की वास्तविक उत्पादिता के अनुरूप पारिश्रमिक प्राप्त करने में सहायता कर रही है?

इष्टतम आय-वितरण प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य-सुविधाओं तथा शिक्षा आदि का न्यूनतम जीवन-स्तर मिले तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयास तथा योग्यता के अनुसार इस निम्न स्तर से अधिक आय को प्राप्त कर सके।

इस उद्देश्य हेतु अनेक उपायों का सुझाव दिया जा सकता है। आरोही कराधान, सार्वजनिक निर्माण तथा स्वास्थ्य-कार्यक्रम, शिक्षा, न्यूनतम मज़दूरी आय कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो आय का उचित वितरण कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता सुनिश्चित करते हैं। आय-वितरण में सुधार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय ये हैं—उत्पादन साधनों का सम्पूर्ण वितरण, परिवार-फार्म का स्वामित्व, लगानदारी अधिकार, सकटकालीन ऋण व अनुदान, ऋण राहत, फार्म आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य-सेवाएं तथा सहकारी समितियां आदि आदि।

(३) इनके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य तथा कार्यक्रम ऐसे भी हैं जो सामान्य कृषि कल्याण को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इनमें महत्वपूर्ण हैं—पूर्ण रोज़गार, सामान्य मूल्य-स्तर का स्थिरीकरण, वर्धमान विदेशी व्यापार, विपणन-व्यवस्था, मूल्य समर्थन, फसल-बीमा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, अनुसंधान तथा विस्तार आदि। ये कार्यक्रम दोनों प्रकार के मुख्य लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

यहाँ इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि सामाजिक उत्पाद के अधिकतम-करण तथा इष्टतम आय-वितरण के लक्ष्य एक दूसरे के समूरक तथा परस्पर संबंधित हैं। आय के पुनर्वितरण से निर्धनता कम होगी और जीवन-स्तर के बढ़ने तथा बेहतर भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्जीमूलक संसाधनों के बेहतर आवाटन से अम की उत्पादिता बढ़ेगी और उत्पादन में बृद्धि होगी। आय-वितरण से उपभोक्ता की क्रय-शक्ति को व्यापक रूप में वितरित किया जा सकता है और इसे स्थिरता प्रदान की जा सकती है जिससे भावी अनिश्चितताएं दूर होती हैं और सामाजिक उत्पाद में बृद्धि होती है। अतः आय-वितरण में सुधार लाने के उद्देश्य से अपनाई गई नीतियां पदार्थों व सेवाओं के प्रवाह में सामान्यतः प्रवरोधक नहीं हैं।

यह ध्यान रहे कि प्रत्येक कार्यक्रम व नीति का मुख्य उद्देश्य सामान्य आर्थिक कल्याण होना चाहिए और कार्यक्रमों की रचना करते समय यह उद्देश्य आँखों से ओझल नहीं होना चाहिए।

वास्तव में कृषि प्रधान अल्प विकसित देशों में कृषि-विकास की गति ही मुख्यतः समग्र अर्थव्यवस्था के विकास की गति को निश्चित करती है। आवश्यकता इस बात की है कि निवेश के एक बृहत् कार्यक्रम द्वारा कृषि-सदृढ़ि की गति को तेज किया जाए, तभी अर्थव्यवस्था का सुनियोजित आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अतः कृषि-नीति के मुख्य लक्ष्य हैं:- (१) उत्पादन-दक्षता (२) आय-सुरक्षा अर्थात् कृषक की आय में वृद्धि (३) आर्थिक स्थिरता व सामान्य कल्याण तथा (४) सामाजिक कल्याण में उन्नति। संक्षेप में, किसी अल्प विकसित देश के आर्थिक विकास में कृषि-नीति का योगदान बही की आर्थिक प्रगति, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक न्याय में होता है।

अत्यधिक जनसंख्या वाले विभिन्न देशों में कृषि की अपनी अपनी विशेष समस्याएँ होती हैं। इसलिए उन देशों में कृषि-विकास हेतु अपनाई जाने वाली कृषि-नीतियाँ भी निम्न-मिम्न होती हैं। इन नीतियों का सामान्यीकरण विकास के आर्थिक इतिहास के परिपेक्ष्य में ही किया जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए कृषि-नीतियों के क्या विशिष्ट रूप हो, इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की कृषीय अर्थव्यवस्था कैसी है अर्थात् वहाँ की अर्थव्यवस्था विकास की कौन-सी भवस्था में है? भारत में कृषि-विकास हेतु विशिष्ट कृषि नीतियों की रचना करने से पहले यहाँ की वर्तमान कृषि अर्थव्यवस्था का अध्ययन जरूरी है। शेष अध्याय में हम अपने देश की कृषीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटकों पर प्रकाश डालेंगे तथा सर्वाधित समस्याओं का विश्लेषण करने का यत्न करेंगे ताकि उचित कृषि-नीतियों का निर्धारण किया जा सके।

(ख) भारत की कृषि-अर्थव्यवस्था

१.४ स्थिति व क्षेत्र

भारत संसार का सातवाँ सबसे बड़ा देश है। यह उत्तर में हिमालय और बर्फ से ढके अन्य पर्वतों, दक्षिण में हिन्द महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में भरव सागर से पिरा हुआ है। सारा का सारा देश भूमध्य रेखा के उत्तर में लगभग $6^{\circ}4'$ से $37^{\circ}6'$ अक्षांश रेखाओं तथा लगभग $6^{\circ}7'$ से $87^{\circ}24'$ पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई लगभग $32^{\circ}14'$ किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई लगभग $26^{\circ}33'$ किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्र $32,40,443$ वर्ग किलोमीटर ($32,40,000$ करोड़ हेक्टर) है जिसका उपयोग निम्न प्रकार से होता है:

भारतीय कृषि-प्रयोगवस्था

सारणी १.१ भारत में भूमि का उपयोग

क्षेत्र का वर्गीकरण	प्रेत्रहल (करोड हेक्टर में)
कुल क्षेत्र	३२.८०
(i) बन	६.२३
(ii) ऊपर तथा कृपीतर उपयोग में प्राप्ते वाली भूमि	४.८१
(iii) चरामाह, वृक्षपुज तथा कृष्य व्यर्थ भूमि	३.४६
(iv) परती भूमि	२.०८
(v) कृष्य भूमि	१६.२२
(vi) फसल क्षेत्र (निवाल) (सकल)	१३.६१ १६.३५

स्रोत इण्डिय, १९७३

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कृषि के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि का क्षेत्र अति सीमित है।

१.५ जलवायु

भारतीय भौतिकविज्ञान विभाग ने देश की ऋतुओं को चार भागों में बांटा है : (१) शीत ऋतु (दिसम्बर से मार्च); (२) प्रीतम ऋतु (अप्रैल से मई); (३) वर्षा ऋतु (जून से सितम्बर) तथा (४) दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की घासी की ऋतु (अक्टूबर से नवम्बर)।

वर्षा के आधार पर भारत के चार मुख्य जलवायु-प्रदेश हैं :

(i) अत्यधिक वर्षा के क्षेत्र (२००० mm. से अधिक)

असम का सम्पूर्ण क्षेत्र, पश्चिमी घाटों के नीचे का पश्चिमी तट (उत्तर भारत में बम्बई से लेकर तिरुवनंतपुरम् तक), हिमालय का तराई क्षेत्र, गंगा का ढेल्टा।

(ii) पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र (१००० mm. से २००० mm.)

प्रायद्वीप के पूर्वी भाग की चौड़ी पट्टी जो उत्तर की ओर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में और दक्षिण की ओर तटीय मैदानों में जा मिलती है।

(iii) कम वर्षा वाले क्षेत्र (५०० mm. से १००० mm.)

पंजाब के मैदानों से आरम्भ होकर विध्य पवंत के पार दक्षिण के पठार के पश्चिमी भाग तक फैला हुआ क्षेत्र।

(iv) बहुत कम नमी वाले क्षेत्र (शुष्क क्षेत्र : ५०० mm. से कम) -

कच्छ क्षेत्र तक फैला राजस्थान मरुस्थल और पश्चिम की ओर गिलगित तक फैला हुआ कश्मीर का ऊचा लद्दाख पठार।

१.६ जल संसाधन

(i) मूरुष्ठ जल—भारत के कुल जल संसाधनों का परिमाण १,६८,००० करोड घन मीटर है। इनमें से केवल ५६,००० करोड घन मीटर (लगभग ३३ प्रतिशत) का ही उपयोग किया जा सकता है। उपयोग में लाए जा सकने वाले मूरुष्ठ जल से लगभग ६ करोड हैंटर मूमि को सीचा जा सकता है।

माचं, १९७३ के अंत तक सिंचाई की बड़ी, मझली तथा छोटी परियोजनाओं द्वारा लगभग २६ करोड हैंटर मूमि को सीचने की ही व्यवस्था थी। इस प्रकार लगभग ३०,००० करोड घन मीटर जल को उपयोग में लाना बाकी है।

(ii) मूमिगत जल—भारत में लगभग २२,००० करोड घन मीटर मूमिगत जल का भी सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। परन्तु अभी तक इस उद्देश्य के लिए लगभग १२,००० करोड घन मीटर जल का ही मदोहन किया गया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूरुष्ठ जल व मूमिगत जल द्वारा लगभग ८.२ करोड हैंटर क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है। परन्तु अभी तक लगभग ३८ करोड हैंटर मूमि (नेट) को सीचने की व्यवस्था है जो कुल विमव का ४६.३ प्रतिशत है। यह याद रखने योग्य है कि पिछले २० वर्षों में हम १५,००० करोड घन मीटर अतिरिक्त जल को ही सिंचाई के लिए उपयोग में ला सके हैं। वर्तमान स्थिति यह है-

फसल क्षेत्र	करोड हैंटर	सिंचित क्षेत्र	करोड हैंटर	प्रतिशत
(निवल)	१३.६१	(निवल)	३.८	(२७.४%)
(सकल)	१६.३५	(सकल)	४.५	(२७.५%)

जल-प्रबन्धन तथा सिंचाई की समस्या का विस्तृत अध्ययन अध्याय ३ में किया गया है।

१.७ जनसंख्या व भू-जन अनुपात

१९५१ में भारत की कुल जनसंख्या ३६.०६ करोड थी जो १९६१ में बढ़कर ४३.६१ करोड हो गई। १९५१ तथा १९६१ के बीच जनसंख्या में २१.६४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९७१ की जनगणना के अनुसार जनसंख्या ५४.७६ करोड थी। १९६१-७१ की अवधि में देश की जनसंख्या में २४.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनसंख्या में इस वृद्धि ने हाल के वर्षों में देश के कृषि-साधनों तथा खाद्य-पूर्ति पर अत्यधिक दबाव डाला है। १९६१ की जनगणना के अनुसार ग्राम जनसंख्या कुल जनसंख्या की ८२ प्रतिशत थी। १९७१ में देश की ५४ करोड ७६ लाख जनसंख्या में से १० करोड ६१ लाख अर्थात् १६.६ प्रतिशत लोग नगरों तथा कस्बों में और शेष ४३ करोड ८८ लाख अर्थात् ८०.१ प्रतिशत लोग गाँवों में रहते थे। जनसंख्या के गाँवों से पला चलता है कि १९२१ और १९७१ के बीच नगरीय जनसंख्या में बराबर वृद्धि होती रही है।

१९७१ में, ५४.७६ करोड की कुल जनसंख्या में से, अमजीवी संख्या २३.६० करोड अर्थात् ४३ प्रतिशत थी। कुल अमजीवी जनशक्ति के ७१.६२ प्रतिशत अर्थात् १६.६० करोड लोगों को कृषि द्वारा रोजगार प्राप्त होता है। कुल अमजीवी जनसंख्या में कृपकों का

अनुपात ४३.३४ प्रतिशत, कृषि श्रमिकों का अनुपात २६.३३ प्रतिशत है और केवल १.६५ प्रतिशत लोग पशुपालन, मछली पकड़ने का तथा दागानो व बनो में काम करते हैं। श्रम शक्ति का केवल २८.३८ प्रतिशत भाग कृषीतर क्षेत्रों में रोजगार पा रहा है। स्पष्ट है कि देश की श्रमजीवी शक्ति को रोजगार प्रदान करने में कृषि का विशेष महत्व है।

मूँ-जन अनुपात—किसी भी देश में मूँ-संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव प्रति व्यक्ति मूँ-संसाधनों के परिमाण में व्यक्त किया जाता है। भारत में मूँमि पर जनसंख्या का दबाव इस प्रकार है :

कुल मूँमि = ३२.८० करोड़ हैक्टर; प्रति व्यक्ति कुल भूमि = ०.६ हैक्टर

कृषि भूमि = १८.३० „ „ ; प्रति व्यक्ति कृषि भूमि = ०.३३ „

कृष्य भूमि = १६.२२ „ „ , प्रति व्यक्ति कृष्य भूमि = ०.२६ „

इस, कैनेडा व अमरीका में प्रति व्यक्ति कृष्य भूमि कमश १०३, २१२ तथा ०.८६ हैक्टर है। इससे स्पष्ट है कि देश के सीमित मूँमि-संसाधनों पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। यहाँ यह बताना उचित होगा कि प्रति व्यक्ति अधिक मूँमि पूर्ति ही आर्थिक मंदृढ़ि तथा प्रति व्यक्ति अधिक आय का कारण नहीं। इतना महत्व प्रति व्यक्ति कृष्य भूमि की पूर्ति का नहीं, जितना कि कृष्य क्षेत्र की प्रति इकाई द्वारा फमल उत्पादन की मात्रा का है। संकेत में हम कह सकते हैं कि यदि भूमि की उत्पादिता को बढ़ाया जा सके तो कम कृष्य क्षेत्र से भी अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जागान तथा ताईवान इस तथ्य के सुन्दर उदाहरण हैं।

१.८ राष्ट्रीय आय व इसकी संवृद्धि

किसी देश के लोगों के जीवन-स्तर को बढ़ाने के लिए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का परिवर्तन किया जाता है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (नैट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट) को जनसंख्या द्वारा विभाजित करके प्राप्त की जाती है। १६६०-६१ में निवल राष्ट्रीय उत्पाद (अर्थात् राष्ट्रीय आय) १३.३०८ करोड़ रुपये का था। उस समय देश की जनसंख्या ४३.४ करोड़ थी। इस प्रकार १६६०-६१ में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ३०६.७ रुपये थी। १६७०-७१ में वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद (अर्थात् १६६०-६१ की कीमतों पर) १८.७५५ करोड़ रुपये का था। इस प्रकार पिछले दश वर्षों में वास्तविक राष्ट्रीय आय में ४०.६३ प्रतिशत अर्थात् और सत ४ प्रतिशत वाधिक की वृद्धि हुई है। यह ध्यान रहे कि इस अवधि में देश की जनसंख्या में प्रति वर्ष लगभग २.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

१६६६-७० में चालू कीमतों पर भारत की राष्ट्रीय आय ३१.१७४ करोड़ रुपये थी। इस प्रकार पिछले ६ वर्षों में हमारी राष्ट्रीय आय में १३४.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है अर्थात् हमारी राष्ट्रीय आय दूनी से भी अधिक हो गई है। परन्तु यह वृद्धि वास्तविक नहीं है क्योंकि इस अवधि में वस्तुओं की कीमतों में भी काफी अधिक वृद्धि हुई है। वास्तविक वृद्धि केवल ४१ प्रतिशत की है। शेष वृद्धि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण ही हुई है और यह वृद्धि लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने में योगदान नहीं देती। लोगों की आर्थिक दशा

में नेट मुधार को ज्ञात करने के लिए प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय (१९६०-६१ की कीमतों के सन्दर्भ में) उपयुक्त माप है। सारणी १-२ में चालू कीमतों तथा स्थिर (अर्थात् १९६०-६१ की) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के आँकड़े दिए गए हैं जो विवेचनीय हैं।

**सारणी १-२ चालू तथा स्थिर (१९६०-६१) कीमतों पर निवल राष्ट्रीय आय
तथा प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय**

वर्ष	चालू कीमतों पर		१९६०-६१ की कीमतों पर			
	नेट राष्ट्रीय आय	कुल प्रति व्यक्ति	कुल	भूकाक	प्रति व्यक्ति	भूकाक
१९६०-६१	१३३०८	३०६.७	१३३०८	१००.०	३०६.७	१००
१९६१-६२	१४०६३	३१६.७	१३७६५	१०३.७	३१०.७	१०१.३
१९६२-६३	१४८६१	३२५.०	१४०६७	१०५.७	३०८.८	१००.७
१९६३-६४	१७११६	३६०.०	१४८८८	१११.६	३१६.२	१०४.१
१९६४-६५	२००८०	४२०.०	१५६४५	११८.८	३३३.६	१०८.८
१९६५-६६	२०५८६	४२०.५	१५०४५	११३.६	३०७.३	१००.२
१९६६-६७	२३६४७	४७१.२	१५१७३	११४.०	३०२.४	८८.६
१९६७-६८	२७६२२	५४२.६	१६५२५	१२४.२	३२१.३	१०४.८
१९६८-६९	२८६७६	५५४.७	१७०५७	१२८.३	३१८.६	१०४.३
१९६९-७०	३११७४	५८८.३	१७६५५	१३५.१	३३४.४	१०८.६
१९७०-७१	३३७७६	६१६.४	१८७५५	१४०.६	३४२.२	१११.५
१९७१-७२	३४४५०	६१४.१	१९२०१	१४३	३४२.४	१११.५

स्रोत : बैंद्रीय साइपकी संगठन (CSO)

सारणी १-२ से पता चलता है कि तीसरी चतुर्वर्षीय योग्यता (अर्थात् १९६१-६६) की अवधि में राष्ट्रीय आय की संवृद्धि-दर इतनी कम रही है कि जनसंख्या की २५ प्रतिशत की सवृद्धि दर ने इसे लगभग निष्पत्त बना दिया है। पिछ्ले १० वर्षों (१९६१-१९७१) में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ३०६.७ रु में बढ़कर ३४२.२ रुपये हो गई और इस प्रकार इसपे भ्रोसत वार्षिक वृद्धि केवल मात्र १०१५ प्रतिशत की रही। यह अल्प दर भी १९६७-६८, तथा १९७०-७१ की अवधि के बीच हुई अच्छी फसलों के कारण संभव हो सकी है। भारत में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय ५६० रुपये है जबकि अमरीका, कैनेडा, इंग्लैंड, जापान तथा मिश्र में प्रति व्यक्ति आय क्रमशः २३६६२ रु, १८०५७ रु, ११५३६ रु, ६०१५ रु तथा १२०२ रु है। यह अल्प आय भी असमान रूप में वितरित है। जनसंख्या के निर्धनतम लोग भ्रोसत से बहुत कम आय प्राप्त करते हैं।

१९६६-७० के वर्ष में निवल वास्तविक राष्ट्रीय आय में (अर्थात् १९६०-६१ की कीमतों पर) कृषि क्षेत्रका का योगदान ७८४६ करोड़ रुपये था जो कुल का ४३.७ प्रतिशत

था। चालू कीमतों पर कृषि क्षेत्रक से प्राप्त निवल राष्ट्रीय उत्ताद १५६०० करोड़ रुपये का था जो कुल का लगभग ५० प्रतिशत था।

भारत में कृषि क्षेत्रक में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और न ही इनका अवलोकन किया गया है। विचित्र बात यह है कि सरकारी तथा निजी एजेन्सियाँ जो अधिकृत सूचना की खोत हैं, इस महस्वपूर्ण विषय पर भीन हैं। सेवक ने इस धारणा के आधार पर कि भारत में ७० प्रतिशत जनसंख्या अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर है, प्रति व्यक्ति कृषि आय को निकालने का प्रयास किया है। वर्षोंकि प्रति व्यक्ति कृषि आय एक विशिष्ट धारणा पर आधारित है, इसलिए यदि इस विषय पर अधिकृत स्रोतों द्वारा नवीन सूचना मुलम कराई जा सके तो उम्मीद स्वागत होगा। इस काम का उत्तरदायित्व सार्व व कृषि मन्त्रालय अथवा केन्द्रीय सास्तिकीय संगठन (CSO) को स्वयं अपने ऊपर लेना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध कराए जा सकें।

उपरोक्त धारणा के आधार पर १९६०-६१ में कृषि क्षेत्रक में प्रति व्यक्ति आय २२५ रुपये थी जो १९६८-७० में वास्तविक रूप में घटकर २०६ रुपये हो गई। अतः १९६८-७० के वर्ष में १९६०-६१ की कीमतों पर कृषि क्षेत्रक में प्रति व्यक्ति औसत दैनिक आय केवल ५७ पैसे थी जबकि १९६०-६१ में यह लगभग ६२ पैसे थी। यह विचित्र विरोधाभास है कि एक ऐसे समय में जबकि देश में तथाकृति 'हरित क्रान्ति' के आगमन का दावा किया जा रहा हो, कृषि क्षेत्रक में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में लगातार गिरावट हो।

१९६०-६१ की तुलना में कृषि क्षेत्रक में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय तथा प्रति व्यक्ति समृद्धि (पर कैपिटा प्रोफ) के आंकड़े पिछले १० वर्षों में इस क्षेत्र में तथाकृति उपलब्धियों के सम्बन्धीय दावों से मेल नहीं खाते। हमारे अध्ययन की वर्तमान अवस्था में हमें किसी परिणाम पर पहुँचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और 'हरित क्रान्ति' के बारे में कोई भी राय बनाने से पूर्व अब तक अपनाई गई नीतियों तथा कृषि विकास-कार्यों के पूरे क्षेत्र का परीक्षण तथा विश्लेषण करना आवश्यक है। परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि यहाँ के लोगों का जीवन-स्तर बहुत नीचा है। भारत में निर्धनता की समस्या वास्तव में अत्यं राष्ट्रीय आय तथा इसके असमान वितरण की समस्या है। विकास की मंद गति तथा विकास के अल्प लाभों के असमान वितरण की समस्या है।

१.६ प्रति व्यक्ति निजी उपभोक्ता व्यय

प्रति व्यक्ति निजी उपभोक्ता व्यय लोगों के जीवन-स्तर की अधिक सार्वक तथा स्पष्ट माप है। यदि निवल देशीय उत्ताद में से निर्यात को घटाया जाए तथा आयात को जोड़ दिया जाए, तो हमें निवल देशीय व्यय (नेट डोमेस्टिक एक्सपैडीचर) ज्ञात हो जाता है। इस राशि में से निवल देशीय पूँजी-निर्माण तथा सरकारी उपभोग-व्यय (अर्थात् प्रशासन व समाज कल्याण पर होने वाले व्यय) को घटाने से निजी उपभोक्ता व्यय ज्ञात करने के लिए निजी उपभोक्ता-व्यय को जनसंख्या द्वारा भाग देना पड़ेगा।

निजी उपभोक्ता व्यय = निवल देशीय उत्ताद + आयात - निर्यात

— निवल देशीय पूँजी - निर्माण - सरकारी उपभोग व्यय

दोंडेकर और रेख ने अपनी प्रमिद्ध पुस्तक 'पॉवर्टी इन इण्डिया' में प्रति व्यक्ति निजी उपभोक्ता-व्यय का परिकलन किया है। १९६०-६१ में यह २७६.३ हॉ वार्षिक या जबकि १९६८-६९ में प्रतिव्यक्ति निजी उपभोक्ता-व्यय २८६.६ हॉ था। इसी प्रकार पिछले ग्राह वर्षों में इसमें केवल आधा प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय संपल सर्वेक्षण (नेशनल संम्पल सर्व N. S. S.) के सोलहवें, सत्रहवें तथा अठारहवें चक्र में ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्याओं के लिए पृथक्-पृथक् उपभोक्ता व्यय के अनुमान प्राप्त किए गए हैं। ये अनुमान इन क्षेत्रों में परिवारों की विभिन्न वस्तुओं की वास्तविक खपत पर आधारित हैं और इनके द्वारा व्यष्टि-वितरण पर उपयोगी प्रकाश ढालते हैं। सारणी १.३ में उपभोक्ता-व्यय के स्वरूप को दर्शाया गया है :

सारणी १.३ उपभोक्ता-व्यय का स्वरूप

३० दिन में विभिन्न वस्तुओं पर प्रति-व्यक्ति उपभोक्ता-व्यय (रुपयों में)

मद	१६वा चक्र		१७वा चक्र		१८वा चक्र		१९६७-६८	
	जुलाई, ६०-अगस्त, ६१	लितनवर ६१-जुलाई ६२	करवरी ६२-जनवरी ६४	कालू कीमतों पर	जुलाई ६१	लितनवर ६१-जुलाई ६२	करवरी ६२-जनवरी ६४	जानवरी ६४
ग्रामीण	ग्रामीण	ग्रामीण	ग्रामीण	ग्रामीण	ग्रामीण	ग्रामीण	ग्रामीण	ग्रामीण
खाद्यान्न	१४.५८	१७.६७	१४.६०	१८.७३	१५.६७	१६.६५	—	—
अखाद्य	६.८६	११.५५	६.७३	१२.४७	६.६४	१३.३१	—	—
कुल	२१.४७	२८.५२	२१.६३	३१.२०	२२.३१	३२.६६	३३.३०	४५.२०
वार्षिक व्यय	२६१	३५६	२६३	३८०	२७१	४०१	४०५	५५०

नोट (राष्ट्रीय संम्पल सर्वेक्षण अंकड़ों पर आधारित) ड्राइट रिपोर्ट्स १३६, १४४, १६०

सारणी से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल व्यय का लगभग ७० प्रतिशत खाद्य पदार्थों पर व्यय किया जाता है जबकि नगरीय क्षेत्रों में कुल व्यय का लगभग ६० प्रतिशत खाद्य पदार्थों पर व्यय किया जाता है। सारणी से यह भी स्पष्ट है कि नगरीय जनसंख्या का प्रति व्यक्ति उपभोक्ता-व्यय ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा ३५ में ५० प्रतिशत तक अधिक है। इसका कारण यह है कि उपभोक्ता पदार्थों तथा सेवाओं की कीमतें ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः ऊची होती हैं।

राष्ट्रीय संम्पल सर्वेक्षण के अनुमान १९६०-६१ में प्रति व्यक्ति ग्रामीण उपभोग २६१.२ हॉ प्रति वर्ष था। लगभग दो तिहाई जनसंख्या इस औसत से कम व्यय कर रही थी। लगभग ४० प्रतिशत ग्रामीण संख्या का व्यय प्रति व्यक्ति १५ रुपये प्रतिमास अर्थात् ५० पैसे प्रतिदिन से भी कम था। इसी प्रकार १९६०-६१ में नगरीय उपभोक्ता-व्यय ३५६.२ हॉ प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था और लगभग दो-तिहाई जनसंख्या इस औसत से कम

व्यय कर रही थी। इनसे यह स्पष्ट है कि देश में बहुत अधिक निर्धनता है। पिछले कुछ वर्षों में निर्धनता के परिस्थाम तथा विस्तार से सम्बन्धित अनेक मानवात्मक अध्ययन किए गए हैं जो इस समस्या की गम्भीरता पर प्रकाश डालते हैं।

भारत सरकार द्वारा १९६२ में नियुक्त एक अध्ययन-मण्डल ने इस बात पर विचार किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर वाद्यनीय निर्मनतम उपभोक्ता-व्यय क्या होना चाहिए। अध्ययन-मण्डल की यह सिफारिश थी कि प्रति व्यक्ति २० रुपये प्रति मास का उपभोक्ता-व्यय राष्ट्रीय निर्मनतम स्तर भाना जाए। यद्यपि इस निर्धारण तथा परिभाया का आधार स्पष्ट नहीं है परन्तु इस सीमा के ओचित्रय की आलोचना भी नहीं की जा सकती। योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री वी.एस. मिन्हास ने २४० रु० प्रति वर्ष तथा २०० रुपये प्रति वर्ष निर्मनतम व्यय के आधारों पर 'निर्धनता रेखा' में भी नीचे निर्वाह करने वाली ग्रामीण जनसम्प्य के अनुमान लगाए हैं जो सारणी १.४ में दिए गए हैं।

सारणी १.४ जीवन निर्वाह के निर्मनतम स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या
तथा अनुपात : ग्रामीण भारत

वर्ष	२४० रु० प्रति वर्ष से कम (१९६०-६१ कीमतों पर)		२०० रु० प्रति वर्ष से कम (१९६०-६१ कीमतों पर)	
	%	करोड़ों में	%	करोड़ों में
१९५६-५७	६५०	२१.५	५२.४	१७.३
१९५७-५८	६३.२	२१.२	५०.२	१६.६
१९६०-६१	५८.४	२१.१	४६.०	१६.४
१९६१-६२	५६.४	२०.६	४३.६	१५.६
१९६३-६४	५७.८	२२.१	४४.२	१६.६
१९६४-६५	५१.६	२०.२	३८.३	१५.४
१९६७-६८	५०.६	२१.०	३७.१	१५.४

स्रोत : वी.एस. मिन्हास, रटन देवलपमेंट फोर वीकर-सेक्युरिटी एक्सप्रियन एण्ड लैंसन्स।

सारणी से स्पष्ट है कि ग्रामीण लोगों में निर्धनता काफी व्यापक है। समझ २१ करोड़ लोग निर्मनतम स्तर से भी नीचे दर्यों विनिर्धनता में निर्वाह कर रहे हैं। उनकी दशा इतनी खराब है कि यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि मनुष्य इतने निर्मन स्तर पर भी निर्वाह कर सकता है। यद्यपि पिछले २० वर्षों में 'निर्धनता रेखा' से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात में सहज तथा सतत ह्रास हुआ है परन्तु इस वर्ष के लोगों की परिशुद्ध संख्या में बोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। निर्धनता-रेखा से नीचे स्तर वाले लोगों की संख्या अच्छी फसल के समय कम हो जाती है जबकि अमफल कृषि के वर्षों में इसमें तेजी से बढ़ जाती है। संखेप में हम कह सकते हैं कि २०वर्षों के नियोजित अर्थिक विकास के बाद भी लगभग आधी ग्रामीण जनसंख्या अत्यन्त दर्यों विनिर्धनता की दशा में जीवन

बिता रही है। इनमें अधिकांश लोग भूमिहीन-अभियंक परिवारों तथा लघु व सीमांत-कृषक परिवारों के हैं। हमें ऐसी नीतियाँ अपनानी होंगी जिनके द्वारा इन लोगों के जीवन-स्तर में स्थाई रूप से सुधार किया जा सके। अतः प्रयत्न आवश्यकता अर्थव्यवस्था की संवृद्धि-दर को तेजी से बढ़ाने की है।

१.१० कृषि-उत्पादन सूचि

जैसे कि सारणी १.५ से स्पष्ट है, पिछले दस वारह वर्षों में कृषि-उत्पादन की उपनति अनियमित सी रही है। पहले तीन वर्षों (१९६१-६४) में उत्पादन में अपेक्षाकृत गतिहीनता रही है। १९६४-६५ में इसमें काफी वृद्धि हुई परन्तु १९६५-६६ तथा १९६६-६७ में भयानक सूखे के कारण उत्पादन में मार्गि गिरावट हुई है। १९६७-६८ से लेकर १९७०-७१ तक कृषि-उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु १९७१-७२ तथा १९७२-७३ सूखे के वर्ष रहे हैं। १९६५-६६ व १९६६-६७ तथा पुनः १९७१-७२ तथा १९७२-७३ के असामान्य वर्षों के कारण पिछले बारह-तेरह वर्षों की अवधि के दौरान कृषि-उत्पादन की उपनति (ट्रैड) का मापन सार्थक नहीं लगता। तो भी कुछ विशेष परिवर्तनों का उल्लेख करना उचित ही होगा।

सारणी १५ खाद्यान्न उत्पादन, आयात तथा प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता

वर्ष	कृषि-उत्पादन (१९४४-५०=१००)	खाद्यान्न उत्पादन	आयात	प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता
	सूचकांक	करोड टन	करोड टन	ग्राम व्यक्तिगत
१९६०-६१	१४२.२	८.२	०.५१	४६६.८
१९६१-६२	१४५.०	८.३	०.३५	—
१९६२-६३	१३८.०	७.८	०.३६	—
१९६३-६४	१४३.०	८.०	०.४६	—
१९६४-६५	१५६.४	८.६	०.६३	—
१९६५-६६	१३२.१	७.२	०.७५	४०२.०
१९६६-६७	१३१.६	७.४	१.०४	—
१९६७-६८	१६१.०	८.५	०.८७	४५२.८
१९६८-६९	१५८.७	८.४	०.५७	४३७.६
१९६९-७०	१६८.०	८.६	०.३६	—
१९७०-७१	१८३.०	१०.८	०.३६	—
१९७१-७२	१७६.०	१०.४	०.२०	—
१९७२-७३	१६६.०	१०.०	०.२०	—

दोतः इन्डियन एसीसीवर इन शीर दमवी और बारहवी संस्करण।

खाद्यान्नों का कुल उत्पादन १६६०-६१ में ८.२० करोड टन था जो १६७०-७१ में बढ़कर, १०.८० करोड टन हो गया। अतः इन दस वर्षों में औसत संवृद्धि दर २% प्रतिशत रही परन्तु आगे ही हो दो वर्षों में उत्पादन में कमी हुई। इस प्रकार १६७२-७३ में कुल खाद्यान्न उत्पादन १० करोड टन था जो १६६०-६१ की अपेक्षा केवल २२ प्रतिशत अधिक था जबकि इतने ही समय में देश की जनसंख्या में लगभग ३० प्रतिशत वृद्धि हुई। स्पष्ट है कि जनसंख्या में २५ प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि ने परन्तु उत्पादन में होने वाली वृद्धि को पूर्णतया हड्डप लिया। यसामान्य तथा सूक्ष्म के वर्षों में स्थिति और भी बिगड़ जाती है। इन परिस्थितियों में खाद्यान्न आयात करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं होता जिसके कारण सरकारी खजाने पर काफी बोझ पड़ता है। भारत ने पिछले बारह वर्षों में लगभग ७ करोड टन अनाज का आयात किया है। यह स्थान रहे कि कृषि पदार्थों के व्यापारिक आयात में वृद्धि औद्योगीकरण हेतु पूँजीगत माल वा आयात करने के लिए सीमित विदेशी मुद्रा के उपयोग करने की अवश्यकता की विरोधी है और इस प्रकार औद्योगीकरण की प्रगति को भग्न करती है।

अनाज के मारी आयातों के बावजूद प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता (पर कैपिटा अवेनेबिलिटी फॉन्क्फूट्डप्रेस्स) १६६६ में ४३७.६ ग्राम प्रति दिन थी जबकि १६६१ में यह मात्रा ४६६.८ ग्राम प्रति दिन थी। जनसंख्या के निर्वन्तम वर्ष इससे भी कम का उपयोग करते हैं। सुराक विशेषज्ञों के अनुसार अनाज का प्रति व्यक्ति न्यूनतम राशन ४७५ ग्राम प्रति दिन होना चाहिए। अतः प्रति व्यक्ति आधार पर हमारी स्थिति गतिहीन ही नहीं रही, वर्तिक अधिक बिढ़ी है। १६६०-६१ में ग्रामीण जनसंख्या के एक तिहाई तथा नगरीय जनसंख्या के आधे भाग को भोजन-कैलोरीज की अपर्याप्त मात्रा प्राप्त हो रही थी। ऐसी स्थिति में मारतीय शमजीबी अपनी दक्षता को कैसे बनाए रख सकता है? कहने का अभिप्राय यह है कि कृषि-विकास निरपेक्ष रूप में चाहे कितना ही प्रभावपूर्ण दिखाई दे, प्रति व्यक्ति ग्रन्थ उपलब्धता अत्यन्त प्रभावहीन रही है।

बागान फसलों-विशेषकर काँसी और रबड़-के उत्पादन में काँसी वृद्धि हुई है परन्तु रेशेवाली फसलों तथा तिलहनों के उत्पादन में गिरावट आई है। कृषि-उत्पादन में १६ प्रतिशत की समग्र वृद्धि (१६६०-६१ में १४२.२ से १६७२-७३ में १६६) में ७ प्रतिशत की वृद्धि क्षेत्रफल के विस्तार के कारण हुई है और शेष १२ प्रतिशत की वृद्धि उन्नत उपज (घर्षन्ति उत्पादकता में वृद्धि) के कारण हुई है।

१.११ ग्रामीण क्षेत्रक में भू-जीतों का वितरण

जोत का क्षेत्रफल संभवतः कृषि-उत्पादन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपादान है। अतः क्षेत्रफल के अनुसार भू-जीतों के सचालन तथा स्वामित्व के वितरण का अव्ययन उपयोगी होगा। भारत में जीतों की वितरण-व्यवस्था सारणी १०६ में दर्शाई गई है।

(१) सारणी में पता चलता है कि १६ प्रतिशत से भी अधिक सचालन जोतें ०.४० हैंटर या एक एकड़ से कम की हैं। सारणी यह भी बताती है कि लगभग ३७ प्रतिशत परिवारों के पास या तो कोई भूमि नहीं है या उनकी जोतें ०.४० हैंटर से कम की हैं।

आर्थिक विकास तथा कृषि-नीति

सारणी १.६. मारत में देशफल-वर्ग प्रशुतार जोतो का विवरण

क्रमांक	जोत का सारिन हेटर	संचालन जोते		कुल दोत्त तात्र हेटर		नियो (स्थानिक जोते)		संक्षय लाभों में		कुल दोत्त लाभ हेटर	
		संक्षय लाभों में	संक्षय लाभों में	कुल दोत्त	कुल दोत्त	संक्षय लाभों में	कुल दोत्त	संक्षय लाभों में	कुल दोत्त	संक्षय लाभों में	कुल दोत्त
१.	०.२० से कम	४८.३८ (६.७१)	४८.६४ (०.३५)	१६०.०५ (०.६४)	१६०.७० (२६.७०)	७.०१ (०.५४)	७.०१ (०.५४)	७.०१ (०.५४)	७.०१ (०.५४)	७.०१ (०.५४)	७.०१ (०.५४)
२.	०.२० से ०.४०	४८.५५ (८.५४)	४८.४५ (०.६४)	४५.७४ (०.६४)	४५.७४ (७.१५)	१३.४८ (१.०५)	१३.४८ (१.०५)	१३.४८ (१.०५)	१३.४८ (१.०५)	१३.४८ (१.०५)	१३.४८ (१.०५)
३.	०.४० से १.०१	१०७.७२ (२१.६२)	१०७.८४ (२.५०)	१२२.८४ (२.५०)	१२२.८४ (१७.८४)	११४.८४ (१७.८४)	११४.८४ (१७.८४)	११४.८४ (१७.८४)	११४.८४ (१७.८४)	११४.८४ (१७.८४)	११४.८४ (१७.८४)
४.	०.०१ से २.०१	१११.८१ (२२.५४)	११२.२४ (१२.२५)	१६२.२४ (१२.२५)	१६२.२४ (१०६.८४)	१०६.८४ (१०६.८४)	१०६.८४ (१०६.८४)	१०६.८४ (१०६.८४)	१०६.८४ (१०६.८४)	१०६.८४ (१०६.८४)	१०६.८४ (१०६.८४)
५.	३.०२ से ३.०४	६१.५८ (१२.३६)	६४.७६ (११.३१)	१४६.७६ (११.३१)	१४६.७६ (६.०७)	१४६.७६ (६.३६)	१४६.७६ (६.३६)	१४६.७६ (६.३६)	१४६.७६ (६.३६)	१४६.७६ (६.३६)	१४६.७६ (६.३६)
६.	३.०४ से ४.०५	३४.७८ (६.६८)	३१.६४ (६.०२)	३१.६४ (६.०२)	३१.६४ (५.१७)	३३.१० (५.१७)	३३.१० (५.१७)	३३.१० (५.१७)	३३.१० (५.१७)	३३.१० (५.१७)	३३.१० (५.१७)
७.	४.०५ से ६.०७	३८.८६ (७.७६)	३८.६६ (७.०२)	३८.६६ (७.०२)	३८.६६ (३६.८५)	३६.८५ (३६.८५)	३६.८५ (३६.८५)	३६.८५ (३६.८५)	३६.८५ (३६.८५)	३६.८५ (३६.८५)	३६.८५ (३६.८५)
८.	६.०७ से ८.०८	३८.४३ (३.७०)	३८.५२ (३.५०)	३८.५२ (३.५०)	३८.५२ (३.५०)	३७.६३ (३.५०)	३७.६३ (३.५०)	३७.६३ (३.५०)	३७.६३ (३.५०)	३७.६३ (३.५०)	३७.६३ (३.५०)
९.	८.०८ से १०.१२	३१.११ (२.२३)	३१.११ (२.२३)	३१.११ (२.२३)	३१.११ (७.३०)	१०.६४ (७.३०)	१०.६४ (७.३०)	१०.६४ (७.३०)	१०.६४ (७.३०)	१०.६४ (७.३०)	१०.६४ (७.३०)
१०.	१०.१२ से १२.१४	१४५.७१ (३३.०६)	१७७.४५ (५१.१५)	१५१.१५ (५१.१५)	१५१.१५ (२४.८३)	६६५.६६ (२४.८३)	६६५.६६ (२४.८३)	६६५.६६ (२४.८३)	६६५.६६ (२४.८३)	६६५.६६ (२४.८३)	६६५.६६ (२४.८३)

भारतीय कृषि-ग्रन्थव्यवस्था

११.	१२.१४	से २०.२३	११.२१	(२.२७)	१५५.६६	(१२.५१)	१०.०५	(१.५७)	१५२.६०	(११.७८)
१२.	२०.२३	से प्रथिक	५.२३	(१.०३)	१५७.४८	(११.८८)	४.३७	(०.६८)	१५३.९७	(११.१३)
			२३.०७	(५.६३)	३४४५२	(२६.८१)	३०६४	(३.२२)	३६३२८	(२८.१४)
			सर्व चारों	४६५२४(१००००)	१३२४.४४	(१००००)	६४०००	(१००००)	१२८६३४	(१००)

नोट : कोण्ठकों में सहयाएँ कुल का प्रतिशत है।

चोत . प.न. एस एम रिटोर्न न. १४४-१७वा राज्य भित्तिक, १९६१-कुलाहि, १९६२.

लगभग ६२ प्रतिशत जोतें २००२ हैक्टर (या ५ एकड़) से कम की इकाइयों में संचालित की जा रही थी। एक-तिहाई संचालन जोतों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल २००२ से १००१२ हैक्टर (अर्थात् ५ से २५ एकड़) के बीच है, जबकि १००१२ हैक्टर (२५ एकड़) से अधिक वाली संचालन जोतें कुल संख्या का ४०६३ प्रतिशत हैं।

(ii) हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की एक अन्य चिन्ताजनक बात यह है कि ये लघु संचालन जोतें, जिनकी संख्या लगभग ६२ प्रतिशत है, अति-विविंधन (एकसंसिव फोगमैन्टेशन) की समस्या से पीड़ित हैं जिसका प्रत्यक्ष परिणाम संसाधनों का अत्यधिक अपव्यय तथा बेकार जाना है। इस विविंधन का विस्तार सारणी १७ से जाना जा सकता है।

सारणी १७. भारत में संचालन जोतों का विविंधन

क्रमांक	जोत का क्षेत्रफल (हैक्टर)	देशों (ट्रकड़ों) की संख्या	औसत खेत साईंज (हैक्टर)
१.	०-२० तक	१-८७	००५३ (०-१३ एकड़)
२.	०-२०—०-४०	३-०७	००९७ (०-२४ एकड़)
३.	०-४०—१-०१	४-४५	०१५ (०-३७ एकड़)
४	१-०१—२-०२	६-०५	०२३५ (०-५८ एकड़)
५.	२-०२—३-०४	६-७६	०३५२ (०-८७ एकड़)
६	३-०४—४-०६	७-६३	०४५ (१-१० एकड़)

सूत्र अडेंटेड फॉम एन.एम. एम. ड्राप्ट रिपोर्ट स. १४०. सम आस्पेक्ट्स आफ लैण्ड होल्डिंग्स इन उत्तर एशिया १७वा राउन्ड १६६१-६२ (अप्रकाशित)

उदाहरण के रूप में ०-४०—१-०१ हैक्टर की वर्ग-श्रेणी में प्रत्येक जोत में औसत ४-३५ ट्रकड़े हैं जिनमें से प्रत्येक का औसत आकार एक हैक्टर के सातवें मात्रा (एक एकड़ के एक तिहाई) से योग्य ही अधिक है। जोत के क्षेत्रफल के साथ-साथ खेतों की संख्या व इनका औसत क्षेत्रफल भी बढ़ता है। यह विविंधन प्रमाणी कृषि आयोजन तथा कृषि-उत्पादिता-वृद्धि में बहुत बड़ा अवरोध है।

(iii) हम सारणी का एक अन्य प्रकार से भी विश्लेषण कर सकते हैं। विभिन्न परिमाणों में भूमि के क्षेत्रफल के विवरण का अध्ययन करने पर पता चलता है कि कुल भूमि का २० प्रतिशत से भी कम क्षेत्रफल २०२ हैक्टर (या ५ एकड़) से कम की इकाइयों में संचालित किया जाता है। इसका यह अर्थ हूँदा कि ८० प्रतिशत क्षेत्रफल २००२ हैक्टर (५ एकड़) से अधिक की इकाइयों में संचालित किया जा रहा है। इसमें से २० प्रतिशत क्षेत्रफल २००२ हैक्टर से ४००५ हैक्टर की इकाइयों में संचालित किया जा रहा है। ये वे जोतें हैं जो आर्थिक नहीं मानी जा सकती। यदि कृषि की वर्तमान तकनीक के अतर्गत ४०५ हैक्टर (या १० एकड़) की जोत को आर्थिक मान लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि कृषि भूमि का ६० प्रतिशत क्षेत्र आर्थिक इकाइयों में जोता जा रहा है। यदि २०२३ हैक्टर (५० एकड़) की जोत को संचालन की दृष्टि से अत्यधिक मान लिया जाए तो इस वर्ग में

कुल क्षेत्रफल का ११ प्रतिशत आता है। इसलिए यदि हम भूमि जोत की उच्चतम सीमा १२-१४ हैक्टर (३० एकड़) भी नियत करते तो हमें कुल के १० प्रतिशत से अधिक क्षेत्र प्राप्त नहीं हो सकेगा जिसका वितरण हमें अनाधिक तथा अवसीमान इकाइयों वाले ७० प्रतिशत परिवारों में करना पड़ेगा। विभिन्न राज्यों में भूमि-वितरण का स्वरूप यही है।

१.१२ सारांश

उपरोक्त विवेचन से भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति सक्षेप में कुछ इस प्रकार से चिह्नित की जा सकती है :

- (i) भारत प्राकृतिक सासाधनों तथा जनशक्ति की हृष्टि से एक घनी देश है परन्तु इन सासाधनों का बहुत कम अन्वेषण किया गया है। उनके पूर्ण संदोहन तथा विवेक-पूर्ण आवंटन द्वारा उनके अधिक सधन उपयोग का क्षेत्र काफी विस्तृत है। इसके अतिरिक्त नियमित आर्थिक संबूद्धि हेतु इन सासाधनों के संवर्धन की भी ज़रूरत है। उपलब्ध तथा अभीष्ट सासाधनों में अन्तर को पाठने के लिए सतत प्रयासों की आवश्यकता है।
- (ii) मारत को एक विशाल जनसंख्या का पोषण करता है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जबतक इसकी संबूद्धि-दर को रोका नहीं जाता और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप एक उचित स्तर पर (मानलो १२ प्रतिशत पर) स्थिर नहीं किया जाता, तबतक वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। जन संख्या की तेज संबूद्धि-दर लोगों की जीवन परिवर्तनियों में सुधार करने के लिए किए जाने वाले सब प्रयासों को निष्फल बना रही है। व्यापक बेकारी, अल्प रोजगार, निर्धनता, निम्न जीवन-स्तर, खाद्यान्नों का निरन्तर अभाव, निम्न प्रतिव्यक्ति आप, आवास-अभाव, अस्पतालों, बसों तथा गाड़ियों में अपार भोड़-सब इस बात के लक्षण हैं कि हम जनसंख्या-प्रस्फोट के कागर पर खड़े हैं। आवश्यकता इस बात की है कि निश्चित दीर्घ अवधि तथा अल्प अवधि उड़ेश्यों की पूर्ति के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या-नीति की रखना की जाए। जितनी जहरी सभव हो, जन्म-दर को ४१ प्रति हजार से कम करके २५ प्रति हजार करने के भरसक प्रयत्न किए जाने चाहिए। बेहतर तथा बड़ रही चिकित्सा-मुद्रिकाओं के कारण कम हो रही मृत्यु-दर के संदर्भ में ऐसा करना और भी अधिक ज़रूरी है।
- (iii) मारतोंय अर्थव्यवस्था कृषि-प्रधान है। देश की आधी राष्ट्रीय आय कृषि तथा सम्बद्ध कियाग्रों से प्राप्त होती है। देश के ७० प्रतिशत लोगों की आजीविका का यह मुख्य साधन है। इसके अतिरिक्त यह पटसन, सूती कपड़ा तथा चीनी उद्योग जैसे कुछ प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चे माल की सप्लाई करती है। देश के नियांति का एक बड़ा भाग (लगभग एक तिहाई) कृषि-पदार्थों से नियमित है। इस प्रकार कृषि देश के लिए प्रचुर विदेशी मुद्रा कमाती है। कृषि वास्तव में औद्योगिक विस्तार के लिए पूँजी प्रदान करती है। अतः भारत की अर्थव्यवस्था

का विकास, काफी हृद तक, कृषि के विकास पर निर्भर है।

- (iv) भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय संसार में निम्नतम में से है। कृषि पर निर्भर लोगों की प्रति व्यक्ति आय और भी अधिक कम है। अधिकांश लोग 'निर्वन्तता-रेखा' से काफ़ी नीचे स्तर पर निर्वाह कर रहे हैं। शेष इसके समीप भटक रहे हैं। परिस्थितियाँ इतनी विषम तथा दयनीय हैं कि विश्वास करना कठिन है। लाखों लोग अभावव्यस्तता का जीवन बिता रहे हैं। "७० प्रतिशत अमजीबी जन-संख्या आधी से भी कम राष्ट्रीय आय का उपाजन करे"—यह बात कृषि अमजीवियों की उत्पादन-प्रदक्षिता को ही बतलाती है।
- (v) यद्यपि ७० प्रतिशत अमजीबी जनसंख्या कृषि का व्यवसाय करती है, परन्तु वह इतनी दक्ष नहीं कि अपने तथा शेष ३० प्रतिशत जनसंख्या के लिए साधारण उपजा सके। परिणाम यह है कि भारत में अल्प पौपाहार की स्थाई अवस्था है जो प्रतिदिन बिगड़ रही है। वे कठोर कुपोषण से पीड़ित हैं जो उनकी आधिक अदक्षता तथा मानव संसाधनों के भयावह अपव्यय के लिए उत्तरदायी है। बास्तव में यसस्वी लोग अर्ध-अकाल राशन पर गुजारा कर रहे हैं। हम उन्हे सभ्य जीवन-निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएँ भी सप्लाई नहीं कर सके। इस-लिए कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मरसक प्रयास करने होंगे। साथ ही भूमिहीन कृषि-अभियोगों तथा सीमान्त कृषकों के लिए कृषि क्षेत्रक से बाहर काफी विकल्प रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। इसके लिए तेज़ औद्योगीकरण की आवश्यकता है। तेज़ आर्थिक विकास के लिए सर्वनामक परिवर्तन जरूरी है।
- (vi) भारत में लगभग ४० प्रतिशत परिवार १००१ हैंटर से भी कम साईज के फार्मों का समालन करते हैं। इनका क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का ७ प्रतिशत है। दूसरी ओर केवल ४०६ प्रतिशत भूमि संचालक कुल क्षेत्रफल के ३० प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि करते हैं। उनकी जोतो में से प्रयोग जोन १००१२ हैंटर से भी बड़ी है। इसमें सदैह नहीं कि लघु कृषकों की एक बहुत बड़ी संख्या छोटे-छोटे फार्मों की एक बड़ी संख्या का सचालन करते हैं परन्तु अधिकांश भूमि (लगभग ८० प्रतिशत) अच्छे परिमाण की जोतो में ही जोती जाती है। कुल भूमि का ५१ प्रतिशत क्षेत्र २००१२ से १००१२ हैंटर (५-२५ एकड़) की फार्म इकाइयों में विनिरित है और किसी भी संगठनात्मक पुनर्वितरण में इन्हें छेड़ने की आवश्यकता नहीं। परन्तु यह इतना सरल नहीं। इसके लिए भी संस्थागत परिवर्तन (जैसे कि अनिवार्य चकवन्दी, सहकारी मेवा तथा सहकारी कृषि आदि) की आवश्यकता होगी। भारत में फार्म छोटे नहीं हैं। हाँ, छोटे कृषकों की संख्या बहुत बड़ी है। प्रश्न यह नहीं है कि उन ३७७ प्रतिशत कृषकों से जो २००२ हैंटर से अधिक को फार्म इकाइयों में ८० प्रतिशत क्षेत्र का संचालन कर रहे हैं, कैसे निपटा जाए? बल्कि वास्तविक समस्या यह है कि उन ६२३ प्रतिशत निर्वत तथा भव-सीमांत लघु कृषकों से कैसे निपटा जाए जो २००२ हैंटर से भी कम की इकाइयों में

कुल क्षेत्रफल के केवल पांचवें भाग पर कृषि करते हैं। इम दिशा में अबतक अपनाये गये हृष्टिकोण पर गम्भीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तर्क यह है कि १२·१४ हेक्टर से बड़ी इकाइयों में २४४ प्रतिशत भू-क्षेत्र पर कृषि करने वाले ३·३ प्रतिशत अल्पसंख्यक कृषकों से आसानी से निपटा जा सकता है। परन्तु निर्धन भूमिहीन श्रमिकों तथा लघु कृषकों की बहुत बड़ी संख्या एक गम्भीर समस्या प्रस्तुत करती है जिसका समाधान सबसे पहले करना होगा। समाज के कमज़ोर तथा निर्धन वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए रचित नीतियों का मूल्यांकन इसी तथ्य की हृष्टि से किया जाना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि हमारे वर्तमान हृष्टिकोण से निर्धन कृषक कहाँ तक लाभान्वित हुए हैं? यदि स्थिति अन्यथा है तो इन नीतियों को अविलम्ब बदल देना चाहिए।

यहाँ इस बात का उल्लेख करना उचित ही होगा कि यदि सरकार सारी कृष्य भूमि का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय करले (जो असम्भव सा लगता है) और भूमि की गुणवत्ता व कृषि-जलवायु की स्थिति के अनुसार इसे जीवन-क्षम इकाइयों में संगठित करले, तो भी सरकार ५५ प्रतिशत से अधिक कृषकों को भूमि पर नहीं खपा सकेगी। उस स्थिति में भी ४५ प्रतिशत सचालकों को अन्य क्षेत्रों में भेजना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है और भू-जन अनुपात में वृद्धि करने के लिए उपाय करने होंगे। वर्तमान परिस्थितियों में भू-क्षेत्र को नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए कृषि में कम तथा और अधिक कम लोगों को ही काम मिलना चाहिए। इस सबका आशय यह है कि फालतू कृषि-अम को, चाहे उसके पास भूमि हो या न हो, कृषि-क्षेत्र से बाहर किसी अन्य क्षेत्र में लगाने का तुरंत प्रबन्ध किया जाना चाहिए। कृषि के अनुपात का न्यूनीकरण किसी विकासशील देश की आर्थिक संवृद्धि की अनिवार्य शर्त है। देकार कृषि जनसंख्या को अधिक उत्पादक कृषीतर रोजगार देने के लिए प्रचुर औद्योगीकरण आवश्यक है ताकि वे लोग जो कृषि में रह जाएं, अपने फार्मों का अधिक दक्ष तथा बड़े पैमाने की यंत्रीकृत इकाइयों में पुनर्गठन कर सकें। हमें ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे देश की आर्थिक संरचना में कृषि के ७०:३० के वर्तमान अनुपात को कम करके ५०:५० या ४०:६० के अनुपात में लाया जा सके। जितनी जल्दी ऐसा किया जा सकेगा उतना ही देश के आर्थिक विकास के लिए अच्छा होगा।

- (vii) क्योंकि अतिरिक्त भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाने का क्षेत्र सीमित है इसलिए कृषि-उत्पादन-दर में वृद्धि करने के लिए आधुनिक टैक्नोलॉजी तथा प्रसार-प्रविधियों द्वारा सधन कृषि के आधार पर एक नवीन व्यूह-रचना को अपनाना होगा। कृषि केवल जीवन का ढंग ही नहीं बल्कि यह एक उद्योग है जिसे व्यापारिक आधार पर संगठित किया जाना चाहिए।

भारत में कृषि-नीति के लक्ष्य

उपरोक्त अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत जैसे कम विकसित तथा अल्प-आय वाले देशों की आर्थिक संवृद्धि वहाँ के कृषि क्षेत्रक की निष्पादन-उन्नति पर निर्भर करती है। अतः अल्प आय वाले देशों में कृषि पदार्थों के घरेलू उत्पादन में काफी वृद्धि उनकी आर्थिक संवृद्धि की अनिवार्य शर्त है। वास्तव में कृषि-उत्पादन विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए आरम्भिक चालू पूँजी है। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि क्षेत्रक की उत्पादन दक्षता में सुस्थायी वृद्धि (सस्टेन्ड इन्फ्राज) की जा सके। निर्बन्ध वर्ग की अवस्था को बेहतर बनाने के लिए तथा आर्थिक सामाजिक स्थिरता की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है।

अतः अल्प आय वाले देशों में कृषि-नीति के मूलभूत लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

(i) उत्पादन-दक्षता का लक्ष्य—उत्पादन में अदक्षता कृषि में अल्प आय का मुख्य कारण है। कम विकसित देशों में राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए कृषि-उत्पादिता में वृद्धि जरूरी है। इससे कृषि में और अधिक उत्पादन के लिए या औद्योगिक संवृद्धि हेतु पूँजी-निवेश के लिए आर्थिक अधिशेष की प्राप्ति होगी तथा नगरीय जनसंख्या की बढ़ती हुई उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। उत्पादन-दक्षता में वृद्धि से कृषीकरण क्षेत्रों में उपयोग हेतु धम तथा अन्य सप्तावनों की निर्मुक्ति संभव हो सकेगी। इससे ग्रामीणों की क्षय शक्ति में वृद्धि होगी, औद्योगिक माल के दाजारों का विस्तार होगा तथा राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन लाने में सहायता मिलेगी।

उत्पादन दक्षता में वृद्धि के लिए नवीन उत्पादक निविट्टयो (जैसे अधिक उपज देने वाले थीज, उर्वरक, कीटनाशी पदार्थ आदि) के अधिकाधिक उपयोग तथा प्रौद्योगिकीय नवकियाओं (टैक्नोलॉजीकल इन्नोवेशन्स) के विस्तृत अनुप्रयोग की आवश्यकता होगी। उत्पादन दक्षता तथा इसमें वृद्धि हेतु आधुनिक कृषि-व्यूहरचना के प्रमुख तत्वों का विस्तृत विवेचन अगले छः अध्यायों (अध्याय २ से अध्याय ७) में किया गया है।

(ii) आय सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता का लक्ष्य—कृषि क्षेत्रक की मफनता आर्थिक संवृद्धि में इसके योगदान की सीमा द्वारा निर्धारित होती है। कृषि क्षेत्रक दक्ष माना जाता है यदि यह स्थिरता सहित आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित कर सके। उच्च उत्पादन-दक्षता उच्च आय में परिणत होनी चाहिए। तभी यह कृपकों की आर्थिक स्थिरता में अपना योगदान दे सकेंगी। अतः कृपकों की अपनी आय को बढ़ाने की दक्षता व धमता ही उपरोक्त आर्थिक स्थिरता प्रदान कर सकती है। उत्पादन-दक्षता, आय-सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता निकटतः सम्बद्ध है। आर्थिक स्थिरता के लक्ष्य की प्राप्ति कृपकों की आर्थिक प्रेरणाओं (इकोनोमिक इन्सेटिव्ज) की उपलब्धता पर निर्भर है। वास्तव में कृपकों की आय सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता कृषि कीमतों, कृषि उधार तथा कृषि के पैमाने आदि द्वारा प्रभावित होती है। कीमत समर्थन,

कृषि उधार, उभत कृषि विपणन तथा भूमि सुधार आदि आर्थिक प्रेरणाएँ कृषक की आय को बढ़ाने तथा स्थिर करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इसका अध्ययन अध्याय ८, ९, १०, व ११ में किया गया है।

(iii) समाज कल्याण का लक्ष्य— सामाजिक-कल्याण में सुधार कृषि-नीति का सामाजिक ध्येय है। कृषि शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, सामुदायिक कल्याण संबंधी कार्य, सड़कों में सुधार, आम विद्युतीकरण तथा आम गृह निर्माण आदि कार्यक्रम समाज-कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। इनका उल्लेख पुस्तक में संदर्भ अनुसार भ्रनेक स्थानों पर किया गया है। विशिष्ट विधयों का अध्ययन अध्याय १२ व १३ में किया गया है।

कृषि-नीति का मुख्य ध्येय आर्थिक प्रगति, भार्यक स्थिरता, आर्यक न्याय तथा आर्यक स्वतंत्रता प्रदान करना है। सामान्यतः हम इस प्रकार की नीति के आधार को खोजने तथा उसका विश्लेषण करने का प्रयत्न करेंगे। विशिष्टतः 'भारतीय कृषि तथा इसके विकास का आर्यक आधार' हमारे अध्ययन का मुख्य विषय होगा।

अध्याय २

उत्पादन दक्षता : कृषि-उत्पादिता

२.१ परिचय

किसी भी अल्पविकसित देश की आर्थिक सबूद्धि-दर को तेज करने के लिए वहाँ के कृषि क्षेत्रक का द्रुत विकास आवश्यक है। विकास के आरम्भिक चरणों में कृषि संबूद्धि की अत्यंत दर भी निरपेक्ष राष्ट्रीय आय में मारी बृद्धि कर सकती है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रक अपनी प्रगति के लिए, काफी हद तक, बाजार के वर्धमान विस्तार पर निर्भर होते हैं। और इस दिशा में कृषि का योगदान कम नहीं है। कृषि आय में बृद्धि से कृषीतर तथा विनिर्मित पदार्थों (नान-एग्रीकल्चरल एन्ड मैन्युफैचर्ड गुड्स) के लिए भी विस्तृत बाजारों की उत्पत्ति होती है और इस प्रकार अन्य क्षेत्रकों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इसलिए भारत जैसे देश में कृषि-विकास ही आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति का केन्द्रक होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के द्रुत विकास के लिए यह आवश्यक है कि कृषि का विकास व्यापारिक आधार पर किया जाय तथा इसका प्रबन्ध भी अधिक दक्ष हो। यह तभी सम्भव है जब उत्पादन के सब कारकों की उत्पादन-दक्षता में समग्र सुधार हो।

२.२ उत्पादन दक्षता

साधारणतः उत्पादन-दक्षता की सकल्पना का अध्ययन उद्योगों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में किया जाता है। प्रबन्धन (मैनेजमेंट) तभी दक्ष माना जाता है जब यह उत्पादन के सब कारकों का पूर्ण उपयोग कर अधिकतम उत्पादन करने में सक्षम हो।

शाब्दिक रूप से 'दक्षता' विद्यमान सासाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के 'गुण' को कहते हैं। दक्षता में बृद्धि से कृषि-आय तथा सामान्य जीवन-स्तर में बृद्धि होती है जो आर्थिक कल्याण में उन्नति के दोतक हैं। उत्पादन के एक कारक की उत्पादन दक्षता के लिए उत्पादिता शब्द का प्रयोग किया जाता है।

२.३ उत्पादिता

उत्पादन के किसी कारक की एक इकाई द्वारा किया गया उत्पादन उस कारक की उत्पादिता कहलाता है। कृषि में हम भूमि, थर्म, पूँजी तथा अन्य निविष्ट कारकों (इनपुट फैक्टर्स) की उत्पादिताओं का अध्ययन करते हैं।

(क) उपरोक्त परिमापा के अनुसार मूलि की उत्पादिता प्रति इकाई क्षेत्रफल उपज अर्थात् प्रति हेक्टर उपज द्वारा व्यक्त की जाती है।

- (ख) अम के सदर्म में, उत्पादिता प्रति कृषि अधिक उपज या प्रति अम-घंटा उपज (आउट पुट पर मैन और परमैन आवर) है।
- (ग) पूँजी तथा अन्य निविष्ट कारकों के सम्बन्ध में उत्पादिता "उत्पत्ति-निविष्ट अनुपात" (आउट पुट इनपुट रेशियो) में व्यवहा को जाती है। इस अर्थ में यह सकल मानव प्रयासो का प्रतिफल है।

२.४ भूमि की उत्पादिता

उत्पादिता अर्थात् प्रति हैबटर उपज कुल उत्पादन तथा भूमि के बीच बदलते हुए संबंधों का वर्णन करती है।

$$\text{फसल की उत्पादिता} = \frac{\text{कुल उपज}}{\text{फसल क्षेत्रफल}}$$

१९६०-६१ तथा १९७०-७१ वर्षों के लिए विभिन्न फसलों की प्रति हैबटर उपज के आंकड़े सारणी २.१ में परिचित किए गए हैं।

सारणी २.१ मारत में प्रमुख फसलों की प्रति हैबटर उपज

फसल	१९६०-६१			१९७०-७१		
	शम्प सेन्ट्र	उपज	उत्पादिता	शम्प सेन्ट्र	उपज	उत्पादिता
	(००० हैबटर)	(००० मी. टन)	(कि. पा. प्र. ह.)	(००० हैबटर)	(००० मी. टन)	(कि. पा. प्र. ह.)
चावल	३४१२८	३४५७३	१०१३	३७४३२	४२४४८	११३४
ज्वार	१८४१२	६८१४	५३३	१७४३५	८१८८	४७०
बाजरा	११४६६	३२८३	२८६	१२६०७	८०००	६२०
मक्का	४४०७	४०८०	६२६	५८३८	७४१३	१२७०
मौहू	१२६७७	१०६६७	८५७	१७८८२	२३२४७	१२६६
जौ	३२०५	२८१६	८८०	२५६७	८८६५	११०३
चना	६२७६	६२५०	६७४	७८०८	५२४७	६७२
गन्ना (गुड)	२४१५	११०००	४५५५	२६५७	१३१४४	४६४७
तम्बाकू	४१०	३०७	७४६	४१२	३४७	८४२

स्रोत: इन्डिया, १९६८, इन्डिया १९७३

उत्पादिता एक जटिल परस्तु महत्वपूर्ण संकल्पना है तथा किसी देश के कृषि क्षेत्रक के निष्पादन (परफॉर्मेंस) की सूचक है।

मारत तथा अन्य देशों में विभिन्न फसलों की उत्पादिता का तुलनात्मक अध्ययन देश की कृषि की वर्तमान अवस्था को जानने में सहायक सिद्ध होगा और इस दिशा में प्रगति के लिए मार्गदर्शन कर सकता है।

अन्तर-फसल उत्पादिता-तुलनाएं उत्पादिता तथा शम्प-स्वरूप (क्रांपिंग पैटर्न) के बीच सम्बन्ध का अध्ययन करती हैं। इसी प्रकार अन्तर्राज्य उत्पादिता-तुलनाएं अन्तर्राज्य आर्थिक स्तरों में विषयमताओं को समझने व दूर बरने में सहायक हो सकती हैं।

(क) विभिन्न देशों में कृषि उत्पादिता की तुलना—सारणी २.२, जिसमें कुछ चुने हुए देशों की प्रमुख फसलों की प्रति हैक्टर उपज दी हुई है, स्वत. स्पष्ट है :

सारणी २.२ प्रमुख फसलों की प्रति हैक्टर उपज, १९६७ (कि. ग्राम में)

देश	धान	गेहूँ	मक्का	दम्बाकू	गन्ना
ब्राजील	१५८०			-६३०	४५६००
जापान	५७५०			२४३०	
मिस्र	४६६०	२४६०	३४३०		
इंगलैंड	—	४१८०			
अमरीका	५१००	१७४०	४६३०	२३००	६७८००
रूस	३१६०	११६०	२६३०	१४८०	
भारत*	१७०१	१२६६	१२७०	८४२	४६४७०

* १९७१ के आँकडे स्रोत : F. A. O. शोडवान ईयर बुक, १९६८

इस सारणी से स्पष्ट है कि हमारी प्रति हैक्टर उपज सहार में न्यूनतम में से एक है। यह हमारी कृषि की अदक्षता तथा पिछड़ेपन का स्पष्ट प्रमाण है। न्यून उत्पादिता भारत के असल्य लोगों की निर्धनता का एक मात्र मुख्य कारण है।

सारणी २.२ से स्पष्ट है कि एक हैक्टर भूमि से हमारी धान की उपज अमरीका की अपेक्षा एक तिहाई तथा जापान की अपेक्षा एक तिहाई से भी कम है। हमारी गेहूँ की प्रति हैक्टर उपज मिस्र की उपज से आधी तथा इंगलैंड की उपज के एक तिहाई से भी कम है। भारत में मक्का की उत्पादिता अमरीका में मक्का की उत्पादिता का पाँचवाँ भाग है। अदक्षता हमारी आय के निम्न स्तर का मूल कारण है तथा निर्धनता के कुचक्क को जन्म देती है। अतः निर्धनता का कुचक्क कृषि-उत्पादन में बृद्धि-करके ही समाप्त किया जा सकता है।

विभिन्न राष्ट्रीय निदेशनों (नेशनल डिमान्स्ट्रेशन्स) से यह सिद्ध हो गया है कि एक हैक्टर भूमि से ६००० से ८००० कि. ग्राम तक धान प्राप्त करना सम्भव है। इसी प्रकार आवश्यक सिचाई तथा आश्वासित वर्षा, निविटियों में उचित निवेश तथा उचित प्रदन्धन द्वारा गेहूँ की उत्पादिता चार या पाँच गुना की जा सकती है।

(ख) उत्पादिता-संवृद्धि—एक अवधि के दौरान उत्पादिता-संवृद्धि व्यापक उपनति (जनरल इन्ड) को दर्शाती है तथा उस अवधि में उत्पादन व क्षेत्रफल-संवृद्धि दरों से अपने संबंध को व्यक्त करती है। उत्पादिता-संवृद्धि के अध्ययन से ही हम यह जान सकते हैं कि हमारी कृषि सम्बन्धी योजनाएँ कितनी सफल रही हैं।

सारणी २.३ में चुने हुए बर्गों के कृषि-उत्पादन, शस्य क्षेत्र तथा उत्पादिता के सूचकांक दिए गए हैं। हमने सरल माध्य द्वारा १६४६-५०—१६७०-७१ की अवधि के लिए संवृद्धि दरों परिकलित की है। सारणी से पता चलता है कि आयोजन के पहले पन्द्रह वर्षों में उत्पादिता संवृद्धि-दर १ प्रतिशत से भी कम रही है। नकदी फसलों की स्थिति और भी

भारतीय कृषि-अर्थव्यवस्था

सारणी २.३ कृषि-उत्पादन, दोनकल तथा उत्पादिता के सूचकांक : सर्वभारत (कृषि वर्ष १९४६-५०=१००)

वर्ष	प्रतिशत वृद्धि			प्रैसेट सबूदि दर		
	उत्पादन	दोनकल	उत्पादिता	उत्पादन	दोनकल	उत्पादिता
खाद्य फसले (फुड ग्रीन्स)						
उत्पादन	८०.५	१२०.६	१५७.५	३३.६	३०.३	२.३
दोनकल	८७.८	११४.५	१२१.८	१७.०	६.८	१.१
उत्पादिता	८३.४	१०५.६	१२८.३	१४.३	२२.४	७.०
अखाद्य फसले (नान फुट ग्रीन्स)						
उत्पादन	१०५.८	१५४.८	१६१.०	४६.२	४.०	३.३
दोनकल	११०.८	१४३.४	१४६.८	३७.६	—३.७	३.५
उत्पादिता	८५.६	१०१.५	१०६.६	६.१	८.०	१.१
सर्व पाण्य (ग्रान्ट कॉमोडिटीज)						
उत्पादन	८५.६	१३२.१	१५८.७	३८.२	२०.१	३.५
दोनकल	८८.८	१२०.५	१२५.७	२०.७	५.३	१.५
उत्पादिता	८५.७	१०६.६	१२६.३	१४.५	१५.३	१.०

दोनकल : दोनकल ५.१२, ५.१३ एवं ५.१४ अंक "इंडियन एक्स्प्रेस" इति लिपि" (दसवीं प्रिंटिंग) गवर्नरेंस ऑफ इण्डिया।

शोचनीय रही है। यह बात देखने योग्य है कि १९६६-६७ के तीन वर्षों की आयोजनहीन अवधि में उत्पादिता की संवृद्धि-दर काफी तेज रही है। १९६०-१९७० की अवधि में भी उत्पादिता में वृद्धि की दर १ प्रतिशत ही रही। पिछले बाइस वर्षों (१९४८-५०—१९७०-७१) की अवधि के लिए उत्पादिता संवृद्धि-दर १६६ परिक्लित की गई है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इस क्षेत्र में कोई विशेष उन्नति ही नहीं हुई है। देखा जाय तो पिछले इकीस वर्षों (१९५०-१९७१) में कृषि-उत्पादन में ८२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है।

उपरोक्त सारणी से यह भी स्पष्ट है कि कृषि-उत्पादन की संवृद्धि-दर, शस्य क्षेत्रफल तथा कृषि-उत्पादिता की संवृद्धि-दरों का योग है। अतः कृषि-उत्पादन में वृद्धि फसल क्षेत्र में विस्तार करने या भूमि की उत्पादिता को बढ़ाने या दोनों उपायों को अपनाने से प्राप्ति की जा सकती है।

(ग) अन्तर-फसल उत्पादिताओं की तुलना—साधारणतः उत्पादिता एक भौतिक सकल्पना है तथा प्रति हैक्टर उपज परिमाण (बाल्युम और यील्ड पर हैक्टेयर) द्वारा व्यक्त की जाती है। परन्तु जब हमें विभिन्न फसलों की उत्पादिताओं की तुलना करनी हो, तो यह माप सहायक सिद्ध नहीं होता क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलों की कीमतें भी भिन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में हमें उपज-परिमाण का नकद मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। अतः अन्तर फसल उत्पादिताओं की तुलना हेतु उत्पादिताएँ प्रति हैक्टर उपज मूल्य (यील्ड बेल्यू पर हैक्टेयर) के रूप में परिक्लित की जाएँगी।

कहने का अभिप्राय यह है कि कौची कीमत बाली फसल की उत्पादिता कम कीमत बाली फसल की उत्पादिता से अधिक हो सकती है चाहे पहली फसल का प्रति हैक्टर उपज परिमाण दूसरी फसल के प्रति हैक्टर उपज परिमाण से कम ही क्यों न हो। परन्तु जब किसी फसल की कीमत तथा प्रति हैक्टर उपज का परिमाण दोनों ही अधिक हो तो उसकी उत्पादिता निश्चित रूप में अधिक है। सारणी २.४ देखें।

सिद्धाततः यदि एक हैक्टर भूमि से 'क' फसल की उपज का मूल्य उसी भूमि से 'ख' फसल की उपज के मूल्य से अधिक हो, तो उस क्षेत्र पर 'ख' फसल की बजाय 'क' फसल उपजानी चाहिए तथा 'ख' फसल का क्षेत्र अधिक उपज-मूल्य बानी फसल 'क' के उत्पादन के लिए उपयोग में लाना चाहिए। सारणी २.४ के अध्ययन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि शस्य-सम्बन्धी कारणों को छोड़ कर जी अथवा चने की फसल उगाने का कोई कारण नहीं होना चाहिए जबकि उसी क्षेत्र पर मक्के के उत्पादन से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। वास्तव में बत यह है कि हमारा कृषक उत्पादिता तथा शस्य-स्वरूप (प्राइवेटिटी एण्ड कॉर्पोरेशन पैटर्न) के बीच संबंध के प्रति उदासीन है। यह बड़ा ग्रावश्यक है कि बत्तमान शस्य-स्वरूप में उचित परिवर्तन किया जाय ताकि कृषक अपने संसाधनों से अधिकतम लाभ उठा सके।

सारणी २४. प्रमुख फसलों की उत्पादिताएँ : सर्वभारत, १९७१.

	फसल	प्रति हेक्टर उपज	ममाहार कीमत	उत्पन्न-भूमत	
				किलो	रुपये प्रति किलो
(मासिक)	चावल	११.३४	८५	६६३.६०	
	रागी	८.७०	५२	४५२.४०	
	पटसन	११.७७	१८४	२१६५.६८	
(परियार)	मक्का	१२.७०	५५	६१८.५०	
	ज्वार	४.७०	५२	२४४.४०	
	चाजरा	६.२०	५४	३३४.८०	
(प्रसारिती)	गेहूँ	१२.६६	७६	६६७.२४	
	जौ	११.०३	७०	७७२.१०	
	चना	६.७२	८६	५७७.६२	
स्थरीक तम्बाकू		८.४२	२४२०	२०३७.६४	

* घोक कीमतें द्योत : सारणी २.१ के आधार पर

परन्तु हमें यह स्मरण रखना होगा कि शस्य-स्वरूप स्थानीय प्रवृत्तियों तथा अभिवृत्तियों द्वारा प्रभावित होता है। उदाहरणार्थ हमारे नियन्त्रण से बाहर ऐसे तकनीकी तथा शस्य विज्ञान सबन्धी कारण हो सकते हैं जो शस्य-स्वरूप में किसी भी परिवर्तन के विरुद्ध जाते हो। यह बात सर्वंविदित है कि मारतीय कृषक खाद्य फसल के धेव को खाद्यतेर (नॉन फुड) तथा व्यापारिक फसलों के लिए उपयोग करने के पक्ष में नहीं है। इसी प्रकार शस्य-स्वरूप में परिवर्तन करने में पूर्व शायद कृषि निविष्टियों के स्वरूप में भी परिवर्तन करना पड़े जिसके लिए भारी वित्तीय निवेश की आवश्यकता हो। कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जिनमें अनाज उपज (येन यील्ड्स) का परिमाण तो कम होता है परन्तु डंठल-भूसा की उपज अधिक होती है। निर्वाह माध्यी सेती (सबसिस्टेंस फार्मिंग) के कारण, ज्वार तथा बाजरे जैसी फसलें मूले इत्यादि के विरुद्ध अच्छा बीमा है। इन सीमाओं के होते हुए भी इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि हमारा शस्य-स्वरूप इष्टतम से काफी दूर है और जितनी जल्दी हो सके, इसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

(घ) अन्तर-राज्य फसल उत्पादिताओं की तुलना—मारत में विभिन्न क्षेत्रों में जमवायु तथा भूदेवस्था आदि में काफी असमानता है, इसलिए विभिन्न राज्यों में फसल-उत्पादिता में अन्तर होना स्वाभाविक ही है। परन्तु जहाँ तक संभव हो, इन अन्तरों को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि विभिन्न राज्यों में फसल-

उत्पादिता में अन्तर, अन्तर-राज्य आर्थिक स्तरों में विषमताओं के लिए उत्तरदाया है तथा अन्तर-क्षेत्रीय विकास में असंतुलनों को उत्पन्न करते हैं। सतुरित क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक है कि फसल-उत्पादिताओं तथा उनके संबूद्धि-दरों में अन्तर-राज्य विषमताओं को दूर किया जावे। उदाहरणतः मैसूर, तमिलनाडु तथा गुजरात में १६५२-६५ की अवधि में उत्पादिता की संबूद्धि-दरें उत्तर प्रदेश, केरल व मध्यप्रदेश की अपेक्षा तीन या चार गुनी रही है जबकि राजस्थान तथा आमाम जैसे प्रदेशों में उत्पादिता की संबूद्धि-दर में हास हुआ है। यह स्थिति बाढ़नीय नहीं है।

सारणी २.५ राज्यवार सर्वफसल उत्पादिता-संबूद्धि की रेलिक दरें

(१६५२-५३ से १६६४-६५ की अवधि में)

१६५२-५३ से १६५४-५५ का मध्यमान = १००

राज्य	दर (प्रतिशत)	राज्य	दर (प्रतिशत)	राज्य	दर (प्रतिशत)
आग्रहप्रदेश	२७२	तमिलनाडु	३४६	मध्यप्रदेश	१.३०
आसाम (-)	०.०७	महाराष्ट्र	२.६२	राजस्थान	(-) ०.०८
विहार	२.३६	मैसूर	३.०३	उत्तर प्रदेश	१.०१
गुजरात	४५२	उडीसा	१७८	४० बंगाल	१.४१
केरल	१.००	पंजाब	२.८६	सर्व भारत	१.६१

स्रोत कृषि में संबूद्धि दरें (१६५४-५० से १६६४-६५)

अन्तर-राज्य उत्पादिताओं में विषमताएँ उत्पादन-प्रविधियों तथा फार्म प्रबन्धन में अन्तर के कारण भी हो सकती हैं तथा उद्योगों, वीजों, कीट-नियन्त्रण व कृषि-विधियों के अनुप्रयोग में अतरों के कारण भी। ये बातें ऐसी हैं जो मानव के नियन्त्रण में हैं और जिनमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है।

सारणी २.६ से स्पष्ट है कि

- (i) तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा तथा मैसूर राज्यों में ज्ञावल की प्रति हैंटर उपज मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश से दुगुनी से भी अधिक है।
- (ii) पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल में गेहूँ की प्रति हैंटर उपज मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा मैसूर की उपज से तीन से सात गुणा अधिक है।
- (iii) मैसूर में मक्का की प्रति हैंटर उपज विहार, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र से तिगुनी है।

कहने का अभिप्राय यह है कि विभिन्न राज्यों में एक ही फसल की उत्पादिता में बहुत अधिक अन्तर है और उचित उपाय प्रयोग में लाकर इन अन्तरों को कम किया जा सकता है।

परन्तु जब एक ही राज्य में विभिन्न फसलों की उत्पादिताओं ने बहुत अधिक अन्तर हो, तो आर्थिक उन्नति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वहाँ के शस्य-स्वरूप में विशेष हर में परिवर्तन किया जाय।

सारणी २.६. प्रमुख फसलें : प्रति हैक्टर उपज, राज्यानुमार, १९७०-७१ (किलोग्राम में)

क्र. सं.	राज्य	परिवल	ज्वार	बाजरा	मवका	गेडू	चागा
१.	आनंद प्रदेश	१३६६	३६३	४६७	१३३६	—	२५६
२.	आसाम	१००७	—	—	—	—	—
३.	बिहार	८६८	—	—	१०६३	६६६	६१२
४.	गुजरात	१२२३	३७३	८८४	१६१५	१६२८	८३०
५.	हरियाणा	१६८५	२७६	६३५	१११६	२०६३	७३६
६.	हिमाचल प्रदेश	११८१	—	—	१८५४	६२६	—
७.	जम्मू व कश्मीर	१७८८	—	—	१३६१	११६०	—
८.	केरल	१४५३	—	—	—	—	—
९.	मध्यप्रदेश	८४१	६३९	५२२	१०७५	७६०	५३५
१०.	महाराष्ट्र	१२२६	२७५	४०६	१०००	५११	२६८
११.	मेघालय	—	—	—	—	—	—
१२.	मैसूर	१६८४	७५०	५१८	३२०३	३१०	३८८
१३.	*नागालैंड	—	—	—	—	—	—
१४.	उडीसा	६६०	—	—	—	—	—
१५.	पञ्जाब	१७२५	—	११७१	१५१६	२३३६	८०७
१६.	राजस्थान	—	४८८	५२२	१२२६	१३२२	७३६
१७.	तमில்நாடு	१६७४	७३०	६५५	—	—	—
१८.	उत्तरप्रदेश	८१६	६५२	७७५	११८२	१२८६	७५६
१९.	पश्चिम बंगाल	१२३४	—	—	—	२१८८	८०७
२०.	सर्वभारत	११३४	४७०	६२०	१२७०	१२६६	६७२

स्रोत : हनिंद्या, १८७३

उदाहरणार्थं गुजरात तथा हरियाणा में ज्वार की प्रति हैंडटर उपज सर्वभारत औसत में कम है, जबकि बाजरा की प्रति हैंडटर उपज सर्वभारत औसत से बहुत अधिक है। सरल तरफ़ यह है कि यदि सम्भव हो तो इन राज्यों के कुछ भागों में ज्वार के लिए प्रयुक्त होने वाले क्षेत्र पर बाजरे का उत्पादन करना चाहिए। इसी प्रकार आधिकारिक में ज्वार तथा बाजरा दोनों फसलों की प्रति हैंडटर उपज सर्वभारत औसत से कम है परन्तु यक्का की उत्पादिता सर्वभारत औसत से अधिक है। इसलिए यक्का की खेती और अधिक क्षेत्र पर होनी चाहिए ताकि कृषकों को अधिक लाभ हो।

कहने का अभिप्राय यह है कि कृषि को व्यापारिक आधार पर समर्थित करने की आवश्यकता है और कृषकों को कम लाभप्रद फसलों की बजाय अधिक लाभप्रद फसलों का उत्पादन करना चाहिए। कृषकों के लिए इस प्रकार के परिवर्तन की काफी संभावनाएँ हैं। ऐसा करने से वे अपनी पूर्ति से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। एक उत्कृष्ट उत्पन्न-संचय

को निश्चित करने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ यह कहना उचित ही है कि इम प्रकार के अनुसंधान के परिणाम काफी उत्साहजनक रहे हैं।

भारतीय फसल समय चक्र, १६६७ (इंडियन कॉप कलेन्डर, १६६७) के अनुसार आंध्र-प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, तामिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में, 'ज्वार, बाजरा तथा मव्का' स्थानापन्न फसलें (सबस्टीट्यूटेविल कॉप्स) मानी जाती हैं। इसी प्रकार गेहूँ, चना तथा जौ कम से कम बारह राज्यों में स्थानापन्न फसलें हैं। अनेक राज्यों में चावल, रागी तथा पटमत भी स्थानापन्न फसलें हैं।

सारणी २.७ भारत में शस्य-स्वरूप पर रोनक प्रकाश ढालती है।

सारणी २.७ भारत में शस्य-स्वरूप

	१६६०-६१		१६६८-६९	
	(००० हैक्टर)	प्रतिशत	(००० हैक्टर)	प्रतिशत
कुल फसल क्षेत्र	१५२७७२	१००	१५६६०५	१००
चावल	३४०५६	२२.३	३६६६६	२३.६
ज्वार	१८४२६	१२.१	१८७३१.२	१२.०
बाजरा	११४६६	७.५	१२०५१.८	७.७
मव्का	४४०७	२.६	५७१५.८	३.६
गेहूँ	१२६३१	८.५	१५६५८.१	१०.३
चना	६२७३	६.१	७१०५.५	४.६
जौ	३२०५	२.१	२७५८.२	१.८
गन्ना	२४१७	१.६	२४६०.७	१.६

दोत इंडियन एथीकलन्चर इन श्रीफ १०वाँ सेडिशन।

सारणी से स्पष्ट है कि खरीफ फसलों में शस्य-स्वरूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। मव्का के क्षेत्रफल में वृद्धि ज्वार अथवा बाजरा की उत्पादिता में घूलता के कारण नहीं हुई बल्कि अतिरिक्त भूमि की प्राप्ति के कारण हुई है। परन्तु रखी की फसलों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। गेहूँ के क्षेत्र में वृद्धि शस्य-स्वरूप में निश्चित परिवर्तन को दर्शाती है। यहाँ दूसरी ओर चना तथा जौ के क्षेत्र में भारी कर्मा हुई है।

उत्पादिता एक जटिल सकलना है। अभी तक हमने उत्पादन लागत के पक्ष पर विचार नहीं किया। इसका विस्तृत अध्ययन अगले पृष्ठों में किया जाएगा।

२.५ उत्पादिता बढ़ाने के उपाय

'उत्पादिता में वृद्धि कैसे हो' यह भारतीय कृषि की मूलभूत समस्या है। प्रति हैक्टर उपज बढ़ाने के लिए कथि का आधुनिकीकरण तथा इस उद्देश्य हेतु तकनीकी सुधार लाना

आवश्यक है। अब भूमि ही मात्र प्रमुख उत्पादन साधन नहीं रहा तथा भूमि की उत्पादिता पूँजी लगाने की कुशलता तथा ज्ञान पर निर्भर है। दूसरे शब्दों में ये अन्य कारकों की गुणवत्ता तथा मात्रा में सुधारों पर भी निर्भर है। अतः कृषि उपज बढ़ाने के लिए एक सुवर्द्ध कार्यक्रम (इन्फ्रारेटेड प्रोग्राम) को अपनाना होगा। मुद्राधूमि-रीतियाँ, वेहतर तथा दृक्ष प्रबन्ध-प्रविधियाँ तथा अन्य निविष्टियों की अधिक मात्रा इस कार्यक्रम के अनिवार्य घटक होने चाहिए। क्योंकि खेतों के लिए अतिरिक्त भूमि जुटाने का सेव सीमित है, इसलिए उत्पादिता-वृद्धि का कार्यक्रम मुख्यतः गहन कृषि पर निर्भर होगा तथा निम्नलिखित मुख्य तत्त्वों से निमित्त होगा :—

- (i) ठीक फसल का चुनाव—ऐसी फसल का उत्पादन करना चाहिये जो मिट्टी तथा स्थलाकृति के अनुरूप हो।
- (ii) उचित कर्यालयी रीतियों का उपयोग—अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उचित संयोगी, जल निकास-प्रबन्ध तथा उचित टैरेस इत्यादि बनाना भी आवश्यक है।
- (iii) सिचाई का प्रबन्ध—कृषि की उन्नति के लिए उचित मात्रा में तथा उचित समय पर जल-समरण की व्यवस्था तथा सिचाई की सुविधाएँ सुलभ कराना भी बहुत आवश्यक है।
- (iv) यान्त्रिक शक्ति तथा कृषि मशीनरी का उपयोग
- (v) उर्वरकों, पादप-पोषक पदार्थों तथा नाशक-जीव नियन्त्रण रंगायनों का समयोचित अनुप्रयोग
- (vi) अधिक पैदावार वाली किसिं के द्वीजों का उपयोग तथा
- (vii) सामयिक बुवाई, कटाई तथा संग्रह अन्य उपाय हैं।

सरकार का कर्तव्य है कि वह लघु कृपकों को ज्ञान सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करे ताकि वे भी विकास कार्य से सामान्यता हो। इस समय तर्क छोर्दे कृपक की उपेक्षा की गई है और उसकी अभी तक किसी हरी, नीली या पीली क्राति से भेंट नहीं हुई है।

२.६ कृषि-अर्थ उत्पादिता

कृषि-उत्पादन में वृद्धि तथा गाँवों में अत्यन्त निर्धनता का जीवन व्यनीत कर रहे असल्य लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए विभिन्न कारकों की उत्पादन-दक्षता में सुधार लाना अत्यावश्यक है। यद्यपि परम्परागत कृषि के ढाँचे में थम उत्पादन-वृद्धि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, फिर भी इसकी दशा बड़ी दबनीय है। मारत में थम-उत्पादिता बहुत ही कम है। न्यून उत्पादिता, न्यून आय तथा फलस्वरूप न्यून बचत व निवेश अर्थव्यवस्था के विकास में अवरोध हैं। समस्या का हल यही है कि उन असल्य लोगों की, जो कि अपनी आजीविका के लिए एक मात्र कृषि पर निर्भर हैं, उत्पादन-दक्षता को बढ़ाया जाय।

कृषि में अर्थ-उत्पादिता, उत्पादिता तथा अर्थ निविष्टि में सम्बन्ध का अध्ययन करती है तथा प्रति इकाई अर्थ के भौतिक उत्पादन द्वारा व्यक्ति की जाती है अर्थात् यह प्रति अर्थिक पैदावार है।

(क) प्रति व्यक्ति उत्पादिता किसी भी कृषि अर्थव्यवस्था की उन्नति या अवनति को परिचायक है। इसके मापन में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। उदाहरणतः कृषि में उचित प्रकार के आंकड़े प्राप्त करने की समस्या चिरस्थायी है। कहना न होगा कि भारत में कृषि श्रम-शक्ति के अभिनव आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। मूल सूचना को, जो किसी भी सुहृद कार्यक्रम और योजना का आधार होती है, सुलभ कराने के लिए विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है। यह कार्य स्वयं सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये।

श्रम-उत्पादिता प्रति कृषि श्रमिक उत्पादन को कहते हैं। निरपेक्षतः यह प्रति श्रमिक आय है।

$$\text{श्रम उत्पादिता} = \frac{\text{सकल कृषि आय}}{\text{श्रमिकों की कुल संख्या}}$$

राष्ट्रीय आय के क्षेत्रकानुसार आंकड़े उपलब्ध हैं। कृषि क्षेत्रक से उपादान लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट) के आकल सकल कृषि आय के रूप में माने जा सकते हैं। सारणी २८ में विभिन्न बप्तों की श्रम-उत्पादिता दिखाई गई है।

सारणी २८ प्रति कृषि श्रमिक (कूपक) आय : भारत

(१९६०-६१ की वीमतों पर)

वर्ष	+ निवल बात्रिक उत्पाद	कृषि श्रमिकों की संख्या*		प्रति कृषि श्रमिक आय
		१	२	३
	(करोड़ रुपये)	(करोड़)	(करोड़)	(रुपये)
१९६४-६५	७५४०	१४.२२	५३०	
१९६५-६६	६४२१	१४.५६	४४१	
१९६६-६७	६४११	१४.६२	४३०	
१९६७-६८	७५६०	१५.२६	४६४	
१९६८-६९	७५७७	१५.६७	४७७	
१९६९-७०	७८४६	१६.०७	४५८	

* मध्य वर्षीय आकल + स्रोत : CSO आंकड़े

यह बात ध्यान रखने योग्य है कि कृषि जनसंख्या का जीवन-स्तर इसकी श्रम-उत्पादिता द्वारा प्रभावित होता है। जितनी अधिक उत्पादिता होगी, उतनी ही अधिक कृषि-आय और कृषि-दक्षता भी। एक अवधि के दौरान श्रम उत्पादिता की तुलना करने के लिए हम प्रति व्यक्ति कृषि आय का प्रयोग करते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति कृषि आय के आंकड़े भी परिकलित नहीं किए जाते। सारणी २६ में ऐसा प्रयास किया गया है। परिकलित

प्रति व्यक्ति कृषि आय इस धारणा पर माधारित है कि भारत के ७० प्रतिशत लोग अपनी जीविका के लिए कृषि पर आधिरह हैं।

$$\text{प्रति व्यक्ति कृषि आय} = \frac{\text{मकल कृषि आय}}{\text{कृषि जनसंख्या}}$$

सारणी २०६ कृषि आय प्रति व्यक्ति

वर्ष	जनसंख्या		+ निवाल आतंरिक उत्पाद (हजार)		प्रति व्यक्ति कृषि आय	
	कुल	हजार	१९६०-६१ कीमत	चानू कीमत	१९६०-६१ चानू कीमत	कीमत
	(करोड़)		करोड़ रुपये			
१९६४-६५	४७.५५	३३.२६	७५४०	१०२१३	२२६	३०७
१९६५-६६	४८.७०	३४.०६	६४२१	६८४६	१८८	२८६
१९६६-६७	४८.८६	३४.६२	६४११	११७५५	१८५	३३७
१९६७-६८	५१.१३	३५.७६	७५६०	१४६७३	२११	४१८
१९६८-६९	५२.४१	३६.६६	७४७७	१४५३०	२०४	३६६
१९६९-७०	५३.७०	३७.५६	७८४६	१५६००	२०६	४१५

+ स्रोत : C.S.O.

१९६४-६५ से प्रति व्यक्ति वास्तविक कृषि आय (अर्थात् १९६०-६१ की कीमतों पर) २२६ रुपये थी जबकि १९६६-७० से यह २०६ रुपये थी। आय के उपरोक्त आंकड़े और कीमत आंकड़े हैं। इसलिए लघु कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों की आय इससे भी बहुत कम है। ग्रामीण भारत में असम्मोय तथा निराशा के बढ़ने का भम्भवत यही कारण है। इसके लिए ग्राम संस्थानक-संरचना को सुहृद करना चाहिए।

(ब) कृषि तथा कृषीतर क्षेत्रकों में अमन-उत्पादिता के अन्तर इन क्षेत्रकों में प्रति व्यक्ति आय में अन्तरों के रूप में प्रकट होते हैं। आय-वितरण में असमानताओं के कुप्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सारणी २१० से यह स्पष्ट है कि विद्युने कुछ वर्षों में प्रति व्यक्ति कृषि आय, प्रति व्यक्ति कृषीतर आय के ३१.६ प्रतिशत से ३८.२ प्रतिशत के बीच रही है अर्थात् लगभग एक तिहाई रही है। प्रति व्यक्ति ग्राम आय तथा प्रति व्यक्ति नगरीय आय में बहुत अधिक अन्तर है जो जीवन ही समाप्त होना चाहिए। कृषीतर क्षेत्रक में अधिक आय के होने के कारण कृषि जनसंख्या का नगरों की ओर भागना स्वाभाविक ही है। परन्तु सोचने की बात यह है कि ऐसा करने के लिए क्या पर्याप्त कृषिनगरीयता विद्यमान है या क्या हमने कृषीतर क्षेत्रक में कालतू ग्रामीणों को खपाने के लिए उचित तथा पर्याप्त अवसरों का प्रबन्ध कर लिया है?

(ग) एक श्रमिक की उत्पादन-दक्षता इस बात से भी आंकी जा सकती है कि वह कितने व्यक्तियों के लिए कृषि-उत्पादन कर सकता है अर्थात् कितने व्यक्तियों के

सारणी २०१० प्रति व्यक्ति कृषीतर आय (पर कैपिटा नाँू एग्रीकल्चरल इन्कम) (१९६०-६१ कीमतों पर)

वर्ष	कृषीतर		प्रति व्यक्ति आय		प्रति व्यक्ति कृषि आय	
	आय	जनसंख्या	कृषीतर	कृषि	कृषीतर आय का प्रतिशत	
	करोड़ रुपये	करोड़	रुपये	रुपये	प्रतिशत	
१९६४-६५	८४४३	१४.२६	५६२	२२६	३८.२	
१९६५-६६	८६२४	१४.६१	५६०	१८८	३२.६	
१९६६-६७	८७६२	१४.६७	५६५	१८५	३१.६	
१९६७-६८	८९६५	१५.३४	५८४	२११	३६.१	
१९६८-६९	९३५३	१५.७२	५६५	२०४	३४.३	
१९६९-७०	१०१०६	१६.११	६२७	२०६	३३.३	

लिए कृषि-उत्पादन का समरण कर सकता है। अतः थम-उत्पादिता थमिक द्वारा कृषि उपज से समरित या समर्थित व्यक्तियों की सख्त द्वारा भी निर्धारित होती है। यह माप 'प्रति व्यक्ति समर्थन स्तर' (पर कैपिटा लेवल आफ सपोर्ट) की सकलना पर आधारित है जिसे निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है।

$$\text{प्रति व्यक्ति समर्थन स्तर} = \frac{\text{कृषि उत्पादन} - \text{कृषि निर्यात} + \text{कृषि आयात}}{\text{कुल जनसंख्या}}$$

$$\text{कुल थमिको द्वारा समर्थित (समरित) कुल व्यक्ति} = \frac{\text{कृषि-उत्पादन}}{\text{प्रति व्यक्ति समर्थन स्तर}}$$

$$\text{प्रति थमिक द्वारा समरित व्यक्ति} = \frac{\text{कुल समरित व्यक्ति}}{\text{कुल कृषि थमिको की सख्त}}$$

थमिक उत्पादिता

सारणी २११ में उपरोक्त कल्पनाओं पर आधारित प्रति थमिक उत्पादिता दी गई है।

अमरीका में प्रति कृषि थमिक उत्पादिता भारत से लगभग तेरह गुणा अधिक है। वहाँ एक कृपक द्वारा लगभग इकतालीस व्यक्तियों को कृषि पदार्थों का समरण किया जाता है।

थम अधिक उत्पादक तथा अधिक दक्ष माना जाता है यदि पहले से कम थमिक पहले से अधिक कृषि-उत्पादन करें। अतः प्रति हैक्टर उत्पादिता एवं कृषि-समृद्धि कृषि थमिकों की संख्या के घुलक्कमानुपाती (इन्वर्सी औरोर्नल) है। कृषि खेत्रक में जनसंख्या का अपेक्षाकृत बड़ा भाग न्यून थम उत्पादिता का परिचायक है क्योंकि भूमि पर थमिकों का अत्यधिक दबाव उनकी अदक्षता का मुख्य का कारण है। इसके विपरीत थम की उत्पादिता को भूमि पर जनसंख्या के दबाव को घटाकर बढ़ाया जा सकता है। यह दबाव भू-जन

भारतीय कृषि-अर्थव्यवस्था

भारत सरकारी २०११ प्रति कृपि श्रमिक उत्पादिता (प्रति श्रमिक समर्थित व्यक्ति) :

ପାତ୍ରକଣ୍ଠ

अनुपात (लैन्ड-मैन रेशियो) अर्थात् प्रति व्यक्ति कृषिगत क्षेत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। भारत में भू-जन अनुपात इस प्रकार है :

सारणी २.१२ प्रति व्यक्ति द्वौया गपा तथा फसल क्षेत्र : भारत
(१९६८-६९)

कुल जनसंख्या	निवास द्वौया गपा क्षेत्र	कुल फसल क्षेत्र	प्रति व्यक्ति क्षेत्र द्वौया गपा	फसल
५२४१ करोड़ १३७६ लाख हैक्टर	१५६२ लाख हैक्टर ०.२६ हैक्टर ०.३० हैक्टर			

हम, अमरीका तथा मैरिसिको मे प्रति व्यक्ति कृषिगत क्षेत्र भारत की अपेक्षा सात से नौ गुना तक अधिक है परन्तु जापान मे प्रति व्यक्ति कृषिगत भूमि भारत मे प्रति व्यक्ति कृषिगत भूमि का पाँचवां भाग है।

२.७ श्रम उत्पादिता में वृद्धि के उपाय

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति दक्षता मे सुधार करने हेतु रचित कृषि-नीति के निम्न मुख्य लक्ष्य होने चाहिये ।

- (i) इसके लिए प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाय । प्रति हैक्टर उपज उत्पादन-प्रक्रिया मे तकनीकी मुधारों तथा कृषि के मशीनीकरण द्वारा बढ़ाई जा सकती है । भूमि-उत्पादिता के बढ़ाने के उपायों का प्रध्ययन हम परिच्छेद २.५ में कर चुके हैं ।
- (ii) हमारी नीति का दूसरा लक्ष्य भूमि को जनसंख्या के अत्यधिक भार से मुक्त करना है । इसके लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन की एक निर्दिष्ट मात्रा को उपजाने के लिए श्रम की मात्रा वो कम किया जाय, वहाँ दूसरी ओर कृषि जनसंख्या के एक बड़े भाग को अन्य व्यवसायों मे श तरित करने की भी आवश्यकता है । श्रम उत्पादिता मशीनों तथा श्रम बचत उपकरणों के प्रयोग द्वारा बढ़ाई जा सकती है । कृषि के यंत्रीकरण (मशीनीकरण) के फलस्वरूप थीड़े से कृषि श्रमिकों द्वारा सारे देश के लिए जात्यान्त्र आदि उत्पन्न करना संभव होगा ।

अन्य धरों मे जनसंख्या का हस्तांतरण कृषि के बाहर रोडगार के ढाँचे स्तर तथा सुट्ट मांग पर निर्भर होगा । श्रम को कृषि क्षेत्र से बाहर कारबानों मे स्थाने के लिए कृपीतर क्षेत्रक का बड़े पैमाने पर विस्तार करना पड़ेगा । कृषि के यंत्रीकरण तथा बड़े पैमाने पर श्रीद्योगिक विस्तार से कृपीतर जनसंख्या मे तेजी से वृद्धि होगी ।

परन्तु कृषि यंत्रीकरण तथा श्रीद्योगिक प्रसार के लिए बहुत अधिक पूँजी की मांग होगी । अल्पविकसित शर्धव्यवस्थाओं मे पूँजी उत्पादन का दुलभतम साधन है । बास्तव में पूँजी-प्रवाह का अभाव ही कृषि क्षेत्रक में धीमी तकनीकी प्रगति के लिए उत्तरदायी है । दूसरों ओर श्रम का अति बाहुल्य है, इसलिए यांत्रिकीय पहाँ है कि ऐसी कृषि-प्रणाली का विकास किया जाय जिसमें श्रम-संतानों का अधिकतम उपयोग हो सके । श्रम श्रमि-

विभ्यस्त (लेवर ओरिएन्टेड) तथा श्रम प्रधान सक्रियाओं में अधिक श्रम का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार दोहरी व रिले फ़्यालो (रिले आर्म्स) में भी अधिक अभिकों को काम दिया जा सकता है। सधेष्ठतः घोड़ी पूँजी और बहुत अधिक परिमाण में मानव प्रदान उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं तथा कृषि-उत्पादिता में पर्याप्त वृद्धि कर सकते हैं।

२.६ प्रति श्रम-घंटा उत्पादिता

उत्पादिता की उपरोक्त परिमाण का कृषि अभिकों द्वारा कृषि कार्य के लिए किये गये श्रम के परिमाण से कोई सम्बन्ध नहीं है और इस प्रकार यह दोषयुक्त है। उदाहरणार्थे १९६१ की जनसूच्या के अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति (चाहे वह पुरुष, स्त्री या बालक हो) जो प्रतिदिन एक घन्टे से अधिक वेती का काम करता या कृषि धर्मिक माना गया था। यह भी ध्यान रहे कि एक बालक या स्त्री उतनां काम नहीं कर सकते जितना काम एक पुरुष कर सकता है क्योंकि उनकी कार्यकुशलता समान नहीं हो सकती। इस सदर्भ में अधिक सार्थक सकलना यह होगी कि श्रम के परिमाण की एक इकाई द्वारा किये गये उत्पादन को मापा जाय।

अतः श्रम-उत्पादिता = कुल कृषि-उत्पादन
कुल प्रयुक्त श्रम-परिमाण

श्रम का परिमाण श्रम की वह मात्रा है जो श्रम-शक्ति द्वारा एक अवधि के दौरान लगाई गई हो।

कृषि क्षेत्रक में कुल अनुप्रयुक्त श्रम के परिमाण के आकलन की समस्या काफ़ी जटिल है क्योंकि कृषि एक भौमिक व्यवसाय है। फलत, सोगो की एक बड़ी सूच्या को पूरे वर्ष के लिए रोजगार प्राप्त नहीं होता। इसलिए श्रम के परिमाण वो आंकने के लिए यह देखना होगा कि कृषि-श्रमशक्ति ने कृषि कार्य पर कुल कितना समय लगाया अर्थात् श्रम-परिमाण श्रम-समय-विन्यास (लेवर टाईम डिस्चोर्डेशन) की सकलना पर आधारित होना चाहिए। इसी प्रकार पुरुषों, स्त्रियों तथा बालकों द्वारा किये गये श्रम को एक समान मात्रको (यूनी-फार्म यूनिट्स) में व्यक्त किया जाना चाहिए। श्रम निविड़ (लेवर इनपुट) के कुल घन्टों को परिकलित करते समय पुरुषों, स्त्रियों तथा बालकों की दक्षताओं में अन्तरों की ध्यान में रखना होगा। श्रम-परिमाण को श्रम घन्टों में मापा जा सकता है।

श्रम-घंटा (मैन आबर) श्रम का मानक मात्रक है तथा एक वयस्क पुरुष श्रमिक द्वारा एक घटे में किये गये श्रम का परिमाण है। उदाहरणातः यदि एक स्त्री की कार्य-कृशलता एक वयस्क पुरुष की कार्य-कृशलता के तीन चौथाई के समान हो तो उस स्त्री द्वारा एक घटे में किया गया श्रम $\frac{3}{4}/6$ श्रम घन्टे के समान है। कई बार श्रम के परिमाण को श्रम वर्ष में भी मापा जाता है। प्रायः एक श्रम-दिन आठ श्रम-घण्टों के समान माना जाता है।

कृषि श्रम के परिमाण के अभिनव आंकड़े किसी भी स्रोत से उपलब्ध नहीं हैं। इस दिशा में किये गये कुछ प्रयत्न केवल सीमित उद्देश्यों को ही पूरा करते हैं। सारणी २.१३ में भारत में कृषि-कार्यों पर अनुप्रयुक्त श्रम श्रम-घण्टों में दिया गया है।

सारणी २.१३ कृषि उत्पादन में प्रयुक्त श्रम का आकलन

वर्ष	कृषि श्रम (करोड श्रम-घट्टों में)	मूचकाक (१६४६-५०=१००)
१६६४-६५	१७०६४	१४६.३
१६६५-६६	१७४७२	१५३.३
१६६६-६७	१७६०४	१५७.१
१६६७-६८	१८३४८	१६०.६
१६६८-६९	१८८०४	१६४.६
१६६९-७०	१८२८४	१६६.१
१६७०-७१	१८७६४	१७३.४

सारणी २.१३ में हमने कृषि श्रम के मूचकांक परिकलित किए हैं। कृषि-उत्पादन (सर्व पर्य) के आंकड़े सूचकांकों के रूप में उपलब्ध हैं। श्रम-उत्पादिता उत्पादन सूचकांकों को श्रम सूचकांकों द्वारा विभाजित करके भी जाते हैं। सारणी २.१४ प्रति श्रम-घटा उत्पादन दर्शाती है।

सारणी २.१४ प्रति श्रम घटा कृषि-उत्पादन : सूचकांक ($१६४६-५०=१००$)

वर्ष	कृषि उत्पादन (सर्व पर्य)*	सराया यथा श्रम (श्रम घट्टा)	प्रति श्रम घटा उत्पादन
१६६४-६५	१५६.४	१४६.३	१०६.५
१६६५-६६	१३२.१	१५३.३	८६.२
१६६६-६७	१३१.६	१५७.१	८३.८
१६६७-६८	१६१.०	१६०.६	१००.०
१६६८-६९	१५६.५	१६४.६	८६.७
१६६९-७०	१७०.८	१६६.१	१०१.०
१६७०-७१	१८२.२	१७३.४	१०५.१

* सोन, बर्बन-मालियकी नियेशालय

सारणी से स्पष्ट है कि श्रम उत्पादिता अत्यन्त अनियमित है। इसलिए कृषि-उत्पादन में द्रृत वृद्धि के लिए श्रम को भरसक प्रयास करना होगा। श्रम को अधिक उत्पादक तथा अधिक दक्ष बनाने में शिक्षा तथा प्रशिक्षण का बड़ा महत्व होता है।

२.६ शिक्षा एवं प्रसार

कृषि की उत्पादिता काफी हद तक मानव-प्रयास की गुणवत्ता (वालिटी मांद हूमन इफट) द्वारा प्रभावित होती है। कृषक स्वयं ही फसलें उगाता है, पशुओं का पालन पोषण करता है, भोजन व तंतु उत्पन्न करता है तथा फार्म उपयोग सम्बन्धी निर्णय लेता है।

उसे बहुमुखी कार्य करने पड़ते हैं। वह एक ही समय में श्रमिक, व्यवस्थापक, लेखाकार, व्यापारी तथा सर्वोपरि सामाजिक प्राणी है। इसलिए कृषि को अधिक उत्पादक बनाने के लिए कृषक को ही नवीन विधियों और नव-क्रियाओं को सीखना व अपनाना होगा। ऊँची उत्पादक दरें समग्र उत्कृष्ट प्रबन्ध का परिणाम है। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कृषि श्रम को नवज्ञान व नव-कौशल का अर्जन करना होगा। इसीलिए श्रमिकों का शिक्षण व प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा तथा प्रशिक्षण द्वारा ही मानव प्रयास की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है; नव ज्ञान, कौशल व प्रविधियों का अर्जन किया जा सकता है और उत्पादक कार्य के लिए मानव क्षमता का विकास किया जा सकता है। मावी रोजगार तथा वैयक्तिक चयन-स्वातंत्र्य (इन्डियन्युल फ्रॉडम ग्रॉव चॉइस) के विस्तार में शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है और मानव पूँजी में लगाए गए निवेश को तुच्छ नहीं समझना चाहिये। कृषकों को सुव्यवस्थित वैज्ञानिक ज्ञान तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ऐसी व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है जिसमें लोक-सम्पर्क के सभी साधनों का विस्तृत उपयोग हो। इससे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में काफी बृद्धि होगी। शिक्षा तथा प्रशिक्षण के अनिरिक्त बुद्धि भ्रष्ट उपाय भी हैं जो मानव संसाधनों की गुणता को सुधारने तथा मानव क्षमताओं के विकास में सहायक हैं। उदाहरणतः वैहारण्य, स्वास्थ्य सुविधाएं, अधिक पौष्टिक भोजन व भज्जा आवास आदि कारक अधिक सामर्थ्य, सहनशक्ति, ओज तथा जीवन-शक्ति प्रदान करते हैं तथा जीवन-प्रत्याशा (लाइफ एक्सपैंटेन्सी) को बढ़ाते हैं। ये सब बातें मानव कारक को अधिक दक्ष तथा अधिक उत्पादक बनाती हैं।

२.१० संसाधन उत्पादिता · आर्थिक दक्षता

भूमि उत्पादन का दुर्लभ कारक है। श्रम अपेक्षाकृत बहुलता से उपलब्ध कारक है और इसका कुल निविष्टियों में ३० से ५० प्रतिशत तक योगदान है। परन्तु इन दोनों प्रमुख कारकों का उपयोग उचित दक्षता के स्तर पर नहीं किया जा रहा। भूमि तथा श्रम का अद्यत उपयोग न्यून उत्पादन एवं उत्पादिता के लिए जिम्मेदार है। अतः यह आवश्यक है कि कृषि-उत्पादन में बृद्धि हेतु भरमक प्रयत्न किए जायें।

प्रश्न उठता है कि एक कृषक कितना उत्पादन करे? सरल उत्तर यह है कि एक कृषक जो इतना उत्पादन अवश्य करना चाहिये जिससे

- (१) उसे अपने लिए आवश्यक भोजन व कपड़ा मिल सके,
- (२) प्रतिकूल परिस्थितियाँ होने पर सञ्चालन-व्यय के लिए पर्याप्त गुजाराय रहे सके,
- (३) अपने जीवन-स्तर में उन्नति के लिए तथा कृषि-सुधारों में निवेश के लिए कुछ प्रयोग्य आय (डिस्पोज बन इकम) प्राप्त हो सके।

इसके लिए संबृद्धि की ऊँची दर को बनाये रखना आवश्यक है। उत्पादन के सब कारकों की अधिकतम उत्पादन दक्षता के लिए एक सुबद्ध व्यूहरचना का विकास करना होगा तथा संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना होगा जिससे इष्टत आर्थिक दक्षता प्राप्त हो। पूँजी, आधुनिक निविष्टियों, प्रबन्धन, विपणन तथा वितरण आदि कारकों की आर्थिक दक्षता उत्पादन के मूल्य तथा निविष्टियों के मूल्य के बीच सम्बन्ध का बर्णन करती है।

कृषि-उत्पादिता वास्तव में संसाधनों की आर्थिक दक्षता है तथा उत्पत्ति-निविष्ट अनुपात में व्यक्त की जाती है।

$$\text{उत्पत्ति-निविष्ट अनुपात} = \frac{\text{कृषि-उत्पादन}}{\text{कुल निविष्ट}}$$

यह: उत्पत्ति-निविष्ट अनुपात सब निविष्टियों में किये गये एक रूपये के निवेश का प्रतिफल है।

यदि उत्पत्ति-निविष्ट अनुपात एक से कम हो, तो फार्म व्यवसाय घाटे में चल रहा माना जाता है। यदि: इस अनुपात को बढ़ाने के लिए सब आवश्यक उपाय अपनाने की जरूरत है।

सारणी २.१५ में दिये गये उत्पत्ति-निविष्ट अनुपात विभिन्न फार्म प्रबन्ध अध्ययनों से प्राप्त हुए हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में कृषि-दक्षता के सामान्य स्तर को दर्शाते हैं।

सारणी २.१५ उत्पत्ति-निविष्ट अनुपात

सेत्र	सर्वेक्षण वर्गित	कुल उत्पादन	प्रतिशेषट्र		उत्पत्ति-निविष्ट अनुपात
			कुल नागर (वास्तविक तथा आरोपित)	उत्पत्ति-निविष्ट	
उत्तरप्रदेश	१६५४-५५—१६५६-५७	६०३	४८२	१.२६	
	१६५६-६७	१४४१	११६६	१.२०	
	१६५६-६७	२७५४	१५३६	१.७६	
पंजाब	१६५४-५५—१६५६-५७	४०३	४०८	०.८८	
प. बंगाल	१६५४-५५—१६५६-५७	५४६	४७२	१.१५	
तमिलनाडु	१६५४-५५—१६५६-५७	३१६	२६२	१.०६	
महाराष्ट्र	१६५५-५६—१६५६-५७	१५३	१४६	१.०५	
	१६५५-५६—१६५६-५७	२१०	१६६	१.२७	
आंध्रप्रदेश	१६५७-५८—१६५८-६०	६३२	६४४	०.८८	
उडीसा	१६५७-५८—१६५८-६०	३०२	२६०	१.१६	
विहार	१६५७-५८—१६५८-६०	४३३	३३६	१.२६	
मुंबई	१६५७-५८—१६५८-६०	४७०	३६३	१.२०	
	१६५७-५८—१६५८-६०	४५०	३३८	१.३३	
	१६५७-५८—१६५८-६०	७८१	५६५	१.३८	
हरियाणा	१६६१-६२—१६६३-६४	५७२	५३०	१.०८	
मध्यप्रदेश	१६६२-६३—१६६४-६५	४३४	३५५	१.२२	
राजस्थान	१६६२-६३—१६६४-६५	२३६	२७०	०.८६	
केरल	१६६२-६३—१६६४-६५	६७७	६२५	१.०६	
गुजरात	१६६६-६७	७८८	८१३	०.९७	

कृषि-उत्पादिता को प्रति इकाई निविट्टि कृषि उपज के सूचकांकों द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। यह उत्पादन-दक्षता का अधिक शोधित माप है। इस विधि में कृषि-उत्पादन के सूचकांकों को कुल निविट्टि के सूचकांकों द्वारा विभाजित किया जाता है और इस प्रकार उत्पत्ति-निविट्टि अनुपात सूचकांकों के रूप में परिकलित किया जाता है। भारत में उत्पादन-सूचकांक उपलब्ध हैं परन्तु कुल निविट्टि के सूचकांक उपलब्ध नहीं हैं। अमरीका में कृषि-उत्पादिता इसी विधि द्वारा परिकलित की जाती है।

उत्पादिता के अन्य मापों का अध्ययन करने ने पहले परम्परागत तथा आधुनिक कृषि में अन्तर को समझ लेना जरूरी है।

२.११ परम्परागत तथा आधुनिक कृषि

जैसाकि शब्दों से विदित होता है, परम्परागत कृषि अधिकाश निविट्टियों के लिए परम्परा से प्राप्त ससाधनों पर निर्भर है अर्थात् निविट्टियों का अधिकाश उन ससाधनों से प्राप्त होता है जो परिवार के स्वामित्व में हैं और जिन्हें खरीदना नहीं पड़ता। दूसरी ओर आधुनिक कृषि उद्योग, अधिक पैदावार बाली किस्म के बीज, भाड़े के मानव श्रम (हायड़ लेवर), कपंण (ट्रैक्शन), सिचाई तथा पादप रक्षण (प्लान्ट प्रोटेक्शन) पदार्थ आदि क्रीत निविट्टियों (परचेज्ड इनपुट्स) पर आधित हैं। बास्तव में दूसरे बगं की निविट्टियों का कृषि क्षेत्रक के बाहर उत्पादन किया जाता है तथा उत्पयोग के लिए उन्हें खरीदना पड़ता है। दूसरी ओर पारिवारिक फार्म, पूँजी व श्रम जैसी परम्परागत निविट्टियाँ परिवार में से ही प्राप्त होती हैं और कृषक को उनके लिए फार्म के बाहर कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। अतः फार्म में क्रीत निविट्टियों तथा कुछ निविट्टियों में अनुपात उसके आधुनिकीकरण का सूचक है। सारणी २.१६ में दिए गए आंकड़ों के आधार पर आधुनिकीकरण की कोटि (हिस्पी ग्रॉव माइनर्इजेशन) इस प्रकार ज्ञात की जा सकती है।

सारणी २.१६ आधुनिकीकरण की कोटि 'आधुनिक तथा कुल निविट्टियों पर भूस्वामियों द्वारा संचालित फार्मों में प्रति एकड़ व्यव': नाडियाद सालुका के संम्पत्ति फार्म: परिमाण अनुमान

(रूपयों में)

परिमाण बगं	उद्योग	फोटो नामी	सिचाई	ट्रैक्टर	कुल	अन्य	कुल निविट्टियों	आधुनिक निविट्टियों	
								विविट्टियों	का सूचकांक
लघु	३२.०	०३	५६.०	१३.०	१०४.३	१६६.७	३०४.०	०.३४	
मध्यम	५१.०	०५	६०.०	१८.०	१५६.५	२५५.५	४१५.०	०.३८	
बड़े फार्म	५६.०	१.२	६७.०	१७.०	१४४.२	२८६.८	४३४.०	०.३१	
सर्व	५३.०	०.८	७५.०	१७.०	१४५.८	२६३.२	४०६.०	०.३६	

टोटः बग्रो-इकोनोमिक रिसर्च सेंटर, वल्लभ विद्या नार, गुजरात।

कृषि पूर्णतः आधुनिक कही जायगी यदि उत्पादन-प्रक्रिया में प्रयुक्त सभी निविट्टियों

को क्रय करना पड़े। इस परिमापा के अनुसार यदि एक कृपक को परपरागत निविष्टियों के लिए भी खर्च करना पड़े अर्थात् यदि वह भूमि पट्टे पर ले तथा श्रमिकों को मजदूरी दे तो कृषि आधुनिक कहलाएगी चाहे वह आधुनिक वैज्ञानिक निविष्टियों तथा पूँजी उपस्करों का प्रयोग न भी करे।

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि नवीन निविष्टियों तथा आधुनिक मशीनरी को खरीदने के लिए आवश्यक पूँजी प्राप्त हो तो क्या कृषि का पूर्ण आधुनिकीकरण सम्भव है? उपरोक्त मापदण्ड के अनुसार ऐसा सम्भव नहीं है। अधिक से अधिक हम आशिक आधुनिकीकरण ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके निम्न कारण हैं-

- (i) नई टैक्नोलॉजी जो नवीन निविष्टियों पर निर्मित है वही लागू हो सकती है जहाँ पर्याप्त मात्रा में सामयिक जल की व्यवस्था सुनिश्चित हो अर्थात् यह सिचित क्षेत्रों तक ही सीमित है। भारत में जल-संसाधनों द्वारा कुल ८.२ करोड़ हेक्टर भूमि की सिचाई की जा सकती है जो कुल कृष्य भूमि (कल्टीवेल लैड) का ४२.२ प्रतिशत बनता है। इस अर्थ में नवीन टैक्नोलॉजी वहाँ अच्छी प्रकार में लागू नहीं की जा सकती जहाँ जल दुष्प्राप्य हो या नियत्रित तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो। इस प्रकार कुल कृष्य भूमि के ५७.८ प्रतिशत भाग में जो वर्षा पर आधित है, कृषि परपरागत ही रहेगी।
- (ii) भारत में कृषि मुख्यतः परिवार-उद्यम है। परिवार अति प्रचुर थम शक्ति (सुपर एवन्डेन्ट लेबर फोर्स) का मुख्य स्रोत है। इस थम शक्ति के लिए कृषि से बाहर वैकल्पिक रोजगार के अवसर नहीं के बराबर हैं और इस प्रकार उसकी विकल्प लागत शून्य है। परिवार थम के एक बड़े भाग का उपयोग नहीं किया जा सकता। कृषि के आधुनिकीकरण तथा उत्पादन दक्षता में वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि कृषीतर क्षेत्रक अर्थात् उद्योग और सेवाओं में रोजगार के अधिक अवसर प्रदान किये जाएं।

प्रतः कृषि के आधुनिकीकरण में द्विधा यातायात (टू वे ट्रैफिक) सक्षिहित है।

- (क) विस्तारशील कृषीतर क्षेत्रक से आधुनिक निविष्टियों का अन्तर्वाह, (ख) कृषि क्षेत्रक से कृषीतर क्षेत्रक की ओर थम का बहिर्वाह।

कहने का अभिप्राय यह है कि उद्योग का विकास तथा कृषि का रूपांतरण साथ साथ होने चाहिये। कृषि का कारक-नाजारो (फैक्टर मार्केट्स) द्वारा बृहत्तर अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण (इन्टीप्रेशन) कृषि के आधुनिकीकरण की मूल शर्त है। कृषि-उत्पादिता में वृद्धि के फलस्वरूप विक्रेय अधिशेष (मार्केटेबल सरल्स) में वृद्धि होनी है तथा एकीकरण के प्रक्रिया को बल मिलता है।

यहाँ निविष्टियों तथा फार्म उत्पादन व्यय के स्वरूप का संक्षिप्त विश्लेषण उचित ही होगा। सामान्यतः कुछ निविष्टियों उत्पादक को अपने पास से ही प्राप्त होती हैं जैसे भूमि, पूँजी, परिवार-थम, खेत पर उत्पादित बीज, साद तथा पशुओं का चारा इत्यादि-इत्यादि। इन मर्दों की लागतें वे अपने पास ही रखते हैं, इसलिए 'प्रतिशारित लगाते' (रिटेन्ड कॉस्ट) कहलाती है। दूसरी ओर जो लागतें फार्म के बाहर निविष्टियों के विक्रेताओं को देनी पड़ती हैं

'नकद वस्तु लागते' (पेड आउट कॉस्ट) कहलाती हैं।

वयोकि कृषि-उत्पादिता अर्थात् उत्पत्ति-निविष्टि-अनुपात वास्तविक आय तथा वास्तविक स्वर्च के आधार पर परिकलित की जाती है, इसलिए खेत पर उत्पादित चारे आदि मदों का मूल्य कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। इसी प्रकार परिवार तथा विनिमय श्रम (या निःशुल्क श्रम), अपने खेत का बीज, चारा तथा खाद आदि निविष्टियों का मूल्य कृषि उत्पादन स्वर्चों से बाहर रखा जाता है तथा व्यय में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

भारत में उत्पत्ति-निविष्टि अनुपात से सम्बन्धित आकड़ों को एकत्र करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए गए हैं। सिवाय 'फार्म प्रबन्ध अध्ययन' (फार्म मैनेजमेंट स्टडीज) जैसे कादाचित्क तथा छुट पुट प्रयत्नों के, इस दिशा में कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किये गये। यह हमारी सास्थिकीय सक्रियता का दुखद निरर्घान है कि वर्षों तक महत्वपूर्ण समस्याओं से सम्बन्धित सब आँकड़े उपलब्ध न कराए जाय। इनके बिना सरकारी कृषि-नीतियों को जांच करना कठिन है।

२.१२ कृषि-उत्पादिता: उत्पत्ति-निविष्टि अनुपात

आर्थिक दक्षता में बृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे उपाय अपनाये जायें जिनसे निविष्टियों पर स्वर्च हुए एक रूपये के बदले में अपेक्षाकृत अधिक उपज मिल सके। इससे ही संबंधित एक और प्रश्न भी है कि 'इस एक रूपये से कौन-कौन सी और कितनी-कितनी निविष्टियाँ खरीदी जायें?' एक बात अनिवार्य है और वह यह कि निविष्टि-कारकों का संघोजन इस प्रकार किया जावे कि लागत की प्रति इकाई के बदले में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन प्राप्त हो।

कृषक की मूल्य समस्या यह है कि उसे अपने संसाधनों परे अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए कितनी पूँजी की आवश्यकता होगी? उसे उन निविष्टियों (जो वह दूसरों से खरीदता है और जिनके लिए उसे नकद राशि देनी है), के लिए पूँजी का प्रबन्ध करना पड़ेगा। अतः उत्पादन-दक्षता काफी हद तक कृषि की परिवर्ती (प्रचालन) लागतों पर निर्भर होगी अर्थात् उस व्यय पर निर्भर होगी जो वह बीजों, उर्वरकों, खाद, माड़े के श्रम, कर्पण, सिचाई तथा पौध-रक्षण पदार्थों पर करता है। यही कारण है कि कृषक इस व्यय में किफायत करना चाहते हैं जो वे कृषि के बाहर निविष्टियों के विक्रेताओं को देते हैं तथा प्रतिधारित व्यय में किफायत नहीं करना चाहते। अधिक प्रतिफल देने वाली निविष्टियों का कृषि-अर्थव्यवस्था के विकास में विशेष महत्व है क्योंकि उनके उपयोग से ही उत्पत्ति-निविष्टि-अनुपात में बृद्धि होती है। इसीलिए उत्पत्ति-परिवर्ती व्यय-अनुपात, उत्पत्ति-निविष्टि-अनुपात की अपेक्षा दक्षता का बेहतर भाष्ट है।

कृषक का मूल्य उद्देश्य अधिक कृषि-उत्पादन करना है परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ऐसा किस लागत पर हो? उत्पादन-लागत में कमी आर्थिक दक्षता का महत्वपूर्ण अंश है। अतः कृषक को अधिकतम उत्पादन करने के लिए निविष्टियों का 'मूलनातम लागत समिक्षण' (सीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन अवॉव इनपुट्स करना पड़ेगा)। यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता

है यदि खेतों में नवीन लाभकारी प्रविधियों को अपनाया जाय और विभिन्न निविष्टियाँ न्यून रियायती कीमतों पर उपलब्ध हों। नई कृषि मशीनों तथा यत्रों का आविष्कार, अधिक पैदावार वाली किस्म के बीजों का विकास, पशुधन की नसल में सुधार तथा नए ढगों का विकास, उत्पादन-दक्षता तथा उत्पत्ति-निविष्टि-अनुपात को बढ़ाने में सहायता देते हैं।

वर्तमान संदर्भ में कृषि-उत्पादिता 'प्रति इकाई लागत उपज' द्वारा मापी जाती है। दूसरे शब्दों में यह एक रूपये के व्यय का प्रतिफल है। उत्पादिता तथा शस्य-स्वरूप के सबवे के प्रसंग में हम कह सकते हैं कि यदि 'क' फसल के उत्पादन में निवेशित एक रूपये का प्रतिफल 'ख' फसल के उत्पादन में निवेशित एक रूपये के प्रतिफल से अधिक हो तो संसाधनों का 'ख' फसल से हटा कर 'क' फसल उत्पादन में लगा देना चाहिये।

देखा जाय तो एक कृषक अपने कार्य से अधिकतम उपज प्राप्त करने की अपेक्षा अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहेगा। सो उसकी दृष्टि से प्रति इकाई लागत उपज की अपेक्षा प्रति इकाई लागत निवल लाभ फार्म-दक्षता का अधिक उपयुक्त माप है। अतः फार्म-दक्षता का अध्ययन कृषि संकियामो (फार्म आपरेशन) की लाभकारिता (प्रोफिटेबिलिटी) के संदर्भ में किया जाना चाहिये।

निवल लाभ (नेट प्रॉफिट) = सकल आय - कुल लागत।

$$\text{प्रति इकाई फार्म-दक्षता अर्थात् लाभकारिता} = \frac{\text{निवल आय}}{\text{कुल लागत}}$$

सारणी २.१७ में, फार्म प्रबन्ध अध्ययनों के आवार पर उत्तर प्रदेश में कृषि-व्यवसाय की लाभकारिता (प्रोफिटेबिलिटी) दी गई है।

सारणी २.१७ प्रति हेक्टर आय तथा लागत: कृषि-व्यवसाय

ज़िला	सर्वेक्षण अवधि	सकल आय	कुल लागत	निवल लाभ	प्रति इकाई लागतलाभ
मेरठ, मुजफ्फरनगर* १९५४-५५ से	१९५६-५७	६०३	४७६	१२४	०.२६
मुजफ्फरनगर† १९६६-६७ से	१९६८-६९	२७५४	१५३६	१२१५	०.७८

+ फसलें: गेहूँ, चने, गन्ना + फसलें: गेहूँ व गन्ना + लागत: नकद तथा आरोपित

* घोटा: फार्म ऐवेंजर्स्ट हेक्टेक रिपोर्ट, १९६६.

इस अवधि में क्षेत्र का प्रति इकाई लागत लाभ तीन गुणा हो गया है।

२.१३ लागत संरचना तथा फार्म व्यवसाय-आय

प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्पाद का न्यूनतम लागत पर उत्पादन करना चाहता है। हम यह-अध्ययन कर चुके हैं कि प्रत्येक कृषक उस स्वर्च में जो वह फार्म के बाहर निविष्ट-कारकों

के विकेताओं को नकद या जिन्स के रूप में देता है, किफायत करने का प्रयत्न करता है। वह प्रतिशारित व्यय (कॉस्ट रिटेन्ड) की ओर ध्यान नहीं देता। इसलिए वह अपनी सकल आय में से परिवर्ती लागत (वेरियेबल कॉस्ट्स) निकाल कर जो उत्पादन का मूल्य बचेगा, उसे अधिकतम बनाने का प्रयत्न करेगा अर्थात् वह प्रति इकाई परिवर्ती व्यय से अधिकतम कृपि (फार्म) व्यवसाय-आय प्राप्त करना चाहेगा।

फार्म (कृपि) व्यवसाय आय = सकल आय - परिवर्ती लागतें।

$$\text{प्रति इकाई परिवर्ती लागत आय} = \frac{\text{कृपि व्यवसाय आय}}{\text{कुल परिवर्ती व्यय}}$$

(परिवर्ती लागतें वे व्यय हैं जो कृपक नकदी या जिन्स के रूप में करता है)
सारणी २.१८ देखें।

सारणी २.१८ पजाब में बड़े फार्मों की लागत सरचना तथा लाभकारिता (स्पयों में)

वर्ष	सकल आय	बीज उर्वरक	खाद मजदूरी	अन्य नकद	कुल स्पय	फार्म	प्रति इकाई	
१९६६-६७	१६३४०	५१५	११६०	२१५	२२६०	१६८०	५८६०	१०४८०
१९६७-६८	१७३४०	६४५	१७५०	३००	२६६०	२०४०	७६६५	११४५

सारणी से स्पष्ट है कि फार्म-व्यवसाय की लाभकारिता में कमी हुई है।

कृपि व्यवसाय-आय (फार्म विजन्स इनकम) वह प्रतिफल है जो कृपक को बीज, खाद, उर्वरक, माड़े के मानव शम, पशुशम, भू-राजस्व, सिचाई तथा लगात आदि पर नकद या जिन्स के रूप में किये गये व्यय को पूरा करने के उपरात प्राप्त होता है। फार्म व्यवसाय-आय कृपक के स्वामित्व वाले संसाधनों अर्थात् भूमि, शम तथा अचल पूँजी का कुल प्रतिफल है। क्योंकि इन संसाधनों के मूल्यों के आदोपण में अनेक ममम्याएँ होती हैं तथा व्यक्तिपरक भूल्याकान (सब्जेक्टिव इवेल्युएशन) करना पड़ता है इसलिए भारतीय परिस्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों में कृपि आय-स्तरों में तुलना करने के लिए निवल (निवल) आय सार्थक संकल्पना नहीं है। ऐसा करने के लिए कृपि व्यवसाय-आय अधिक सार्थक संकल्पना है।

इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में कृपि व्यवसाय दक्षताओं में अन्तर का अध्ययन करने के लिए निवल आय-कुल लागत अनुपात (प्रति इकाई लागत लाभ) की अपेक्षा कृपि व्यवसाय-आय-नकद एवं जिन्स व्यय अनुपात (अर्थात् प्रति इकाई परिवर्ती-लागत कृपि व्यवसाय आय) अधिक सार्थक भाष्य है। सारणी २.१९ में फार्म प्रबन्ध-घट्ययनों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में कृपि व्यवसाय आय-नकद जिन्स व्यय अनुपात दिए गए हैं।

धान की खेती से सबसे अधिक कृपि-व्यवसाय-आय तामिलनाडु से प्राप्त होती है जो सिचित छहतु I व सिचित छहतु II के लिए कमश. ३७३ स्पये प्रति हेक्टर तथा ४५१ रु.

सारणी २१६ (क) धान की कृषि से प्रति हैक्टर प्रतिफल (रुपयों में)

१	२	३	४	५	६
खेत्र	फसल	सकल आय	नकद व जिन्स व्यय	कृषि व्यवसाय आय	अनुपात (५) : (४)
प. बगाल	अमान	४२२.१	२५३.२	२६८.६	१.०६
	ओस	४१३.६	१६८.४	२१५.२	१.०८
तामिलनाडु	सिंचित चहुत I	८६२.०	५१८.६	३७३.१	०.७२
	" II	८५३.५	४०२.३	४५१.२	१.१२
आधि प्रदेश	" I	७५०.७	४२७.८	३२२.६	०.७५
	" II	७०७.८	४७२.१	२३५.७	०.५०
	असिंचित धान	३६२.४	२४३.३	१४६.१	०.६१
उडीसा	३०८.८	१५०.२	१५८.६	१.०६
बिहार	६६३.७	२६६.७	३६७.०	१.२३
मध्यप्रदेश	४०५.६	१५८.८	२४७.१	१.५६
केरल	८३०.६	६६४.२	१६६.७	०.२५

चौत फार्म बैनेजमेंट इन इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ फुड, अप्रैल, १९६६.

* प्रति इकाई परिवर्ती लागत कृषि व्यवसाय आय।

प्रति हैक्टर है। सबसे कम कृषि-व्यवसाय आय उडीसा से प्राप्त हुई जो १५८.६ रु० थी। यद्यपि केरल में प्रति हैक्टर नकल आय (८३१ रु०) काफी ऊँची थी, कृषि-व्यवसाय-आय के बल १६७ रु० प्रति हैक्टर थी। इसका कारण नकद व जिन्स व्यय है जो केरल में दूसरे शेत्रों की तुलना में सबसे अधिक है। ऊँची परिवर्ती लागत का मुख्य कारण यह है कि इस खेत्र में अधिकाश मानव-यम मजदूरी पर मिलता है। स्पष्ट है कि केरल में कृषि-व्यवसाय-आय-नकद-व्यय-अनुपात दूसरे शेत्रों की अपेक्षा सबसे कम है। यह अनुपात मध्यप्रदेश के लिए सबसे अधिक है जहाँ एक रुपये के परिवर्ती व्यय के फलस्वरूप १.५६ रु० की कृषि-व्यवसाय-आय प्राप्त होती है।

सारणी २१६ (व) से स्पष्ट है कि उच्चतम प्रति हैक्टर कृषि-व्यवसाय-आय हरियाणा में सिंचित गेहूँ से प्राप्त हुई। हरियाणा में सिंचित गेहूँ फसल के लिए कृषि-व्यवसाय-आय-नकद जिन्स व्यय अनुपात २.४६ था जो भारत में सिंचित गेहूँ के लिए सबसे अधिक था। राजस्थान में प्रति हैक्टर कृषि-व्यवसाय-आय १८८ रु० थी और प्रति इकाई नकद-जिन्स व्यय कृषि-व्यवसाय-आय के बल ०.५० थी अर्थात् हरियाणा की अपेक्षा पाँचवाँ भाग थी। जहाँ तक असिंचित गेहूँ की फसल से प्राप्त प्रतिफल का सम्बन्ध है यह हरियाणा शेत्र को छोड़कर सब शेत्रों में बहुत कम है। यह प्रतिफल सबसे कम उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र (नासिक) में है। अतः आय-व्यय-अनुपात हरियाणा में अन्य शेत्रों की अपेक्षा काफी अधिक है।

शस्य स्वरूप को समस्या कृषि-व्यवसायकी लाभकारिता से सम्बन्धित है। प्रत्येक कृषक

सारणी २ १६ (ख) गेहूं की कृषि से प्रति हेक्टर प्रतिफल (हजारों में)

१	२	३	४	५	६
क्षेत्र	फसल	सकल आय	नकद व जिन्स व्यय	कृषि व्यवसाय आय	जनुपाल* (५) : (४)
उत्तर प्रदेश	गेहूं	२६३.५	२७८.७	१४८	.०५
	मिचित	५०६.६	३४८.५	१५८.१	.४५
पंजाब	अमिचित	१६५.८	१३४.२	६१.६	.४६
	मिचित	४२८.०	२४४.०	१८४.०	.७५
हरियाणा + असिचित	"	५६८.५	१५६.७	४११.८	२.६३
	मिचित	६७७.०	१३५.६	४८१.४	२.४६
महाराष्ट्र	असिचित	१४६.५	६७.१	४६.४	०.५१
(अहमद नगर)	सिचित	२६२.६	१६६.१	६३.८	०.५५
(नासिक)	असिचित	१००.३	८४.०	१६.३	०.१६
	मिचित	२६१.२	२१७.४	७३.७	०.२४
राजस्थान	मिचित	५६४.५	३७६.६	१८७.६	०.५०

स्थोत फार्म मेडेजपेट इन इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ फुड, अप्रैल, १९६६.

* प्रति इकाई परिवर्ती लागत कृषि व्यवसाय-आय + मर्देश्वर के उमय बजाव का भाग

उस फसल का उत्पादन करना चाहेगा जिसमें उसे लाभ की अपेक्षाकृत ऊँची दर प्राप्त हो। यदि 'क' फसल के उत्पादन में प्राप्त प्रति इकाई परिवर्ती लागत कृषि व्यवसाय-आय 'ख' फसल की अपेक्षा अधिक हो तो कृपक अपने समाधनों को 'क' फसल के उत्पादन में लगाएगा।

हमारे वर्तमान अध्ययन के लिए अनेक जटिल सम्बन्धों का विश्लेषण करना पड़ेगा। विभिन्न भावुकिक तथा परम्परागत निविष्ट-कारकों के अतिरिक्त कृषि-उत्पादिता अथवा कृषि-व्यवसाय-आय जौतों के आकार, लागत-सरचना, कृषिन्पर्यामों की मीमतों, भूमि नीति तथा उधार सुविधाओं जैसे अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती हैं। इनका उल्लेख अन्य अध्यायों में किया जाएगा।

अध्याय ३

जल प्रबन्धन तथा सिंचाई

३.१ परिचय

पादप वृद्धि के लिए उत्कृष्ट जल का सामयिक तथा उचित मात्रा में समरण परमावश्यक है। पीढ़ी को अकुरण, वृद्धि तथा फलन के दौरान अनेक प्रमुख समयों पर जल की आवश्यकता होती है तथा उत्कृष्ट बीज, उत्तम जुताई, उर्वरक उपयोग तथा पादप-रक्षण जैसे उपाय मी अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते यदि समय पर जल की पर्याप्ति

सारणी ३१ १९७२ में वर्गित क्षेत्रों में वास्तविक तथा सामान्य वर्षा

वर्षा क्षेत्र	वास्तविक वर्षा		वृद्धि या घटनता सामान्य का प्रतिशत
	वास्तविक सामान्य	वर्षा में	
	mm/s. में	mm/s. में	%
१. नागार्लैड, मनोपुर, मिजोरम, त्रिपुरा	१४२८.१	२०५६.४	—३२
२. उप हिमालयीन पश्चिमी बगाल	१८८३.२	२६७१.६	—३०
३. विहार (मैदानी क्षेत्र)	८४४.६	१२५६.३	—३३
४. उत्तर प्रदेश (पूर्व)	७७७.७	१११८.४	—३०
५. राजस्थान, पश्चिम	२०२.८	३०७.२	—३४
६. राजस्थान, पूर्व	३६७.३	७२१.८	—४५
७. मध्यप्रदेश, पश्चिम	८०५.१	१०७६.२	—२५
८. स्वराष्ट्र व कूच	२६५.५	५६८.८	—५६
९. कोकण (गोवा समेत)	१७३६.४	२३२६.५	—२५
१०. मध्य महाराष्ट्र	३३५.७	६८३.१	—५०
११. मराठवाडा	३६२.४	७८६.७	—५०
१२. विदर्भ	६६०.६	११००.६	—४०
१३. तामिलनाडु (पाडीचेरी समेत)	१२१७.१	६५८.३	+२१
१४. केरल	२७३०.२	१५७६.३	+७३
१५. तिळंगाना	६५१.७	६५३.५	—३३

दोनों : विज्ञान तथा शुभोत्तिकी का कार्यालय, पूना, १९७३. (महानिदेशक की स्वीकृति से)

मात्रा उपलब्ध न हो। जल पौधों का जीवन रक्त है तथा इसका काल-समंजन, इसकी मात्रा तथा समग्र गुणवत्ता कृषि-उत्पादिता के निर्धारण में भाँति कारक हैं।

३.२ वर्षा तथा इसका वितरण

भारत में वर्षा जल-समरण का मुख्य स्रोत है और जहाँ तक कृषि का सम्बन्ध है, कृषक बुरी तरह प्रकृति की उदारता पर आश्रित है। वर्षा अत्यधिक अनिश्चित है तथा सारणी ३.१ में दिए गए वास्तविक एवं सामान्य वर्षा के आँकड़े इस कथन की सत्यता को भली मांति दर्शाते हैं।

सारणी से स्पष्ट है कि भारत में वर्षा केवल अत्यधिक अनिश्चित ही नहीं अपितु इसका वितरण भी बड़ा असमान है। उदाहरणार्थ पश्चिमी राजस्थान जो बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र है उसमें केवल २०.१ cm, वर्षा हुई जबकि सामान्यतः वर्षिक वर्षा ३०.७ cm. होती है। दूसरी ओर उप हिमालयीन पश्चिमी बंगाल में १८८ cm. वर्षा रेकार्ड की गई जबकि सामान्य वर्षा २६७ cm. है। यह स्पष्ट है कि वर्षा को हृष्ट से १६७२-७३ का वर्ष अनुकूल नहीं था। देश के अधिकांश भागों में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा की अपेक्षा ३० से ६० प्रतिशत तक कम हुई है। केवल खाड़ी हौपसमूह, तटीय आंध्रप्रदेश, रायलासीमा, तामिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक तथा केरल में वर्षा सामान्य से अधिक हुई है।

वास्तव में वर्षा की अनिश्चितताएँ तथा अपसामान्यताएँ भारत में कृषि के नियमित घटक हैं। प्रतिवर्ष देश का कोई न कोई भाग या तो सूखाप्रस्त (सामान्य से २० प्रतिशत कम वर्षा) होता है या बाढ़ी से पीड़ित होता है। सारणी में स्पष्ट है कि १६७२-७३ वर्ष में देश के अनेक भागों में भयकर सूखा पड़ा है। यह ध्यान रहे कि जल का अभाव अनुरेण्य को रोकता है और पौधे को तेजी से बढ़ने नहीं देता। वर्षा की असफलता के कारण अकाल की सी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिसके बड़े मर्यादक परिणाम होते हैं। अत्यधिक वर्षा बाढ़े लाती हैं, खड़ी फसलों को बहाकर ले जाती हैं, सार्वजनिक सुविधाओं को हानि पहुँचाती हैं, जान-माल को नष्ट करती हैं तथा देश की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव डालती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि वर्षा का अभाव अथवा अधिकता दोनों ही उत्कृष्ट कृषि के लिए ठीक नहीं।

सारणी ३.२ वर्षा का ऋतु-अनुसार वितरण

ऋतु	वर्षा ऋतु	अवधि	वार्षिक वर्षा का प्रतिशत
१.	दक्षिण-पश्चिमी मानसून	जून-सितम्बर	७३.७
२.	मानसूनोत्तर	प्रबूँबर-दिसम्बर	१३.३
३.	शीत ऋतु अथवा उत्तर-		
	पूर्वी मानसून	जनवरी-फरवरी	२.६
४.	मानसून पूर्व	मार्च-मई	१०.४

भारत में वर्षा की एक अन्य विशेषता यह है कि अधिकांश क्षेत्रों में यह दक्षिण-पश्चिमी मानसून जूतु की अल्पावधि में साक्षित है तथा वर्षे के बहुत भाग में यह बहुत ही कम होती है। जूतुवार वर्षा का वितरण उपरोक्त सारणी ३-२ में दिखाया गया है। अतः कुल वार्षिक वर्षा के ७० प्रतिशत से भी अधिक वर्षा जून-सितम्बर के चार महीनों में होती है जबकि केवल एक छीथाइ वर्षा वर्षे के शेष भाग में होती है। विभिन्न अवधियों में वर्षा का यह असमान वितरण समस्या को और भी अधिक विकट बना देता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वर्षा का नियन्त्रण, संग्रहण तथा वितरण सामयिक हो।

वर्षा की अनिश्चितता तथा अपमान्यता से तात्पर्य केवल वर्षा की मात्रात्मक विभिन्नता या इसकी पूर्ण अनुपस्थिति से ही नहीं बल्कि इसके काल समंजन में विभिन्नताओं से भी है। सफल कृषि के लिए वर्षा कृषि की जल-मावश्यकता के अनुरूप होनी चाहिये जो तापमान, विकिरण, मापेक्षिक आर्द्धता, वात तथा मेटाबोली (उपापचयी) प्रक्रियाओं आदि पर निर्भर है। भारत में वर्षा अत्यन्त अनियमित है। या तो यह बहुत जलदी हो जाती है या बहुत देर से आती है और इस प्रकार बहुत से क्षेत्रों ने कृषि सक्रियाओं के समय-विभाग में गडबड़ी हो जाती है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पश्चिम गुजरात तथा देश के अनेक अन्य भागों में सूखे (सामान्य वर्षा से २० प्रतिशत कम) की प्राविकता (प्रोबेबिलिटी) ३३ है अर्थात् प्रत्येक तीन वर्षों में से एक वर्ष में सूखा पड़ने की सम्भावना है। सारणी ३-३ में सर्वभारत आधार पर विभिन्न वर्षों में हुई वर्षा-परिमाण की तुलना की गई है। वर्षों की अनिश्चितता तथा अनियमितता स्पष्ट है।

सारणी ३-३ अनाज-उत्पादन हेतु वर्षा सूचकांक

वर्षा अवधि	सामान्य	१९६०-६१	१९६४-६५	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८	१९६८-६९
पू. II दक्षिण-							
“ पश्चिमी							
मानसून १००	६४.१४	१०६.६१	६५.५८	८८.८३	१०६.५	८४.५०	
, II मानसूनोत्तर							
तथा श्रीत							
मानसून १००	७०.४७	५७.४६	४४.५३	४०.०६	१२३.४६	५६.४	
सर्व कृषि							
भारत वर्ष	१००	१०१.६५	१०४.८०	७४.१०	८३.८३	१०३.००	८६.१४

दोतः सारणी ३, १९६८-६९ कोड फैन्स शोडवान, 'मोहम का सापेक्षिक योगदान और नवीन शोधयोगिक' रैल्क, इन्डू. अधिकार।

सारणी ३-३ पर सरहरी तौर से नजर ढालने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि १९६४-६७ प्रदवधि तथा १९६८-६९ वर्ष वर्षों की दृष्टि से प्रतिकूल रहे हैं। १९६५-६६ तथा

१९६६-६७ में भयकर सूखा पड़ा है तथा वर्षा की कमी के कारण सात्य-उत्पादन में बहुत अधिक कमी हुई है। १९६६-६८ में भी यही अवस्था रही और सात्यान्न-उत्पादन १९६७-६८ के ६.५०५ करोड टन की अपेक्षा १९६६-६८ में ६.४०१ करोड टन ही गया।

समस्था के उचित स्वाहप को समझने के लिए निम्न घातों पर विचार करना आवश्यक है-

'सामान्य वर्षा' का अभिप्राप उस वर्षा से है जो सामान्य मौसम परिस्थितियों में प्रत्याशित है अर्थात् जिसकी एक विशिष्ट अवधि में क्षेत्र द्वारा सामान्यतः प्राप्त होने की सम्भावना है। यह याद रखना चाहिये कि सामान्य वर्षा का अर्थ सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम कृषि-उत्पादन के लिए वर्षा की सामान्य आवश्यकता नहीं है।

भारत में कृषीप उद्देश्यों के लिए वर्षा के वितरण का अध्ययन हम नेट कृषिगत क्षेत्र का वर्षण-परिमाणानुमार वर्गीकरण भी कर सकते हैं। सारणी ३.४ में नेट घोये गए क्षेत्र को तीन वर्गों में बांटा गया है।

(१) अधिक वर्षा का क्षेत्र (११५० mm अवधि)

(२) मध्यम वर्षा का क्षेत्र (७५० mm से ११५० mm)

(३) न्यून वर्षा का क्षेत्र (७५० mm से कम वर्षा)

सारणी ३.४ वर्षा अनुसार क्षेत्र का वर्गीकरण

वर्षा	उच्च वर्षा	मध्यम वर्षा	न्यून वर्षा	कुल क्षेत्र
	(११५० mm तथा अधिक) (७५०-११५० mm)	(७५० mm से कम)	(७५० mm से कम)	
नेट घोया गया क्षेत्र ४१७ (करोड हैक्टर में) (३०.२%)	४६३ (३५.७%)	४.७१ (३४.१%)	४.७१ (३४.१%)	१३.८१ (१००%)
स्रोत सारणी २.६ संक्षिप्त भारतीय कृषि १०वाँ संस्करण, १९७०.				

३.३ कृत्रिम सिचाई सुविधाओं के विकास की आवश्यकता

देश के १३.८१ करोड हैक्टर कृषिगत क्षेत्र में से लगभग ४१७ करोड हैक्टर भूमि में औसत ११५०mm तथा अधिक वर्षा होती है। ४.६३ करोड हैक्टर क्षेत्र में औसत ७५०mm से ११५०mm तक वार्षिक वर्षा होती है। लगभग ४.७१ करोड हैक्टर भूमि में ७५० mm (७५ सम या ३०") से भी कम वर्षा होती है और इसका एक बड़ा मान "कुछ क्षेत्र" (डाई एरिया) कहलता है। अतः इस निम्न वर्ग के क्षेत्र का कुछ भाग ऐसा है जो दीर्घस्थायी सूखाप्रस्त है। उच्च वर्षण क्षेत्रों (रीजनस ऑफ हाई प्रोसीपिटेशन) में वर्षा का वितरण इतना असंतोषजनक है कि कुछ एक क्षेत्र 'शुष्क क्षेत्र' कहे जा सकते हैं। इन क्षेत्रों में फसल उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि कृत्रिम सिचाई सुविधाओं का विकास किया जाए तथा कृषि के लिए जल की नियमित प्राप्ति हो। सिचाई एक अनिवार्य प्राथमिक निविट है और इसका विकास कृषि संबूद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखना यह है कि जल की प्रत्येक बूँद का अधिकतम साम उठाया जाए। कृषक

को आवश्यक समय पर पर्याप्त मात्रा में जल की प्राप्ति होनी चाहिए।

जहाँ तक अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों का सम्बन्ध है, ६० प्रतिशत से भी अधिक वर्षा मानसून झन्टु में सांद्रित होती है और शीतकाल तथा पिछ्ले महीनों में प्राप्त आढ़ता दुहरी या बहु-फसल के लिए पर्याप्त नहीं। अतः कृषि-उत्पादन में वृद्धि तथा दुहरी व बहुफसलों के समर्थन हेतु संपूरक सिचाई अत्यन्वयक है। दूसरी ओर विशेष जलाशयों (पटिकुलर मोइस्चर कनटैट्स) के अनुरूप उपयुक्त फसलों तथा शस्य-स्वरूपों के विकास के लिए अनुसंधान कार्य का प्रोत्साहन भी आवश्यक है। कृषि-रूपांतरण एक विशाल कार्य है और इसके लिए सतत प्रयासों की आवश्यकता है।

जल जीवन का स्रोत है। परन्तु अनियन्त्रित जल जान-माल की काफी हानि कर सकता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भू-भरण, लवणता एवं जल ऋति (सेम) उत्पन्न करती हैं तथा भूमि-उत्पादिता व जल की उत्कृष्टता को दुरी तरह से हानि पहुँचाती है। बाढ़-समावित क्षेत्र का अभी तक तथ्यात्मक सर्वेक्षण नहीं किया गया। परन्तु ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग १.६ करोड़ हैक्टर क्षेत्रफल बाढ़-समावित है जिसमें से लगभग ६० लाख हैक्टर क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा प्रभावित होने वाला शस्य-क्षेत्र लगभग २० लाख हैक्टर है। आसाम, विहार, चत्तरप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में बाढ़-समस्या ने विकट रूप धारण किया हुआ है तथा इन क्षेत्रों की बाढ़ के प्रकोप से रक्षा करने के लिए कड़े उपायों का उपयोग करना चाहिए। इन उपायों में बांध, पुरुतों तथा जल निकासी नालियों का निर्माण तथा उन्हें सुडूढ़ करना, गांवों को बाढ़-स्तर से ऊपर उठाना, नगर-रक्षण-योजनाएँ तथा अन्य बाढ़-नियन्त्रण कार्यक्रम मुख्य हैं।

रोचक बात यह है कि एक सम (cm) वर्षा एक हैक्टर भूमि पर लगभग १०० टन जल फेंकती है। बहुत कम भूमियां इस सारे जल का अवशोषण कर सकती हैं। वर्षा सामान्यतः उस समय होती है जब भूमि कृषिगत होती है तथा अपरदन की बहुत अधिक संभावना होती है। जोर से गिरती वर्षा की दूर्वें मृदा को ढीला करती हैं तथा इसको लघु करणे में सोड देती हैं। जैसे ही भूमि संतृप्त होती है, पंक अपवाह (मटी रन थ्रॉफ) आरम्भ हो जाता है। मृदा उन क्षेत्रों से बहती है जहाँ जैव पदार्थ तथा उर्वरक साद्रित होते हैं। इस प्रकार जल का अनियन्त्रित प्रवाह अपने साथ लातों टन उर्वर-मृदा बहा ले जाता है जिससे बर्तमान फसलों को भारी हानि होती है तथा आगामी फसलों के उपज-विभव (योल्ड पोटेन्शियल) में स्थायी कटौती हो जाती है। जल एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है परन्तु इसके उचित नियन्त्रण तथा प्रबन्ध द्वारा ही इसका अधिकतम साम उठाया जा सकता है। भारत में कृषि-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि जल तथा मृदा-संसाधनों का पूर्ण विकास तथा उपयोग हो।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि देश में अनुमानित सिचाई-विभव के ४५ प्रतिशत का ही अभी तक उपयोग हो पाया है। लगभग ४.२ करोड़ हैक्टर मीटर भूपृष्ठ तथा भूमि-गत जल का सिचाई हेतु दौहन करना अभी शेष है। विकसित होने पर ये संसाधन ४.५ करोड़ हैक्टर अतिरिक्त भूमि की सिचाई कर सकेंगे। संक्षिप्ततः हमारा सकल सिचाई-विभव लगभग ८.२ करोड़ हैक्टर भूमि की सिचाई आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकता है, जो कि

हमारी वर्तमान कृषिगत भूमि का केवल ६० प्रतिशत है। तब भी कुल कृषिगत भूमि का ४० प्रतिशत से अधिक भाग सिचाई में विचित रहेगा और भारतीय कृपक को इस क्षेत्र में अनिश्चित वर्षा की दबा पर निर्भर रहना होगा। यह बास ध्यान रखने योग्य है कि वास्तविक सिचित क्षेत्र साधारणतः निर्मित विभव से कम होता है। सारणी ३.५ वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करती है।

सारणी ३.५ विभिन्न खोतों द्वारा सिचित क्षेत्र

खोत	निवल सिचित क्षेत्र (लाख हैक्टर में)
सरकारी नहरों द्वारा	१०२.६७
निजी नहरों द्वारा	१०.६८
हौजों/तालाबों द्वारा	४५.७०
कुओं द्वारा (नल कूपों सहित)	६४.७८
अन्य स्रोतों द्वारा	२०.७५
कुल (निवल) सिचित क्षेत्र	२७४.७८ (२.७५ करोड़ हैक्टर)
निवल कृषिगत क्षेत्र	१३८.१०
कुल निवल कृषिगत क्षेत्र का प्रतिशत	२० प्रतिशत

खोत : सारणी ३.६ संक्षिप्त मार्गीय कृषि १०वीं स्तरकरण

यह स्पष्ट है कि भारत में कृषिगत क्षेत्र का लगभग ८० प्रतिशत क्षेत्र सिचित नहीं है जब्या इस समय केवल २० प्रतिशत क्षेत्र के लिए ही सिचाई सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस संपुर्ण सिचित क्षेत्र को भी पूर्ण जल संभरण सुनिश्चित नहीं है। यह भूलना नहीं चाहिए कि मुख्य सिचाई तथा भूपृष्ठ जल संग्रह वर्षा पर निर्भर करता है तथा नलकूप (जो सबसे अधिक सुनिश्चित स्रोत माने जाते हैं) भी उस अवधि में जब तापमान अधिक होता है तथा बायु तेज होती है, नहरी क्षेत्र की सिचाई-आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। मुक्त बहाव तथा खुली खाई बाहन (प्रेविटी फ्लो एण्ड ओपिन डिव कनेक्यॉन्स) जैसी रुद्ध सिचाई रीतियों के अन्वर्गन निर्मुक्त जल (रिलाइंड बाटर) की केवल आधी मात्रा ही पौधे तक पहुँचती है ऐसा निस्यदन (रिसने सोपेज) तथा बायपरा में हानि अथवा जल के असतोषजनक वितरण के कारण होता है। अपर्याप्त भूमि तैयारी, जल-प्रनुप्रयोग ज्ञान का अभाव, अपव्यवधी निकाली प्रणाली आदि ही सिचाई की अवक्षता के लिए दत्तरदायी हैं।

अतः दक्ष शास्य उत्पादन के लिए दक्ष जल-प्रबन्धन अत्यावश्यक है। सिचन-विधियों को आधुनिक कृषि-विशेषतः इस क्षेत्र में अभिनव तकनीकों परिवर्तनों के संदर्भ में अभिविन्यस्त करने की आवश्यकता है। जल के उपयोग में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि जल की प्रत्येक तूँद का अधिकतम नाम प्राप्त हो। वैज्ञानिक जल-प्रबन्धन में जल-समरण, कसल आवश्यकताओं तथा जलवायु-संबंधी परिस्थितियों से संबंधित तथा समय-समजित, होना चाहिये।

३.६ फसलों के लिए जल की आवश्यकता

एक अच्छी फसल उपजाने में कितने जल की आवश्यकता है? फसल को कब तथा कि तभी वार मिचाई की जरूरत है? आधुनिक तकनीकी परिवर्तनों ने जल की मांग को किस हद तक प्रभावित किया है और कौन-सी सिचन-रीतियाँ अच्छी उपज प्राप्त कर सकती हैं? कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो दक्ष जल-प्रबन्धन से सम्बन्धित हैं। इनमें से कुछ सिचाई-रबीनियरिंग के घेरे में आती है जबकि अन्य का उत्तरदायित्व शस्य-विज्ञानी या मृदा-विज्ञानी गर है। आधुनिक कृषि में भू-जल सम्बन्धों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक दृष्टक को अनेक व्यावसायिकों के सचित ज्ञान तथा कौशल को प्राप्त करना होगा। अतः दृष्टक का शिक्षण तथा प्रशिक्षण कृषि-उत्पादन के लिए अत्यन्त महत्व का है। फसल की जल आवश्यकताएँ क्या हैं तथा उन्हें कैसे आँका जाय, ऐसी महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं जिनका समाधान इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा ही हो सकता है। हमारे अध्ययन के लिए निम्न सक्षिप्त विवरण ही काफी है।

पिछले कुछ वर्षों में, सिचाई की सकल्पनाओं में मूलज परिवर्तन हुए हैं। पहिले ऐसा विश्वास किया जाता था कि सिचाई 'पौधों के लिए' होती है परन्तु अब यह धारणा मान्य नहीं है। यहाँ यह जानना चाचिकर होगा कि कुल जल-मांग का बेल एक प्रतिशत ही पौधों के वास्तविक मेटावोली (उपापचारी) प्रबंध (मेटावोलिक प्रोसेस ऑफ प्लान्ट्स) में उपयोग होता है। नवीन सकल्पना यह है कि सिचाई जल-वायु तथा मृदा के लिए है, पौध कारक गौण महत्व के हैं। जल मुख्यतः वाप्तन तथा वाप्तोत्सर्जन (इवेपोटान्सपाइरेशन) के लिए होता है।

वाप्तोत्सर्जन अर्थात् जल का उपभुक्त उपयोग (कन्जम्पशन यूज ऑफ वाटर) मुख्यतः जलवायु पर निर्भर है और तापमान, विकिरण, आपेक्षिक आइंसा, वात-वेग आदि मौसम विज्ञान सम्बन्धी कारकों के समाकलित प्रभाव द्वारा प्रभावित होता है। इस वायुमंडलीय मांग को पूरा करने के लिए ही पौधों को जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता कुछ अन्य विशिष्ट जहरतों को पूरा करने के लिए भी होती है—जैसे भूमि की तैयारी, पौध लगाने तथा निकालन (लीचिंग) आदि के लिए। फसल के लिए जल की आवश्यकताएँ, मृदा की जल-धारण-क्षमता अर्थात् क्षेत्र सिचन दक्षता (क्षमता) द्वारा भी प्रभावित होती हैं।

क्षेत्र सिचन क्षमता (फील्ड इरीगेशन एफोसियोमी) मूल क्षेत्र द्वारा सिचत जल मात्रा तथा जल की अनुप्रयुक्त मात्रा के बीच अनुपात है तथा मृदा की रचना व प्रबन्ध स्तर तथा सिचन-प्रणाली पर निर्भर है। सिचाई आवश्यकताओं को निर्धारित करते समय कुल जल आवश्यकता में से प्रभावी वर्षा तथा ओम से प्राप्त जल मात्रा घटानी पड़ती है।

सिचाई आवश्यकता = उपभुक्त उपयोग + विशिष्ट जहरतों के लिए जल-प्रभावी वर्षा व ओम क्षेत्र सिचन-क्षमता

नहर-प्रणाली के अन्तर्गत सिचाई आवश्यकताओं को परिकलित करते समय मूलिगत सम्बन्धों द्वारा किया गया अंशदान कुल आवश्यक मात्रा में से घटाना पड़ेगा।

(क) सिचाई समय-समंजन—अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए जहरी जल की पर्याप्त

मात्रा का प्राप्त होना आवश्यक है वहाँ यह भी जहरी है कि जल उचित समय पर उपलब्ध हो। अतः उत्तम निष्पादन (बेस्ट परफॉर्मेंस) के लिए जल की पर्याप्त मात्रा के साथ साथ सिचाई समय-समजन भी अत्यावश्यक है। इस सम्बन्ध में निम्न बातें ध्यन रखने योग्य हैं :

- (i) फसल को उस समय सिचाई की आवश्यकता होती है जब संचयी बाढ़न (ब्यू मूलेटिव एवोपरेशन) एक विशेष विन्दु पर पहुँच जाता है। इसके लिए मिट्टी के मुण्डों तथा फसल के मूल क्षेत्र को ध्यान में रखा जाता है। कहने का अस्त्रिप्राप्त यह है कि मूल क्षेत्र (हट जौन) में मृदा आदृता के शुक्क होने से बहुत पहले ही फसल की सिचाई हो जानी चाहिये।
- (ii) बलुई मृदा की क्षेत्र सिचाई क्षमता मटियारी या दुमट मिट्टी की तुलना में कम होती है तथा इसे बहुल (बार-बार) एवं कम गहरी सिचाई की आवश्यकता होती है।
- (iii) फसलों को जुलाई, पुष्पन तथा फनन के समय काफी आदृता की आवश्यकता होती है।

आनुभविक प्रमाण (इस्पीरियल एवीडेन्स) में यह मिठ्ठ हो चुका है कि धान की स्थिति में फसल का लगातार जलप्राप्त रहना आवश्यक नहीं। यदि सिचाई त्रैक समयों पर की जाए, तो उस जल के ३५ प्रतिशत से इतनी उपज प्राप्त की जा सकती है जिसकी लगातार जलमग्नता के लिए आवश्यकता होती है। फसल को मारा समय जलमग्न रखने की बजाय इसकी सिचाई उम समय करनी चाहिये जब मृदा में दरार पड़ता आरम्भ हो। इसे जल-दक्षता में बहुत अधिक बढ़ि होती है। बचाए हुए जल को और अधिक भूमि की सिचाई के लिये उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए यदि सिचाई ठीक समय पर हो और जल-प्रबन्ध उचित प्रकार से हो, तो जल के व्यर्थ व्यव (अप-व्यव) से बचा जा सकता है। नहरों पानी को आवधिक आवश्यकताओं के अनुमान छोड़ना चाहिये तथा आयोजकों को इन विवरणों से परिचित होना चाहिये। जल के उपयोग में मितव्यता (किफायत) अत्यधिक जहरी है।

(x) उच्च कृषि टैक्नोलॉजी तथा जल की मांग—मारन तथा अन्य देशों में अभिनव प्रयोगों से यह विचार भूल सिढ़ हो गया है कि कृषि टैक्नोलॉजी (शिल्प विज्ञान) के उच्च स्तर के अन्तर्गत अधिक जल की आवश्यकता होती है। कृषि टैक्नोलॉजी का उच्च स्तर (अर्थात् अधिक पैदावार वाली किस्म के बीजों, उच्चरक्तो व कीट-नाशी पदार्थों का उपयोग तथा शस्य सम्बन्धी रीतियों का अनुप्रयोग) जल की दक्षता को बढ़ाता है और सिचाई जल की अपरिवर्तित मात्रा से अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। जल दक्षता प्रति इकाई जल परिमाण उपज है तथा किलोग्राम प्रति मिलीमीटर (कि० मा० एम० एम०) में व्यक्त की जाती है।

साधारणतः लोगों का ऐसा विश्वास है कि कम उच्चरक वाली फसलों की अपेक्षा अधिक उच्चरक वाली फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ऐसा विचार है कि अधिक पैदावार वाली किस्म के बीज अधिक पानी की मांग करते हैं। परन्तु आनु-

भविक प्रमाण इन धारणाओं के विरुद्ध हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि यदि जल-प्रबन्ध उचित तथा दक्ष हो तो आवृत्तिक निविटियों द्वारा जल की उसी मात्रा से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यदि उर्वरक डालने के तुरन्त बाद सिंचाई की जाय तो यह अधिक प्रभावी होगी। अतः आवश्यकता अधिक जल की नहीं अपितु उर्वरक-अनुप्रयोग तथा सिंचाई के उचित आयोजन की है। अधिक पैदावार वाली किस्म के बीजों के लिए भी अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं है बल्कि जल-प्रबन्धन की दक्ष तकनीक की आवश्यकता है। अधिक पैदावार वाली किस्म की फसलें बोनी तथा अल्पावधि हैं। उनकी प्रतिदिन उत्पादक क्षमता (प्रोडेक्ट एफिसियेन्सी) काफी बढ़ जाती है। प्रतिदिन फसल-वर्धन के लिए आवश्यक जल की मात्रा पहले जितनी ही या कम रहेगी यद्यपि प्रति मिलीभीटर सिंचाई द्वारा उत्पादित अन्न का परिमाण पहले से अधिक होगा। अत जल-प्रबन्ध यथार्थ तथा वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिये।

अतः फसल की जल आवश्यकताओं का निर्धारण करते समय दुहरी तथा बहु फसलों की सभावनाओं तथा अवसरों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिये।

(ग) भूमिगत जल विकास तथा भूपृष्ठ जल विकास कार्यक्रमों का समाकलन—हम अध्ययन कर चुके हैं कि सिचन-जल दुर्लभ पदार्थ है। भूमि अपेक्षाकृत बहुत अधिक है और प्रमुख प्रायोजनाओं के अन्तर्गत नहरों द्वारा छोड़ा जाने वाला जल बहुत कम है। यहाँ तक कि कृष्य नहरी धेनों को भी सारा वर्ष सुनिश्चित जल पूर्ति प्राप्त नहीं, चाहे जल संमरण की अपर्याप्ति वा कारण वर्षा का न होना हो या नहरों का आवधिक बन्द होना। उदाहरण के रूप में बिहार में कोसी परियोजना की नहरों को मलहरण (डेसटिलिंग) हेतु तीन महीने ग्रीष्म ऋतु में और पुनः रवी के आरम्भ होने से पूर्व अक्टूबर में बन्द करना पड़ता है। दशा को सुधारने के लिए भूमिगत जल सम्बन्धी कार्यक्रमों का इस प्रकार से विकास करना चाहिये कि भूपृष्ठ-जल के अभाव के समय नल-कूप चला कर नहरी मिचाई की शेष पूर्ति या प्रतिस्थापन किया जा सके। इनी प्रकार अधिक भूपृष्ठ-वाह अवश्य मानसून ऋतु में भारी वर्षा के फलस्वरूप प्राप्त बाढ़ जल का उपयोग भूमि जलभरों (जलभृती) को पूर्ति करने में किया जा सकता है तथा इन जलभरों से शुक्र ऋतु या सूखे के समय सिंचाई की जा सकती है।

सक्षिप्ततः भूमिगत जल विकास का भूपृष्ठ जल विकास के साथ समाकलन किया जाना चाहिये ताकि आवश्यकता के समय एक कार्यक्रम दूसरे का प्रतिस्थापन कर सके। नहरी धेनों में नल कूपों को एक विशाल ग्रिड में लगाकर इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के मनुसार “सिंचाई सुविचारों का द्रूत विस्तार शस्य प्रतिशतता (इन्ट्रोटी आफ सोर्पिंग) को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। इसके साथ-साथ जल-वितरण तथा प्रबन्धन की दक्षता में सुधार लाने पर भी अधिक जोर देना चाहिये। भू-पृष्ठ तथा भूमिगत जल का समाकलित उपयोग, सचरण तथा वितरण में हानियों को कम करना, तथा खेतों में हानियों को घटाने के लिए बेहतर भूमि-तंयारी समस्या के कुछ ऐसे पहनूँ हैं जिनके समाधान की अत्यन्त आवश्यकता है।”

३.५ कृषि जल-प्रबन्धन

दक्ष फमल उत्पादन के लिए भूमि में तथा सतह पर जल के नियन्त्रण तथा व्यवस्था को जल-प्रबन्धन कहते हैं। दक्ष जल-प्रबन्धन में फसलों को आवश्यक सुविधाएँ तथा जल इस प्रकार से सुलभ कराया जाता है जिसमें न तो फसलों को हानि हो और न वी भू-क्षरण या भूलास हो। पर्याप्त तथा सामयिक जल-समरण के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि वर्षा या सिंचाई का फालनू जल खेत से निकाल दिया जाय। वर्षा का सधारणा, सिंचाई, जल-निकास व हस्तातरण तथा बाढ़-नियन्त्रण जल-प्रबन्धन कार्यक्रम के अनिवार्य हैं। अतः सिंचाई हेतु आधुनिक जल-प्रबन्धन, नहर-प्रतर्फृहण तथा खेतों पर जल के हस्तातरण, नियमन, मापन, वितरण तथा पर्याप्त एव सामयिक अनुप्रयोग पर निर्मित है तथा अधिकतम फमल उत्पादन और पानी की किफायत को मुनिश्चित करता है। वास्तव में स नरित मिचाई जल के उपयोग में किफायत आगामी विकास-कार्यों की आव्याप्तिक विशेष (विल्ट इन फीचर) होनी चाहिये। दक्ष जल-प्रबन्धन अत्यधिक नियन्त्रण (रिसने संग्रह), दोषपूरण वितरण या जल-निकास के कारण होने वाली हानियों या अर्थव्यय को कम करता है और साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में उत्कृष्ट जल का समरण करता है ताकि भूमि से प्रधिकतम लाभ उठाया जा सके। अगले पृष्ठों में हम जल-प्रबन्धन से सम्बन्धित कुछ विशेष समस्याओं का वर्णन करेगे।

(क) स्थलरूपण तथा प्रवरण—भूपृष्ठीय अनियमितताएँ ऊंचे-नीचे (ऊँड़-खाड़) स्थल तथा अधिक सीधी ढाले, सब सिंचाई की समस्याओं को बढ़ाती हैं। जब भूमि गमतल न हो तो सिंचाई लागतें अधिक होती हैं और ऊपर कम होती है। निचे क्षेत्रों में बहुत अधिक जल इकट्ठा हो जाता है और पौधों को डुबो देता है। ऊंचे स्थलों पर पौधों को पर्याप्त जल प्राप्त नहीं होता और उनकी वृद्धि रुक जाती है। इसके अतिरिक्त पृष्ठीय अनियमितताएँ कृषि-कियाओं की कार्य-कुशलता में अवरोध डालती है। गोले स्थल ऊंचों की वृद्धि तथा परिपक्वता को मद करते हैं। वर्ध्य जल प्रायः क्षारों को सन्चित करता है जब जल मृदा को सतृप्त करता है तो वायु का बाहर निकासन होता है और वात-प्रवाह उत्पन्न होता है जो सामकारी मृदा जीवाणुओं को मार डालता है। नियन्त्रित स्थलीय व्यार्फ (स्पोटो कवरेज) अधिक से अधिक स्थलीय उपज हो दे सकती है। अतः एक समान आप्ति के लिए यह आवश्यक है कि ऊंचे स्थलों को काटा जाय तथा निचले स्थलों को भर दिया जाय। जब भूमि का उचित रूपण होता है तो प्रत्येक पौधे को एक समान ग्राहक त प्राप्त होनी है और फसल एक समान बढ़ती और पकती है।

अतः स्थलरूपण भूमि का वह पुनर्वितरण है जो भूपृष्ठीय जल के नियन्त्रण या निष्कासन की महायता के लिए किया जाता है। भूमि-रूपण से भारी वर्षा की स्थिति में जल का प्राकृतिक निकास होता है और कम वर्षा की स्थिति में भूमि का जल संचायक क्षमता (वाटर स्टोरेज कैपेसिटी) में भुधार होता है और इस प्रकार फसलों हो लाभ होता है।

यथातय ढलान के अनुरूप भूमि का पुनरूपण सिंचाई जल के सामकारी उपयोग के लिए जहरी है। भू-रूपण यात्रिक दक्षता में वृद्धि करता है और भू-इलान के ठीक होने की

स्थिति में श्रम आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं।

अधिक उपज प्राप्त करने के लिए आद्रंता को लेने वाली भाड़ियों को नष्ट कर देना चाहिये तथा कठोर भू-पटल को खोल देना चाहिये ताकि मृदा जल का अवशेषण तथा संचय कर सके। एक समान जल वितरण के लिए चिकनी मंड ढाल का होना आवश्यक है। भू-रूपण तथा प्रवणन स्थलीय अनियमितताओं को दूर करते हैं तथा अधिक अथवा कम सिंचाई को निरस्त करते हैं। परन्तु उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए भूमि रूपण के साथ-साथ उचित जुताई, उत्कृष्ट रोपण तथा जल का विश्वस्त अनुप्रयोग आवश्यक है।

(ब) जल-निकास तथा जल-विन्यास—यह बड़ा आवश्यक है कि वर्षा या सिंचाई से फालतु भूपृष्ठ जल को मुरक्षित रूप से ठिकाने लगाया जाए या क्षेत्र से हटा दिया जाए, नहीं तो यह मृदा का क्षरण करेगा, फसलों को हानि पहुँचाएगा अथवा क्षारता तथा लवण्यता को उत्पन्न करेगा। अवशिष्ट जल (टेल वाटर) अप-व्ययित या व्यर्थ जल की निशानी है। जल-निकास तथा विन्यास का आयोजन जल-प्रवन्धन का अनिवार्य तत्व है। फालतु जल को खेतों से निकाल कर नालियों के पीछे ताल-तलैयों में सचित कर लेना चाहिये ताकि बाद में उपयोग में लाया जा सके। ऐसे जलाशयों में शुपक अद्वितीयों में खेतों के लिए विश्वस्त जल-संभरण की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसे जलाशय अग्नि-मुरक्षा तथा मन बहलाने के स्थलों के रूप में भी उपयोगी हैं (चित्र २)। इन सुविधाओं का आयोजन स्थल-रूपण के साथ-साथ किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में टैरेस प्रणाली ढालन को कम करती है। अतिरिक्त जल टैरेस के सिरों की ओर बहता है जहाँ से यह बनस्पति-मुरक्षित या घासबाली जल-नालिकाओं में प्रवाहित किया जाता है और खेत से निकाल दिया जाता है। भू-क्षरण नियन्त्रण के अतिरिक्त ये जलमार्ग सूखे घास के अच्छे स्रोत हैं। टैरेस मृदाह्लास की कम करती है और अधिक गहन कृपि प्रणाली को बढ़ावा देती है।

साधारण नियम यह है कि जल-निकास के सुधार में भूमि के मूल्य अथवा सिंचाई एवं जल-निकास के मूल्य के दुगुने के बराबर धनराशि को सफलता से निवेशित किया जा सकता है।

(ग) जल-निस्मरण तथा जल-वितरण—यह ध्यान देने योग्य बात है कि बाष्पोत्सर्जन में उपयोग होने वाला जल ही फसल को उत्पन्न करता है। अन्य सब लोग या हानि, चाहे वह रिसने के कारण हो या खेतों में जल-निस्मरण के फलस्वरूप, अवाधनीय हैं और उनमें बचा जाना चाहिये। यह बड़ा आवश्यक है कि जल का उपयोग दक्षता से किया जाय तथा फार्म-स्टर पर जल के वितरण का प्रबन्ध प्रभावपूर्ण ढग से हो।

जल अनुप्रयोग की वर्तमान प्रणाली अर्थात् मूली खाइयों तथा नालियों द्वारा जल ले जाने की मुक्त जल प्रणाली (ग्रेविटी सिस्टम) अपव्ययी ही नहीं, बल्कि इसकी प्रयोग सीमाएं भी हैं। उदाहरणार्थं उन खेतों तक नालियों द्वारा पानी पहुँचाना सम्भव नहीं है जो जल स्रोत के स्तर से ऊचे हैं। नालियों और वर्ष लगभग दस प्रतिशत भूमि ले लेते हैं जो अन्यथा कृपि के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। ये जल मार्ग प्रायः कच्चे होते हैं, फलत हानियों को रोका नहीं जा सकता। उनका अनुरक्षण सर्चला है तथा वे कई श्कावटें

उत्पन्न करते हैं। इन कमियों पर कावू पाने के लिए तथा हानियों को कम करने के लिए सिचाई जल को खुली नालियों की बजाय द्वेष्ट्रे हुए नलों या पाइप लाइनों द्वारा पहुँचाया जाना चाहिये।

जल के अभाव, जल-संसाधनों के प्रतिकूल वितरण तथा उनके अल्प उत्पन्न (नो एनी-वेशन) आदि के कारण आधुनिक सिचन-रीतियों को अपनाना आवश्यक हो गया है। भूमि में जल का यथार्थ नियन्त्रण बड़ा महत्वपूर्ण है। वास्तव में यथार्थ जल-नियन्त्रण (प्रिसाइज वाटर कन्ट्रोल) सिचाई-प्रबन्ध में एक नई कला है। खेत में सब पौधों के लिए सिचाई जल का नियन्त्रण कृषि उपज यें काफी बृद्धि कर सकता है और इस प्रकार, भूमि अम तथा जल की बढ़नी हुई लागतों के सदर्भ में उच्च सिचाई प्रतिफलों की कुंजी है। पृष्ठीय विधियाँ जैसे बन्द थाले, सीमात पट्टियाँ, खुड़े, नालियाँ, द्वार बाली पाइप नालियाँ तथा छिड़काव यथा आदि भूमि पर जल के दक्ष अनुप्रयोग को सुनिश्चित करती हैं।

सुवाहु (पोर्टेबिल पाइप नाइट) जल की बचत करते हैं तथा सिचाई को आसान तथा कम खर्चोंला बनाते हैं। एल्यूमीनियम मिथ्रघातु के बने हुए ये नल कठोर, मजबूत तथा हल्के होते हैं। इन्हे एक खेत से दूसरे खेत में बड़ी भासानी से ले जाया जा सकता है और किसी भी स्थल को जल दिया जा सकता है। इन प्रकार एक छोटी पाइप से ही सारे खेत की प्रभावपूर्ण ढंग से सिचाई की जा सकती है। नल-प्रयोग से सबणों द्वारा भूमि का विगड़, निस्यदन तथा अति-सिचाई (ओवर इरीगेशन) आदि दोष उत्पन्न नहीं होते। जल खोतों ने ऊपर के तल के खेतों की भी सिचाई की जा सकती है। भमायोज्य सिचन-द्वारों से फिट किए हुए नल खेत में जल का सम वितरण कर सकते हैं। ये द्वार हाथ द्वारा 'पूर्ण बन्द' या 'पूर्ण खुले' की स्थिति में फिट किए जा सकते हैं। द्वारे द्वारा खुड़ों तथा खालों में पानी दिया जा सकता है। द्वार बाले नलों के प्रयोग से अम की बचत होती है। ये नल पर्सिवर्ट बल गुणों (फ्लैक्सिबल कपल्स) से युग्मित किए जा सकते हैं।

सिचाई-विधि का चयन करते समय भूमि, फलम तथा फार्म की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिये। पिछले कुछ वर्षों में इच्छाईल, अमरीका तथा यूरूप में छिड़काव-सिचाई (स्ट्रिकलस इरीगेशन) ने वहाँ के कृपि-विकास में काफी सहायता की है। इस प्रणाली में जल को पम्प किया जाता है तथा नालियों में से दाब के अन्तर्गत ऊपर उठाया जाता है। नलों में पूर्वनिर्धारित स्थानों पर छिड़काव यथा किट किए होते हैं वित्र ४। यह विधि बलुई, डालू, उथली, उबड़-खाड़ भूमि या उन भूमियों के लिए जहाँ निस्यदन (सीपेज) अधिक होता है और हल्की सिचाई की आवश्यकता है, बड़ी उपयुक्त है। वास्तव में इस विधि ने सिचन-प्रणाली में एक ऋणि ला दी है। इससे न तो जल व्यर्थ जाता है, न जलाकाति (गेप) या लवण्यता उत्पन्न होती है। यह बेहतर अकुरण, अधिक तेज और समान वर्धन तथा अधिक उपज में सहायक है। छिड़काव सिचाई-प्रणाली द्वारा किसी भी फलम पर उर्वरकों तथा फार्म रसायनों का दक्ष तथा प्रभावपूर्ण अनुप्रयोग किया जा सकता है। इस विधि में एक सरल नियन्त्रण द्वारा उर्वरक साधित्र (फर्टलाइजर एप्लीकेटर) को छिड़काव नल से जोड़ा जाता है तथा इसमें एक दाब ताल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली द्वारा उर्वरकों की बचत होती है और तुरन्त अदुकिया होती है। ये तंत्र किराया-खरीद

योजनाओं (हायर परचेज स्कीम्स) द्वारा सुलभ करवाए जा सकते हैं। मिचन-पद्धति तभी लाभकारी तथा सफल हो सकती है जब यह कृपक तथा फार्म की आवश्यकताओं के अनुरूप ढली हो।

३.६ शुष्क क्षेत्रों में जल-प्रवन्धन

उन क्षेत्रों में जहाँ न विश्वस्त सिंचाई की व्यवस्था है और न ही पर्याप्त वर्षा होती है, जल-प्रवन्धन का विशेष महत्व है। शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक वर्षा जल का एक मात्र स्रोत है और मुख्य उद्देश्य इसका अधिक से अधिक सदोहन करना, सघारण करना तथा सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करना है। अनिवार्य यह न्यून वर्षा वाले क्षेत्र 'शुष्क क्षेत्र' कहलाते हैं तथा शुष्क खेती (ड्राई फार्मिंग) वह पद्धति है जिसमें उत्तम मृदा-जल प्रवन्धन तथा मृदा-आर्ड्टा के द्वारा उपयोग द्वारा न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि फसलें उपजाई जाती हैं।

पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि विशिष्ट नमी का मात्रा के अनुकूल उपयुक्त शर्तों तथा शास्त्र-स्वरूपों के विकास हेतु अनुसंधान किया जाए। कहने का अविश्वाय यह है कि शुष्क क्षेत्रों में सभी कार्यक्रम मृदा, जलवायु, स्थलांकति अथवा वर्षा-स्वरूपों के अनुरूप ढालना पड़ेगा। यहाँ आर्ड्टा का संधारण एव संरक्षण जल-प्रवन्धन कार्यक्रम का अनिवार्य अवश्य होगा। इस सदमें में निम्न सुझाव उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं :—

- (i) यदि वर्षा होने से पहले भूमि को जुती हुई अथवा कृष्ट प्रवस्था (कल्टीवेटेड कन्डीशन) में छोड़ दिया जाए तो अतः स्पदन (इनफिल्ट्रेशन) सुगम हो जाता है।
- (ii) वर्षा का जलाशय बना कर या पलवारी व प्रतिवर्धनों में प्रेरित ग्रन्त स्पदन (डिक्यूर्ड इनफिल्ट्रेशन) द्वारा अथवा घासपात हटाकर सरक्षण या संधारण किया जा सकता है।
- (iii) अनुकूल सौसमो में साक सुधरी जुताई तथा जल-प्रसार द्वारा आर्ड्टा-सरक्षण सम्बन्ध है।
- (iv) ताली तथा अन्य जल पृष्ठों से वाप्पन को कम करने के लिए कदम उठाए जाए ताकि वाप्पन हानियाँ न्यूनतम हो।

यह ध्यान रखने योग्य है कि शुष्क क्षेत्रों में सधु सिंचाई, सिंचाई का एक मात्र साधन है और इसके विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन क्षेत्रों में भूमिगत जल-साधनों के सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा विकास करने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र पर कृषि की जा सके।

जल-संधारण की साथ ही भू-कारण या भू-प्रपरदन की समस्या भी बढ़ है। आधुनिक फार्म-प्रवन्धन में क्षरण को रोकने, फसलों के उपयोग के लिए, आर्ड्टा धारण के लिए तथा भूमि की उर्बंता बनाए रखने के लिए भूमि-रक्षण अत्यावश्यक है। सम्मोच कृषि (कन्टूर फार्मिंग), भूमि संरक्षी तथा पट्टीदार खेती, पशुधारण तथा चराणहें बनाना, वृक्षारोपण, ताल निर्माण, टैरेस-रचना, पथान्तर निर्माण (डाइवसंन कंसट्रक्शन), खुली तथा दाइल दार नालियाँ, भूमि-समतलन तथा जल-प्रवन्धन ऐसी महत्वपूर्ण रीतियाँ हैं जो जल-संधारण के कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयोग में लाई जाती हैं। नदी धारी वाह क्षेत्रों के

लिए भी भू-संरक्षण कार्यक्रमों को आवश्यकता है। वाह क्षेत्रों में मल तथा ग्रवसाद (तल-चट) का अत्यधिक वहाव-मन्चायक जलाशयों की जीवनावधि को कम करता है। जलाशयों, नदियों तथा तालों का ग्रवमादन चिन्ता का विषय है और वाह क्षेत्र में भू-धरण के कारणों को दूर करने के लिए उचित उपाय ग्रन्थाने की आवश्यकता है।

३.७ सिंचाई विकास-कार्य की प्रगति

देश में श्रीसत कार्पिक नदी प्रयाह की हाईट से कुल भूपृष्ठ जल-संसाधन १,६८,००० करोड़ घन मीटर हैं जिनमें से केवल ५६,००० करोड़ घनमीटर (३३ वे प्रतिशत) का ही उपयोग किया जा सकता है। उपयोग भूपृष्ठ जल से लगभग ६ करोड़ हैक्टर भूमि को सीचा जा सकता है। मार्च १९७४ के अन्त तक सिंचाई की धड़ी, मझनी और छोटी पर्योजनाओं द्वारा ३२ करोड़ हैक्टर भूमि को सीचने की ही व्यवस्था हो सकी है। इस प्रकार लगभग २६,००० करोड़ घन मीटर जल को उपयोग में लाना बाकी है।

अनुमान है कि लगभग २२,००० करोड़ घनमीटर भूमिगत जल (प्राउंड बाटर) का भी सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है परन्तु अभी तक इस उद्देश्य के लिए १३,००० करोड़ घनमीटर जल का ही सदोहन किया गया है।

उपरोक्त विवेचन में यह स्पष्ट है कि भूपृष्ठ तथा भूमिगत जल द्वारा लगभग ८२ करोड़ हैक्टर क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है परन्तु अभी तक लगभग ४.५ करोड़ हैक्टर भूमि को सीचने की ही व्यवस्था है जो कुल विभव का ५५.६ प्रतिशत है। इस दिना में पिछली चार पचवर्षीय योजनाओं की अवधि में हुई प्रगति का विवरण इस प्रकार है।

(क) पहली पचवर्षीय योजना में सिंचाई—पहली पचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से पूर्व अर्थात् १९५०-५१ के अन्त में भूपृष्ठ जल से केवल १७ लाख हैक्टर भूमि को सीचा जा सकता था (जो कुल क्षमता (विभव) का १६ प्रतिशत है) तथा भूमिगत जल से कुल सिंचित क्षेत्र १२६ लाख हैक्टर था जो कुल विभव का ५६ प्रतिशत था। इस प्रकार १९५०-५१ के अन्त में २२६ साल हैक्टर की सिंचाई के लिए जल-मंसाधनों का सदोहन किया जा चुका था जो कि चरम सक्षम (अल्टीमेट टार्जेट) का २७.६ प्रतिशत था।

देश के जल तथा भू-संसाधनों का मुद्रद्ध विकास इसकी अर्थव्यवस्था के लिए मूलभूत महत्व रखता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिये। प्रथम योजना में इस बात पर जोर दिया गया था कि जल-मंसाधनों के उपयोग की योजना राष्ट्रीय आधार पर बनाई जानी चाहिये।

पहली पचवर्षीय योजना मिशन क्षेत्र को पढ़हर या बीम वर्ष में दुगुना करने की दीर्घि-बधि योजना की पृष्ठभूमि में बनाई गई थी। इसलिए सिंचाई-कार्यक्रम में बड़ी तथा लघु सिंचाई स्कीमों में उचित सनुलन रखने की आवश्यकता को अनुभव किया गया था क्योंकि ये स्कीमों कार्यं तथा गुणों में एक दूसरे की पूरक हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उसी प्रकार की स्कीम चालू करनी चाहिये जिसके लिए क्षेत्र में उपयुक्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यहाँ धड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई स्कीमों में अन्तर को समझ लेना चाहिये। पहली योजना की अवधि में जिन योजनाओं की लागत का अनुमान १० लाख रुपये से कम था, वे लघु सिंचाई स्कीमें मानी गईं।

थी। चौथी योजना के आरम्भ में लघु सिचाई की सीमा १५ लाख रुपये थी जो अब मंदानी इलाकों में २५ लाख रुपये तथा पहाड़ी इलाकों में ३० लाख रुपये है। पहली योजना के दौरान १० लाख से ५ करोड़ रुपये तक लागत वाली स्कीमे मध्यम स्कीमे तथा ५ करोड़ रुपये से ऊपर लागत वाली स्कीमे बड़ी स्कीमे मानी गई हैं।

बड़ी तथा लघु सिचाई कार्यों के अपने अपने सारेक्षण लाभ हैं। बड़ी स्कीमें ग्रतिरिक्त नदी जल का उपयोग करती हैं, जो अन्यथा व्यय जाता है। वे विस्तृत क्षेत्र को लाभ पहुँचाती हैं, अमाव के दर्पों में निश्चित सरक्षण प्रदान करती हैं और प्रायः बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति हेतु डिजाइन की जा सकती हैं। लघु सिचाई स्कीमों को कम परिव्यय की आवश्यकता होती है, वे शीघ्र कल देती हैं तथा स्थानीय सासाधनों की सहायता से शीघ्रता से कार्यान्वित की जा सकती हैं परन्तु वे सीमित सरक्षण प्रदान करती हैं तथा उन्हे घ्यानपूर्वक अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक है कि सिचाई कार्यों को ठीक अवस्था में रखने की जिम्मेदारी इनसे लाभ उठाने वालों पर हो।

बड़ी तथा मध्यम सिचाई स्कीमे—पहली योजना में कुल २६७ बड़ी व मध्यम परियोजनाएँ चालू की गईं जिनमें से १७ पर प्रत्येक पर ५ करोड़ रुपये से भी अधिक राशि के व्यय का अनुमान था, ५० परियोजनाओं पर प्रत्येक के लिए १ करोड़ से ५ करोड़ रुपये तक का परिव्यय तथा शेष २०० परियोजनाएँ १ करोड़ रुपये से कम लागत वाली थीं। बड़ी तथा मध्यम सिचाई स्कीमों पर कुल ४२० करोड़ रुपये व्यय किए गए। इन स्कीमों द्वारा २५ लाख हैक्टर सिचाई विभव का निर्माण हुआ।

छोटी सिचाई स्कीमे—छोटी सिचाई स्कीमों पर ६० करोड़ रुपये व्यय किए गए जिसके कलस्वरूप ७ लाख हैक्टर विभव का निर्माण हुआ।

इस प्रकार ११५५-५६ के अंत तक कुल निर्मित सिचाई विभव २५८ करोड़ हैक्टर अर्थात् चरम लक्ष्य का ३१ प्रतिशत था।

पहली योजना के समय भाष्टा नांगल, दामोदर घाटी योजना, हीराकुड़, तुंगमद्वा, काकपारा, मयूराक्षी और कोसो प्रादि बहुदे शीय बड़ी परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका था और उनमें से कुछ से लाभ भी प्राप्त होने लगे थे।

(ब) दूसरी वंचवर्यों योजना में सिचाई—दूसरी योजना की अवधि में बड़ी तथा मध्यम स्कीमों पर ३७२ करोड़ रुपये व्यय किए गए जिनमें २०२ करोड़ रुपये चालू स्कीमों पर तथा १७० रुपये नई स्कीमों पर व्यय किए गए। सिचित क्षेत्र में २२ लाख हैक्टर की वृद्धि हुई। योजना की अवधि में ११५ बड़ी तथा मध्यम स्कीमे चलाई गईं जिनमें से १७ बड़ी परियोजनाएँ थीं। यहाँ यह उल्लेख उचित ही है कि ये इन परियोजनाओं पर विभिन्न चरणों में कार्य होता है तथा अनेक परियोजनाओं को पूरा होने में १५ से २० साल तक लग जाते हैं। निर्माण से पूर्व सर्वेक्षण तथा खोज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहली दो योजनाओं में स्कीमों के आकार का व्योरा सारणी ३.६ में दिया हुआ है।

दूसरी योजना की अवधि में इन स्कीमों द्वारा २२ लाख हैक्टर सिचाई विभव का निर्माण हुआ।

लघु सिचाई स्कीमों पर ६५ करोड़ रुपये व्यय किए गए तथा १६ लाख हैक्टर सिचाई

सारणी ३.६ : पहली दो योजनाओं में स्कीमों का आकार व उनकी संख्या

अनुमानित लागत	परियोजनाओं की संख्या		कुल
	पहली योजना	दूसरी योजना	
३० करोड़ रुपये से अधिक	७	—	७
१० करोड़ रु. तथा ३० करोड़ रु. के बीच	६	१०	१६
५ करोड़ „ तथा १० „ „ ४	„	७	११
१ „ तथा ५ „ „ ५०	„	३५	८५
१ करोड़ रुपये में कम	२००	१४३	३४३
कुल	२६७	१६५	४६२
कुल अनुमानित लागत			
(करोड़ रुपये)	७२०	३८०	११००
संशोधित लागत	७६०	६१०	१४००

चोत दूसरी तथा तीसरी पचवर्षीय-योजनाएँ

विभव का निर्माण हुआ। इस प्रकार दूसरी योजना के अंत में कुल विभव निर्माण २.६२ करोड हैटर था।

(ग) तीसरी योजना में सिचाई—इन परियोजनाओं में मारी निवेश किया जाता है। इसलिए इनसे कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है। यह भी देखना जहरी होता है कि इन परियोजनाओं से होने वाले लाभ जलाक्रानि या अपर्याप्त जल-निकास के कारण होने वाले भूमिहास द्वारा कम न हो। इसलिए तीसरी योजना में निम्न प्रकारों की स्कीमों पर बल दिया गया।

- (i) कृपकों के खेतों तक अर्धांशु खेत नालियों में से दूसरी योजना की चालू स्कीमों की पूर्ति।
- (ii) जल-निकास तथा जलाक्रान्तिरोधी स्कीमें
- तथा (iii) मध्यम सिचाई परियोजनाएँ।

तीसरी योजना में बड़ी तथा मध्यम स्कीमों पर ५८० करोड़ रुपये व्यय किये गये जिनमें से लगभग ४२० करोड़ रुपये चालू स्कीमों पर तथा १६० करोड़ रुपये नई परियोजनाओं पर लगाए गये। नई परियोजनाओं में ६५ मध्यम स्कीमें तथा पजाद में व्यास नदी पर संग्रह स्कीमें तथा पड़ोसी राज्यों की विभिन्न बहु उद्देशीय परियोजनाओं के सिचाई घटकों संबद्ध स्कीमें सम्मिलित थीं। व्यास नदी परियोजना भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुए सिन्धु नदी करार, १६६० के फलस्वरूप घनाई गई। तीसरी योजना में बड़ी तथा मध्यम स्कीमों द्वारा २२ लाख हैटर सिचाई विभव का निर्माण हुआ। पहली तीन योजनाओं में बड़ी तथा मध्यम स्कीमों पर होने वाले कुल व्यय का आवंटन इस प्रकार था।

सारणी ३७ : व्यय का आवंटन

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	कुल लागत	व्यय (योजनानुमार)			१९६५-६६	
		पहली योजना से पहले	पहली दूसरी	तीसरी	के बाद होने वाला व्यय	
पहली योजना की स्कीमें	७६०	८०	३४०	२०२	१२०	४८
दूसरी योजना की स्कीमें	६१०	—	—	१७०	३००	१४०
तीसरी योजना की स्कीमें	३६४	—	—	—	१६०	२०४
कुल	१७६४	८०	३४०	३७२	५८०	३६२

लघु सिंचाई स्कीमों पर २७० करोड़ रुपये व्यय किए गए तथा इन स्कीमों द्वारा १६ लाख हैक्टर सिंचाई विभव निर्मित हुआ। १९६५-६६ के अवधि में सिंचाई क्षमता ३.३३ करोड़ हैक्टर थी जो चरम विभव का ४०.६ प्रतिशत था।

(घ) १९६६-६७ की अवधि में सिंचाई-विकास—वैसे तो चौथी पचवर्षीय योजना का आरम्भ तीसरी पचवर्षीय योजना की समाप्ति पर १९६६ में ही हो जाना चाहिये था। परन्तु तीसरी योजना की अवधि अनेक हितियों से बड़ी असाधारण रही। सदृ १९६२ में चीन से और १९६५ में पाकिस्तान से हुए संघर्षों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। सदृ १९६५-६६ और १९६६-६७ के अत्यधिक कठोर और भयंकर सूखे से कृषि-उत्पादन में भारी कमी हुई। जून १९६६ में रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा जिससे समस्या और भी जटिल हो गई। अतः अगले कुछ वर्ष पुनर्समर्जन (रोएडजस्टमेंट) के थे। चौथी पचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने में अन्य दूसरे कारणों से भी विलम्ब हुआ। १९६६-६७, १९६७-६८ तथा १९६८-६९ के लिए वार्षिक योजनाएँ बनाई गईं।

१९६६-६९ की अवधि में सिंचाई की बड़ी तथा मध्यम स्कीमों पर लगभग ४१४ करोड़ रुपये का व्यय किया गया। लघु सिंचाई कारोबारों पर ३१४ करोड़ रुपये व्यय किए गए। इन वर्षों में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत २० लाख हैक्टर सिंचाई विभव निर्मित किया गया तथा १९६६-६९ के अवधि तक कुल सिंचाई-विभव १८६ करोड़ हैक्टर था। छोटी सिंचाई स्कीमों से ४० लाख हैक्टर और भूमि में सिंचाई के होने का अनुमान था। चालू सिंचाई-कारोबारों में हुए ह्रास को निकालने के बाद २३ लाख हैक्टर और भूमि में सिंचाई होने लगी है। इस प्रकार १९६६-६९ की अवधि में बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा ४३ लाख हैक्टर सिंचाई-विभव का निर्माण हुआ है। १९६६-६९ के अवधि तक कुल सिंचाई विभव ३.७६ करोड़ हैक्टर था। और इसमें बड़ी एवं मध्यम योजनाओं का योगदान लघु सिंचाई योजनाओं के योगदान के लगभग बराबर ही था।

१९६६-६९ की अवधि में, लघु सिंचाई के क्षेत्र में दो दिशाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई

है। पहली बात यह है कि नलकूपों तथा पंप सेटों पर जो विश्वस्त मिचाई की मुविधा प्रदान करते हैं, अधिक बल दिया गया है। तीसरी योजना के अत में कुल ६४००० निजी नलकूप तथा ५५०,००० पंप सेट थे। १६६६-६६ में १६०००० नलकूप और लग गए तथा पंपों की संख्या में ७००,००० की वृद्धि हो गई। इनमें से ५००,००० पंप सेट विजली में चलाए जाने वाले थे। दूसरी उल्लेखनीय बात का सबधं गंगे सरकारी नलकूप लगाने तथा मिचाई मुविधाएँ देने के लिए संस्थागत संभावनों व वित्त के जुटाने के साथ है। तीसरी योजना में संस्थागत क्षेत्र द्वारा कुल १०० करोड़ रुपये लगाए गए जबकि १६६६-६६ में कृषि-उद्योग निगम (एयो-इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन), मूमि विकास बैंक (लैंड हेवलपमेंट बैंक) तथा कृषि पुनर्वित निगम (एप्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉरपोरेशन) जैसी संस्थागत एजेन्सियों द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों के लिए २०० करोड़ रुपये से अधिक की राशि सुलभ कराई गई।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में मिचाई—पिछली योजनाओं की तरह ही चौथी योजनाओं में भी मिचाई-योजनाओं को बहुत महत्व दिया गया है। १६६५-६६ तथा १६६६-६७ में पहुंचों ने मिचाई भुविधाओं के तेजी में विस्तार के प्रति लोगों को और भी जागरूक कर दिया था। इसके अतिरिक्त नए बौजों तथा उर्द्वरकों से संघन खेती का लाभ भी लभी उठाया जा सकता है जब मिचाई का पक्का प्रबन्ध हो। इन वास्तों को ध्यान में रखते हुए मिचाई-कार्यक्रम को योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई।

मिचाई के सबन्व में योजना के कुछ संक्षय ये थे :

- (i) भूपृष्ठ तथा भूमिगत जल-संसाधनों का सुधार उपयोग एवं दक्ष प्रबन्ध
- (ii) बड़ी, मध्यम तथा लघु मिचाई योजनाओं का ध्यासंभव विस्तार करना विशेषकर उन क्षेत्रों में जिनमें आशवासित वर्षा तथा मिचाई-साधनों की अपेक्षाकृत कमी है।
- (iii) कुओं तथा नलकूपों को शक्तिचालित करने हेतु ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के साथ लघु मिचाई कार्यक्रमों को जोड़ना। ग्राम विद्युतीकरण के विकास के मूलक पंप सेटों को शक्तिचालित करना होगा, न कि गांवों में विजली लगाना।
- (iv) मिचाई-विमव तथा उसके उपयोग के बीच की समय-न्यूनता (टाइम लेग) को और अधिक करना।

मुख्य उद्देश्य यही था कि मिचाई मुविधा प्राप्त भूमियों से अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त किया जाय।

मिचाई संबंधी परिव्यय तथा लाभ—पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में लगभग ५५० बड़ी तथा मध्यम स्कीमें हाथ में ली गई जिनमें से ७३ बड़ी परियोजनाएँ थी। १६६५-६६ के अत तक लगभग ३०० स्कीमें पूरी हो चुकी थीं। शेष पर काम चालू था। चौथी योजना में मिचाई की बड़ी, मध्यम तथा लघु स्कीमों पर कुल १४७० करोड़ रुपये ध्यय होने का अनुमान था जिसमें से ४२ करोड़ रुपये की राशि अनुसधान एवं स्वोज के लिए रखी गई।

(क) बड़ी तथा मध्यम स्कीमें—सभी चालू मध्यम स्कीमों को चौथी योजना की अवधि में पूरा किया जाएगा। बड़ी परियोजनाएँ जिन पर अब तक काफ़ी खर्च हो चुका है उन्हें सो पूरी हो जाएंगी या उनसे लाभ पहुँचना शुरू हो जाएगा। अन्य बड़ी स्कीमें

निर्माण के विभिन्न चरणों में होगी और उनमें से कुछ स्कीमों पाँचवीं योजना के प्रथम वर्ष से लाग फहुँचाना आरम्भ कर देंगी।

बड़ी तथा मध्यम स्कीमों पर ६५३.८ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था रखी गई है— ७७१.४ करोड़ रुपये चालू स्कीमों के लिए, १४०.४ करोड़ रुपये नई स्कीमों के लिए तथा ४२ करोड़ रुपये अनुसधान तथा खोज के लिए।

चौथी योजना में लगभग ४८ लाख हैक्टर सिचाई-विभव का निर्माण किया जाएगा जिनमें से ४७ लाख हैक्टर चालू स्कीमों से तथा १ लाख हैक्टर विभव नई स्कीमों से निर्मित किया जाएगा। उपयोग लगभग ३६ लाख हैक्टर होगा। इस प्रकार योजना के अत तक बड़ी तथा मध्यम योजनाओं द्वारा निर्मित कुल सिचाई-विभव २३३ करोड़ हैक्टर हो जाएगा।

(क्ष) सधु सिचाई स्कीमें—कुण्ड क्षेत्र में सधु सिचाई कार्यों पर ५१५.७ करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान है—५०१.५ करोड़ रुपये राज्यों में, ६.२ करोड़ रुपये सर्व शासित क्षेत्रों में और ८ करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा।

मरकारी क्षेत्र के परिव्यय का अधिकांश भाग राज्य सरकारों, पंचायती राज्य संस्थाओं अथवा अन्य प्राधिकरणों द्वारा सामुदायिक निर्माण-कार्यों पर खर्च किये जाने की व्यवस्था है। इन कार्यों में जलाशय, नलकूप, नदी परियोजनाएं तथा नदियों के मार्ग बदलने की योजनाएं शामिल हैं जिनमें उन छोटे किसानों को लाभ फहुँचेगा जो अपने लिए सिचाई की व्यवस्था नहीं कर सकते। लगभग ६० करोड़ रुपये छोटे किसानों को आर्थिक सहायता तथा तकावी देने के लिए रखे गए। वायिजिक दैर्घ्यों सहित संस्थागत क्षेत्र द्वारा सधु सिचाई पर लगभग ६५० करोड़ रुपये लगाए गए और कृषकों द्वारा अपने ही माध्यनों द्वारा लगभग ३०० रुपये करोड़ की पूँजी लगाई गई।

ग्राम-विद्युतीकरण के लिए ४४४.६६ करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था की गई। वर्षोंकि ग्राम-विद्युतीकरण की प्रगति का मापदण्ड गावों में विजली लगाने की वजाय पप संटो को शक्ति-चालित करना होगा। इसलिए पप संटो तथा नलकूपों को विजली देने का पुर्जोर कार्यक्रम बनाया गया जिसके अन्तर्गत १२ लाख ५० हजार पप संटों तथा नल कूपों को शक्ति-चालित किया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन) स्थापित करने के लिए १५० करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई जिसमें केन्द्र ४५ करोड़ रुपये की धनराशि लगाएगा। यह निगम विशेषतः कम विकसित क्षेत्रों में सिचाई-पंप संटो को विजली से चलाने के लिए राज्य विद्युत् बोर्डों को अहण देगा। इस उद्देश्य के लिए ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्थाओं को गठित करने की भी योजना है जिन्हे ग्रामीण विद्युत् निगम द्वारा ऋण दिया जाएगा। निगम द्वारा ऋण दी जाने वाली राशि से लगभग ५००,००० पप संटो को विजली मिलेगी।

योजना में सधु सिचाई स्कीमों से ४८ लाख हैक्टर और भूमि में सिचाई होने का अनुमान है। चालू सिचाई कार्यों में हुए हास को निकालने के बाद शुद्ध ३२ लाख हैक्टर और भूमि में सिचाई होने लगेगी। इसके अतिरिक्त २४ लाख हैक्टर पूर्व सिचित क्षेत्र में सिचाई को अधिक सुनिश्चित बनाया जाएगा।

विभिन्न योजनावधियों के दौरान सिचाई के विकास से मन्बधित कुल व्यय तथा सिचाई की प्रगति सारणी ३-ए में दर्शायी गई है।

सारणी ३-ए विभिन्न योजनाओं के दौरान सिचाई के विकास पर व्यय तथा सिचाई विभव का विकास

अधिकारी	वडे तथा मण्डल सम्पुर्ण स्थानों पर कुल वडे तथा मण्डल सम्पुर्ण सिचाई कुल संचयी विभव	व्यय (करोड़ रुपये)		निर्मित सिचाई	विभव (लाख हैक्टर)		
		स्थानों में	वडे तथा मण्डल सम्पुर्ण स्थानों पर कुल वडे तथा मण्डल सम्पुर्ण सिचाई कुल संचयी विभव		लाख हैक्टर	लाख हैक्टर	
आयोजनापूर्व	६७	१२६	२२६	—
पहली योजना							
(१९५१-५६)	४२०	६०	५१०	२५	७	३२	२५८
दूसरी योजना							
(१९५६-६१)	३७२	६५	४६७	२२	१२	३४	२६२
तीसरी योजना							
(१९६१-६६)	५८०	८०	८५०	२२	१६	४१	३३३
चारिंक योजनाओं के दौरान							
(१९६६-६६)	४१४	३१४	७२६	२०	२३	४३	३७६
चौथी योजना							
(१९६६-७४)	६५४	५१६	१४७०	४७	३२	७६	४५५
१९५१-७४	२७४०	१२८५	४०२५	१३६	६३	२२६	
चौथी योजना के अन्त में कुल निर्मित विभव				२३३	२२२	४५५	—

अब तक सिचाई स्थानों के अन्तर्गत निर्मित २२२ लाख हैक्टर सिचाई विभव में से भूमिगत जल द्वारा १३० लाख हैक्टर तथा भूपृष्ठीय जल से ९२ लाख हैक्टर वी सिचाई हो सकेगी। आशा है कि सिचाई हेतु शेष जल-संसाधनों का विकास लगभग २० वर्षों में पूरा हो जाएगा। यहौ यह बात ध्यान रखने योग्य है पिछले २३ वर्षों की योजनावधि में सिचाई-विभव संगमग दुगुना हो गया है राज्यानुसार सिचाई-विभव इस प्रकार है।

२३३ लाख हैक्टर के निर्मित सिचाई विभव में से आजकल २०६ लाख हैक्टर क्षेत्र में ही सिचाई की जा रही है और इस प्रकार २४ लाख हैक्टर विभव का उपयोग करना शेष है।

पैच्ची योजना में सिचाई के लिए २६८१ करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान है।

३-ए आयकट (नहरी क्षेत्र) विकास

बड़ी बड़ी सिचाई परियोजनाएं पिछले कुछ वर्षों में कृषि-उत्पादन स्तरों में हुई वृद्धि का मुख्य साधन रही हैं। भारत में इस समय लगभग ३-ए करोड़ हैक्टर क्षेत्र बड़ी या मध्यम

सारणी ३६ : राज्यानुसार सिंचाई-विभव

(१९७३-७४ के अन्त तक) (लाख हैक्टर)

क्र.	राज्य	बड़ी तथा मध्यम	लघु	कुल
१.	आध्र प्रदेश	३०.५	२१.०	५१.५
२.	आसाम	१.५	४.५	६.०
३.	बिहार	२८.५	१७.०	४५.५
४.	गुजरात	६.०	१२.०	२१.०
५.	हरियाणा	१०.०	५.०	१५.०
६.	जम्मू व कश्मीर	०.८	०.६	१.४
७.	केरल	५.०	२.७	७.७
८.	मध्य प्रदेश	१२.५	८.६	२१.१
९.	महाराष्ट्र	१०.५	१४.५	२५.०
१०.	मैसूर	८.०	८.०	१६.०
११.	नागालैंड	—	—	—
१२.	उडीसा	१४.५	८.०	२२.५
१३.	पंजाब	२२.५	१४.५	३७.०
१४.	राजस्थान	१२.५	१६.५	२८.०
१५.	तमिलनाडु	१५.०	२१.०	३६.०
१६.	उत्तर प्रदेश	४०.०	६२.१	१०२.१
१७.	पश्चिमी बंगाल	१२.५	७.५	२०.०
कुल		२३३.३	२२३.५	४५६.८

स्रोत : चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना

सिंचाई-परियोजनाओं से सामान्यत हो रहा है। इन परियोजनाओं पर काफी बड़ी राशि इस उद्देश्य हेतु ध्यय की जाती है कि सिंचाई के लाभ अधिक से अधिक क्षेत्र तथा अधिक से अधिक क्षेत्रों तक पहुँचाये जा सकें। चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना की अवधि में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर लगभग ६५४ करोड़ रुपये के कुल परियोग का अनुमान था जिसके फलस्वरूप लगभग ४७ लाख हैक्टर सिंचाई-विभव का निर्माण हुआ। सिंचाई-विभव के निर्माण तथा उपयोग का विवरण सारणी ३.१० में दिया गया है।

सारणी ३.१० बड़ी तथा मध्यम सिंचाई-स्कीमों से लाभ लाख हैक्टर (कुल)

चरण मिचाई	आयोजना से पूर्व की स्थिति	१९६५-६६	१९७३-७४
विभव	४५६	६७	१८६
उपयोग	४५६	६६	१७०

स्रोत : चौथी पञ्चवर्षीय योजना

बड़ी नदी धाटो परियोजनाएं बहुत अधिक सिचाई-विभव निर्मित करती हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि परियोजना के निर्माण के साथ-साथ परियोजना के अन्तर्गत आने वाली नदी या नहरी क्षेत्र का भी विकास कियर जाए ताकि विभव की उत्पत्ति के साथ ही सिचाई-मुद्रिधार्मों का उपयोग भी हो सके। निर्मित विभव के प्रभावी उपयोग में विलम्ब बहुमूल्य संसाधनों का अत्यन्त अपव्यय है तथा कृपि-विकास की गति को धीमा करता है।

सिचाई राज्य विषय है और इस पर सारा परिव्यय राज्य की योजनाओं के मन्त्रगत ही समायोजित करना होता है। सामान्य धारणा यह है कि विभव के निर्मित होने के तुरन्त बाद सिचाई का विकास स्वतः ही जाएगा। परन्तु सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि विभव के निर्माण के बाद उसके प्रभावी उपयोग में लगभग प्रैच या छह वर्ष का समय लग जाता है। जल के प्राप्त होने से उसके सिचाई हेतु वास्तविक उपयोग के समर्थों में पश्चता (लेग) इन क्षेत्रों की मुख्य समस्या है। इस समय-पश्चता की न्यूनतम कर देना चाहिये। इन क्षेत्रों के कृपि-विकास का कार्य परियोजना निर्माण-कार्य के साथ ही आरम्भ होना चाहिए और दोनों कार्यक्रमों के अधिकारियों के बीच निकट सम्बन्ध होना चाहिये। जहांतक सम्भव हो नदी क्षेत्रों का विकास परियोजना की समर्पण स्कीम तथा डिजाइन का भाग होना चाहिये ताकि निवेशों से पूर्ण लाभ उठाया जा सके।

सिचाई-मुद्रिधार्मों के निर्माण के साथ ही उनके उपयोग के लिए क्षेत्रों को संघार करने हेतु मृदा, स्थलाङ्किति, शस्य-स्वरूपों तथा सिचाई मुद्रिधार्मों के अनुरूप नालियों तथा निकास-नालियों का जाल निर्माण करना ज़रूरी है। फार्म पर सिचाई मुद्रिधार्मों की उपयुक्त डिजाइन तैयार करते समय भू-समतलन तथा भू-रूपण के साथ-साथ भूमिगत तथा भूपृष्ठीय जल-निकास की आवश्यकताओं, भूक्षण नियन्त्रण तथा बाढ़ जल व तलाश्ट (छवसादान) के बाह्य क्षेत्रों से बचाव का भी ध्यान रखना होगा। यह काम स्थानीय प्रशासन या जल-उपयोक्ताओं की संस्था द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए उधार तथा तकनीकी सलाह सरकार द्वारा दी जानी चाहिये।

आपकट (अर्थात् क्षेत्र) विकास कार्यक्रम में धीज, उवंरक (खाद), उपस्कर, पदार्थ तथा उधार के सभरण जैसी सुवद्द सेवाओं को उपलब्ध कराने का भी प्रबन्ध होना चाहिए। तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर, कोसो तथा राजस्थान गहर-परियोजनाओं के अन्तर्गत कुछ चुने हुए नहरी क्षेत्रों में आपकट विकास स्कीमों पर कार्य किया जा रहा है और इस दिशा में उत्साहजनक प्रगति हुई है। सङ्क, घण्डारगृह तथा विषणु (कॉम्प्लैक्स) जैसी सहायक सुविधाओं का निर्माण केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमों में किया जा रहा है। इन उपयोग द्वारा वम्ब-निर्माण तथा उसके उपयोग में अन्तराल को कम करने में सहायता मिलेगी।

३.६ सिचाई-दरों का निर्धारण

जल-दरों का निर्धारण एक जटिल समस्या है और इसका समाधान वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिये। सरल तर्क यह है कि सिचाई जल के उपयोग की दरें ऐसी होनी चाहियें जो इसको उपलब्ध कराने की लागतों को पूरा करें ताकि सिचाई-प्रणाली धाटे पर कार्य न करे जैसी कि भारत में वर्तमान स्थिति है। फिर भी विकास के आरम्भिक चरणों में ये प्रणालियाँ धाटे पर ही चलेंगी क्योंकि निर्माणाधीन बड़ी परियोजनाओं पर निवेश का व्याज

खर्च काफी होता है तथा उसकी अनुरक्षण तथा संचालन-लागतें भी अधिक होती हैं। उदाहरणार्थं परियोजना मूल्यांकन संगठन (प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन औरगनाइजेशन) ने अनुमान लगाया है कि तुगमद्वा-परियोजना के निर्माण के लिए प्रति एकड़ आर्थिक तुल्यमान लागत (एनूग्ल इनिवेलिन्ट कॉस्ट पर एकर) ४६.५७ रुपये है जबकि 'वारह मासी', 'आद्र' तथा 'हल्की' सिंचाई के लिए प्रभार दरें क्रमशः ३२ रु, १६ रु तथा ८ रु प्रति एकड़ हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत में सिंचाई-दरे बहुत अधिक आनुतोषिक (आर्थिक सहायता प्राप्त सब्सीडीजड) हैं जिनके कारण सरकारी खजाने को मारी घाटा हो रहा है। चालू आर्थिक घाटा लगभग ८१ करोड़ रुपये का है।

सारणी: ३.११ आर्थिक सिंचाई कार्यों तथा बहुमुखी नदी घाटी-परियोजनाओं

के सिंचाई भागों पर हानि का अनुमान

(१९६८-६९)

करोड़ रुपयों में

आर्थिक सिंचाई	बहुमुखी नदी घाटी-परियोजनाएं				
प्राप्ति कार्यकारी व्यय ब्याज हानि प्राप्ति कार्यकारी व्यय ब्याज हानि कुल हानि					
३८.७	३३.४६	५३८८०	४८.५३	७.६१	६.३६ ३०६५ ३२४३ ८०.६६

स्रोत चौथी पचवर्षीय योजना (प्राप्त)

प्रश्न उठता है कि जहाँ तक जल-दरों का सम्बन्ध है, आर्थिक सहायता या उपदान (सब्सीडीजेशन आर सबसिडी) कहाँ तक उचित है। यह याद रखना चाहिये कि सिंचाई-सुविधाएं केवल नहरी क्षेत्रों या सिंचाई-प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के लोगों तक ही सीमित हैं। अतः उचित यही है कि इन्हीं लोगों को इनकी कीमतें देनी चाहिये तथा योप समुदाय पर इसका भार नहीं पड़ना चाहिये। सरकार की ओर से किसी निविटि के समर्थन में आर्थिक सहायता के उपदान का औचित्य तभी है यदि निविटि की उत्पादिता कम हो तथा सरकार इस समर्थन द्वारा उस निविटि का उपयोग बढ़ाना चाहती हो। परन्तु ऐसी नीति के विषय में कहा जा सकता है कि कीमतों का इस प्रकार न्यूनीकरण अनुसंधान द्वारा उत्पादिता बढ़ाने के आधारभूत उद्देश्य को ओझल कर देता है। इसके साथ-साथ न्यून उत्पादिता वाली कृषि, जिसमें अधिक कीमतों वाली निविटियों का उपयोग हो, आर्थिक रूपातरण में कोई बढ़ा योगदान नहीं देती। इसलिए सारा प्रयत्न उत्पादिता को बढ़ाने की ओर होना चाहिये। हाँ, यदि निविटियों का उत्पादन अधिक कार्यकुशलता से किया जा सके, तो उनकी कीमतें कम कर देनी चाहिये। कृपक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए तथा इस नीति को उचित ठहराने के लिए निविटियों के प्रतिफल का अव-प्रावक्षण (अन्डर एस्टीमेशन) करते हैं। दूसरी ओर नीति-निर्धारिकों द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त निविटियों से प्राप्त होने वाले प्रतिक्लों का अधिक-प्रावक्षण (ओवर एस्टीमेशन) हो सकता है जिसका परिणाम यह होगा कि कृपक को दुर्लभ संसाधनों की अत्यधिक मात्रा देनी पड़े गी।

यद्यपि कृपक उपज की कीमतें बढ़ गई हैं और पिछले कुछ वर्षों में कृपक सिंचित क्षेत्रों से अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, परन्तु जल-दरों में सम्मेय या सहश वृद्धि (कमेन्सुरेट

इन्हीज) नहीं हुई है। हमारे विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जल-दरों में उपरिमुखी संशोधन की आवश्यकता है जिससे मूल्यहास-प्रभार पूरा करने के साथ-साथ पूँजी पर भी कुछ व्याज प्राप्त हो सके। सिचाई-सेवाओं तथा अन्य सुविधाओं की कीमतें उनको सीमात लागतों के बराबर निर्धारित की जानी चाहिये। इससे कृषकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करने में प्रोत्साहन मिलेगा।

दूसरा मत यह है कि जल-दरों, कृषक को जल के उपयोग से प्राप्त अतिरिक्त निवल के उपयुक्त प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिये या जल दर सिचित फसल से प्राप्त कुल प्रतिफल की उचित प्रतिशत होनी चाहिये। इसके लिए सिचाई के विभिन्न साधनों से भिन्न-भिन्न फार्मों तथा भिन्न-भिन्न फसलों के लिए जल के सीमात प्रतिफलों (मार्जिनल रिटर्न्स) का परिकलन करना पड़ेगा। यह ध्यान रखने योग्य है कि जल की समान मात्रा से भिन्न-भिन्न फसलों या भिन्न-भिन्न फार्मों से भिन्न-भिन्न निवल प्रतिफल प्राप्त होने की व्योक्ति भिन्न-भिन्न फसलों के भिन्न-भिन्न अभिलक्षण होते हैं।


जल से सीमात प्रतिफल—विशिष्ट निविटियों के सीमात प्रतिफल उत्पादन तथा निविटियों के कुल मूल्यों के बीच फलनिक सम्बन्धों (फलानल रिलेशनशिप) को जातकर परिकलित किए जा सकते हैं। जल के साथ प्रति हैक्टर कुल प्रतिफल का सम्बन्ध ज्ञात करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। अतिरिक्त निवल हितलाभ के आवश्यक आंकड़े संगतार इकट्ठे किए जाने चाहिये तथा विभिन्न फसलों के लिए जल के सीमात प्रतिफल ज्ञात करने के उपरात जल दरों का प्रत्येक पांच या सात वर्षों में संशोधन करना चाहिये।

१९६६-६७ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 'कुओं द्वारा सिचाई' से सम्बन्धित एक अध्ययन से यह पता चला है कि प्रति हैक्टर कुल प्रतिफल में विचरण का २६ प्रतिशत अनुप्रबुक्त जल के परिमाण तथा सगत पूरक निविटियों के कारण हुआ है। सम्बन्ध से ज्ञात होता है कि एक घन मीटर अतिरिक्त जल तथा सपूरक निविटियों के फलस्वरूप कुल प्रतिफल में ०.१६ ह० की वृद्धि हुई। जल की सागत तथा उसके सीमात उत्पाद-आय में अनुपात सारणी ३-१२ में दिखाए गए हैं।

सारणी ३-१२ अलीगढ़ जिले के १४१ फार्मों में जल की सागत तथा सीमात उत्पाद-आय में अनुपात (१९६६-६७)

सिचाई का साधन (प्रति घन मीटर)	जल के लिए सीमात उत्पाद-आय रुपये	प्रति घनमीटर जल की सागत	सीमात उत्पाद-आय तथा सागत में अनुपात
सरकारी नल कूप	००६	००३३	२.१
नियंत्री नल कूप	००६६	००२२	४.१
रहद	००३१	००७५	२.५

स्रोत: दी० यो० मूर्ति 'जिता अलीगढ़, भारत में कूप-सिचाई का तुलनात्मक अध्ययन' प्रापुदिक पत्र
०८० १६.




चित्र 1

यथार्थतम् जल तियंत्रणः सिचाई प्रबन्ध मे नवीन कला है
 (लारसो एवं टूब्रो के सौजन्यस)




चित्र 2

ऐसे जलाशय 'शुष्क झुतु में सिचाई' अग्नि सुरक्षा तथा मन बहलाने
 के लिये उपयोग मे लाये जा सकते हैं।



चित्र 3

A pipeline of the Artashat irrigation system in Armenia
(रूस मे सिचाई के लिए पाइपलाइनों का प्रयोग)



चित्र 4

छिड़काव सिचाई (Sprinkler's Irrigation)

सारणी में स्पष्ट है कि निजी नल-कूरों के फार्मों पर जल के लिए गुणाक अधिकतम है अपि वे प्रति हैवटर जल की अधिकतम मात्रा उपयोग में लाते हैं। इससे पता चलता है कि ल के उच्कृष्ट काल-समर्जन तथा नियन्त्रण व अन्य निविटियों के प्रचुर उपयोग से प्रतिफल । जल के उच्च स्तरीय उपयोग पर भी बनाए रखा जा सकता है। निजी नल-कूप कम मों पर जल प्रदान करते हैं तथा जल-निविट के उच्च स्तर उपयोग के प्रति शस्य अनुष्ठा (कॉप रेसोनिस्वनैस) के आधार पर जल-दरों का उपरिमुखी संशोधन उचित ठहराया जा कर्ता है। इसी प्रकार से सरकारी नल-कूपों द्वारा जल-दरों का थोड़ा-सा उपरिमुखी संशोधन नुचित नहीं होगा। वर्षा, जल आवश्यकता, उपज तथा उपज-मूल्य जैसे कारकों को ध्यान रखकर विभिन्न फसलों के लिए जल-दरों भी भिन्न-भिन्न निर्धारित की जानी चाहिये।

जबलपुर जिले से सम्बन्धित एक अन्य अध्ययन में (श्री वी. पी शुक्ला : एन इकोनो-इकानालिसिस फॉर फार्म रिसोर्स यूज़, १६६७-६८) सिचित परम्परागत फार्मों में सीमांत ट्पाद-आय ६७'६३ रुपये थी जबकि सिचित उन्नत फार्मों में यह १७२७१ रुपये थी। सका यह अर्थ है कि परम्परागत कृषक (ट्रैडीशनल फार्मर्स) प्रति एकड़ जल-सिचाई के लए ६७'६३ रुपये व्यय कर सकते थे। इसी प्रकार प्रगतिशील कृषक १७२'७१ रुपये तक नृषि-सिचाई पर व्यय कर सकते थे। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उन्नत फार्मों से परम्परागत फार्मों की अपेक्षा सिचाई का प्रतिफल ७६ प्रतिशत अधिक है।

नवीन अध्ययनों से पता चलता है कि सिचाई-दरों न तो किसी विशेष प्रणाली की आगतों पर आधारित हैं और न ही उनसे प्राप्त लाभों पर, जिसमें राज्य को भारी हानि हो ही है। साधारणत सिचाई-दर फसल तथा सिचित क्षेत्रफल के अनुमार परिवर्तित होती है। यह प्रयुक्त जल के परिमाण तथा यह कितनी बार सप्लाई किया गया है, को ध्यान में रखकर निर्धारित नहीं की जाती। जल-प्रभार जल मात्रा के आधार पर निर्धारित होना चाहिये। इससे सिचाई-जल का अपव्यय न्यूनतम तथा उपयोग इष्टतम होगा। इसके अतिरिक्त सरकार को काफी आय प्राप्त होगी।

आयोजको ने विद्युत तथा डीजल पम्पों द्वारा सचालित लिफ्ट मिचाई स्टोरों के लिए द्वि भागीय या द्वि अशीय प्रशुल्क (द्वि पार्ट ट्रेसिफ) की सिफारिश की है। द्वि भागीय प्रशुल्क क्षेत्रफल के आधार पर नियत प्रभार तथा उपयोग की मई जल की मात्रा तथा सिचाई की गिनती के आधार पर अतिरिक्त प्रभार दो भाँशों से निर्मित है। इसी प्रकार विद्युत बोर्ड भी वर्तमान प्रशुल्क दरों में वृद्धि पर विचार कर सकते हैं। उस दशा में प्रशुल्क, अश्वशक्ति (हॉसं पावर) के आधार पर नियत प्रभार तथा उपयुक्त ऊर्जा पर अतिरिक्त प्रभार दो भाँशों से निर्मित होगा। इससे नलकूप स्वामियों को साथ वाले कृपको को जल बेचने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा और नल कूपों के विमवों का बेहतर उपयोग हो सकेगा तथा बिना किसी अतिरिक्त सार्वजनिक निवेश के कृषि-उत्पादन में वृद्धि होगी।

अध्याय ४

उर्वरकों का उपयोग

कृषि-उत्पादन में वृद्धि कृषिगत क्षेत्र में विस्तार या भूमि की उत्पादिता में वृद्धि करके अथवा दोनों उपायों को अपना कर ही की जा सकती है। क्योंकि कृषि-हेतु अतिरिक्त प्राप्य क्षेत्र सीमित है, इसलिए अधिक कृषि-उत्पादन संघन तथा बहुफल कृषि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए निविट्यों तथा रोतियों के नवीन मिथ्यण की आवश्यकता होगी।

हम जानते हैं कि प्रत्येक फसल के साथ भूमि की उर्वरता घटती जाती है। फसलें नाईट्रोजन, फासफोरस तथा पोटाश जैसे आवश्यक पोषक तत्व जड़ों द्वारा प्राप्त करती हैं और इस प्रकार भूमि में इन तत्वों की कमी हो जाती है। सारणी ४.१ में भिन्न-भिन्न फसलों के फलस्वरूप भूमि में विभिन्न तत्वों की होने वाली न्यूनता दर्शायी गई है।

सारणी ४.१ विभिन्न फसलों द्वारा भूमि से पादप पोषक पदार्थों का अपनायन (रिमूवल आँक प्लान्ट न्यूट्रीयेट्स कॉम सोइल बाइ डिफरेन्ट ग्रांप्स)

फसल	उपयोग (कि. ग्रा. प्रति हेक्टर)	पोषक तत्वों के अपनायन की मात्रा		
		(नाईट्रोजन (N))	(फासफोरस (P_2O_5))	(पोटाश (K_2O))
चावल	२८००	३७	१३	६
मेहँ	२२४०	३५	२२	११
गमा	६०३१७	८५	६०	१६०
कपास (सिट)	१०४	२७	२०	८७
पटसन	११२०-१६८०	११२-२८०	११२-१२३	१६५-२२४

भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए यह जल्दी ही कि समय समय पर उपरोक्त तत्वों की कमी को पूरा किया जाए। यह कमी अकेले गोबर या कम्पोस्ट खाद से पूरी नहीं की जा सकती। इसके अनेक कारण हैं। खाद की प्राप्ति पशु-संव्यय अथवा जलवायु एवं मृदावस्था पर निर्भर है। खादों के अनेक वैकल्पिक उपयोग हैं। इनमें पोषक तत्वों की प्रतिशतता अति न्यून है और वे धौधों या भूमि की पोषण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। उदाहरणार्थ गोबर जो सबसे बढ़िया खाद मानी जाती है, में नाईट्रोजन की मात्रा ७ प्रतिशत से भी कम है। इसी प्रकार फासफोरस तथा पोटाश की अधिकतम प्रतिशतता कमशः ५ प्रतिशत तथा २ प्रतिशत है। यही कारण है कि रासायनिक उर्वरकों (कैमिकल फर्टिलाइजर) के उपयोग पर अधिक बल दिया जाता है।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि मृदा-उर्वरकों को बनाए रखने के लिए तथा पौधों को पर्याप्त पोषक तत्त्व देने के लिए उर्वरकों का सामयिक अनुप्रयोग ज़हरी है। अतः उर्वरक उपज में द्रूत वृद्धि लाने में बहुत सहायक हैं तथा कृषि-विकास में महत्वपूर्ण योग देते हैं। उर्वरकों की पूति में विस्तार उत्पादन-दर बढ़ाने हेतु नवीन व्यूहरचना का महत्वपूर्ण यथा है। नए बीज, पादप रक्षण-पदार्थ, फार्म मशीनरी तथा वेहतर जल-प्रबन्धन व सिंचाई-सुविधाएं इस व्यूहरचना के अन्य मुख्य घटक हैं। वास्तव में आधुनिक तकनीकी रीतियाँ तथा निविष्टियाँ अपनी कार्य-कुशलता के लिए पादप-पोषक तत्त्वों के विस्तृत उपयोग पर निर्भर हैं। उर्वरकों के संतुलित उपयोग से अन्य निविष्टियों की दक्षता में वृद्धि होती है तथा प्रति हॉक्टर उत्पादन बढ़ता है।

कृषि विकास की प्रक्रिया में उर्वरकों का महत्व इस तथ्य से ज्ञात होता है कि उनके उपयोग की उत्पादन-अनुक्रिया काफी अधिक है। यदि विभिन्न निविष्टियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और सर्वनिष्ठ आवश्यकताएँ तथा मुहूर्ड भूमि-प्रदानन्धन-रीतियाँ व सेवाएँ प्राप्त हो तो प्रत्येक किलोग्राम उर्वरक के उपयोग के फलस्वरूप २८ से ४५ किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न की उपज होगी। इससे सिद्ध होता है कि विकास तथा उर्वरक उपयोग से निकट संबंध है।

उर्वरक के बाल मिचित क्षेत्र में ही उत्पादन को नहीं बढ़ाते बल्कि बारानी क्षेत्रों (ड्राई एरिया : वर्षाधीन क्षेत्रों) में भी कृषि-विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं। जबलपुर (म. प्रदेश), हजारीबाग (बिहार), कोरापुट (उडीसा), मध्यरमंज (उडीसा), अम्बाला (हरियाणा), होश्यारपुर (पंजाब), गया (बिहार), खालियर (म. प्रदेश), धारवार (मैसूर), जयपुर (राजस्थान) जिलों में बारानी क्षेत्रों में चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा पर कृपकों के खेतों पर किए गए साधारण उर्वरक-प्रत्यक्षणों के परिणाम काफी उत्साहजनक रहे हैं। इन बारानी क्षेत्रों में 'सर्वभारत समन्वित शम्भ सबधी प्रयोग योजना' के अधीन किए गए प्रयोगों में उर्वरकों के प्रति विभिन्न फललों की अनुक्रियाओं का अध्ययन किया गया है। देखें चित्र १ इनमें से कुछ एक अनुक्रियाओं को सारणी ४.२ में दिया गया है।

सारणी ४.२ बारानी क्षेत्रों में कृपकों के खेतों पर N, P, K के लिए

फसलों की उपज (१९७१-७२) (कि. ग्रा. प्रति हॉक्टर)

फसल	बारल (बाला) गेहूं (C-३०६) ज्वार (CSH-१) ज्वारM ₃ ५-१ बाजरा (HB-३)	खरीफ		रबी	जप्तपुर
		(धारवार)	(धारवार)		
उर्वरक की मात्रा O	(जबलपुर) १०३६	१३६४	१४१८	१४४६	६६१
N _{५०}	१८८०	२२३०	२६४६	१६१५	१४४४
N _{५०} P _{२५}	२३६५	२६६७	३३७१	२१६७	१६३६
N _{५०} P _{२५} K _{२५}	२५१३	२८४५	३४६२	२२६१	१८५५

चोट : समिप्त वायिक प्रतिवेदन १९७१-७२, अधिस भारतीय समन्वित शस्त्र विज्ञान सम्बन्धी शयोग स्कॉल, बाईं ओं द बार, नई दिल्ली, १९७३।

उपरोक्त प्रयोगों के परिणामों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अनेक क्षेत्रों में विभिन्न फसलों की अनुक्रियाएँ सार्थक हैं और बारानी क्षेत्रों में भी उच्चरक उपयोग की काफ़ी संभावनाएँ हैं।

४.२ उर्वरकों का उपयोग

उर्वरकों का उपयोग किसी भी देश के आर्थिक विकास के स्तर का एक मात्र सर्वोत्तम मूल्यक है। उच्चस्तरीय विकसित देशों में कृषि-उत्पादन का बहुत बड़ा भाग रासायनिक उर्वरकों की देन है। विभिन्न देशों में उर्वरकों का उपयोग-स्वरूप (कन्जम्पशन पट्टन) सारणी ४.३ में दिया गया है।

सारणी ४.३ रासायनिक उर्वरकों का उपयोग (१९७०-७१)

देश	उपयोग कि. प्रति हेक्टर	उर्वरकों का उपयोग अनुपात		
		नाईट्रोजन (N)	फास्फेट (P)	पोटाश (K)
बेल्जियम	३०२	१००	८६	११०
फिल्ड	१७१	१००	१०४	८१
पू. जर्मनी	२४१	१००	८२	१२०
अमरीका	७१	१००	६०	५३
जापान	२३०	१००	७५	७६
ताइवान	२६५	१००	२८	३६
द. कोरिया	२४१	१००	३५	२३
फ़िलिपाईन	२२	१००	५८	३२
मारत	१४.६	१००	३४	१६

सारणी ४.३ से स्पष्ट है कि विकसित देशों की तुलना में मारत में वर्तमान प्रति हेक्टर उर्वरक-उपयोग बहुत ही कम है तथा उर्वरक-उपयोग में बृद्धि को प्रोत्साहन देने की अति सावधकता है। सारणी से यह भी स्पष्ट है कि हमारे देश में N, P तथा K (नाईट्रोजन, फास्फेट तथा पोटाश) का उपयोग बहुत असंतुलित है। फार्म जांचों से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इष्टतम कृषि-उपज प्राप्त करने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग नितात आवश्यक है। भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसलों के उत्पादन के फलस्वरूप मृदा के विभिन्न तत्त्वों में होने वाली कमी को पूरा करना आवश्यक है अर्थात् भूमि की उर्वरता तभी बनाए रखी जा सकती है यदि कम होने वाले सभी पादप-पोषक पदार्थों की पूर्ति की जाए। केवल मात्र एक पदार्थ (जैसे नाईट्रोजन) की कमी को पूरा करना ही काफ़ी नहीं है। पादप पोषक पदार्थों का विलग उपयोग (आइसोलेटेड यूज) फसल एवं मृदा दोनों के लिए हानिकारक है। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उर्वरकों का उचित तथा संतुलित उपयोग होना ज़रूरी है। सारणी ४.१ तथा सारणी ४.२ का अवलोकन करने से यह जात हो जाता है कि हमारे देश में फास्फेट तथा पोटाश उर्वरकों का

उपयोग नाइट्रोजन उर्वरकों की अपेक्षा बहुत ही कम है और उत्पादन-दक्षता में धूँढि के लिए इस असंतुलन को शीघ्रातिशीघ्र दूर करना चाहिये।

पिछले कुछ वर्षों में उर्वरकों का उपयोग इस प्रकार रहा है।

सारणी ४.४ भारत में उर्वरकों का उपयोग

वर्ष	उपयोग (लाख टन)			कुल	फसल	प्रति किलो ग्राम प्रति हैक्टर	उपयोग
	N	P	K				
१९५०-५१	०.५६	०.१४	०.०८	०.८१	१३१६	०.६१	
१९५५-५६	१.३०	०.२२	०.१३	१.६५	१४७३	१.१२	
१९६०-६१	२.१२	०.७०	०.२०	३.०२	१५२७	१.१८	
१९६५-६६	५.४१	१.५६	०.७८	७.७५	१५५३	४.६६	
१९६६-६७	१२.२२	३.८२	१.७०	१७.७४	१५५.४	११.४२	
१९६८-७०	१३.६७	४.३४	१.७४	२०.०५	१५८.०	१२.६६	
१९७०-७१	१५.२९	५.३४	२.५८	२३.२२	१५६.२	१४.६	

शोर : सारणी १०.१० और १०.१२ से संक्षिप्त भारतीय कृषि दमवाएव बारहवाँ सुस्करण

सारणी ४.४ से पता चलता है कि पिछले इकोम वर्षों में (१९५०-५१ तथा १९७०-७१ के बीच) उर्वरकों का उपयोग पच्चीस गुणा बढ़ गया है अर्थात् ८१ हजार टन से २३ लाख टन हो गया। परन्तु १४ किलो ग्राम प्रति हैक्टर का यह वर्तमान उर्वरक उपयोग ससार में न्यूनतम में से है।

समस्या का दूसरा पक्ष यह है कि नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटाश इत्यादि पोषक पदार्थों का घरेलू उत्पादन कुल उपयोग के ५० प्रतिशत से भी कम है और उर्वरक-वितरण तथा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपयों के रासायनिक उर्वरकों का दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। सारणी ४.५ स्वतं स्पष्ट है :

सारणी ४.५ रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन तथा उपयोग (लाख टन में)

वर्ष	उत्पादन				उपयोग	उपयोग का प्रतिशत
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	फुल		
१९६७-६८	३.७	२.०	.०१	५.७१	१६.०५	३६%
१९६८-६९	५.५	२.१	.०२	७.६८	१७.७४	४३%
१९६९-७०	७.२	२.२	.०२	९.४२	२०.०५	४७%
१९७०-७१	६.३	२.३	.०२	११.६२	२३.२२	५०%

शोर सारणी १०.६ संक्षिप्त भारतीय कृषि 'दसवाँ सुस्करण' और चतुर्वें योजना मध्यावधि मूर्यांकन

विभिन्न एजेंटियों तथा अन्वेषकों ने कृषि-उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मावश्यकता पर आधारित (नीड वेस्ट) उर्वरक-उपयोग के सक्षयों को निर्धारित किया है तथा

उर्वरक-उपयोग में द्रुत वृद्धि दर की सिफारिश की है। परन्तु ये अन्वेषण कूपकों की वास्तविक मांग पर अधिक प्रकाश नहीं डालते और न ही इम बात पर प्रकाश डालते हैं कि मांग में चाहिए वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या नीति होनी चाहिये। भारत में उर्वरक-उपयोग के लक्ष्य सारणी ४.६ में दिए गए हैं।

सारणी ४.६ विभिन्न अन्वेषकों द्वारा सुझाये गये उर्वरक-उपयोग की

आवश्यकता पर आधारित लक्ष्य (लाख टनों में)

एजेंसी/अन्वेषक	लक्ष्य का सदर्शन वर्ष	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	कुल
मू. एम. ए. आई. डी (USAID)	१९७०-७१	२६.६	१३.४	६.७	४७.०
होल्स्ट (Holt)	१९७१ (उच्च)	२५.०	११०	६०	४२.०
	(निम्न)	१६.६	८.८	४.३	३२.७
उर्वरक समिति	१९७०-७१	२४.०	१०.०	७.७	४१.७
ब्राज़िल	१९७०-७१	२०.८	१०.३	—	३१.१*
सादृ एवं हृषि मन्त्रालय	१९७३-७४	३७.३	१७.४	१११	६५८
फटिलाइज़र एसोसिएशन (भारत)	१९७३-७४	३८.०	१६.०	६.०	६६.०
मू. एम. ए. आई. डी	१९७५-७६	४३.७	२१.८	१०.६	७६.४
होल्स्ट	१९७६	३८.८	१६.६	६.७	६८.१
ब्राज़िल	१९७५-७६	४४.३	२२.२	—	६६.५*
	(उच्च)				
	(निम्न)	२६.१	१४.६	—	४३.७

* उर्वरकों के लिए प्रशारी मात्र

यद्यपि विभिन्न एजेंसियों तथा अन्वेषकों द्वारा सुझाये गये लक्ष्य मिथ्य-मिथ्य हैं, परन्तु हमारे विलेपण से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि पिछले कुछ वर्षों में कूपक उर्वरकों का उपयोग करने में हिचकिचाता रहा है। यहाँ तक कि अनेक क्षेत्रों में कूपक अधिक पैदावार वाली किसी (जिनकी उर्वरक के अधिक उपयोग के प्रति अनुकिया बहुत अधिक होती है) के लिए भी सिफारिश की गई मात्रा से कम उर्वरक उपयोग में लाते रहे हैं। उर्वरकों के आपात के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में पूर्ण मांग से अधिक रही है। कम उपयोग के कारण कुछ पदार्थों का स्टाक इकट्ठा होता रहा है और अनेक स्थानों पर उर्वरकों की बहुलता रही है। यह स्थिति चिन्ताजनक है और अधिक देर तक नहीं रहनी चाहिये।

सारणी ४.७ में नाईट्रोजन उर्वरकों के जमा माल (वैक लोग) का भण्डार दर्शाया गया है।

स्पष्ट है कि कूपकों की उर्वरकों की प्रभावी मांग केवल पूर्ति से ही कम नहीं रही अपितु न्यूनतम लक्ष्यों से भी कम रही है। इस असफलता के अनेक कारण हैं। आरण-सुविधाओं का अभाव, अनुपयुक्त वितरण-प्रबन्ध, सहकारी क्षेत्रक की कमज़ोरी तथा ऊँची सांगत-उर्वरकों की प्रभावी मांग की उत्पत्ति के सहमत कारक (इनहीं विर्टिंग फैब्रिट्स) हैं।

सारणी ४.७ नाईट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन, आयात तथा उपभोग
(लाख टनों में)

वर्ष	उत्पादन	आयात	कूलदूर्ति	उपभोग	बचा भाल	कुल जमा भाल
१९६०-६१	१.१	१.७	२.८	२.१	+०.७	०.७
१९६१-६२	१.५	१.४	२.६	२.१	+०.८	१.५
१९६२-६३	१.८	२.५	४.३	२.४	+१.६	३.४
१९६३-६४	२.२	२.३	४.५	३.१	+१.४	४.८
१९६४-६५	२.४	२.१	४.५	४.०	+०.५	५.३
१९६५-६६	२.३	३.१	५.४	५.४	-०	५.३
१९६६-६७	३.१	६.०	६.१	८.६	+०.५	५.८
१९६७-६८	३.७	८.७	१२.४	१०.७	+१.७	७.५
१९६८-६९	५.५	८.४	१३.६	१२.२	+१.७	६.२
१९६९-७०	७.२	६.७	१३.६	१४.०	-०.१	६.१

स्रोत सारणी १०.८, माह १०.६ तथा साठ १०.१० संक्षिप्त भारतीय कृषि १० वाँ संस्करण

इन्हे जलदी से जलदी ठीक किया जाना चाहिये। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि-संवृद्धि तथा आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए निविटि-अनुप्रयोग को बढ़ाना अत्यधिक है। उर्वरक-अनुप्रयोग को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयाम होना चाहिये। यह तभी सम्भव है यदि कृषक की उर्वरकों के लिए मांग में सतत वृद्धि हो।

४.३ उर्वरक उपयोग अर्थशास्त्र

कृषक की उर्वरकों की मांग उसके इस निर्णय पर आधारित होती है कि वह उर्वरक उपयोग करे तथा कितना उर्वरक उपयोग करे? कृषक उर्वरक का अनुप्रयोग तभी करेगा जब वह वह महसूस करे कि ऐसा करना लाभकारी होगा। संखेप में उसकी मांग उर्वरक उपयोग से प्राप्त निवल प्रतिफल द्वारा निर्धारित होगी। यदि प्रतिफल काफी तथा निश्चित होगे तो वह उर्वरक उपयोग करने का निर्णय लेगा और इसके लिए प्रभावी माग उत्पन्न करेगा। जितना अधिक प्रतिफल होगा, उतनी ही अधिक उर्वरक की अनुप्रयोग-दर भी होगी।

उर्वरक-उपयोग का प्रतिफल उर्वरक की भौतिक उत्पादिता (अर्थात् उर्वरक उत्पादन फलन) तथा फसल-कीमत व उर्वरक-लागत के बीच सम्बन्ध (अर्थात् निविटि-उत्पत्ति कीमत अनुपात) द्वारा निर्धारित होता है। उत्पादन-फलन (अथवा उर्वरक उपयोग के प्रति फसल की उपज अनुक्रिया) फलन-उर्वरक उत्पादन-अनुपात में व्यक्त किया जाता है। उर्वरक-उपयोग से लाभ तथा उसकी अनुप्रयोग-दर फसल-उर्वरक उत्पादन-अनुपात तथा फसल-उर्वरक कीमत-अनुपात द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः कृषक के प्रतिफल निम्न बातों पर निर्भर हैं।

- (१) उर्वरक उत्पादन फलन अर्थात् उर्वरक-उपयोग के प्रति फसल की उपज अनुक्रिया (योल्ड ऐमपोन्म ग्रांफ क्रॉप टू फर्टिलाइजर यूज) ।
- (२) फसल की कीमत ।
- (३) उर्वरक की लागत ।

सारणी ४८ में नाईट्रोजन की विभिन्न मात्राओं के उपयोग के फलस्वरूप चावल की औसत अनुक्रिया दी गई है ।

सारणी ४८ नाईट्रोजन की विभिन्न मात्राओं के लिए रबी की २७ किसरों की औसत अनुक्रिया (वेन्द्रीय चावल-अनुसधान-संस्थान, कटक १६६६)

नाईट्रोजन मात्रा किंवद्दन प्रति हैक्टर	नाईट्रोजन के विवा उपज	N अनुप्रयोग पर ओमत उपज	N के प्रति अनुक्रिया	फसल-उर्वरक- उत्पादन-अनुपात
०	२५६८	—	—	—
५०	२५६८	४८६१	२२६३	४५.६
१००	२५६८	६०६५	३५२७	३५.३
१५०	२५६८	६७७८	४२१०	२८.१
२००	२५६८	६६१५	४०४७	२०.२
औसत	२५६८	५३८३	२८१५	२८.२

धौत ढा० ज० एस० कनवर 'रिलेशनशिप आफ एथीस्टचरल सिस्टम्स दु इकोनोमिकल औन्ह इन इण्डिया ।'

उर्वरक पर प्रति रुपया निवेश प्रतिफल उर्वरक के अनुप्रयोग से प्राप्त अतिरिक्त उपज के मूल्य (अर्थात् उर्वरक उपयोग से प्राप्त कुल लाभ) को अनुप्रयुक्त उर्वरक की लागत द्वारा विभाजित करके परिकलित किया जा सकता है ।

$$\text{प्रति रुपया निवेश प्रतिफल} = \frac{\text{उर्वरक उपयोग ने प्राप्त कुल लाभ}}{\text{उर्वरक की लागत}}$$

$$= \frac{\text{उर्वरक से अतिरिक्त उपज} \times \text{फसल की कीमत}}{\text{उर्वरक की मात्रा} \times \text{उर्वरक की कीमत}}$$

$$= \frac{Y_f \times C_p}{F_d \times f_p}$$

$$= \frac{Y_f}{F_d} \div \frac{f_p}{C_p}$$

$$= \frac{\text{उर्वरक से अतिरिक्त उपज}}{\text{उर्वरक की मात्रा}} \div \frac{\text{उर्वरक की कीमत}}{\text{फसल की कीमत}}$$

$$= \frac{\text{फसल-उर्वरक उत्पादन अनुपात}}{\text{उर्वरक-फसल कीमत अनुपात}}$$

उर्वरक उपयोग के अर्थशास्त्र को सारणी ४६ से भलीभांति समझा जा सकता है ।

सारणी ४४ अधिक पैदावार वाली गेहूँ की किस्मों पर उर्वरक उपयोग प्रतिफल

राज्य	उर्वरक मात्रा (N) कि० ग्रा० प्रति हैक्टर	बौखल फसल-उर्वरक उत्पादन अनुपात	ओमत उर्वरक-फसल कीमत अनुपात	प्रति रुपया निवेश प्रतिफल (उर्वरक बौखल मात्रा पर)
उत्तर प्रदेश	५६.०६	२२.३०:१	६.४६:१	६.३८
पंजाब	४२.१४	२४.६६:१	४.०४:१	६.०६
मध्य प्रदेश	—	१८.६७:१	४.४०:१	४.३१
बिहार	२५.१२	८.६४:१	३.१६:१	२.८२

धोत श्यामल राव 'कटिलाइजर बिल्केशन बॉन एच वाइ वी' (इ पी डब्ल्यू दिसम्बर २६, १९७०) पी इ ओ अध्ययन पर आधारित (१९६८-६९)

सारणी ४५ से स्पष्ट है कि उर्वरकों पर प्रति रुपया निवेश प्रतिफल केवल फसल-उर्वरक-उत्पादन-अनुपात द्वारा ही प्रभावित नहीं होता बल्कि उर्वरक-फसल कीमत-अनुपात पर भी निर्भर है। उदाहरण्यतः उत्तर प्रदेश में पंजाब की अपेक्षा उपज-अनुक्रिया कम है परन्तु उर्वरक पर प्रति रुपया निवेश-प्रतिफल उत्तर प्रदेश में पंजाब से अधिक है व्योकि उत्तर प्रदेश में कीमत-अनुपात पंजाब की अपेक्षा अधिक अनुकूल है। अतः अनुकूल कीमत-अनुपात तथा अधिक उपज-अनुक्रिया (हायर योल्ड रेसोप) दोनों के कारण ही अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा और कृषकों को उर्वरक की अधिक मात्रा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अतः उर्वरक-अनुप्रयोग की दर में बूढ़ि करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक हैं—

- (१) उर्वरक-फसल कीमत अनुपात को कम किया जाय
- (२) फसल-उर्वरक उत्पादन अनुपात को बढ़ाया जाए
- (३) उर्वरक दोनों छर्ते पूरी की जाए।

उर्वरक-फसल कीमत अनुपात को कम करने के लिए या तो उर्वरक की कीमत कम करनी पड़ेगी या फसल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। उर्वरक की प्रति इकाई लागत इसकी पूर्ति को बढ़ाकर घटाई जा सकती है। इसके लिए उर्वरक-उत्पादन में पर्याप्त बूढ़ि करनी पड़ेगी, बड़े पैमाने की किफायती का साम उठाना होगा तथा बेहतर वितरण-मुक्तिधार्थी का प्रबन्ध करना पड़ेगा। सरकार आर्थिक सहायता तथा अनुदान दे कर उर्वरकों को कम कीमत पर विकास सकती है और इम प्रकार कृषकों को उर्वरक रियायती कीमतों पर प्राप्त हो सकेगा। परन्तु इस नीति से उर्वरक-उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त इस नीति में सरकारी खजाने पर आनावश्यक तथा हानिकारक बोक पड़ेगा। इसलिए समस्या का समाधान घेरेलू पूर्ति को बढ़ाने में ही निहित है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस क्षेत्र में सरकारी नीतियाँ उत्पादन-अभिविन्यस्त (प्रोडक्शन ऑर्टिएन्टेट) होनी चाहिये तथा आधिक विकास के महत्वपूर्ण कार्य में निजी क्षेत्रके सहयोग को पूरा साम उठाना चाहिये। निजी क्षेत्रकी उपेक्षा उस दिशा में उचित नहीं ठहराई जा सकती, जब सरकारी क्षेत्रक आवश्यक उत्पादन करने में सक्षम न हो। निजी क्षेत्रको यह शिकायत है “कि सरकारी नीति प्रति-उत्पादन आधारित है तथा निजी क्षेत्रके और उन कारखानों

को भी जो उर्वरक उत्पादन में काफी दश सिद्ध हुए हैं, विस्तार करने की स्वीकृति नहीं दी जा रही।”

यह बात ध्यान रखने योग्य है कि कृपक कृपि में अतिरिक्त निवेश करने के लिए उर्वरक नहीं होगा जबतक उसे यह विश्वास न हो कि इस निवेश के फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त कृपि-उत्पादन में उसे उचित आय प्राप्त हो सकेगी। अधिक उत्पादन से कीमतें कम होने की सम्भावना होती है। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए जरूरी है कि काफी देर पहले फसलों की उचित समाहार-कीमतें (प्रोक्षोरमैन्ट प्राइसेज) नियत कर दी जावें। इसके लिए दक्ष-क्य व्यवस्था तथा समाहृत उत्पादन के निकास-संगठन की आवश्यकता होगी।

उर्वरकों की दक्षता अर्थात् उर्वरकों की उपज-अनुक्रिया, बीज की किस्म, मौसम, कृपि तथा शस्य सम्बन्धी रीतियों, पादप-घनत्व, जल-प्रवान्धन तथा अन्य विशिष्ट कारकों द्वारा प्रभावित होती है। इसीलिए अनुसन्धान तथा शिक्षा का बहुत महत्व है। थेव-प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि यदि नेहैं पर नाइट्रोजन के कुछ भाग का पर्ण-उर्वरण किया जाए, तो अधिक लाभकारी होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कमबद्ध अनुसन्धान (सिस्टे-मेटिक रिसर्च) उत्पादन की सम्भावनाओं में उन्नति लाता है। फलत-उर्वरक उत्पादन-अनुपात को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों के उपयुक्त (या अनुरूप) उन्नत बीजों की नई किस्मों का विकास करना पड़ेगा तथा विस्तृत अनुसन्धान पर आधारित नवीन विधियों तथा रीतियों को अपनाना पड़ेगा। तभी उर्वसामान सासाधनों की उत्पादिता में बृद्धि की जा सकेगी। इस उद्देश्य हेतु प्रयोग तथा अनुसन्धान केन्द्रों का देश में जाल बिध्याना पड़ेगा।

प्रत्येक कृपक किसी विशेष ममत पर प्रचलित तकनीकी एवं कीमत सम्बन्धी परिस्थितियों के अन्तर्गत हुए उर्वरक अनुप्रयोग से अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करना चाहेगा। इसके लिए इष्टतम दर पर उर्वरण की आवश्यकता होगी। सिद्धातत उर्वरक-उपयोग का प्रतिफल अधिकतम होगा यदि इसका सीमात उत्पादन इसकी लागत के बराबर हो। अत उर्वरण की इष्टतम दर वह दर है जिससे उर्वरक की अन्तिम इकाई का प्रतिफल उसकी लागत के बराबर होता है। यदि उपज अनुक्रिया का मूल्य, फसल की कीमत तथा उर्वरक की लागत ज्ञात हों, तो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कृपक उर्वरक की इष्टतम मात्रा की (अर्थात् संतुलन स्तर पर) मांग करेगा। ये इष्टतम मात्राएं कृपक-कामों तथा अनुसन्धान-केन्द्रों पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों के द्विघाती अनुक्रियाकलनों (समीकरणों) तथा उपादान-उत्पाद कीमत सम्बन्धों (फैक्टर प्रोडक्ट प्राइस रिलेशनशिप) पर आधारित होते हैं। अत् विभिन्न अनुक्रिया-समीकरणों व विभिन्न उपादान-उत्पाद कीमत-सम्बन्धों के लिए इष्टतम दरे भी भिन्न-भिन्न होती हैं। यहीं कारण है कि विभिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न मात्राओं की सिफारिश की गई है अनुभविक प्रयोगों में यह पता चलता है कि उन्नत किस्मों की स्थिति में भी वास्तविक अनुप्रयोग सिफारिश की गई या इष्टतम मात्रा से बहुत कम रहा है। कई राज्यों में यह उपयोग एक-तिहाई से भी कम रहा है।

सारणी ४.१० गेट्रे उत्पन्न करने वाले राज्यों में उर्वरक उपयोग

राज्य	नाईट्रोजन की इष्टतम मात्रा (डोज) कि. ३० प्रति हेक्टर	वास्तविक N अनुप्रयोग कि. ३०/हेक्टर
उत्तर प्रदेश	१३५	५६
पंजाब	१२७	४२
भृथ क्रैंश	१४३	उपलब्ध नहीं
बिहार	६१	२५

चोत कटिनाईजर अग्निकेशन आॅन एन वाइ बी. (इ.पी.डब्ल्यू. दिसन्बर, २६, १९७०)

उर्वरकों की इष्टतम तथा उपयोग दरों में अन्तर के कारणों का हम अगले परिच्छेद में अध्ययन करेंगे।

४.४ कृपक की प्रभावी माँग

उर्वरक उपयोग की इष्टतम दरों उपज-अनुक्रिया, फसल-कीमत तथा उर्वरक की लागत के परिणाम अनुमानों के आधार पर निकाली जाती है। परन्तु उर्वरक-अनुप्रयोग के समय, चाहे ऐसा सूल खाद देने के लिए किया जाए (वेमल ड्रूमिंग) अथवा फसल में खाद विलेने (टोप ड्रूमिंग) के लिए किया जाए, कृपक को क्रन्तु तथा बाजार की अनिश्चितताओं के कारण उपज-अनुक्रिया या फसल की कीमत का निश्चित रूप से ज्ञान नहीं हो सकता। उस समय वह केवल उर्वरक की लागत ही जानता है। यह उसकी प्रभावी माँग उसके द्वारा प्रत्याशित उपज अनुक्रिया तथा फसल की प्रत्याशित कीमत पर आधारित होगी। यदि कृपक का उपज-अनुक्रिया के बारे में व्यक्तिगत अनुमान कम होगा या फसल का अपेक्षित मूल्य उचित नहीं होगा, तो उर्वरक की माँग भी कम होगी।

एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के आरम्भिक चरणों में प्रभावी माँग इष्टतम दरों में बहुत ही कम होगी क्योंकि केवल अत्यधिक माहसी तथा उद्यमी कृपक ही उर्वरकों का अनुप्रयोग करेंगे। नदनन्मर जब दूसरे कृपकों को भी उर्वरकों के अनुप्रयोग के लाभों का ज्ञान हो जाएगा तो प्रभावी माँग की सतुलन स्तर की ओर बढ़ि होने में प्रवृत्ति होगी। आरम्भ में प्रभावी माँग तेजी से दृढ़गी और बाद में धीरे-धीरे। इस उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि कृपकों के खेतों तथा अनुसंधान-केन्द्रों पर बड़े पैमाने पर (व्यापक) प्रयोगों तथा निर्दर्शनों का प्रबन्ध किया जाए। कृपकों को उर्वरक उपयोग में उचित शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता है। उर्वरक-मवर्तन कार्यक्रम समग्र हृषि विकास कार्यक्रम का मूल्य घटक होना चाहिये। मिचाई तथा उन्नत बीज जैसी पूर्ण निविटियाँ श्रतिकल को बढ़ाती हैं और इस प्रकार अधिक उर्वरक-उपयोग करने के लिए कृपकों को प्रेरणा देती हैं।

४.५ उर्वरक-उपयोग की अल्प-दर के कारण

उपरोक्त विश्लेषण से उर्वरक के अनुप्रयोग की इष्टतम तथा प्रेक्षित मात्राओं में विसंगति

के कारण स्पष्ट हो जाते हैं। उर्वरक उपयोग की अल्प-दर का निम्न में से कोई भी कारण ही मक्ता है।

- (१) कृषक द्वारा सफल उर्वरक-उत्पादन-फलनो वा न्यून व्यक्तिनिष्ठ अनुमान उर्वरक उपयोग की दर की कमी का कारण होता है।
- (२) यदि कृषकों द्वारा उत्पादित फसलों पर उर्वरक-प्रतिप्रयोग की अनुचित्या हल्की होगी तो भी वे उर्वरकों का उपयोग नहीं करेंगे।
- (३) कम सीमात प्रतिफल भी उर्वरक के उपयोग की अल्प-दर के लिए जिम्मेदार है।
- (४) पूनि में कमी, अनुपयुक्त वितरण अथवा वित्त तथा उधार के अभाव के कारण उर्वरकों की आप्राप्ति उनके इष्टतम दर पर अनुप्रयोग में कठिनाइयाँ सही करती हैं।
- (५) दोपपूर्ण कृषि-व्यवस्था (जैसे प्रतिकूल पट्टे की शर्तें) उर्वरकों में निवेश में सहायक नहीं होती।
- (६) इसी प्रकार यदि कृषकों को उर्वरक के उपयोग के लिए आवश्यक उचित मात्रा या अनुपात का पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा तो भी पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे। कई बार बहुत अधिक मात्रा में उपयोग लाभ की अपेक्षा हानिकारक सिद्ध हो मक्ता है।

उर्वरक अनुप्रयोग की दर को बढ़ाने के लिए उपरोक्त दोषों को दूर करना होगा। इसके लिए बड़े सरचनात्मक परिवर्तन करने होगे तथा उपयुक्त शस्य-स्वरूप अपनाने पड़ेंगे।

यह बात ध्यान रखने योग्य है कि उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि सतुरित पोषक तत्वों का इष्टतम दरों पर उपयोग किया जाए। भूमि पर उर्वरक-प्रतिप्रयोग को उपयुक्त मात्रा का अनुमान लगाने के लिए मृदा में उपसब्ध तत्वों के विभिन्न परिमाणों को ध्यान में रखना होगा। इसके लिए मृदा नमूनों (सौइल सेमिप्लस) की जांच करनी पड़ेगी। मृदा नमूनों का परीक्षण सतुरन के पुनःस्थापन हेतु विभिन्न उर्वरकों के उचित परिमाणों का अनुमान लगाने के लिए आवश्यक है। मृदा-परीक्षण-प्रयोगशालाएँ उपलब्ध रासायनिक उर्वरकों के आर्थिक तथा दक्ष उपयोग में महत्वपूर्ण योग दे सकती हैं। भारत में मृदा-परीक्षण-प्रयोगशालाएँ प्रति वर्ष ७ लाख नमूनों की जांच कर सकती हैं।

४.६ सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का उपयोग

उर्वरकों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग इस दिशा में नवीन तकनीकी परिवर्तन है। अनेक क्षेत्रों में जस्ता (जिक), मैग्नीज, लोहा, मौलिडेनम तथा बोरन जैसे सूक्ष्म तत्त्वों (माइनर एलीमेट) की कमी ने व्यापक समस्या का रूप धारण कर लिया है। कुछ क्षेत्रों में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का उपयोग उपज को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। भारत में कुछ केन्द्रों पर चाँचल, मेहूँ तथा ज्वार पर किए गए प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि उनकी सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के प्रति अनुक्रिया पर्याप्त है क्योंकि कई परिस्थितियों में ये तत्त्व मूलि की उर्वरता को काफी बढ़ाते हैं। कई मॉडल केन्द्रों पर इन सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के अनुप्रयोग से प्राप्त अतिरिक्त उपज ३२०० कि० ग्राम प्रति हैक्टर तक पहुँचा है। निकट

भविष्य में निविटि के रूप में सूक्ष्म तत्त्वों का महत्व सारणी ४११ तथा सारणी ४१२ में स्पष्ट है।

सारणी ४११ चावल पर जस्त अनुप्रयोग का प्रभाव (उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र)
(क्षेत्र प्रयोग—१६७०)

अधिकारी (जिक सलेट)	पौध ऊचाई (से. मी.)	प्रति पिलक (पाम)	उपज प्रति हैक्टर	
			प्रति विडिलक भार	अनाज भूमा
नियतगा	७३.१	३६१	४२.३	१०२.०
२५ कि. ग्रा. पर्णि छिडकाव दम.७	४८ द	६१०	१०१.४	
२५ " " मृदा-अनुप्रयोग ६३.६	४८ द	६३४	१११.५	
५० " " " ६७.०	५३२	६४४	१११.६	
१०० " " " ६१.१	५४.०	६८.५	१२१.३	
२०० " " " ६६.०	५४२	७४.८	१२२.२	
१५० " " नस्ती मे ६६.८	४१.१	६१२	११६.५	

उत्तर प्रदेश पात्त नगर कुपि विश्वविद्यालय में किये गये शोध पर आधारित, १६७०

सारणी ४११ से स्पष्ट है कि जस्त अनुप्रयोग की चाहे कोई सी भी विधि अपनाई जावे (पर्णि-छिडकाव, मृदा-अनुप्रयोग अथवा नस्ती मे) , पौध ऊचाई, प्रति पिलक पौधों का भार तथा अनाज की प्रति हैक्टर उपज से बढ़ दी होती है। मृदा मे अनुप्रयुक्त जस्त सलेट पर्णि-छिडकाव की तुलना मे बेहतर है क्योंकि प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि मृदा-अनुप्रयोग के फलस्वरूप अनाज तथा भूसा की उपज प्रेपेक्षाकृत अधिक होती है।

सर्वभारत समन्वित शस्य सबधी प्रयोग योजना (आल इन्डिया कोऑर्डिनेटेड एपोनोमिक एक्सपरीमेंट स्कीम) के अधीन १६६६-७० में १६ केन्द्रों मे गेहूं पर सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का अनुप्रयोग किया गया। अधिकतर अनुक्रियाएं अनुकूल थी। परिणाम सारणी ४१२ मे दिए गए हैं। सारणी स्वतः स्पष्ट है।

सारणी ४१२ मैगेनीज तथा जस्त के प्रति गेहूं की अनुक्रिया
(कि या प्रति हैक्टर) (१६६६-७० रबी)

केन्द्र	नियन्त्रणउपज	प्राप्त उपज			उपज अनुक्रिया		
		NPK	NPK+Mn	NPK+Zn	NPK	Mn	Zn
बाराणसी	१३६८	२६४३	३१६१	३१३७	१२७५	५१८	४६४
कायुलिया फार्म	२५६८	५११२	६५४३	६३६२	२५४४	१४३१	१२५०
पोवार सेडा	१४००	३६०८	४३०८	४१५८	२५०८	४००	३५०
तालाब टिल्लू	३२२५	५७७८	६१३७	६६८७	२५५३	३५६	६०६

स्वीत समित वार्षिक प्रतिवेदन १६६६-७० नहीं दिल्ली

सूक्ष्म तत्त्वों की न्यूनता वाले क्षेत्रों में, सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के अनुप्रयोग से महका तथा ज्वार की प्रति हैंकटर उपज में भी वृद्धि की जा सकती है परन्तु बाजरा तथा मूँगफली की फसलों के लिए इनका अनुप्रयोग अनुरूप निष्ठा नहीं हुआ।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए जहाँ नाईट्रोजन, फास्केट तथा पोटाश इत्यादि उर्वरकों का उपयोग आवश्यक है वहाँ जस्त, मैग्नीज, बोरन तथा जिप्सम जैसे सूक्ष्म तत्त्वों का उपयोग भी कम महत्वपूर्ण नहीं।

४७ उर्वरक उत्पादन की संभावनाएँ

सारणी ४४ तथा ४५ में भली-माति स्पष्ट हो जाता है कि देश में उर्वरकों और अन्य रसायनों की मारी कमी है। हमारा वर्तमान उत्पादन हमारी आवश्यकताओं के लिए सर्वथा अपर्याप्त है। पिछले २० वर्षों से देश में नाईट्रोजन और फास्केट दोनों प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन किया जा रहा है। स्वतन्त्रता के फौरन बाद सार्वजनिक क्षेत्र में सिन्दरी का उर्वरक कारबाना खड़ा किया गया था। परन्तु बाद में हमारे स्वावलम्बन के प्रयत्न द्वारा पड़ गए और उर्वरकों के उत्पादन को बाढ़ित प्राथमिकता नहीं मिली। माज स्थिति यह है कि देश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध नहीं हैं। चीरी पचवर्षीय योजना के प्रारूप में योजना के अन्त में रासायनिक सादों की अनुमानित मात्रा इम प्रकार रखी गई थी : नाईट्रोजन ३७ लाख मीट्रिक टन, फास्केटी १८ लाख मीट्रिक टन और पोटाशी ११ लाख मीट्रिक टन अर्थात् कुल ६६ लाख टन। जैसे कि सारणी ४५ से जात होता है १६७३-७४ के लिए आवश्यकता के आधार पर उर्वरक-उपयोग का ६६ लाख टन का लक्ष्य सुभाया गया था। योजना को अन्तिम रूप देते समय इन अनुमानों को संशोधित कर दिया गया तथा योजना में ३२ लाख टन नाईट्रोजनी, १४ लाख टन फास्केटी और ६ लाख टन पोटाशी उर्वरक की खपत का लक्ष्य रखा गया। योजना में आवश्यकता को पूरा करने के लिए सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में उत्पादन-क्षमता के निर्माण की भी व्यवस्था करदी गई है परन्तु वर्तमान अनुमान के अनुसार १६७३-७४ के अन्त तक केवल १६ लाख टन नाईट्रोजनी तथा ५ लाख ५० हजार टन फास्केटी उर्वरक के उत्पादन की समावना है जो कुल क्षमता के आधे से भी कम है। अत यह आवश्यक है कि देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्तमान कारबानों की उत्पादन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए कदम उठाए जाएं तथा नए कारबानों की स्थापना की जाए। उर्वरक-सघनों द्वी क्षमता से कम उत्पादन के मुख्य कारण ये हैं : (क) कच्चे माल अर्थात् जिप्सम और गैस का अभाव (ख) यत्नों की खराबी (ग) श्रम-विवाद (घ) विजली की कमी आदि। निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन होने के कारण देश को प्रति वर्ष लगभग १०० करोड़ रुपये से भी ऊपर के उर्वरक बाहर से मायात करने पड़ रहे हैं।

पांचवीं योजना के ट्रिटिकोण-पत्र के अनुसार १६७३-७६ में नाईट्रोजन के प्रस्तावित उत्पादन का अनुमान ३६ लाख मीट्रिक टन और फास्केटी उर्वरक का उत्पादन अनुमान ११ लाख ७५ हजार मीट्रिक टन है अर्थात् १६७३-७६ में उर्वरकों का उत्पादन १६७३-७४ की अपेक्षा द्वाई गुना हो जाएगा। पांचवीं योजना के ये अनुमान सभवतः पिछले वर्षों में उर्वरकों

के न्यून उपभोग को ध्यान में रख कर निर्धारित किये गये हैं। वैसे भी ऐसा दिखाई देता है कि सारणी ४.५ में सुझाये गये कुछ लक्ष्यों को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है। परन्तु एक बात साफ़ है कि हमारा उत्पादन बहुत ही कम है और हमारे कृपक भी उर्वरकों का उपयुक्त मात्रा में उपभोग नहीं कर रहे हैं, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। कुछ भी हो उर्वरक संयंत्रों का विस्तार समय की माँग है।

भारत के उर्वरक सघ के अनुमानों के अनुसार १९७८-७९ तक उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हमें देश में १५ लाख टन नाइट्रोजन फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन करना होगा। इसके लिए हमें इस उद्योग में १७०० करोड़ रुपये की पूँजी लगानी होगी जिसमें से ६०० करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा में होंगे। अन्यथा हमें प्रति वर्ष ३०० करोड़ रुपये के उर्वरक आपात करने होंगे।

अभी हाल में ही कुछ उर्वरक योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। जापान की तोयो इन्जीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने इन्जीनियरिंग इन्डिया लिमिटेड के सहयोग से भारत में पांच उर्वरक कारखाने लगाने की पेशकश की है। आशा है इस संबंध में जापान से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इन कारखानों में चार सार्वजनिक क्षेत्र में तथा एक निजी क्षेत्र में होगा।

अध्याय ५

उन्नत तथा अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग

५.१ परिचय

ग्रल्पविकसित देशों में भूमि एक दुलंभ उपादान है जबकि थ्रम का वहाँ बाहुल्य है। ऐसी दशा में कृषि प्रौद्योगिकी (एग्रीकल्चरल टैक्नॉलॉजी), कृषि-उत्पादन की प्रमुख निविष्टि बन जाती है और विज्ञान तथा टैक्नॉलॉजी, विकास में स्थायी एवं सतत वृद्धि बनाए रखने के महत्वपूर्ण यन्त्र समझे जाने लगते हैं। अतः ऐसी परिस्थितियों में कृषि तथा ग्राम अर्थव्यवस्था का वैज्ञानिक रूपांतरण मुहूर्तः उन निविष्टियों के उपयोग सधा विकास पर निर्भर होगा जिनकी उपज-समर्थता (यील्ड पोटेंशियल) बहुत अधिक है। इसके लिए कृषि के क्षेत्र में विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है।

अभी हाल ही में कृषि के क्षेत्र में जो मुख्य परिवर्तन घटित हुआ है और जिसका उद्देश्य कृषि-उत्पादिता में द्रुत प्रस्फोट प्राप्त करना है, वह नव विकसित अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग तथा मक्का व ज्वार-चाजरा की संकरण तकनीक का श्रीगणेश है। पिछले वर्षों में विभिन्न फसलों के कई प्रकार के 'अधिक उपज देने वाले बीज' उपयोग में लाए जाने लगे हैं जैसे धान में TN१, IR8, पदमा, जया, तथा हंसा, गेहू में PV१८ सोनोरा ६४, RR२१, WI३३४, WI ३६४, ज्वार में CSH-१, १CSH-२, सकर मक्का में गंगा सकेद, हिमालय B १२३, बाजरा में HB१, PHB१ आदि-ग्रादि।

इन किस्मों ने, अपनी अत्यधिक अनुकूलनशीलता, उच्च उपज-समर्थता, उर्वरण के प्रति अनुकूल अनुक्रिया, प्रकाश-अग्राहिता व अस्वेदिता (फोटो इनसेसिविटी), बोनी पौध ऊँचाई, दृढ़ भूसे तथा टिके रहने की विशेषता के कारण, फसलों की उपज बढ़ाने की नवीन संभावनाओं को जन्म दिया है। उत्पादन टैक्नॉलॉजी के अन्य घटकों (जैसे उर्वरक तथा कीटनाशी पदार्थों का उपयोग, सुनियन्त्रित जल-प्रबन्धन, भू-तैयारी, बेहतर धारपात नियन्त्रण व अन्य नवीन रीतियों) की संगति में ये किस्में देश को निकट भविष्य में ही अन्न-पूर्ति में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती हैं।

समन्वित शस्य सबंधी कार्यक्रम (कोम्पॉडीनेटेड एग्रोनोमिक स्कीम) के अधीन किये गये प्रयोगों से यह प्रमाणित हो चुका है कि नवीन अधिक उपज देने वाली फसलें माध्यरण स्थानीय किस्मों की अपेक्षा अधिक उत्पादक हैं। इन प्रयोगों में दोनों प्रकार की किस्मों में एक समान शस्य सबंधी उपादानों का उपयोग किया गया था। विभिन्न ज़िलों में विभिन्न फसलों पर किये गये प्रयोगों के परिणाम सारणी ५.१ में दिए गए हैं:

उन्नत तथा अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग

(विवरण प्रति हेस्टर)

सारणी ५.१ (क) से दो बातें स्पष्ट हैं। प्रथम यह कि स्थानीय किस्मों की ओसत उपज सामान्यतः अधिक उपज देने वाली किस्मो से कम है। कई अवस्थाओं में दूसरे प्रकार के शीजों से प्राप्त फसल पहली किस्मो की अपेक्षा टेंड गुना से भी अधिक है। दूसरी बात यह है कि दोनों किस्मों में जब उर्वरक का उपयोग नहीं किया गया था तो अंतर बहुत अधिक नहीं था परन्तु उर्वरकों की आवश्यक मात्राओं के उपयोग करने के बाद अन्तर काफी अधिक हो गया। सारणी ५.१ (ख) स्वतः स्पष्ट है।

सारणी ५.१ (ख) स्थानीय तथा अधिक पौदावार वाली किस्मों की उपज में अन्तर

(निवटल प्रति हेक्टर)

जिला	फसल	विना उर्वरक अनुप्रयोग	N१२०	N१२० P६०	N१२० P६० K३०
करनाल	गेहूँ	१०.७६	१८.३६	१६.६६	१०.६६
अलीगढ़	गेहूँ	३.०१	११.५६	१५.०१	१५.६१
सहरसा	घान	२.६३	५.५६	६.०४	१२.१६
कुआमदेहर	घान	१८.३२	१७.५८	१८.८७	२१.६८
निजामाबाद	ज्वार	६.२४	६.८०	८.७७	१५.७२

सारणी ५.१ (क) व (ख) से यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों किस्मों की उर्वरकों के प्रति अनुक्रियाएँ काफी अच्छी हैं, परन्तु अधिक उपज देने वाली किस्मों की अनुक्रियाएँ अधिक उत्तमाहजनक तथा सगत हैं। बास्तव में अधिक उपज देने वाली किस्मों की पूर्ण समर्थता तभी प्राप्त की जा सकती है जबकि जल, उर्वरक तथा कीटनाशी पदार्थ आदि निविष्टियों का भी सुनियन्त्रित तथा संतुलित मात्राओं में अनुप्रयोग किया जाए।

५.२ अधिक उपज देने वाले किस्मों की लाभदायकता

योजना आयोग के 'कार्यक्रम मूल्याकान संगठन' ने १६६८-६९ रवी (आपाही) तथा खरीफ (सावनी) की घ. उ. कि. फसलों के मूल्याकान-अध्ययन किए हैं और इन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर परम्परागत फसलों के स्थान पर घ. उ. कि. की फसलों के उगाने के फलस्वरूप प्राप्त अतिरिक्त लाभों का अनुमान लगाया है जो कि सारणी ५.२ में दिखाए गए हैं।

सारणी ५.२ अधिक उपज देने वाली किस्मों से प्राप्त अतिरिक्त निवल लाभ

फसल	प्रति हेक्टर लाभ (रुपये)		अतिरिक्त निवल लाभ
	परम्परागत	घ. उ. कि. HYV.	
घान	४७३.८५	८५१.५०	३७७.६५
गेहूँ	७७२.५०	१५५६.६०	७८४.१०

* द्योत : कार्यक्रम मूल्याकान संगठन अध्ययनों पर आधारित।

सारणी से स्पष्ट है कि अ. उ. किस्मों के कारण कृपकों को आय काफी बढ़ायी जा सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि कृपि टैक्नॉलोजी में क्रातिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अतः अधिक उपज देने वाले बीजों की खेती कृपि विकास की नवीन व्यूह-रचना का सबसे महस्वपूर्ण तत्व है। यही कारण है कि पिछले छः साल बर्यों में अ. उ. किस्मों के क्षेत्र में काफी तेजी से बृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप हुई खाद्यान्न उत्पादन में बृद्धि को ही 'हरित क्रांति' का नाम दिया जा रहा है। देखा जाए तो 'अ. उ. किस्मों' की कृपि तथा 'हरित क्रांति' पर्यायवाची शब्द बन गये हैं।

५.३ 'हरित क्रांति' की प्रगति

पिछले पाँच छः बर्यों में अनाज के उत्पादन में, विशेषतः गेहूं के उत्पादन में काफी बृद्धि हुई है। १९६५-६६ में गेहूं का कुल उत्पादन १०४ लाख टन था जो १९७१-७२ में बढ़कर २६० लाख टन हो गया। इस प्रकार ६ बर्यों के अन्दर गेहूं के उत्पादन में ढाई गुना बृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण अधिक उपज देने वाले बीजों का बड़े पैमाने पर विकास तथा उपयोग है। इसके अतिरिक्त आधुनिक निविष्टियों (जैसे उर्वरकों तथा कीटनाशी पदार्थों आदि) तथा रोतियों का अनुप्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है जिसके कारण कृपि-उत्पादन में द्रुत बृद्धि की समावनाएँ बहुत बढ़ गई हैं। १९६८-७०, १९७०-७१ तथा १९७१-७२ के रेकार्ड उत्पादन के बाद अधिकारी लोग कहने लग गए हैं कि देश में 'हरित क्रांति' का पदार्पण हो चुका है। 'हरित क्रांति' से उनका अभिप्राय विज्ञान तथा टैक्नॉलोजी पर आधारित 'बीज-उर्वरक उपयोग' की उस नवीन व्यूहरचना से है जो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का एक मात्र साधन समझी जाती है। वास्तव में अ. उ. किस्मों के अधीन कृपि क्षेत्र ही 'हरित क्रांति' की प्रगति का उपयुक्त मापदंड भाना जाने लगा है।

पिछले कुछ बर्यों में अधिक उपज देने वाली किस्मों का पर्याप्त प्रचार किया गया है और इनके अधीन क्षेत्र में काफी बृद्धि हुई है। १९६६-६७ में केवल १६ लाख हैक्टर भूमि में अधिक उपज देने वाली किस्में बोई गई थीं परन्तु अब ये किसमें १ करोड़ ६० लाख हैक्टर भूमि अर्थात् १० गुने अधिक क्षेत्र में बोई जाती हैं। १९७३-७४ के अन्त तक २ करोड़ ५० लाख हैक्टर भूमि में अधिक उपज देने वाली किस्में बोए जाने का लक्ष्य है। चौथी योजना के आरम्भ में अर्थात् १९६८-६९ में खाद्यान्न का उत्पादन ६ करोड़ ४० लाख टन था। आशा है कि यदि मौसम ने साथ दिया तो १९७३-७४ में यह उत्पादन ११ करोड़ ५० लाख टन हो जाएगा। चौथी योजना में यह लक्ष्य १२ करोड़ २६ लाख टन था, परन्तु १९७१-७२ तथा १९७२-७३ में देश के कुछ भागों में सूखा पड़ने के कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। आशा है कि अतिरिक्त उत्पादन का दो तिहाई भाग अधिक उपज देने वाली किस्मों से प्राप्त होगा। विभिन्न राज्यों में अधिक उपज देने वाली किस्मों से सम्बन्धित कार्यक्रम की प्रगति सारणी ५.३ से स्पष्ट है।

सारणी ५.३ से स्पष्ट है कि अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में सकेन्द्रित है, योकि इन राज्यों में गेहूं की बृआई सिंचित क्षेत्र में होती है और गेहूं की अ. उ. किस्में सिंचाई-सुविधाओं की उपस्थिति में बहुत सफल

सारणी ५.३ राज्यवार 'अधिक उपज देने वाली फसलों' का क्षेत्र तथा प्रतिशत सिंचित क्षेत्र

राज्य	अधिक उपज देने वाली फसलों का क्षेत्र*		+ सिंचित क्षेत्र (फसल क्षेत्र का प्रतिशत) १९६६-६७		कुल जम्य क्षेत्र १९६६-६७
	१९६६-६७	१९७३-७४	ग्रही	चारबल	
लाख हैक्टर	लाख हैक्टर	प्रतिशत	प्रतिशत	लाख हैक्टर	
आंध्र प्रदेश	२६	३०.४	२१.४	६२.१	८०
आसाम	०.६	१.७	—	३३.६	२०
बिहार	५.१	१२.६	—	२८.५	६६
गुजरात	४.१	१५.०	६६.४	१७.६	४५
हरियाणा	३.२	११.६	६८.६	७१.६	२४
केरल	१.४	४.८	—	—	८
मध्यप्रदेश	२.२	६.६	१०.४	१३.८	११०
तामिलनाडु	७.२	२०.६	१३.०	६२.५	४६
महाराष्ट्र	६.४	३२.३	—	१८.५	१०६
मैसूर	२.६	६.२	—	—	६१
उडीसा	१.५	७.१	—	२०.८	४५
ਪंजाब	८.६	१८.२	७२.१	८५.६	२६
राजस्थान	३.०	१०.०	—	२४.१	८४
उत्तरप्रदेश	२७.४	३२.२	५६.१	१७.६	१४२
पश्चिमी बंगाल	३.४	१४.५	—	२८.२	४८
दर २	२२७.४				

* जम्य के क्षेत्रों तथा सघीय क्षेत्रों को छोड़कर।

+ ग्रहीत : (१) सक्षिप्त भारतीय कृषि १० वाँ स्करण (सारणी २.१३)

(२) मिनिस्ट्री ऑफ कूट एण्ड एथोक्स्वर, सी. बी. एफ कोऑपरेशन।

सिद्ध हुई है। १९६६-६७ में अधिक उपज वाली फसलों के क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग इन्हीं तीन राज्यों में था परन्तु १९७३-७४ में इस योजना के अधीन कुल क्षेत्रफल का केवल ३० प्रतिशत ही इन तीनों राज्यों में स्थित होगा। विभिन्न राज्यों में क्षेत्र के वितरण में परिवर्तन स्वाभाविक है परन्तु उनमें इस कार्यक्रम के अधीन आने वाले क्षेत्रों के अनुपातों में असमताएँ बनी रहेंगी। आसाम, मध्यप्रदेश, बिहार तथा उडीसा आदि राज्यों में जहाँ मुख्यतः चावल की फसल होती है वहाँ भी इस फसल के अधीन सिंचाई क्षेत्र काफ़ी कम है (१३% से ३५% तक) जिसके कारण इन राज्यों में इस कार्यक्रम की गति धीमी ही रहेगी और इसका क्षेत्र सीमित ही रहेगा। यहाँ पिछले कुछ वर्षों में इस कार्यक्रम की फसल अनुसार प्रगति का अध्ययन चिंचित ही होगा।

**सारणी ५.४ अधिक उपज देने वाली किस्मों का शास्य-स्वरूप
(लाख हैक्टर में)**

फसल	१९६६-६७	१९६७-६८	१९६८-६९	१९६९-७०	१९७०-७१
	वारतविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	अनुमानित
धान	८.८	१८.०	२७.०	३२.०	४०.०
मक्का	२.१	३.०	४.०	८.०	१२.०
ज्वार	१.६	६.०	७.०	१६.०	३२.०
बाजरा	०.६	४.०	७.०	१२.०	२८.०
गेहूँ	५.३	२६.०	४८.०	४६.०	७७.०
कुल अ. उ. कि. का क्षेत्र	१८.७	६०.०	६३.०	११४.०	२५०.०
कुल ग्रनाज क्षेत्र	६४२	६८७	६६२	१०१५	१०५०
ग्रनाज क्षेत्र का प्रतिशत	२%	६.७%	६.४%	११.२%	२३.५%

घोट सारणी १०.६ पर आधारित संक्षिप्त भारतीय कृषि १० वां सम्पर्कण।

जबसे यह कार्यक्रम अपनाया गया है, गेहूँ की उपज अत्यन्त प्रभावशाली रही है। १९६८-६९ में गेहूँ की कुल उपज १ करोड़ ८७ लाख टन थी जो १९७०-७१ में २ करोड़ ३५ लाख टन हो गई। इसी अवधि में चावल की उपज ३ करोड़ ६८ लाख टन से ४ करोड़ २६ लाख टन हुई।

सारणी ५.४ से स्पष्ट है कि अ. उ. किस्मों के चावल का क्षेत्र अपेक्षाकृत गेहूँ के क्षेत्र से बहुत कम है। ज्ञातव्य है कि चावल, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है तथा कुल उत्पादन का लगभग ४० प्रतिशत भाग है। अतः भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए चावल के उत्पादन में प्रस्कोट हेतु मरसक प्रयास करने होंगे। सम्मवतः इसी उद्देश्य के लिए अ. उ. किस्मों के चावल के क्षेत्र को चौथी योजना के पिछले चार वर्षों में तिगुना करने का अनुमान है। चावल तथा गेहूँ स्थानान्पन्न कफले नहीं हैं, परन्तु इन कफलों की लाभकारिता का विश्लेषण करने से यह पता लग जावेगा कि गेहूँ की कफल उगाना अधिक लाभकारी है। सारणी ५.५ देखें :

सारणी ५.५ अ. उ. किस्मों के धान व गेहूँ की कृषि की लाभकारिता (१९६८-६९)

फसल	औसत उपज	भाव*	मूल्य	कुल व्यव	लाभ
(विवरण प्रति हैक्टर) (रु. प्रति विव)	(रु. प्रति हैक्टर)	(रु. प्रति हैक्टर)	(रु. प्रति हैक्टर)	(रु. प्रति हैक्टर)	
धान	३८.०	५०.७५	१९२८.५०	१०७३.००	८५१.५०
गेहूँ	२७.८	७६.००	२११२.८०	५५६.२०	१५५६.६०

* १९६८-६९ के समाहार भाव (श्रेवीरमेट प्राइसेज)। धान के लिए औद्योगिक प्रदेश तामिलनाडु व उत्तर प्रदेश की औनत उपज ली गई है। देस्ड बोन पी ई शोटटीज (१९६७-६८, १९६८-६९)

सारणी ५.५ से स्पष्ट है कि

- (१) धान की प्रति हैटर धोसत उपज गेहूं की प्रति हैटर उपज से अधिक है।
- (२) परन्तु धान को निर्धारित समाहार कीमत गेहूं की कीमत से बहुत कम है और इस प्रकार गेहूं की सेती करने वाले कृषक अच्छी स्थिति में हैं।
- (३) धान के लिए निर्धारित समाहार भाव (अर्थात् ५० रु. ७५ पंसे) इसके थोक बाजार भाव से (जो लगभग ७० रु. प्रति किलो था) बहुत कम है। समाहार कीमतों का न्यून नियतन धान उत्पादकों को हतोत्साहित करता है।
- (४) अ. उ. किस्मों के धान की कृषि लागत अ. उ. गेहूं की अपेक्षा लगभग दूनी है। धान के लिए 'धोय-संरक्षण' पर प्रति हैटर व्यय बहुत अधिक है। यहाँ तक कि कई राज्यों में यह गेहूं की अपेक्षा ८० गुना अधिक है। अ. उ. कि धान के लिए श्रम तथा उर्वरण के अधिक सघन उपयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए धान की सेती में श्रम तथा उर्वरण पर भी प्रति हैटर व्यय बहुत अधिक होता है।

अ. उ. कि. धान की कीड़ी तथा बीमारियों की प्रभाववश्यता, धीमा परिपक्वन, अनाज की निकृप्तता, अपर्याप्त जल सुविधाएँ, छोटी जोतें, प्रेरक कीमतों तथा विपणन सुविधाओं का अभाव तथा कृषि की ऊँची लागत व निम्न निवल लाभ, अ. उ. कि. धान की धीमी प्रगति के कुछ बड़े-बड़े कारण हैं। समस्या का समाधान इसी में है कि अनुकूल लागत-कीमत-उपज-सम्बन्ध उपलब्ध हो। इसके लिए यह जरूरी है कि अ. उ. कि. धान की कृषि की लाभदायकता को बढ़ाया जाए। इसके लिए उत्कृष्ट अनाज देने वाली नई किस्मों का विकास करना पड़ेगा तथा निविट्टियों की दक्षता में वृद्धि लाने के उपाय करने होंगे। अधिक राम कृपकों को इस कार्यक्रम को अपनाने में प्रेरक सिद्ध होने हैं।

५.४ हरित क्रांति में बड़े तथा छोटे कृषकों की सहभागिता

पिछले कुछ वर्षों में यह अनुभव किया गया है कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के अपनाने से बड़े तथा छोटे कृषकों की आय की विषमता में वृद्धि हुई है तथा छोटे कृषकों का इस कार्यक्रम में भाग बड़े कृषकों की तुलना में कम रहा है। अ. उ. देने वाली किस्मों का कार्यक्रम बड़े कृषकों के अधिक अनुकूल है क्योंकि उनके पास इस कार्यक्रम को अपनाने के लिए आवश्यक संसाधन तथा सुविधाएँ उपलब्ध हैं। छोटे कृषकों में जोखिम तथा अनिश्चितता सहृत करने की क्षमता नहीं होती। अपर्याप्त संसाधन, शूरण-सुविधाओं का अभाव, अज्ञानता, निविट्टियों की अपर्याप्तता आदि के कारण छोटे कृषक शुरु-शुरू में इस कार्यक्रम से भाग नहीं ले सके। परन्तु अब बड़े तथा छोटे दोनों प्रकार के कृषकों की इस कार्यक्रम में सहभागिता काफी उत्साहवर्धक रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि छोटे कृषक अ. उ. किस्मों तथा नवीन टैक्सालोजी को अपनाने से बड़े कृषकों से पीछे नहीं रहे हैं।

जहाँ तक नवीन व्यूहरचना अथवा टैक्सालोजी का सम्बन्ध है, वे कृषि के पैमाने के प्रति उदासीन हैं क्योंकि अधिक उत्पादन के लिए बहुत बड़ी जोतों का होना अत्यावश्यक नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो नवीन टैक्सालोजी श्रम-प्रधान है और छोटे कृषक अधिक सघन सेती करने के लिए अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में हैं। नई फसले व्यक्तिगत देख-रेख तथा

प्रबन्ध की माँग करती है और छोटे कृपक अपनी फसलों की अधिक अच्छी प्रकार से देख-भाल कर सकते हैं। इसलिए छोटे पैमाने के खेत अम-प्रधान नई किस्मों के लिए अधिक उपयुक्त हैं और इस कार्यक्रम को बहुत से छोटे कृपकों ने भी अपना लिया है।

एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग सिंचित क्षेत्रों तक सीमित है और सिंचित क्षेत्र का अनुपात बड़े पैमाने की जोतों की अपेक्षा छोटी जोतों में अधिक है जैसेकि सारणी ५.६ से स्पष्ट है।

सारणी ५.६ विभिन्न मापों की जोतों में सिंचित क्षेत्र का वितरण

क्र०	फार्म-वर्ग (हैक्टर)	फार्म औसत क्षेत्र (हैक्टर)	औसत सिंचित क्षेत्र (हैक्टर)	सिंचित क्षेत्र तथा औसत साइज में अनुपात
I	०—०.४	.१६५	.१६५	८६%
II	०.४—२.०२	१.०७	०.६७५	६३%
III	२.०—४.०५	२.७६	१.५०३	५४%
IV	४.०५—६.०७	४.७२	२.१२	४६%
V	६.०७—१०.१२	७.५	२.६६	३६%
VI	१०.१२—२०.२३	१३.२८	३.६८	२६%
VII	२०.२३ से अधिक	३०	६.७३	२२%

स्रोत : (N.S.S.) के १६ वें एवं १७ वें चक्र के अंकड़े पर जाग्राहित।

सारणी में प्रथम वर्ग अर्थात् सबसे छोटे फार्मों का साइज ०—०.४ हैक्टर के बीच में है। प्रथेक फार्म का औसत क्षेत्र ०.१६५ हैक्टर है जिसमें से औसत सिंचित क्षेत्र ०.१६५ हैक्टर है अर्थात् ८६% क्षेत्र सिंचित है। इसी प्रकार दूसरे वर्ग (०.४—२.०२ हैक्टर) में ६३% क्षेत्र सिंचित है। वर्ग VII अर्थात् सबसे बड़े फार्मों में केवल २२% क्षेत्र सिंचित है। इसलिए अधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्र होने के कारण छोटे कृपक बड़े कृपकों की अपेक्षा अधिक लाभदायक स्थिति में हैं और उनके लिए 'हरित कींति' वेहतर सम्भावनाएं प्रदान करती है।

उपरोक्त विवेचन से इष्ट है कि यशस्वि विभिन्न वर्गों के लेते हैं में निरपेक्ष आय से अन्तरों में काफी अधिक बढ़ि होगी अर्थात् बड़े फार्मों की निरपेक्ष आय हरित कींति के कारण काफी बढ़ जाएगी परन्तु टैक्नॉलॉजी से प्राप्त होने वाले सापेक्ष लाभ छोटे कृपकों की स्थिति में अधिक होगे। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि छोटे कृपकों को आवश्यक निविष्टीय तथा सुविधाएं प्राप्त हों तो उनकी प्रति फार्म आय में प्रतिशत दृढ़ि अधिकतम होगी। मधुनाशन अध्ययन इस कथन की पुष्टि करते हैं। वास्तव में छोटा या बड़ा फार्म कौन-सा है, यह बात टैक्नॉलॉजी से सम्बन्धित है और अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम जीवनक्षम फार्म (वाइएविल फार्म) के साइज को कम करने में सहायक हो सकता है।

५.५ कृषि-श्रम की मांग पर अधिक उपज दने वाली किस्मों के कार्यक्रम का प्रभाव

अ. उ. कि. कार्यक्रम द्वारा केवल धनाज-उत्पादन में ही बढ़ि नहीं होती, कृषि-श्रम की मांग में भी बढ़ि होती है। अभिनव अध्ययनों में यह सिद्ध हो गया है कि इस कार्यक्रम के फलस्वरूप कृषि-श्रम के लिए अतिरिक्त मांग उत्पन्न होती है तथा यह कार्यक्रम कृषि श्रमिकों में बेकारी को कम करने में बड़ा सहायक है और इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे लाभान्वित हो सकती है। यह अनुमान है कि १९६८-६९ के दौरान धन तथा गेहूं को फसलों से सम्बन्धित अ. उ. कि. प्रोग्राम में लगभग ३२ करोड़ ४६ लाख श्रम दिनों के अतिरिक्त श्रम का उपयोग किया गया।

सारणी ५.७ अ. उ. कि. कार्यक्रम के कारण कृषि-श्रम की मांग में अनुमानित बढ़ि (१९६८-६९)

फसल	प्रति हेक्टर श्रम प्रयोग अ. उ. कि. परम्परागत*	श्रम प्रयोग में बढ़ि	अ. उ. कि. कार्यक्रम के अधीन क्षेत्र	श्रम की मांग में बढ़ि (औसत)
	(श्रम दिवस)	श्रम दिवस	लाख हेक्टर	करोड़ श्रम दिवस
धन	१६१	७५	८६	२६
गेहूं	४५	२४	२१	४८
कुल	—	—	७४	३२.४४

टोत कार्म डैनेक्सेट इन इंडिया लंबंशास्त्र एवं साइपक्सी निदेशालय, १९६६ /

सारणी ५.७ में अनुमानित कृषि-श्रम की अतिरिक्त कृषि मांग 'कार्म प्रबन्ध-अध्ययनों' के अनुमानों पर आधारित है, परन्तु सधन क्षेत्र विकास-कार्यक्रम के चालू होने से कृषिको ने सधन कृषि की विधियों को अपनाना शुरू कर दिया है जिसके कारण श्रम की मांग में और अधिक बढ़ि की सम्भावनाएं बढ़ गई हैं। १९६८-६९ में अ. उ. किस्मों के कार्यक्रम के फलस्वरूप कृषि श्रम की मांग में कुल बढ़ि इस प्रकार है।

सारणी ५.८ अ. उ. किस्मो की कृषि में उपयुक्त अतिरिक्त भाड़े के श्रम का अनुमान (श्रम की मांग में बढ़ि)

फसल	करोड़ श्रम दिवस
धन	१५.२१
मवका	०.७७
बाजरा	०.७८
जवार	६.६६
गेहूं	२१.१८
कुल	४४.६०

यह बात व्यान रखने योग्य है, कि अ.उ.कि. कार्यक्रम के कारण उत्तरप्रदेश में कुल बेकार श्रम दिवसों (टोटल अनएम्प्लायड टोबर डेज) में ४० प्रतिशत की कमी हुई जबकि उसी वर्ष पंजाब में यह कमी २५ प्रतिशत की थी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में काम की कमी के कारण उत्पन्न बेकार श्रम दिन अ.उ.कि.कार्यक्रम द्वारा पूर्णतया नियोजित (एब्जोर्ब) कर लिए गए। पंजाब में नियोजित बेकार श्रम ५० प्रतिशत था। अतः अ. उ. कि. कार्यक्रम कृषि श्रमिकों में बेरोजगारी को कम करने के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। परन्तु निकट भविष्य में बेरोजगारी में कमी की समावना बहुत सीमित है। १९७३-७४ तक लगभग २ करोड़ ५० लाख हैक्टर क्षेत्र इस कार्यक्रम के अधीन लाया जाएगा और इसके फलस्वरूप उत्पन्न श्रम मांग कुल उपलब्ध बेकार-शक्ति का कुद्र मांग ही नियोजित कर सकेगी। यह भी याद रखना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में बेकार श्रम शक्ति में वृद्धि हुई है जो जनसंख्या में वृद्धि के साथ स्वाभाविक ही है। यह भी व्यान रखने योग्य है कि भारत में कृषि श्रम की मांग मौखिकी है और हरित क्राति में व्यस्ततम् समय में श्रम की समस्या और भी विकट हो जाएगी।

५.६ हरित क्राति के विस्तार को सीमाएँ

पिछले पृष्ठों में हमने तथाकथित 'हरित क्राति' को प्रगति तथा अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग के आय-वितरण तथा कृषि-श्रम की मांग पर' प्रभावों का अध्ययन किया है। परन्तु यदि कृषि-उत्पादन के पिछले दो तीन वर्षों के आंकड़े देखे जाएं तो हरित क्राति के समर्थकों के दावों पर सदैह होने लगता है। 'हरित क्राति कितनी हरी है?'—इसकी विवेचना हमारे अध्ययन के तिए उपयोगी रहेगी। साथ ही, हम इस बात का विश्लेषण भी करेंगे कि हरित क्राति कही जाने वाली क्राति के विस्तार की सीमा बया है और इसके मार्ग में कौन-से अवरोध हैं।

देखा जाए तो क्राति कृषि में नहीं हुई बल्कि कृषि-विज्ञान के क्षेत्र में हुई है। वास्तव में विज्ञान में यह त्रातिकारों परिवर्तन कुछ विशेष फसलों के अधिक उपज देने वाले बीजों के रूप में परिणत हुआ है। इन सकर बीजों के उपयोग ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की नवीन सभावनाएँ प्रदान की हैं। परन्तु कृषि-उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि केवल कुछ विशेष फसलों तक ही सीमित रही है।

ज्ञातव्य है कि भारत की जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग २.३ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। यदि कृषि के उत्पादन में भी इसी दर से वृद्धि हो तो प्रति वर्षत्काल उत्पादन में कोई अतर नहीं आता। परन्तु यदि उत्पादन में इस दर से कम वृद्धि हो तो इथति चिन्ताजनक हो जाए। इसलिए परिवर्तन को सतोपञ्जनक तभी माना जा सकता है यदि उत्पादन में वृद्धि इस दर से कही अधिक हो। उत्पादन की हृष्टि से १९६४-६५ तथा १९७०-७१ दोनों ही वर्ष अनुकूल रहे हैं और इसी अवधि के दौरान भारत में सकृद बीजों का उपयोग होने लगा है।

१९६४-६५ से १९७०-७१ के ६ वर्षों की अवधि में नेहरू, बाजरा, मङ्को की फसलों के उत्पादन में वायिक सरूद्धि-दर क्रमशः ११.२, ६.६ तथा ७.६ प्रतिशत रही है जबकि जो,

रागी तथा चावल में यह दर कमशः २२, १.४ तथा १.२ प्रतिशत रही है। ये तीनों दरें जनसंख्या में वृद्धि की २.३ प्रतिशत वाविक की दर से कम हैं, इसलिए जो, रागी तथा चावल की फसलों का प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता चला आ रहा है। जबार, दालों, तिलहन तथा कपरस की फसलों के उत्पादन में पिछले ६ वर्षों में वृद्धि होने की बजाय कमी हुई है।

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि अभी तक केवल गेहूँ, बाजरा तथा मक्की की फसलों में ही हरित क्रांति का पदार्पण हुआ है। परन्तु यह घ्यान रहे कि ये फसलें कुल कृष्य क्षेत्र के २०-२१ प्रतिशत भाग में ही उगाई जाती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि हरित क्रांति समस्त कृष्य क्षेत्र के पांचवें भाग तक ही सीमित रही है और $\frac{1}{4}$ भाग इससे अद्यूता ही रहा है।

चावल हमारे देश की मुख्य सुरक्षा है और यह कृषि-क्षेत्र के लगभग २२-२३ प्रतिशत भाग में बोया जाता है। जो तथा रागी समेत यह क्षेत्र २५ प्रतिशत से भी ऊपर हो जाता है। जबतक चावल के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि नहीं होती, तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में हरित क्रांति हुई है। अत इन फसलों में हरित क्रांति की शुल्कात नहीं हुई। जहाँ तक कपास, तिलहन तथा दालों का प्रश्न है, इनका उत्पादन इतना कम हुआ है कि इनका आपात करना पड़ा है। इनका क्षेत्र लगभग २५ प्रतिशत है। इस क्षेत्र में क्रांति की बजाय प्रति-क्रांति हुई है। सेखेप में, हम कह सकते हैं कि समग्र रूप में हरित क्रांति अभी नहीं हुई। अभी तक यह केवल २०-२१ प्रतिशत क्षेत्र तक ही सीमित है। अनुसंधान व शोध द्वारा इसका विस्तार किया जा सकता है। साथ ही, इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि नवीन प्रौद्योगिकीय परिवर्तन क्रांतिकारी हैं और उत्पादन में प्रचुर वृद्धि की शक्य सभावनाएँ प्रदान करते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि तकनीकी प्रगति के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न इन सभावनाओं को वास्तविकता में कैसे बदला जाए? वे कौन-सी कठिनाइयाँ व अवरोध हैं जो हरित क्रांति की गति को धीमा कर रहे हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?

जैसाकि बताया जा चुका है, हरित क्रांति गेहूँ, मक्का तथा बाजरे की फसलों में ही दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि इन फसलों के सकर बीज उपलब्ध हैं। इसलिए कठिनाइयों का विहगावलोकन करते समय पहला अवरोध अन्य फसलों के लिए बीजों की अनुपलब्धता है। प्रस्तेक प्रदेश की जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा सिचाई-सुविधाएँ भिन्न-भिन्न हैं। उनके अनुरूप बीजों का विकास ही कृपि-उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। यह आवश्यक नहीं कि एक क्षेत्र में सकलता से बोये जाने वाले बीज दूनरे क्षेत्र में भी सकल हो। अनुसंधान के अन्य क्षेत्रों में अन्तरण की सीमा होती है। अभी तक हमारे कृपि-वैज्ञानिक न हो सब फसलों के लिए उपयुक्त बीजों का विकास कर पाए हैं और न ही उनके द्वारा विकसित बीज सब क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हमारे कृपि-वैज्ञानिकों को उचित आर्थिक सहायता, सत्ता की स्वायत्तता तथा प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि अनुसंधान कार्य में मनुष्य-निर्मित अवरोधों को दूर किया जाए। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न फसलों के लिए नवीन बीजों का विकास ही कृपि उत्पादन की सभावनाओं को बढ़ा सकता है। इसके लिए अनुसंधान को यथोचित

प्रोत्साहन मिलता चाहिए ।

अधिक उपज देने वाले बीजों की पूरी समर्थन का लाभ तभी उठाया जा सकता है यदि इनके उपयोग के साथ-साथ उचित मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराए जा सके । उर्वरकों के महत्व का विस्तृत विवेचन अव्याय ४ में किया जा चुका है । यहाँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि हमारा उर्वरकों का उत्पादन व उपयोग अन्य देशों की सुलता में बहुत कम है । हमारा कुल वाणिक उत्पादन १५ लाख टन है । १९७८-७९ तक १५ लाख टन के उर्वरक उपयोग के शाधारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगभग १७०० करोड़ रुपये के उत्पादन-निवेश की आवश्यकता होगी । पूरे देश में हरित क्रांति के दर्शन करने के लिए कम से कम १५० लाख टन उर्वरकों का उत्पादन करना पड़ेगा जिसके लिए लगभग ५००० करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

हम यह भी बता चुके हैं कि अधिक उपज देने वीजों से पूर्ण समर्थन प्राप्त करने के लिए पानी की सप्लाई अत्यावश्यक है । यही कारण है कि यह क्रांति सिंचित क्षेत्र तक नीतिशील रही है । सिंचाई सुविधाओं की अनुपस्थिति में हरित क्रांति को कहना भी नहीं की जा सकती । जल-प्रबन्धन व सिंचाई से सबधित विस्तृत अव्ययन तीसरे अव्याय में किया जा चुका है । यहाँ इनका बहुत काफी है कि देश में इस नमय कुल फसल क्षेत्र के २७.५ प्रतिशत भाग में सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हैं । अभी तक हम अपने सिंचाई-विभव के ५५ प्रतिशत का ही सदौहन कर सके हैं । यदि हम अपने पूरे विभव का सदौहन भी कर सकें तो सिंचित क्षेत्र कुल फसल क्षेत्र के ६० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा यद्यपि शर्गले ३०-४० वर्षों में ऐसा होने की प्राशा प्रति भूमिल है । कहने का अभिप्राय यह है कि आने वाले दशों में हरित क्रांति का विस्तार फसल क्षेत्र के एक तिहाई तक सीमित रहेगा ।

हम अ. उ. कि के बीजों के कृषि-शर्म की मांग पर प्रभाव का अव्ययन कर चुके हैं । यह देखा गया है कि इन बीजों के उपयोग में शर्म की अधिक आवश्यकता होती है । कहने का अभिप्राय यह है कि इन बीजों के उपयोग के साथ-साथ कृषि-टीतियों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा । इनके लिए जुलाई-मुंगाई के क्षीरीकों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा और मरम्पुर फसल प्राप्त करने के लिए अधिक परिष्ठम करना पड़ेगा । अधिक उपज देने वाले बीजों, इस जल-प्रबन्ध व उर्वरकों के सतुलित उपयोग से जहाँ उत्पादन में बढ़ि होती है वहाँ ये सुधार खरपतवार, नाशकजीव और रोगों में बढ़ि तथा विकास की परिस्थितियों को भी जन्म देते हैं । इन नाशक जीवों तथा रोगों पर भी नियन्त्रण करने की आवश्यकता है । पौध-सरकार संबंधी विस्तृत अव्ययन अव्याय में किया गया है ।

हम पिछले एक परिच्छेद में मह बता चुके हैं कि हरित क्रांति का लाभ केवल बड़े-बड़े कृषकों को प्राप्त हुआ है और इसके फलस्वरूप शामील क्षेत्रों में श्रम तथा धन की असमानताओं में बढ़ि हुई है । देश में कृषि क्षेत्र में अधिकांश संख्या छोटे कृषकों की है जो निर्वनता तथा अन्य अनेक अपावृत्ति के कारण इस क्रांति का लाभ नहीं उठा सके, यद्यपि उनकी कृषीय परिस्थितियों इसके अनुकूल हैं । इसलिए जबतक छोटे कृषकों को इन नव कियार्थों तथा नवीन निविटियों का लाभ नहीं पहुँचता, तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि देश में हरित क्रांति हो चुकी है । हरित क्रांति तबु कृषक के आंगन में भी दिखाई देनी चाहिए ।

इसके लिए अनुमधान एवं विस्तार कार्य की आवश्यकता है। लगु कूपकों को ये निविष्टियाँ सस्ते उधार पर उपलब्ध करानी होगी। उन्हें उत्पादन का उचित दाम दिनाना होगा और प्रगति के लिए आधारिक सरचना का निर्माण करना होगा। जबतक इन अवरोधों को दूर नहीं किया जाएगा, हरित धाति तेज गति से आगे नहीं बढ़ पाएगी। परन्तु हमारे वर्तमान अध्ययन के सदर्भ में सध्ये आवश्यक बात यह है कि कूपकों को बढ़िया और प्रामाणिक बीज उपलब्ध कराए जाएं। इस बात का अध्ययन हम अगले परिच्छेद में कर रहे हैं।

५.७ उन्नत बीजों के उपयोग का कार्यक्रम

अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग का कार्यक्रम १६६५-६६ में आरम्भ किया गया। अधिक उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि उन्नत तथा बढ़िया बीजों का उपयोग किया जाए। साधारणतः भारतीय कूपक घपनी फसल में से ही अनाज बचा कर धीज के रूप में उपयोग करता है तथा बीज की गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं देता। इसलिए जबतक सारे कृष्य क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रबन्ध नहीं हो जाता, तबतक यह प्रयत्न होना चाहिए कि अधिक से अधिक क्षेत्र में उन्नत तथा बढ़िया बीज बोए जाएं। यह क्षेत्र अ. उ. किस्मों के क्षेत्र से पृथक् होगा।

उन्नत बीजों के उपयोग का कार्यक्रम प्रथम पचवर्षीय योजना में आरम्भ हुआ। प्रथम योजना में लगभग १६ लाख हैंटर में उन्नत बीज बोये गये जबकि दूसरी योजना में ऐसा क्षेत्र लगभग २ करोड़ हैंटर हो गया। तीसरी योजना में उन्नत बीजों के उपयोग के क्षेत्र का लक्ष्य ८ करोड़ २६ लाख हैंटर था, परन्तु केवल ४ करोड़ ८६ लाख हैंटर में ही उन्नत बीज बोये जा सके। चौथी पचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग ७ करोड़ २० लाख हैंटर भूमि में उन्नत बीज बोये जाने का विचार है। इसमें से २ करोड़ ५० लाख हैंटर में अधिक उपज देने वाले बीज बोये जाएंगे। १ करोड़ ५० लाख हैंटर में एक से अधिक फसलें उगाई जाएंगी और निश्चित वर्षों वाले क्षेत्रों में ८० लाख हैंटर में और बारमों खेती वाले इताको में २ करोड़ ४० लाख हैंटर में ये बीज बोए जाएंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि

- (१) उत्पादन के लिए बीज की निरन्तर सप्लाई हो,
- (२) उन्नत बीज उगाने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए
- (३) बीजों को तैयार करने और गोदामों में रखने का प्रबन्ध किया जाय, तथा
- (४) बीजों का प्रमाणीकरण हो।

अनुमान है कि चौथी योजना के अन्त तक २ करोड़ ५० लाख हैंटर क्षेत्र में अ. उ. किस्मों के बीज बोने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निम्न बीज परिमाणों की आवश्यकता होगी :—

धान	२ ५०	लाख टन
गेहूँ	४ ८०	लाख टन
मक्का	० ४८	लाख टन
ज्वार	० ५०	लाख टन

न आने के कारण ये बीज किसी काम के नहीं रहते तथा प्रत्येक वर्ष ऐसे बीजों को रद्द करना पड़ता है जिसके कारण काफी हानि होती है। इसलिए ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इन बीजों का, विशेषकर उन पड़ीमी देशों को जहाँ कृषि जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियाँ मारत समान हैं, निर्यात किया जा सके। मवका, ज्वार तथा बनस्पतियों के बीजों की थोड़ी-सी मात्रा श्री लका, मलेशिया तथा पाना को तथा गंडू के बीज पहले ही डंनमार्क को निर्यात किए जा चुके हैं। निजी क्षेत्र के बीज उद्योग ने भी लगभग ३७५ टन बीज नेपाल को भेजे हैं।

वितरण प्रणाली का भी विस्तार करने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में सहकारी समितियों द्वारा १९७३-७४ में ५० करोड़ रुपये के बीज वितरित किए जाएंगे।

५.८ बीज अर्थतन्त्र

देश में बीज विकास की सफलता या असफलता अनाज-उत्पादन व बीज-उत्पादन के अर्थतन्त्र तथा उनकी सापेक्ष कीमत-संरचना पर निर्भर है। यथार्थ लागत-विशेषण पर आधारित वास्तविक कीमत-नीति बीज-उद्योग के विकास को तेज़ कर सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि वाणिज्यिक अनाज उपजाने की तुलना में बीज उपजाने से अधिक आय प्राप्त होती है तथा बीज-उत्पादक को अनाज उत्पादन की अपेक्षा काफी बढ़ी ताप्ति प्राप्त होती है। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किए गए एक अध्ययन में मवका के बीज तथा वाणिज्यिक अनाज की कृषि लागतों की तुलना की गई है तथा बीज उगाने में प्राप्त होने वाली बढ़ी ताप्ति का अनुमान लगाया गया है। विवरण मारणी ५६ में दिया गया है। प्रतिफल का अनुमान लगाते समय बीज की समाहार कीमत (प्रोक्योरेमेट प्राइस) जो कि १८५ रु प्रति विवटल थी, का प्रयोग किया गया है। प्रयाणित बीज की बाजारी कीमत अनेक कारणों, जैसे बीज की कुल मांग, अन्य कार्म निविष्टियों की कीमत तथा जहाँ की उपलब्धता आदि द्वारा प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त बाजारी कीमतों को अनेक लागतों जैसे गोदाम-भाड़ा, परिवहन-व्यय, संसाधन (प्रोसर्चिंग) तथा र्याकिन-खर्च, प्रशासनिक उपरि प्रभार, पूँजी पर व्याज, प्रचार व्यय तथा विक्रेताओं की कमीशन आदि को पूरा करना होता है। अतः बीजों की विक्रय कीमतें उनकी समाहार-कीमतों से ६० से १२५ प्रतिशत अधिक होती हैं। जैसे शुरू में कल्याण सोना गेहूँ के बीज की विक्रय कीमत २५० रु प्रति विवटल थी जबकि समाहार कीमत १२५ रु प्रति विवटल थी।

विक्रय-मूल्य को उचित स्तर पर लाने के लिए बीज-उत्पादन, संसाधन, भंडारण तथा वितरण के विभिन्न चरणों की लागतों को कम करना बड़ा आवश्यक है। उद्देश्य यह है कि उच्च कोटि के बीज उचित दामों पर तथा पर्याप्त मात्रा में अधिक से अधिक कृपकों को ठीक समय तथा स्थान पर उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही साथ, इन बीजों की मांग में बढ़ि बनाए रखना भी बड़ा जरूरी है ताकि बीज उद्योग का ठीक विकास हो सके।

देखने में अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज तथा साधारण स्थानीय किस्म के बीज में कोई विशेष फर्क नहीं जान पड़ता। इसलिए घोड़े की काफी संमावनाएँ हो सकती हैं।

सारणी ५६ मक्का के बीजों तथा अनाज का ग्रन्थतन्त्र

पद	उत्पादन लागत (रुपये प्रति एकड़)	
	बीज	वर्गीयिक अनाज
लागतें		
भूमि की तैयारी	६०	६०
चार्चरक तथा श्रम	२००	२००
बीज	८५	२१
बुवाई	३०	३०
निरीक्षण फीस	३५	—
पोष सरक्षण	४०	४०
सिचाई	४०	४०
अवास्थित पोषा निष्कासन	५०	—
खरपतवार नियन्त्रण	४०	४०
देखभाल	२०	२०
कटाई/परिवहन	४५	३०
फड़ा छिनका उतारना (केवल नर)	५	२०
सफाई (परिष्करण)		
(२५ रु प्रति विटल उ विटल के लिए)	१७५	—
प्रमाणीकरण (पदार्थ)	७२	—
कुल लागत	६२७	५३१

प्राप्ति :

(१) बीज उ विटल १८५/- प्र. विटल	१२६५=०० अनाज १४ विच, दर ६०/- प्रति विटल =८५०=००
(२) नर लाइन २५ विटल दर ५०/-	१२५=००
(३) छोटा बीज	५०=००
कुल	१४७०=००
लागत	६२७=००
निवल प्रतिफल प्रति एकड़	५४३=००
बड़ीती =५४३ - ३०६ = २३४ रु. प्रति एकड़	३०६=००

छोत ए. बी. लॉ. बी. यस एड बेट्टी सीइ मार्केटिंग प्रू. एस., ए. नई दिल्ली

कुछ व्यापारी नकली बीजों का व्यापार करते हैं और ऐसे अप्रमाणित, असत्तावित तथा निम्नस्तरीय (घटिया) बीज बेचते हैं जो ६७ प्रतिशत विशुद्धता की निर्धारित सीमा से घटिया होते हैं। यह घ. उ. कि. कार्यक्रम के रास्ते में सबसे बड़ी रक्कावट है। इसलिए यद्यार्थ उत्पादन-नियन्त्रण तथा कड़ा निरीक्षण अत्यन्त आवश्यक है। बीज की विशुद्धता को

बनाए रखने के लिए बीजों का प्रमाणीकरण तथा उनकी कोटि की जांच इस कार्यक्रम के मुख्य विषय है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने बीज एक्ट, १९६८ पास किया है। इसके अनुसार अनेक राज्यों में बीज प्रमाणीकरण एजेंसियाँ तथा बीज-परीक्षण-प्रयोग शालाएँ स्थापित की गई हैं। अधिकतम राज्यों में राष्ट्रीय बीज निगम को प्रमाणीकरण तथा सबद्धन एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बड़ा आवश्यक है कि बीज नियम की धाराओं को दृढ़ता से लागू किया जाए तथा अप्रमाणित बीजों को बिक्री तत्काल बन्द करा दो जाए। निजी क्षेत्र के उत्पादक इस कार्य में महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं यदि उनमें स्वस्य प्रतिस्पद्धों को प्रोत्साहन प्राप्त हो। तिस पर भी आरभिक चरणों में राज्य द्वारा हड़ निरीक्षण जरूरी है। बीज-गुननिरीक्षण समिति (सीड रिव्यू कमेटी) ने बत्तमान बीज-उत्पादन तथा वितरण प्रबन्धों की जांच पहलाल की है और अनेक दोपों को बताया है। मुख्य दोष उत्कृष्ट प्रजनक बीजों की अनुपलब्धता, पर्याप्त सिचाई का अभाव तथा बीज कामों पर उपयुक्त ससाधन तथा भडार की सुविधाओं की कमी हैं। ससाधन तथा भडारण के लिए बीज ससाधन उपस्करों के विकास तथा निर्माण की आवश्यकता होगी। बीज शोषित्र (सीड बलीनर), ड्रायर, एलिवेटर, फॉलर (छिल्का उतारने वाला यन्त्र), आदि मीटर तथा बोरी बन्द करने वाले यन्त्र देख में ही बनाने की आवश्यकता है। इस प्रत्येक ग्राम्यिक गतिविधि की जान है और यह बीज-उत्पादन तथा वितरण की स्थिति में भी सत्य है।

अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि इन किस्मों की अधिक उपज-समर्थता, रोग-प्रतिरोधता तथा अल्पावधि आदि विशिष्ट गुणों को कृपकों के अपने प्लाटों पर या प्रयोग केन्द्रों में किए गए वास्तविक निर्दर्शनों द्वारा प्रदर्शित किया जाए। अ. उ. कि. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रसार एवं विस्तार कार्य महत्वपूर्ण है।

अध्याय ६

पौध-संरक्षण

६.१ परिचय

मिथ्ले अध्यायों में हम कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने वाली नवीन अ.ड. किस्मों तथा अन्य नवक्रियाओं के ग्राहिक महत्व का अध्ययन कर चुके हैं। हम यह देख चुके हैं कि अधिक उपज देने वाले बीजों, दक्ष जल-प्रबन्ध तथा उर्वरकों के सतुरित उपयोग के कारण उत्पादन में काफी वृद्धि होती है। साथ ही, यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि यही सुधार खरपतवार, नाशक जीव तथा रोगों में वृद्धि तथा विकास की परिस्थितियों को भी जन्म देते हैं और इस प्रकार उत्पादन में अस्थायित्व लाने तथा उन्हें क्षति पहुँचाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। अच्छी प्रकार से उर्वरित तथा सिंचित व उत्कृष्ट बीज से उगाया गया रसदार पौधा नाशक-जीवों तथा अग्नमारी के प्रभाववश्य होती है तथा इसे सरक्षण की आवश्यकता होती है। अधिक उपज देने वाली विदेशी किस्मों की पौधे में विकास के दौरान तथा कटाई के बाद, विनिश्च प्राकार की नूक्स बनस्पतियों (माइक्रोफ्लोरा), कीटों तथा रोगों के आक्रमण से उत्पीड़ित होने की समावना काफी होती है। इसलिए आधुनिक निविटियों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उन नाशक जीवों तथा रोगों पर नियन्त्रण किया जाए जो फसलों को क्षति पहुँचाते हैं। उपज के सरक्षण तथा स्थायित्व में पौध-सरक्षण-उपायों का विशेष महत्व है। अतः पौध-सरक्षण कृषि-उत्पादन में वृद्धि हेतु निमित किसी भी व्यूहरचना का आवश्यक घटक होना चाहिए। तभी रसायन विज्ञान तथा टैक्नॉलॉजी में हुई प्रगति का लाभ उठाया जा सकेगा।

नाशक जीव तथा रोग वृग्राई से लेकर कटाई तक प्रत्येक क्षेत्रीय फसल को क्षति पहुँचा सकते हैं। उनके आक्रमण के कारण अनेक बोये गये बीजों का अकुरण तक नहीं होता। उनका आक्रमण उत्तरजीवित (सरवाइविंग) पौधों को कमज़ोर बना देता है जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त फसल गुणवत्ता, मात्रा तथा फल की दृष्टि से निकृष्ट होती है। दूसरी ओर खरपतवार और जाक पौधों को दिए गए जल तथा पोषक पदार्थों को स्वयं ले लेते हैं और इन तत्वों की न्यूनता होने के कारण उत्पादन भी कम होता है। गोदामी नाशक जीवों तथा चूहों के कारण हमें प्रतिवर्ष लगभग २५ लाख टन खाद्याद्यों से हाथ धोना पड़ता है। कच्चे ग्रनुमानों के अनुसार कीड़े, पौध-रोग तथा घासपात भारत में वापिक अन्न-उत्पादन का लगभग २० प्रतिशत नष्ट कर देते हैं। परिमाण में वापिक हानि लगभग १ करोड़ ८० साल टन की है जिसका मूल्य लगभग १००० करोड़ रुपये है। वह देश जो अन्न-उत्पादन में ग्राहनिमंत्रता प्राप्त करने हेतु जी तोड़ प्रयत्न कर रहा हो, वहाँ वही हानि नहीं

उठा सकता। यह बात घ्यान देने योग्य है कि ओसत मानमूल वाले वर्ग में हमारा अन्न-उत्पादन हमारी आवश्यकताओं से केवल १० प्रतिशत कम होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए ८० या ९० साल टन अनाज का आपात करना पड़ती है जिसके लिए प्रतिवर्ष ५०० करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यदि हम अपनी फसलों को कीटों तथा रोगों से बचा सकें तथा इनके द्वारा नष्ट होने वाली फसल को प्राप्त कर सकें तो केवल आपात पर व्यव होने वाली विदेशी मुद्रा को ही नहीं बचा सकेंगे, बल्कि हमारे पास नियंत्रित के लिए फालतू अनाज भी हो जाएगा। अत पौध-सरकार द्वारा योजना का आवश्यक अनु होना चाहिये।

आनुभविक प्रमाणों से पता चलता है कि पौध-सरकार-उपज उपज बढ़ाने में वास्तविक रूप में सहायक सिद्ध होते हैं। उदाहरणार्थ खरपतवार तथा शाक के विनाश से फसलों को अधिक पोषक तत्त्व तथा अधिक जल की प्राप्ति होगी जिसके कारण उपज भी अधिक होगी। इसे प्रकार नाशक जीवों तथा रोगों के उन्मूलन के फलस्वरूप पौधों का स्वस्थ विकास होगा और इस प्रकार कृपक भरपूर फसल प्राप्त कर सकेगा। अधिक उपज वाली किसी के प्रोग्राम से सबधित मूल्याकान रिपोर्ट पर आधारित सारणी ६.१ पौध-सरकार उपायों के महत्व पर प्रकाश डालती है।

सारणी ६.१ कृपि में उन्नत रीतियों के परिणामस्वरूप प्राप्त ओसत उपज

(विवरित प्रति हेक्टर)

क्रमांक	फसल	राज्य	उन्नत रीतियों से प्राप्त ओसत उपज*				क्रमांक
			ख	घ	व	क	
१	२	३	४	५	६	७	
रबी १९६८	चावल	तमिलनाडु	२८.७१	३६.६१	२०.५६	४३.०७	
रबी १९६८	चावल	तमिलनाडु	२८.५६	३६.६८	२०.८६	४५.०२	
रबी १९६८	चावल	तमिलनाडु	३२.२५	३६.०८	—	—	
रबी १९६८	गेहूँ	पंजाब	२५.९०	३५.११	१७.१५	२३.६६	
रबी १९६८	गेहूँ	पंजाब	२६.४७	३५.६१	१७.१५	१६.६२	
रबी १९६८	ज्वार	महाराष्ट्र	—	—	५.५६	१२.६०	
रबी १९६८	ज्वार	महाराष्ट्र	—	—	१६.३१	२०.७८	

* उन्नत रीतियाँ : क—बीज उपचार; ख—रासायनिक उर्वरकों का अनुप्रयोग;

ग—निरोधी पौध सरकार उपाय; घ—अन्तः शस्यकर्षण क्रियाएँ (निराई-गुडाई)

सारणी ६.१ में कॉलम (४) व (५) तथा कॉलम (६) व (७) के उपज अन्तर स्वतः स्पष्ट हैं। यह रिपोर्ट इस तथ्य की पुष्टि करती है कि कीटनाशक दवाइयों का सामयिक अनुप्रयोग उपज में बृद्धि करता है और कुछ परिस्थितियों में यह बृद्धि १०० प्रतिशत तक भी होती है। सारणी से स्पष्ट है कि उन लोगों को जो दूसरी अन्य रीतियों के साथ साथ निरोधी पौध-सरकार उपाय भी करते हैं, उन लोगों की अपेक्षा जो ये उपाय नहीं अपनाते, अच्छी फसल प्राप्त होती है।

संक्षेप में, पौध-संरक्षण उपयोग ग्रन्थ-उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रयासों के संपूरक हैं। ग्रन्थ में आत्मनिर्भरता उपज बढ़ाने तथा बचाने वाली निविडियों के संयुक्त अनुप्रयोग द्वारा ही प्राप्ति की जा सकती है। इसीलिए कीटनाशक पदार्थों का पहल्ते हैं। समय रहते ही वह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि कही हमारी बड़ी कठिनाई से उपजाई फसल को कीड़े न छाट कर जाएँ। भारत में लगभग २४० करोड़ चूहे हैं। यह देखना जरूरी है कि ये कृष्णक प्राणी कही अनाज को ले जाकर इसका घपने विलो में भड़ार न कर ले वर्ता मिथाई स्फीमों, उर्वरक कारखानों तथा अनुसधान में निवेशित इतनी बड़ी धनराशि व्यर्थ ही जाएगी और उसका कोई लाभ नहीं होगा।

यद्यपि अनुसधान, उर्वरक तथा सिंचाई उपज में वृद्धि करते हैं परन्तु इनसे प्राप्ति लाभों को पौध-संरक्षण द्वारा ही बचा कर रखा जा सकता है। प्रभावों पौध-संरक्षण कुपक के उत्पादन में स्वायित्र लाने के लिए जरूरी है।

पौध-संरक्षण को सुबह नियन्त्रण-प्रक्रिया निम्ने उपायों से विरचित है—

- (क) कर्पंण नियन्त्रण (कल्चरल कन्ट्रोल) व रीतियों का प्रयोग जैसे फसलों का हर-फेर आदि,
- (ख) भौतिक तथा यान्त्रिक नियन्त्रण (फिझीकल एण्ड मैकेनिकल कन्ट्रोल) जैसे चूहों का उन्मूलन, जाली से पकड़ना अथवा भोजन व फसलों का प्रत्योक्षन देकर उन्हें फासना, तथा परजीवियों व परजक्षियों का उपयोग (विलियो द्वारा);
- (ग) जैव नियन्त्रण (बाइलोजिकल कन्ट्रोल) जैसे कीट प्रतिरोधी किस्म के बीजों का विकास
- जथा (घ) रासायनिक नियन्त्रण (केमिकल कन्ट्रोल) अर्थात् फसलों पर रसायनों (अर्थात् नाशकजीव नाशी पदार्थों) का छिड़काव आदि।

इन अध्याय में हमारा अध्ययन नाशकजीव नाशी रसायनों के उपयोग से सबधित है।

६.२ नाशक-जीव-नाशी पदार्थों का वर्गीकरण

नाशकजीवनाशी पदार्थ वे रसायन हैं जो पौधों की परिरक्षा करते हैं। कोटनाशी पदार्थों के रूप में वे पौधों को लगाने वाले कीड़ों को नष्ट करते हैं। शाकनाशी खरपतवार को समाप्त करते हैं पौधों को रोग्यस्त करने वाले जीवाणुओं तथा फग्स के सक्रमण को रोकने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायनों को फंगसनाशी कहते हैं। फसलों को क्षति पहुँचाने वाले चूहों को मारने के लिए कृष्णकनाशी पदार्थों का उपयोग किया जाता है। नेमांटोडीनाशी रसायनों द्वारा मिट्टी में संर्पनीन आदि कीड़ों का नियन्त्रण किया जाता है। मेरे सब कृपोय नाशकजीव नाशी पदार्थ हैं और पौध-संरक्षण हेतु उपयोग में लाए जाते हैं।

६.३. नाशक जीवनाशी रसायनों का उत्पादन तथा उपयोग

भारत में पौध-संरक्षण अर्थशास्त्र, जीवनाशी रसायनों की लाभकारिता तथा इनकी मांग को निर्धारित करने वाले उपादान आदि विषयों पर बहुत कम आनुभविक अध्ययन हुआ है। इन विषयों का विश्लेषण करने से पूर्व इन रसायनों के उत्पादन तथा उपयोग के स्वरूप व

आकार को समझ लेना उपयुक्त ही होगा। सारणी ६.२ में, भारत में जीवनाशी उद्योग (पेस्टिसाइड इण्डस्ट्री) की अनुमतिप्राप्त क्षमता (लाइसेंस्ड कंपेसिटी) तथा उत्पादन में सबूद्धि को दर्शाया गया है। यह बात व्यान देने योग्य है कि मूल्य में भारत में हमारी चानू वार्दिक आवश्यकता के केवल ६० प्रतिशत का उत्पादन किया जाता है। शेष ४० प्रतिशत का आयात करना पड़ता है जिस पर प्रतिवर्ष ४ करोड़ रुपये की राशि व्यय करने पड़ती है।

सारणी ६.२ जीवनाशी पदार्थों की अनुमतिप्राप्त क्षमता तथा उत्पादन (टनों में)
(लाइसेंस्ड कंपेसिटी एण्ड प्रोडक्शन)

वर्ष	अनुमतिप्राप्त क्षमता	उत्पादन
१९६०	६१०८	७४४२
१९६१	१८७२१	८६८४
१९६२	१६६३६	८५६१
१९६३	२६०६०	८५७३
१९६४	२६६६०	१०५६३
१९६५	३५१४१	१२६७०
१९६६	३७६००	१४१३७
१९६७	५११२८	१५३६५
१९६८	५३०३३	१६०७८
१९६९	६३०१४	१८६४७
१९७०	६६६१४	२६०००

स्रोत : पेस्टिसाइड बसोसिएशन ऑफ इन्डिया, "पेस्टिसाइडस प्रोडक्शन एण्ड कन्जन्यशन।"

यद्यपि उद्योग की अनुमति-प्राप्त क्षमता ६०००० टन है परन्तु उद्योग की प्रतिष्ठापित क्षमता (इन्स्टालेड कंपेसिटी) लगभग ४०००० टन है। वास्तविक उत्पादन प्रतिष्ठापित क्षमता का ६५ प्रतिशत बनता है। क्षमता से कम उत्पादन का कारण सम्भवतः यह है कि हमारा उपभोग उत्पादन के अनुरूप नहीं है। औथी पचवर्षीय योजना के अन्त में लगभग ८ करोड़ हैक्टर भूमि में पीढ़ों की रक्षा के उपाय किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए बोज का उपचार किया जाएगा, खरपतवार को नष्ट किया जाएगा और बुबाई के बाद पीढ़ों में रोगों की रोकथाम की व्यवस्था की जाएगी। उपचारित बोज २ करोड़ ६० लाख हैक्टर में बोए जाएगे। एक करोड़ हैक्टर में चूहों को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की जाएगी; अनुमान है कि इस कार्यक्रम के लिए ६८००० टन जीवनाशी रसायनों की आवश्यकता होगी।

सारणी ६.२ से स्पष्ट है कि भारत में जीवनाशी पदार्थों के उद्योग का पर्याप्त विकास हो चुका है और इनका शक्य उत्पादन (पोटेंशियल प्रोडक्शन) मामूली आयात की सहायता से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। यह बात अलग है कि उपयोग के लिए वाद्धनीय पदार्थ उपयुक्त मात्रा में प्राप्त न भी हो।

देश में जीवनाशी पदार्थों का वास्तविक उपयोग बहुत कम है और इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। लवन पूर्व तथा लवनोत्तर (प्रो-हारवेस्ट एण्ड पोस्ट हारवेस्ट) हानियों को कम करने के लिए इन पदार्थों के लक्ष्य-स्तर तथा वास्तविक उपभोग-स्तर में अन्तर को कम करना बड़ा आवश्यक है। उपभोग के आंकड़े सारणी ६.३ में दिए गए हैं।

सारणी ६.३ नाशक जीवनाशी पदार्थों का उपभोग

(टनों में)

वर्ष	तकनीकी प्रेड पदार्थों का कुल उपयोग
१९६०-६१	८६२२
१९६१-६२	१०३०४
१९६२-६३	६८६०
१९६३-६४	११०३०
१९६४-६५	१२०६५
१९६५-६६	१४६३०
१९६६-६७	१७१३७
१९६७-६८	२०६००
१९६८-६९	२८२००*

* प्रत्यावित्त

घोट : पेस्टिसाइट्स असोसिएशन ऑफ इण्डिया "रिपोर्ट ऑफ पेस्टिसाइट्स एण्ड प्लाट प्रोटेक्शन" नई दिल्ली, १९६८.

मारत में नाशकजीव नाशी पदार्थों के उपयोग के आकार का विश्लेषण करते समय प्रति हैक्टर कुल फसल क्षेत्र तथा प्रति हैक्टर सरक्षित क्षेत्र में इन रसायनों के उपभोग को परिकलित करने की आवश्यकता होगी। ऐसा करने से हम अपने उपभोग की मन्य विकसित देशों के साथ तुलना कर सकते हैं।

सारणी ६.४. नीशकजीव नाशी पदार्थों का उपभोग (प्रति हैक्टर फसल क्षेत्र व प्रति हैक्टर सरक्षित क्षेत्र)

(प्रामो में)

वर्ष	जीवनाशी पदार्थों का कुल फसल क्षेत्र	कुल सरक्षित क्षेत्र में उपभोग (प्रामो में)	प्रति हैक्टर का उपयोग (टनों में) (जाव हैक्टरों में)	प्रति हैक्टर (फसल क्षेत्र) (सरक्षित क्षेत्र)	प्रति हैक्टर
१९६०-६१	८६२२	१५२७	६५	५६	१३२६
१९६५-६६	१४६३०	१५५३	१६६	६४	८८१
१९६६-६७	२८२००	१५५४	४००	१८१	७०५

घोट : दक्षिण भारतीय हवि '१० वाँ सक्तरण को सारणी १०.३ पर आधारित।

भारती से स्पष्ट है कि रिक्षे १० वर्षों में जीवनाशी पदार्थों का उपभोग तिगुने से भी अधिक बढ़ गया है परन्तु १८१ ग्राम प्रति हैक्टर का उपयोग समार में सबसे कम में से एक है। जापान, युरोप तथा अमरीका में यह उपयोग क्रमशः १०३६०, १८७० तथा १४८० ग्राम प्रति हैक्टर है। जीवनाशी पदार्थों के उपभोग से सम्बन्धित तुलनात्मक अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में इन पदार्थों पर प्रति हैक्टर औसत खर्च २ रु. १५ पंसे है जबकि अमरीका तथा जापान में यह व्यय क्रमशः ३५ रुपये तथा ११० रुपये प्रति हैक्टर है।

जातव्य है कि सधन कृषि जिला कार्यक्रम (IADP भारतम् १६६०-६१) तथा सधन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम (IAAD : भारतम् १६६४-६५) का मुख्य उद्देश्य सपन खेती को बढ़ावा देना था तथा ये कार्यक्रम नई कृषि-ब्यूहरचना के आरम्भिक चरण थे, परन्तु इन कार्यक्रमों का कार्य परम्परागत किस्मों की फसलों तक सीमित था। अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों को १६६६ में अपनाया जाने लगा। इम समग्र ब्यूहरचना का मुख्य उद्देश्य कृषि-विकास के लिए नवीन सम्मावनाओं को उत्पन्न करना था। प्रश्न उठता है कि हमारा जीवनाशी पदार्थों का उपयोग-आकार (पेस्टिसाइड्स यूज पैटर्न) उपरोक्त लक्ष्यों के कहाँ तक अनुरूप है और क्या इन कार्यक्रमों में जीवनाशी पदार्थों के उपयोग को उचित स्थान दिया गया है?

सारणी ६.४ से पता चलता है कि सधन कृषि जिला कार्यक्रम (स.कृ.जि. का), सधन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम (स.कृ.क्षे.का), अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम (य उ.कि.का.) तथा कृषि-उत्पादन हेतु विज्ञान व टैक्नॉलॉजी पर आधारित नवीन ब्यूहरचना में जीवनाशी पदार्थों के उपयोग को उपयुक्त महत्व नहीं दिया गया। रिक्षे वर्षों में प्रति हैक्टर (सरक्षित क्षेत्र) उपयोग १३२६ ग्राम से कम होकर ७०५ ग्राम प्रति हैक्टर हो गया है जो आधे से घोड़ा ही अधिक है।

हम यह बता चुके हैं कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास, सिचाई-सुविधाओं के उपयोग में विस्तार तथा उर्वरकों की सप्लाई में प्रसार के फलस्वरूप फसलों पर कीटों तथा रोगों की प्रभाववश्यता बढ़ गई है और यह बड़ा ज़रूरी है कि नायक जीवों तथा रोगों की फसलों द्वारा बढ़ती हुई इस प्रहरणशीलता (सुग्राह्यता) पर काढ़ पाने के लिए जीवनाशी पदार्थों के उपयोग को भी अनुरूप मात्रा में बढ़ाया जाए। कम से कम विभिन्न निविदियों के उपभोग-अनुपातों को तो बनाए रखना ही चाहिए। सारणी ६.५ देखें।

सारणी ६.५ जीवनाशी पदार्थों-उर्वरकों का उपभोग-अनुपात

(१)	(२)	(३)	(४)
वर्ष	उर्वरकों का उपभोग (टनों में)	जीवनाशी रसायनों का उपभोग (टनों में)	जीवनाशी-उर्वरक-अनुपात (३)-(२)
१६६०-६१	३०२,०००	८६२२	.०२८
१६६५-६६	७७५,०००	१४५३०	.०१६
१६६८-६९	१७७४,०००	२८२००	.०१६

स्रोत : 'संक्षिप्त भारतीय कृषि' १० वी संस्करण की सारणी १०.५ पर आधारित।

१९६०-६१ में प्रत्येक किलोग्राम पोषक-पदार्थ के पीछे २८ ग्राम जीवनाशी पदार्थ उपयोग में लाए जा रहे थे जबकि १९६६ में प्रत्येक किलोग्राम उर्वरक के साथ केवल १६ ग्राम जीवनाशी पदार्थों का उपयोग किया जा रहा था। अब निविटियों से इष्टतम फल प्राप्त करने के लिए १९६१ के सतुलन को पुनःस्वापन करने की आवश्यकता है। पौध-संरक्षण कृषि आधुनिकीकरण का अभिन्न भाग है परन्तु जीवनाशी पदार्थों का उपयोग उस समय तक बढ़ाया नहीं जा सकता जबतक कृपक, कीड़ों तथा रोगों से होने वाली आर्थिक हानि को अनुभव नहीं करता और इस हानि को रोकने में पौध-संरक्षण के महत्वपूर्ण योगदान के प्रति जागरूक नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों में पौध-संरक्षण-प्रोग्राम में हम रोग-रोधक दृष्टिकोण (प्रोफिलेक्टिक अप्रोच) अपनाते रहे हैं। जीवनाशी पदार्थों का अनुप्रयोग सरकारी उपदान (सबसीडी) की सहायता से पूर्वोपाय के रूप में किया जाता रहा है चाहे नाशक जीवों के आक्रमण का भय न भी हो और बिना यह जाने हुए कि उनको ज़रूरत है भी या नहीं, ऐसा होता रहा है। वास्तव में हमारे दृष्टिकोण में आर्थिक गम्भीरता का अभाव रहा है। पौध-संरक्षण-समस्याएँ इतनी सरल व साधारण नहीं हैं जितनी जान पड़ती हैं। ये समस्याएँ मिन्न-मिन्न ऋतु, मिन्न-मिन्न फसलों तथा मिन्न-मिन्न क्षेत्र के लिए मिन्न-मिन्न हैं। अतः ऋतु, फसल तथा क्षेत्र के अनुसार इन समस्याओं के अभिनिर्धारण (आइडेंटीफिकेशन) की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त रोगरोधक दृष्टिकोण दौर्घटकालीन आधार पर अधिक खर्चीका है और न्यून लाभ वाली वार्षिक फसलों के कारण इसे अपनाया नहीं जा सकता। रोग-रोधक उपाय उनी स्थिति में सामाकारी तिद्ध हो सकते हैं जब फसलों को रोगों के आक्रमण का लागतार भय हो। यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि रसायनों का अनावश्यक उपयोग वातावरण-प्रदूषण तथा अन्य विकट गम्भीरों को उत्पन्न करता है जो कम चिन्ता की बात नहीं है।

६.४ जीवनाशी रसायन उपयोग अर्थशास्त्र

यह एक साधारण आर्थिक कथन है कि लाभ, लागत से अधिक होना चाहिये। इसलिए जीवनाशी पदार्थ-अनुप्रयोग-कार्यक्रम का मूल्यांकन भी निविटि-प्रतिफल अनुपात (इनपुट रिटन रेशो) या लागत-लाभ (अर्थात् लागत निवतं शाति) (कोस्ट डेमेज एवंटेड रेशो) अनुपात द्वारा ही करना होगा।

सामान्यतः कृपक जीवनाशी पदार्थों का उपयोग करने की ओर प्रवृत्त नहीं होगे जब तक उन्हें यह पूर्ण विश्वास न हो जाए कि ऐसा करना लाभप्रद है। अतः रसायनों को उपयोग करने का निर्णय उनके उपयोग के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले प्रतिफल तथा लाभ पर निर्भर होगा। जीवनाशी रसायन उपज बचाऊ (यील्ड सेविंग) निविटियाँ हैं तथा इनसे प्राप्त प्रतिफल उनकी लागत के ऊपर फसल को उस मात्रा के मूल्य से आंका जाएगा जो इनके उपयोग के परिणामस्वरूप बचाया जाएगा।

जीवनाशी पदार्थ उपयोग से लाभ=बचाई गई फसल का मूल्य (निवतं-शाति)
—जीवनाशी पदार्थों पर व्यय

लागत-लाभ दृष्टिकोण के अनुसार कृपक जीवनाशी पदार्थों का उपयोग करेगा यदि निवर्त-हानि ग्रथान् व व्यापार हुई फसल का मूल्य उनकी लागत से अधिक हो। अब वचायी हुई फसल का मूल्य उसकी मात्रा तथा कीमत द्वारा निर्धारित होता है।

फसल की वह मात्रा जो क्षति से बचायी जा सकती है निम्न बातों पर निर्भर है :

(१) नाशकजीवों के आक्रमण द्वारा किस सीमा तक फसल के प्रभावित होने की सम्भावना है अर्थात् आक्रमण को प्रकृति व स्वरूप क्या है तथा यह आक्रमण कितना तीव्र है?

(२) जीवनाशी पदार्थ कितने प्रभावी हैं अर्थात् ये पदार्थ नाशक जीवों के आक्रमण के विरुद्ध किस सीमा तक प्रभावी हैं?

(३) यदि नाशक जीवों का आक्रमण न होता तो कितनी उपज होती।

दूसरी ओर जीवनाशी पदार्थों की अनुप्रयोग-लागत इन बातों पर निर्भर है :

(१) किस प्रकार का तथा कितना जीवनाशी पदार्थ प्रयोग किया गया है?

(२) अनुप्रमुक्त पदार्थ की कीमत क्या है?

तथा (३) उनके अनुप्रयोग की कौन-सी विधि अपनाई गई है?

कहने का अभिन्नाय यह है कि कृपक का यह निर्णय कि आया वह जीवनाशी पदार्थों का उपयोग करे या न करे, कौन-सा और कितना पदार्थ उपयोग करे इस बात पर निर्भर है कि इनके उपयोग करने की स्थिति में उसे कितना जोखिम उठाना पड़ेगा। अतः यह निर्णय नाशक जीवों के आक्रमण की तीव्रता तथा प्रभाव, आक्रमण के न होने पर फसल की उपज, फसल की कीमत तथा जीवनाशी पदार्थों की लागत द्वारा निर्धारित होता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कृपक की जीवनाशी पदार्थों की मांग उन्हीं नियमों द्वारा निर्धारित होती है जिनका उल्लेख हमने उर्वरकों की मांग के सम्बन्ध में किया था। अन्तर केवल इनना है कि उर्वरक उपज-बढ़ाऊ निविष्टियाँ हैं जबकि जीवनाशी पदार्थ उपज-बचाऊ निविष्टियाँ हैं। दोनों को बाजार से खरीदना पड़ता है।

वास्तव में कृपक जीवनाशी पदार्थों के अनुप्रयोग से होने वाले परिशुद्ध प्रतिकल को जात नहीं कर सकता। निश्चित रूप में तो वह यह भी नहीं कह सकता कि आया उसकी फसल नाशकजीवों द्वारा प्रभावित होगी या नहीं? बाजार तथा मौसम की अनिश्चितताओं के कारण वह फसल की उपज या उसकी ठीक कीमत भी नहीं जानता। अधिक से अधिक वह इन पदार्थों से प्रत्याशित प्रतिफल का अन्दाजा ही लगा सकता है। इसलिए उसकी मांग फसल की कीमत व उपज-प्रत्याशाओं (प्राइस एण्ड यील्ड एक्सप्रेक्टेशन) पर निर्भर है।

अन्ततः हम कह सकते हैं कि उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए, जो तीव्र नाशकजीवों के आक्रमण के प्रभाववश्य हैं, जीवनाशी पदार्थों की मांग कम मूल्य वाली फसलों जिन पर प्रभाव अधिक तीव्र नहीं होता, की अपेक्षा अधिक है। दूसरी ओर अ. डि. किस्मों के विकास, उर्वरकों के अधिक अनुप्रयोग तथा फसलों को उगाने से सम्बन्धित कर्यालय परिवर्तनों (जैसे बोने के समय में परिवर्तन, फसलों का हेर-फेर) से अधिक उपज की सम्भावनाएँ ही नहीं बढ़ी परन्तु इन नवक्रियाओं ने नाशकजीवों की तीव्रता तथा उनके आक्रमणापात्र (इनसीडेन्स ऑफ अट्रेक) की भी प्रभावित किया है जिसके कारण इन पदार्थों की मांग में

बुद्धि हुई है। कहने का अभिप्राय यह है कि कूपि-टैकनॉलोजी के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्याओं तथा उनके कुप्रभावों का निदान भी साथ हो जाना चाहिये, तभी इन नवक्रियाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकेगा। उदाहरणार्थ, वर्तमान स्थिति में हमें पौध-रोगों तथा नाशकजीवों व कीड़ों का पता लगाना पड़ेगा, उनकी उपस्थिति, वितरण तथा रोगों की तीव्रता आदि समस्याओं का निर्धारण करना पड़ेगा ताकि नियन्त्रण-उपायों का अधिक बुद्धिमत्ता से प्रयोग किया जा सके। केवलप्रात्र रोग-रोधक उपाय पर्याप्त नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि विस्तार तथा अनुसंधान-कार्य का इस दिशा में विशेष महत्व है।

६.५ शिक्षा तथा विस्तार का कार्य का महत्व

जीवनाशी पदार्थों के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि उनकी शक्ति अधिक समय तक नहीं रहती। कीड़े व जीवों में उनके लिए प्रतिरोध का विकास हो जाता है और वे पदार्थ जो कभी बहुत प्रभावी होते थे, इस प्रतिरोध के कारण प्रभावहीन हो जाते हैं। इसी प्रकार कई कीड़े समय बीतने पर हानिकारक सिद्ध होते हैं। इसलिए नवीन अधिक सुरक्षित तथा अधिक प्रभावी व हमारी परिस्थितियों के उपयुक्त दबाइयों का विकास करने के लिए लगातार अनुसंधान की आवश्यकता है। जहाँतक समव हो पौध-संरक्षण-विधियों के स्थानीय-करण के प्रयास किए जाने चाहिये।

नाशकजीवनाशी पदार्थों को लोकप्रिय बनाने के लिए खेतों में निर्दर्शनों तथा सबर्घन-प्रयासों की आवश्यकता है। यह जल्दी है कि कृपक यह स्वयं देख सके कि कम लाभत पर जीवनाशी पदार्थ 'फसलों' को बचाने में कितने प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। इन पदार्थों को ठीक तथा सुरक्षित प्रकार से उपयोग करने का प्रशिक्षण देना भी ज़रूरी है ताकि कृपक द्वारा उनका दुरुपयोग न हो। इसके लिए समाचार पत्र, रेडियो तथा प्रकाशित पुस्तकों की सहायता लेनी पड़ेगी। सरकार एजेंसियों, कृषि विश्वविद्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र इस सबध में तकनीकी सलाह दे सकते हैं। इसके लिए स्थानीय करण-सुविधाओं तथा सुहृद एवं विशाल वितरण व्यवस्था का होना भी ज़रूरी है। यह मुनिश्चित कर लेना चाहिये कि कृपकों को ये पदार्थ उचित मात्रा में उचित समय पर तथा उचित दाम पर उपलब्ध हों। यह कार्य वितरकों, उप-वितरकों, परचून दुकानदारों तथा सहकारी समितियों द्वारा किया जा सकता है।

६.६ पौध-संरक्षण तथा सरकारी सहायता

पिछले कुछ वर्षों तक पौध-संरक्षण का कार्य एक उपदान प्रणाली (झांडर ए सिस्टम मॉफ सबसिडी) के अधीन मुख्यतः सरकारी एजेंसियों तथा सहकारी समितियों द्वारा ही होता रहा है। इसके लिए प्रत्येक राज्य में एक विशेष संस्थान की स्थापना आवश्यक है जो कि कृपकों के खेतों पर रसायनों के छिक्काव व भाड़ने (प्रकोरण) का काम कर सके। मारत सरकार ने कोट-नियन्त्रण, तथा जीवनाशी रसायनों के समाहरण में तकनीकी सहायता देने के लिए पौध-संरक्षण, निरोधायन एवं भांडारण-निदेशालय (डाइरेक्टोरेट मॉफ प्लाण्ट प्रोटक्षन, बारेन्टाइन एण्ड स्टोरेज) की स्थापना की है। यह निदेशालय फ्रेंचीय केन्द्रों

द्वारा इस कार्य को करता है तथा वितरण-उपस्करणों की भी व्यवस्था करता है। प्रक्षस्मात् नाशक जीवन आकर्षण की स्थिति में ग्रेकेता व्यक्ति कुछ तर्हीं कर सकता। अतः महामारी पड़ने पर केन्द्रीय तथा राज्य की सरकारों का कर्तव्य हो जाता है कि वे मुफ्त (निःशुल्क) वा उपदान के रूप में छिड़काव का प्रबन्ध करें। प्रति घूम आपतन आकाशी छिड़काव (ग्रल्टा-नो बॉल्यूम ऐरियल स्प्रेयिंग) कोट-नियन्त्रण की सबसे प्रभावी तथा सस्ती विधि है। भारत में इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। १९६८-६९ में भारत के पास २१ कृषि बायुयान थे। १९६८-७० में यह सख्त्या ६६ हो गई है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से ६० लाख डालर का कृत्ता लिया गया है जिसमें इस उद्देश्य के लिए ३५ हेलीकॉप्टर तथा ४७ जहाज खरीदे जाएंगे। चौधी योजना के अन्त तक २४ लाख हेलीकॉप्टर भूमि पर आकाशी छिड़काव का प्रबन्ध हो जाएगा। त्रिकारी कृषि बायुयान जिन्हे 'उडन ट्रूक्टर' भी कहते हैं, उवंरक छिड़कने तथा भाड़ने के काम में भी लाए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जीवनाशी उपस्करों के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। हाय तथा भक्ति से चलने वाले विभिन्न प्रकार के फुहारों तथा प्रकीर्णों का देशी कच्चे माल तथा घटकों से निर्माण किया जा रहा है। शक्ति चालित हल्का छिड़काव यन्त्र जिसे 'झोला-फुहारा' कहा जाता है काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस फुहारे का एक परिवर्तित रूप बनाया गया है, जो उवंरकों को छिड़कने के काम में लाया जा रहा है।

६.७ नाशक जीवनाशी पदार्थ तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य

पौध-संरक्षण कार्यक्रम के लागू करने में भी काफी ज़ोखिम व सकट है। बहुत से जीवनाशी पदार्थ जो कृषि-उत्पादन के लिए बहुत जरूरी हैं, विपर्येके होते हैं। इनमें से कुछ रमायन काफ़ी लम्बे समय तक मिट्टी तथा जल में ठहरे रहते हैं। कई बार इस दोष-स्थायित्व के कारण बातावरण इतना दूषित हो जाता है कि पुनः ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए यह बड़ा जरूरी है कि सार्वजनिक हितों तथा स्वास्थ्य का सभावी सकटों से सरकारण किया जाए। यह देख लेना चाहिये कि इनके उपयोग से कहीं बन्यजीवन, मर्त्य तथा मन्य लाभकारी जीवों तथा कीड़ों पर कुप्रभाव न पड़े। लगातार अनुसंधान नितात आवश्यक है ताकि ऐसे रसायनों का उत्पादन किया जा सके जो पशुओं और प्राणियों दोनों के लिए अधिक सुरक्षित हो और साथ ही पौध संरक्षण के लिए अधिक प्रभावी भी हो। जीवनाशी पदार्थ (सस्ते) आर्थिक विष हैं और उनका विपणन सरकारी नियमों के अधीन नियमित होना चाहिये। कानून में जीवनाशी पदार्थों के उपभोक्ताओं तथा इनके द्वारा संक्षिप्त उत्पाद के उपभोक्ताओं दोनों की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये। किसी भी रसायन को बाजार में लाने से पहले निर्माता कों इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण देना चाहिये कि, (१) रमायन लेवल पर लिखे गए कीड़ों के विरुद्ध प्रभावी है तथा (२) यह रसायन निर्देशानुसार प्रयोग करने पर मनुष्यों, फसलों, पशुओं और बन्य प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाएगा। सभावी अवशेष रचनाको चिह्नित करने के लिए सतत अनुसंधान तथा अध्ययनों की आवश्यकता है ताकि भावी कीटनाशी पदार्थों के अनुप्रयोग से अधिकतर प्रभाव तथा मुरक्का सुनिश्चित की जा सके।

६.८ कृषि-रसायनों में नवीन संभावनाएं

भारतीय कृषि-अनुसंधान-संस्थापन, नई दिल्ली में किये गये प्रयोगों से यहा चला है कि वानस्पतिक उद्गम के कुछ देशी पदार्थ तथा कुछ औद्योगिक अपशेष (रही) पदार्थ जीवनाशी पदार्थों के साथ योगवाहकों (मिनरजिस्ट) के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं। कीटनाशी पदार्थ के सक्रियता-क्षेत्र का विस्तार करने के साथ-साथ योगवाहक, कीटनाशी अपशेषों की समस्या को भी कम करते हैं। योगवाहक, कीटनाशी पदार्थों के साथ सहक्रिया करते हैं और उनके आधिक, दक्ष तथा सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। मिश्रित, बहुक्षसनी प्रबन्धा रिले खेती के कारण फसने एक से अधिक कीड़ों द्वारा पीड़ित हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में वह कीटनाशी पदार्थ, जो एक ही प्रकार के कीड़ों को नष्ट कर सके, उपयोग सिद्ध नहीं होगा। इसके लिए एक ऐसे 'बहुक्रिया वाले कीटनाशी' पदार्थ का विकास करना होगा जो एक से अधिक दर्गों के कीड़ों का नाश करे। सुव्यवस्थित उद्योग के अनेक अपशेषों व बेकार पदार्थों में फग्सनाशी, कीटनाशी, ऐकेराइननाशी विशेषताएं हैं और वे 'त्रिक्रिया' जीवनाशी पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। अनुसंधान द्वारा ही यह कार्य किया जा सकता है।

कीड़ों के रासायनिक नियन्त्रण के अतिरिक्त अनेक रीतियाँ तथा उपाय हैं जो इन्हीं उपयोगों द्वारा हो सकते हैं। इस दिशा में अनेक विविध संभावनाएँ हैं जैसे जनन को रोकने के लिए कीड़ों, शूहों तथा वक्षियों का बढ़करण (स्टिरलाइजेशन), अत्यर्थकों विशेषकर लिंग हार्मोन्ज द्वारा कीड़ों को मृत्यु की ओर फुसलाना, ऐसी आनुवंशिक असंगत नस्लों (विभेदों) का जनसंख्या में डालना ताकि सामान्य व्याप्ति जन्म न ले सकें। वास्तव में ये उपाय समाकलित नियन्त्रण की मुख्य योजना के अंग होने चाहियें।

अध्याय ७

यन्त्रीकरण

६.१ यन्त्रीकरण तथा उसका महत्व

हम पिछले अध्यायों में ग्रंथिक उपज देने वाले बीजो, सिचाई, उर्वरक तथा पौध-संरक्षण रसायन आदि आधुनिक निविष्टियों के महत्व का अध्ययन कर चुके हैं, परन्तु इन निविष्टियों का पूरा लाभ नभी उठाया जा सकता है यदि फार्म-कियाएँ (फार्मिंग आपरेशन्स) उल्काप्ट, सामयिक तथा सातोपजनक हो। आधुनिक कृषि में फार्म कियाओं की परिशुद्धता तथा सामयिकता का विशेष महत्व है। कहने का ग्रन्तिरायः यह है कि आधुनिक निविष्टियों में लगाए गए निवेश से अधिकतम लाभ नवीन तथा उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर तथा दक्ष व सु-प्रनुकूलित (वेल अडेप्टेड) मशीनों का उपयोग करके ही प्राप्त किया जा सकता है। सधन कृषि तथा बहु फसली कृषि मी मशीनों पर निर्भर है। यही कारण है कि 'ट्रैक्टर' को आधुनिक कृषि का 'प्रतीक' कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में परस्पर नियाशील आनुवाशिक-रासायनिक-सिंचन-स्थोजनो (इन्टर एक्टिंग जिनेटिक केमिकल इरीगेशन कोम्बीनेशन्स) द्वारा अन्न-उत्पादन में प्रस्फोटक बृद्धि हुई है जिसके कारण और अधिक यन्त्रीकरण की मांग भी बढ़ गई है। निच्चय ही यन्त्रीकरण अर्थात् यांत्रिक शक्ति का उपयोग कृषि के आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण सकेतक है।

किसी भी ग्रोजार, उपकरण अथवा मशीन के उपयोग को, जिससे कृषक को अधिक बेहतर फसल उपजाने में सहायता मिले या जिससे कृषि-कियाएँ अधिक आराम से, कम समय में और कम खर्च पर की जा सकें, यन्त्रीकरण करते हैं। मुख्यतः यन्त्रीकरण का अर्थ है कृषि-दक्षता को बढ़ाने हेतु यांत्रिक शक्ति का उपयोग। यह सर्व ही है कि सिचाई, परिवहन तथा अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में यांत्रिक शक्ति का अनुप्रयोग कर कृषि-दक्षता को काफी बढ़ाया जा सकता है। बड़े पैमाने पर, भू-तंत्रयारो, भू-रूपातरण तथा भूमि-संरक्षण जैसे उपाय मशीनों तथा कपंण- (जुताई) उपस्कर्तों के बिना नहीं किए जा सकते। नवीन भूमि के उद्धार में भी यन्त्रीकरण का विशेष मार्ग है। पिछले कुछ वर्षों में यन्त्रीकरण द्वारा काफी बेकार तथा बंजर भूमि को उन्नत तथा खुशहाल बस्तियों में बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यन्त्रीकरण से अनेक उद्योगों का विकास होता है तथा अधिक रोजगार व अन्य सम्बद्ध लाभों के लिए नवीन अवसर उत्पन्न होते हैं। उदाहरणातः नलकूप-विकास देश में नवीन कृषि-ब्यूहरचना के मुख्य घटकों में से एक है। पम्प संट अधिक उपज के लिए जल पूर्ति को सुनिश्चित करते हैं तथा बहु फसली कृषि के लिए अवसर प्रदान करते हैं जिसके

परिणामस्वरूप प्रति इकाई क्षेत्रफल तथा प्रति श्रम-दिन उत्पादिता बढ़ती है तथा शक्ति समेत यांचिक यन्त्रीकरण की मांग उत्पन्न होती है। इस अर्थ में कटाई व गहाई विकासशील (उन्नतिशील) हैं। वे भी कृषि-उद्योग तथा विपणन-सेवाओं को सुधार करती हैं।

७.२ यन्त्रीकरण संवृद्धि

दक्ष कृषि के त्वरित विकास के सदर्शन में फार्म मशीनरी तथा कृषि ग्रोजार भी उतने ही जरूरी हैं जितने अ.उ कि. बोज, उर्बरक, कीटनाशी रसायन व मिचाई आदि निविट्याँ। अभिनव वर्षों में कृषि-उत्पादन के प्रयोगों में तेजी आने से ट्रैक्टरों तथा सम्बद्ध मशीनरी की मांग में चकित कर देने वाली वृद्धि हुई है। १९६६-६७ में ६०००० ट्रैक्टरों की मांग यों जबकि १९६६-७० में यह मांग बढ़कर १२५,००० हो गई है। कुछ एक छोटी में मांग में यह वृद्धि उत्पादन-प्रस्फोट तथा आय में मुधार के कारण हुई है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि यन्त्रीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः विकास द्वारा प्रेरित हुई है। यद्यपि देश में ट्रैक्टरों के उत्पादन में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है, फिर भी इनकी बड़ी कमी है। इस समय ८० हजार ट्रैक्टरों के लिए अजियाँ पड़ी हुई हैं। इन वर्षों में ट्रैक्टरों का काफी आयात करना पड़ा है। १९७०-७१ में ३५००० ट्रैक्टर आयात किए गए। १९७०-७१ में कृषि ट्रैक्टरों की उत्पादन क्षमता २०००० थी। १९७३-७४ तक ६५,००० ट्रैक्टर बनाने का लक्ष्य है। १९७३-७४ तक १००००० ट्रैक्टरों की मांग का अनुमान है। सारणी ७.१ में १९६१-७० की अवधि में हुई यन्त्रीकरण-संवृद्धि दी गई है।

सारणी ७.१ कृषि मशीनरी (१९६१-१९७०)

मशीन/उत्पादन	१९६१	१९६६	१९६८	१९७०
हल	४०६०००००	४३०६४०००	—	—
ग्राम कोल्हू	६२४०००	६६५०००	—	—
लघु डीजल इजन	२३००००	४७१०००	१६५७०००	२३५००००
विद्युत पम्प	१६००००	४१५०००		
ट्रैक्टर	३१०००	५५०००	६००००	१०००००

स्रोत भारत व कृषि भवानम्, भारत भरकर

७.३ यन्त्रीकरण की मात्रा (कोटि)

यन्त्रीकरण कृषि के माध्यनिकीकरण का महत्वपूर्ण मूलक है। माध्यनिकीकरण का विस्तार यन्त्रीकरण की मात्रा (कोटि) (डिग्री औफ मेकेनाइजेशन) द्वारा निर्धारित होता है। यन्त्रीकरण की मात्रा (कोटि), १००० हैक्टर फर्मल क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त यांत्रिक शक्ति की इकाईयों में व्यक्त की जाती है। यांत्रिक शक्ति की कुल इकाईयों को जात करने के लिए कृषि क्षेत्रों में प्रयुक्त विभिन्न मशीनों के लिए उनके योगदान के अनुसार भार (वेट्स) निर्दिष्ट करने पड़ते हैं। सारणी ७.२ में प्रत्येक ट्रैक्टर के लिए २ का भार तथा अन्य मशीन (डीजल इजन तथा विद्युत पम्प) के लिए १ का भार निर्दिष्ट किया गया है। सारणी ७.२

यन्त्रीकरण की मात्रा को व्यक्त करती है।

सारणी ७.२ कृषि में शक्ति-निविद्याएँ

वर्ष	तुल फसल धेन	ट्रैक्टर संख्या	दीजल इंजन व पम्प संख्या	यात्रिक शक्ति की इकाइयाँ (पा. म.)*	प्रति १००० हेक्टर (पा. म.)
	लाख हेक्टर		हजारों में	हजारों में	इकाई
१९६१	१५२७	३१	३६०	४५२	२.६६
१९६६	१५५३	५४	८८६	६६४	६.४०
१९६६	१५५४	६०	१६५७	२१३७	१४.४०
१९७०	१५८०	१००	२३५०	२५५०	१६.१४

* निरिण्ट भारत, ट्रैक्टर-२, इंजन व पम्प—१

सारणी में कृषि-मशीनरी के उपयोग की उपरिमुखी प्रवृत्ति स्पष्ट है। सारणी से यह भी स्पष्ट है कि यन्त्रीकरण संवृद्धि काफी तेज दर से हुई है। पिछले दस वर्षों में यात्रिक शक्ति का उपयोग पांच गुना से भी अधिक हो गया है।

७.४ यन्त्रीकरण तथा उत्पादिता-संवृद्धि

यहाँ कृषि यन्त्रीकरण तथा फसलों की उत्पादिता-संवृद्धि के सम्बन्ध पर विचार करना चाहिकर होगा। हम जानते हैं कि उत्पादिता में वृद्धि निम्न दो कारकों का परिणाम है:

(१) उपजाहि गई फसलों की उपज में वृद्धि के कारण

तथा (२) कम प्रतिफल वाली फसल के अधिक प्रतिफल वाली फसल द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्ति उचित शहस्र-स्वल्प परिवर्तन द्वारा।

इस सदर्भ में हमें इस बात का अध्ययन करना होगा कि उत्पादिता में वृद्धि तथा कृषि-यन्त्रीकरण एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं तथा उनके बीच सम्बन्धों से क्या निष्कर्ष निकलते हैं।

सारणी ७.३ में विभिन्न राज्यों में उत्पादिता-संवृद्धि तथा यात्रिक शक्ति के उपयोग के आंकड़े दिए गए हैं।

सारणी ७.३ के आंकड़ों का विश्लेषण करने से निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

(१) विभिन्न राज्यों में यात्रिक शक्ति के उपयोग के आंकड़ों में तुलना करने से पता चलता है कि इस संदर्भ में अन्तर-राज्य अन्तर काफी अधिक है। तमिलनाडु में सबसे अधिक अर्थात् प्रति १००० हेक्टर फसल क्षेत्रफल पर यात्रिक शक्ति की ४१.६ इकाइयों का प्रयोग किया जाता है जबकि उडीसा में उतने ही क्षेत्र पर ०.३ इकाइयों का प्रयोग होता है।

(२) दूसरा निष्कर्ष यह है कि मैसूर तथा बिहार को छोड़ कर जिन राज्यों में उत्पादिता की संवृद्धि-दर ऊची है (प्रथम् सर्वभारत औसत से अधिक है) उन राज्यों में यात्रिक शक्ति का उपयोग भी ऊचा है। उत्पादिता-संवृद्धि में प्रथम् ६ राज्य

सारणी ७.३ कृषि-उत्पादिता-सबूद्धि तथा यात्रिक शक्ति का उपयोग (राज्यवार)

राज्य	सबूद्धि-दर (प्रतिशत) *	कोटि (रेंक)	+यात्रिक शक्ति का उपयोग (प्रति एक हजार हैक्टर फैसल लेवर)	कोटि
	(१९६२-६३ से १९६४-६५ वर्षाव में)			
गुजरात	४.५२	१	११.३	३
तमिलनाडु	३.४६	२	४१.६	१
मैसूर	३.०३	३	४.४	६
पंजाब	२.८६	४	१३.६	२
आंध्र प्रदेश	२.७२	५	७.६	५
महाराष्ट्र	२.६२	६	८.५	४
बिहार	२.३९	७	१.२	११.५
उड़ीसा	१.७८	८	०.३	१४
यश्विनी बंगाल	१.४१	९	१.२	११.५
मध्य प्रदेश	१.३०	१०	१.३	१०
उत्तर प्रदेश	१.०१	११	३.०	८
केरल	१.००	१२	३.६	७
प्रासाम	— (०.०७)	१३	०.८	१३
राजस्थान	— (०.०८)	१४	१.५	६
सर्वभारत	१.६१		६.६	

* स्रोत सारणी ५.१७। इन्डियन एंप्रीकर्सर इन शीफ दातान सहकरण।

+ पश्च जनसंख्या (एडीसन) १९६६ के आंकड़ों से परिकलित।

नोट : बिहार तथा केरल के उत्पादिता-आंकड़े सशय रहित नहीं हैं। कोटियाँ अवरोही कम में हैं।

(गुजरात, तमिलनाडु, मैसूर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र) यात्रिक शक्ति के उपयोग की दृष्टि से भी उच्च कोटि में हैं।

(३) सर्वभग उन सब राज्यों में जहाँ उत्पादिता-बूद्धि की दरें न्यून रही हैं, वहाँ यात्रिक शक्ति का उपयोग भी सर्वभारत औसत से कम रहा है।

उत्पादिता-बूद्धि की दर तथा यात्रिक शक्ति के उपयोग के बीच सम्बन्ध का एक बेहतर माप 'स्पियर्मैन कोटि सहस्रम्बन्ध गुणांक' (स्पियर्मैन कोअफिशियन्ट अॅफ रैंक कोरिलेशन) है। यह सह-सम्बन्ध विभिन्न राज्यों के आंकड़ों के कोटि-निवारण द्वारा जात किया जाता है। सारणी ७.३ में दिए गए आंकड़ों के आधार पर उत्पादिता-बूद्धि-दर तथा यात्रिक शक्ति-उपयोग के बीच कोटि-सह-सम्बन्ध गुणांक ०.६८५ आता है जो ०.५ से अधिक है तथा इनके बीच पर्याप्त साहचर्य का परिचायक है। यात्रिक शक्ति के उपयोग का यह सूचकांक ५ प्रतिशत स्तर पर सार्वांक है।

उपरोक्त विवेचन से इस बात की पुष्टि होती है कि कुछ राज्यों में उत्पादन-प्रस्फोट तथा आय सुधार के कारण ही यन्त्रीकरण (विशेषतः ट्रैक्टरों) को माँग उत्पन्न हुई है। पजाब एक ऐसा ही उदाहरण है। विलोपत, यह शायद शक्ति का अभाव ही है जिसके कारण हम एक बहुत बड़े क्षेत्र में उपलब्ध आनुवंशिक-रासायनिक संयोजनों तथा भूमि-संसाधनों का उपयोग करने से विचित रहे हैं। उदाहरणार्थ केरल में लगभग कुल फसल क्षेत्र का पांचवां भाग सिंचित है, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में भी यह राज्य देश में दूसरे स्थान पर है जबकि प्रति हैक्टर सहकारों क्षण के परिमाण में यह पहले नम्बर पर है, परन्तु फिर भी कृषि-उत्पादन तथा उत्पादिता की वृद्धि को दर नीची है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में कुल फसल धन का तीसरा भाग सिंचित है, उर्वरकों के उपयोग में भी इसका स्थान चौथा है परन्तु उत्पादिता-वृद्धि को दर सर्वभारत औसत से नीची है। भूमि-रूपातरण, भू-सरकारण, सामयिक रोपण, तथा कृषि-जलवायु यांत्रिकीयों के अनुरूप फसलों तथा किस्मों की विजाइ, अधिक शक्ति तथा यन्त्रीकरण की माँग करते हैं। उपयुक्त फार्म-शक्ति की अप्राप्यता विकास में वाधक है।

सक्षेप में हम कह सकते हैं कि सारणी ७.३ में प्रस्तुत अन्तर्राज्य अन्तर कृषि के आधुनिकीकरण में भेदमूलक प्रगति के द्योतक हैं। कृषि का आधुनिकीकरण अधिक व बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में और इसके फलस्वरूप कृषकों को ऊँचा जीवन-स्तर प्राप्त करने में सहायता देता है। इसीलिए कृषि-इन्जीनियरिंग के क्षेत्र में हुए अभिनव अनुसंधानों तथा नवक्रियाओं से अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता है।

७.५ यन्त्रीकरण की सम्भावनाएँ तथा समस्याएँ

इससे पहले कि हम देश में यन्त्रीकरण की सम्भावनाओं तथा समस्याओं का अध्ययन करें, हमें 'यन्त्रीकरण' की धारणा को व्यापक सदर्भ में समझ लेना चाहिये। 'यन्त्रीकरण' से हमारा अभिप्राय केवल ट्रैक्टर तथा बड़ी-बड़ी मशीनों के प्रयोग से ही नहीं बल्कि लघु हस्तचालित तथा पशुचालित औजारों तथा उपस्करों के उपयोग से भी है। अतः द्योटी साधारण उन्नत हृत्यादार कुदाल अथवा बैल द्वारा चालित बीज-उर्वरक ड्रिल, (सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल) का उपयोग यन्त्रीकरण ही कहा जाएगा। जापान तथा ताइवान ऐसे देश हैं जहाँ हस्त औजारों व पशुचालित उपकरणों से लेकर शक्तिचालित उपस्करों तक हर प्रकार की मशीनों का उपयोग होता है। उनके उपयोग के लिए मुख्य शर्तें यहीं हैं कि उनसे प्रमाणित कियायत, लाभ तथा सुख प्राप्त हो। इसके लिए यन्त्रों की सुधारने, नवीन डिजाइन बनाने तथा उपयुक्त उपस्करों के विकास करने की आवश्यकता है और इस सदर्भ में अनुसंधान का महत्व कम नहीं है।

भारत में द्योटी छोटे पैमाने पर को जाती है और देश में लगभग ५ करोड़ (५ करोड़ ६८ लाख यथातथ रूप में) सचालन जोतें हैं। फार्म-जोत का औसत परिमाण २ ६३ हैक्टर है। लगभग ६२ प्रतिशत सचालन जोतें (लगभग ३ करोड़ १० लाख) २.०२ हैक्टर (५ एकड़) से भी कम क्षेत्र की है और इन सब जोतों का क्षेत्रफल कुल सचालन क्षेत्र का १६ प्रतिशत बनता है। सारणी ७.१ पर सरसरी तौर पर नज़र डालने से पता चलेगा कि

बहुत से कृपको (लगभग १४ प्रतिशत) के पास कृपि के लिए लकड़ी का हल तक भी नहीं है।

हमारे देश में कृपि कार्यों तथा परिवहन के लिए आवश्यक कर्पंक शक्ति (ट्रैक्टर) साधारणतः नर पशुधन से प्राप्त होती है। वर्तमान टैक्नॉलॉजी तथा सास्थानिक प्रबन्धों के अधीन कर्पंक पशुओं (ड्रॉट एनिमल्स) की वर्तमान स्थिता हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमारे देश में फालतू कर्पंक पशु नहीं हैं। बास्तव में हमारे देश में कर्पंक पशुओं की अत्यन्त कमी है। एक अनुमान के अनुमार एक तिहाई कृपकों के पास कर्पंक पशु नहीं हैं और वे इस स्थिति में भी नहीं हैं कि वर्तमान तकनीकी-परिस्थितिक तत्व के उपयुक्त कृपि चक्र को ही आरम्भ कर सके। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भू-संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए आवश्यक फार्म शक्ति की पूर्ति किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करनी होगी।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि देश में ३० प्रतिशत भू-क्षेत्र १०१२ हैक्टर (२५ एकड़) से अधिक की जोतों में जोता जाता है। अतः ३० प्रतिशत क्षेत्र ऐसी इकाइयों में सचालित किया जाता है जिनमें से प्रत्येक एक ट्रैक्टर द्वारा नियंत्रित यी जा सकती है। ऐसी जोतों की स्थिता लगभग २३ लाख हैक्टर क्षेत्र सचालित होता है। इस समय केवल एक लाख ट्रैक्टर उपयोग में लाए जा रहे हैं जो ४० लाख हैक्टर क्षेत्र की शक्ति आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकते हैं। हमारे अध्ययन से स्पष्ट है कि हमारे देश में यत्रीकरण की विशाल सम्भावनाएँ मौजूद हैं तथा फार्म-यत्रीकरण में बढ़ि हेतु नये अवसरों को ढूँढ़ने का प्रत्येक प्रयास सराहनीय है। कृपि-यन्त्रीकरण को सफल बनाने के रास्ते में अनेक कठिनाइयाँ व अड़चने हैं जिनका समाधान करना आवश्यक है।

कृपि यन्त्रीकरण के रास्ते में मवसे बड़ी अड़चन यह है कि भारत में अधिकांश जोतों का आकार अत्यधिक छोटा है। लगभग ४० प्रतिशत जोतें आकार में १.०१ हैक्टर से भी छोटी हैं। क्षुब्ध करने वाली बात यह है कि ये छोटी-छोटी जोतें आगे कई-कई खण्डों (पार्सल्स) में उन्निभाजित हैं। उदाहरणार्थ १० प्रतिशत जोतें ० २० हैक्टर से भी कम की हैं जिनमें से प्रत्येक आगे १८२ खण्डों में बटी हुई है और प्रत्येक खण्ड का औसत क्षेत्रफल १/८ एकड़ है। ० २०-०.४० हैक्टर वर्ग में जोत के प्रत्येक खण्ड का औसत क्षेत्र ०६७ हैक्टर (अर्थात् १/४ एकड़) है। भूमि के इन छोटे-न्योटे टुकड़ों पर यन्त्रीकरण या किसी प्रकार का भी सुधार सम्भव नहीं है। खड़न की समस्या का चकवन्दी द्वारा निशान किया जा सकता है परन्तु इससे लघु कृपक को उसकी मुसीबतों से छुटकारा नहीं मिल सकता। यदि देश से गरीबी हटानी है तो जोतों के समग्र वितरण-स्वरूप (इस्ट्रीब्यूशन पैटर्न) में क्रातिकारी पुनर्गठन करना पड़ेगा।

हम किस प्रकार इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि ऐसे कृपक की, जिसके पास सचालन के लिए ०.२० या ०.४० हैक्टर से भी कम भूमि है, दयनीय स्थिति कभी सुधर सकती है चाहे वह कितना ही दक्ष या प्रगतिशील क्यों न हो। कृपि समाज का यही वर्ग है जिसके मुद्दे तथा स्थायी आधार पर पुनर्गठन की आवश्यकता है। हो सकता है कि इस प्रक्रिया में उनके पुनर्वासन (रीस्टिलमेट) की आवश्यकता पड़े। इसमें शक नहीं कि यह

पुनर्वासन दुखदायी तथा जोखिम भरा है परन्तु इसके सिवा कोई चारा नहीं है और न ही इसका कोई विकल्प है। यह एक कटु सत्य है कि देश में लगभग ६१ लाख जोतों में से प्रत्येक ०.४० हेक्टर भूमि एक एकड़ से भी कम की है। सरकार भूमि सुधार कार्यक्रम में जोतों की 'ग्राम्यिकतम सीमा निर्धारण' करने पर इतना जोर लगा रही है परन्तु निम्न वर्ग का पुनर्गठन करने के लिए उसने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई। यह नीति बास्तविकता से दूर है। आवश्यकता उनका जीवनोद्धार करने की है। उनका पुनर्गठन तथा यदि आवश्यकता पड़े तो उनका पुनर्वास 'भूमि सुधार नीति' का आधार होना चाहिये।

कृषि-यन्त्रीकरण की विस्तार सम्भावनाओं के सन्दर्भ में महत्व 'सचालन जोतों की सूच्या' का नहीं है बल्कि इन जोतों के कुल क्षेत्रफल का है। उदाहरणतः लगभग ६२ प्रतिशत जोतें (पर्यान् ३ करोड़ १० लाख जोतें) आकार में २०२ हेक्टर से भी कम की हैं, परन्तु उनके द्वारा सचालित क्षेत्र कुल के २० प्रतिशत से अधिक नहीं है। यदि हम यह भी मान सें कि इन छोटी जोतों में 'यन्त्रीकरण' का कोई स्थान नहीं है, फिर भी ८० प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है जो मध्यम तथा उचित आकार की इकाइयों में बटा हुआ है और जहाँ यन्त्रीकरण की सम्भावनाएँ बहुत अधिक हैं। ३० प्रतिशत क्षेत्र पर्यान् ३ करोड़ ६५ लाख हेक्टर भूमि, १० १२ हेक्टर पर्यान् २५ एकड़ से ग्राम्यिक की जोतों में सचालित की जाती है। ये वे जोतें हैं जिनमें ट्रैक्टर व मशीनों का लाभकारी ढग से उपयोग किया जा सकता है। यदि २५ हेक्टर भूमि के लिए भी एक ट्रैक्टर की आवश्यकता हो, तो इन बड़ी जोतों के सचालित के लिए ही १६ लाख ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी जबकि १६७३-७४ के अन्त में हमारा वार्षिक उत्पादन ६०,००० ट्रैक्टर का होगा। इस समय भारत में केवल १,२५,००० ट्रैक्टर उपयोग में लाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ५० प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है जो २.०२ हेक्टर से १०.१२ हेक्टर क्षेत्र की जोतों में सचालित किया जाता है। इन जोतों में शक्तिधालित टिलर (पावर टिलर) तथा ६ से १५ हॉर्सपावर के छोटे बहु-उद्देशीय ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जा सकता है। हाल के दिनों में ऐसे ट्रैक्टरों तथा मशीनों को डिजाइन किया गया है जो कम क्षेत्रफल की आर्थिक तथा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। वे सहकारिता के आधार पर सयुक्त खेती करके भी बड़े पैमाने की खेती तथा यन्त्रीकरण से होने वाले लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने जोत की अधिकतम सीमा ७ हेक्टर (दो कसली भूमि) से २२ हेक्टर (शुष्क भूमि) निर्धारित की है। ऐसी जोतों की सूच्या लगभग ३४ लाख है। इन जोतों के लिए १४ हॉर्सपावर से २० हॉर्स-पावर के ट्रैक्टर उपयुक्त हैं। हाँ, 'ग्राम्यिकतम सीमा' के नियम लागू होने पर बड़ी शक्ति के ट्रैक्टरों की मांग कम हो जाने की समावना है अथवा उन्हें फालतू समय के लिए किराये पर चलाना पड़ेगा।

'यन्त्रीकरण', का अर्थ 'ट्रैक्टरीकरण' नहीं है। कुछ फार्म इतने छोटे हैं कि उनका यन्त्रीकरण नहीं हो सकता। कुछ फार्म ऐसे हैं जहाँ मशीनों तथा ट्रैक्टरों का उपयोग आर्थिक हृष्टि से ठीक नहीं। प्रश्न उठता है कि लघु कृषक के, जो यात्रिक शक्ति-उपयोग करने की स्थिति में नहीं है, उत्पादन तथा लाभ में बढ़िये कैसे की जाए? उत्तर यही है कि 'सघन कृषि' को प्रोत्साहन दिया जाए। परन्तु सघन कृषि में भी मानव तथा पशु-शक्ति के बेहतर उपयोग

की आवश्यकता होगी। उन्नत उपकरण-कियाओं की गुणवत्ता व सम्प्या में बृद्धि करते हैं और इस दिशा में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। हस्त-चालित कुट्टी की मशीन, भोल्डबोर्ड, हल डिस्कहरो तथा ग्रोल्पड गहाई मशीन (प्रोसर) उन्नत कृषि ग्रोजारो के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी उपयोगिता प्रभागित हो चुकी है। परन्तु मुख्य समस्या इन उपकरणों को व्यापक रूप में और वास्तविक रूप में हीं पर अपनाने व उपयोग करने की है। जापानी कृषक अपने छोटे-छोटे फार्मों पर ही तकनीकी उन्नति के ऊंचे स्तर को बनाये हुए हैं तथा उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ध्यान रहे जापान में जोत का ग्रोसत क्षेत्रफल १.१८ हेक्टर है जबकि भारत में जोत का ग्रोसत क्षेत्रफल २.६३ हेक्टर है।

हमारे देश में लगभग १ करोड़ ७० लाख हेक्टर कृष्य बेकार भूमि पड़ी हुई है जिसको विकास तथा अद्य-उत्पादन के लिए उपयोग में लाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र को आधुनिक टेक्नॉलॉजी तथा मशीनरी का अनुप्रयोग कर अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। इस क्षेत्र के उद्धार के लिए भाडियो, वृक्षों, शैसों तथा अन्य बेकार वानस्पतिक वृद्धि के उन्मूलन, वन क्षेत्र की कटाई तथा अक्षत भूमि (वर्जिन लैंड) की सफाई व समतलन की आवश्यकता होगी और इस कार्य के लिए शक्तिशाली ट्रैक्टरों तथा बुलडोजर व अर्थ मूवर (बुलडोजर एंड अर्थ मूवर) आदि भारी मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा। इस भूमि पर भूमिहीन शमिकों को बसाया जा सकता है या उन छोटे कृषकों के पुनर्वास के लिए उपयोग में लाया जा सकता है जिनकी जोतें ० २० हेक्टर से छोटी हैं। इस प्रकार यन्त्रीकरण कृषि के पुनर्गठन में सहायक हो सकता है। देश में उपलब्ध कुल कृष्य बेकार भूमि का उद्धार करने के लिए अत्यधिक प्रयास तथा लगभग ६३० करोड़ हजार की राशि की आवश्यकता होगी। यह योजना हमारी भूमि समस्या का आशिक हस प्रदान करती है। निम्नतम वर्ग के जोतदारों की कुल सम्प्या ४८ लाख है जिनमें से ५० प्रतिशत को उदूत भूमि पर बसाया जा सकता है। यह कार्य विभिन्न चरणों में सुव्यवस्थित दण से किया जाना चाहिये।

७.६ यन्त्रीकरण तथा रोजगार

कृषि-यन्त्रीकरण की वाध्यतायता के विरुद्ध एक तरफ यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इसका मानव-श्रम की मांग तथा ग्राम्य रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कृषि यन्त्रीकरण के फलस्वरूप काफी श्रम का विस्थापन होगा जिसमें अस्वस्य निवंत व्यक्तियों के दुखों और कठिनाइयों में और बृद्धि होगी। किसी भी स्थिति में शमिकों का समाव्य विस्थापन चिन्ता की बात है और यह कहा जा सकता है कि यन्त्रीकरण समस्याओं का समाधान करने की बजाय और अधिक समस्याओं को उत्पन्न करता है।

विभिन्न राज्यों में 'मानव-शक्ति की मांग पर तकनीकी परिवर्तनों के प्रभाव' की जांच करने के लिए किये गये अध्ययनों से पता चलता है कि सधन व बहुफलती कृषि तथा अधिक उपज देने वाली किसी के उपयोग के परिणामस्वरूप हर प्रकार के श्रम की मांग में अल्प-वृद्धि हुई है। यह अनुमान है कि अ. उ. किसी विभिन्न क्रियाओं की आवश्यकताओं में २० से ५० प्रतिशत तक की बृद्धि करती हैं। परन्तु यन्त्रीकरण का श्रम स्थानापत्ति प्रभाव (लेवर तन्त्रीट्रियूशन इफेक्ट) है।

पजाव तथा हरियाणा में 'रोडगार पर तकनीकी परिवर्तनों के प्रभाव' से सम्बन्धित एक विश्लेषण से पता चलता है कि १९६८-६९ में घ. उ. किस्मों के चासू होने के फल-स्वरूप थम तथा पशु-शक्ति को मांग ६ प्रतिशत बढ़ गई। अनुमान है कि १९६३-६४ तक केवल घ. उ. किस्मों के उपयोग के कारण मानव-शक्ति की मांग परम्परागत टैक्नॉलॉजी के अधीन मांग की अवैधता ३३ प्रतिशत अधिक हो जाएगी।

मानव-थम की मांग पर अन्य तकनीकी परिवर्तनों अर्थात् पम्प-मैटो, गहाई-मशीनों, ट्रैक्टरों, इख के कोल्हूघो, फसल कटाई-मशीन (रीपरों) जैसी यात्रिक युक्तियों के प्रभाव का अध्ययन भी किया गया है। यह याद रखने योग्य है कि प्रत्येक नवीन तकनीकी निविटि का थम की मांग पर अपना पृथक् तथा स्पष्ट प्रभाव है। इन यात्रिक युक्तियों के उत्तरोत्तर प्रयोग से मानव शक्ति की उस मांग में जिसकी घ. उ. विस्मों तथा उर्वरक उपयोग के अधीन आवश्यकता होगी, ३२ प्रतिशत कमी होने की सम्भावना है।

अनुमान है कि पम्पों के उपयोग के फलस्वरूप थम की मांग में ६ प्रतिशत, गहाई-मशीनों के कारण ७ प्रतिशत, गद्दा कोल्हूघो तथा कारन शैलर द्वारा ३ प्रतिशत, ट्रैक्टरों में १० प्रतिशत तथा रीपरों के प्रयोग के परिणामस्वरूप ३ प्रतिशत कमी होने की सम्भावना है।

कहने का अभिप्राय यह है कि बीज, उर्वरक, कीटनाशी पदार्थों तथा उच्चत फगल-उत्पादन कौशल के उपयोग में प्रति फसल अधिक थम की आवश्यकता पड़ती है तथा इसमें मानव-थम का अधिक उपयोग करना होगा। इसका प्रभाव यह होगा कि परिवार-थम के अल्प गोड़गार (अडर एम्प्लायमेंट) में कमी होगी तथा मजदूर पर रोडगार का युक्तिकरण (रेशनलाइजेशन) होगा। यह ध्यान रखने योग्य है कि कृषि-थम की अतिरिक्त मांग मजदूरी-स्तर को तभी प्रभावित करेगी जबकि वेकार कृषि-थमिकों की वर्तमान स्थिता को पूर्णतः काम पर लगा लिया गया हो अर्थात् अतिरिक्त मांग वर्तमान वेकार थमिकों के नियोजित होने के उपरान्त ही मजदूरी के स्तर को बदल सकती है। परन्तु यह नवीन टैक्नॉलॉजी, अपने साथ साथ, कृषि-यन्त्रीकरण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहन देती है जिससे कृषि थम की मांग में कमी होना अवश्यमात्री है और इससे वेरोडगारी की स्थिति और भी बिंगड़ जाएगी। यन्त्रीकरण के आलोचकों का तर्क है कि भारत में सस्ते थम का बाहुल्य है तथा थम-बचत युक्तियों तथा माध्यमों का उपयोग हमारी कठिनाइयों को बढ़ायेगा और विल्कुल बाल्फीय नहीं है। परन्तु यह तो तर्क की भीमा की 'अति' है।

यह याद रहे कि एक विकसित अर्थव्यवस्था में, कृषि-यन्त्रीकरण इन औद्योगीकरण तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि द्वारा प्रेरित होता है क्योंकि इनके फलस्वरूप कृषि-क्षेत्रक में थम की कमी हो जाती है परन्तु भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि-यन्त्री-करण की प्रेरणा जनस्थित्या में इन वृद्धि के परिणामस्वरूप कृषि-पदार्थों की कीमतों में होने वाली वृद्धि से प्राप्त होती है। जनस्थित्या में वृद्धि के कारण कृषि-पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। मनुष्य तथा पशु इन कृषि-पदार्थों का उपभोग कर ही जीवित रह सकते हैं, इसलिए कर्पंण शक्ति की लागत बहुत अधिक हो जाती है। इसके प्रतिरिक्त उन क्षेत्रों में जहाँ कृषि-विकास अधिक होता है थम की मांग पूर्ति से बढ़ जाती है जिसका सीधा परिणाम यह

होता है कि इन थेंबो में श्रम की मजबूरी (वेज रेट) में बृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में शक्ति (ऊर्जा) के जैविक-उद्गम की लागत बढ़ जाती है जो यन्त्रीकरण को प्रोत्साहित करती है। कहने का अभिप्राय यह है कि उच्च यन्त्रीकरण, कृपि उत्पादन में विस्तार तथा प्रति व्यक्ति कृषिआय में बृद्धि से सम्बद्ध है। ट्रैक्टरीकरण से शस्य प्रतिशतता (कॉप इन्टेसिटी) तथा प्रति हैक्टर उपज में बृद्धि होती है जिससे कियाओं के पैमाने में भी बृद्धि होती है। अतः ट्रैक्टरीकरण से फार्म रोजगार में बृद्धि भी हो सकती है। बड़े कृपको का श्रम पर व्यय बहुत अधिक होता है। पात्रिक शक्ति उन्हें सस्ती पड़ती है क्योंकि यन्त्रीकरण में परिवार के सदस्य भी भाग ले सकते हैं और इस प्रकार यन्त्रीकरण से उनका श्रम पर होने वाला व्यय और भी कम हो जाता है। इससे जहाँ एक और परिवार के सदस्यों के लिए अधिक कार्य उपलब्ध होगा और उनकी अल्पावधि बेकारी दूर होगी, वहाँ विकसित क्षेत्रों में श्रम की कमी की समस्या से भी निपटा जा सकेगा।

उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि उन क्षेत्रों में जहाँ कृपि का उत्पादन बढ़ रहा है और जहाँ श्रम की वास्तविक कमी है व कर्पण-शक्ति की लागत बहुत अधिक है, ट्रैक्टर जैसी मशीनों का प्रयोग बेरोजगारी उत्पन्न नहीं करेगा। वास्तव में ट्रैक्टरों के उपयोग से कर्पण-पशुओं के निर्वाह के लिए निर्धारित संसाधनों को बचत होगी, शस्य-प्रतिशतता बढ़ने से उत्पादन तथा प्रति हैक्टर उपज में बृद्धि होगी। इसलिए श्रम की कमी तथा कृषि पर्योग की ऊंची कीमतों के सदर्भ में ट्रैक्टरों का उपयोग सामाजिक दृष्टि से हितकर हो सकता है। परन्तु कुछ मशीनरी ऐसी भी है (जैसे हार्डस्टर कम्बाइन इत्यादि) जो खाद्यान्नों की कीमतों में बृद्धि के परिणामस्वरूप श्रम की बढ़ती हुई पूर्ति-कीमत के सदर्भ में आविक दृष्टि से लाभकारी है (चाहे श्रम की कमी न भी हो) परन्तु वह सामाजिक दृष्टि से हितकर नहीं है क्योंकि उनका उपयोग मुश्यत, मानव-श्रम का विस्थापन करता है और ऐसी स्थिति में भूमि-सवधंन की समावना (लैंड आगमेटेशन पोटेशियल) भी कम होती है। इसलिए मशीनरी का उपयोग वरणात्मक (सलेक्टिव) होना चाहिये, विशेष कर ऐसी मशीनरी को चुना जाए जिसके उपयोग से भूमि-सवधंन की समावनाएँ अधिक हो। ट्रैक्टरों का उपयोग इन दृष्टि से अर्बनरवस्था में रोजगार की समावनाओं को बढ़ाता है।

हम जानते हैं कि वर्ष में कुछ ऐसे मास हैं (जैसे अप्रैल-मई तथा अक्टूबर-नवम्बर) जिनमें कुछ थेंबो में श्रम की मात्रा उनकी वास्तविक पूर्ति से अधिक होती है। इन क्रान्तिक कालों में श्रम की कमी रोपण तथा कटाई कियाओं में विलम्ब का कारण बनती है और उत्पादन एवं ग्राम्य तथा नगरीय आय को प्रभावित करती है क्योंकि इससे खाद्यान्नों का पूर्ति मांग-सम्बन्ध बिंगड़ जाता है। यन्त्रीकरण चरमकाल की ग्रावर्शकताओं को कम करके धम्पिशिवरों को बराबर कर सकता है। अतः यन्त्रीकरण केवल कृपक की दृष्टि से ही नहीं वित्ती व्यापक माध्यमें सामाजिक कल्याण के लिए भी आवश्यक है। यन्त्रीकरण चरमभार के व्यस्त-तम दिनों में होने वाले भौतिक व शारीरिक त्रिचाक तथा तनाव को कम करेगा तथा विश्राम व मनोविनोद (लिनमरे) के लिए अवसर प्रदान करेगा जो कि स्वास्थ्य के लिए बड़े जहरी हैं।

पक्ष में हम यह भी कह सकते हैं कि कृपि यन्त्रीकरण से देश की अर्थव्यवस्था का स्तर

ऊँचा होगा जिसके परिणामस्वरूप अनेक उद्योगों का विकास होगा तथा सबको बेहतर राजमार मिलेगा। तकं यह कि फालतू थम को उद्योग क्षेत्रक, विशेषकर मध्यम पैमाने के उपभोग-वस्तु उद्योगों तथा अन्य द्वितीयक (गोण) व तृतीयक व्यवसायों में ठीक प्रकार से नियोजित किया जा सकता है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि विस्फोटी थम शक्ति के नियोजन के लिए रोजगार के अवसरों के विस्तार के लिए साहसपूर्ण प्रयास करने होंगे।

रोजगार अवसरों व सम्भावनाओं का विस्तार करने का मुख्य साधन यह है कि उत्पादक-शक्तियां (प्रोडक्टिव एक्टिविटी) का सारे देश में अधिकतम प्रकीर्णन हो और अर्थव्यवस्था को तेजी से गति दी जाए। अनुमान है कि इस समय देश में कुल थम-शक्ति लगभग २३ करोड़ लोगों से निर्मित है। इनमें से लगभग १६ करोड़ कृषि में हैं। भूमिहीन शमिकों की संख्या ४, ४२ करोड़ है। अगले १० वर्षों में ६ करोड़ शमिक और बढ़ जाएंगे। अतः नये रोजगार अवसरों को प्रदान करने के लिए हमें कृषि तथा ग्रोवोगिक विकास की गति को तेज करना होगा। इससे कृषि तथा कृषीतर रोजगार में सवृद्धि-दर तेजी से बढ़नी। उदाहरणार्थं सगठित स्थान विनिर्माण उद्योगों के द्रुत विकास, सहायक तथा लघु उद्योगों के प्रोत्तमाहन, ग्रामीण तथा घरेलू उद्योगों की लगातार सहायता, ग्राम-विद्युतीकरण के लिए अधिक पूँजी-निवेश, मरम्मत तथा अनुरक्षण सेवाओं में व्यापक विस्तार, निर्माण-कार्यक्रमों, सचार, परिवहन तथा शक्ति की आधारिक सरचना के निर्माण में अधिक पूँजी-नियोजन तथा प्रशिक्षण सुविधाओं में प्रसार आदि गतिविधियों के फलस्वरूप काफी लोगों को प्रत्यक्ष हप में रोजगार मिल सकेगा।

परन्तु उद्योग में आशातीत विकास होने पर भी अगले १० वर्षों में १ करोड़ ८० लाख कमंचारियों में अधिक को खपाया नहीं जा सकेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि वर्तमान की अपेक्षा ४ करोड़ २० लाख अतिरिक्त शमिकों को कृषि क्षेत्र में ही नियोजित करना पड़ेगा।

अतः यन्त्रीकरण के महत्व व सम्भावनाओं का अध्ययन इस सदर्शन में ही करना चाहिये।

समस्या को इस प्रकार रखा जा सकता है। देश के अधिकांश भाग में भूमि पर जन-संख्या का अत्यधिक दबाव है। स्थानीय सासाधनों के अल्पविकास के कारण प्रति हैक्टर तथा प्रति शमिक शमिक-उत्पादिता बहुत कम है। कृषि अर्थव्यवस्था समय शमशक्ति को सतत काम देने में असमर्थ है जिसके कारण देश में बड़ी मात्रा में प्रचलित बेरोजगारी या अनुत्पादक रोजगार मौजूद है। कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अधिकांश को बेकारी तथा अल्परोजगार ही उनकी गरीबी का मूलभूत कारण है। स्पष्टत हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे अवसर प्रदान करना होना चाहिये। जिससे वह न्यूनतम वाढ़नीय जीविका कमा सके। अतः प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए, जिसे रोजगार की तलाश है, 'कमाऊ रोजगार (गेनफुन एम्प्लायमेन्ट) का आश्वासन' या अन्य शब्दों में उन सबके लिए, जो न्यूनतम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो, न्यूनतम मजदूरी पर गारन्टीकूत 'रोजगार' हमारी नीति का मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। यह तभी सम्भव है यदि हमारी अर्थव्यवस्था का द्रुत गति से विकास हो। नीति बनाने वालों को ऐसी व्यूहरचना का विकास करना होगा जिससे उन शस्त्र शमिकों को जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, उत्पादक कार्य मिल सके ताकि वे राष्ट्रीय उत्पाद में अपना योग दे सकें तथा उसमें अपने अश को कमा सकें। प्रश्न यह चढ़ता

है कि कृषि का यन्त्रीकरण इस उद्देश्य को पूर्ति में सहायक सिद्ध होगा या वादक बनेगा ? विलोमतः क्या हम उपरोक्त तर्कों को व्यान में रखते हुए यन्त्रीकरण का पूर्णतः त्याग कर अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ?

इस सदर्भ में प्रथम तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य ऐसे उपाय अपनाना है जिनसे प्रति व्यक्ति व प्रति हैंकटर कृषि-उत्पादिता में बढ़ि हो। दूसरी ओर हमे अपनी कृषि-विधियों की श्रम-नियोजन क्षमता को भी बढ़ाना होगा अर्थात् ऐसी विधियों को अपनाना होगा जिनमें अधिक श्रम खपाया जा सके। हमे यह निर्धारण करने के लिए कि यन्त्रीकरण किस सीमा तक उत्पादक तथा आदि में बढ़ि करने वाला है भव्यात् अध्ययन करने की जल्हत है। इसके साथ यह भी जरूरी है कि अधिक श्रम-प्रधान कृषि अपनाई जाए।

यहाँ यह बात जानने योग्य है कि टैक्नांसोजी के समान स्तर पर कई अन्य देश भारत की अपेक्षा प्रति हैंकटर अधिक श्रम का उपयोग करते हैं और बहुत अधिक उपज प्राप्त करते हैं। उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उदाहरणार्थं जापान में भारत की अपेक्षा प्रत्येक हैंकटर से तीन मुना से भी अधिक धान की उपज प्राप्त की जाती है। जापान में प्रति हैंकटर २ १६ फार्म कामगार लगाये जाते हैं जबकि भारत में प्रति हैंकटर ०.६० श्रमिक काम करते हैं। ज्ञातव्य है कि जापान सबसे अधिक यन्त्रीकृत धान उपजाने वाला देश है। जैसे पहले कहा गया है बोज, उर्वरक, जीवनाशी रसायन आदि पदार्थों तथा उद्गत फसल-उत्पादन कीशल के उपयोग से प्रति फसल अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसके अनिरिक्त दुहरी, तथा रिले फसलों से सारा वर्ष बेहतर रोजगार प्राप्त होगा। यन्त्रीकरण बहुफली कृषि को जान है।

एक ओर यन्त्रीकरण श्रम का विस्थापन करता है परन्तु दूसरी ओर यह ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है जिनमें प्रति हैंकटर अधिक श्रम का उपयोग हो सकता है। उदाहरणार्थं जापान तथा युरोप इस बात का काफी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि प्रकृष्ट यन्त्रीकरण (इन्टेरिक्ट मंकेनाइजेशन) तथा फार्म-श्रम का गहन उपयोग अधिक उपज वाले छोटे फार्मों पर लाभप्रद निविष्टियाँ हैं। सझेपतः हमे बरणात्मक यन्त्रीकरण (मलेविट्व मंकेनाइजेशन) के साथ-साथ श्रम के गहन उपयोग पर जोर देना चाहिये। इसी तरह लाभ व श्रम-उत्पादिता में बढ़ि हो सकती है।

तर्क सरल है। यदि यन्त्रीकरण आधुनिक निविष्टियों तथा बहुफली कृषि की सहायता से उत्पादन को तिगुना किया जा सके तो कृषि क्षेत्रक पूर्व-यन्त्रीकरण स्तर की अपेक्षा दूने श्रम को रोजगार प्रदान कर सकता है और प्रति श्रमिक उत्पादिता भी १३ गुना हो जाएगी। प्रत्येक शस्य-जलवायु क्षेत्र के लिए शस्य-स्वरूप, यन्त्रीकरण तथा श्रम-तीव्रता के उत्कृष्ट संयोजनों को निर्धारित करने के लिए विशेष अध्ययनों की आवश्यकता है। कृषि के आधुनिकी-करण के लिए अधिक टैक्टरों अथवा बैल शक्ति तथा बरणात्मक यन्त्रीकरण की आवश्यकता होगी। साथ ही प्रति हैंकटर श्रम का उपयोग इस प्रकार से बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे कृषक को अधिक लाभ तथा जिससे प्रति हैंकटर व प्रति श्रमिक अधिक उत्पादन प्राप्त हो।

७.७ फार्म आकार, यन्त्रीकरण तथा थम

यन्त्रीकरण थम के स्थान पर पूँजी की स्थानापत्ति का दोतक है। इसलिए विभिन्न फार्मों द्वारा अपनाई गई टैक्नाँसोजी उनके आकार द्वारा निर्धारित होगी। भिन्न-भिन्न व्यष्टिगत फार्म भिन्न-भिन्न पूँजी-प्रधानता वाली टैक्नाँसोजी को अपनाएंगे। उदाहरण के रूप में एक छोटे फार्म को थम-प्रधान तकनीक अपनाने के लिए घरेलू थम का सुलाभ प्राप्त है। एक बड़े फार्म के पास पूँजी-प्रधान तकनीक अपनाने के लिए वृहत् पूँजी-संसाधन होते हैं और वह थम को बचा सकता है जिसका उसके पास अनाव होता है। एक मध्यम कृपक जिसके पास कम पूँजी-संसाधन हैं, थम की परिमिति पूँजी-प्रधानता वाली थम-बचाऊ तकनीक (लेबर सेविंग टैक्नीक आफ मोडरेट केपिटल इन्टेंसिटी) के साथ संपूर्ण करेगा। इन फार्मों की दक्षता का स्तर भी भिन्न-भिन्न होगा।

यदि जोतों की निर्धारित 'प्रधिकरण सीमा' (७ हेक्टर से ११ हेक्टर) ठीक प्रकार से लागू की जाए, तो काफी क्षेत्र यन्त्रीकरण की दृष्टि से मध्यम आकार की जोतों में बट जाएगा। जिसके कारण बड़े ट्रैक्टरों (२७ से ५० हॉर्स पावर) की माँग का कम होना स्वभाविक ही है। ये कृपक इन ट्रैक्टरों का उचित प्रयोग तभी कर सकते हैं यदि वे इन ट्रैक्टरों को कुछ समय के लिए किराये पर चलायें। इसी प्रकार कम्बाइनों की माँग भी बहुत कम हो जाएगी, परन्तु छोटी हॉर्स पावर के ट्रैक्टरों की माँग बढ़ने की समावना है। ऐसी स्थिति में कृपक यात्रिक शक्ति के लिए सहकारिताएं भी बना सकते हैं। इसके प्रतिरक्त यन्त्रीकरण केवल सावधान ट्रैक्टरीकरण ही नहीं, इसका क्षेत्र तो बड़ा व्यापक है।

७.८ यन्त्रीकरण व पशुसंख्या

हम जानते हैं कि पशु अपने भोजन (व जीविका) के लिए भूमि पर निर्भर हैं। भारत में पशुधन की कुल संख्या लगभग ३५ करोड़ है। इनमें से लगभग ८ करोड़ थमयोग्य पशु (वकिंग कैटिल) हैं। लगभग ३ करोड़ ५० लाख गायें तथा भैंसे दूध देती हैं। भेड़ों तथा बकरियों की संख्या लगभग ११ करोड़ है। शेष यातों दूध सूखे पशु हैं या बाल पशुधन कुछ पशु प्रजनन-उद्देश्यों के लिए भी हैं। अब पशुओं की इतनी बड़ी संख्या हमारी सीमित भूमि-संसाधनों पर बहुत बड़ा बोझ है। उनके लिए उपलब्ध चारे की अपर्याप्त मात्रा दूध की पैदावार तथा सतति पर प्रतिकूल प्रभाव ढालती है और वे चलते फिरते काकाल प्रतीत होते हैं। कृपय-यन्त्रीकरण से पशु-थम का विस्थापन होता है और इस प्रकार भूमि पर बोझ कम होता है। क्योंकि मशीनों को अपनी गतिदायक तथा उत्पादक शक्ति के लिए भूमि पर निर्भर नहीं होना पड़ता, इसलिए इस प्रकार निर्मुक्त भूमि पर धान्य फसलों को उगाना सभव है। पशुओं की संख्या विशेषकर अवाञ्छित तथा बेकार पशुओं को कम करने की सुरक्षा आवश्यकता है। उनकी संख्या को नीचा रख कर हम उनका अच्छी प्रकार भरण-पोषण कर सकते हैं और उनकी उत्पादिता को बढ़ा कर उनकी छोटी संख्या की क्षति-पूर्ति कर सकते हैं। थोड़े परन्तु अच्छी प्रकार से मरित तथा पोषित पशु दूध, कर्पंण तथा गोबर द्वारा मानव जीवन व कल्याण में बेहतर योगदान दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे बढ़िया किस्म के बद्दले देंगे

जिनसे कर्वणा-पशुओं की आवश्यक सत्या का प्रतिस्थापन हो सकेगा ।

७.६ यन्त्रीकरण तथा पूँजी-आवश्यकताएँ

यन्त्रीकरण के रास्ते में एक अन्य अडचन इसके लिए आवश्यक पूँजी की अनुपलब्धता है । तकनीकी-प्रत्क्रिया के सदर्म में फार्म-वित्त की समस्या व्यापक रूप धारण कर रही है । वास्तव में पूँजी-प्रवाह का अभाव भारतीय कृषि की तकनीकी प्रगति में निरोधक मिछ हुआ है । नवीन व्यूहरचना फार्म पर पर्याप्त आधारिक सरचना के विकास की माँग करती है जिससे वित्त की माँग पर भारी दबाव पड़ता है । अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में पूँजी के मसाधनों की विशाल माँग कृषि के लिए साधनों को सीमित करती है और इस प्रकार इसके विकास की गति को घीमा करती है । सेषेपतः पूँजी-अभाव के बल कृषि-विकास को ही नहीं रोकता, कृपीतर विकास की गति को भी मद करता है ।

कृषि-यन्त्रीकरण के लिए काफी मध्यम तथा दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता होगी जो या तो घेरेलू बचतों में भिल सकता है या विदेशी वित्तीय सहायता में पाप्त हो सकता है । भयानक निर्वनता तथा हमारी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था की बत्तमान दशा में बचत तभी समझ है यदि उपभोग को निवेश के लिए कम किया जाए । ऐसा करने से बहुत अधिक कष्ट व दुःख होगा । इसके अतिरिक्त बचतें इतनी कम होगी जिनसे हमारी वित्तीय आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो सकती । तो भी, आतंरिक बचतों के मब साधनों को अच्छी प्रकार से जुटा लेना चाहिये । इनसे कम से कम कृषकों की नकद आवश्यकताओं की पूर्ति तो निश्चित रूप से हो जाएगी ।

ग्रन्तः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि फार्म मशीनरी तथा उपस्कर खरीदने हेतु अधिकांश धन की पूर्ति सहकारी समितियों, मूमि बचक (विकाम) बैंकों, कृषि वित्त-निगमों, कृषि-ग्रोद्योगिक निगमों तथा वाणिज्यिक बैंकों जैसी कृषि उदार संस्थाओं द्वारा करनी पड़ेगी । यद्यपि वाणिज्यिक बैंकों तथा अनेक उधार एजेंसियों ने कृषकों को आर्थिक सहायता देनी शुरू कर दी है परन्तु ये सहायता अनुपर्याप्त रही है और इसमें केवल समृद्ध कृषकों को ही लाभ पहुँचा है । लघु तथा मध्यम जोतदार प्राय उपेक्षित रहे हैं । इसके अतिरिक्त कार्य-विधि कठिनाइयों के बावजूद इसकी राशि भी पर्याप्त नहीं रही । विकास के लाभ अभी तक छोटे कृषकों को नहीं पहुँचे । उचित यही है कि कर्वणा तथा सचालन मेवाओं को लोक-हित सेवाओं के रूप में समर्पित किया जाए तथा कृषकों को उचित दामों पर सप्लाई किया जाए । ये सेवाएँ सहकारी समितियों, सेवाई केन्द्रों या प्रतियोगात्मक आधार पर नियी एजेंसियों द्वारा सप्लाई की जा सकती हैं ।

अन्य विकल्प यह है कि विदेशी से उधार लिया जाए परन्तु इसमें अनेक जोखिम हैं । हमें अपने पांचों पर खड़ा होना चाहिये यद्यपि विदेशी तकनीकी जानकारी तथा ज्ञान स्वागत योग्य है । ऐसे प्रगामी कार्यक्रम (फैरड प्रोग्राम) को अपनाने की मावश्यकता है जिससे यन्त्रीकरण स्व-जनक तथा प्रारम्भिकासी (सेल्फ जेनरेटिंग एण्ड सेल्फ डबलप्रेटल) बन जाए । उदाहरणतः यदि यन्त्रीकरण के फलस्वरूप उत्पादन दूना हो सके, तो उसका प्राधा माग कुल कृषि जनसंस्था द्वारा यन्त्रीकरण से पहले बाले स्तर पर उपभोग किया जा सकता

है। शेष माध्या भाग फालतू उत्पादन होगा जिसे बचाकर कृषि-यन्त्रीकरण की उन्नति के लिए निवेशित किया जा सकता है। इस प्रकार यन्त्रीकरण के विकास के लिए कुछ घन यन्त्रीकरण से ही प्राप्त हो सकता है। (परिच्छेद ७.१२ भी देखें)

७.१० ईंधन सप्लाई में कमी

पर्याप्त ईंधन का न मिलना, देश में पैट्रोल तथा टेल का अत्यन्त अभाव, बार-बार विद्युत का केन होना और फलस्वरूप सिचाई कार्यक्रम में गडबड़ी, बोलट्टा में भयकर उतार-चढ़ाव के कारण मोटरों का जलना तथा मशीनरी का केन होना, मरम्मत तथा अन्य प्रतिक्रियों को दूर करने के लिए प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्तियों का न मिलना, कुछ ऐसी अन्य समस्याएँ हैं जिनका कृपयों को सामना करना पड़ता है। डीजल टेल तथा पैट्रोल पर भारी उत्पादन-शुल्क, प्रतिविलिंग (ओबर विलिंग) तथा विजली प्रभाव अदा करने की कठिनाईयक प्रक्रियाएँ कृपक की कठिनाईयों में वृद्धि करते हैं। कुछ एक कृपक ईंधन व डीजल आदि के लगातार अभाव तथा उनकी ऊँची कीमतों के कारण तथाकृपित यन्त्रीकरण के भ्रमजाल से मुक्त होने की सोच रहे हैं और ट्रैक्टरों को बेचने की धून में हैं। हाल ही के परिचम एशिया के सकट के कारण इस समस्या ने अत्यन्त विकट व गम्भीर रूप धारण कर लिया है और डीजल व टेल के अभाव के कारण उत्पादन कार्यक्रमों पर दुरा अभाव पड़ा है।

७.११ प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता

लोगों को उन कौशलों में प्रशिक्षण देना जिनकी उन्हे आवश्यकता है, भारतीय कृषि की सर्व-कानूनिक समस्या है। बहुत से इन्जीनियरों को कृषि विज्ञान में प्रशिक्षण दिया जारहा है, परन्तु जल-उपयोग तथा प्रबन्ध-प्रविधियों में बहुत कम व्यक्ति प्रशिक्षित हैं। जैसे-जैसे यन्त्रीकरण में वृद्धि होगी, ट्रैक्टरों तथा गहाई मशीनों को चालू रखने के लिए अधिक लोगों को फार्म यात्रिकी (फार्म मैकेनिक्स) में प्रशिक्षण देने की ज़रूरत पड़ेगी।

जैसे-जैसे कृषि जटिल बनती जाएगी, ऐसे लोगों को नियुक्त करने की आवश्यकता बढ़ती जाएगी जो एक विशेष कार्य को करने के लिए तकनीकी रूप में प्रशिक्षित हों। यह एक विकट समस्या है। ट्रैक्टरों तथा दूसरी मशीनरी की 'सम्भाल तथा देखभाल' के काम हेतु प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए सुविधाएँ जुटाना अवश्यक होगा। प्रशिक्षण में निरोधी अनुरक्षण व देखभाल तथा ट्रैक्टरों, नस्कूपों तथा अन्य उपकरणों की सर्विस करना भी सम्मिलित होगा।

भारत में ट्रैक्टरों तथा सबढ़ कृषि-मशीनरी की बढ़ती हुई संख्या को सम्भालने के लिए प्रचालकों की कमी को दूर करने के लिए, अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किये गये हैं। कृषि एवं कृषि इन्जीनियरिंग स्नातकों, प्रगतिशील किसानों, कारीगरों तथा विभिन्न संस्थाओं के मनोनीत व्यक्तियों को कृषि मशीनरी का उपयोग, मरम्मत और उसकी सर्विस करने का प्रशिक्षण 'केन्द्रीय ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र' बुदनी, हिसार तथा सारे देश में स्थित ४४ 'ग्रामसेवक प्रशिक्षण' केन्द्रों में दिया जाता है। कृषि इन्जीनियरों के लिए 'रिफ़ शर्कोसों' का कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवन्ध किया जाता है। अब तक विभिन्न केन्द्रों में लगभग

५००० कारोगरों को तथा ३००० ग्रामसेवकों को फार्म-मशीनरी के विभिन्न पदों की दृष्टिंग दी जा चुकी है।

७.१२ यन्त्रीकरण का अर्थात्

सघन कृषि से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए वर्तमान शक्ति-उपयोग की अपेक्षा 'प्रति इकाई क्षेत्रफल' अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अधिक शक्ति उपयोग की मुख्य समस्या आर्थिक है। एक कृषक अपने फार्म का मशीनीकरण तभी करेगा जब उसे इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाए कि ऐसा करना मितव्यही तथा लाभकारी है और उसे मशीनरी में लगाये हुए निवेश पर ऊंची अनुकूल प्रतिफल दर प्राप्त होगी। स्वामाविक ही है कि उसका मशीनरी प्राप्त करने का निर्णय यन्त्रीकरण की उत्पादन एवं आय वृद्धि-क्षमता द्वारा प्रभावित होगा।

इन वटरों तथा पम्पों में निवेश की आर्थिक कियात्मक (इकोनोमिक फीजेबिलिटी) ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे निवेशों के हितलाभ-लागत विश्लेषण (वैनीफिट-कास्ट एनालेसिस) किये जाएं। ये हितलाभ-लागत विश्लेषण इस दिशा में स्पष्ट नीतियों तथा कार्यक्रमों के लिए ठोस आधार प्रस्तुत कर सकते हैं।

एक बात निश्चित है और वह यह कि कृषक मशीनरी में सबतक धन नहीं लगाएंगे जबतक ऐसा करना बहुत अधिक लाभकारी न हो अर्थात् जबतक लाभ इन निवेशों से सम्भवित लागतों से बहुत अधिक न हों। कृषक इन निवेशों से अधिकतम लाभ-प्राप्त करना चाहेगा जिसका अर्थ यह होगा कि मशीन का अधिकतम उत्पादक उपयोग (प्रोडक्टिव यूसेज) किया जाए और साथ-साथ इसकी लागत को न्यूनतम रखा जाए। मशीन लागत मरचना निम्न से निमित्त है :—

(क) स्थानिक की सागते अर्थात् नियत सागते—इन सागतों में मूल्य-हास, व्याज, कर, ब्रौमा तथा रक्षास्थान की लागतें सम्भित हैं। ये सब मिला कर वार्षिक प्रारम्भिक लागत का लगभग १५ प्रतिशत होती हैं। न्यून आरम्भिक व्यय, न्यून व्याज, सम्भी भुगतान-प्रबंध, न्यून मडक या घन्य कर (या ऐसे करों का न होना) प्रारम्भिक लागत को न्यूनतम रखने में महायक हैं।

(ख) सचालन की लागते—सचालन लागतों में इंधन तथा स्नेहको (लुट्रीकेट्स) पर व्यय, मरम्मत तथा प्रचालकों की मजदूरी शामिल है। इंधन पर कम उत्पादन-शुल्क या इस शुल्क की समाप्ति, न्यून विद्युत् दरों इंधन तथा विद्युत् उपभोक्ताओं को इन पर विशेष घटीती (रिबेट्स), मशीनों की निरोधक देख-भास संचालन सागतों को कम रखने में सहायक हैं।

एक मशीन (ट्रक्टर या कम्बाईन) की सचालन-लागत मशीन की प्रभावी क्षेत्र-क्षमता, इंधन की खपत तथा इंधन-तेल दरों द्वारा निर्धारित होती है। मशीन की प्रभावी क्षेत्र-क्षमता (कैपेसिटी, C) उसकी चाल (स्पीड, S) मशीन की अक्षित चौड़ाई (रेटेड वीडूप, W) तथा विशिष्ट क्रिया के लिए उसकी क्षेत्र-क्षमता (एफीशियेंसी, E) पर निर्भर है और 'हैक्टर प्रति घण्टा' में मापी जाती है।

$$\text{मूल : } C = \frac{S \times W \times E}{10}$$

जुताई तथा अन्य कियाओं के लिए प्रायः ८२.५ प्रतिशत की क्षेत्र-क्षमता की कल्पना की जाती है। इम स्थिति में, प्रभावी क्षेत्र क्षमता

$$C \text{ (हेक्टर प्रति घण्टा)} = \frac{\text{काल (Km Per hour)} \times \text{चौड़ाई (मीटर)}}{10} \times \frac{82.5}{10}$$

इसी प्रकार सिचाई के लिए पर्याप्त की लागत अनेक बातों द्वारा निर्धारित होती है। जैसे पर्याप्त की कार्यक्षमता, कुएं के अध. सिचाव समेत कुल लिपट, पर्याप्त किए हुए जल का परिमाण तथा विद्युत् या इंधन-तेल दर (कीमतें)। पर्याप्त की क्षमता कुएं से उपलब्ध जल की सप्लाई, सिचाई करने हेतु हेक्टरों की संख्या, उपजाई जाने वाली फसलों, फसलों की विविधता, वर्धन क्रतु की अवधि (लैथ आॉफ ग्रोइग सीजन) तथा वर्षा पर निर्भर है। यदि कुआं पर्याप्त पानी सप्लाई न कर सके तो सिचाई हेतु क्षेत्र को कम करना होगा या नया कुआं खोदना होगा। फसलों में अधिक विविधता होनी चाहिये ताकि उन सबकी एक ही समय में सिचाई न करनी पड़े। जब वर्धन क्रतु लम्बी होगी तो आवश्यक पानी देने के लिए पर्याप्त की भी लम्बे समय के लिये बचाना पड़ेगा। माधारण परिस्थितियों में एक चरण अपकोड़ी पर्याप्तों (सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पर्प्स) की कार्यक्षमता ५० से ७० प्रतिशत तक होती है।

कहने का अभिप्राय यह है कि किसी मशीन के निपादन (परफॉर्मेंस) का मूल्यांकन करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी नियत तथा सचालन-लागत (व्यय) का अनुमान लगा लिया जाए। निम्न अभ्यास जो कि वास्तविक आंकड़ों पर आधारित हैं, स्वत. स्पष्ट हैं और ऐसे अनुमानों से सम्बन्धित धारणाओं को भी स्पष्ट करते हैं।

सारणी ७४ जॉन डीयरे कम्बाइन हॉर्स्टर (JD ३२०) * की प्रति घण्टा नियत तथा सचालन लागत (प्लेटफार्म की चौड़ाई २ ३२५ मीटर)

आंकड़े . अनुमानित कीमत (पजाब में) ८१७२२ रुपये

मूल्यहास काल ५००० घटे /७ वर्ष

$$\text{औसत वार्षिक निवेश} = \frac{n+1}{2n} \times \text{आरम्भिक निवेश (मूल)}$$

$$= \frac{5}{14} \times ८१७२२ = ४६६६८ \text{ रुपये}$$

वार्षिक उपयोग = ६० दिन, १२ घटे प्रति दिन = ७२० घटे

(क) स्वामित्व सागते (नियत लागत) प्रति घटा ८० पैसे

$$\text{प्रति घटा मूल्य हास} = ८१७२२ \div ५००० = १६.३४$$

औसत वार्षिक निवेश पर प्रति घटा ध्याज

$$@ १० \% = \frac{४६६६८ \times १०}{७२० \times १००} = ६.४७$$

$$\text{कुल नियत लागत} = \underline{\underline{८२८८}}$$

(ख) संचालन (प्रचालन) लागतें (प्रति घटा)

ईधन पर व्यय	५.४	लिटर	दर ०.६४	प्रति लिटर	$= ४.५४$
इजिन तेल	०.१२	“	दर २.७०	“	$= ०.३२$
हार्ड्डूलिक तेल	०.०२	“	दर २.४१	“	$= ०.०५$
ग्रीज	०.०३	किलो	दर ४.१८	“ किंग्रा.	$= ०.१३$
फिल्टर					$= ०.१५$
मरम्मत (मूल्यहास लागत का १०० प्रतिशत)					$= १६.३४$
प्रचालक की मजदूरी	५००	रु०	प्रति मास	$\frac{५०० \times १२}{७२०}$	$= ५.३३$

कुल प्रचालन लागत $= \underline{\underline{२६.८६}}$

सकल प्रति घटा नियत तथा प्रचालन लागत $= ५२.६८$

प्रति घंटा कार्य $= १.६१$ एकड़

प्रति एकड़ कम्बाइंग लागत $= ५२.६८ - १.६१ = ५१.०७$

झोत. 'रिफोर्मेंस इवेल्यूएशन रिपोर्ट' आंत जोन डीयरे कम्बाइंग हार्डेस्टेंस, बिल कॉमिटी बर्केंस इन्डिया लिमिटेड नई दिल्ली १५. के स्रोजन्य से।

इसी कार्य से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित हाथ द्वारा की गई कटाई पर खर्च का अनुमान निम्न है :

सारणी ७.५ हाथ द्वारा की गई कटाई पर खर्च का अनुमान

आंकड़े	ओसत उपज प्रति एकड़	$= १२००$ कि० ग्राम
बिक्री कीमत		$= ७५$ रुपये प्रति बिल्डल
गहाई मशीन की लागत		$= ३५००$ रु०
मूल्यहास काल		$= १८००$ घंटे / ५ वर्ष
वार्षिक उपयोग	$= ३०$ दिन (१२ घटे प्रति दिन)	$= ३६०$ घटे
ओसत वार्षिक निवेश	$= \frac{६}{१०} \times ३५००$	$= २१००$ रुपये

(१) अम लागत $\quad \quad \quad$ लागत प्रति एकड़
खेत में कटाई, गट्ठे तथा स्टैक हेतु $\quad \quad \quad$ रु० प०

ठेके पर अम की लागत (5% अर्थात् $\frac{१}{२०}$ भाग) ४५.००

(२) गट्ठों को बाधने के लिए रस्से पर व्यय $= ५.००$

(३) परिवहन लागत (थेरेश खेत में ले जाया जाता है, इसलिए कोई व्यय नहीं) $= ०.००$

(४) गहाई की लागत (प्रति घटा) $\quad \quad \quad$ रु० प०

(क) प्रति घटा मूल्यहास $\quad \quad \quad$ १६४

(ख) निवेश पर व्याज $\frac{२१०० \times १०}{३६० \times १००}$ $= ०.५८$

(ग) मरम्मत लागत (80% मूल्यहास का) $\quad \quad \quad$ ०.७८

	कुल प्रति घटा लागत	=	<u>३.३०</u>
	अनुमानित गहाई-उत्पाद	=	<u>३०० कि० ग्राम प्रति घटा</u>
	१२०० कि० ग्राम के लिए समय	=	<u>४ घटे</u>
	∴ प्रति एकड़ थे शर लागत	=	<u>१३.२०</u>
(५)	थे शर के साथ युग्मत के लिए ट्रॉक्टर		
	लागत १५ रु० प्रति घटा $15 \times 4 =$		<u>६०.००</u>
(६)	श्रम लागत ४ रु० प्रति दिन (८ घटों के लिए) की दर पर ६ मजदूर		
	(चाहे दिन के लिए) $\frac{6 \times 4}{2} =$		<u>१२.००</u>
	कुल हस्त कटाई लागत प्रति एकड़	=	<u>१३७.२०</u>

नोट: ग्रेडिंग की लागत इसमें सम्मिलित नहीं है।

कुछ प्रबन्धाओं में जहाँ कृषक विद्युत मोटर चालित थ्रे शर (गहाई मशीन) का मालिक है, कठे हुए गट्ठों को उस स्थान पर ले जाना पड़ेगा जहाँ विद्युत ऊपर के समीप थ्रे शर लगाया गया है। ऐसी अवस्थाओं में गहाई-लागत ४३ रु० प्रति एकड़ उपर्युक्त कुल लागत ६५ रु० प्रति एकड़ होगी जिसमें परिवहन लागत शामिल नहीं है। गट्ठों को पुनः सम्भालने तथा थ्रे शर तक ले जाने में ऋण की $2\frac{1}{2}$ से ३ प्रतिशत तक हानि होने का अनुमान है। यह हानि लगभग २२.५० रु० प्रति एकड़ की होगी। अतः प्रजाब तथा हरियाणा में यह की हस्तकटाई, गहाई तथा थोसाई किसी भी स्थिति में १०० रुपये प्रति एकड़ से कम नहीं है।

कम्बाइन हावेस्टर के निष्पादन का मूल्याकान करते समय यह देखा गया है कि कम्बाइन में से ऋण की हानि ०.०५ से १.०% थी जबकि हाथ से की गई कटाई या दैल अथवा विद्युत चालित थ्रे शर से की गई गहाई में पह हानि ६ से ८ प्रतिशत है। कटाई में विलम्ब होने से और फलस्वरूप जहु परिस्थितियों व श्रम उपलब्धता के प्रतिकूल होने पर धान्य के बिखरने के कारण यह हानि काफ़ी प्रधिक हो जाने की समावना होती है। प्रथमतम कम्बाइन द्वारा कटाई के पक्ष में है जैसेकि निम्न से स्पष्ट है।

(क) दस्ती कटाई लागत प्रति एकड़	<u>१३७.२० रु०</u>
धान्य हानि प्रति हैक्टर (न्यूनतम ६%)	<u>५४.०० रु०</u>
	<u>१९१.२० रु०</u>

(ख) कम्बाइन द्वारा कटाई लागत प्रति एकड़	<u>३२.७० रु०</u>
धान्य हानि प्रति एकड़ (अधिकतम १%)	<u>६.०० रु०</u>
	<u>३८.७० रु०</u>

(ग) प्रति एकड़ नेट बचत	<u>१४६.५० रु०</u>
------------------------	-------------------

(घ) एक कम्बाइन द्वारा प्रति योहू जहु में बचत	
--	--

21 दिन के लिए 12 घटे प्रतिदिन $21 \times 12 \times 1.61 \times 146.50 = 60655$ रु०

यह ध्यान देने योग्य है कि लागतों में बचतों हित लाभों में गिनी जाती है और प्रति ट्रॉक्टर या प्रति मशीन कार्य-प्राप्ति में बृद्धि का एक बड़ा भाग है। क्रियात्मकता-विस्तृतण

मेरे लागत-बचतों का शामिल करना सिद्धांततः मान्य है। जब मौसम किसान के विरुद्ध हो तो कम्बाइन वास्तविक फसल बचत करता है। १९७० में पजाब व हरियाणा में कई लाख टन गेहूँ इसलिए खराब हो गया कि उसकी शीघ्र गहाई न की जा सकी। अभी उपज खलिहानों में ही पड़ी थी कि वर्षा हो गई और वह फसल पानी से भीग जाने से खराब हो गई। इस खराब गेहूँ को बेचने में कूपकों को काफ़ी कठिनाई हुई और दाम भी कम मिले। मशीनों के उपयोग से इस प्रकार की हानि व ज्ञोखिम से बचा जा सकता है। सारणी ७.६ में विद्युत् चालित निजी नलकूप तथा रहट से प्राप्त जल की तुलनात्मक लागत का अनुमान लगाया गया है। सारणी स्वतः स्पष्ट है और यन्त्रीकृत पर्मिंग से प्राप्त होने वाली लागत में बचत को दर्शाती है।

सारणी ७.६ जल की लागत

मइ	रहट (रुपये)	निजी नलकूप (विद्युत् चालित)
१. उपस्कर	६००	३०००
२. निर्माण कार्य	१२००	२१००
३. मूल्यहास (उपस्कर)	@१५%	६०००
४. मूल्यहास (निर्माण कार्य)	@२%	२४००
५. ब्याज (कुल निवेश पर)	@१०%	१८०००
कुल नियत लागत	२६४००	१०२०००
६. अनुरक्षण व मरम्मत	५०.००	२५०.००
७. श्रम/विद्युत् प्रभार	१०२ दिन २२५ ह० प्रतिदिन २२६.५०	७३०००k W. h. @ १४ पैसे १०२२.००
८. नियमित चारे के प्रतिरक्त		
चारे का व्यय (बैलों के लिए) @ १/५० „ „ १५३.५०		— —
कुल प्रचालन कीमत	४३३.००	१२७२.००
कुल लागतों (नियत व प्रचालन)	७२७.००	२२८२.००
एक वर्ष में जल निकास ६७०० घनमीटर	१०३,०००	घनमीटर
१००० घनमीटर की लागत	७५.००	२२.००

धोत : सारणी ११, १२ दो.बो. मूर्ति “ए कम्प्रेसिव स्टडी ऑफ बेल इंडियन इन अपीलड डिस्ट्रिक्ट इंडिया” तथा प्राचीनिक पढ़ना० २६ कृषि-अर्थवाक्य विभाग, करनाल विश्वविद्यालय। सारणी ७.६ में पष गृह की रखवाली करने का व्यय सम्मिलित नहीं है। बहुत से पष मालिकों ने उपस्करों की चोरी या बदले जाने की शिकायत की है। इसलिए इनके लिए चात के चौकीदार की आवश्यकता है।

लागत में बचतों के अतिरिक्त कूपक ट्रैक्टर से किराया प्राप्त कर सकता है या जल ले बेच सकता है और यदि ऐसा उचित फार्म-उद्दे शो के लिए किया जाता है तो यह प्राप्ति हितलाभ में गिनी जा सकती है। यह सुनिश्चित कर सेना चाहिये कि कृषि इण्डियन्स-मुविधाओं का लाभ उन्ही कूपकों को प्राप्त हो जिन्हे इनकी असली ज़रूरत है, न कि मुनाफाखोरों को। पिछले बारों में कुछ ऐसी शिकायतें भी मिली हैं जिनमें कुछ कूपकों ने ट्रैक्टर प्राप्त करने के शोध बाद उन्हें ब्लैक में बेच दिया। कुछ लोगों का धन्या ही यह बन चुका है। ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है।

अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि ट्रैक्टर या मशीन का उत्पादन-उपयोग कम न रहे। ट्रैक्टर या मशीन के उपयोग को किफायती बनाने के लिए उसके उत्पादन-उपयोग को बढ़ाना पड़ेगा। छोटे आकार के फार्मों पर किसी मशीन का उत्पादन-उपयोग बहुत अधिक नहीं हो सकता। बड़े फार्मों में मशीनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है और यह उनका एक विशिष्ट लाभ है। धेन सहत (काम्पेकट) होने चाहिये ताकि परिवहन (दुलाई) प्रभार कम हो और परिवहन में लगने वाला समय न्यूनतम हो।

एक ट्रैक्टर का एक से अधिक फार्मों पर उपयोग करके इसके उत्पादन-उपयोग को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा ट्रैक्टर को किराए पर देकर या उसका उपयोग महकारी आधार पर करके किया जा सकता है। बहुत से छोटे कूपक संयुक्त रूप में ट्रैक्टर या पप सेट को खरीद सकते हैं तथा उसका प्रयोग कर सकते हैं। अत अभाज्यताओं, जोतों के खड़न तथा कृषि को छोटी इकाइयों द्वारा खड़ी की जाने वाली कठिनाइयों का उचित हल 'संयुक्त स्वामित्व द्वारा संयुक्त उपयोग' ही है।

प्रति फार्म उत्पादन-उपयोग में वृद्धि बहुफलो कृषि अपना कर भी प्राप्त की जा सकती है। बास्तव में बहुफली कृषि के लिए द्रुत फार्म-क्रियाओं की आवश्यकता होती है जिसके लिए ट्रैक्टर शक्ति प्राप्त ज़रूरी है। यह ध्यान रखने योग्य है कि यन्त्रीकरण उन क्षेत्रों में जहाँ आश्वासित सिचाई प्राप्त है, अधिकतम सम्भावनाएँ प्रस्तुत करता है। बहुफली कृषि को सफल बनाने के लिए जल की समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता आवश्यक है। जहाँ तक हो सके, मशीनों का सारा वर्ष अधिकतम समय के लिए प्रयोग किया जाना चाहिये। मशीनों का उत्पादन-उपयोग रोपण, निराई-गुड़ाई, कटाई तथा गुहाई आदि क्रियाओं को करके भी बढ़ाया जा सकता है। ट्रैक्टरों की जुताई, हैरो चलाने, डेले बन जाने, बीज ढोने, गुहाई करने, वरसाने (ओसाने) तथा दुलाई करने में प्रयोग किया जा सकता है। हाल के वर्षों में अनेक प्रकार के विशिष्ट तथा अधिक कार्यकुशल उपस्करों का विकास किया गया है। स्वचालित हार्डवेस्टर (जस्य कर्टिन्श), रोपणयन्त्र तथा अन्य मशीनें कूपकों की कम लागतों पर अधिक धेनकलों की कृषि करने में सहायता करती हैं। तो भी और अधिक दक्षता के लिए नवीन वैज्ञानिक उपकरणों और श्रीखारों के डिजाइन तथा विकास करने हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

इस परिच्छेद का समाप्त करने से पूर्व दो तीन बातों पर विचार करना आवश्यक है। 'कौन-से फार्म ट्रैक्टर या इस प्रकार की मशीन का उपयोग करेंगे और वे जो ट्रैक्टर इत्यादि नहीं ले सकते, उनसे कितना लाभ उठा सकते?' कुछ विचारणीय प्रश्न हैं। एक बात स्पष्ट

है कि वह कृपक जो ट्रैक्टर लेगा, इसका उपयोग सबसे पहले अपने लिए करेगा और उसके बाद ही वह उसका उपयोग अपने फार्म से बाहर करेगा। वह प्रतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए किसने भवय के लिए मशीन (या ट्रैक्टर) को किराए पर देने के लिए तैयार होगा, यह उसके फार्म के आकार, ट्रैक्टर के अतिरिक्त उपयोग से टूट-फूट के जोखिम तथा किराए पर कियाओं को करने के लिए व्यापारिक प्रबन्ध करने की उसकी योग्यता व तत्परता पर निर्भर है। उत्तरप्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में छुट-मुट अनुभवों से ज्ञात होता है कि ट्रैक्टर-स्वामी कार्यबद्ध-काल की समस्याओं से पूर्णतः परिचित हैं और अपनी मशीनों का उपयोग करने में सतकं तथा साधान हैं और बाहर की सेवाओं को व्यवस्थित व्यापारिक आधार पर करने के महत्व को समझने लगे हैं। ट्रैक्टर-स्वामियों को भुगतान की समस्याओं का समाधान भी करना होता है।

यद्यपि फार्मों के सचालन आकार के अनुमार ट्रैक्टरों के वर्तमान वितरण से सम्बन्धित कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह ज्ञानव्य है कि बड़े-बड़े कृपकों ने ही ट्रैक्टर लिए हुए हैं। कई कृपकों के पास एक से अधिक ट्रैक्टर भी हैं। पिछले दो तीन वर्षों में उन कृपकों को भी ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक छह उपलब्ध हुए हैं जिनके पास बहुत अधिक भूमि नहीं है। बैंक इस उद्देश्य के लिए कृपक की भूमि के मूल्य के आधे के बराबर तक छह दे देते हैं। इस प्रकार जैसे-जैसे भूमि का मूल्य बढ़ेगा, छोटे कृपक भी ट्रैक्टर प्राप्त कर सकेंगे। उदाहरणार्थ सिचित भूमि का मूल्य १२००० रुपये से १५००० रुपये प्रति हेक्टर है और एक ३५ hp (हास्त पावर) ट्रैक्टर का मूल्य लगभग ३०००० रुपये है। इस प्रकार उस कृपक को जिसके पास ५ हेक्टर या अधिक (कुल ६०,००० रुपये की) भूमि हो, बैंक से छह प्राप्त हो सकता है यदि वह भूमि को पारिवक रूप से उपयोग करने के लिए तैयार हो।

एक ३५ hp ट्रैक्टर, जिसका मूल्य लगभग ३०,००० रुपये है, लगभग १५ वर्ष या १२,००० घण्टे चलता है। छह की पहर राशि प्रायः कृपक को १० वार्षिक किश्तों में अदा करनी होती है। वार्षिक निवेश पर ६ प्रतिशत व्याज भी देना होता है जो ट्रैक्टर के कुल मूल्य के ४ से ५ प्रतिशत के बराबर होता है।

ट्रैक्टर की कीमत = ३०,००० रुपये

$$\text{वार्षिक निवेश} = \frac{\text{मूल्य} \times (१+६\%)}{२०} \text{ जहाँ } ६ \text{ कुल वर्ष हैं}$$

$$= \frac{३०००० \times ११}{२०} = १६५०० \text{ रुपये}$$

$$\text{ट्रैक्टर के मूल्य की किश्त} = \frac{३००००}{१०} = ३००० \text{ रुपये}$$

$$\text{व्याज (वार्षिक निवेश पर } ६\%) = \frac{१६५०० \times ६ \times १}{१००} = १४८५$$

$$\text{कुल किश्त} = \underline{\underline{४४८५}} \text{ रुपये}$$

इस प्रकार इस छह की पहर को दस वर्षों में चुकाने के लिए कृपक को लगभग ४५०० रुपये की वार्षिक किश्त अदा करनी पड़ेगी। यहाँ ट्रैक्टर के उपयोग की प्रति घण्टा सागत का

परिकलन करना भी उपयुक्त होगा ।

६० पै०

प्रति घटा मूल्य हास = $30000 \div 12000 = 2.50$
प्रति घटा व्याज (वापिक निवेश पर) = $1440 \div 400 = 1.20$
(प्रतिवर्ष में ८०० घटे)

ईंधन-न्टेल आदि ३ से ५ लिटर प्रति घटा = ४.००
मरम्मत प्रति घटा (मूल्य हास का १२०%) = ३.००

११.३०

इस राशि में प्रचालक की मजदूरी शामिल नहीं है । यदि प्रचालक का वेतन २५० रु० प्रति मास हो तो प्रति घटा मजदूरी लगभग ४ रुपये बनती है । ट्रैक्टर घर, बीमा तथा कर प्रभार अतिरिक्त हैं । इस प्रकार कुल लागत कम से कम १६ रुपये प्रति घटा है जो १२ रुपये प्रति एकड़ पड़ती है । ट्रैक्टर द्वारा जुलाई का किराया १५ रु० से २० रुपये प्रति एकड़ तक है ।

अनुभवों से ज्ञात होता है कि एक ३५hp का ट्रैक्टर दक्षता तथा मितव्य से १२ हैक्टर नेट क्षेत्र (ग्रथवा २० हैक्टर कुल क्षेत्र) को कर्पण-आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकता है । इसलिए जिम कूपक के पास कुल १२ हैक्टर भूमि हो, वह ट्रैक्टर से केवल अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकता है और वह ट्रैक्टर को किराए के लिए तभी प्रयोग कर सकता है यदि वह ट्रैक्टर को लाभ-ग्रलाभ स्थिति (ब्रैक इविन पोइंट) प्रतिच्छेद बिन्दु) मर्थात् ७००-८०० घटे प्रतिवर्ष से ग्रधिक उपयोग करने के लिए तैयार होे । यदि वह मशीन को इस सीमा से ग्रधिक समय के लिए चलाता है तो वह ग्रधिक कार्यवद-काल का जीखिम उठा रहा है जिससे उसकी अपनी आगामी कूपि क्रियाओं पर प्रभाव पड़ेगा । जिस कूपक के पास ७ या ८ हैक्टर सिचित क्षेत्र है, उसके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ५ हैक्टर की आवश्यकताओं को पूरा करने का समय बच जाएगा तथा लाभ-ग्रलाभ की स्थिति को प्राप्त करने के लिए वह इस सीमा तक मशीन का उपयोग कर सकता है । इसी प्रकार यदि ट्रैक्टर मालिक के पास ५ हैक्टर भूमि हो तो ७ हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ट्रैक्टर को किराए पर देगा । इस स्थिति में सब खच्च निकाल कर उसे लगभग १६०० से २००० रुपये तक का नेट लाभ हो सकता है और उसे किशत अदा करने में कुछ सुविधा प्राप्त हो सकेगी । उचित यही है कि ट्रैक्टर उन कूपकों के पास बेचे जाएं जिनके पास ग्रपेक्षाकृत कम क्षेत्र हो ताकि वह इन ट्रैक्टरों को कुछ समय के लिए किराए पर चला सके और बहुत छोटे कूपक भी ट्रैक्टर शक्ति के लाभ उठा सकें या ये उन लोगों को बेचे जाएं जो इन्हें विशुद्ध रूप में किराए पर चलाएं । इससे वे लोग भी इन मशीनों का लाभ उठा सकेंगे जो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते या जिनके पास ट्रैक्टर नहीं हैं ।

कुछ प्रगतिशील कूपकों का जिनके पास अपने ट्रैक्टर हैं, यह भत है कि ट्रैक्टर तभी सामकारी सिद्ध हो सकता है यदि उसे अपनी पूँजी से खरीदा जाए वयोंकि उनके मत के अनुसार नहुए ली गई पूँजी का व्याज-प्रभार बहुत ग्रधिक है जो इने ग्रलाभकर बना देता

है और कृपक सफल नहीं हो सकता। यहाँ इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि केषक दीर्घविधि छह मुख्यतः केन्द्रीय विकास बैंकों से प्राप्त करते हैं। १९६६ के अन्त तक इन बैंकों ने ५००० टूकटरों को खरीदने के लिए छह दिये थे जबकि उस समय देश में निजी स्वामियों के पास ५५००० टूकटर थे। इससे पता चलता है कि टूकटरों के कुल स्टाक के केवल ६ प्रतिशत को ही इन छहों से खरीदा गया और ६१ प्रतिशत टूकटर कृपकों ने अपनी पूँजी से खरीदे। केन्द्रीय विकास बैंकों ने मशीनरी तथा टूकटर खरीदने के लिए पिछले कुछ वर्षों में निम्न राशि छह के रूप में दी है।

सारणी ७७ केन्द्रीय विकास बैंकों द्वारा मशीनरी की खरीद के लिए दिया गया छह (करोड़ रुपये में)

वर्ष	१९६६-६७	१९६७-६८	१९६८-६९	१९६९-७०	१९७०-७१
राशि	१७	२१	२६	२५	२७

* अनुमानित

अब वाणिज्यिक बैंकों ने भी कृषि-छह मुख्यालों का विस्तार करना शुरू कर दिया है परन्तु उनके द्वारा लिए जाने वाले ब्याज को दर विकास बैंकों की अपेक्षा अधिक है और यह दर लगभग १२% है। (ग्राह्याय द भी देखें)

विभिन्न राज्यों में उद्योग कृषि निगम (एथो इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन) स्थापित किए गये हैं जो टूकटर तथा कृषि मशीनरी को 'किराया-खरीद' (हायर परचेज) आधार पर कृपकों को सप्लाई करते हैं। पिछले वर्षों में १०-८० करोड़ रुपये की मशीनरी किराया-खरीद आधार पर वितरित की गई है। ग्रनेक राज्यों में मशीनरी को किराए पर देने के लिए 'मशीनरी अभियन्त्र केन्द्र' (मशीनरी हायर सेन्टर्स) भी खोले गए हैं। दोषें कृपक इनमें लाभ उठा सकते हैं।

यन्त्रीकरण के अर्थात् यह पर विवेचन को समाप्त करने से पूर्व एक चेतावनी देना आवश्यक है। कृषि के यन्त्रीकरण-कार्यक्रम को पूरे उत्साह से चलाया जाना चाहिये परन्तु यह ध्यान रहे कि काम अन्धा धुध या अविवेक से न हो। अव्यवस्थित अथवा अविवेकी यन्त्री-करण कृपक की सहायता करने के बजाए उसकी कठिनाइयों को बढ़ायेगा। उदाहरणार्थ में वाली भूमि पर टूकटर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। आज से कुछ वर्ष पहले हरियाणा में जिस कृपक ने भी हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड के पास २५०० रु की राशि जमा करा दी, उसको नलकूप के लिए विजली दे दी गई, बिना इस जांच पड़ताल के कि भूमि में पर्याप्त जल उपलब्ध है या नहीं और वह इसके लिए उपयुक्त भी है या नहीं। फल यह हुआ कि कई नलकूपों से जल की पर्याप्त मस्लाई प्राप्त नहीं हो रही। कहने का अभिप्राय यह है कि कृपक को अपने कुएं पर पम्पसेट तभी लगाना चाहिए यदि कुएं में भरोमें युक्त तथा प्रचुर जल की मात्रा विद्यमान हो। तभी पम्पसेट में अनिवार्य निवेश को उचित ठहराया जा सकता है। कुओं का निर्माण दो प्रकार से अविवेकपूर्ण हो सकता है। नए कुएं का निर्माण प्रबोधनीय है यदि वह पुराने (मौजूद) कुएं के जल की संप्लाई को

कम करने का कारण बनता है। दूसरे कुधों का निर्माण सामूहिक रूप में भी अविवेकी हो सकता है। यह तब होता है जब उपलब्ध भूमिगत जल-सासाधनों द्वारा धारण योग्य स्थाया ने अधिक कुम्हों का निर्माण किया जाए। दोनों स्थितियों में निवेश अनुचित व दोपुरुष ही माना जाएगा। जल साधनों की गुणवत्ता तथा मात्रा को प्राक्ति लेना चाहिये। यह प्रावश्यक है कि भूमिगत जल-सासाधनों को उत्कृष्टता तथा मात्रा से सम्बन्धित विश्वसनीय सूचना का यामानुसार तथा खण्ड अनुसार निर्धारण कर लिया जाए। सक्षिप्ततः भूमिगत जल-मवेक्षणों को उच्चतम प्राधिक्रिया दी जानी चाहिये और यन्त्रीकरण सुदृढ़ अनुसंधान तथा खोज पर आधारित होना चाहिये। अन्वेषी नलकूर स्थायी राज्यों को तकनीकी नेतृत्व प्रदान कर सकता है और इस दिशा में उनके कार्य को समन्वित कर सकता है।

७ १३ यन्त्रीकरण के लिए सरकारी भौतिकी

पिछले कुछ वर्षों से सरकार कृषि-न्यन्त्रोकरण के विकास (विस्तार) पर विशेष ध्यान दे रही है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने १९६३ में कृषि भौतिकी एवं औजार बोर्ड स्थापित किया। राज्य स्तर पर उन्नत मशीनरी के कार्यक्रमों का निरीक्षण तथा मार्गदर्शन करने के लिए विशेष कृषि भौतिकी-कक्षों की स्थापना की गई है। तो भी कार्यक्रम को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे उपस्करों में उपयुक्त डिजाइनों का अभाव, निर्माण की ढंची लागत, भरम्मत, अनुरक्षण तथा फालतू पुरुओं को सप्लाई के लिए पर्याप्त मूल्यधार्यों का अभाव तथा मानकीकरण का न होना आदि। कृषि इंजीनियरी में अनुसंधान को तेज करने, कृषि उपस्करों की रचना के प्रबन्धों में सुधार लाने तथा वितरण एवं देखभाल के लिए बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। कृषि भौतिकी को 'किराया-खरीद' आधार पर सप्लाई करने के लिए तथा अन्य सम्बन्धित तकनीकी सेवाएँ प्रदान करने के लिए लगभग सब राज्यों में कृषि-उद्योग निगमों की स्थापना की गई है। कृषि यन्त्रीकरण के विकास हेतु सुबद्ध कार्यक्रमों को सुट्ट करने के लिए राज्यों में भौतिकी किराया व सेवा केन्द्र खोले गए हैं। इन निगमों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने ५०:५० के आधार पर पूँजी लगाई है।

हाल ही में कुछ व्यापक कार्यों की व्यवस्था के लिए कृषि-भौतिकी एवं औजार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। बोर्ड के निम्न कार्य हैं :

- (१) ट्रैक्टर, पावर टिलर तथा कृषि-उपस्करों आदि के निर्माण, सर्विसिंग तथा देखभाल से सम्बन्धित कार्यक्रम,
- (२) इन भौतिकों को उपलब्ध कराने तथा वितरण के प्रबन्ध करना,
- (३) कृषि-प्रावश्यकताओं को पूरा करना,
- तथा (४) यन्त्रीकरण को फैलाना व सोक्षिय बनाना।

कृषि-मूल्यधार्यों को व्यापक स्तर पर प्रदान करने के लिए 'कृषि वित्त निगम' भी स्थापित किया गया है।

अध्याय ८

कृषि-उधार

८.१ आय पर उधार व टैकनॉलोजी का प्रभाव

कृषि-निपादन में द्रुत वृद्धि प्राप्त करने के लिए सघन व बहुफली कृषि अपनाने की आवश्यकता तथा वैज्ञानिक ज्ञान एवं टैकनॉलोजी के महत्व का विवेचन पहले ही किया जा चुका है। प्रौद्योगिकीय प्रस्फोट, जो उर्वरकों की जारी मात्रा के अनुप्रयोग, सिचाई के आवश्यक उपयोग तथा दक्ष जल-प्रबन्धन, अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों, जीवनाशी पदार्थों तथा यांत्रिक शक्ति के उपयोग व उन्नत फार्म रीतियों आदि द्वारा निरूपित होता है, फार्मों पर एक पर्याप्त ग्राधारिक सरचना की कल्पना करके चलता है। अतः सघन व बहुफली कृषि के लिए निविडियों के नवीन वैकेज को खरीदने की आवश्यकता होती है। कृषि-विकास की सक्रमण-ग्रवस्था (ट्रॉजीशनल स्टेज) में केवल कृषक को आधुनिक निविडियों व नवक्रियाओं को अपनाने के लिए ही तंदार नहीं करना पड़ता, बल्कि इन निविडियों को पर्याप्त मात्रा तथा ठीक समय पर उपयोग करने व खरीदने के लिए वित्तीय सहायता भी देनी पड़ती है ताकि कृषि में तकनीकी परिवर्तन को बनाए रखा जा सके और इसे तेज़ किया जा सके। वित्त के बिना आधुनिक टैकनॉलोजी के अनुप्रयोग को इच्छा को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। हाल ही में किए गए अनेक धानुभविक अध्ययन इस बात को पुष्ट करते हैं।

हाल ही में देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न आकार के फार्मों की आय पर उधार व टैकनॉलोजी के प्रभाव की जौच करने के लिए अनेक अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों में चार भिन्न ग्रवस्थाओं में फार्मों की आय स्तरों को तुलना की गई है। आय का अनुमान लगाने हेतु प्रत्येक ग्रवस्था में इष्टतम् फार्म-पोजना तैयार की गई। उक्त ग्रवस्थाएँ निम्न-लिखित हैं:—

ग्रवस्था क्रमांक १—इसमें वर्तमान ससाधनों और टैकनॉलोजी का ही उपयोग किया गया तथा उधार का सहारा नहीं लिया गया। इसे 'उधार-रहित चालू टैकनॉलोजी' की ग्रवस्था कहा जा सकता है। इसमें 'उधार' उल्लंघन नहीं था।

ग्रवस्था क्रमांक २—इसमें वर्तमान ससाधनों और टैकनॉलोजी का उपयोग किया गया परन्तु साथ में उधार का सहारा भी लिया गया। इसे 'उधार-सहित चालू टैकनॉलोजी' की ग्रवस्था का नाम दिया जा सकता है। ग्रान्ति ग्रवस्था न० १ के साथ-साथ उधार की ग्रवस्था भी की गई।

अबस्था अमांक ३-यह अवस्था 'उधार-रहित उन्नत टैक्नॉलोजी' के उपयोग की थी। यह अवस्था पहली अवस्था से इस प्रकार में भिन्न थी कि इसमें चालू टैक्नॉलोजी उन्नत टैक्नॉलोजी द्वारा प्रतिस्थापित की गई, जो थ. उ. कि. बीजो, उंवरको तथा सिचाई-सुविधाओं द्वारा जानी जाती है। इसमें उधार की मुविधा उपलब्ध नहीं थी।

अवस्था अमांक ४-यह अवस्था 'उधार-सहित उन्नत टैक्नॉलोजी' के उपयोग की थी। अवस्था नम्बर ३ में अतिरिक्त उधार की भी अवस्था थी।

अध्ययनों के निष्कर्ष सक्षेप में इस प्रकार हैं—

- (i) यह देखा गया कि अवस्था २ के अन्तर्गत प्राप्त आय अवस्था १ के अन्तर्गत प्राप्त आय से बहुत अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि टैक्नॉलोजी के बर्तमान स्तर पर भी 'उधार' के पर्याप्त उपयोग से कृषकों की आय में काफी वृद्धि हो सकती है। कई फार्मों में यह वृद्धि १०० प्रतिशत से भी अधिक थी। माधारण स्थितियों में भी यह वृद्धि ३० से ४० प्रतिशत तक हुई।
- (ii) अवस्था ३ के फलस्वरूप आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। अवस्था १ की अपेक्षा यह वृद्धि केवल नाममात्र ही थी (शून्य से ५ प्रतिशत तक)। इससे स्पष्ट है कि 'उधार-रहित उन्नत टैक्नॉलोजी' का उपयोग कृषकों की आय में विशेष वृद्धि करने में सहायक नहीं होता।
- (iii) अवस्था ४ में अवस्था ३ की अपेक्षा आय में बहुत वृद्धि हुई। कई फार्मों पर अवस्था ४ के अन्तर्गत प्राप्त आय अवस्था ३ की आय के द्वानी से भी अधिक थी। इससे सिद्ध होता है कि 'उधार सुविधा-सहित उन्नत टैक्नॉलोजी' कृषकों की आय में बहुत अधिक वृद्धि करती है।
- (iv) अवस्था ४ के अन्तर्गत प्राप्त आय अवस्था २ की आय से बहुत अधिक होती है अर्थात् कहने का अनियाय यह है कि 'उधार-सहित उन्नत टैक्नॉलोजी' में 'उधार सहित चालू टैक्नॉलोजी' स्तर की अपेक्षा बहुत अधिक आय प्राप्त होती है। इसलिए कृषि-आय में वृद्धि हेतु केवल उन्नत टैक्नॉलोजी अपनाना ही ज़रूरी नहीं बल्कि उधार-सुविधाओं का उपलब्ध कराना भी आवश्यक है।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि टैक्नॉलोजी की बर्तमान अवस्था में भी उधार का बहुत शक्य बाजार (लार्ज पोटेंशियल भारकेट थ्राफ के छिट) मौजूद है और कृषि में अधिक तकनीकी विकास के फलस्वरूप इसमें तेज़ विस्तार होगा। उधार-सुविधाओं के बिना उन्नत टैक्नॉलोजी का प्रचलन कृषकों की आय पर सार्थक प्रभाव नहीं डालता। इसलिए उन्नत टैक्नॉलोजी के फल को प्राप्त करने के लिए उधार-सुविधाओं का विस्तार करने हेतु विशेष प्रयास करने होंगे।

प.२ उधार तथा कृषि-विकास

वित्त, कृषि के विकास में सदा ही प्रमुख उपादान रहा है, परन्तु हाल के प्रौद्योगिकीय प्रस्फोट के सदर्म में इसकी भूमिका अधिक व्यापक हो गई है। उचित समय पर तथा पर्याप्त परिमाण में उधार उत्पादन की प्रथम अवश्यकता है। यह वह निविष्टि है जो कृषक की

मन्य निविष्टियों को अनुप्रयुक्त करने में सहायता करती है, (जो कृषि के आधुनिकीकरण के लिए बहुरी है)। यही कारण है कि उधार, जो प्रति हैक्टर कर्ज़ दी गई राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है, कृषि के आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण द्वीतीय है। अतः हमारे विश्लेषण के लिए सहकारी उधार का परिमाण कृषि के आधुनिकीकरण का उचित सकेतक है। सहकारी उधार का परिमाण कृषक की आत्म-सहायता की इस आधुनिक एवं लोकतात्त्विक संस्था को सफलतापूर्वक चलाने तथा विकास के इस आधुनिक साधन से जाभग्नित होने की क्षमता का परिचायक है।

यह उचित हो है कि आधुनिकीकरण के इस महत्वपूर्ण सकेतक तथा उत्पादिता में बूद्धि के बीच सम्बन्ध का अध्ययन किया जाए। अतः इस सर्वमें हमें इस बात का अध्ययन करना होगा कि उत्पादिता-सबूद्धि तथा सहकारी उधार एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं तथा उनके बीच सम्बन्धों से क्या निष्कर्ष निकलते हैं। इस प्रकार का विश्लेषण अन्तर-राज्य अन्तर्रों पर भी प्रकाश ढालेगा। सारणी ८ १ में विभिन्न राज्यों में उत्पादिता-सबूद्धि तथा प्रायमिक समितियों से प्राप्त उधार के आंकड़े दिये गये हैं।

सारणी ८ १ कृषि उत्पादिता-सबूद्धि तथा सहकारी उधार

राज्य	सबूद्धि-दर (१९५२-५३ से १९६३-६४)	कोटि	आवासिक समितियों द्वारा कीदिया गया कर्ज़ (१९६६-६७)	
			%	रुपये प्रति हैक्टर चक्रत लेव
गुजरात	४.५२	१	४५.५	२
तामिलनाडु	३.४६	२	४३.०	३
मैसूर	३.०३	३	२१.१	५
पंजाब	२.८६	४	४८.१	१
आंध्रप्रदेश	२.७२	५	१४.५	६
महाराष्ट्र	२.६२	६	४०.२	४
बिहार	२.३६	७	१३.५	१०
उड़ीसा	१.७८	८	११.१	११
पं. बंगाल	१.४१	९	१४.६	८
मध्य प्रदेश	१.३०	१०	१६.६	६
उ. प्रदेश	१.०१	११	१६.४	७
केरल	१.००	-	५२.८	-
ग्रासाम	-(०.०७)	१२	५.६	१२
राजस्थान	-(०.०६)	१३	४.५	१३
अखिल भारत	१.६१		२३.३	

धोरत: सारणी ५.३७, इन्डियन एक्सोक्स्चर इन बोर्ड, १०वीं चक्रत लेव भार. बी. बाई केरल के आंकड़े सदृश रहते नहीं।

उपरोक्त प्रौद्योगिकों का विश्लेषण करने से निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

- (१) विभिन्न राज्यों में प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा दिए गए प्रति हैक्टर कर्जों में काफी अधिक अन्तर है। इन अन्तरराज्य अन्तरों का परास काफी अधिक है। पंजाब में प्रति हैक्टर सहकारी उधार ₹८.१ रुपये है जबकि राजस्थान में यह केवल ₹५ रुपये है।
- (२) दूसरा निष्कर्ष यह है कि आन्ध्रप्रदेश व बिहार को छोड़ कर जिन राज्यों में उत्पादिता की सबूद्धि-दर ऊँची है (पर्याप्त अखिल भारत औसत से अधिक है), उन राज्यों में प्रति हैक्टर कर्ज का उपयोग भी ऊँचा है। उत्पादिता-सबूद्धि में प्रथम सात राज्यों में से पांच राज्य (गुजरात, तमिलनाडु, मेघालय, पंजाब, महाराष्ट्र,) कृषि उधार-प्राप्ति की दृष्टि से भी ऊँच कोटि में हैं।
- (३) तीसरा उन सब राज्यों में जहाँ उत्पादिता-सबूद्धि की दरे न्यून रही हैं वहाँ सहकारी उधार का प्रति हैक्टर परिणाम भी अखिल भारत औसत से कम रहा है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कुछ राज्यों में उत्पादन-प्रस्फोट तथा आय-मुखार का वहाँ प्राप्त उधार-मुविधायों से निकट का सम्बन्ध है। जहाँ एक और उत्पादन में वृद्धि आधुनिक निविट्यों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है और उधार के लिए अधिक मार्ग को उत्पन्न करती है, वहाँ उधार मुविधाएँ आनुवंशिक-रासायनिक सयोजनों को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं।

उत्पादिता-सबूद्धि-दर तथा कर्ज राशि के बीच सम्बन्ध का एक बेहतर माप-स्थिरमैन कोटि सहस्रमध्य गुणाकार है। यह सह-सम्बन्ध विभिन्न राज्यों के आँकड़ों के कोटि-निर्धारण द्वारा ज्ञात किया जाता है। सारणी द १ में दिए गए आँकड़ों के आधार पर (केरल को छोड़ कर) उत्पादिता-वृद्धि-दर तथा प्राप्त कर्ज के बीच कोटि सहस्रमध्य गुणाकार ०.७६ आता है जो

सारणी द.२ कृषि-उधार-समितियों द्वारा दिए गए कर्ज

वर्ष	कर्ज (करोड रुपये)	सकल शस्य धोन (करोड हैक्टर)	प्रति हैक्टर कर्ज (रुपये)
१९६०-६१	२०२.७	१५.२८	१३.२७
१९६१-६२	२२८.३	१५.६१	१४.६३
१९६५-६६	३४१.७	१५.५३	२२.००
१९६६-६७	३६५.२	१५.६६	२३.३२
१९६७-६८	४२८.२	१५.८२	२७.०७
१९६८-६९	५०३.८	१५.५४	३२.४२
१९६९-७०	५४०.०	१५.८०	३४.२०
१९७०-७१	५४२.०	१५.६२	३४.००

स्रोत, सारणी १०.१३ (इ) इन्डियन एकोल्डर इन ग्रोक १०वां संस्करण तथा आर. बी. आई.

०.५ से अधिक है तथा इनके बीच पर्याप्त साहचर्य का परिचायक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उधार-मुद्रिकाओं की उपलब्धता कृषि के आधुनिकीकरण तथा कृषि के विकास के लिए आवश्यक है। सारणी द २ में पिछड़े कुछ वर्षों में कृषि-उधार-समितियों द्वारा दिए गए अल्प अवधि तथा मध्यम अवधि कर्जों का विवरण दिया गया है।

सारणी द.२ से स्पष्ट है कि पिछले १० वर्षों में सहकारी उधार समितियों द्वारा दिये गये अल्प अवधि तथा मध्यम अवधि ऋण में १५८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु उपरोक्त सारणी में दिये गये कालिक आंकड़े विशेषण के उद्देश्य हेतु तुलना योग्य नहीं है क्योंकि उक्त अवधि के दौरान कृषि-उत्पादन तथा कीमतों में हुई वृद्धि का हिताव नहीं संगाया गया। तुलना के लिए १९६०-६१ के दौरान दिए गए फार्म-कर्ज के आंकड़ों का उस समय से हुई कीमतों में वास्तविक वृद्धि तथा कृषि-उत्पादन में वृद्धि [अर्थात् पूँजी प्रधानता (कैपिटल इनटेंसिवन्स) में वृद्धि] द्वारा स्फीतीकरण किया जा सकता है। इन दस वर्षों में कीमतों में लगभग ८० प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि में कृषि-उत्पादन में २४ प्रतिशत वृद्धि हुई है। अतः १९६०-६१ के कर्ज का स्फीतीकृत अनुमान (इनफ्लेटेड एस्टीमेट) ४५२ करोड़ रुपये होता है ($2027 \times \frac{150}{100} \times \frac{124}{100}$)।

अतः नवीन निविलिंगों के उपयोग के बावजूद पिछले दस वर्षों में सहकारी समितियों द्वारा दिए गए कर्ज के परिमाण के स्तर में केवल २० प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। हम सहकारी समितियों के निष्पादन का विवेचन बाद में करें। यहाँ यह कहना काफी है कि पूँजी का अपर्याप्त व अदक्ष उपयोग भारत में न्यून कृषि-उत्पादिता का मुख्य कारण है तथा भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के लिए बहुत अधिक अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता है।

८.३ कृषकों की उधार-आवश्यकताएँ

परम्परागत कृषि में पूँजी अवानि उधार का भाग भूमि तथा धम की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण होता है। फार्म-प्रबन्ध अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में विभिन्न राज्यों में फार्मों पर कुल निवेश में भूमि का भाग लगभग तीन चौथाई (अर्थात् ७५ प्रतिशत है)। प्रायः पूँजी का स्वरूप ऐसा होता है जिसका वित्तपोषण (फाइनेंसिंग) परिवा धम के उपयोग द्वारा होता है। भूमि के लिए बाजार नगर्य होता है क्योंकि यह उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त होती है। इसी प्रकार धम को छोड़ कर क्रीत निविलिंगों का उपयोग भी लगभग नगर्य ही होता है। परम्परागत कृषि में वित्त का उपयोग कृषि-कार्यों के विस्तार की अपेक्षा अधिकतः भरण-पोषण के लिए किया जाता है। यह वित्त परम्परागत ऋणदाताओं, ग्राम-व्यापारियों, मित्रों तथा सम्बंधियों से प्राप्त होता है। यह उपज बेशी के नंदार, विपणन तथा परिष्करण के लिए भी उपयोग में लाया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को सारा वर्ष ग्रनाज की सप्लाई की जा सके। इन व्यापारिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त कृषकों की नकद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि-उधार की आवश्यकता होती है। निर्बाह-मात्री कृषि में ये आवश्यकताएँ आय की अपेक्षा अधिक होती हैं। कृषि-उत्पादन में मौनमीमन के कारण उधार आवश्यकताएँ घटती बढ़ती हैं। कृषकों की निर्बाह-उधार पर निर्भरता

तथा उनकी वचत करने की न्यून क्षमता कर्जों की अदायगी (की प्रतिदान क्षमता) में अनिश्चितता उत्पन्न करती है। ये कारण ही ऋण-प्रस्तता, औंची व्याज दरों तथा निधनता के कुचक्कों जन्म देते हैं।

आधुनिक कृषि में श्रीत निविष्टियों अर्थात् उन्नत बीजों, उर्वरकों, कीटनाशी पदार्थों, यन्त्रों, उपस्करों, अतिरिक्त श्रम तथा सम्बद्ध निविष्टियों का उपयोग किया जाता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए भूमि की सफाई, सिंचाई तथा भू-समतलन आदि में निवेश आवश्यक हो जाता है। प्रगतिशील कृषि फार्म-भूमि तथा खेती की तकनीकों (प्रविधियों) में सतत सुधार की माँग करती है और कृपक को इस प्रकार के सुधार के आरभित तथा आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए वित्त का प्रबन्ध करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त भू-राजस्व की अदायगी तथा कटी फसल को मड़ी में ले जाने के लिए भी वित्त की आवश्यकता होती है। अत उद्देश्य अनुसार उधार, उत्पादन-उधार (प्रोडक्शन क्रेडिट), उपभोग-उधार (कन्जम्प-सन क्रेडिट) तथा विकास-उधार (डेवलपमेंट क्रेडिट) में वर्गीकृत किया जा सकता है। कृपक की सामान्य उधार-आवश्यकताओं में उत्पादन व उपभोग दोनों तत्त्व सम्मिलित होते हैं। कृषि-उत्पादन को बनाये रखने व बढ़ाने के लिए लिया गया कर्ज़ प्रदेश वर्ग का है जबकि परिवार की जीविका के लिए निर्वाह-ऋण दूसरी श्रेणी के हैं। विकास-उधार की सहायता से कृपक फार्म-भूमि की उन्नति, रक्षा तथा उसका बेहतर उपयोग कर सकता है। भू-स्वामित्व-उधार तथा भू एव जल-संरक्षण कर्ज़ इस सक्षय की पूर्ति में सहायक हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उत्पादन-उधार इतना अवश्य होना चाहिये कि फसल मौसम के दीरान कृपक तथा उसके परिवार का भरण-पोषण भी कर सके।

इसी प्रकार से उधार लिये हुए कर्ज़ प्रल्प अवधि, मध्य अवधि तथा दीर्घावधि के लिए हो सकते हैं। यह बात कर्जों की वापसी की अवधि पर नियंत्र करती है। उदाहरणतः बीजों, उर्वरकों, कीटनाशी पदार्थों या भू-राजस्व व लगान की अदायगी या फसलों को मड़ी तक ले जाने के लिए लिये गये कर्ज़ को एक वर्ष के भीतर ही वापस किया जा सकता है अर्थात् इन ऋणों का फसलों की बिक्री के तुरन्त बाद भुगतान किया जा सकता है। यन्त्रो व उपस्करों को खरीदने तथा भूमि में ग्रल्प सुधार लाने के लिए लिये गये कर्ज़ ३ से ५ वर्ष के अन्दर वापस किए जाते हैं, इसलिए मध्य अवधि कर्ज़ कहलाते हैं। भूमि में स्थायी सुधार लाने के लिए या ट्रैक्टर व नलकूप आदि भारी मशीनरी को लगाने के लिए उधार ली गई राशि का भुगतान करने के लिए दीर्घ समय की आवश्यकता (७ से १० वर्ष तक) होती है। सामान्यतः कृपक को इन ऋणों की जमानत के रूप में अपनी भूमि रेहन रखनी पड़ती है और वह ऋण की राशि की व्याज के साथ आसान वापिक किश्तों में अदा करता है।

८.४ उधार-आवश्यकताओं का प्राक्कलन (अनुमान)

सधन कृषि-विकास-कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर उधार-समर्थन की ज़रूरत पर बहुत बल दिया गया है। नवीन बीज-उर्वरक टैक्नॉलॉजी तथा सम्बद्ध आधुनिक निविष्टियों के कारण भारतीय कृषि की उधार-आवश्यकताओं में काफी वृद्धि हुई है। विभिन्न स्थानों तथा व्यक्तियों द्वारा चौथी योजना के अन्त अर्थात् १९७३-७४ में अभीष्ट अल्प अवधि उधार के

अनेक अनुमान लगाए गए हैं। उदाहरणार्थ सहकारिता से सम्बन्धित कार्यकारी दल का यह अनुमान था कि इस उद्देश्य के लिए १८०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। कृषि-विभाग ने निविष्ट उपभोग-लक्षणों के आधार पर भी इसी राशि का प्राक्कलन किया है। अधिक पैदावार तथा बहुफसली कृषि के आधार पर ये अनुमान १५६७ करोड़ रुपये के हैं।

अनुमान मात्र कृषि-व्यवसाय हेतु उधार-आवश्यकताओं के लिए और इनमें कृपीतर तथा घरेलू व्यय के लिए अभीष्ट राशि को सम्मिलित नहीं किया गया। यहाँ यह बताना उचित ही होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कृषकों द्वारा लिये गये कुल उधार का लगभग ५० प्रतिशत उपभोग-उद्देश्यों अर्थात् परिवार के जीवन-निर्वाह सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए था।

अत्यधिक कृषि-उधार की आवश्यकताओं का प्राक्कलन करते समय निम्नलिखित पार्टों पर ध्यान रखना चाहिये :—

- (१) सब कृषकों को अत्यधिक उधार की आवश्यकता नहीं होती। केवल छोटे कृषकों को, जो अपने साधनों से अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, इस प्रकार के आधार की जहरत होती है।
- (२) उधार लेने वाले कृषक अभीष्ट निविष्टियों के कुल मूल्य का १०० प्रतिशत कर्ज में प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ एक इन निविष्टियों का काफी मात्र अपने ही साधनों से खरीद सकते हैं। उर्वरक, कीटनाशी पदार्थ तथा अधिक उपज देने वाली किसी के बीज मुख्य तथा महत्वपूर्ण निविष्टियाँ हैं जिन्हे बाजार से खरीदना पड़ता है। पुरानी किसी के बीज व खाद कृषकों के अपने पास उनके घरेलू साधनों से उपलब्ध होते हैं। वे इन्हे अपनी फसलों तथा फार्म पशुओं से प्राप्त करते हैं। इससे स्पष्ट है कि मुख्य निविष्टियों के लिए बास्तविक उधार-आवश्यकताएँ उनके कुल मूल्य का लगभग ५० प्रतिशत होती हैं।
- (३) हमारी काफी मानव-शक्ति हमारी कृषि में लगी हुई है और कृषि के छोटे प्राकार के बारें बहुत से कृषक मानव तथा पशु-शर्म पर कोई खर्च नहीं करते। फार्म में आवश्यक शर्म-परिवार के सदस्यों द्वारा सप्लाई किया जाता है। वे कृषक भी इन दायित्वों को अपने साधनों से ही पूरा करते हैं। इसलिए अनुमान लगाते समय समृद्ध कृषकों की हालत में इन व्ययों तथा भूमि लगान, भू-रेजस्ट्र तथा विपणन-वित्त आदि विविध खर्चों की उपेक्षा की जा सकती है। मठ भी ज्यगत देने योग्य है कि प्रगतिशील कृषकों की (जिन्होंने नवीन रीतियों तथा नवकियाओं को अपना लिया है) वित्तीय हालत काफी सुधर गयी है।
- (४) अनुमान सामान्यतः निविष्टियों के उपभोग लक्ष्यों पर आधारित हैं और बास्तविक उपभोग के आधार पर आकलित नहीं किए जाते। ये लक्ष्य तकनीकी प्रगति के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए फसलवार या धेनवार निर्वाचित किए जाने चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न धौत्रों में फसलवार उधार-आवश्यकताओं के अनुमान याकलित किये गये हैं।
- (५) अत्यधिक उधार फसल के अन्त में बापस किया जाना होता है और दोहरों व बहुफसली कृषि की स्थिति में इस कर्ज को बार-बार लगाया जा सकता है और

अतिरिक्त फसलों के लिए उपयोग में आया जा सकता है। अतः दोहरी गणना को टाला जाना चाहिए तथा उधार आवश्यकताओं का अनुमान लगाते समय दोहरी फसल के क्षेत्रफल के प्रतिशत के बराबर छूट देने चाहिये।

(६) इसी प्रकार कृपकों की स्वपोषी वित्त-(सैल्क फाइनेंसिंग-आतंरिक वित्त) क्षमता में सुधार का भी प्याज रखना चाहिये। कृपक को स्व-ऋणादान-क्षमता (सैल्क वोरोविंग कैपेसिटी) में सुधार प्रति व्यक्ति कृषि-उत्पादन में बृद्धि द्वारा नियन्त होता है। सारणी द.३ तथा द.४ में अल्प अवधि उधार-आवश्यकताओं के प्राप्तकर्तन की प्रविधि व संकल्पनाओं को स्पष्ट किया गया है। कुछ परिकलन आमोद ऋण तथा निवेश-संबंध (१६६१-६२) के आँकड़ों पर आधारित हैं। सारणी द.३ कृषि-उत्पादन, प्रति व्यक्ति कृषि-उत्पादन तथा कीमतों

के मूल्यकाल (१६६१-६२=१००)

वर्ष	कृषि-उत्पादन*	प्रति व्यक्ति कृषि-उत्पादन†	कीमतें
१६७३-७४	१४०	१०७	१६०
१६६१-६२ पर			
प्रतिशत बृद्धि	४०%	७%	६०%

स्रोत * पौधवरी योजना का इंटिकोण। वास्तविक उत्पादन बृद्धि लगभग ४० प्रतिशत होने की सम्भावना है।

+ प्रति व्यक्ति कृषि-उत्पादन में वास्तविक बृद्धि सम्पदतः शून्य ही होगी बदौद कोई अतर नहीं होगा। उद्य दशा में स्वपोषी वित्त क्षमता में कोई सुधार नहीं होय। *

पूँजी प्रधानता=४० प्रतिशत

स्वपोषी वित्त क्षमता (सैल्क-फाइनेंसिंग कैपेसिटी) में सुधार=७ प्रतिशत सारणी द.४ कार्म तथा घरेलू व्यय के निए अल्प अवधि उधार-आवश्यकताओं के अनुमान

कार्म	वर्ष अवधि उधार-आवश्यकताएं	राशि (करोड़ रुपये)
कार्म		
उद्यरकों का मूल्य (१६७३-७४ लक्ष).....	१११४	
कीटनाशी पदार्थों का मूल्य („).....	१५०	
अ. उ. किस्म के बीजों का मूल्य („).....	१६१	
मुख्य निविष्टियों का कुल मूल्य.....	१४२५	
(क) उधार-आवश्यकताएं ५०% के हिसाब से.....	७१३	
विविध उद्योगों के लिए १६६१-६२ में लिए गए कर्जे..	१००	
१६७३-७४ के लिए अनुमान		
कीमतों में ६० प्रतिशत बृद्धि के कारण.....	१६०	

(ख) पूँजी प्रथमता में ४०% वृद्धि के कारण बर्बंगन अनुमान $\frac{१६० \times १४०}{१००} = २६६$

१६७३-७४ में कुल उधार आवश्यकताएँ (क) + (ख) ६७६

(—) १६७३-७४ में दोहरी फसल का क्षेत्र (१७%) १६६

(ग) १६७३-७४ में फार्म-व्यवसाय हेतु नेट उधार आवश्यकता ८१३

फार्मेटर (नॉन-फार्म)

१६६१-६२ में घरेलू व्यय के लिए कृपकों द्वारा लिया

गया उधार..... ४५२

१६७३-७४ में घरेलू व्यय के लिए अद्दण का अनुमान

(i) कोपतो में ६०% वृद्धि के कारण अवधि निर्वाह

खर्च में वृद्धि के कारण $\frac{४५२ \times १६०}{१००}$ ६१६

(ii) जनसंख्या में ३०% वृद्धि के कारण $\frac{६१६ \times १३०}{१००}$ ११०

(—) स्वपोषी वित्त-क्षमता में सुधार के कारण ८३

(घ) घरेलू व्यय हेतु नेट उधार-आवश्यकता ११०७

कुल उधार-आवश्यकता (ग) + (घ) १६२०

घोट सारणी II पर आधारित, पी. सी. बसल . “शार्ट टम्पे क्रेडिट रिकार्ड्स एट दी एण्ड बॉक दी कोर्प ब्लान, १६७३-७४” प्रकाशित, १६७१.

नोट : (डॉ० बनसन ने इन आवश्यकताओं का प्राक्कलन निम्न धारणाओं के आधार पर किया है : कीमतों में वृद्धि=५०%, जनसंख्या में वृद्धि २५%, स्वपोषी वित्त क्षमता में सुधार=२१% कृषि-उत्पादन में वृद्धि ४०%; कुल उधार आवश्यकता १६७७ करोड़ रुपये)

सारणी द.४ से स्पष्ट है कि कृपकों द्वारा लिये जाने वाले अधिकांश उधार की उपलब्ध जड़ेश्यों के लिए आवश्यक होती है। १६६१-६२ में फार्मेटर (नॉन फार्म) उधार कुल का ७७.५ प्रतिशत था परन्तु १६७३-७४ में यह अनुपात ५७.६ प्रतिशत होगा।

१६७३-७४ तक मध्य अवधि तथा दीर्घ अवधि के लिए अनुमानित उधार-आवश्यकताएँ प्रकार: ५०० करोड़ रुपये और १५०० करोड़ रुपये की हैं। इस प्रकार कृषि-क्षेत्र की कुल उधार आवश्यकताएँ लगभग १६०० करोड़ रुपये की हैं। इन अनुमानों के विपरीत माशा यह है कि १६७३-७४ के अन्त तक अल्प अवधि व मध्य अवधि उधार के लिए केवल ७५० करोड़ रुपये की राशि सुलभ हो सकेगी जबकि दीर्घ अवधि उधार के लिए वार्षिक नियंत्रण द्वारा ६०० करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है, स्पष्ट है कि इतने बड़े उधार-

अन्तर को निजी एजेंसियों या सहकारी समितियों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। इस महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करने के लिए वह एजेंसी हॉटिकोए अपनाना पड़ेगा। यहाँ उधार-सप्ताही के मुख्य स्रोतों (साधनों) के बारे में अध्ययन करना उचित ही होगा।

८.५ उधार पूर्ति के स्रोत

१९५१-५२ में किये गये ग्राम भृण सर्वेक्षण में विभिन्न क्रहणदाता एजेंसियों व संस्थाओं को ६ बगौं में बोटा गया था :—(१) सरकार (२) सहकारी समितियाँ (३) वाणिज्यिक बैंक (४) सम्बन्धी (५) जमीदार (६) कृपक क्रहणदाता (७) व्यवसायी साहूकार (८) व्यापारी तथा आड़ती (९) अन्य।

इस सदमें में सम्बन्धियों से अनिप्राय उन लोगों से है जो अ-व्याज (बिना व्याज) कर्ज़ उधार देते थे। 'जमीदार बगौं' में वे लोग सम्मिलित हैं जो केवल अपने काश्तकारों व मुजारों को उधार देते थे। कृपक क्रहणदाता वह है जिसका मुख्य पेशा कृषि है और जिसका क्रहण देने का व्यवसाय अपेक्षाकृत कम महत्व का है। व्यावसायिक क्रहणदाता (साहूकार) वे हैं जो अपनी आय का अधिकांश भाग उधार देने से प्राप्त करते हैं और जिनका वर्गीकरण 'कृपक क्रहणदाताओं' में नहीं किया जाता। वाणिज्यिक बैंकों में सब अनुसूचित तथा अनुसूचित बैंक सम्मिलित हैं। सारणी ८.५ में विभिन्न उधार स्रोतों द्वारा कुल उधार राशि में दिए गए अवशान का विवरण दिया गया है।

सारणी ८.५ उधार स्रोतों द्वारा ग्राम उधार का प्रतिशतता-विवरण

क्र. सं.	उधार एजेंसी	उधार का विवरण (प्रतिशत)		
		१९५१-५२	१९५१-५२	१९५०-५१
१. सरकार		३.३	२.६	२
२. सहकारी समितियाँ		३.१	१५.५	३३
३. वाणिज्यिक बैंक		०.६	०.६	५
४. सम्बन्धी		१४.२	८.८	
५. जमीदार		१.५	०.६	
६. कृपक क्रहणदाता		२४.६	३६.०	
७. व्यावसायिक साहूकार		४४.८	१३.२	६०
८. व्यापारी तथा आड़ती		५.५	८.८	
९. अन्य		१.८	१३.६	
कुल		१००.०	१००.०	१००

स्रोत : 'आन इण्डिया फूल टेट एण्ड इन्वेस्टमेंट, सर्वे' आर. बी. बाई।

मुख्यतः कृषि-व्ययों को पूरा करने के लिए कृपक को वित्त तीन साधनों (स्रोतों) से प्राप्त होता है। (१) स्व-वित्त अर्थात् भारतिक वित्त (२) निजी कर्ज़ (प्राइवेट लोन) सास्थानिक कर्ज़। भारत में सामान्यतः सब राज्यों में छोटे कामों की अधिकता है तथा उनके स्व-वित्त का क्षेत्र सीमित है। देश में लगभग ४० प्रतिशत कृषि क्षेत्र ४००५ हैक्टर से भी छोटी जोतों में जोता जाता है। इन जोतदारों को वित्तीय दशा कमज़ोर है और इन्हें ही

उधार की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उन कृपकों की जिन्होंने अधिक उपज बाले बीजों को अपनाया है, वित्तीय दशर काफी सुधर गई है। उदाहरण के रूप में पञ्चाब में प्रति व्यक्ति ग्राम्य आय वहाँ प्रति व्यक्ति नगरीय आय से अधिक है।

८.६ निजी उधार एजेसियाँ

शताब्दियों से कृपक अपनी कृषि-क्रियाओं तथा उपभोग-उधार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैयक्तिक साहूकारों तथा जमीदारों पर निर्भर रहे हैं। सारली ८.५ से स्पष्ट है कि उधार-आवश्यकताओं का बहुत बड़ा भाग निजी एजेसियों द्वारा अर्थात् असहाय-निजी उधार एजेसियों से प्राप्त किया गया। १९५१-५२ में लगभग ६३ प्रतिशत ऋण निजी उधार एजेसियों से प्राप्त किया गया। १९६१-६२ में कृपकों की ८१ प्रतिशत ऋण-आवश्यकताएँ साहूकारों द्वारा पूरी की गई जबकि १९७०-७१ में साहूकार कुल ऋण की ६० प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे। कहने का अभिप्राय यह है कि पिछले कुछ वर्षों में यथार्थ कृपकों को ऋण हेतु साहूकारों पर निर्भरता कम हो रही है परन्तु अब भी ऋण का अधिकांश भाग उन्हीं से प्राप्त होता है। निजी एजेसियों में सम्बन्धी साहूकार भू-स्वामी तथा व्यापारी ग्रादि सम्मिलित हैं। व्यापारी लोग उत्पादन के लिए पेशी उधार देते हैं परन्तु वे अनाज को कम में कम कीमत पर खरीदते हैं। साहूकार निजी कर्जों पर अत्यधिक ब्याज दर प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा उधार दी गई राशि का काफी बड़ा भाग अवाञ्छनीय तथा अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाता है। कृपकों द्वारा व्याह शादियों, संस्कारों तथा रस्मी रिवाजों पर अत्यधिक अपव्यय उन्हें जीवन भर कर्जाई (ऋणी) बना देता है जिसके भयानक आर्थिक व मामाजिक परिणाम निकलते हैं। रिजर्व बैंक के ग्रामीण ऋणग्रस्तों सम्बन्धी एक सर्वेक्षण के अनुमार १९६१-६२ में कुल ग्रामीण ऋण ३००० करोड़ रुपये से अधिक था तथा ७ करोड़ ४० लाख ग्रामीण परिवारों में से प्रत्येक परिवार का औसत ऋण ४०६ रुपये था। ५० प्रतिशत ग्रामीण परिवार अब भी ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। जबरी बसूली, उच्च ब्याज लागतों, सूखसोरी, हिंसाब किताब में हेरफेर तथा कृपकों के शोपण ग्रादि के कारण साहूकार वर्ग बदनाम हो गया है। यहाँ तक कि उनके द्वारा दी गई लाभकारी उत्कृष्ट सेवाओं को भी उपेक्षित हृष्टि से देखा जाता है।

गाव बाले अब भी साहूकार को केवल सहायक ही नहीं समझते बल्कि अपना मित्र व सलाहाकार भी मानते हैं। उनके बीच सम्बन्ध साफ, निष्पक्ष, घनिष्ठ, आरम्भीय, व्यक्तिगत तथा निजी होता है। वे उस समय वित्तीय सहायता देते हैं जब उन्हे इसकी अत्यन्त आवश्यकता होती है। प्राणाली की सारी बुराइयों तथा कुरीतियों के बावजूद, साहूकारों ने पिछले कुछ दशकों में देश के कृषि-विकास में अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कुल उधार-आवश्यकताओं तथा सास्थानिक साधनों से (उपलब्ध) प्राप्त उधार के घन्तर की बड़ी सफलतापूर्वक पूर्ति की है। हाल में, इस धोन में वाणिजिक बैंकों के बड़े पैमाने पर प्रवेश तथा सहूकारी समितियों के वर्तमान योगदान के बावजूद लगभग ६० प्रतिशत वर्तमान कृषि वित्तीय आवश्यकताएँ निजी एजेसियों विशेषतया साहूकारों द्वारा पूरी की जाती हैं। यह तथ्य विचारणीय है और उधार-नोतियाँ इस प्रकाश में ही निर्धारित की जानी चाहियें।

सोने का अड़ा देने वाली इस मुर्गी को जीवित रखना ही पड़ेगा। समस्या का समाधान इस महत्वपूर्ण एजेसी के विलोप (समाप्ति) में नहीं बल्कि लेन-देन व्यवहार के नियन्त्रण व नियमन तथा कुरीतियों के उन्मूलन में है। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि समस्या को हल करने के लिए निर्धारित हृष्टिकोण कृपकों के लिए अद्वितकर न हो। विशेषकर इस समय, कृषि, विन की क्षुधा से पीड़ित नहीं रहनी चाहिये। इसमें कोई शक नहीं है कि इस क्षेत्र में सुवार की व्यापक गुजारायश है और यह काम विन किसी विलम्ब के किया जाना चाहिये।

पिछले तीस वर्षों में ऋणदातान पर नियन्त्रण करने के लिए प्रत्येक कानून बनाये गये हैं। इमी प्रकार भूमि की विक्री तथा इसके रेहन रखने पर प्रतिवन्ध लगा कर बच्चक उधार पर नियन्त्रण करने के लिए भी नियम बनाये गये हैं जिससे निजी उधार-एजेसियों का कार्य बाधी प्रभावित हुआ है। कुछ राज्यों में ऋणदाताओं के सिए लाइसेंस प्राप्त करना और अपने आपको पंजीकृत (रजिस्टर्ड) करवाना अनिवार्य है। बहुधा नियमों की एक सामौ विशेषता यह है कि वे ऋणदातायों द्वारा निर्धारित फार्म पर प्रत्येक ऋणी का असम-प्रत्यक्ष लेखा गवाने पर बल देते हैं। साधारणत नियमों के अनुमार ऋणदाताओं द्वारा ऋणियों को उधार के समय या तुरन्त बाद उधार का विवरण देना होता है जिसमें उधार की तिथि व राशि, उधार चुकाने की तिथि, जमानत का स्वरूप तथा व्याज दर्ज होता है। उसे समय समय पर ऋणी को बकाया भूल, तथा चुकाई गई राशि का विस्तृत विवरण भी देना होता है। वे प्रत्येक अद्वायगी के समय पूर्ण तथा स्पष्ट रसीद भी देने। नियमों की धाराओं का उल्लंघन करने पर ऋणदाता ऋणी के विश्वद कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता। कुछ राज्यों में ऐसे कानून बनाये गये हैं जिनका निश्चित उद्देश्य अकृपकों को भूमि अन्तरण तथा भूमि के हरु शुफा को रोकना है। जोतों की उच्चतम तथा न्यूनतम सीमा निर्धारण द्वारा भी जमीन के लेन-देन को सीमित किया गया है। इन नियमों के कारण साहूकारों का व्यवसाय बहुत अधिक सुकृचित हो गया है और यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि कृपकों की उधार-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वंकल्पित एजेसियों को स्थापित किया जाए।

८७ सास्थानिक उधार

निजी ऋणदाताओं की अनियन्त्रित क्रियाओं के कृषि-वित्त व्यवस्था पर प्रभुत्व वो प्रत्यक्ष नियन्त्रण अथवा प्रतियोगी विकल्प द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। कृषि-वित्त का पुनर्निर्माण तथा उधार प्रणाली रुप पुनर्गठन ऐसे आधार पर किया जाना चाहिये जिससे कृपकों की सब उचित आवश्यकताओं के लिए उचित शर्तों पर उधार मिल सके। यह महत्व-पूर्ण कार्य राज्य द्वारा स्थापित तथा नियन्त्रित स्थानों तथा उनकी स्थानीय शासानों द्वारा या अन्य समिति संस्थानों द्वारा किया जा सकता है। सक्षेप में, हम कह सकते हैं कि सास्थानिक सुविधाओं के निर्माण में राज्य के किसी न किसी प्रकार से भाग लेने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। उपरोक्त विवेचन के सदर्न में सास्थानिक वित्त का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि कोई विकल्प स्था भी निकट

मनिष्य में निजी साहूकार तथा उसकी उधार सम्बन्धी क्रियाओं को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती।

कृषि के आधुनिकीकरण में अनेक कार्यों जैसे विस्तार, उधार आवश्यकताओं के उचित प्राक्कलन, निविप्टियों की सामयिक तथा पर्याप्त सप्लाई, कृपक की योग्यता तथा सुविधा के अनुसार ग्रदायगी-प्रबन्ध, कर्जों की वसूली के लिए प्रभावी व्यवस्था तथा पर्याप्त विपणन-सुविधाओं के सम्बन्ध की आवश्यकता होती है। इस समन्वित व्यवस्था की आवश्यकताओं को केवल सास्थानिक प्रणालियों द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। अतः भारतीय कृषि के संदर्भ में कृषि उधार-आवश्यकताओं को पूरा करने लिए बहु-एजेंसी पद्धति अपनाई जानी चाहिये।

८.८ सरकारी वित्त

सरकार, सरकारी समितियाँ तथा वाणिज्यिक बैंक सास्थानिक कर्ज के मुहूर्य साधन हैं। सरकारी वित्त साधारणतः निश्चित उद्देश्यों के लिए विशेष वर्ग के लोगों को मुलम होता है। इसकी राशि व अवधि सीमित होती है और यह मुहूर्यतः दो प्रकार की परिस्थितियों में उपलब्ध होता है। प्रथम अवस्था में यह उम समय उपलब्ध होता है जब सकट काल की स्थिति हो और उसके उन्मूलन के लिए शीघ्र सरकारी सहायता की आवश्यकता हो। उस समय सरकार कृपकों को 'तकावी कर्ज' देती है। यह सकट भूखा, बाढ़, अन्धड़, अकाल आदि किसी कारण भी उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार किसी भी विशेष विकास-कार्य जिसे सरकार विशेष महत्व देती है, के लिए वित्त प्रदान करती है। कुछ विशिष्ट योजनाएँ ये हैं:- 'अधिक अन्न उपजाग्रो', भूमि-उद्धार तथा कुप्रो की मुदाई आदि। इस सम्बन्ध में प्रचालक एजेंसी सामान्यतः भू-राजस्व विभाग या सरकार का कोई अन्य विभाग होता है।

साधारणतः सरकार द्वारा दिया गया कर्ज सकटों पर कावू पाने के लिए होता है और कृषि उधार की सामान्य तथा नियमित सप्लाई नहीं माना जाता। ये कर्ज अत्यन्त अपर्याप्त होते हैं। अतिक्ल भारत ग्राम-उधार-सर्वेक्षण की निर्देशन समिति ने तकावी कर्ज के बारे में सिखा है कि यह अपर्याप्त राशि का एक अनुपयुक्त संस्था के द्वारा कु-वितरण है। वास्तव में तकावी का रेकार्ड अपर्याप्तताओं का रेकार्ड है—राशि की अपर्याप्तता, वितरण की असमता, जमानत के आधार की अनुचितता, समय की अनुचित्या, आकास्मिक विस्तृत तथा कृषियों पर विभिन्न प्रकार के प्रभार, निरीक्षण की अदरकता तथा सम्बन्ध का अमाव—सब सरकारी कर्जों की सीमाएँ को दर्शाते हैं।

अतः सरकारी वित्त को उपयोगिता स्वीकृति, अनुवीक्षण तथा संवितरण की सम्भी प्रक्रियाओं (जो कि विभागीय प्रशासन में सामान्य बात है) के कारण सीमित है। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध रिश्वत तथा भ्रष्टाचार के दोष आम तौर पर सुनने में आते हैं और इससे कर्ज प्राप्त करने की लागत में बढ़दी होती है। यह सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है कि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर्ज की राशि कम से कम की जानी चाहिए। १६५१-५२ में सरकार का कुल उधार में योगदान ३ प्रतिशत था जबकि १६७०-७१ में

सरकार द्वारा प्रदत्त क्रण कुल उधार का २ प्रतिशत ही था।

८.६ सहकारी संस्थाएँ

भारत में कामं वित्त व्यवसाय के क्षेत्र में सहकारी समितियाँ ग्रल्प अवधि तथा मध्य अवधि उधार का प्रमुख सांस्थानिक साधन हैं और कुल क्रणादान का एक तिहाई भाग (लगभग ३३ प्रतिशत) इनके द्वारा वितरित किया जाता है। सहकारी संस्थाएँ विस्तोपान प्रणाली (धी टायर सिस्टम) से कामं करती हैं जो निम्न प्रकार से गठित हैं :—

- (१) ग्राम-स्तर पर प्राथमिक कृषि उधार सहकारी समितियाँ हैं जो देश के १२ प्रतिशत गांवों में कुल ४३ प्रतिशत कृषक परिवारों की सहायता करती हैं। ये समितियाँ सहकारिता आनंदोलन की जड़ हैं।
- (२) जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं जो प्राथमिक समितियों के कामं की देखभाल करते हैं और प्रावश्यकता पड़ने पर उन्हे क्रण देते हैं। प्राथमिक सहकारी समितियाँ तथा अन्य व्यक्ति इनके संबंध सकते हैं।
- (३) राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होते हैं जिनके हाथ में राज्य सहकारिता आनंदोलन की बागड़ोर होती है। ये बैंक केन्द्रीय बैंकों की देखभाल करते हैं और उन्हे शहर देते हैं।

दीर्घावधि उधार केन्द्रीय भूमि-विकास बैंकों तथा प्राथमिक विकास बैंकों (भूतपूर्व भूमि बढ़क बैंकों) द्वारा दिया जाता है। ये बैंक भूमि-विकास प्रधाति उत्पादन-उद्देश्यों जैसे कुप्रो की सुदाई व मरम्मत, सिचाई के लिए मोटरों तथा परसंटो को खरीदने व लगाने, मशीनरी को खरीदने तथा भूमि सुधार (समतल व टैरेसिंग) के लिए कर्ज़ देते हैं। कर्ज़ के कुछ भाग का क्रण प्रतिदान (डेट रिडेप्यशन) हेतु भी उपयोग किया जाता है। सहकारी उधार की सरचना सारणी ८.६ में दी गई है :—

सारणी ८.६ सहकारी (सांस्थानिक) कृषि-उधार (१९६८-६९)

संस्था का नाम	संख्या	संदर्भ संख्या (हजार)	शेषर पूँजी (करोड़ रुपये)	कामंसील पूँजी (करोड़ रुपये)	दिवा या कर्ज़
अल्प अवधि व मध्य अवधि					
१. राज्य सहकारी बैंक	२५	२१.३	३७.७	५६६.५	६६३.६
२. केन्द्रीय सहकारी बैंक	३४२	३४०.३	११५.२	८३०.५	८२३.१
३. प्राथमिक उधार					
सहकारी समितियाँ १६८,०००	३००००	१६७.३		८१२.२	५०३.६
दीर्घावधि					
१. केन्द्रीय भू-विकास बैंक	१६		३०.६	४८८.२	१४३.६
२. प्राथमिक भू-विकास बैंक ७४०	२६००	२५.३	३०६.८	१०३.८	

स्रोत : खेलेक्टेड स्टेटिस्टिक्स ट्रिलेटिंग द्वि कोआपरेटिव कॉर्पोरेशन एंड इन्डिया आर. बी. बाई, नवम्बर १९७०।

फार्म उधार सहकारी संस्थाओं के कार्य की शुरुआत लगभग ७० वर्ष पूर्व १६०४ के सहकारी अधिनियम से मानी जाती है। इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसान वर्ग को ऋणप्रस्तता के जाम लेवा दोष से राहत दिलाना था। परन्तु इस दिशा में व्यवस्थित ढंग से देशव्यापी अधियन अखिल भारतीय ग्रामीण उधार सर्वेक्षण समिति १६५१-५२ की स्थापना के बाद हुआ।

इस समिति का मत था कि 'कृषि उधार के क्षेत्र में, सहकारिता ही ग्रामीण वित्त के लिए एक मात्र सम्भावा हो सकती है और सहकारी प्रदाता ही किसान की उधार आवश्यकता पूरी करने में सक्षम है तथा इस क्षेत्र में सहकारिता का अन्य कोई विकल्प नहीं है'। सरकार द्वारा यह नीति अपनाये जाने पर कि 'ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों को उधार देने का एकाधिकार भाव सहकारी संस्थाओं को प्राप्त होगा', इन संस्थाओं को हर प्रकार का समर्थन, प्रोत्साहन, अवसर तथा सुविधाएँ मुलम कराई गई और जैसे कि सारणी द.७ से स्पष्ट है, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद प्राथमिक कृषि-उधार-समितियों के ऋणसम्बन्धी कार्यविधियों में लगातार विस्तार होता रहा है।

सारणी द.७ भारत में सहकारी-उधार में प्रगति

(करोड रुपये)

वर्ष	अव्य अवधि तथा मध्यम अवधि उधार	दीर्घीवधि* उधार	कुल उधार
१६५०-५१	२२.६	१.३८	२४.२६
१६५५-५६	४६.६	२.८६	५२.४६
१६६०-६१	२०२.७	११.६३	२१४.३६
१६६१-६२	२२८.३	१४.७५	२४८.०५
१६६५-६६	३४१.७	५७.६६	३८८.६६
१६६६-६७	३६५.२	५८.५५	४२४.०५
१६६७-६८	४२८.२	८२.४१	५२०.६१
१६६८-६९	५०३.६	१४३.६२	६४७.५२
१६६९-७०	५४०.०	१२३.६७	६६३.६७
१६७०-७१	६०१.१	१३४.४३	७३५.५३

चीत : १. लार बी. बाहि, सेनेकटेड स्टैटिस्टिक्स ट्रिलेटिंग दु कोजारोटिंग एंड इन इन्डिया (१९६६-६७—१९६८-६९)

२. सारणी न० १३ (६) "इन्डियन एपीकल्चर इन बीक्स १०वीं सहकरण

३. दी कोर्प ब्लान मिड टर्म अप्राइवल, १९७२

नोट : इस कर्ते के कृषि पुनर्वित नियम द्वाया किया गया सर्वितरण (सिवर्विट्स) से समितित है।

सारणी द.७ से यामात होता है कि पिछले १५-२० वर्षों में कृषि-उधार-सहकारी समितियों के कार्य में प्रभावपूर्ण उद्धति हुई है। १६६०-७० दशक के दौरान सहकारी समितियों को कार्यस्थोल पूँजी तिगुनी हो गई है जबकि उनके द्वारा उधार दी गई राशि में

भारतीय कृषि-अर्थव्यवस्था

सारणी ८.६ प्राथमिक कृषि-उधार-समितियों की कार्यकर दूँजी

(करोड रुपयों में)

मठक	१६५०-५१ %	१६६०-६१ %	१६६२-६६ %	१६६३-६६ %	१६७०-७१ %
प्रदत्त दूँजी (भेद शप कंपनियों सचिति (रिजर्व्स))	७.६१ (२०.४)	५७.७५ (२१.१)	११६.८ (२१.३)	१६७.३१ (२०.६)	१६८.७०
बगा	—	१७.७६ (६.५)	३२.१२ (६.०)	४७.५५ (५.६)	५०.००
उथार	५.२८ (११.५)	८४.५६ (५.३)	३५.४६ (६.३)	५६.५४ (७.०)	६६.११
आलू दूँजी	२५.३६ (६८.१)	१८३.७६ (६७.१)	२६३.१५ (६६.४)	२४०.०२ (६६.५)	२३६.४२
उथार दी गई राशि	२२.६ (६९.५)	२७३.६२ (१००.०)	५५६.५६ (१००.०)	८१२.२२ (१००)	८५१.२३
		२०२.७ (७८)	३४१.७ (६७.५)	५०३.६ (६२)	५४४.४

चौथा : आर. औ आई.ओ.र सारणी न० १०.१३ (इ) के अनुदान प्रयोगशाले इन शीफ १००० सहकारण द्वारा दीर्घा, १९७३
(नोट : कोषकों में उत्तरार्द्ध कार्यकर दूँजी का प्रतिशत है)।

भी लगभग इतनी ही वृद्धि हुई है। यद्यपि यह प्रगति बहुत ही आश्चर्यजनक लगती है परन्तु यदि उधार-सहकारी समितियों के निष्पादन का गहराई से अध्ययन करें तो उनके व्यापक विस्तार व प्रसार के साथ-साथ कुछ व्याकुल करने वाली प्रवृत्तियाँ भी दिखाई देती हैं।

सहकारी नीति के अनुसार कुछ वर्ष पहले तक कृषि-उधार केवल सहकारिता का धर्म-कृत कार्यक्षेत्र था। इसे अब्द्य उधार संस्थाओं की किसी भी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता था। उद्देश्य यह था कि इनका विकास निर्बाध रूप से हो। विचार यह था कि ये संस्थाएँ किसानों को बचत-राशि जमा करने के प्रति प्रोत्साहित करेंगी ताकि कृपकों की नवीन प्राविधिक विधि के अन्तर्गत उधार आवश्यकताएँ बहुत सीमा तक इन संस्थाओं द्वारा ही पूरी की जाएँ। यद्यपि ये संस्थाएँ परम्परागत कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम रही हैं, परन्तु वे स्वतः (अपने बन पर) विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किसायतशारी और बचत की आदतों को प्रोत्साहन देने में भुरी तरह असफल रही हैं। इन संस्थाओं की कार्यकर पूँजी (वर्किंग कैपिटल) के सघटन के विश्लेषण करने से पता चलता है कि पिछले वर्षों में सहकारी संस्थाओं की उधार ली हुई राशि पर निर्भरता में कोई कमी नहीं हुई है और न ही निजी निधि तथा जमा राशि में सापेक्ष वृद्धि हुई है।

सारणी द.८ से स्पष्ट है कि सहकारी समितियों कार्यकर पूँजी के लगभग दो-तिहाई भाग के लिए उधार ली हुई राशि पर निर्भर हैं और उनकी उधार पर इस निर्भरता में कोई कमी दिखाई नहीं देती। सारणी से यह भी पता चलता है कि चामू पूँजी में प्रदत्त पूँजी व सचिति का अनुपात पिछले वर्षों में कम हुआ है। यह बात इस तथ्य की पुष्टि करती है कि 'सहकारिता आन्दोलन' लोगों में बचत व आत्मनिर्भरता की भावना प्रेरित करने में सफल नहीं रहा। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि इन समितियों द्वारा उधार दी गई राशि इनके द्वारा उधार ली गई राशि से कम रही है और इनके द्वारा दिए गए कर्जों का इनकी कार्यकर पूँजी से अनुपात में भी ह्रास हो रहा है। १९६०-६१ में कार्यकर पूँजी का ७४% कर्ज में दिया जा रहा था जबकि १९६८-६९ में उधार दिया गया कर्ज कुल कार्यकर पूँजी का केवल ६२ प्रतिशत था। अतः यदि समितियों के निष्पादन को इस परिव्रेक्ष में देखा जाए तो यह निराशाजनक ही कहा जाएगा। १९६८-६९ में कुल कार्यकर में 'जमा राशि' केवल ७ प्रतिशत थी।

कर्ज की वसूली सहकारिता साल की मुख्य समस्या रही है। हाल के वर्षों में परिवर्तित चिन्ताजनक व दुर्भाग्यपूर्ण बात महकारी उधार को बापस न करने की प्रवृत्ति है। देखा गया है कि लगभग सब राज्यों में पुराना बाकी कर्ज (ओवर डिपू लोन) उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। सारणी द.९ में बताया (अप्राप्त) कर्ज तथा पुराने बाकी कर्ज के प्राकिन्दे दिए गए हैं जो उपरोक्त कथन की पुष्टि करते हैं। १९६८-६९ में बताया कर्ज ६१८.८ करोड़ रुपये था, जिसमें से एक तिहाई से अधिक बहुत पुराना था।

सहकारी उधार-संस्थाओं में बढ़ती हुई पुरानी बाकी राशि सहकारी उधार सरचना की हड्डता की क्षति पहुँचा रही है तथा कृपक के लिए उधार प्रबाह-भागों में बाधा डाल रही है। विभिन्न राज्यों में किये गये अध्ययनों ने 'जानवृक्ष कर कर्ज बापस न करने की प्रवृत्ति' के

सारणी नं.६ बकाया (अप्राप्त) कर्ज़ तथा पुरानी बाकी कर्ज़ (लोन्स माउटस्टैंडिंग एण्ड ओवर ड्यू)

बर्दं	बकाया कर्ज़	पुरानी बाकी	पुरानी बाकी-बकाया अनुपात
(करोड़ रुपये)		करोड़ रुपये	प्रतिशत
१९६६-६७	४७७.५	१६०.१	३३.५
१९६७-६८	५३४.३	१७१.०	३२.०
१९६८-६९	६१८.८	२१४.०	३४.६
१९६९-७०	७११.४	२६८.३	३७.७

द्योत, बाट, बी, आई. सेलेक्टेड स्टेटिस्टिक्स रिलेटिंग टु कोआरप्रोटिव कॉम्पाइट इन इन्डिया तथा इंडिया, १९७३.

कारणों पर प्रकाश डाला है। इस प्रवृत्ति के निम्न कारण हैं;—

- (i) कई कृपक इन समितियों से प्राप्त कर्ज़ को अधिक व्याज पर आगे उधार दे देते हैं और इस प्रकार लाभ उठाते हैं।
- (ii) कई भूतपूर्व सदस्यों व उनके साधियों को यह विश्वास नहीं होता कि कर्ज़ का वापस करने के बाद उन्हें नया कर्ज़ उपलब्ध हो सकेगा। अतः वर्तमान प्रबन्धक वर्ग को तंग करने के लिए वे राशि को वापस नहीं करते।
- (iii) कई सदस्यों को समिति की प्रागानी वित्तीय स्थिति के प्रति विश्वास नहीं होता और वह ढर रहता है कि कहीं समिति का दीवाला न निकल जाए। अतः अपनी शेयर पूँजी को हानि को पूरा करने के विचार से वे जानबूझ कर कर्ज़ को वापस नहीं करते।

अध्ययनों से पता चलता है कि बाकीदार (डिफाल्टर) प्रायः सुरक्षित तथा खातेन्द्रीते घरों से सम्बन्ध रखते हैं। योजना आयोग के 'कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन' के अध्ययन से पता चलता है कि पुरानी बाकी राशि तथा बकाया कर्ज़ में अनुपात प्रतिशतता छोटे कृपकों की अपेक्षा बड़े कृपकों में बहुत अधिक है।

जो कुछ भी हो जिस तेजी से बकाया रकम बढ़ रही है उससे आमास होता है कि आने वाले वर्षों में बकाया रकम में कमी होना पूर्णत असम्भव है। सहकारिता-आन्दोलन ऐसी स्थिति को अधिक देर तक नहीं टाल सकता जिसमें कुल निजी पूँजी पुराने बाकी कर्जों द्वारा परिष्कारण की जाएगी। इसलिए यदि सहकारीतन्त्र को प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करना है तो बकाया राशि को काफी हद तक कम करना होगा। जानबूझ कर बकाया रखने वाले बाकीदारों (विलफुल डिफाल्टर्स) से बकाया रकम बसूल करने के लिए उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करनी होगी। उन बाकीदारों की स्थिति में जो जानबूझ कर ऐसा नहीं कर रहे हैं अर्थात् जो उधार लिये हुए कर्ज़ को तुरन्त नहीं चुका सकते, उनके अल्प अवधि छह एवं को मध्य अवधि छह एवं तीन वर्षों में बदला जा सकता है ताकि भुगतान करने में उन्हें अधिक समय मिल

सके। इस उद्देश्य के लिए सहकारी बैंकों द्वारा जारी की गई 'उधार स्थायीकरण निधि' (क्रेडिट स्टैबिलाइजेशन फण्ड) का सहारा लेना पड़ेगा। हाल ही में इस प्रकार की एक योजना बनाई गई जिसे सरकार की सहायता प्राप्त है। १९६८-६९ के अन्त तक इस कार्य के लिए १५.२८ करोड़ रुपये दिया जा चुका है।

बकाया बसूली की समस्या, ससाधनों की कमी, जमा जुटाने में प्रयासों का अभाव, उदासीन प्रवृथक वर्ग, सहकारी समितियों पर निहित स्वार्थ वाले तत्वों का प्रभुत्व, अप्रशिक्षित कर्मचारी, अनुपयुक्त तथा बाधक नीतियाँ व प्रक्रियाएँ कुछ प्रमुख अवरोध कारक हैं और स्थिति को सुधारने के लिए तुरन्त संशोधनार्थ उपाय अपनाना बड़ा ही आवश्यक है। अतः आवश्यकता सहकारी संस्थाओं को मुट्ठड करने की है ताकि वे इस दिशा में अधिकतम योग दे सकें।

सहकारी क्षेत्रक को मजबूत करने की दिशा में निम्न उपाय मुझाये गये हैं :—

- (१) मुख्य आवश्यकता अल्प-अवधि तथा मध्यम अवधि सहकारी क्रहण-व्यवस्था के ढाँचे को जीवन क्षम बनाने की है। ऐसा प्राथमिक कृषि-उधार-समितियों के पुनर्गठन तथा मुक्तिकरण के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए जहाँ बकाया राशि में कमी करनी होगी वहाँ अधिक राशि को जमा करने के प्रयास भी करने होंगे। साथ साथ उधार-नीतियों को भी उदार बनाना होगा। सहकारी समितियों को जीवन क्षम इकाइयों में बदलने के लिए उनका समामेलन या उनके कार्यक्षेत्र में विस्तार करना होगा। कई स्थितियों में परिसमापन (लिंकबोडेशन) के प्रक्रम को अपनाना होगा। समितियों के इस प्रकार पुनर्गठन के परिणामस्वरूप समितियों की संख्या में कमी हो जाएगी। आशा है १९७३-७४ के अन्त में जीवन सक्षम समितियों की संख्या १,२०,००० रह जाएगी।
- (२) भूमि विकास बैंकिंग की यति को तेज़ करना ताकि दीर्घावधि उधार द्वारा कृषि के लिए मूलभूत महत्व की स्त्रीमों को समर्थन दिया जा सके।
- (३) क्रहण-समितियों तथा भूमि-विकास बैंकों की प्रक्रियाओं तथा नीतियों का सघु कृपकों के पक्ष में निर्धारण करना। (परिच्छेद नं. १३ भी देखें)
- (४) कृषि निविष्टियाँ सप्लाई करने के लिए सहकारी वितरण व्यवस्था का विस्तार करना।

'स्थिरता सहित विकास' (ग्रोथ विथ स्टैबिलिटी) चौथी योजना का मुख्य व्येय था तथा सहकारिता-विकास की व्यूहरचना में कृषि सहकारी समितियों को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यदि उल्लिखित कार्यक्रम कुशलतापूर्वक कार्यन्वित किये जाएं तो १९७३-७४ तक सहकारी समितियाँ ७५० करोड़ रुपये की अल्प अवधि तथा मध्यम अवधि के क्रहण बैंडों का लक्ष्य पूरा कर सकती हैं।

प. १० वाणिज्यिक बंकों का योगदान

नवीन कृषि टैक्सॉलोजी की मुश्किल तथा इसके बढ़ते हुए अनुप्रयोग में उधार की मांग काफी बढ़ गई है। सहकारी संस्थाओं द्वारा दिए गए क्रहण में विस्तार के बावजूद यह

अनुमत किया गया कि ये संस्थाएँ स्वयं में अमीड़ वित्त की बड़ी मात्रा को पूरा नहीं कर सकती और इस दशा में किये गये प्रयासों को ग्रन्थ संस्थाओं द्वारा अनुपूर्ति की जानी चाहिये। अतः हरित जननि के सदर्म में कृषि उधार की बढ़ती हुई मांग तथा इसको पर्याप्त हृद तक पूरा करने की अत्यावश्यकता ने नयी आधार नीति को जन्म दिया है और वह—एजेंसी मांग अपनाने को प्रेरित किया है। वाणिज्यिक बैंकों का कृषि-वित्त-व्यवसाय में प्रवेश इस और एक कदम है।

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि 'असिल भारतीय प्रामोण उधार-जांच समिति' ने अपने प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया है कि 'कृषि की प्रगति को सहकारी उधार के विकास से सलग्न नहीं किया जा सकता' और इसलिए इस दिशा में सब प्रयास केवल सहकारी क्षेत्रक तक ही केन्द्रित नहीं रहने चाहिये। इसमें कोई शक नहीं कि इस नई तथ्यप्रकृति के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक बैंकों के इस क्षेत्र में प्रवेश से भारत में सास्थानिक उधार की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हुई है।

कुछ वर्ष पहले तक वाणिज्यिक बैंक कृषि-उधार का छोटा-सा बोत थे। ऐसे उधार की बढ़ती हुई आवश्यकता और इसकी दृढ़त सभावनाओं को देखते हुए कुछ साहसी निजी बैंक इस क्षेत्र में सचिल लेने से लगे। १९६७-६८ में वाणिज्यिक बैंकों के सामाजिक नियन्त्रण में आने पर इन बैंकों ने सहकारी भूमि-विकास बैंकों के ऋण-पत्रों (डिवैन्चर्स) में २२८६ करोड़ रुपये लगाए और इस प्रकार कृषि के लिए परोक्ष रूप में वित्त प्रदान किया। इसके अतिरिक्त बैंकों ने १९६८ में ही कृषि दित निगम, लिमिटेड को संगठित किया ताकि विकास बैंक कृषि-विकास में सक्रिय तथा व्यापक रूप में योग दे सके।

जुलाई, १९६६ में भारत सरकार ने देश के १४ प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीय करारण कर दिया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का एक कथित उद्देश्य यह था कि संसाधनों को जीवनक्षम कृषि क्षेत्रक की ओर मोड़ा जावे तथा लधुकृपकों को उधार दिया जाए। कृषि की वित्त व्यवस्था हेतु प्रयासों को तेज़ करने के लिए वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली की शाखाओं के व्यापक जाल बढ़ाना परमावश्यक है। इससे शाखाओं के बोलने की प्रक्रिया को नया बल प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने पिछले तीन चार वर्षों में लगभग २००० नई शाखाएँ केवल ग्रामीण क्षेत्र में खोली हैं।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्रक को दिए जाने वाले ऋण को मुख्यतः दो वर्गों 'प्रत्यक्ष वित्त तथा अप्रत्यक्ष वित्त'-में बांटा जा सकता है। कृपको को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष वित्त में मौसमी कृषि कार्यों को चलाने वाले ऋण तथा कृषि में निवेश हेतु आवधिक कर्ज़ जैसे कुपों के ऊर्जायन के लिए (कोर इनरजाइजेशन आफ बैंल्स) सम्मिलित है। बैंक कृपको को कृषि उद्योग निगमों, सेवा-इकाइयों तथा राज्य विद्युत बोर्ड आदि मध्यवर्ती संस्थाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष वित्त मी देते हैं। अप्रत्यक्ष कर्ज़ का अधिकांश भाग उर्वरक तथा ग्रन्थ निविष्टियों की वित्तीय व्यवस्था में उपयोग किया जाता है।

अबसे कुछ वर्ष पहले तक बैंकों की कृषि-उधार क्षेत्र में अन्तर्गत स्तराता नगण्य के समान थी परन्तु पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों का योगदान बड़ा सराहनीय रहा है। १९६८-६९ में बैंकों ने कृपको को लगभग ५१ करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष ऋण

दिया। अब कुल कृषि-उधार का ५ प्रतिशत भाग राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है। १९६७-६८ तक बैंकों द्वारा कृषि को दिया जाने वाला उधार उनके कुल उधार का २ से ३ प्रतिशत तक था जिसमें से अधिकांश उधार बागानों को दिया जाता था। इस प्रकार उधार का सेक्टरीय वितरण बड़े पैमाने के उद्योग, योक व्यापार और वाणिज्य के पक्ष में रहा है परन्तु कृषि-क्षेत्र में सक्रिय प्रवेश के बाद उनके द्वारा कृषि-क्षेत्र के लिए अपनी कुल साख राशि का ६ प्रतिशत प्रदान किया जा रहा है। चौथी पचवर्षीय योजना के द्वीरान बैंकों द्वारा ४०० करोड़ रुपये की कृषि-वित्त-सहायता देने का सुझाव था जो कि ८० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बनता है। कृषि उधार के क्षेत्र में बैंकों द्वारा किये गये कार्य से स्पष्ट है कि योजना में सुझायी गई ८० करोड़ रुपये की आंसूत वापिक वृद्धि बैंकों की क्षमताओं के अन्तर्गत है, बशर्ते कि सगठन-प्रयास भी साथ-साथ हो और बैंकों को कृषि कर्जों को देने से सम्बन्धित आवश्यक तकनीकी निपुणता सुलभ हो। यह भी मुनिश्वत कर लेना चाहिए कि बैंक कार्य-विधि कठिनाइयों तथा बंधानिक प्रतिबन्धों के शिकार न हो। सारणी द.१० में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि हेतु दिए गए ऋण के आंकड़े दिए गए हैं।

सारणी द.१० अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त कृषि-ऋण
(करोड़ रुपये)

के अन्त में	कृषकों को प्रत्यक्ष वित्त	अप्रत्यक्ष वित्त	कुल
जून, १९६८	१४.३० (३२१)	३०.२८ (६७६)	४४.५८ (१००)
जून, १९६९	५३.६१ (२८४)	१३४.८१ (७१६)	१८८.४२ (१००)
जून, १९७०	१८३.६८ (५३.८)	१५७.७६ (४६.२)	३४१.७७ (१००)
मार्च, १९७१	२३५.०८ (६२.१)	१४३.४४ (३७.६)	३७८.५२ (१००)

नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल की प्रतिशतताएँ हैं।

पिछले तीन वर्षों में कृषकों को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त का बढ़ता हुआ प्रतिशत इस बात का सूचक है कि कृषक अब टिकाऊ (स्थायी) पूँजी निवेश-परियोजनाओं की ओर अधिक प्रवृत्त हैं और फसल उपजाने की अपेक्षा उन्नत कृषि टैक्नालॉजी के अपनाने में अधिक रुचि रखते हैं।

सामाजिक व्येषों को कार्यरूप में लाने हेतु उपयुक्त संगठन-दांचे की आवश्यकता होती है। इस समस्या को हल करने के लिए 'राष्ट्रीय उधार परियद' (नेशनल क्रेडिट कॉस्टिल) के अध्ययन-दल ने सुझाव दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की जालाएँ खोलने से पहले यह उचित होगा कि बैंक व्यवस्था के विकास की समावनाएँ साथ आधिक समर्थता ज्ञात करने के लिए क्षेत्रवार अधिकारी जिलेवार सर्वेक्षण किया जाए। इस उद्देश्य के लिए एक नई स्कीम जिसके लिए 'अगुआ बैंक' स्कीम (लीड बैंक स्कीम) का नाम दिया गया है, शुरू की गई है। ऐसे सर्वेक्षणों के लिए प्रत्येक जिले को किसी न किसी बैंक (अर्थात् अगुआ बैंक) को एलाट कर दिया जाता है। अध्ययन दल के सुझाव अनुसार प्रत्येक जिले में उधार तथा बैंक व्यवस्था के विकास के लिए यह जरूरी है कि सब एजेंसियाँ—वाणिज्यिक बैंक, केन्द्रीय

सहकारी बैंक तथा सहकारी भू-विकास बैंक-इस कार्य से सम्बन्धित को जावें। प्रत्येक डिलापोजना के तीन पहलू होंगे :

- (१) जिले में विशेष स्थानों पर नई शाखाएँ या इकाइयाँ खोली जाएंगी।
- (२) विभिन्न उधार-संस्थाओं के बीच गत्यात्मक सम्बन्ध बनाये जाएंगे ताकि वे एक दूसरे के संपूरक बन सकें।
- (३) उधार देने से सम्बन्धित उपयुक्त नीतियों तथा प्रक्रियाओं की रचना की जाएंगी।

आशा है कि 'अग्रुद्धा बैंक' इन सर्वेक्षणों तथा प्रतिवेदनों के प्रकाश में उस जिले या क्षेत्र में बैंक व्यवसाय के विकास और विस्तार में बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा (यद्यपि उमका एकाधिकार नहीं होगा)। इससे गांवों भी अधिक से अधिक शाखाएँ खोलने में सहायता मिलेगी और कृपि-वित्त का अधिकतम संस्थानीकरण किया जा सकेगा।

यहाँ कृपि-उधार से सम्बन्धित बाहिनियक बैंकों के मार्ग में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों का उल्लेख करना भी उचित होगा। इसमें कोई शक नहीं कि प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास बहुत अधिक संसाधन तथा प्रभिक्षित कर्मचारी हैं परन्तु उनका संगठन, उनके व्यवसाय की पद्धति, प्रक्रियाएँ तथा अधिकाय स्टाफ ग्राम्य जीवन अथवा छोटे पंभाने के संचालन के अभिविन्यस्त नहीं हैं। इसमें और के विस्तृत परीक्षण तथा विवेक के प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। देश में उधार तथा बैंक प्रणाली के विकास के लिए विस्तृत योजनाएँ स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर निर्मित की जानी चाहिये ताकि वे उनके अनुरूप हों। उनकी कार्यपद्धति ग्राम्य जीवन से मेल खानी चाहिये।

८.११ कृपि-उधार के कार्य तथा राष्ट्रीय उधार-नीति

एक दक्ष कृपि-उधार-प्रणाली को एक साथ अनेक प्रकार के कार्य करने चाहिये। कृपि-उधार-प्रणाली में विभिन्न क्षेत्रको, धरों तथा आय वर्गों के बीच संसाधनों का निर्बाध प्रतरण (फोटोसफर और आँक रिसोर्सेंज) होना चाहिये ताकि एक विकासशील देश के दुर्लभ संसाधनों का दध आवटन हो सके। उधार प्रणाली को कृपि क्षेत्रक में हो रहे तकनीकी परिवर्तन के सदर्भ में इसकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये। इसे बढ़ाते हुए कृपि-उत्पादन से उत्पन्न आयों से बचतों के जुटाव को प्रोत्साहन देना चाहिये। उत्पादन के महत्वपूर्ण कारक के रूप में, उधार को बढ़ाते हुए कृपि-उत्पादन के सम्यक् वितरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योग देना चाहिए। इसका उपयोग उत्पादक रोजगार पैदा करने में किया जाना चाहिए ताकि कृपि-क्षेत्रक में अल्प-नियोजितों (अन्डर एम्प्लायड) की बढ़ती हुई संख्या को स्थाया जा सके।

उधार द्विधार प्रस्तर है। यह जहाँ एक और कल्पाणा को बढ़ावा दे सकता है वहाँ दूसरी और मानव दुख का कारण भी हो सकता है। वह सीमा जिस तक कृपि-उधार उपरोक्त कार्यों को प्रभावपूर्ण ढंग में निभा सकता है, विकासशील देश की सरकार की राष्ट्रीय प्रतिज्ञावद्वता तथा सास्थानिक आधारिक संरचना के निर्माण हेतु अभीष्ट कुशल भानव-समाधनों तथा संगठनात्मक योग्यताओं पर निर्भर करती है।

उधार-विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है ग्रीष्म की उत्पादिता के लिए मत्यन्त

आवश्यक है। वास्तव में पूँजी निवेश तथा तकनीकी प्रगति आपस में निकटतः सम्बद्ध है और पूँजी प्रवाह में अभाव तकनीकी-प्रगति को रोकता है। उधार दुर्लभ साधन है और इसका विभिन्न स्पर्धी उपयोगों में आवश्यक विवेकपूर्ण ढग से होना चाहिये। अतः इति प्राथिक सूचिद्वय तथा उच्च जोन-स्तर के राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि-उधार की सुहृद राष्ट्रीय नीति बड़ी सहायक हो सकती है। ठीक समय पर और ठीक परिमाण में उधार, उत्पादन तथा निवेश के लिए ग्रन्तिवार्य आवश्यकता है। वित्तीय कञ्ज तभी वास्तविक रूप में लाभदायक है जब वह तात्कालिक व पर्याप्त हो। उधार-परिमाण की पर्याप्तता के निर्धारण के लिए विभिन्न फसलों तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए कृषि-जलवाया दशाओं के अनुसार अभीष्ट वित्त की विभिन्न मात्राओं का नियन्त्रण करना पड़ेगा। कृषि-उधार, विभिन्न वर्गों की उधार-आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, परिवर्ती दरों पर दिया जा सकता है।

कृपकों की उधार आवश्यकताओं का नियन्त्रण करते समय वर्तमान पट्टेदारी पद्धति, जीवन-निर्वाह सम्बन्धी खर्च को पूरा करने के लिए परिवार की वित्तीय आवश्यकताओं, शस्य-स्वरूप तथा फार्म-उपज की पूर्वक्षिति कीमत को ध्यान से ओझल नहीं करना चाहिये। यह सुनिश्चित किया जाये कि कञ्ज सुहृद उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर दिया जाए और इसका अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए उपयोग न किया जाए।

'उधार लागत' का कार्म-व्यव की एक महत्वपूर्ण मद है और राष्ट्रीय उधार-नीति बनाते समय इस महत्वपूर्ण तरव को ध्यान में रखना होगा। उधार की कीमत की उपयुक्तता कृपक के विचार से अत्यावश्यक है। वास्तव में जिस दक्षता से कृपक मस्ते उधार को प्राप्त करता है, उसका बुद्धिमत्ता व प्रभावपूर्ण ढग से उपयोग करता है और साधारण ढग से अपनी अदायगी को करता है, उसकी वित्तीय सफलता का निर्धारण करते हैं।

वह सीमा जिस तक उधार का उपयोग लाभप्रद होना है, उधार की शर्तों व मदों द्वारा निर्धारित होती है अर्थात् प्रतिदान (रियेमेंट) की शर्तें, उधार की सापेक्ष लागत या उधार प्रभार, उधार के लिए मौजी गई जमानत तथा इसके उपयोग के फलस्वरूप कृषि-उत्पादिता में पूर्वक्षित बृद्धि आदि इस धात का निर्धारण करते हैं कि उधार लाभप्रद है या नहीं। उधार तभी उपयोगी हो सकता है जब इससे कृपक की प्रतिदान-योग्यता में बृद्धि हो अर्थात् यह प्रतिदान-निष्पादन से प्रत्यक्ष हप में सम्बन्धित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह स्व-परिपोषक (सैल्फ लिविंग्डेविंग) होना चाहिए। अतः उधार का प्रभावपूर्ण तथा उत्पादक उपयोग कृषि-उत्पादिता को इस प्रकार बढ़ाता है कि इस बृद्धि के परिणामस्वरूप प्राप्ति कुछ समय में उधार का परिसमाप्त कर देती है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि इस सदर्म में उपयोग-उधार प्रतिदान-निष्पादन से सम्बद्ध नहीं है और प्रतिदान-क्षमता में बृद्धि करने में सहायक नहीं है। समग्र स्थिति को कृपक की कुल प्रतिदान-क्षमता के सदर्म में अंकन कराहिये तथा उपयोग-उधार के उपयोग का पृथक् रूप में निर्धारण नहीं होना चाहिए।

उधार देने की नवीन अूहरचना का सुभाव देने से पहले कृपकों द्वारा उधार-उपलब्धता के स्वरूप की जांच करना आवश्यक है। हाल ही के वर्षों में कृपि के स्थानीकरण के लिए प्रयासों को लेज करने के बाबूद, जहाँ तक असूख लघु कृपकों का सम्बन्ध है, उधार-स्थिति

सतोपजनक नहीं है। प्राप्य साक्षों से पता चलता है कि घोटे किसान जिन्हें फार्म व्यय के मम्बन्ध में अधिक उधार की आवश्यकता होती है, सगठित क्षेत्रक से न्यूनतम लाभ ही प्राप्त कर सकते हैं और सहकारी समितियों द्वारा सम्भार्इ किया गया अधिकाश कहर वडे कूपकों को प्राप्त हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ है कि घोटे कूपकों की बहुत बड़ी सब्लया अधिक उपज देने वाले बीजों की कृपि के लिए अभीष्ट नवक्रियाओं और निविष्टियों को अपनाने की स्थिति में नहीं है और इससे कृपि में गुणात्मक प्रस्फोट (क्रालिटेटिव ब्रेक-ओ) की गति धीमी रही है। घोटे कूपकों के धातरिक साधन बहुत कम होते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादन-उधार की बहुत ख़रूरत होती है। बीजों की नई किस्मों के लिए काफी नकद परिव्यय की आवश्यकता होती है और लघु कूपक इन कर्जों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त जमानत का प्रवर्धन नहीं कर सकता और न ही वह इस स्थिति में है कि इन उन्नत किस्मों की कृपि में निहित जोखिम को उठा सके। लघु कूपक अपनी कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण सहकारी समितियों के सदस्य भी नहीं बन सकते। हाल ही में सम्पन्न क्षेत्र-घट्ठयनों से पता चलता है कि सहकारी समितियों की सदस्यता का अनुपात संचालन जोतों के ग्राकार में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ता है। अत सहकारी समितियों द्वारा प्रदत्त उधार-सुविधाओं का अधिकतम लाभ वडे कूपकों ने ही उठाया है और घोटे कूपकों को उधार के लिए निजी खोतों का ही सहारा लेना पड़ा है।

दरिद्र लघु कूपकों की उधार पर अत्यधिक निर्भरता तथा उनके पास पर्याप्त जमानत का अभाव उन्हे साहूकारों के चयुल में जकड़ देते हैं तथा वे अपनी स्थिति को तबतक बेहतर नहीं बना सकते जबतक उन्हे क्लेण्डाताओं की पकड़ से मुक्त नहीं कराया जाता। इस दिशा में सतत प्रयास की आवश्यकता है। एक तरीका यह है कि घोटे कूपकों की 'उधार-पात्रता' के आधार (क्रेडिट वर्डीनेस) तथा उनके सहकारी समितियों के सदस्य बनने की शर्तों को बदला जाए। कृपि-उधार-नीति के नवीनीकरण की आवश्यकता है ताकि उधार देने का आधार 'व्यक्ति की उधार-पात्रता' (क्रेडिट वर्डीनेस ऑफ परसन) की बजाए 'उद्देश्य की उधार पात्रता' माना जाए। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कर्ज सुदृढ़ उत्पादन-कार्यक्रम के आधार पर दिया जाए। कूपकों को उधार देने से पहले सहकारी-समितियों तथा बैंकों को उसकी वर्तमान भूतं परिसम्पत्ति (एक्विर्सिटिंग टैंजिबल एसेट्स) उपलब्धता पर आधारित उधार पात्रता की बजाए उसकी पूर्वोक्ति अदायगी-क्षमता पर अधिक बल देना चाहिए। कूपकों को उधार देने का मापदण्ड प्रस्तुत जमानत का मूल्य नहीं होना चाहिए बल्कि उत्पादन-समर्थता होना चाहिये। यह जरूरी है कि उधार-संस्थाएँ उत्पादन-अभिकिन्धस्त नीति अपनाएँ। ये स्थाएँ पूँजी को सस्ती दरों पर देकर तथा घोटे कूपकों की पहुँच में लाकर (अर्थात् पूँजी को छोटे कूपकों के लिए अभिगम्य बना कर) उनकी बड़े कूपकों के विरुद्ध प्रतियोगितात्मक स्थिति को मुधार सकती हैं। आगामी वर्षों में सास्थानिक उधार की प्रभावशीलता में उन्नति की सभावनाओं का पता लगाने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाने चाहिये।

इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय ग्रामीण कहर जांच समिति (आँल इण्डिया एयोकल्चरल क्रेडिट रिभ्यू कमिटी) ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि

सहकारी उधार-समितियों और भूमि-विकास बैंकों की नीतियों और प्रक्रियाओं को इम प्रकार से पुनर्गठित किया जाए जिससे छोटे किसानों को कायदा मिल सके। सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- (१) यदि किसी समिति के उपलब्ध साधन इसके सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं होगे तो छोटे किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति पहले की जाएगी।
- (२) बड़े काश्तकारों से कहा जाएगा कि वे अपने ऋण का अपेक्षाकृत अधिक बड़ा अनुपात शेयर-पूँजी में जमा करे जबकि छोटे काश्तकारों को अपना शेयर मुविधा-जनक किसी भी में जमा करने की मुविधा दी जाएगी।
- (३) फसल-ऋण पद्धति के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया जाएगा। छोटे किसानों पर पर्याप्त व्यान दिया जा रहा है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए ऋण प्रदान-विवरण में छोटे किसानों तथा अन्य लोगों को अलग-अलग दिखाया जाएगा।
- (४) भूमि विकास बैंकों की ऋण देने की नीतियों का उदार बनाया जाएगा। जमानत के रूप में रखी जाने वाली भूमि-सम्पत्ति के मूल्याकान करने, छोटे काश्तकारों के दलों को समुक्त ऋण देन, प्रस्तावित निवेश के लिए केवल जमानत पर ही नहीं अपितु परिचालन एवं आर्थिक सक्षमता पर भी बल देने और छोटे काश्तकारों की क्षमता के अनुसार उनके ऋण की अदायगी का कार्यक्रम निर्धारित करने के सम्बन्ध में उदारता से काम लिया जाएगा।
- (५) ऐसे बड़े काश्तकारों को, जो जल्दी ही ऋण की रकम अदा कर सकते हैं, मध्यावधि ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि छोटे किसानों को लम्बी अवधि के लिए ऋण दिए जा सकें।

इस सदर्भ में अधिक महत्व इस बात का है कि ऐसे उपाय किए जाएं जिनसे छोटे-कृषकों की उधार पानी के बृद्धि हो। एक बाजार-प्रधान उत्पादन-पद्धति, जिसमें आत्म-उपभोग को निरुत्साहित करने के अश हां, कृषकों की उधार-प्रधाना को बढ़ाएगी। उधार-पानी का उधार नीति का विकास करके जिसके द्वारा सिंचाई तथा डेरी उद्योग जैसी स्व-परिवोपक परिसम्पत्ति (सैल्क लिकिवडेटिंग एसेटेक्स) का उत्पादन हो तथा भू-बचत एवं श्रमनियोजी प्रविधियों को अपना कर भी बढ़ाई जा सकती है। बेहतर यह होगा कि छोटे कृषकों को दीर्घावधि कर्ज (जैसे कर्पण-पशु खरीदने के लिए कर्ज) न लेना पड़े। ट्रैफरी-करण जैसी आवश्यक सेवाएँ सेवा-संस्थाओं द्वारा किया जाए पर सप्लाई की जानी चाहिये। इससे उनके जोखिम में कमी होगी और जीवन-क्षमता (वाइएविलिटी) में भुधार होगा। उधार-नीति का उद्देश्य परिसम्पत्ति तथा आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण (सेकेन्ड्रेण) नहीं होना चाहिए अपितु यह विभिन्न वर्गों में धन तथा माय की असमताओं को कम करने का साधन होना चाहिये। यह उद्देश्य देश में सरकारी सेवा-निगमों या संस्थाओं का जाल बिद्ध कर प्राप्त किया जा सकता है। ये संस्थाएँ भूमिहीन श्रमिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के बाद रोजगार प्रदान भी कर सकेंगी।

८.१२ उधार राशनिंग व ब्याज की विभेदक दरें

सास्थानिक उधार के सम्पर्क वितरण को सुनिश्चित करने का एक तरीका उधार का राशन करना है। उधार राशनिंग स्कीम के अन्तर्गत सहकारी समितियाँ और बैंक छोटे कृपको के लिए उनकी भूमि के अनुभाव से प्रधिक विशेष राशि का नियतन करेंगे प्रथम् उन छोटे कृपको को कर्ज़ देने के लिए जो अपने साधनो में से कृषि के लिए धन नहीं जुटा सकते, निश्चित कोटा आरक्षित (रिजर्व) किया जाएगा। उधार का राशन करने से बड़े कृपको द्वारा उपभोग-व्यय का निस्तसाहन होगा, सास्थानिक ऋण को आगे उधार पर दिए जाने की सभावना कम होगी और इस प्रकार पुरानी बकाया राशि के परिमाण ने भी कमी होगी। राशनिंग से छोटे कृपको की निजी साहूकारी पर निर्भरता भी कम हो जाएगी और परिणामस्वरूप उनके द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरें भी कम हो जाएंगी। निजी ऋण-दाताओं को सहकारी संस्थाओं तथा बैंकों में अपनी जमा राशि को बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा जिससे उधार-संस्थाओं को मजबूत करने तथा जीवन क्षम बनाने में सहायता मिलेगी।

यह भी सुझाव दिया गया है कि कृपको के मिल-मिल बगों के लिए ब्याज की विभेदक दरें होनी चाहियें। इस नीति का अर्थ यह है कि बड़े कृपको को ब्याज की वर्तमान दर से कमची दर पर ऋण मिलना चाहिए तथा छोटे कृपकों को बड़े कृपको की अपेक्षा बहुत कम ब्याज दर पर उधार उपलब्ध किया जाए।

लघु कृपको से कम ब्याज दर (R.I.) लेने से बड़े कृपको द्वारा प्राप्त सापेक्ष सुलाम आशिक रूप में निष्फल हो जाएंगे। इससे रोजगार-समस्या को हल करने में भी सहायता मिलेगी। जितनी तेजी से छोटे कार्मों का विकास होगा, उतनी ही बैंकारी की समस्या भी कम विकट होगी।

परन्तु ब्याज के विभेदक दरों की सारी स्कीम निष्फल हो जाएगी यदि इसको कार्यान्वित करने में उचित सावधानी न बर्ती गई। उदाहरण के रूप में इस समय सहकारी समितियों तथा निजी ऋणदाताओं द्वारा (प्रथम् संगठित तथा असंगठित थेट्रको द्वारा) ली जाने वाली ब्याज दरों में बहुत अधिक अन्तर है और इस बात की पूरी सम्भावना है कि कुछ घनी कृपक 'बैंकारी ऋणियों' के रूप में उधार प्राप्त कर लें और इस प्रकार प्राप्त उधार को ब्याज की बाजारी दर पर आगे दे दें। कई परिस्थितियों में साहूकारों द्वारा प्राप्त की जाने वाली बाजारी ब्याज की दर ७५ प्रतिशत प्रतिवर्ष तक है। सहकारी समितियों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर ३ प्रतिशत ते १० प्रतिशत प्रति वर्ष है। यह बहुत ज़रूरी है कि यह अन्तर ५ से १० प्रतिशत तक रह जाए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि छोटे कृपकों को संस्थाओं से उधार सुलभ कराया जाए। यदि उन्हें उधार-संस्थाओं से उधार प्राप्त हो सके तो उन्हें वर्तमान ब्याज दर से अधिक दर देने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। बास्तव में जमा राशि पर दो जा रही तथा ऋणियों से ली जा रही ब्याज दरें वर्तमान पूँजी पूर्ति मांग स्थिति के हिसाब से बहुत कम है। यदि सरकार कृपकों को उनकी उपज की उचित कीमत दिलाने का विश्वास देती रहे तो आधुनिक उत्पादन-विधियों का प्रतिफल इतना अधिक है कि कृपक-संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले वर्तमान ब्याज दर से काफी अधिक ब्याज

दर देने के लिए तैयार होंगे ।

विचारणीय वात यह है कि ब्याज की दर उधार को मांग को कैसे प्रभावित करती है और रियायती ब्याज दर पर उधार देना कहाँ तक उचित है ?

कम ब्याज दर उधार को मांग को कहाँ तक प्रभावित करती है ? — इस विषय पर अभी तक सीमित अध्ययन ही हुए हैं । एक अध्ययन के अनुसार 'यदि अन्य सभी वातें समान रहें, तो औसत ब्याज दर में १ प्रतिशत कमी ने लिए गए उधार में ४३ प्रतिशत की वृद्धि होती है', परन्तु भारत, चिली, ब्राजील तथा अन्य विकासशील देशों में किए गए अन्य सीमित अध्ययनों से पता चलता है कि छोटे कृपकों द्वारा उधार की अधिकांश मांग ब्याज निरपेक्ष (इनटू-स्ट इनएलास्टिक) है ।

यह वात भी प्रभासित हो चुकी है कि जब नवक्रियाएँ विशेष रूप में लाभकारी सिद्ध होती हैं, तब सास्थानिक ऋण उत्पादन-उद्देश्यों के लिए उपयोग होता है चाहे ब्याज की दरें ऊँची भी हों । यह वात उन छोटे कृपकों के संदर्भ में भी सही है जिनकी सास्थानिक उधार तक पहुँच सीमित होती है । इससे यह सिद्ध होता है कि उधार की लागत (कास्ट अफ के डिट) इतनी उधार को मांग को प्रभावित नहीं करती जितनी निवेश की लाभदायिकता इसको प्रभावित करती है ।

छोटे और बड़े कृपकों की मध्यम अवधि तथा दीर्घावधि उधार तथा उसके विस्तार के प्रति प्रभिगम्यता (पहुँच) भिन्न रहे जिससे नवक्रियाओं के ग्रननाने में अनिश्चितता की मात्रा भी प्रभावित होती है और इस प्रकार उनके द्वारा उठाया जाने वाला लाभ भी भिन्न-भिन्न होता है । इसलिए यह समझ है कि अधिक जोखिम की परिस्थितियों में छोटे कृपकों द्वारा उधार की मांग बड़े कृपकों द्वारा उधार की मांग की अवेक्षा परिवर्ती ब्याज दरों के प्रति अधिक अनुक्रियाशील हो । यही कारण है कि छोटे कृपकों के लिए प्रायः कम ब्याज दर की सिफारिश की जाती है क्योंकि इससे नवक्रियाओं के विसरण में सहायता मिलेगी ।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उधार की मांग केवल ब्याज दरों द्वारा ही प्रभावित नहीं होती अपितु अनेक अन्य कारकों, जैसे निवेश का प्रतिफल, जोखिम तथा उधार-संस्थाओं, पर भी नियंत्र होती है ।

कुछ अध्ययनों से यह भी पता चला है कि भस्ता तथा आसान उधार बड़े कृपकों के आतरिक पूँजी-निर्माण पर व्यापक रूप में बुरा प्रभाव ढालता है । इससे स्पष्ट होता है कि निम्न रियायती ब्याज दरें बचतों के जुटाने पर प्रतिकूल प्रभाव ढालती हैं । अ.ज दरों के स्तर इस प्रकार से निर्धारित किए जाने चाहिये जिससे उधार वितरण की लागतें पूरी हो जाएं । निम्न ब्याज दरें जो प्रायः उधार-वितरण की लागतों को पूरा नहीं करती, बचतों को अनुत्साहित करती हैं और संसाधनों की पूर्ति को प्रभावित करती है । रियायती (प्रार्थिक सहायता प्राप्ति (सर्वसिडाइशन) उधार बड़े कृपकों तथा वाणिज्यिक संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों के जुटाव पर प्रतिकूल प्रभाव ढालते हैं और इस प्रकार पूँजी की अन्तर-क्षेत्रक, अन्तर-क्षेत्रीय तथा अन्तर-कालिक गति को प्रभावित करते हैं । अतः यह स्पष्ट है कि ब्याज दरें स्वयं में छोटे कृपकों की उधार की मांग को मन्द या तेज़ नहीं करतीं । हाँ, वे आतरिक तथा सास्थानिक उधार की सप्लाई पर बुरा प्रभाव ढालती हैं ।

कृषि-उत्पादन में तेज़ वृद्धि हेतु उधार के व्यापक वितरण के लिए रियायती व्याज दरों (अर्थात् व्याज दरों में उपदान : सबसिडाइजेशन आफ इन्ट्रैस्ट) की आवश्यकता नहीं, बल्कि छोटे कृषकों समेत कृषि जनसंघ्या के बड़े भाग को उधार की गारन्टीकृत सप्लाई प्रदान करने की है। यदि तकनीकी नवक्रियाएँ बहुत अधिक लाभकारी हों, तो इसके लिए उधार ऐसी बाज़ दरों पर दिया जा सकता है जिसमें आर्थिक सहायता या उपदान (सबसिडी) का कोई अश न हो। इसका आशिक कारण यह है कि नवक्रियाओं की लाभकारिता छोटे कपक की व्याज लागतों को देने की योग्यता में वृद्धि करती है।

८ १३ लघु कृषकों के लिए उधार नीति

संझेप में इम समस्या को इस प्रकार में व्यक्त किया जा सकता है:—

वर्तमान परिस्थितियों में छोटे कृषकों की उधार सम्भागों तक सीधी तथा आसान पहुँच नहीं है वयोंकि उन्हें उधार पाने नहीं समझा जाता। उनकी कमज़ोर वित्तीय दशा के कारण कोई भी उनकी गारन्टी अवधा जमानत देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए यदि उने न्यूनतम जीवन-स्तर प्रदान करना है तो उम्मी सहायता करनी होगी। ऐसा सरकार की सक्रिय महानागिता (एकिटव पार्टिमिपेशन) के बिना नहीं हो सकता। छोटे कृषकों द्वारा उधार लिए गए कर्जों की वापसी की गारन्टी देने के लिए सरकार से बेहतर कोई अन्य एजेंसी नहीं है। यहाँ यह बताना उचित ही होगा कि लघु कृषकों को उधार देते समय, फार्मों की जीवन थमना (वाइएविलिटी आफ फार्म्स) का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार भी अति निम्न वर्गों की बहुत समय तक सहायता नहीं कर पाएगी। अतः यह समस्या भूमि सुधारों से निकट तथा सम्बन्धित है। प्रतिपादन की गारन्टी की कोई भी स्कीम तबतक सफल नहीं होगी जबतक फार्म जीवन-क्षम नहीं बनाए जाएंगे और जबतक कृषकों को बाजार प्रधान उत्पादन-कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता।

(क) **फसल-कर्ज योजना (कॉप लोन सिस्टम)**—इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि एक लघु कृषक को उत्पादन तथा उपभोग-उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। इन कर्जों की जमानत के लिए उम्मेदों पास पर्याप्त मूलं परिसम्पत्ति नहीं होती। फिर भी, यदि वह किसी तरीके से अपनी फसल को उपजाने के लिए उधार प्राप्त कर सके, तो वह इस कर्ज से प्राप्त होने वाली फसल को जमानत के रूप में रखने के लिए तैयार होगा। वह बाजार में अपनी उपज बेचने के बाद उपर कृषि वित्त सप्लाई करने की प्रणाली है और इसके निम्नलिखित आवश्यक घटक हैं:—

- (i) इसमें उधार-उत्पादन सम्बन्ध (समर्थता: प्रोडक्शन पोटेशियल्स) के आधार अर्थात् मुद्रा उत्पादन-कार्यक्रम के आधार पर दिया जाता है।
- (ii) कर्ज वापसी की जमानत के निए आगामी फसल की गारन्टी ली जाती है अर्थात् कर्ज के लिए प्रत्याशित फसल जमानत के रूप में स्वीकार की जाती है।
- (iii) इसमें उधार तथा विपणन का प्रभावी मनुदन्वन होता है।

इस योजना की सफलता का नेतृत्व तथा कृषि की बाजार प्रधानता की कोटि (मात्रा) पर निर्भर है। इसके लिए बड़े पैमाने पर मंडार तथा विपणन-सेवाएँ सुलभ करानी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि निवियो (राशि) का दुरुपयोग न हो। इसको रोकने के लिए उधार का कुछ भाग जिम्म तथा कुछ भाग नकद राशि में दिया जाना चाहिये। उदाहरणार्थ, सास्थाएँ बीजों, उर्वरकों व कीटनाशी पदार्थों आदि के रूप में उधार दे सकती है। इसमें छोटे कृषकों द्वारा नवीन टैक्नॉलॉजी के अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। उधार के उपयोग पर इस प्रकार के निरीक्षण में उधार की कृषि-विस्तार के साथ एकीकरण की आवश्यकता होती है। इस स्फीम को सफलतापूर्वक कार्यान्वयित करने के लिए अनेक विशेषज्ञ मूल्यांकन कर्ताओं, नुपरवाइजरों तथा प्रशिक्षित प्रबन्धकों की आवश्यकता होगी। इस स्फीम को बैंकों तथा उधार व विपणन समितियों द्वारा कार्यरूप दिया जा सकता है। कर्ज की वापसी की गारन्टी इस उद्देश्य हेतु स्थापित किसी सरकारी प्राधिकरण (पब्लिक ग्राउंडरिटो) अथवा 'गारन्टी नियम' द्वारा दी जानी चाहिए।

भारतीय खाद्य नियम (दी फुड कॉर्पोरेशन आफ इन्डिया) (जिसके पास खाद्यान्न खरीदने के लिए अधिकारी भूमिति नहीं है) तथा सास्थानिक उधार-संस्थाएँ उधार-संप्लाई तथा कृषि-उपज के विपणन की एकीकृत तथा समन्वित सरचना के बिना में महत्वपूर्ण योग दे सकती हैं। फसल कर्ज योजना की नियन्त्रण रूपरेखा हो सकती है :

योजना के अन्तर्गत बैंक (या उधार समिति) कृषकों को सामान्य से कम दरों पर कर्ज देता है और फसलों को अपने पक्ष में रेहन रख लेता है। कृषक खाद्य नियम के मायदे यह अनुबन्ध करता है कि वह फसल तैयार होने पर इसे सहमत कीमत (अधिकृत खरीद कीमत) पर नियम के पास बेच देगा और खाद्य नियम को बैंक द्वारा देय राशि की आदायगी का अधिकार देता है। यहाँ यह बता देना उचित है कि ऐसी स्थिति में कृषक के पास उसके परिवार के लिए अभीष्ट खाद्यान्न रहने देना चाहिए। कृषक को अनुबन्ध आदि करने हेतु स्टाप्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस में भी रियायत दी जानी चाहिए।

इस योजना के अनेक लाभ हैं। कृषक को उचित व्याज दर पर पर्याप्त उधार और फसल का उचित मूल्य आश्वस्त हो जाता है। बैंक को कर्ज की सुरक्षित वापसी तथा खाद्य नियम को उचित कीमत पर खाद्यान्नों के पर्याप्त माडार की प्राप्ति का आश्वासन मिल जाता है। विपणन-सहकारी समितियाँ घकेले ही इन सब कार्यों को भली भांति निभा सकती हैं।

फसल कर्जों को देते समय छोटे कृषकों की निवाही सम्बन्धी आवश्यकताओं (सर्वतिसंत्तमी नीड्स) का भली भांति ध्यान रखना चाहिए क्योंकि असामंकर देती वाले कृषकों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे अपनी अल्प कृषि उपज के विक्रय से प्राप्त राशि से अपने कर्जों की आदायगी कर सकेंगे। उन्हें जीवनक्षम बनाना ही चाहिये। इसमें शक नहीं कि इस उधार की सहायता से आधुनिक विधियों तथा नवक्रियाओं के उपयोग को बढ़ाया जा सकता है परन्तु यदि उत्पादन मौसम के बाद मौसम बोतने पर भी स्थिर (स्टॉर्ड) रहे तो विकास की गति बहुत मन्द होगी।

इस प्रकार के अहण का उद्देश्य कृषि-उत्पादन में बूद्धि तथा कृषकों की सामाजिक तथा आर्थिक दशा में भुधार होना चाहिए। कृषि-उधार का कार्यक्रम इस प्रकार से रचित होना

चाहिए जिससे कृषि में आय-मुरक्का को प्रोत्साहन मिले और इस प्रकार यह कार्यक्रम आर्थिक सबूदि में योग दे सके।

(ख) बचत व उधार—इसमें शर्क नहीं कि उधार-उत्पादन और निवेश के लिए अनिश्चय पूर्व-आवश्यकता है परन्तु उधार स्वयं में बचतों में से निमित्त पूँजी का स्थानापन्न (सबस्टीट्यूट) नहीं हो सकता। सबूदि के लिए बचतों तथा निवेश की आवश्यकता होती है और यदि उधार को सबूदि का एक साधन होता है तो उपके लिए आवश्यक वित्त अधिकत. समुदाय की बचतों पर आधारित होना चाहिए। बचत, 'चालू आय' का वह भाग है जिसका उपभोग नहीं किया जाता बल्कि जिसे भावी आय के अधिक ऊँचे स्तर के निर्माण के लिए निवेशित किया जाता है। उत्पादन में बूदि का परिणाम विकेषण अधिष्ठेय (मार्केटेबल सरप्लस) में बूदि होना चाहिये। इसके लिए बत्तमान उपभोग को कम करना पड़ेगा। तभी उपभोग का भावी स्तर ऊँचा हो सकेगा। जमा राशि में पर्याप्त बूदि करने के महत्व पर अधिक बन देना अनावश्यक प्रतीत होता है। उत्पादक-निवेश हेतु प्रामीण क्षेत्रों में बड़ी हुई आय के एक भाग को जुटाने के लिए जमा राशि का संग्रहण अत्यावश्यक है। उधार-उत्पादन के लिए स्वेहक तेल का काम करता है परन्तु इसकी विमानी अधिमात्रा स्फीति का कारण भी बन सकती है।

(ग) फसलों का बीमा-भारत में कृषि एक अनिश्चित उद्योग है। कृषि-उत्पादन अनेक प्राकृतिक विपर्तियों से प्रभाव्य है। मूर्खा, बाढ़ तथा घघड़ देश में बार-बार घटित होते हैं और जान माल को बड़ी हानि पहुँचाते हैं। प्राकृतिक, आर्थिक तथा अन्य कारकों के अनिश्चित आचरण के कारण कृपकों को भारी हानि उठानी पड़ती है। कृषि के जोखिम विविध प्रकार के हैं। मौसम तथा कोट-जोखिमों के अतिरिक्त कृपक को कीमतों, नवकियाओं तथा प्रशासन के जोखिम सहन करने पड़ते हैं। द्योटे कृपकों से नवीन रीतियों तथा नवकियाओं को अपनाने की आशा तभी की जा सकती है यदि हम उन्हें अप्रत्याशित मुमोदत या हानि की स्थिति में न्यूनतम आय का आश्वासन दे सकें ताकि फसल असफल होने पर उन्हें जीविका की हानि का कोई डर न रहे। इसके लिए कृपकों को फसल बीमा सुरक्षा (क्रॉप इन्श्योरेन्स कवर) प्रदान की जा सकती है। फसल की असफलता परम्परागत कृषि की विशेष उधार-आवश्यकता है और सरकारी संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे कुछ कारकों के अप्रत्याशित आचरण (व्यवहार) से होने वाली हानि को कम करें या उसमें हाथ बटाएं। जोखिमों का न्यूनीकरण अत्यावश्यक है वर्ता समस्त विकास अवरुद्ध हो जाएगा। कृपक की आय के समर्थन हेतु, एक बीमा निधि (एन इन्श्योरेन्स फण्ड), जो कर्ज निधि से विलकुल पृथक् हो, प्रचलित की जानी चाहिए तथा विविध हानियों के कुप्रभावों से निर्वन कृपकों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न उपचारी उपाय किए जाने चाहिये। उदाहरणार्थ, सिचाई जैसी विकास-योजनाएं, बाढ़-नियन्त्रण-उपाय और कोटनाशी पदार्थों का व्यापक उपयोग जोखिमों को कम करते हैं और एक प्रकार का बीमा ही है। बीमा, इन-करों में राहत, भूमि-कर में छूट तथा दुर्भिक्ष एवं बाढ़ सहायता कार्यों के रूप में भी प्रदान किया जाता है।

फसल-बीमा-योजना के लागू करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं जिनको हल करना बड़ा ज़रूरी है। बत्तमान परिस्थितियों में एक ऐसी व्यापक गारन्टी स्कीम को चालू करने की

आवश्यकता है जो छोटे कर्जों से सम्बन्धित जोखिमों की गारटी दे और कृपको को न्यून लागत अर्थात् कम प्रीमियम दरों पर 'मौसम तथा कीट' बीमा (वैदर एण्ड पेस्ट इन्श्योरेन्स) प्रदान करे। कौमत जोखिम के विश्व उपाय यह है कि फसल की न्यूनतम कीमतों पर खरीद की गारंटी दी जाए और इस हेतु फसल के उत्पादन से एक वर्ष पहले उनकी समाहार (खरीद) कीमतें (प्रोक्यौरमेट प्राइसेज़) नियत की जाएँ। नवक्रिया बीमा (इनोवेशन इन्श्योरेन्स) अर्थात् नवीन निविटियों तथा उन्नत रीतियों वे प्रयोग से होने वाली हानियों के विश्व बीमा योजना में उन कृपकों को, जिन्हें धाइकासित न्यूनतम फसल या सामान्य उपज के निश्चित भाग से कम प्रतिफल प्राप्त होगा, मुआवजा देने की व्यवस्था होगी, और उन कृपकों को मी, जिनकी प्रति हैक्टर उपज नई निविटियों की लागत के तुल्य उपज से कम होगी, मुआवजा दिया जाएगा। यह योजना क्षेत्रवार सामान्य उपजों के मूल्याकान पर आधारित होगी और इस सदर्म में अनेक वित्तीय तथा प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करना होगा। यह योजना जीवन बीमा निगम और भारतीय खाद्य निगम की सहायता से लघु कृपक विकास एजेंसी द्वारा सचालित की जा सकती है। ऐसी एजेन्सियों की स्थापना की सिफारिश ग्राम उधार समीक्षा समिति ने भी का है।

(घ) लघु कृपकों के लिए विशेष कार्यक्रम—कूपि-उधार में योग्यी योजना का एक मुख्य घ्येय यह था कि लघु कृपकों को विकास कार्य में भाग लेने और इसके लाभों में भागी होने के योग्य बनाया जाए। यह उद्देश्य विभिन्न सामान्य तथा विशेष उपायों द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। सामान्य कारंवाइयों पूरे देश में को जाएँगी। ये एक प्रकार से दूरक कार्य हैं जिनका सम्बन्ध लघु सिवाई, कूपि-उधार और पशुपालन ग्रादि अनेक विषयों से है। उन लघु कृपकों के लिए, जिनके पास तालाब और नलकूप बनाने के लिए पूँजी नहीं है, सार्वजनिक पूँजी से तालाब, नलकूप और अन्य सामुदायिक कार्य बनाए जाएँगे। कूपि पुनर्वित निगम ऐसे कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देगा जिनसे छोटे किसानों को लाभ प्राप्त हो जेंसे पशुपालन, दुग्धशालाओं की स्थापना तथा मुर्गीपालन ग्रादि।

(i) लघु कृपक विकास अभिकरण (स्माल फार्मसें डेवलपमेंट एजेंसी S.D.F.A.)—लघु कृपकों की सहायता के लिए एक विशिष्ट उपाय लघु कृपक विकास अभिकरणों की स्थापना है। इस प्रायोगिक परियोजना में १६७३-७४ तक देश के ४५ चुने हुए ज़िलों में ऐसे अभिकरणों की स्थापना हो जाएँगी। लघु कृपक विकास अभिकरण का मुख्य उद्देश्य उच्च समान्य छोटे किसानों की निर्बोह कृषि व्यवस्था से वार्तिगियक कृषि व्यवस्था की ओर आने में सहायता करना है। योजना के अधीन प्रत्येक अभिकरण जिले में लघु तथा संभाव्यतः जीवनक्षम किसानों (अर्थात् जिनकी जोत १ से ३ एकड़ है) की पहचान करेगा, उनकी समस्याओं का पता लगाएगा और उनके समाधान में सहायता करेगा। यह एजेंसी उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करेगी, उन्हें निविटियाँ, सेवाएँ व उधार उपलब्ध कराएँगी और प्रत्येक ज़िले में लगभग ५०,००० छोटे कृपकों की सहायता करेगी। जहाँ तक सभव होगा, यह कार्य वर्तमान समस्याओं तथा ग्रधिकरणों (जैसे सहकारी समितियों, बैंकों तथा अन्य निजी एजेंसियों) द्वारा ही किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में मुख्य कार्य उच्च जोखिम कर्जों के जोखिम घंटकन हेतु मनुदान व उप-

दान प्रदान करता, छोटे कृपको को उच्चर प्रवाह बढ़ाने के लिए उनके प्रबन्धक पर्यवेक्षण स्टाफ-अधिकारी को मुहूर्मो, सहकारी समितियों से उन्नत बीजो, उर्वरकों तथा अन्य निविदियों की सामयिक तथा पर्याप्त सप्लाई मुनिशित करना, ट्रॉन्टर, भूमि समतलन यत्र, कीटनाशी पदार्थ द्विढकाव यंत्र आदि मशीनी सेवाएं नुलम कराना, और कृषि-प्रबन्ध तथा विपणन-सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए चौथी योजना में ६७.५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार प्रत्येक लघु कृपक विकास-अभिकरण के लिए १.५० करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है।

परन्तु उन छोटे कृपकों तथा काश्तकारों की सहायता के लिए, जो आर्थिक रूप में सम्भव जीवनक्षम नहीं हैं, कोई नुलनारमक उत्पादन-प्रधान योजना नहीं है। इस बर्ग के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। एक प्रस्ताव यह है कि ऐसे कृपकों को सयुक्त कर्ज (जोइट लोन्स) दिए जाएं। उन्हें सयुक्त रूप में किसी परिसम्पत्ति को प्राप्त करने हेतु कर्ज के लिए आवेदन करने की आज्ञा होनी चाहिए। इसमें प्रत्येक कृपक व्यक्तिगत रूप में कर्ज के अपने भाग को चुकाने का जिम्मेदार होगा। यह योजना तभी सफल हो सकती है यदि उनके फार्म वास्तवी मिले हुए हैं। खेतों की सलग्नता न होने के कारण कुप्रो या नलकूपों का लगाना उपयोगी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में छोटे कृपकों की सहायता करने का एक तरीका यह है कि कर्ज देते समय ऐसे कृपकों को पड़ोसी बड़े कृपकों के साथ सम्बद्ध कर दिया जाए। वैसे भी उन कृपकों, जिनके अपने नलकूप हैं, के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे अपने पड़ोसी कृपकों को उचित दरों पर जल की सप्लाई करें। यह ठीक है कि कुएं में से पानी प्राप्त करने का एकमात्र अधिकार उसके स्वामी को ही है क्योंकि देश में भूमि-अधिकार-व्यवस्था ऐसी ही है परन्तु इस बात की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि कुएं का उपयोग पड़ोसी खेतों के भौम जल स्तर (वाटर टेबिल) को भी प्रभावित करता है और इस टेबिल से उसका भी कुएं की जल-सप्लाई पर कुछ हक होना ही चाहिए।

(ii) सीमात कृपक एवं कृषि अभिकरण (मर्जिनल फार्मर्स एण्ड एप्री-कल्चरल लेवरस एजेन्सी) — लघु कृपक विकास-अभिकरण केवल सम्भव जीवनक्षम किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए ही स्थापित किए गए थे, परन्तु ग्रामीण निवासों की बहुसंख्या सीमात तथा कृषि-अभिकरण की है। इसलिए इन बर्गों की सहायता के लिए एक नए अभिकरण 'सीमात कृपक एवं कृषि अभिकरण' (MFAL) की स्थापना की गई। इस योजना का मूल सिद्धांत भी वही है परन्तु कार्यक्रम में घोड़ा-सा अन्तर है। इसमें मिश्रित खेती तथा आय के साधन के रूप में भजदूरी पर अधिक बल दिया जाता है। १६७३-७४ के अन्त में ऐसे ४० अभिकरण स्थापित किये जाने थे। सीमात कृपक एवं कृषि अभिकरण संस्था पाँच वर्षों में लगभग २० हजार सीमात कृपकों तथा कृषि अभिकरण की सहायता करेगी। सीमात कृपक वे कृपक हैं जिनके पास एक हैन्टर से भी कम मूल्य है। कृषि अभिकरण वे हैं जो अपनी आय का ५० प्रतिशत कृषि-अभिकरण से कमाते हैं और जिनके पास वासमूल्य है। इनके लिए चौथी योजना में लगभग ४७.५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इस योजना के प्रान्तिक सीमात कृपकों तथा खेती भजदूरों की समस्या को दो उपायों से सुलझाने का प्रस्ताव है—भूमि सुधार और ऐसे कार्यक्रम जिनसे रोजगार देने वाले कार्य शुरू

हो सके। ये परियोजनाएं बाजार-प्राथित होगी अर्थात् शहरों ग्रामों के अन्य क्षेत्रों के प्रासादों के निविलित होगी ताकि मुर्गी-पालन, सुध-उच्चोग तथा बनस्पति-उद्यादन जैसे रोजगार-अभियुक्त कार्यों का विकास हो सके। इससे रोजगार-प्रदत्त गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था के विविधीकरण में सहायता मिलेगी।

(iii) योजनाओं की प्रगति (प्रोप्रे स आफ स्कीम्स) —प्रभी तक इन योजनाओं की प्रगति से सम्बन्धित ऐसे धाँकड़े प्राप्त नहीं हैं जिनका विश्लेषण किया जा सके। तो भी इन स्थायों द्वारा मई, १९७२ तक किये गये कार्य से सम्बन्धित धाँकड़े उपलब्ध हैं। मई, १९७२ के अन्त तक लघु कृपक विकास-अभिकरणों तथा सीमात कृपक एवं कृषि अभियानों द्वारा क्रमशः १५.८ लाख तथा ७.५६ लाख कृपकों व अभियों का अभिनिर्धारण किया गया। इन दोनों योजनाओं से लगभग तीन लाख व्यक्तियों को सहायता मिली है। इन्होंने २८००० कुओं व नलकूपों के निर्माण और ६००० पम्प सेटों को लगाने में सहायता की है। इन्होंने १४००० दुवार पशु तथा ४००० पोलटरी पक्षियों का वितरण किया है। इन अभियानों द्वारा ३२ करोड़ रुपये से भी अधिक के अल्प अवधि, मध्य अवधि तथा दीर्घावधि कृषि दिये गये हैं। १३००० से भी अधिक व्यक्तियों को 'ग्राम निर्माण-कार्यक्रम' के अन्तर्गत सहायता दी गई है।

(iv) अभिकरणों की सीमाएँ—क्योंकि ये अभिकरण वर्तमान स्थायों के माध्यम से कार्य करेंगे, इसलिए प्रभावी कार्य के लिए वे इन स्थायों पर पूर्णत आधित होंगे। इसी-लिए इन अभिकरणों को ग्राम्य निर्धन वर्ग हेतु सास्थानिक नवाचार (इस्टीट्यूशनल इनोवेशन) कहा जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए वर्तमान स्थायों का सहयोग अत्यावश्यक है, परन्तु इन अभिकरणों के अल्पकाल के कार्य से पता चला है कि वे स्थायों लघु कृपक विकास-अभिकरणों के कार्यक्रमों में स्वेच्छा से सहयोग नहीं दे रही हैं।

क्योंकि वर्तमान संस्थायों में बड़े कृपकों का प्रभुत्व है, इसलिए यह संमत है कि इन विशेष प्रोग्रामों के लाभ कुपात्र बगौं को प्राप्त हो जाएँ। इस बात की भी शका है कि कहीं द्योटे कृपकों को आँड़े में बड़े कृपक ही इन योजनाओं से लाभ प्राप्त न कर लें। शायद यही कारण है कि इन अभियानों पर अपने अतिरिक्त प्रतिवेदन में राष्ट्रीय कृषि आयोग (नेशनल कमीशन ऑन एंप्रीकल्चर) ने लघु कृपकों तथा खेती मजदूरों को उधार तथा अन्य मेवा-आवश्यकताओं का निरीक्षण करने के लिए 'कृपक सेवा-समितियां' (फारमर्स-मर्विस सोसाइटीज) स्थापित करने की सिफारिश की है।

अतः या तो नई उधार स्थायों का विकास करने की आवश्यकता है या वर्तमान स्थायों का, विशेष रूप में द्योटे किसानों की आवश्यकताओं को, पूरा करने के लिए उपयोग करना होगा। जो कुछ भी हो, लघु कृपक उधार स्थायों का जीवनकाम होना अत्यावश्यक है। लघु कृपक विकास अभियानों को निम्न बातों का ध्यान रखना होगा:—

(१) विशेष लचकदार उधार-प्रक्रियाओं को अपनाना होगा।

(२) प्रतिदान को आश्वस्त बनाने के लिए कृपकों की उधार आवश्यकताओं का पर्याप्त मूल्यांकन होना चाहिए।

- (३) इन्हे सामयिक उधार और निविद्यायां प्रदान करनी होगी ।
 (४) उपयुक्त विस्तार तथा विषयन-मेवाएं साथ साथ प्रदान की जाएं ।
 तथा (५) कृषकों से उनके द्वारा देय राशि को इकट्ठा करनेटहेतु प्रभावपूर्ण क्रियाविधि की रचना करनी होगी ।

यदि इन अभिकरणों द्वारा उपरोक्त उपाय न किये गये तो उन कारणों का उन्मूलन नहीं हो सकेगा जो बीते समय में द्योटे कृषकों के द्वारा विकास-प्रक्रिया में भाग लेने में अड़चन बने रहे हैं । वर्तमान उत्पादन-ब्यूहरचना बड़े कृषकों को ही विकास का साधन मानती है । इन अभिकरणों से अपेक्षित है कि वे उत्पादन-ब्यूहरचना को इस प्रकार बदलें जिससे द्योटे कृषक सक्रिय रूप में विकास किया में भाग लें सकें वरना ये अभिकरण-संबूद्धि में अधिक योग नहीं दे सकेंगे ।

८.१४ दीर्घावधि कृषि वित्त का दिक्परिवर्तन

इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि दीर्घावधि कृषि वित्त का अभाव कृषि क्षेत्रक में न्यून उत्पादिता और इस क्षेत्रक की संबूद्धि मद करने का मुख्य कारण है । वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में भू-विकास बंडों द्वारा दी गई उधार धनराशि बिल्कुल अपर्याप्त तथा असामयिक रही है । सेवा की बात यह है कि बंडों द्वारा सप्लाई की गई यह अल्प राशि नीं पूर्णतः उन उद्देश्यों के लिए उपभोग में नहीं लाई गई जिनके लिए वह स्वीकार की गई थी । फण्डो (निधियो) या उनके एक भाग का यह दिक्परिवर्तन (अर्थात् उनका उन उद्देश्यों के लिए उपयोग न करना जिनके लिए उन्हे प्रारम्भ में स्वीकार किया गया था) इन कर्जों के मूलभूत उद्देश्य को निष्फल करता है तथा क्रहणदाताओं तथा क्रहणियों दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ।

कृषि-पर्यावरण-अनुसंधान केन्द्रों ने आग्रा, आसाम, गुजरात, उडीसा तथा मध्यप्रदेश राज्यों के सारणी न ११ पांच राज्यों के चुने हुए जिलों में निश्चित उद्देश्य से दीर्घावधि महकारी उधार का दिक्परिवर्तन (प्रतिशततार्थों में)

राज्य	मध्यप्रदेश		आसाम		बाग्ध
जिला	विलासपुर	रत्नाम	कुल	नालगोंडा	कृष्णा
कुल वितरित कर्ज की प्रतिशतता में औसत दिक्परिवर्तन	४०.८२	३५.८२	२१.५८	१८.४७	४.३६
राज्य	उडीसा		गुजरात		
जिला	कोरापुट	गजम	बडोदा	जूनागढ़	
कुल वितरित कर्ज की प्रतिशतता में औसत दिक्परिवर्तन	२३.५०	२१.६४	१८.८६	२५.१६	
प्रोत्त परिस्थिति प्रासादिक पत्र स.४, प्रकाशन संख्या १६, ऐशो इकोनोमिक रिसर्च सेंटर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ।					

१० चुने हुए ज़िलों में भू विकास बैंकों के कार्य का, विशेष रूप में उत्तरके द्वारा दिए गए ऋण के उपयोग के सदर्भ में, अध्ययन किया है। उन्होंने ब्रपने प्रतिवेदनों में उधार में दिक्पर्ति-वर्तन के आंकड़े भी दिए हैं। सारणी ८.११ इस पक्ष पर प्रकाश डालती है।

निधियों का दिक्परिवर्तन विलासपुर (मध्यप्रदेश) में अधिकतम था जबकि कृष्णगढ़ (आन्ध्र प्रदेश) में यह न्यूनतम था। इस दिक्परिवर्तन के चार मुख्य कारण हैं :—

(१) प्रभावपूर्ण निरीक्षण का अभाव—बैंकों ने ऋण दी गई राशि के उपयोग की देखभाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जिसके कारण उसका अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सके।

(२) तकनीकी कर्मचारियों को कमी—ऐसे इंजिनियरों, शस्य-विज्ञानियों, मृदा-रसायनज्ञों की कमी है जो निवेश की तकनीकी शक्तियां की जाँच कर सके या अन्य शब्दों में बैंक इस धोखा नहीं है कि वे किसी परियोजना की लागत का विश्वसनीय अनुमान लगा सके जिसके कारण अति वित्तीयन (ओवर फाइनेंसिंग) अथवा अधो वित्तीयन (अन्डर फाइनेंसिंग) अर्थात् कर्ज की अपर्याप्तता की संभावना होती है। जब धन अपर्याप्त होता है, तो अद्वितीयों के पास दो विकल्प होते हैं—

(१) या तो वे अतिरिक्त उधार ले, जो साधारणतः सम्भव नहीं होता, क्योंकि उनकी सारी भूमि पहले ही रेहन रखी हुई होती है। (२) या वे काम को बिना समाप्त किए हुए ही उपलब्ध धनराशि को लगादे और इस प्रकार भन को निश्चिन्त करदें अथवा बैंकों से कर्ज की मन्त्रित किश्त प्राप्त करने के लिए केवल थोड़ा-सा ही धन उस काम पर लगाएं और शेष धनराशि कही और लगादे।

(३) निधियों का दिक्परिवर्तन प्रतिवन्धात्मक उधार-नीतियों के कारण भी हो सकता है क्योंकि इस प्रकार की नीतियों के कारण विशेष उद्देश्य की लागतों का ठीक अन्वाजा किये बिना कर्ज प्रदान किए जाते हैं।

(४) कर्जों के सवितरण में दीर्घ समयातराल (टाईम गेप) भी कर्ज के अन्य उद्देश्यों के हेतु उपयोग का कारण है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, विकासी वित्त के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपचारी उपाय सुझाये जा सकते हैं। प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि बैंकों की पर्यवेक्षकीय तथा तकनीकी कामिक सेवाओं को व्यापक तथा मुहूर बनाया जाए ताकि पर्याप्त और उपयुक्त मात्रा में कर्ज दिए जा सके और उनका उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यह भी आवश्यक है कि कर्ज नीतियों में सुधार किया जाए और अनाशयक प्रतिवन्धों को दूर किया जाए। कर्ज-सवितरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए तथा कर्ज-प्रस्ताव की प्रस्तुति तथा निपटारे के बीच समय-पश्चता को कम किया जाना चाहिए।

अध्याय ६

'कृषि-विपणन'

६.१ परिचय

पिछले अध्यायों में हम नवीन कृषि व्यूहरचना के मुख्य तत्त्वों तथा कृषि के स्वान्तरण एवं आधुनिकीकरण में उनके योगदान का विवेचन कर चुके हैं। हम यह देख चुके हैं कि अधिक उपज देने वाली किसी के बीजों, उबरकों तथा कीटनाशी पदार्थों का उपयोग, मिचाइ तथा नवक्रियाएँ विशाल उत्पादन-संभावनाएँ प्रस्तुत करती हैं और अन्य क्षेत्रों में, इससे भी अधिक उन्नति के नवीन अवसर प्रदान करती हैं।

भारत में पिछले कुछ वर्षों में खाद्यान्न-उत्पादन में तेजी से बढ़ि दुई है और इस कृषि-विकास के परिणामस्वरूप उत्पन्न विकल्प अधिशेषों (मारकेटेल सरप्लसेज) के लिए नवीन विपणन नीतियों, उपयुक्त प्रशासनिक-सरचनाओं (डॉचो) तथा बेहतर वित्त-सुविधाओं की आवश्यकता है। एक दक्ष विपणन-प्रणाली कृषि-सवृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए परमावश्यक है। वास्तव में प्रौद्योगिकीय प्रस्कोट का पूर्ण लाभ तभी उठाया जा सकता है यदि इसके साथ-साथ बढ़ती हुई उत्पादन-सभाव्यताओं के एकरूप उपयुक्त विपणन-ढंके का भी विकास किया जाए। आधुनिक कृषि का अर्थ है—बाजार-प्रधान कृषि। उत्पादन-दक्षता व विपणन दक्षता साथ-साथ चलनी चाहिये। भावार्थं यह है कि उत्पादन-कार्यक्रम विपणन-सुविधाओं के विकास तथा सुधार के उपायों से सम्बद्ध किए जाने चाहिये अर्थात् उत्पादन में नूद्धि के साथ-साथ उनके विपणन का प्रबन्ध करना भी अत्यावश्यक है। बिना विपणन-सुविधाएँ जुटाए कृषि का विकास समव नहीं है। कृषि विकास में विपणन के महत्व व योगदान का विवेचन परिच्छेद ६.५ में किया गया है।

६.२ विपणन कार्य

टैक्नॉलॉजी तथा विज्ञान का उपयोग विकास को त्वरित करता है तथा वाणिज्यिक उत्पादन में बढ़ि करता है। यह बहुत आवश्यक है कि उत्पादन-बृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त अधिशेषों को उपभोक्ताओं के पास सुविधाजनक स्थानों पर उनके द्वारा स्वीकार्य रूप, कोटि तथा मात्रा में देखा जाए। यह अविशेष उपभोक्ताओं को, आवश्यकता के समय या जब वे इसे सुस्थित कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हो, मुलम करवाया जाना चाहिये। इस हेतु फार्म-उपज की बहुत बड़ी मात्रा को खेतों से अतिम उपभोक्ताओं के पास पहुँचाना पड़ेगा। भरतः विपणन में वे सब कियाएँ सम्मिलित हैं जो फार्म-उत्पाद को उपभोक्ता से उपभोक्ता

तक इच्छित स्थान 'व समय पर पहुँचाने के लिए ज़हरी हैं। विपणन सारी उत्पादन-प्रक्रिया का चरम विन्दु व उद्देश्य है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एक दक्ष विपणन-प्रणाली की रचना करने से पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा :—

- (१) फार्म-उत्पादक के स्थान से उपभोक्ता के स्थान तक सापेक्ष दूरियों पर ले जाने की ज़हरत पड़ती है।
- (२) उपभोक्ता की मांग सतत होती है जबकि उत्पादन विशिष्टतः भौतिकी होता है। अनाज की चरम काल अथवा फसलोत्तर बहुलता इसके सम्हाल, बड़ार तथा परिवहन की गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न करती हैं।
- (३) भिन्न-भिन्न उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता अनुसार प्रत्येक पदार्थ की भिन्न-भिन्न कोटि व श्रेणी की ज़हरत होती है। कुछ लोग उत्पाद को तैयार या शुष्क रूप में चाहेंगे जबकि अन्य उसके ताजा तथा कच्चे रूप को ही पसंद करेंगे। कुछ पदार्थों को हिमोकरण (फ्रीजिंग) की आवश्यकता होगी जबकि कुछ एक को उपभोक्ता सप्लाई को करने से पहले शीत सम्बद्धगारों (कोल्ड स्टोरेज) ने रखना पड़े गा। उदाहरणतः दूध, पास्तुरीकरण (पास्च्यौराईजेशन) या रोगाणुओं को नष्ट करने की ज़टिल तथा बहुव्ययी समस्याएँ उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार डिल्वाबन्दी या रस काम में आने वाले फल की गुणता या कोटि ताजा उपभोग के काम में आने वाले फल की कोटि से भिन्न होगी।
- (४) इनके अतिरिक्त उत्पादन के समय से लेकर उपभोग के समय तक अनेक सेवाएँ उपलब्ध करनी होती हैं। उत्पादन तथा इसकी अन्तिम उपभोक्ता को सप्लाई की चौंक समय-प्रस्तुता (टाइम लॉग) उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के विचार से बहुत प्रसगयुक्त है।

अतः विपणन का मुख्य कार्य स्थानमूलक, कालमूलक तथा स्पष्टमूलक उपयोगिताएँ प्रदान करना है। विपणन के कार्यों तथा भौतिक सेवाओं में, फार्म-पदार्थों को बाज़ार के लिए तैयार करना, फार्म से बाज़ार (मंडी) तक ले जाना, उनकी सम्हाल, श्रेणीकरण, अनुकूलन, शुष्कीकरण (जल शोषण), संग्रहण, रक्षण, मढ़ियों से परिष्करण तथा उपभोग केन्द्रों तक परिवहन, परिष्करण तथा पैकेजिंग, परिष्कृत पदार्थों का उपभोक्ताओं को वितरण और जल, धूत तथा आकाश में उनका परिवहन सम्मिलित है। वितरण में थोक विक्रय, बुद्धरा विक्रय तथा नियत्रण व नियमन शामिल है। अन्य विपणन-सेवाएँ जो उपलब्ध कराई जानी चाहिये वे हैं। उत्पाद के गुणों तथा वर्गों का निरीक्षण, प्रमाणीकरण, अभिनिर्धारण तथा मापकी-करण। इसके अतिरिक्त स्टाक तथा कीमतों के बारे में बाज़ारी मूच्चना प्रदान करना भी बड़ा ज़रूरी है।

फार्म पदार्थों का विवरण एक बहु व्ययी प्रक्रिया है और फार्म-पदार्थों की बदलती हुई मांग तथा उनको परिवर्ती पूर्ति की दशाओं के अतिरिक्त विपणन-लागतें काफी अधिक हैं। कृपि-झेत्रक में बत्तमान प्रौद्योगिकीय प्रस्कोट के सदर्म में एक कूपक को निम्न समस्याओं का समाधान करना पड़ता है :—

(१) पदार्थ को कहाँ बेचा जाए ?

(२) पदार्थ को कब बेचा जाए ?

(३) विपणन-रीतियों को कैसे सुधारा जाए ?

(४) कृषि-पदार्थों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए सूचना कहाँ से प्राप्त की जाए ?

परन्तु विपणन-अर्थतन्त्र तथा नीतियों का अध्ययन करने से पूर्व प्रक्रिया में सम्निहित प्रमुख विपणन-संक्रियाओं तथा रीतियों को सक्षेप में समझ लेना श्वेयस्कर होगा ।

६.३ प्रमुख विपणन-क्रियाएँ

भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के साथ-साथ उत्पादन में, विशेषकर गेहूँ के उत्पादन में, अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसका परिणाम बहुत बड़ी मात्रा में विक्रय अधिशेष का होना और मडियों में बड़ी मात्रा में अनाज का आना है । सारणी ६.१, पजाब, हरियाणा, राजस्थान व उत्तरप्रदेश में गेहूँ के उत्पादन तथा विक्रय अधिशेष की तुलना करती है तथा अन्न संचालन की उपनति को दर्शाती है ।

सारणी ६.१ चुने हुए राज्यों में गेहूँ का उत्पादन तथा विक्रय अधिशेष
(लाख टनों में)

वर्ष	पजाब			हरियाणा		
	उत्पादन	आगमन*	%	उत्पादन	आगमन*	%
१९६६-६७	२४.५	८.२	३३.५	१०.६	१.८	१७.०
१९६७-६८	३२.४	१६.४	४६.१	१४.४	३.५	२४.३
१९६८-६९	४४.६	२३.२	५१.७	१५.२	४.५	२६.६
१९६९-७०	४६.२	२८.२	५६.६	२१.१	८.०	३७.६
१९७०-७१	५१.५	३१.१५	६०.६	२३.४	८.२	३५.०

चोट : सारणी २ द्वाट मार्केट बिहेवियर इन पजाब सी ए. यू. नुधियाना

नोट जिस वर्ष में किसी पदार्थ का उत्पादन होता है, उस उत्पादन के विक्रय अधिशेष का बाज़ार में आगमन उससे लगते वर्ष में होता है । इसलिए सारणी ६.१ के आगमन के बारेंहठे अपने वर्ष से सम्बन्धित हैं उत्तरा उत्पादन वहने वाले हुआ है ।

हमारी योक मणियाँ उपज की स्पेक्ट्राकृत छोटी मात्राओं को भट्ठालने के उद्देश्य से सारणी ६.२ गेहूँ का वार्षिक तथा फसलोत्तर आगमन

(लाख टनों में)

वर्ष	पजाब			हरियाणा		
	वार्षिक	फसलोत्तर	%	वार्षिक	फसलोत्तर	%
१९६७-६८	८.२	४.५	५४.६	१.८	१.१	६३.३
१९६८-६९	१६.४	१४.३	८७.१	३.५	२.६	८२.६
१९६९-७०	२३.२	२०.६	८६.२	४.५	४.०	८८.८
१९७०-७१	२८.२	२३.५	८४.०	८.०	५.८	७२.५

स्रोत : निदेशक नियन्त्रिक समरण विभाग, पजाब तथा हरियाणा, १९७४

डिजाइन की गई थीं परन्तु हाल के वर्षों में अनेक मण्डियों में गेहूँ के भारी आगमन से (विशेषकर फसलोत्तर काल में) भीड़ की स्थिति व विचरित्र उत्पन्न हो गई है। मण्डियों में अनाज के आगमन में अचानक बृद्धि, सम्भाल तथा प्रबन्ध की गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न करती हैं और दक्ष विपणन के लिए उनका समाधान करना आवश्यक है।

(क) मण्डियों में अनाज को सम्भाल तथा प्रबन्ध—उक्त सारणी ६.२ में पजाब तथा हरियाणा की मण्डियों में पिछले कुछ वर्षों में गेहूँ की वार्षिक तथा फसलोत्तर आगमन मात्राएँ दी गई हैं।

सारणी से स्पष्ट है कि गेहूँ के कुल वार्षिक आगमन का ८० से १० प्रतिशत फसल के तुरन्त पश्चात् मण्डियों में आ जाता है। फसलोत्तर काल में मण्डियों में गेहूँ के इस सकेन्द्रण तथा इसके फलस्वरूप उत्पन्न विचरित्र स्थिति के कारण गेहूँ का मट्ठी में से सचलन धीमा, तथा अधिक महगा हो जाता है। प्रायः मण्डियों में गेहूँ के द्वेर लगाने तथा अन्य विपणन-क्रियाओं के निष्पादन के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता जिसके कारण मट्ठी में अनावश्यक विलम्ब तथा घबराहट होती है।

साधारणतया किसान अपनी उपज को बैलगाड़ियों, टूंकटर ट्रालियों तथा ट्रूकों में लाते हैं। मट्ठी में अनाज को पहले भूमि पर बड़े-बड़े ढेरों में लगा दिया जाता है। किर इसका विरलन करके बैचा जाता है अथवा इसे बैचते ही चलनी में से छाना जाता है। तब इसे तोल कर बोरियों में भरा जाता है और अन्त में बाहनों पर गोदामों या अन्य स्थानों तक ले जाने के लिए लाद दिया जाता है। सामान्यतः बोरी बन्द अनाज को मजदूरों द्वारा घट तक ले जाया जाता है और चिपुल सप्रह के लिए खत्तियों में गिराया जाता है। मट्ठी में गेहूँ के अनगिनत द्वेर सफाई, भराई, नुलाई तथा बोरी बन्द अनाज की दुलकाई के लिए बहुत कम स्थान योड़ते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सकिया के बीच काफी विलम्ब हो जाता है।

भारतीय मानक-संस्थान के विनिदेशों के अनुसार एक टन गेहूँ का द्वेर लगाने के लिए ३३४ वर्गमीटर धैवत की आवश्यकता होती है। अतः ३०० टन गेहूँ के केवल द्वेर मात्र के लिए लगभग एक हैक्टर भू-स्थल की आवश्यकता होगी। इसमें बाहनों के मट्ठी में आने-जाने, उतराई तथा अन्य मट्ठी-सक्रियाओं के लिए प्रभीष्ट स्थान समिलित नहीं हैं। अधिक उपज बाली किस्म में बीजों के उपयोग के फलस्वरूप उत्पादन-स्तर के अनुरूप समाहार-प्रक्रिया को ढालने के लिए वर्तमान मण्डियों का आधुनिकीकरण, सुधार तथा परिष्करण आवश्यक है। यह बड़ा आवश्यक है कि बढ़ते हुए उत्पादन की सम्भाल के निए विपणन-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई मण्डियाँ स्थापित की जाएँ। उदाहरणार्थ अनाज की बोरियों या अम्बारों का प्रबन्ध उपयुक्त यान्त्रिक कन्वेयरों या सवाहकों (संकेनिकल कन्वेयर्स) के प्रयोग से तेज़ किया जा सकता है और हस्त व शारीरिक नम्भाल की कठोर धकान व परिश्रम को निरस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार गेहूँ, मक्की तथा चावल आदि अनाज की बहुत बड़ी मात्राओं को बोरियों की बजाय अम्बारों में अधिक दक्षता से सम्भाला जा सकता है। तभाम बड़ी मण्डियों को यान्त्रिक सम्भाल, ग्रोसाई तथा तोल-मुक्तियों से सज्जित कर देना चाहिए तथा वहाँ खाद्यान्न की सम्भाल, बहुत तथा

सप्रहण व्यापरियों में न करके डेरों व अम्बारों में की जानी चाहिये। यह परिवर्तन उत्तरोत्तर व जनने शनैं ही होगा और इसके लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास करने होंगे।

पिछले कुछ वर्षों में गेहूँ के उत्पादन में तेजी से बढ़ि हुई है। इन क्षेत्रों में गेहूँ के मडियों में लाने-लेजाने की कार्यकृताता में तत्काल बृद्धि करने की आवश्यकता है। गेहूँ-मडियों में गेहूँ के सप्रह, ओमाई, तोल, विक्य, धैलो में भरने तथा अनाज के परिवहन को तेज़ करने के लिए मडियों का आधुनिकीकरण करना होगा। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के लिए यान्त्रिक उपस्कर्यों तथा सुविधाओं की आवश्यकता होगी। इस सदर्भ में आधुनिकीकरण से अभिप्राय यह होगा कि प्रत्येक कार्य अत्यधिक प्रभावपूर्ण ढग अर्थात् घूनतम प्रयास, खंच से तथा अपव्यय से बचकर किया जा सकेगा तथा आवश्यकतानुसार उनमें विस्तार तथा परिवर्तन भी किया जा सकेगा।

आधुनिकीकरण कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य निम्न हैं—

- (१) मटी के अहातों में अनाज की खुले डेरों में उत्तराई को कम करना या समाप्त करना।
- (२) अनाज की भरी हुई बैलगाड़ियों, लारियो व ट्रॅक्टर ट्रालियों को अम्बार सम्हाल सुविधाओं तक सीधा ले जाना अर्थात् भरी हुई गाड़ियों को सप्रह स्थानों तक सीधे ले जाना।
- (३) अनाज की थोड़ी मात्रा विशेषकर स्थानीय बिक्री तथा उपभोग के लिए व्यापारियों तथा आदितियों द्वारा लिए जाने वाले अनाज के प्रबन्ध तथा परिवहन में सुधार करना।
- (४) ऐसे स्थानों तथा निर्माण स्थानों का विकास करना ताकि भरे हुए तथा खासी वाहन वहाँ तक आसानी से पहुँच सके। मटी के अहाते में समन्वित सक्रियाएँ उपलब्ध कराई जा सकें और पदार्थों को मटी से अन्य क्षेत्रों में वाहनों द्वारा आसानी से पहुँचाया जा सके।
- (५) ऐसी सुविधाएँ प्रदान की जाएँ जिनमें श्रम का बेहतर उपयोग हो सके, पदार्थों की दक्ष सम्हाल हो सके, बेहतर परिशोधन (सफाई) तथा पदार्थ की गुणता की बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जा सके।

सरकार द्वारा अनाज का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने के कारण तथा सरकार द्वारा नियत समर्थित कीमतों का कृपको को पूरा-पूरा लाभ प्रदान करने के लिए भारतीय स्थानीय निगम को बहुत दबी मात्रा में अनाज खरीदना पड़ेगा। इसके विरिक्त अनाज के सुरक्षित भण्डार के क्रय-भण्डारण तथा वितरण का कार्य भी भारतीय स्थानीय निगम को ही करना होगा। इसलिए भारतीय स्थानीय निगम से यह अपेक्षित है कि वह ऐसी थोक मडियों का विकास करे जिनमें अनाज के विपुल विपणन व प्रबन्ध के लिए यांत्रिक सुविधाएँ उपलब्ध हो सके। यदि सभव हो तो रेल पटरी की सुविधाएँ भी प्रदान की जानी चाहियें।

(ख) भंडारण तथा गोदाम-व्यवस्था—भंडार स्थल की अपदाप्ति दक्ष विपणन के रास्ते में मुख्य रुकावट है। खाद्यान्न को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक दक्षता से पहुँचाने में भण्डार सुविधाओं का स्थान तथा आकार विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि भारतीय स्थानीय निगम को सुरक्षित भण्डार तथा क्रियमाण भण्डार के लिए भण्डारण

प्रबन्ध करना पड़ता है। केन्द्रीय तथा राज्य गोदाम निगम उत्पादकों तथा व्यापार-व्यवसाय के लिए गोदाम-सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं जबकि विक्रय-हेतु कृषि-उपज तथा वितरण हेतु कृषि-निविष्टियों के भण्डारण की व्यवस्था सहकारिताओं द्वारा होती है। आवश्यकता इस कात की है कि इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समन्वित तथा सुव्यवस्था प्रबन्ध किया जाये। यह विशाल कार्य है जिसके लिए धन की व्यवस्था वाणिज्यिक बैंकों, कृषि पुनर्वित निगम तथा केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा की जानी चाहिए। भण्डारण सुविधाओं को प्रदान करने में निजी क्षेत्रक भी लाभदायक योग दे सकता है।

पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर फसलोत्तर अवधियों में, भड़ियों को जाने वाले खाद्यान्नों के टन भार में तेज बूद्धि के कारण बड़े पैमाने पर गोदामों के निर्माण की जरूरत प्राप्त हुई है। पिछले तीन चार वर्षों में पजाब तथा हरियाणा में गेहूँ स्टाक को केवल किराए के गोदामों में ही नहीं रखना पड़ा बल्कि उनका भण्डारण मिल-परिसरों तथा स्कूल-इमारतों में भी करना पड़ा है। कुछ स्टाक को खुले भेतर पालों से ढकना पड़ा। ये सब प्रबन्ध अपरिवृत्त सिद्ध हुए और कई स्थानों पर तरपालों भी उपलब्ध न कराई जा सकी। परिवहन तथा रेल-सुविधाओं के अभाव के कारण रेल्वे स्टेशनों पर तथा मडी ग्रहातों में भारी स्टाक इकट्ठे हो गए। काफ़ी अनाज वर्षों में भीग कर खराब हो गया या पूरी तरह नष्ट हो गया।

पिछले समय में अनाज की सार्वजनिक वितरण पद्धति (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) की आवश्यकताओं का काफ़ी जाग अनाज के आयात द्वारा पूरा किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में अनाज का आयात इस प्रकार रहा है।

सारणी ६.३ अनाज का देश में आयात

वर्ष	१९६६-६७	१९६७-६८	१९६८-६९	१९६९-७०	१९७०-७१	१९७१-७२
आयात						
(लाख टन)	१०४	८७	५७	३६	३६	२०
आयात						
(करोड रुपये)	६७२	५१८	३३७	२६१	१७४	१२३

यह अनाज समुद्री जहाजों द्वारा बन्दरगाहों पर पहुँचता है जहाँ इसकी संभाल की जानी होती है। बन्दरगाह सचालन-कार्यक्रम के अन्तर्गत जहाजों से माल की उठा-घरी और उसके परिवहन की व्यवस्था की जाती है। पहली अप्रैल, १९६६ से देश के सभी २८ बन्दरगाहों का सम्पूर्ण कार्य भारतीय खाद्य निगम ने समाल लिया है।

खाद्यान्न के रियायती आयात के बन्द होने के कारण तथा सार्वजनिक वितरण-प्रणाली व सुरक्षित भाड़ार सम्बन्धी जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए अनाज की आन्तरिक बहुली (इन्टरनल प्रोक्षीरमेन्ट) जरूरी है। प्रथम कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सारे देश का वार्षिक समाहार-लक्ष्य ८०-१०० लाख टन से कम नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त अन्य अर्थव्यवस्था के स्थिरीकरण हेतु (उसमें स्थायित्व लाने के लिए) भारतीय खाद्य निगम को ५० लाख टन अनाज का सुरक्षित भाड़ार भी बनाना है। इसने बड़े स्टाक

को रखने के लिए बड़े पैमाने पर मंडारण-प्रबन्ध करने पड़ेंगे।

१६६८-६९ के अन्त में केन्द्रीय खाद्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों, केन्द्रीय तथा राज्य गोदाम (नाडागार) निगमों तथा सहकारी संस्थाओं के पास लगभग १०६ लाख टन अनाज की भडागार-क्षमता थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :—

सारस्वी ६.५ भडारण-क्षमता १६६८-६९ (लाख टनों)

एजेन्सी	निवेदी	किराए पर	कुल
(१) खाद्य विभाग तथा भारतीय			
खाद्य निगम	२६.२	१२.६	३८.८
(२) राज्य सरकारें	१४.०	१२.६	२६.६
(३) केन्द्रीय भडागार निगम	६.५	३.१	६.६
(४) राज्य भडागार निगम	२.३	६.०	८.३
(५) सहकारी संस्थाएँ	२६.०	—	२६.०
कुल	७५.०	३४.३	१०६.३

धोउ-चतुर्थ योजना द्वापर (१६६८-७५) पृष्ठ १३१

खाद्यान के भडार हेतु कुल निवेदी भडारण-क्षमता ४५.१ लाख टन की थी। इस क्षमता का कुछ भाग क्रियमाण स्टाक के भडारण के लिए उपयोग किया जा रहा था। और योजना में भडारण-क्षमता में चूंडि के लिए काफी घन की व्यवस्था की गई है और गोदाम-निर्माण का काम सरकारी एजेन्सियों को सौंपा गया है। ५० लाख टन सुरक्षित भडार को रखने के लिए अतिरिक्त भडारण-क्षमता के निर्माण हेतु योजना में ४५ करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया। इसमें बन्दरगाहों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर उर्वरकों के भडार के लिए अभीष्ट लगभग २ लाख टन अतिरिक्त भडारण-क्षमता की व्यवस्था भी की गई। केन्द्रीय तथा राज्य भडागार निगम लगभग १० लाख टन अतिरिक्त क्षमता हेतु गोदामों का निर्माण करेंगे और इसके लिए १८ करोड़ रुपये रखे गए हैं। अनुमान है कि भडारण के पुरे कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए ६१ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

भडारण से सम्बन्धित दो महत्वपूर्ण प्रश्न विशेषरूप में विचारणीय हैं— प्रथम भडारण सुविधाओं की अवस्थिति (लोकेशन) से सम्बन्धित है, दूसरा प्रश्न यह है कि भडारण में होने वाली हानियों का निरोध कैसे हो ?

भडारण-सुविधाओं की अवस्थिति (स्थान-निर्धारण) के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि भडारण-सुविधाओं को इस प्रकार से स्थापित किया जाए कि गाड़ से उपभोक्ता तक उपज को पहुंचाने में अनाज का न्यूनतम भौतिक प्रबन्ध व सम्हाल करनी पड़े। ग्राम-कूपक स्तर भ्रष्टवा लेत पर ही भडारण के विकास का मुख्य लाभ यही है कि इससे परिवहन (ट्राम-पोर्ट) पर तत्काल दबाव में कमी होती है। ज्ञातव्य है कि फसल के समय परिवहन समस्याएँ काफी विकट हो जाती हैं। वाढ़ित यही है कि स्टाक को रखने के लिए अतिरिक्त भडारण-सुविधाएँ खपत-केन्द्रों पर स्थापित की जाएं। इसके लिए अनेक

स्थानों का (विशेषकर सधन कृपि-विकास-कार्यक्रम क्षेत्रों में) अभिनिवारण करना होगा। ताकि उन क्षेत्रों में नए विपणन-केन्द्रों तथा भडारण-सुविधाओं की स्थापना की जा सके और उत्पादन-शैधियों का पूर्ण लाभ ढाया जा सके। भडारण-प्रोग्राम-पूर्ति तथा फार्म-शाय के स्थिरीकरण तथा विशेष कीमत नीति को कार्यान्वित करने में भी सहायक हो सकता है।

देखा गया है कि भडारण की अवधि के दौरान सांचाच की ४ से ८ प्रतिशत तक की हानि हो जाती है। इस बहुत भडारण-हानियों के लिए अदक्ष प्रबन्ध, अपर्याप्त सुविधाएँ तथा अनुपयुक्त सम्हाल रीतियाँ जिम्मेदार हैं। इन हानियों को कम करने के लिए तथा अनाज की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कुशल प्रबन्ध, निरीक्षण तथा अम की आवश्यकता होगी। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अमरीका के कृपि-विभाग ने बायुमिश्रण (बातन . ऐरिंगन) नामक एक नए प्रक्रम का विकास किया है।

बायुमिश्रण या बातन संचित अनाज की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक है। पहले अनाज को एक भडारणहू से दूसरे भडारणहू में ले जाया जाता था और इस प्रकार बायु में से बदला जाता था। परन्तु इसके विरुद्ध बायुमिश्रण की प्रक्रिया में बायु का भडारण में ही विपुल अनाज में से सचलन किया जाता है। बातन का उपयोग संचित अनाज को ठंडा करने, कीट-क्रिया को कम करने, अनाज तापमानों को बराबर करने, आद्रता सचलन या आद्रता के संचित अनाज में गर्म क्षेत्रों से ठड़े क्षेत्रों में प्रवासन को रोकने तथा संचित अनाज पर तरल धूमको के अनुप्रयोग के लिए किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अनुसधान तथा प्रशिक्षण बैज्ञानिक भडारण के लिए अत्यावश्यक हैं। भारतीय अनाज-भडारण-केन्द्र हापुड व दिल्ली तथा केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसधान संस्थान, भैंसूर ने इस दिशा में कुछ उपाय किए हैं। केन्द्रीय भाडागार निगम ने भी निजी क्षेत्र में कृपि-उपज के भडारियों में बैज्ञानिक भडारण को बढ़ावा देने हेतु विस्तार-सेवाएँ आरम्भ की हैं।

(ग) श्रेणीकरण तथा परिषिकरण (ससाधन) — श्रेणीकरण उत्पाद की गुणवत्ता का परिचायक है और क्रेता की अधिक सुगमता और ठीक प्रकार से खरीद-निर्णय लेने में सहायता करता है। कई उत्पादों का श्रेणी-निर्धारण आकारानुसार भी किया जाता है जैसे अंडों आदि का। यह बात ध्यान देने योग्य है कि आकार तथा गुणवत्ता का कोई विशेष आपसी सम्बन्ध नहीं है। श्रेणीकृत उत्पाद या अन्न के क्या करने का अर्थ अत्युत्तम या अत्यधिक मूल्यवान पदार्थ खरीदना ही नहीं। विभिन्न श्रेणियों गुणवत्ता (कोटि) के चयन का अवधर प्रदान करती है ताकि क्रेता अपने विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ का चुनाव कर सके। उदाहरणार्थ मैदा या डबल रोटी के लिए उच्च कोटि की गेहूँ खरीदी जाएगी जबकि पाक कार्यों के लिए अपेक्षाकृत निम्न कोटि का गेहूँ खरीदा जाता है।

एक दक्ष विपणन-पद्धति राष्ट्रीय स्तर पर एक समान मानकों पर निर्भर है। मानकों की कृत श्रेणीकरण-प्रणाली (स्टेन्डर्डइंज ग्रेडिंग सिस्टम) से हमारा अभिनियायः यह है कि कलकत्ता या बम्बई में बैठा हुआ क्रेता हरियाणा में करनाल से गेहूँ के भरे बैगन का खरीद प्रांडर दे सके और उसे लादी जाने वाले गेहूँ की किसी का अप्रिम ज्ञान हो। मानकों को चानू विपणन

रीनियो और उपमोक्ता-आवश्यकताओं के साथ-साथ अद्यतनीन रखा जाना चाहिए।

भारत में आतंरिक तथा नियर्ति व्यापार के लिए कृषि तथा पशुधन सम्बन्धी जिन्सों का थ्रे-एणीकरण कृषि-उपज (थ्रे-एणी निर्धारण तथा विपणन) नियम, १९३७ के अन्तर्गत किया जाता है। १९६६ के अन्त तक ६५ कृषि तथा पशुधन-सम्बन्धी जिन्सों तथा २७८ व्यापार-निर्माणों के लिए एगमार्क थ्रे-एणीकरण विजिष्टर्याँ नियमित तथा अधिभूचित की जा चुकी थीं। ३४ कृषि पञ्चों के लिए नियर्ति से पूर्व का थ्रे-एणीकरण किया गया था।

उत्पादकों को उनकी उपज की कोटि के अनुसार कीमत दिलाने के लिए थ्रे-एणीकरण भी उत्पादकों के स्तर पर अर्थात् नियन्त्रित मण्डियों, सहकारी समितियों तथा भाड़ागारों के स्तरों पर किया जाता है। अक्टूबर, १९६६ के अन्त तक देश में थ्रे-एणी-निर्धारण की ४६२ इकाइयाँ थीं। चौथी योजना में ६०० और थ्रे-एणीकरण शाखाएँ खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त कुछ कृषि जिन्सों के लिए 'प्रदर्शन एवं थ्रे-एणीकरण' हेतु प्रायोगिक परियोजनाएँ भी चालू की जाएंगी। केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय एगमार्क-प्रयोगशालाएँ नमूनों के मुद्रोजित विश्लेषण, नई जिन्सों के लिए उपयुक्त थ्रे-एणीकरण-मानकों के निर्धारण तथा पुराने मानकों को ढुहराने के लिए पर्याप्त मुद्रित प्रदान करती हैं। सार्वजनिक थ्रे-एणीकरण- (थ्रे-एणी-निर्धारण) सेवा कृपकों की उच्च कोटि के पदार्थों का उत्पादन करने और फलस्वरूप ऊँची कीमतें प्राप्त करने में नहायक होगी और इस प्रकार उपज की युएता में सुधार लाने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। थ्रे-एणीकरण से नियर्ति को भी बढ़ावा मिलता है।

परिष्करण (संसाधन : प्रोसेसिंग) एक महत्वपूर्ण विपणन-सेवा है और इसके लिए अनु-संधान तथा विस्तार की विकासित पद्धति की आवश्यकता है। परिष्करण-प्रविधियाँ विपणन-प्रणाली की दक्षता को प्रभावित करती है तथा परिष्करण-उद्योग के आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप उत्पाद तथा उपोत्पाद की मात्रा तथा युएता में काफी बढ़ि होनी है। उदाहरणार्थं धान से चावल के प्रतिरिक्त चोकर तथा भूसी उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। परम्परागत हल्लर में चोकर सामान्यतः चूर्ण भूसी से मिल जाता है और पशु के चारे के रूप में बहुत कम कीमत पर बेचा जाता है। जबकि आधुनिक चावल मिलों से प्राप्त चोकर अच्छी कोटि का होता है और उसका कुछ मात्र बिना किसी मिलावट के शुद्ध रूप में मिलता है और परम्परागत हल्लर से प्राप्त चोकर की घ्रेष्ठा दस गुनी कीमत पर बिकता है। इस स्थिति में आधुनिकीकरण का अर्थ परिष्करण के प्रति सुबद्ध तथा समन्वित उष्टियोग का विकास करना है और इसमें बान का अधिक वैज्ञानिक शुष्कीकरण, भड़ारण, कटुण्ण (परबो-इतिम) तथा ऐरल (नीटीडन) नियमित है।

परिष्करण-प्रणाली खरबी से होने वाली हानि तथा धनि को कम करने या नियस्त करने में विश्वसनीय सेवा करती है। परिष्कृत खाद्य तथा फल-सामग्री की परिष्कृत-लायतें कम होती हैं और उनके परिवहन में समय की भी बचत होती है। कई पदार्थों के परिष्करण के फलस्वरूप उनके भार तथा आयतन में ७० प्रतिशत तक की कमी (न्यूनता) हो सकती है।

हाल ही के बर्दों में लोगों की बाने की आदतों में (विशेषकर बड़े शहरों में) काफी परिवर्तन हुआ है। सुविधा के खाद्य पदार्थ खरीद की सामान्य बस्तुएँ बनती जा रही हैं। सुविधा के खाद्य पदार्थ 'आन्यतरिक दासी सेवा' युक्त (ब्युल्ड इन मेड सर्विस) खाद्य पदार्थ

है। अब इन पदार्थों में 'आम्यतरिक रसोईदार सेवा' (ब्युल्ट इन चीफ सर्विस) की भी वृद्धि कर दी गई है। आजकल एक ही पैकेज में रखा हुआ पूरे का पूरा खाना खरीदा जा सकता है। थैली-बन्द उदाले हुए भोजन, तैयार आलू पदार्थ, बुलनशील कॉफी, अविलम्ब पकवान, जमे हुए परिपक्व पदार्थ तथा अन्य व्यजन कुछ एक परिष्कृत पदार्थ हैं। हिमीकरण तथा प्रशीतन (फ्रीजिंग एण्ड रीफ्रिजरेशन) इस क्षेत्र में आवृत्तिक नवीनताएँ हैं।

यह अनुभान लगाया गया है कि हमारे ध्वान्य खाद्य (शाहर) का ६० प्रतिशत, उपयुक्त भण्डारण की अनुपलब्धता के कारण नष्ट हो जाता है। लगभग हर प्रकार की सामाजी जैसे मटर, बद गोभी, गाजर, शलजम हिमीकृत भण्डारण में ६ से १२ महीने तक रखे जा सकते हैं। खराब होने वाले खाद्य के हिमीकरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि उनमें संविहित ताजगी तथा पोषण तत्वों में परिवर्तन किए बिना उसे कम बिनाशशील बना दिया जाए ताकि उनका देर तक भण्डारण किया जा सके और उनका सदान दूर के स्थानों के लिए भी किया जा सके। इस सदमें में प्रशीत-परिवहन का विशेष महत्व है। डिहाइड्रो-हिमीकरण (डिहाइड्रो फ्रीजिंग) फलों और बनस्पतियों के लिए एक अन्य ग्रन्ति व प्रक्रम है। निर्जलित पदार्थों (डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स) का लाभ यह है कि वे भार तथा आपत्ति में कम हो जाते हैं, परन्तु उनकी गुणवत्ता घट जाती है। इसी प्रकार शीत सश्हागार (कोल्ड स्टोरेज) मछली के परिरक्षण के लिए जरूरी है। हिमीभूत शुष्कीकरण में पदार्थों को स्थूल तापमानों पर निर्जलित किया जाता है तथा वायुरोधी पालीथीन के धैलो या टिन के डिब्बों में बद किया जाता है। यह याद रहे कि स्वाद तथा गुणवत्ता में वे तुरन्त जमाए हुए पदार्थों का मुकाबला नहीं कर सकते। जमी हुई मछली, मैस तथा फलों का रस कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके लिए काफी हिमीभूत भण्डारण की आवश्यकता है।

हिमीभूत खाद्य-उद्योग में संवेष्ट (पेकेजिंग) का विशेष महत्व है। संवेष्ट की, हाथों से बचाव, निर्जलीकरण को रोकने, आवंसीजन की पैकेट से बाहर रखने तथा 'पदार्थ देखने में अच्छा लगे' यादि के लिए ज़रूरत होती है। आतरिक लपेटन के लिए कागज, पालीथीन तथा एल्यूमीनियम बर्कों का प्रयोग किया जाता है।

यह व्यान रखने योग्य है कि परिष्कर्ताओं को परिष्करण के लिए पदार्थों की उचित तथा स्थिर दामों पर आइकासित सप्लाई सुलभ कराई जानी चाहिये। तभी वे दक्षता से कार्य कर सकें। सरकार भण्डारण-सुविधाओं में वृद्धि कर, अनाज का सरकार-भण्डार बना कर तथा उचित कीमत सम्बन्धी नीतियाँ प्रपना कर इस कार्य को बढ़ावा दे सकती है।

६.५ भारतीय खाद्य निगम के कार्यकलापों व गतिविधियों की समीक्षा (१६६५-१६७२)

भारतीय खाद्य निगम पिछले कुछ वर्षों से खाद्यान्न का सरकारी व्यापार करने वाली (केन्द्रीय सरकार को) एक मात्र एजेंसी बन गया है। भारतीय खाद्य निगम को स्थापना १ जनवरी, १६६५ को हुई। इसके मुख्य कार्यों में खाद्यान्न तथा खाद्य पदार्थों का क्षय भण्डारण, सचलन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त खाद्यान्न-

उत्पादन का सबर्धन, चावल मिलो, प्राटा मिलो तथा खाद्यग्रन्थ के परिष्करण हेतु कारबानों की स्थापना निगम के अन्य कार्य हैं। इन सात बर्पों में कार्य-मन्त्रालय क्षेत्र तथा कर्म-विक्रम की मात्रा दोनों ही की हृष्टि से निगम की गतिविधियों में काफी विस्तार हुआ है। निगम देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा थोक व्यापारी बन गया और इसने खाद्यान्न-व्यापार में प्रभावशाली महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। निगम देश में खाद्यान्न की खरीद, नडारण और वितरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस परिच्छेद में सरकार द्वारा अनाज के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने से पहले की अवधि में भारतीय कृषि निगम द्वारा इस क्षेत्र में किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है।

(i) कर्य-विक्रम—भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न व्यापार में प्रवेश के बीचे मुख्य घट्य यह था कि जहाँ एक और किसानों को अपनी उपज का आकर्षक मूल्य प्राप्त हो, वहाँ दूसरी और उपभोक्ताओं को वर्षे भर उचित दर पर सुगमतापूर्वक अनाज मिलता रहे। विपरीत परिस्थितियों में उत्पादन में अकस्मात् कमी के प्रभाव तथा असामान्य मीसम के कारण मांग और पूर्ति में असतुलन का सामना करने के लिए राष्ट्रीय बीमा के रूप में अनाज के सुरक्षित नडार बनाने का कार्य भी आवश्यक समझा गया। निगम को मूल्य-सरक्षण का कार्य भी करना था। इस हेतु निगम सब्य किसानों से और अन्य सहकारी क्षय सम्पाद्यों अथवा खरीद के लिए नियुक्त सम्पाद्यों द्वारा अनाज खरीद करता है अथवा राज्य सरकारों या उनकी अधिकृत कर्य-सम्पाद्यों से उनके द्वारा खरीदा गया अनाज केन्द्रीय भडार (सेंट्रल पूल) के लिए प्राप्त किया जाता है।

निगम खाद्यान्नों के वितरण की भी समुचित व्यवस्था करता है। निगम ते यह अपेक्षित है कि वह प्रत्येक राज्य को उसकी आवश्यकतानुसार सही समय पर अनाज की पूर्ति करे। वहें पैमाने पर अनाज की खरीददारी तथा कारगर और सुध्यवस्थित वितरण-व्यवस्था के परिणामस्वरूप ही देश में समूचे वर्ष खाद्यान्नों के मूल्य में तुलनात्मक हितरता बनाये रखी जा सकती है। निगम को प्रतिरक्षा विभाग के लिए भी खाद्यान्न की पूर्ति की व्यवस्था करनी होती है।

१९६५-६६ में निगम ने केवल २६.४ लाख टन आयातित तथा देशी खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं की खरीद की, जबकि १९६६-६७ में यह खरीद लगभग ८४.२५ लाख टन थी। १९६६-७० में ६४.४ लाख टन की रेकार्ड खरीद की गई। १९७०-७१ तथा १९७१-७२ में खरीद क्रमशः ८८.०३ लाख टन तथा १०६.१२ लाख टन की थी। १९७०-७१ के ग्रन्त में निगम के पास सचित्र अनाज की मात्रा लगभग ५० लाख टन तक पहुँच गई। इसी प्रकार १९६५-६६ में केवल १७.७५ लाख टन वस्तुओं का विक्रय किया गया। १९६६-६७ में ६६ लाख टन वस्तुओं की विक्री की गई। १९७०-७१ में निगम द्वारा ७४.३ लाख टन माल बेचा गया। इस प्रकार पिछ्ले ६-७ वर्षों में ही विक्री सम्बन्धी गतिविधियाँ चौगुनी से भी अधिक बढ़ गई हैं।

(ii) बन्दरगाह-संचालन तथा परिवहन—विभिन्न बन्दरगाहों पर खाद्यान्नों तथा उवरको की सभाल का काम भी निगम को सौंपा गया है। पहली अप्रैल, १९६६ से निगम ने देश के सभी २८ बन्दरगाहों का सम्पूर्ण कार्य सभाल लिया है। इस कार्य में प्रति वर्ष संकड़ों

जहाजों में माल की उठा घरी और उम्मके परिवहन की व्यवस्था करनी होती है। यदि जहाजों को शीघ्रतापूर्वक खाली किया जाए सके तो पुरस्कार के लिए मनीः अर्जित शीघ्रता पुरस्कार) अर्जित की जाती है। जहाजों के प्रबन्ध में हुए विलम्ब के लिए विलम्ब-शुल्क (डेमरेज) देना पड़ता है। प्रयत्न यह होना चाहिए कि प्रेपरण-मुद्रा को अधिकाधिक अर्जित किया जाए और विलम्ब-शुल्क को यथासम्भव घटाया जाए। बन्दरगाहों पर लाद्यान्न-परिचान्त के समन्वय के लिए जहाजरानी और गोद्वी समर्वय-खंड की स्थापना की गई है।

१६६५-६६ में देश में विभिन्न बन्दरगाहों पर ४१ जहाजों से ३२७ लाख टन अनाज तथा उर्वरक समाने गए और २६८ लाख ६० अनिरिक्त धन (प्रेपरण अर्जित मुद्रा-विलम्ब शुल्क) प्राप्त किया गया। १६६६-७० के दौरान ६३६ जहाजों से ३६.४५ लाख टन खाद्यान्न तथा २१.४२ लाख टन रामायनिक खाद (कुल ६० लाख टन) की समाल की गई। केवल ४.२६ लाख रुपये के अतिरिक्त धन की प्राप्ति हुई। १६७०-७१ में देश की खाद्य-स्थिति में मुधार के फलस्वरूप अनाज के आयात में कमी हुई। विभिन्न बन्दरगाहों पर समाने गए खाद्यान्न और रामायनिक खाद की कुल मात्रा क्रमशः ३१.३ लाख टन और १४ लाख टन रही। ५२३ जहाजों में तुड़ाई गई जिम्मों के फलस्वरूप २० लाख लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ। पिछले बर्ष की अपेक्षा अर्जित प्रेपरण मुद्रा ४५ पैसे प्रति टन से बढ़कर ५७ पैसे प्रति टन हो गई जबकि इसी अवधि में विलम्ब शुल्क १८ पैसे से घटकर ११ पैसे प्रति टन रह गया।

निगम को प्रतिवर्ष लाखों टन अनाज व उर्वरक एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना पड़ता है। इसी प्रकार अनाज व उर्वरकों को बहुत बड़ी मात्रा की बन्दरगाहों से विभिन्न स्थानों तक ढुलाई करनी पड़ती है। पिछले कुछ बर्षों में ढुलाई-चालन के कार्यक्रम में नई गति आई है। निगम को अनाज की ढुलाई से सम्बन्धित अनेक गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोयले के अभाव अथवा हड्डतानों व सुरक्षा व्यवस्था में विगड़ के कारण रेलों का न चलना तथा बैगनों का समय पर उत्पलब्ध न होना मुख्य परिवहन-समस्याएँ हैं। प्रजाव तथा हृतियागु में रवी की कफल के समय अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इस अवधि के दौरान अनाज की ढुलाई में अप्रत्याशित वृद्धि होती है जिससे अनेक स्थानों पर रेल बैगनों को मुख्य जुलूस में अधिक बढ़ जाती है और उनके निश्चित रास्ते में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करना पड़ता है। निगम ने १६६५-६६ में ६.६ लाख टन देशी अनाज की ढुलाई की। १६६८-६९ में निगम ने रेलों तथा मड़कों द्वारा २४.४४ लाख टन देशी अनाज और ११.७२ लाख टन आयातित अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया। इसके अतिरिक्त ३ लाख टन उर्वरकों की भी ढुलाई की गई। १६७०-७१ में विभिन्न प्रदेशों से ४१.४२ लाख टन खाद्यान्न का अन्तः राज्यीय प्रेपरण किया गया। इसके साथ ही ३१.३ लाख टन रामायनिक खाद रेल द्वारा दोया गया।

(iii) भंडारण—इन बर्षों में निगम को भंडारण क्षमता में भी काफ़ी वृद्धि हुई। १६६५-६६ में निगम के पास ६.८८ लाख टन की कुल सचिन-क्षमता थी। १६७१-७२

के अन्त तक कुल संचयन-क्षमता १६६५-६६ की अपेक्षा १२ गुना से अधिक थी। सारणी ६.५ स्वतः स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण स्थानों पर खाद्यान्नों को सभालने के लिए १६ लाडी पुल, ६ तोल पुल (वे द्रिज) और खाद्यान्न के शीघ्र परिवहन के लिए ५२ डिपुओं पर रेलवे साइरिंग की व्यवस्था की गई। अनेक डिपुओं पर बाहक पट्टे तथा स्लाइट क्लेयर लगाए गए हैं।

सारणी ६.५ मारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध मडारण-क्षमता (लाख टनों में)

बद्द	स्वामित्व (निजी)	किराये पर	नये भारत*	कुल क्षमता
१६६५-६६	५.६६	०.४६	०.३०	६.५८
१६६६-६७	१०.१७	४.५४	१.८२	१६.५३
१६६७-६८	११.७७	४.६०	३.३६	१६.७६
१६६८-६९	२२.६३	२०.७८	४.१६	४७.६०
१६६९-७०	२२.६३	२३.१२	६.६६	५५.७१
१६७०-७१	२३.६३	२४.७२	१४.८४	६२.४६
१६७१-७२	२२.६३	४०.७६	१५.१०	७८.४६

चौतः भारतीय खाद्य निगम वार्षिक रिपोर्ट इन्डिया १६७३

* नये भारतों में भा० चा० नि० व खाद्य विभाग द्वारा तथा भा० चा० निगम वे गारंटी पर केंद्रीय भादागार नियम द्वारा विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत बनाए गए गोदाम समिक्षित हैं।

(IV) खाद्य-संसाधन के क्षेत्र में निगम ने अनेक महत्वपूर्ण केन्द्रों पर चावल मिले, धान सुखाने के यत्र तथा मक्का पीसने के यत्र स्थापित किए हैं।

इन कार्यों के अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम सचित अनाज के मुख्य-नियन्त्रण, आयोजन तथा अनुसंधान के क्षेत्रों में भी काफी कार्य कर रहा है।

६.५ कृषि-विकास में विपणन-कार्यों का योगदान

एक दक्ष कृषि-विपणन-पद्धति को एक साथ अनेक कार्य करने होते हैं। इसे कृषि-क्षेत्रक को निविष्टियों की ठीक समय पर सप्लाई करनी होती है। यह भी ज़रूरी है कि ज़रुरार उपजाए गए कृषि-उत्पादन का परिष्कर्ताओं तथा उपभोक्ताओं में वितरण उनके द्वारा चाहे गये समय तथा स्थान पर कम से कम सर्व पर किया जाए। अल्पावधि में इसका कार्य निश्चित उत्पादन से वाजार-पूर्ति जुटाना है जबकि अतिम अवस्था में विपणन-पद्धति का मुख्य कार्य स्थानीय मिडियों तथा राष्ट्रीय मिडियों का एकीकरण तथा समाकलन करना है। कीमत-मकेतों के सचार द्वारा इसे कृषि-क्षेत्रक में सासाधनों के दक्ष आवटन को बढ़ावा देना चाहिए। बाजार-व्यवस्था को बढ़ावे हुए कृषि-क्षेत्रक तथा सम्बन्धित कृषि-आधारित उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े सेवा-क्षेत्रक के रूप में इसे उत्पादक-रोजगार-अवसरों का निर्माण करना चाहिए ताकि कृषि-क्षेत्रक की बढ़ती हुई बेरोजगारी को खपाया जा सके।

एक बाजार व्यवस्था के इन विभिन्न कार्यों को करने की दक्षता। भौतिक आधारिक सत्त्वता (परिवहन, भंडारण, विपणन तथा परिष्कारण मुविधाओं), वित्तीय संस्थाओं, सचार व्यवस्था तथा उद्यम एवं प्रबन्धकीय जनशक्ति की उपलब्धता तथा गुणवत्ता पर निर्भर है। अतः बाजार-व्यवस्था की दक्षता को उन प्रतिबन्धों के सदर्भ में ही आँकना होगा जिनके अधीन यह कार्य कर रही है। बाजार-व्यवस्था की दीर्घकालिक दक्षता में सुधार इसकी चलन-परिस्थितियों में सुधार करके ही किया जा सकता है।

बाजार-सगठन के स्वरूप का बाजार-व्यवस्था के निष्पादन में विशेष योगदान होता है। एक प्रतियोगी बाजार में निर्बाध प्रवेश, बाजार-सूचना तथा पर्याप्त गतिशीलता वितरण-दक्षता की आवश्यक शर्तें हैं। लक्ष्य अधिकतम लाभ उठाना होता है। जितना अधिक लाभ होगा उतना ही अधिक दक्ष बाजार माना जाएगा। सहकारी अथवा सार्वजनिक प्रबन्ध में चल रही बाजार-व्यवस्था के अन्तर्गत लागत-न्यूनीकरण, (कोल्ट मीनिमाइजेशन) अन्य बातों के अतिरिक्त, बाजार के सगठन तथा प्रशासनिक कार्यकारिता पर भी निर्भर है।

वितरण लागतों का न्यूनीकरण ही किसी बाजार व्यवस्था का एक मात्र लक्ष्य नहीं होता। कीमतों का उतार-चढ़ाव मानवीय पीड़ा तथा परम्परागत कृपि में निवेश में अनुत्साह का कारण बनता है। इसलिए बाजार-व्यवस्था का उद्देश्य कीमतों का स्थिरीकरण होना चाहिए। इससे कृपि-उत्पादन बढ़ाने में कृपकों को श्रोत्साहन प्राप्त होगा।

उधार तथा विपणन-कार्य एक दूसरे से निकटतः रूप से सम्बद्ध है। उत्पादन के लिए उन्नेस मणिडुर्याँ और परिणामस्वरूप प्रेरणात्मक कीमतें उधार की माँग तथा कृपक की छरण-प्रतिदान की योग्यता में वृद्धि करती हैं। उधार सुविधाओं में विस्तार से निविष्टियों की माँग उत्पन्न होती है और बाजार-अधिंशंष प्रेरणात्मक कीमतें वृद्धि होती हैं। इसके फलस्वरूप बाजार-सुविधाओं में निवेश पर अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा।

विपणन-प्रणाली के चलन में अदक्षता से अभिन्नाय है वितरण-भ्याय का अभाव। अदक्ष विपणन-प्रणाली पूँजी-निर्भाणी की दर को प्रभावित करती है और इन प्रकार कृपि-क्षेत्रक के विकास पर कुप्रभाव ढालती है।

६.६ विपणन-प्रणाली के लक्ष्य

उपरोक्त विवेचन के बाद अब हम इस स्थिति में हैं कि विपणन-प्रणाली के मुख्य लक्ष्यों का वर्णन कर सकें, वर्तमान विपणन-प्रणालियों की कमज़ोरियों तथा इनके अवरोधक तत्त्वों को जान सकें तथा ऐसी योजनाओं धौर नीतियों का निर्धारण कर सकें जो इन लक्ष्यों को पूरा करने में विपणन-प्रणालियों की सहायक सिद्ध हों।

(१) प्रथम लक्ष्य बढ़ते हुए उत्पादन के स्तर के अनुरूप विपणन-प्रणाली की भौतिक क्षमता को ढालना है। भौतिक क्षमता का इस प्रकार से विस्तार किया जाना चाहिए कि कृपि-क्षेत्रक में अभिनव प्रौद्योगिकीय प्रस्फोट का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके। इसमें उत्पादक को उत्पादन-प्रेरणा मिलेगी। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रकों का भी विकास होगा। निजी क्षेत्र के वर्तमान विपणन-प्रक्रमों की पूर्ति-लोच काफ़ी अधिक है और उनका बढ़ती हुई माँग के अनुरूप विस्तार बहुत कम् लायत पर किया जा सकता है।

(२) विपणन-प्रणाली का दूसरा घ्येय विकास हेतु उपलब्ध समाधनों के परिमाण का विस्तार करना तथा उनके उपयोग की दक्षता में वृद्धि करना है। विपणन-माध्यमों ने समाधन-उपयोग की दक्षता को तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्तन-गति को त्वरित कर बढ़ाया जा सकता है। इस सदर्न में हमें इम बात की जाँच करनी होगी कि क्या देशी विपणन-व्यवस्था आर्थिक रूप में अद्यता है और उसकी दक्षता को बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही, हमें प्रौद्योगिकीय परिवर्तन-निरोधी तथा समाधन-उपयोग की दक्षता को कम करने वाले कारकों का भी निर्धारण करना है।

(३) विपणन-प्रणाली का एक मन्य लक्ष्य समाधनों के जुटाव को बढ़ावा देना तथा उनका उत्पादक-उद्देश्यों के लिए उपयोग करना है। विपणन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें निम्न ग्राम की रोजगार के काफी अवसर प्रदान किए जा सके ताकि विकास के लाभ अधिक व्यापक रूप में वितरित किये जा सकें। इस सदर्न में वर्तमान छोटे पैमाने के विपणन-माध्यमों के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि वे उन सेवाओं के, जिनकी मांग है, निर्माण हेतु श्रम की बहुत बड़ी मात्रा का उपयोग करने के लिए काफी अवसर प्रदान करते हैं। परिष्करण-व्यापार की दशा में यह विशेषकर मही है। दूसरी ओर वडे पैमाने के आधुनिक प्रक्रम-श्रम की अपेक्षा पूँजी की बहुत मात्राओं का उपयोग करते हैं और इस प्रकार के अवसर प्रदान नहीं करते। उनमें अनेक छोटे पैमाने पर काम करने वाले देशी उद्यमकर्ताओं की वडे उद्यमकर्ताओं तथा अफसरों द्वारा प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति भी होती है जिससे उद्यमकर्ता-योग्यता का हास होता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान विपणन-व्यवस्था में लघु उद्यमकर्ता अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों के बचतों को भी जुटा सकते हैं। वर्तमान व्यवस्था के छोटे पैमाने के उद्यम का वडे पैमाने अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रचालन द्वारा प्रतिस्थापन का परिणाम यह होगा कि ये बचत-समाध्यताएँ समाप्त हो जाएँगी। परिश्रम से कमाई गई वचतों पर प्रतिफल की ऊँची दरें प्राप्त होनी चाहिए। परन्तु यह सब कुछ निजी क्षेत्र की फर्मों के कार्य करने की दक्षता तथा प्रतियोगिता की कोटि व मात्रा व निर्भर करता है।

६.७ वाजार-समाकलन तथा वर्तमान वितरण माध्यमों की अपूर्णताएँ—

विपणन-व्यवस्था दक्ष कहलाती है यदि कृषि-पर्यों के बाजारों में निकट का परस्पर सम्बन्ध ही अर्थात् यदि एक मण्डी में कीमत-सरकना अन्य मण्डियों में कीमतों से सम्बन्धित है। (दो मण्डियों में कीमत उत्तार-चढ़ाव के बीच इस परस्पर सम्बन्ध को ही बाजार समाकलन (मार्केट इन्डिप्रेशन) कहते हैं। दो बाजार जिस हृद तक समाकलित है, वह बात उन पर्यों की साप्ताहिक धोक कीमतों के बीच सहसम्बन्ध कोटि द्वारा व्यक्त की जाती है। कीमत उत्तार-चढ़ाव (सचलनों) में पूर्ण सहसम्बन्ध अर्थात् पूर्ण बाजार समाकलन पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में ही सम्भव है और इसके लिए पूर्ण गतिशीलता पूर्ण ज्ञान तथा पदार्थ की पूर्ण समरूपता अनिवार्य प्रावश्यकताएँ हैं। तो भी बास्तविक स्थिति में ऐसी शर्तें विद्यमान नहीं हैं और बास्तविक काम में माध्यमों में अपूर्णताप्रमाणों के होने की समावना होती है। समस्या का समाधान इन अपूर्णताओं को निरस्त करने तथा ऐसी परिस्थितियों को जन्म देने में निहित है जो वितरण-माध्यमों की दक्षता में वृद्धि कर सके।

विकासशील देशों में ऐसा विश्वास है कि व्यापार एक अनुत्पादक कार्य है और देशीय विपणन-व्यवस्थाएँ शोषी, आमक, आर्थिक रूप में ग्रदक्ष तथा उच्च लाम-सीमाओं में कार्य करने वाली हैं। यह भी दोष लगाया जाता है कि उच्च क्षेत्रीय और भौसभी कीमत-अन्तर व्यापारियों की सट्टेबाजी और समाज-विरोधी कार्यों का फल है तथा जबतक वर्तमान व्यवस्था को नवीन सहकारी या सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, वितरण में दक्षता नहीं लाई जा सकती। उपरोक्त पक्षों में से प्रत्येक में कुछ सचाई हो सकती है परन्तु जैसे पहले कहा जा चुका है वास्तविक सांसारिक स्थिति में कुछ भी दूरं नहीं है। जब हम महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्नों का हल खोज रहे हो तब 'वदनाम करो और फैसी पर लटका दो' की नीति से बचना चाहिए जबकि परिस्थितियों ही इसके लिए बाध्य न कर दे। अच्छा यह होगा कि कुछ मानक आर्थिक निकायों (कसौटियों) के प्रकाश में वर्तमान विपणन-प्रणालियों के निष्पादन तथा कार्य का अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाए और इसके बाद ही व्यवस्था की दक्षता में बढ़ि हेतु आद्वित सरचनात्मक तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों का प्रस्ताव किया जाए।

प्रविक्षित देशों में बाजारों के निष्पादन का अध्ययन करने के लिए निम्न आर्थिक निकाय (कसौटियों) का प्रयोग किया जा सकता है।

(क) कीमतों में उच्च महसूसन्ध गुणांक सामग्र्यतः: इस बात का परिचायक है कि कूपि-बाजार काफी प्रतियोगी है और एक मण्डी में कीमतों में उत्तर-चढ़ाव अन्य मण्डियों में कीमतों द्वारा प्रभावित होता है।

(ख) विपणन-प्रणाली की दक्षता की दूसरी आर्थिक कसौटी यह है कि किसी विशेष समय पर प्रथम तथा सीमात मण्डियों (प्राइमरी एण्ड टर्मिनल मार्केट्स) में थोक कीमतों में अतर-परिवहन-लागतों से अधिक की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। इस प्रविधि में हमें समता कीमत (पेरिटी प्राइस) का परिकलन करना होता है जो सीमात मण्डी की कीमत में से परिवहन-लागतें तथा सम्हाल-(प्रवर्ध) प्रभार घटाने से प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ करनाल तथा बम्बई के बीच गेहूं की समता-कीमत

=बम्बई में १ किवटल गेहूं की थोक कीमत—करनाल में प्रबन्ध, सिलाई व अन्य विविध व्यय—करनाल से बम्बई तक प्रति किवटल परिवहन लागत—थेला मूल्य ह्रास—बम्बई में व्यय तथा आढ़त।

यदि सीमात मण्डी में समता कीमत तथा प्रथम मण्डी की कीमत में अन्तर बहुत अधिक हो तो स्पष्ट है कि व्यापारी बहुत अधिक लाभ उठा रहे हैं। तब इस बात का निर्धारण करना आवश्यक होगा कि क्या यह स्थिति व्यापारियों की एकाधिकारी या सट्टे संबंधी क्रियायों के कारण उत्पन्न हुई है या व्यापारियों के नियन्त्रण से बाहर के कारकों का फल है?

पिछले कुछ वर्षों में एशिया, लैटिन अमेरिका तथा अफ्रीका के अनेक देशों में देशीय विपणन-व्यवस्थाओं के क्रियाकलापों तथा सरचनाओं पर काफी अनुसंधान हुआ है। प्रमाणों से रघुष्ट है कि एशिया में लाद्यान्न-बाजार सामान्यतः काफी दक्ष है। प्रथम तथा सीमात बाजारों में कीमतों में सहसम्बन्ध गुणांक काफी ऊँचा है। जिसका अर्थ यह है कि विभिन्न मण्डियों में कीमतें लगभग तुल्य हैं और वस्तुएँ कम कीमत वाली मण्डियों से उच्च कीमत वाली

मडियो में स्वतन्त्रता से पहुँचती है जिसके कारण कीमतें समान हो जाती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि कृषि-बाजार काफी हृद तक प्रतियोगी है और एक बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव अन्य बाजारों में कीमतों द्वारा प्रभावित होता है।

प्रमाणियों से यह भी पता चलता है कि परिवहन-लागतों को निकाल देने के बाद सीमात कीमतों तथा प्रथम कीमतों में औसत अन्तर बहुत अधिक नहीं है और अधिकतर ये प्रथम मण्डियों में थोक कीमत के ४ से ५ प्रतिशत तक होते हैं। परन्तु कई बार, विशेषकर फसल के समय, औकड़ों से उच्च क्षेत्रीय कीमत अन्तरों का आभास मिलता है। किसी भी परिणाम पर पहुँचने से पहले इन अन्तरों के कारणों को जाँच कर लेना जरूरी है। इसी प्रकार अध्ययनों से पता चलता है कि फसलोत्तर कीमत में वृद्धि औसतन मण्डारण-लागतों से अधिक नहीं है।

पिछले घनेक वर्षों से हम फसल के मौसम में खाचान्न के लदान हेतु बैंगनों तथा परिवहन मुविधाओं की कमी की शिकायतें सुनते आ रहे हैं। इससे पर्याप्त के अन्तः बाजार-सचलन पर कुप्रभाव पड़ता है। फसल के समय वस्तुओं को बहुत बड़ी मात्रा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है परन्तु परिवहन-मुविधाओं की अप्राप्यता के कारण प्रथम सप्रह-बाजारों में वस्तुओं के स्टाक का अत्यधिक संचयन हो जाता है और फलस्वरूप कीमतें कृत्रिम रूप से कम हो जाती हैं। जबकि सीमात बाजार में कीमतें ऊँची हो जाती हैं। सक्षेप में हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय अन्तरों के कई कारण होते हैं जैसे परिवहन-व्यवरोध, पदार्थों में वैज्ञानिक और सुलभता का अभाव अपूर्ण ज्ञान अथवा विपणन पर सरकारी प्रतिवर्ध आदि। अतः इस तमस्या का समाधान इस बात में निहित है कि प्रतियोगी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जावें, वेहतर परिवहन-मुविधाएँ तथा अधिक बाजार-जाइन प्रदान किया जाए तथा गतिशीलता की परिस्थितियों में सुधार किया जाए।

मौसमी कीमतों में उदास-चढ़ाव भी परिवर्ती होता है। मौसमी कीमत स्वरूपों में परिवर्तिता इमलिए घटित होती है क्योंकि उत्पादन उच्चावधन के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती और पूर्वानुमान तथा बाजार मूच्चां की व्यवस्थाएँ प्रचली नहीं हैं। मौसमी कीमत-परिवर्तन कई बार सरकारी हस्तक्षेप के कारण भी होते हैं। सरकारी हस्तक्षेप सहृदायी तथा माल अधिसचयन को प्रोत्साहन भी दे सकता है जबकि बास्तव में इसका उद्देश्य कीमतों का स्थिरीकरण होता है।

यदि कीमतों में उच्च क्षेत्रीय तथा मौसमी अन्तर उपरोक्त कारकों के कारण नहीं और व्यापारियों द्वारा खोपण तथा धोखाधड़ी के कारण है तो उन्हे रोकने के लिए नियामक उपाय किए जा सकते हैं। इसका आशिक समाधान यह है कि उत्पादकों द्वारा प्राप्ति हेतु निम्नतम निर्धारित कीमतें (प्लोर प्राइसेंज) तथा उपभोक्ताओं द्वारा अदायगी के लिए उच्चतम निर्धारित कीमतों (सीलिंग प्राइसेज) नियत की जावें।

(ग) विपणन-दक्षता की एक अन्य कसीटी के अनुसार विपणन की लागत तथा प्रथम अथवा सीमात मण्डी में कीमत के साथ इस लागत के अनुपात का मूल्यांकन करना पड़ता है। विपणन-सेवा की एक दृष्ट गुणवत्ता के लिए, जितनी विपणन-लागत कम होगी, उतनी ही विपणन-दक्षता अधिक होगी।

भारतीय स्थाय नियम की वापिक रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि उसके द्वारा कुल अध्ययन का

१० से १३ प्रतिशत विपणन-सेवाओं पर खर्च होता है और त्रय कीमत विक्री कीमत का ८७ से ६० प्रतिशत है। १९७०-७१ में बिक्री लागत ८७.३३ प्रतिशत थी और शेष १२.६७ प्रतिशत भाड़े पिसाई और सम्हाल, वेतन, मजदूरी तथा भत्ते, कर्मचारी कल्याण, ब्याज, बीमा, किराए, गाड़ी के अनुरक्षण आदि पर खर्च किया गया। योक्ता व्यापारियों, विचौलियों, फुटकर विक्रेताओं तथा उचित कीमत की दुकानों के दुकानदारों का लाभ इससे अतिरिक्त है।

विचौलियों समेत व्यापारियों के प्रतिफल को ज्ञात करने के लिए विपणन-लाभ (मार्केटिंग मार्जिन्स) का परिकलन करना पड़ेगा और तब उसमें से विपणन-लागत घटाई जा सकती है। विपणन-लाभ कृपक द्वारा प्राप्त कीमत तथा फुटकर कीमत में अन्तर को कटूते हैं।

विपणन-लाभ=फुटकर कीमत—कृपक द्वारा प्राप्त कीमत। अतः विपणन लाभ वह प्रभार या चार्ज है जिसे विपणन फर्म उत्पाद के सञ्चालन, परिवहन, त्रय-विक्रय तथा वितरण की सेवाओं के बदले प्राप्त करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विपणन-लाभ उपभोक्ता-कीमत तथा फार्म-कीमत में प्रतिशतता का अन्तर है। देखा गया है कि निम्न याय देवों में विपणन लाभ अपेक्षाकृत कम होते हैं। निम्न विपणन-लाभों का अर्थ यह नहीं है कि वहाँ की विपणन-व्यवस्थाएँ दक्ष तथा प्रतियोगी हैं। वे इसलिए निम्न हैं क्योंकि उन देशों में उपलब्ध विपणन सेवाएँ घटिया तथा थोड़ी हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कई वस्तुओं की स्थिति में व्यापारियों के निवल प्रतिफल कुल विक्रय मूल्य के बेल ३ से ४ प्रतिशत तक थे। निवल प्रतिफल ज्ञात करने के लिए कुल प्रतिफल में से व्याज तथा प्रतिष्ठान व्यय निकाल देने होंगे।

विभिन्न विपणन-प्रणालियों के सायेक्षण निष्पादन के मूल्यांकन से पता चलता है कि वितरण-लागतें निर्बाध बाजार व्यवस्था (निजी विपणन व्यवस्था) के अन्तर्गत लगभग सदा कम होने की ओर प्रवृत्त होती है। भारत में कूपि-कीमत-प्रायोग की रिपोर्टों में पता चलता है कि अनाज की सरकारी खरीद भी बाजार-लाभों को कम करने में असफल रही है। सार्वजनिक (सरकारी) वितरण-व्यवस्था की लागत जैवैं के लिए ३० रुपये प्रति विवरण तथा चावल के लिए ३० से ४० रुपये प्रति विवरण है जबकि व्यापारी का लाभ केवल १५ रुपये प्रति विवरण है। यदि मारतीय खाद्य निगम के कार्य को इस प्रकार से न चलाया गया जिससे यह प्रभार १५ रुपये प्रति विवरण हो जावे तो सार्वजनिक वितरण-व्यवस्था के कारण करदाता पर बहुत भारी बोझ पड़ेगा और अर्थव्यवस्था पर और अधिक स्फीति दबाव पड़ेगा। यहाँ यह अद्यत रहे कि रेल विभाग निगम द्वारा भेजे गए खाद्यांशों की दूताई में मारी रियायत देता है और निजी क्षेत्र के व्यापारियों की अपेक्षा कम किराया चार्ज करता है। परोक्ष रूप से यह रियायत करदाता पर बोझ है।

सरकारी विपणन-एजेसियों की स्थिति में लागतों के ऊँचा होने के अनेक कारण हैं। इन्हे कामकाज के लिए स्थायी वेतन पाने वाले कर्मचारियों की एक बहुत छड़ी सरल्या को बनाए रखना पड़ता है जिससे प्रबन्ध लागते करकी अधिक हो जाती हैं। सरकारी व्यवस्था में निजी व्यापार की अपेक्षा भण्डारण तथा परिवहन में वस्तुओं की सम्हाल व प्रबन्ध कम सावधानी से किया जाता है जिससे काफी गुणात्मक व मात्रात्मक हानियाँ होती हैं। वर्षा कहतु में कई बार निगम द्वारा खरीदा गया अनाज मिडियो, जहाजों तथा बन्दरगाहों की

गोदियों में ही भीग कर खारब हो जाता है। सरकारी क्षेत्र की विपणन तथा परिकरण-सेवाएँ प्रायः पूँजी प्रधान होती हैं और अधिकतर अल्प-उपभुक्त (अंडर यूटीलाईज़) रहती हैं जिनके कारण सचलन लागतें अधिक हो जाती हैं।

विकसित देशों में जहाँ श्रम दुर्लभ है, श्रम की लागत कुल विपणन-वित का सबसे बड़ा भाग है। अमरीका में श्रम की लागतें कुल विपणन-वित का लगभग ४५ प्रतिशत होती हैं। अमरीका में नाश्ते में कृपक के नाम से यह पता चल सकता है कि विकसित देशों में विपणन-लागतें कितनी हैं और कौन-न्सी सेवाएँ वहाँ प्राप्त हैं। सारणी ६.६ इस सम्बन्ध में एक अच्छा दृष्टान्त है।

सारणी ६.६ अमरीका में वरित मदी में विपणन लाभ (१६६८)

पस्तु तथा मात्रा	फुटकर कीमत	कृपक द्वाया प्राप्ति	विपणन लाभ या नाश्त
दूध (३ गैलन)	५३.७ सैंट्रस	२६.६ सैंट्रस	२७.१ सैंट्रस
कानेपेलेक (बवस)	३१.२ "	२.४ "	२८.८ "
हिमीकृत संगतरा रस (डिब्बा)	२१.१ "	६.० "	१२.१ "
अडे (१ दर्जन)	५२.६ "	३२.५ "	२०.५ "
डब्ल रोटी (१)	२२.४ "	३.१ "	१९.३ "

घोट . फैन्ड बुक बॉक यू. एम. एयोकल्चर यू. एम. डी. ए. बर्वैल, १६७०

६.८ विपणन में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन की आवश्यकता तथा सार्वजनिक नीति संबंधी सुझाव

हम देख चुके हैं कि वर्तमान विपणन-व्यवस्था अधिकांश काफी दक्ष है परन्तु इसमें कई कमियाँ हैं। विपणन-व्यवस्था में सुधार करने तथा इसको दक्षता में बढ़िया करने को विशाल सम्मावनाएँ हैं। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि कृपक को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिल सके। व्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने के प्रयास भी किए जाने चाहिये ताकि लागतों को कम किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए विपणन-व्यवस्था में द्रुत प्रौद्योगिकीय (तकनीकमूलक) परिवर्तन लाने होंगे। इस प्रकार के परिवर्तन की गति को तेज करने के लिए सुझाव देने से पहले हमें इसके अवयोगिक कारणों को जान लेना चाहिए।

तकनीक मूलक परिवर्तन की मन्द गति का प्रथम कारण यह है कि बर्तमान विपणन-व्यवस्था छोटे पैमाने के कार्यों तक ही सीमित है और अनुमधान-कार्यों को बढ़ावा नहीं देती। न ही इसके पास पर्याप्त संसाधन अवैद्या उच्चार-सुविधाएँ हैं जो कि प्रौद्योगिकीय व्यापान्तरण के लिए बहुत आवश्यक हैं। तकनीकी परिवर्तन की धीमी गति का एक अन्य कारण सुनिश्चित तथा मुत्रसामित लरकारी नीतियों का अभाव है। इससे घबराहट तथा अनिश्चितता उत्पन्न होती है और छोटे पैमाने पर काम करने वाले अनाज-परिष्कर्ता तथा विपणन-अभिकर्ता (एजेन्ट) अपने व्यापार में पूँजी लगाने से हिचकिचाते व डरते हैं। इसके मतिरिक्त विकासशील देशों में विपणन पर अनेक प्रतिबंध व सम्बन्ध होते हैं जिनका व्यवस्था

को दक्षता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

हम देख चुके हैं कि बर्तमान विपणन-माध्यम श्रम एवं उद्यमकर्ता-योग्यता के उपयोग तथा पर्याप्त बचत सभाव्यताओं के जुटाव के लिए काफ़ी ग्रवसर प्रदान करते हैं। बड़े पैमाने के पूँजी प्रयोजी (कैपिटल यूनियन) आधुनिक प्रक्रमों द्वारा उनका पूर्ण प्रतिस्थापन उन देशों में घाँटित नहीं है जहाँ श्रम की पूर्ति बहुल है और पूँजी-संसाधन दुर्लभ हैं। हमें विपणन-नीति का निर्वारण करते समय बर्तमान प्रणाली की दक्षता तथा इसके लाभों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। साथ ही, हमें अपनी विपणन-व्यवस्था को अधिक उपयोगी, अधिक दक्ष तथा अधिक गतिशील बनाने के लिए सतत प्रयास करने होंगे।

सरकार अभिनव कृषि-प्रस्फोट की चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए व्यवसाय की सहायता कर इस दिशा में सकारात्मक तथा लोभदायक योग दे सकती है। उन क्षेत्रों में जिनमें बर्तमान माध्यम उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहे हैं, सरकारी एजेंसियां स्वयं सक्रिय भाग लेकर इस दिशा में प्रयासों की अनुपूर्ति कर सकती हैं। सरकार अपनी नीतियों द्वारा अधिक प्रतियोगिता को बढ़ावा दे सकती है और लोगों को विपणन-व्यवसाय अपनाने में प्रोत्साहन दे सकती है। ऐसा जिनों विपणन-केन्द्रों के प्रचालन पर लगे हुए प्रतिवन्धों तथा संघरणों को छूर करके किया जा सकता है। वे सुविधाएँ जो बड़े पैमाने पर ही प्रदान की जा सकती हैं, व्यापारियों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सरकार उत्पादकों तथा व्यापारियों को उचित दामों पर पर्याप्त परिवहन तथा भण्डारण-नुविधाएँ प्रदान करके उनकी सहायता कर सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण होना चाहिए तथा सचार-साधनों में सुधार किया जाना चाहिए। इनके विकास के लिए डोस निवेशों की ज़रूरत होती है जो केवल सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा ही लगाए जा सकते हैं।

इनके अतिरिक्त सरकार को कुछ नियामक उपाय करने होंगे। इन उपायों में मटियों, बाजार-अहातों, लेन-देन की रीतियों तथा तोल व माप आदि का नियन्त्रण तथा नियमन सम्मिलित है। उदाहरणार्थं भारत में मटियों तथा मटी अहातों का नियमन कृषि-उपज मटी-नियम के अधीन होता है। देश में लगभग ३६०० प्रमुख मटियाँ हैं जिनमें से नियमित मटियों तथा मटी अहातों की संख्या लगभग २००० है। यह बड़ा आवश्यक है कि मटी-समितियों को विपणन-नुविधाओं में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। इस उद्देश्य हेतु मटियों में काम कर रहे देंको से धन प्राप्त किया जा सकता है। भारत में विपणन एवं नियोक्ता निवेशालय मंडारण-कठिनाइयों, परिवहन-व्यवरोध तथा चरमकाल भरमार जैसी विशिष्ट समस्याओं का समाधान करता है। इसके अतिरिक्त कृषि उपज के श्रेणीकरण तथा मानकीकरण का प्रोत्साहन, मटी-अनुसंधान तथा सर्वेक्षण का नियमन, कर्मचारियों का कृषि विपणन में प्रशिक्षण, मटी-विस्तार, फल पदार्थ आड़ेर १६५५ तथा शीत संग्रहागार आड़ेर १६६४ का प्रशासन भी इसी निवेशालय की ज़िम्मेदारी है।

सार्वजनिक अभिकरणों को उत्पादकों, व्यापारियों तथा उपमोक्ताश्रों के लिए जानकारी तथा सूचना प्रसार केन्द्रों के हृप में कार्य करना चाहिए। बाजार सूचना प्रोशाम में सुधार की आवश्यकता है। यह काम बाजार विस्तार विभाग द्वारा किया जा सकता है। सरकार द्वारा दी गई विपणन ज्ञानकारी विश्वसनीय तथा यथार्थ होनी चाहिए। इसमें सदेह नहीं

कि भारतीय व्यापारी समाजी और तांडों तथा विक्रेताओं के पास पोस्ट कार्डों, कीमत-प्रपत्रों तारो, टेलीफोनों तथा सदेशवाहकों के भाग्यम से, सूचना बड़ी शीघ्रता तथा दक्षता से भेजते हैं, इसके बावजूद सूचना-माध्यम अवर्याप्त हैं और भावी फसल तथा राष्ट्रीय बाजार में भवार स्टाक के आकलन हेतु उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। यथार्थ फसल सूचना-पद्धति तथा विपणन-ग्रावश्यकताओं का व्यापक अध्ययन वास्तविक ग्रल्प अवधि तथा दीर्घावधि ग्रायोजन के लिए जरूरी हैं।

प्रौद्योगिकीय रूपातरण ग्रनुसधान पर आधारित होता है और इसे सर्वोच्च प्रायमिकता दी जानी चाहिए। विपणन-व्यवस्था के आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक उपस्कर तथा ग्रन्थ निविट्टियाँ उपभोक्ताओं को आसान शर्तों पर सरकार द्वारा सप्लाई की जानी चाहिए। पर्याप्त उधार को सप्लाई विपणन-माध्यमों में तकनीक मूलक परिवर्तन को तेज करेगी तथा व्यवस्था को अधिक प्रतियोगी तथा दक्ष बनाएगी।

६६ उन्नत विपणन, उत्पादन-संभावनाएँ तथा सरकारी हस्तक्षेप

परिवहन, भंडारण तथा परिष्करण आदि की अपूर्णताओं तथा ग्रदक्षताओं को कम करने या दूर करने के लिए विपणन-व्यवस्था का सुधार जरूरी है। इसमें कृषक के उत्पादन के मूल्य में बढ़ि देनी है। दक्ष विपणन उत्पादन का पूर्ण उपयोग करता है और अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। विपणन-मुद्धारों से विपणन-लागतें कम की जा सकती हैं जिससे उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुँचेगा। उत्पादकों को अपनी उपज का पूरा मूल्य प्राप्त होगा और अधिक उपज उपजाने की प्रेरणा मिलेगी। उपभोक्ताओं को कम कीमतों पर बस्तुएँ प्राप्त होगी और अधिक सन्तुष्टि मिलेगी। संक्षेप में उन्नत विपणन-रीतियाँ कृषि-विकास में महत्वपूर्ण योग देती हैं।

विपणन-मुद्धारों के लाभ उत्पादकों को ऊँची कीमतों के रूप में मिलते हैं और इस प्राप्ति की सीमा अधिकांश विपणन-एजेंसियों की सरचना पर निर्भर करती है। यदि निजी व्यापार कूपों का शोषण करेंगे तथा उनको उन्नत विपणन से प्राप्त होने वाले लाभों से बचित रहेंगे तो राज्य को हस्तक्षेप करने तथा विपणन-व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। निम्न आय वाले देशों में छोटे उत्पादकों को उनकी लघु उपज का भी पूरा मूल्य नहीं मिलता। यही कारण है कि निजी विपणन के स्थान पर सहकारी या सरकारी विपणन द्वारा प्रतिस्थापन का अधिक समर्थन किया जाता है।

निजी व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप के अनेक कारण हो सकते हैं। यद्यपि सामान्य वयों में निजी क्षेत्र के व्यापारी अपेक्षाकृत दक्षता से कार्य करते हैं परन्तु अन्न-भ्राव के समयों में निर्बाध बाजारों में बाजार-अधिशेष की ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय केन्द्रों की ओर निकास की प्रवृत्ति होती है अर्थात् अन्न की निम्न क्रय शक्ति क्षेत्रों से उच्च क्रय शक्ति क्षेत्रों में ले जाया जाता है जिसके कारण अन्न-सभरण के वितरण में काफ़ी असमता उत्पन्न हो जाती है। सरकारी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति में तथा निर्बाध विपणन के कारण अन्नाव के समय में नगरीय केन्द्रों में भ्राव की कीमतें चढ़ जाती हैं जिसका प्रौद्योगिक मजदूरी पर भी प्रभाव पड़ता है। भ्राव की बहुतायत के समय, कीमतें काफ़ी गिर जाती हैं और यह बात कूपक

को फसन उगाने के लिए प्रयुक्तताहित करती है। अतः कृषि-विपणन में भरकारी हन्तज्ञेश का कीमत-स्थिरोकरण तथा प्रबन्धितरण नीतियों के नाय निकट हृष्ट से संबंध है।

६.१० सहकारी विपणन

प्राचः यह नुस्खाव दिया जाता है कि सहकारी विपणन-समितियाँ कृषकों को व्यापारियों के गोपण से बचा सकती हैं और विचौलियों के लाभ को समाप्त कर तथा विपणन-लागतों को कम करके घरपने वदस्थों को भवोत्तम कीमत दिला सकती हैं। इससे दक्षता एवं सामाजिक न्याय में वृद्धि होगी। सहकारी समितियाँ इन उद्देश्यों को भलीभांति पूरा कर सकती हैं, यदि उन पर निहित स्वार्थ बाले तत्त्वों का प्रमुख न हो तथा उनका प्रबन्ध अद्यत तथा अप्स्ट व्यक्तियों के हाथों न हो। सहकारी समितियों के प्रबन्धन में पाई जाने वाली चिन्ताजनक प्रवृत्तियों का बहुत हृष्ट विद्धन अव्याय में कर चुके हैं। सहकारी समितियाँ इन अव-रोधों पर नियंत्रण कर के ही दश सेवाएँ प्रदान कर सकती हैं।

भारत में सहकारी विपणन-अधिकारी, की सरचना इन प्रकार से है:—

- (i) मंडो स्तर पर लगभग ३२०० प्रायमिक विपणन-समितियाँ हैं जिनमें ५०० विशिष्ट दम्पत्तियाँ भी नमिनित हैं।
- (ii) विवा स्तर पर १७३ केन्द्रीय विपणन-समितियाँ कार्य कर रही हैं। इनमें से १५ समितियाँ विशिष्ट पद्धों के हैं।
- (iii) राज्य स्तर पर २० विवर विपणन-समितियाँ तथा ३ पर्यावरण-विपणन-महासभ (ऐडेरेजन) हैं।
- (iv) अन्तिम नारतीय स्तर पर एक राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेशनल एक्सिक्यूटिव लोगों ऐडेरेजन) है।

सहकारी विपणन एवं परिष्करण समितियों द्वारा १६६०-६१ में १७६ करोड़ रुपये की बल्लुओं की सम्हाल की गई जबकि अब इनके द्वारा हर दर्दे ८४४ करोड़ ८० से भी अधिक मूल्य की बल्लुओं का प्रबन्ध किया जाता है। ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में सहकारी समितियों द्वारा इए गए फूटकर उपभोक्ता-व्यापार का १६६०-६१ में अनुमान ५७ करोड़ रुपये था जो अब बढ़कर ६०० करोड़ रुपये के लगभग हो गया है। १६७२-७३ के अंत में कृषि-परिष्करण-एककों की संख्या १७६० हो गई। सहकारी क्षेत्र में अनुमति प्राप्त चौंनी मिलों की संख्या १३४ हो गई है।

विनियन कृषि पदार्थों के सहकारी परिष्करण के विकास के लिए अनेक पद उठाए गए हैं। सहकारी क्षेत्र में खाड़ के कारखानों (मिलों) की स्थापना वी दशा में काङ्गी सफलता प्राप्त हुई है। सहकारी समितियाँ शेखावती तथा एकत्रीकरण की पद्धतियों को उत्तरोत्तर अपना रखी हैं।

अनुमान है कि सहकारी समितियाँ १६७३-७४ में ८० लाख टन खाद्याल, ३६० लाख टन गेहू, ६ लाख टन मूँगफली, १० हजार टन छल-सब्जी, तथा कपान की १८ लाख गांठों को सम्हाल करेंगी। वर्तमान विपणन-संचयन, विशेषकर प्रायमिक स्तर की समितियों को मुद्रित करने हेतु भरतक शब्दल करने की मार्गदर्शकता है।

विपरण-दक्षता के सदर्भ में विपरण-सहकारिताओं का निष्पादन कुछ संतोषजनक नहीं रहा। न ही वे बाजार-लाभों को कम कर सकी हैं और न ही निवाहमात्री कृपकों के थोड़े अधिशेषों के काफी परिमाणों का विपरण कर सकी हैं। खाद्य फसलों की स्थिति में यह विलुप्त स्थिति है। परन्तु सहकारिताओं के कार्य को बास्तव में फ़सल-उत्पादन में बढ़ि तथा सामाजिक परिवर्तन व न्याय के सदर्भ में आंकना चाहिए।

१९७३ में गेहूं के थोक व्यापार के सरकारी अधिग्रहण के सदर्भ में सहकारी संस्थाएँ प्रमुख बमूली एजेंसी के रूप में उभरी हैं। कुल ४४ लाख टन गेहूं की बमूली में सहकारिताओं ने २७.५ लाख टन गेहूं की बमूली की है जो कुल का ६२.५ प्रतिशत है। सहकारिताओं के विकास हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अनेक वर्षों से प्रयास कर रहा है। यह निगम देश के विभिन्न भागों में सहकारी संस्थाओं की गतिविधियों का समन्वय भी करता है।

६.११ सार्वजनिक विपरण-कार्यक्रम तथा सार्वजनिक वितरण-व्यवस्था

सरकारी कृषि-विपरण-कार्यक्रमों में श्रेणीकरण व निरीक्षण, बाजार-नियमन व नियंत्रण, कीमत-समर्थन हेतु खरीद, कानूनी कन्ट्रोल तथा कुछ सरकारी एकाधिकार सम्मिलित हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण कृषि-पर्यायों से सम्बन्धित विपरण-व्यवस्था इस प्रकार से रही है :

(क) खाद्यान्न—पिछले कुछ वर्षों में सरकार खाद्यान्नों को खुले बाजार में निजी व्यापार की स्थिति में खरीदती रही है और उनका वितरण करती रही है। इस नीति के प्रत्यु-सार सरकार समर्थित (सोट) अधिकार समाहार (प्रोक्यौरमेट) कीमतों पर कृपकों से अनाज खरीदती है और सार्वजनिक वितरण भाव्यमो द्वारा बिक्री के लिए स्टाक इकट्ठा करती है। पिछले कुछ वर्षों में समाहरण (प्रोक्यौरमेट) की अनेक विधियाँ प्रपनाई गई हैं जैसे (१) अनाज मटियों में नीलामी या बोली द्वारा खरीद कर (२) एकाधिकार समाहरण द्वारा (३) उत्पादकों पर वर्गित लेवी (उगाही) तथा मिल मालिकों व व्यापारियों पर लेवी से तथा (४) खुले बाजार में पूर्वक्रम अधिकार द्वारा आदि। अधिकार देशों में कीमत समर्थन हेतु खरीद की जाती रही है। इस प्रकार से समाहित तथा आयातित खाद्य पदार्थों का वितरण १,६६,००० उचित कीमत की दुकानों या राशन डिपुथी द्वारा किया जाता है। ये दुकानें निजी व्यापारियों द्वारा चलाई जाती हैं परन्तु उन्हे सरकार से स्वीकृति तथा लाइसेंस प्राप्त करना होता है और उन्हे सरकारी अनाज को नियत कीमतों पर बेचना पड़ता है। खाद्यान्न के सम्पर्ण आयात का रख-रखाव व प्रबल्द भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। वहे नगरों में जेहूं तथा चावल का राशन है। अच्छे चावल की थोड़ी-सी भाती तथा गेहूं-बीजों को ढोड़कर खाद्यान्न के नियंत्रित पर सामान्य निवेद है। पिछले वर्षों में गेहूं व चावल का सार्वजनिक वितरण सारणी ६.७ में दिखाया गया है।

१९७३ की रवी फसल से भारत ने गेहूं का थोक व्यापार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। समाहरण (बमूली) कार्यक्रम तथा सरकार द्वारा थोक व्यापार की प्रगति का विश्लेषण परिच्छेद ६.१२ तथा ६.१३ में किया जाएगा। सरकारी खाद्य नीति का अध्ययन

सारणी ६.७ खाद्यान्न का सावंजनिक वितरण

(००० टन में)

फसल	बाबे	आरम्भिक स्टॉक	समाहरण बमूली	आगत	विक्री	शेष स्टॉक
गेहूँ	१६६८-६८	७६०	२३७३	४७६६	५७५५	२१२६
	१६६८-७०	२१२६	२४१७	३०६०	५१६५	२३२६
	१६७०-७१	२३२८	३१८३	३४२५	५३४७	३१२७
	१६७१-७२	३१२७	५०८३	१८१४	४४४०	५०३३
चावल	१६६८-६८	६४७	३३७३	४४६	३२०६	१२५५
	१६६८-७०	१२५५	३७०६	४८७	३४४४	१६६६
	१६७०-७१	१६६६	३०७२	२०६	३०६४	१८३५
	१६७१-७२	१८३५	३५०७	२४१	३१३६	२३०६

स्रोत कूपि कीमत आयोग, भारत सरकार (१९७२)

दसवें अध्याय में भी किया गया है। १६७३-७४ में गेहूँ के थोक व्यापार के सरकारी कार्य-क्रम के असफल हो जाने के बाद व्यापार पुनः व्यापारियों के हाथ में आगया है। यद्यपि पजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में व्यापारियों को अपने द्वारा खरीदे गए गेहूँ का ५० प्रतिशत माग १०५ रुपये प्रति किलोल पर सरकार को अनिवार्य रूप में देना पड़ेगा।

(ख) चीनी—सरकार चीनी के लिए आशिक विनियन्त्रण (पासियल डीकन्ट्रोल) की नीति अपना रही है। इस नीति के अन्तर्गत, सरकार चीनी उद्योग को कुल उत्पादन के ३० प्रतिशत को खुले बाजार में बेचने की जाना देती है। शेष ७० प्रतिशत चीनी पर सरकार का कीमत तथा वितरण-नियन्त्रण है। देश में चीनी का कुल वार्षिक उत्पादन ३५ लाख टन से ४५ लाख टन के बीच में है। चीनी का नियंत्रित राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है। सरकार नियंत्रित हेतु आधिक सहायता या स्थियायत देती है। सरकार निबंधि विक्रय हेतु चीनी पर विशेष उत्पादन-कर लगाती है जो आजकल ७० रुपये प्रति किलोल है। यही कारण है कि खुले बाजार में चीनी काफी मँहगी है। यह विचित्र बात है कि कुल उत्पादन का ३० प्रतिशत चीनी ही खुले बाजार में बिकती है परन्तु वह मुँहमांगी मात्रा में उपलब्ध है। सावंजनिक वितरण के लिए ७० प्रतिशत चीनी मिलों से ली जाती है परन्तु वह चीनी डिपुश्नों पर भी नियमित रूप में सुलभ नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी बुरा हाल है, जहाँ कई स्थानों पर ४०० ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास का ही राशन है। सावंजनिक वितरण प्रणाली को सफल बनाने के लिए काफी कुछ करना पड़ेगा। इसमें सुधार करने की निरांत आवश्यकता है। यह भी देखना जरूरी है कि मिल मालिक कहीं कुल उत्पादन के ३० प्रतिशत से अधिक माग को खुले बाजार में न बेच रहे हों। रोगी मिलों की सभाल भी होनी

चाहिए ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। सरकार गम्भीर की खरीद के लिए न्यूनतम कानूनी कीमत भी नियत करती है।

(ग) बनस्पति—बनस्पति की कीमत सरकार द्वारा सेवीय आधार पर नियत की जाती है। ये कीमतें बनस्पति तेलों की बाजारी कीमतों द्वारा निर्धारित होती हैं। पिछले दिनों कुछ मिलें बनस्पति की बजाए काफी मात्रा में शोधित तेल तंयार करके बेचती रही हैं। मूँग-फली के तेल के अभाव के कारण बनस्पति का उत्पादन भी कम हुआ है। १९७३ में बनस्पति के मूल्यों को बार-बार बढ़ाना पड़ा है और बनस्पति की काफी किलत मनुभव की गई है।

(घ) कपास—पिछले कुछ वर्षों तक सरकार सीवे मिलों को आयात लाइमेंस देती रही है और इस प्रकार कपास-आयात का नियमन करती रही है। अब सरकार ने कपास के आयात तथा धरेलू कपास की खरीद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय कपास निगम लिमिटेड की स्थापना की है जो इस सारे काम की देख-रेख करेगी।

(इ) पटसन—सरकार कच्चे पटसन के लिए न्यूनतम समर्थित कीमतें निर्धारित करती है। राज्य व्यापार निगम कीमत समर्थन-सक्रियाओं तथा उत्पादकों से कच्चे पटसन के क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है।

(च) कानू—कच्चे कानू के आयात का रख-रखाव व प्रवर्त्त राज्य व्यापार निगम द्वारा नियन्त्रित भारतीय कानू निगम द्वारा किया जाता है।

(छ) तम्बाकू—फूल व्योरेड वर्जिनिया तम्बाकू के लिए न्यूनतम नियत कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

६.१२ अनाज समाहरण तथा अनाज का सरकारी थोक व्यापार

कृषि-विपणन में सरकारी हस्तक्षेप का मुख्य ध्येय कीमतों में स्थिरता लाना है जिससे जहाँ एक और कृपको को अपनी उपज का आकर्षक मूल्य प्राप्त होया वहाँ दूसरी और उपभोक्ताओं को वर्ष भर उचित दर पर सुगमतापूर्वक अनाज निलंता रहेगा। इसके अतिरिक्त सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने पास अनाज का काफी मदार सुरक्षित रखे ताकि उसे विपत्ति या अनाज-अभाव के समय कमज़ोर वर्ग के सोमों को उचित समय पर सुलभ कराया जा सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसे सरकारी विपणन-अभिकरणों की स्थापना करनी पड़ेगी जो समाहरण-सक्रियाओं (प्रोड्यूरेमेंट ऑपरेशन्स) द्वारा क्रियमाण तथा सुरक्षित मदारों का निर्माण करेंगे। अतः खाद्यान्नों के वितरण की समुचित व्यवस्था करने के लिए अनाज का बड़ी मात्रा में समाहरण अनिवार्य है। क्या सरकारी विपणन-अभिकरण इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं? क्या वे नियंत्रित विपणन-व्यवस्था की प्रतिस्पर्धा में इस दायित्व को पूरा कर सकते हैं?

जब फसल अच्छी होती है और सरकार समाहूत कीमतों पर अनाज खरीदती है, तो मदार बनाने में सरकारी एजेंसियों को कोई विशेष कठिनाई नहीं होती परन्तु अनाज-अभाव के समय निर्धारित बाजार की अवस्था में अनाज की कीमतें काफी बढ़ जाती हैं। निर्धारित बाजार की कीमतें सरकार द्वारा नियत कीमतों से काफी अधिक हो जाती हैं और सरकारी एजेंसियों

द्वारा नियत कीमतों पर पर्याप्त समाहरण करना काफी कठिन हो जाता है। अधिकतर सरकारी एजेंसियाँ प्रशासनिक संरचना के अभाव में बाजार में लाए हुए अधिशेष के बड़े भाग को न्यून नियत कीमतों पर सरीदाने में असमर्थ रहती हैं। प्रायः सरकारी अनाज निगमों को अभाव के समयों में वितरण हेतु धनाज की आयातित सप्लाई पर ही आधित रहना पड़ता है। उदाहरणार्थ १९७०-७१ में खरीफ के ४ करोड़ २२ लाख टन चावल के उत्पादन में से भारतीय खाद्य निगम द्वारा ३२ लाख टन समाहृत किया गया। १९७१-७२ में खरीफ में समाहरण की मात्रा ३१ लाख टन थी जबकि १९७२-७३ में, जो भूखे का वर्ष था, भारतीय खाद्य निगम केवल २२ लाख टन चावल ही की वसूली कर सका जबकि लक्ष्य ४६ लाख टन का था। कहने का अभिशाय यह है कि खाद्य-अभाव के समय में सरकारी भूस्थाएँ निर्वाच बाजार में समाहरण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकती। यदि सार्वजनिक वितरण-व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सूक्ताप्रस्त वर्ष में कमजोर वर्गों की कठिनाइयों को कम करना है और उन्हे उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में अनाज सुलभ करना है तो प्रशासनिक ढांचे में सुधार के खाते साथ सरकार को वे सभी उपाय करने होंगे जिनसे वह पर्याप्त मात्रा में अनाज का समाहरण कर सके। केवल 'समाहरण' (वसूली) ही काफी नहीं है, वितरण-व्यवस्था को भी सुट्ट करना चाहिए है। सार्वजनिक वितरण-व्यवस्था ठोस आधारिक संरचना पर लड़ी की जानी चाहिये और इस दिशा में सुबद्ध हाइटिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इम सब्रध में एक सुझाव यह दिया जा सकता है कि सरकार को अनाज का घोक व्यापार स्वयं अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इससे निजी व्यापार की प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी और सरकार अपनी नीतियों को दक्षतापूर्वक कार्यान्वित कर सकेगी।

६.१३ गेहूं के योक व्यापार का सरकारीकरण

जिस देश में उत्पादन का भारी उतार-चढ़ाव हो और जहाँ खाद्यान्दों के अभाव से बार-बार दो चार होना पड़े, वहाँ अन्न-वितरण को बाजार के अहश्य हाथों में छोड़ना खतरे से खाली नहीं। समाज के कमजोर वर्गों को व्यापारियों के शोपण से बचाने के लिए तथा सार्वजनिक वितरण-व्यवस्था को मुचाह रूप में बदलने के लिए सरकार को बड़ी मात्रा में अनाज डिकटू करना होगा। संभवतः इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने भी १९७३ में गेहूं का घोक व्यापार अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया। परन्तु यह व्यान रहे कि आधारिक संरचना को सुट्ट किए बिना तथा देश वितरण-व्यवस्था के अभाव में सरकार द्वारा एकाधिकार-समाहरण मर्यादित होता है। सरकार इस काम में तभी सफल हो सकती है यदि उसकी योजना ठोस आधार पर निर्मित हो। हम इन्हें पृष्ठों में सरकार द्वारा गेहूं के योक व्यापार को अपने हाथ में लेने से सम्बन्धित कार्यक्रम की प्रगति का विश्लेषण करेंगे।

योजना—गेहूं के योक व्यापार के सरकारी अधिग्रहण का व्येय यह होगा कि सार्वजनिक क्षेत्रक की स्थितिएँ जैसे भारतीय खाद्य निगम, राज्य सेवा समरण विभाग व सहकारिताएँ विकाझ अधिशेष [विक्रेय ग्राहीरू जो धनाज मंडी में लाया जाएगा (मार्केट सरप्लास),] को खारीदेंगी। यह व्यान रखने योग्य है कि योजना के अनुसार इन स्थानों को विक्रम या

विकाऊ ग्रधिशेष (मार्केटेड सरप्लस) खरीदना है, न कि विक्रेय ग्रधिशेष (मार्केटेबल सरप्लस)। सरकारी अनुमान के अनुसार विकाऊ (विक्रय) गेहूं, विक्रेय ग्रधिशेष का लगभग ७० प्रतिशत होगा। इस प्रकार विक्रेय ग्रधिशेष का शेष ३० प्रतिशत भाग लाइसेंसधारी फुटकर विक्रेताओं तथा स्वयं उत्पादकों द्वारा बेचा जा सकेगा। क्योंकि निजी व्यापारियों द्वारा गेहूं का थोक व्यापार करना निपिद्ध होगा, इसलिए यह आशा की जा सकती है कि उत्पादक अपने अनाज को विक्री के लिए मदियों या निश्चित स्थानों पर लाएंगे और नियत समाहरण-(वसूली)-कीमतों पर इन सस्थानों के पास बेच देंगे। योजना के अनुसार उत्पादक अपने फालतू अनाज की एक सीमित मात्रा को सीधे फुटकर व्यापारियों के पास देच सकते हैं। उत्पादकों पर कोई लेवी नहीं लगाई गई। गेहूं की वसूली कीमत ७६ रु० प्रति किलोल रखी गई।

गेहूं का थोक व्यापार हाय में लेते समय सरकार ने ८१ लाख टन गेहूं की वसूली का लक्ष्य रखा था। परन्तु सरकार के बल ४५.३ लाख टन गेहूं की वसूली ही कर सकी। इससे पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि सरकार गेहूं वसूली के कार्य में बुरी तरह असफल रही है और ६० लाख टन गेहूं के संशोधित लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर सकी। इसे 'अबपके नेक इरादों की असफलता' भी कहा जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस वर्ष रासायनिक उद्योगों की कमी, मार्च की असमय तेज गर्मी और देश के लगभग सभी भागों में बिजली-सकट के कारण गेहूं के उत्पादन में भी काफी गिरावट आई है। पहले अनुमान लगाया गया था कि इस वर्ष ३ करोड़ टन गेहूं की उपज होगी परन्तु उत्पादन के बल २ करोड़ ६० लाख टन हुआ जिससे अनाज मदियों में कम आया। ग्रधिकारी लोग यह भी कह रहे हैं कि ग्रधिक मूल्य मिलने की आशा में उत्पादकों ने काफी मात्रा में गेहूं दबा लिया है और सरकारी नीति से प्रभावित होने वाले थोक व्यापारी जो अपने निहित स्वार्थों के कारण सरकार की नीति को असफल करना चाहते हैं, उनको इस बात के लिए उकसाते रहे हैं कि वे अपनी उपज सरकार के पास न दें। सरकारी वसूली के असफल होने के अनेक कारण हो सकते हैं जिनका विश्लेषण आगे किया जाएगा। परन्तु एक बात साफ़ है कि इस वर्ष भी काफी बड़ी मात्रा में विदेशों से अनाज आयात करना होगा। सारणी ६.८ देखें।

सारणी ६.८ सरकार द्वारा थोक व्यापार के अधिग्रहण के बाद गेहूं की वसूली, १६७३

राज्य	कुल वसूली लक्ष्य	वर्तमान वसूली	प्रतिशत
	लाख टन	लाख टन	%
पंजाब	३४.०	२६.६	७६
उत्तर प्रदेश	२०.०	७.८	३६
हरियाणा	१३.०	५.८	४५
बिहार	६.०	०.८	१३
मध्य प्रदेश	३.१	२.१	६८
राजस्थान व अन्य राज्य	४.६	१.६	३६
कुल	८१.०	४५.३	

धोत : राष्ट्रीय सहकारी विकास निमद (विज्ञापन, १६७३) के आधार पर।

मार्च, १९७३ के आरम्भ में सरकार के पास २७ लाख टन गेहूं का भडार था। अनुमान है कि सार्वजनिक वितरण हेतु गेहूं की कुल आवश्यकता १० लाख टन प्रतिमास है। इस प्रकार अगले दस मध्याह्न महीनों में लगभग १ करोड़ १० लाख टन गेहूं की आवश्यकता होगी। कानूनी तथा अनौपचारिक राशनिंग के अधीन प्राप्त बाली जनसंख्या ४२ करोड़ के लगभग होगी। अतः सरकार को लगभग ४५ लाख टन गेहूं का आपात करना पड़ेगा। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्ष गेहूं के उत्पादन में कमी हुई है और इस अभाव के कारण गेहूं की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में बहुत चढ़ गई है। अमरीका, कैनेडा तथा आस्ट्रेलिया इत्पादि देश पहले ही अपने कालतू गेहूं को रूस, चीन तथा अन्य देशों के पास बेच चुके हैं। लगभग २० लाख टन गेहूं के सौदे हमारी सरकार ने भी किए हैं। यह गेहूं हमें १०० रुपये से १२० रुपये किवटल पड़ेगा। और अधिक गेहूं अन्य देशों के सुरक्षित भडारों या खुले बाजारों से ही उपलब्ध हो सकेगा जिसके लिए भारी कीमत देनी पड़ेगी और वह भी विदेशी मुद्रा में। पता चला है कि गेहूं की बतामान अन्तर्राष्ट्रीय कीमत (अगस्त, १९७३ में) १६० से १७० रुपये प्रति किवटल है जो भारत में २०० रुपये प्रति किवटल पड़ेगी। सरकार इतनी अधिक कीमत पर नहीं खरीद सकती। सुनते में आया है कि गलते के थोक व्यापारियों ने सरकार को आश्वासन दिया था कि यदि वह अनाज के थोक व्यापार के अधिग्रहण की नीति को छोड़ दे और बमूली कीमत ७६ रुपये प्रति किवटल से बढ़ाकर ८५ रुपये प्रति किवटल कर दे तो वे सरकार के लिए ७० लाख टन से १ करोड़ टन तक गेहूं का समाहरण कर दें। समवत् सरकार ने इस नीति को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर व्यापारियों के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह प्रश्न भी किया जा रहा है कि जब सरकार के विचार में बड़े उत्पादकों ने गेहूं के स्टाक को दबा कर रखा हुआ है तो सरकार ने कड़े उपायों का प्रयोग क्यों नहीं किया? जहाँ तक उत्पादकों का सम्बन्ध है वे समवत् गेहूं के थोक व्यापार के अधिग्रहण की सरकारी नीति को असफल बनाने में इतनी रुचि नहीं रखते जितनी रुचि अपने लिए अधिक कीमत प्राप्त करने में रखते हैं। यह विचित्र विद्यमाना है कि जहाँ सरकार किदेशों से २५ से २० रुपये प्रति किवटल अधिक कीमत पर गेहूं बेने के लिए तंयार है वहाँ वह देश में उत्पादकों को १० रुपये प्रति किवटल भी अधिक कीमत देने के लिए तंयार नहीं थी। वास्तव में सरकारी-योजना में अनेक न्यूनताएं और कमज़ोरियाँ रह गई हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी नीति के असफल होने का कारण आधिक सूखबूझ की कमी तथा इसके द्वारा आधिक चितन की उपेक्षा है। इन सब दोषों का विश्लेषण हम नीचे करेंगे:—

(१) गेहूं के थोक व्यापार की सरकारी अधिग्रहण योजना की असफलता का मुख्य कारण यह है कि इसको दक्षता से कार्यान्वित करने के लिए कोई विशेष तंयारी नहीं की गई और न हो इसके लिए आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धी तथा सत्यागत ढाँचे का निर्माण किया गया। सुव्यवस्थित विपणन हेतु परिवहन तथा भंडारण सुविधाओं की सम्पाद्य, परिष्करण, तुलाई, सफाई तथा अन्य सक्रियाएं सरकारी क्षेत्रक पर मारी कठिन जिम्मेदारी डालती हैं। परन्तु इस प्रकार की आधारिक सरचना का निर्माण किए बिना जितनी जलदाजी से गेहूं के थोक व्यापार को सरकार ने अपने हाथ में लिया उससे यह आभास दूधा कि यह सुविचारित नीति का अग नहीं बल्कि एक आकस्मिक, अनिश्चित तथा अस्थायी उपाय है।

वैसे भी एसे वर्ष में जबकि कीमतें लगातार बढ़ रही हों और सरकार के पास अनाज का भण्डार काफी अधिक न हो, निजी व्यापारियों से खुटकारा पाने के प्रयत्नों की सकलता सदिग्ध होती है। सूते के लम्बे व्यापक दौर के मध्य में जबकि खरीफ की फसल बहुत कम हुई और कीमतें भासमान को छु रही थीं, सरकार के इस पग ने उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के विश्वास को हिला दिया और व्यापारियों को भयभीत कर दिया। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक वितरण के लिए न तो अनाज की अधिक मात्रा प्राप्त हो सकती है और न ही विक्री कीमतें कम हो सकती थीं। इसलिए अधिग्रहण-योजना को अन्न-वितरण में सरचनात्मक मुद्घार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था।

(२) भ्रष्टाचार, अद्धता, नौकरशाही, अनावश्यक विलम्ब तथा लाल फीताशाही सार्वजनिक प्रशासन में घर कर चुके हैं और सार्वजनिक संस्थाओं के कार्य को प्रभावित करते हैं। यह गेहूं के धोक व्यापार की सरकारी अधिग्रहण-योजना का मुख्य नकारात्मक पक्ष है। अधिग्रहण के कार्य में सरकार की सफलता की कसोटी एक मात्र इस बात में है कि क्या सरकार अनाज समाहरण का निर्धारित लक्ष्य पूरा कर सकी है? अनाज-वितरण तथा अनाज समाहरण जैसे महत्वपूर्ण तथा जीवन के लिए आवश्यक कार्यों को अद्धता तथा अनुभवहीन अधिकारियों के हाथों छोड़ना सबसे बड़ी भूल है, जब सरकार को यह पता लग चुका था कि खरीफ, १९७२ में चावल के एकाधिकार समाहरण कार्यक्रम में वह बुरी तरह असफल हो चुकी है तथा ४६ लाख टन के निर्धारित लक्ष्य में से केवल २२ लाख टन ही बसूल कर सकी है और सूखे के कारण रबी की फसल मच्छी होने की सभावना भी नहीं है, तो इसे यह पग उठाने से पूर्व सुबद्ध अधिक चिन्तन कर लेना चाहिए था। ज्ञातव्य है कि अनाज की कमी के कारण और सरकार के खरीफ वसूली-कार्यक्रम की असफलता की सूचना मिलने पर १९७२ के अन्त में अनाज के माव-मुदियों में तेजी से चढ़ने लगे। सरकार ने कीमतों पर नियन्त्रण के उद्देश्य हेतु सार्वजनिक भण्डार का अनाज बाजारों में फेंक दिया जिसे व्यापारियों ने बैंकों के पेंसे से खरीद निया और इस प्रकार अनाज सरकारी गोदामों से निकल कर बड़ी आसानी से निजी गोदामों में चला गया। व्यापार रहे कि यह अनाज रियायती दरों पर बेचा गया। यह सरकारी विक्री बमालोरो, मुनाफालोरो और चोर बाजारियों (ब्लैंक-मार्केटियों) के लिए दैवीय बरदान सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त उचित मूल्य की अधिकाश दुकानें निजी व्यापारियों द्वारा चलाई जाती हैं जो आसानी से सरकारी भण्डारों से अनाज की निजी गोदामों में पहुंचा सकते हैं। क्या योक व्यापार के सरकारी अधिग्रहण से पूर्व इन तत्त्वों के दुष्कर का दमन करने के लिए कोई समन्वित प्रयास किया गया? आज का कृपक काफ़ी समझदार व जागरूक है और वह निजी व्यापारी के अधिक लाभ हेतु क्षेत्रीय प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने तथा अनाज को चोरी छिपे ले जाने की योग्यता से भलीभांति परिचित है। कहते का अनिप्राप्य यह है कि सरकार को अपना व्यापारिक क्षेत्र सार्वजनिक वितरण की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में सरकार से अपेक्षित है कि वह कमज़ोर लोगों की अनाज की न्यूनतम आवश्यकताएँ रियायती दरों पर पूरा करे ताकि खुले बाजार में मांग का बोझ कम हो सके और इस प्रकार कीमतों को उचित सीमाओं में रखा जा सके। इसके लिए सरकारी राशनिंग व्यवस्था का होना ज़रूरी है।

यदि थोक व्यापार के अधिग्रहण के साथ-माथ बड़े-बड़े नगरों में भी कानूनी राशनिग की आवश्यकता नहीं, तो इस सरकारी एकाधिकार का क्या अर्थ है? नियत्रित वितरण तथा विक्री-न्यवस्था की अनुपस्थिति में थोक व्यापार का सरकारी अधिग्रहण निरर्थक है। ईमान-दार, दक्ष व प्रवृद्ध प्रशासनिक ढाँचा, काफी मात्रा में अनाज का सुरक्षित भण्डार, बाजार पर कड़ा नियन्त्रण तथा राशनिग समेत उचित व सुटूँड़ सार्वजनिक वितरण-न्यवस्था सरकारी थोक व्यापार-अधिग्रहण की सफलता के लिए मूलभूत आवश्यकताएँ हैं जो सबकी सब १६७३ रुपी की फसल के समय नदारद थी। अच्छा यह होता कि सरकार थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने से पहले काफ़ी देशी तथा आयातिन अनाज का सुरक्षित भण्डार जमा कर लेती। सरकार को एक दो अच्छी फसलों तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। कम से कम अगली सरीफ फसल की प्रतीक्षा करना ज़हरी था क्योंकि वह एक अनुकूल बर्पा-भृतु की स्थिति में आवश्यक परिवर्तन आसानी से ला सकती थी।

(३) देश में कुल मिलाकर लगभग ३६०० प्रमुख मदियाँ हैं जिनमें ३ लाख से अधिक गल्ले की थोक दुकानें हैं। इनमें ११ लाख के लगभग दुकानदार सामीदार, ७ लाख ५० हजार मुनीम, लगभग १० लाख पल्लेदार एवं मजदूर तथा १६०,००० दलाल कार्य करते हैं। सरकार के उक्त कदम से इन लोगों पर बेकारी का प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी था। इसलिए इन तत्त्वों द्वारा सरकारी नीति को असफल बनाने के प्रयास अपेक्षित ही थे। सरकार का यह कर्तव्य था कि वह समय रहते इन तत्त्वों को नियन्त्रित बना देती। सरकार को यह भी चाहिए था कि वह इनको वैकल्पिक काम प्रदान करती या स्वयं इनकी सेवाओं से लाभ उठाती। व्यापारी लोग यह भलीभांति जानते थे कि 'सरकार की आयात करने की योग्यता अति सीमित है, इसलिए वे सरकारी-नीति को फेल करने के उद्देश्य से एकजुट हो गए। ऐसे समाचार है कि थोक व्यापारी कृपकों के साथ मिल गए और उन्होंने गाँव-गाँव जाकर कृपकों को अनाज अनाज रोकने के लिए प्रोत्साहित किया। कई स्थानों पर उन्होंने कृपकों से ऊँचे दामों पर अनाज खरीद लिया तथा कृपकों के घर ही उनके गोदाम बन गए। इसका परिणाम यह हुआ कि कृनु के आरम्भ में मण्डियों में बहुत कम अनाज आया। सरकार को चाहिए था कि वह शुरू में ही उत्पादकों पर लेवी लगाती। जब सरकार ने थोक व्यापार के अधिग्रहण को सामाजिक हित में व्याप सहत समझ लिया तो उत्पादकों से अनियावै बसूली को आपत्ति-जनक कैसे माना जा सकता है? सरकार ने इस पक्ष पर गम्भीरता से विचार नहीं किया; बड़े-बड़े जमीदारों ने अनाज को दबा लिया जिसे अक्तूबर-दिसम्बर १६७३ में काफ़ी ऊँची कीमतों पर बेचा गया।

(४) गेहूं के थोक व्यापार की सरकारी अधिग्रहण योजना की सबसे बड़ी खामी (कमज़ोरी) की झपरेखा में ही विद्यमान है। योजना का बतंमान स्वरूप बिवेकहीन तथा धोपपूर्ण है। ऐसा लगता है कि सरकार स्वर्वय योजना को सफल होता देखना नहीं चाहती थी या वह निहित स्वार्वय बाने तत्त्वों से प्रभावित हो चुकी थी। वास्तव में योजना की असफलता के अकुर योजना के निर्माण के साथ ही थोड़े दिए गए थे। प्रथम यह कि निमित पोजना का लक्ष्य विकाऊ गेहूं (विक्रेय अधिक्षेप अर्थात् जो मात्र मढ़ी में लाया जाए : मार्केट फ्लॉट) की बसूली का रखा गया, सारे विक्रेय अधिक्षेप (मार्केटिंग सरप्लस) को खटोदने का नहीं था।

अनुमान यह था कि बिकाऊ गेहूं कुल विक्रेय अधिक्षेप का ७० प्रतिशत होगा। इस प्रकार कृपक शेष ३० प्रतिशत गेहूं को सीधे फुटकर व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के पास बेच सकते थे। अत उत्पादकों को अपने फालतू अनाज के निकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम मिल गया। पिछले वर्षों में जब थोक व्यापार निजी व्यापारियों के हाथ में था, सरकार पजाब व हरियाणा में कुल विक्रेय अधिक्षेप के ८५ प्रतिशत भाग तक की बसूली आसानी से कर लिया करती थी। यद्यपि वर्तमान योजना में थोक निजी व्यापारियों को समाप्त कर दिया गया है परन्तु इसने देश में एक नए कृपक-व्यापारों दर्ग को जन्म दिया है। योजना में घनी जमीदारों के हितों की इस हृद तक रक्षा की गई है कि वे बिना रोक-टोक सक्रियता से चोर वाजारी कर सकते हैं। उत्पादक अपने बढ़िया अनाज को बसूली कीमत से अधिक पर फुटकर व्यापारा तथा उपभोक्ता के पास बेच सकता है जबकि दूसरी ओर वह नियत बसूली कीमत की प्राप्ति से आश्वस्त है चाहे उसके अनाज की क्वालिटी घटिया ही बयो न हो। उसे यह भी पता है कि प्रतिवर्ष अवृत्तवर, नवम्बर में गेहूं के भाव चढ़ने शुरू हो जाते हैं। आरम्भ में उन्होंने बसूली कीमत को बढ़ाने की माँग की। उन्हें यह ज्ञान था कि यदि सरकार द्वारा बसूली कीमत को न बढ़ाया गया तो वे स्वयं गेहूं का व्यापार कर लेंगे। इसके अतिरिक्त वे अनाज को फुटकर व्यापारियों के पास भी बेच सकेंगे। वास्तव में कृपक अनाज की जमाखोरी नहीं करते रहे बल्कि वे अपने अनाज को नए अनौपचारिक माध्यमों द्वारा बेचते रहे हैं। सरकार चोरवाजारों के खोदामों तक अनाज के पहुँच-भागों की मुँहबदी करने में पूर्णतः असफल रही है।

(५) पिछले तीन चार वर्षों में यह देखा गया है कि सरकार कृषि कीमत आयोग द्वारा सुझाई गई बसूली कीमतों (प्रोवियोरमेन्ट प्राइस) को समर्थित कीमतों (सपोर्ट प्राइस) के रूप में लेती रही है। कृपकों की भी घारणा यही बन गई है। यहां बसूली कीमत तथा समर्थित या टेक कीमत के अन्तर को समझ लेना चाहिए। न्यूनतम समर्थित अथवा टेक कीमते उत्पादकों के लिए एक प्रकार की दीर्घावधि गारन्टी हैं जिनमें यह आश्वासन दिया जाता है कि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप बाजार में होने वाली अनाज की भरमार व बहुलता की स्थिति में सरकार कीमतों को न्यूनतम आर्थिक स्तरों (अर्थात् समर्थित कीमतों) से नीचे नहीं निरन्तर देगी। दूसरी ओर बसूली कीमते वे कीमतें हैं जिन पर सरकार सार्वजनिक वितरण के लिए आवश्यक अनाज की मात्रा को खरीदती है और इनमें उत्पादकों के लिए उचित उत्पादन प्रेरणाएँ भी सम्मिलित होती हैं। यही कारण है कि बसूली कीमत न्यूनतम समर्थित कीमतों से लगभग १० रु० प्रति किलोल अधिक होती हैं। पिछले सालों में कृषि कीमत आयोग गेहूं की बसूली कीमत को कम करने की सिफारिश करता रहा है परन्तु सरकार ने आयोग के इन सुझावों को नहीं माना था यद्यपि आयोग का सुझाव ठोस आर्थिक आधार जैसे कि उत्पादन-सागत व सरकार द्वारा खाद्यान्न कार्यों में बहुत प्रार्थिक उपदान (सहायता) को व्यान में रख कर किया गया था। इसी दीच प्रति-कूल मौतम के समाचार सुनाई देने लगे जिसके कारण गेहूं के भाव तेजी से बढ़ने लगे। सरकार ने अपने भण्डारों को रियायती दरों पर देने का निर्णय किया जिनको अधिकांश व्यापारियों ने हड्डम लिया। आयात के सौदे करने में भी विलम्ब हो गया जिसके कारण ३०

से ४० प्रतिशत तक अधिक कीमत देनी पड़ी। निविटियों को कीमतों में बढ़ि होने के फलस्वरूप उत्पादन लागत में भी बढ़ि हो गई और कृपको ने बसूली कीमत बढ़ाने की माँग की। जब सरकार ही बसूली कीमत को न्यूनतम समर्थित कीमत भानने लगे तो कृपको द्वारा १०-१५ रुपये अधिक कीमत की माँग करना स्वामाविक ही है। सरकार कृपक वर्ग के भ्रामक प्रचार का तर्कसंगत उत्तर देने में असफल रही है। सरकार स्थिति से दक्षतापूर्वक नहीं निपट सभी जिसके कारण सरकार व देश में आतक का वातावरण उत्पन्न हो गया है और निवंन लोगों की सार्वजनिक वितरण-व्यवस्था से खाद्याज प्राप्त करने की सब आशाएँ धूमिल हो गई हैं।

(६) सरकार की सबसे बड़ी भूल यह रही है कि उसने केवल गेहूं के थोक व्यापार का ही अधिग्रहण किया और ग्रन्थ फसलों को, विषेषकर मोटे ग्रनाजों को जो कि निवंनतम वर्गों का आहार हैं, इस स्कीम से बाहर छोड़ दिया गया। अन् इस आशिक अधिग्रहण तथा अनाज की समवय कभी के कारण ऐसी असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें मोटे अनाज की कीमतें गेहूं की बसूली कीमत से बहुत ग्रविक हो गईं। उदाहरणार्थ मई, १९७३ के आरम्भ में, पञ्चाब तथा हरियाणा की मठियों में चना १३० रु से १४० रु प्रति किलोटल पर बिक रहा था, जो का भाव १०० रु से ११० रु या जबकि पिछले वर्ष उनका भाव कमज़ा: ८० रु तथा ५० रु प्रति किलोटल था। ऐसी स्थिति में कृपक से गेहूं ७६ रु प्रति किलोटल पर माँगा जा रहा था। कृपक इतना अविवेकी तथा मूल्य नहीं कि इतने कम दामों पर गेहूं को बेचे। १० रु प्रति किलोटल का मासूली विलम्बित कीपतेतर बोनस (नान प्राइस बोनस), प्रोत्साहन उम्मोदी प्रभावित नहीं कर सकता था। आशिक अधिग्रहण से उपजात कीमत अनियमितताओं ने केवल कृपको तथा व्यापारियों को एक साथ इकट्ठा करने में ही सहायता नहीं की बल्कि व्यापारियों के लिए वैकल्पिक लाभदायक संभावनाएँ व अवसर भी प्रदान किए हैं। मोटे अनाज के व्यापार में लाभ काफी आकर्षक था और व्यापारी वर्ग इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता था। उदाहरण के रूप में मई के आरम्भ में हायुड में जाजरे का भाव १०५ रु प्रति किलोटल या जबकि बम्बई मडी में इसका भाव १८५८० से १९०० तक था। इसी प्रकार मक्का का हायुड में भाव ७४ रु प्रति किलोटल या जबकि बम्बई में इसकी कीमत १५५ रु से १६० रु तक थी। जहाँ एक और व्यापारियों ने, उपमोक्ताप्रो के तथाकथित हित में, मोटे अनाज का व्यापार न करने की घमकी को वापस ले लिया, वहाँ दूसरी ओर सरकार ने (जिसने यह आशिक अधिग्रहण, निवंनतम वर्गों के तथाकथित हित के उद्देश्य से किया था) उनको व्यापारियों की रहस्यकरम पर छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त व्यापारी नोग मोटे अनाज की आड में गेहूं का गुप्त व्यापार करने की समावना की अनदेखी भी नहीं कर सकते थे।

पूर्णतः उलट पलट कीमत असमताएँ ही गेहूं की ऊँची बसूली कीमत की माँग का मुख्य कारण हैं। इस माँग का अवेक राज्य सरकारी ने भी समर्थन किया परन्तु इस भाँग की अस्वीकार कर दिया गया। एक कृपक गेहूं को मोटे अनाज को कीमतों से काफी कम कीमत पर बेचने के लिए कैसे राजी हो सकता है जबकि मोटा अनाज घटिया माना जाता है और गेहूं की उपेक्षा इसकी उत्पादन लागत भी कम होती है। मोटे अनाज की ऊँची कीमतें कृपक

के लिए बरदान सिद्ध हुई है और वह उनका पूरा पूरा लाभ उठा रहा है। यहाँ तक कि पशुओं को खिलाने तथा मजदूरों को जिन्स मजदूरी देने के लिए रखा गया मोटा अनाज भी मंडियों में विक्रम के लिए भेजा जा रहा है। इस प्रकार मोटे अनाज के उपभोक्ता निर्धन वर्ग को एक और दिशा से भी क्षति हो रही है। सरकार के इस आर्थिक कदम से निर्धन वर्ग को समस्याओं में बृद्धि हुई है और उनकी स्थिति पहले से भी अधिक बिगड़ गई है। यदि यह कदम सरकार ने निर्धन व कमजोर लोगों को व्यापारियों के शोपण से बचाने के लिए उठाया था, तो वह इसमें सफल नहीं हो सकी।

(७) अधिग्रहण-योजना की असफलता का एक प्रमुख कारण सही व स्पष्ट दिशा निर्देश तथा सचासन-विवरण का अनाव भी था। अनिवार्य उगाही, वसूली (समाहरण) कीमत, कातूनी रक्षानिंग, फुटकर व्यापारियों का विक्री भाव, कूपक के लिए कीमतेतर प्रेरणाएँ (नान प्राइस इनसेटिभ) कूपकों तथा व्यापारियों पर लगाए जाने वाले प्रतिवध आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सरकारी अस्थिरता का उन दिनों दिए गए केन्द्रीय तथा राज्य मन्त्रियों के परस्पर विरोधी कथनों से स्पष्ट पता चलता है। किसी ठोस तथा स्पष्ट उचित की प्रमुदस्थिति में कुशल से कुशल प्रशासकों के लिए भी योजना को ठोक प्रकार से कार्यान्वित करना कठिन होता है।

कहने का अभिप्राय यह है कि गेहूँ के व्यापार की अधिग्रहण-योजना के निकूट निष्पादन के लिए व्यापारी, कूपक, उपभोक्ता तथा सरकार सयुक्त रूप में जिम्मेदार हैं। परन्तु सरकार को अधिग्रहण-योजना बनाते समय इन सब तत्त्वों के समावित व्यवहार तथा प्रतिक्रिया को ध्यान में रखना चाहिए था। जैसी वर्तमान स्थितियाँ हैं, अधिग्रहण की सापेक्ष असफलता यद्यपि निश्चित रूप से चिन्ता की बात है परन्तु किसी भी तरह आश्चर्य की बात नहीं।

चान रहे कि राशन अवदा उचित कीमत वाली दुकानों के माध्यम से अन्न-वितरण-प्रणाली बहुत सीमित है। देहात में निर्वन लोग तो खुले बाजार से ही अनाज खरीदते हैं। शहरों में भी राशन की व्यवस्था सन्तोषप्रद नहीं। अतएव शहर के लोग भी अपनी आवश्यकताओं के बड़े भाग की पूर्ति खुले बाजार से ही करते हैं चाहे वहाँ अनाज किसी भाव पर मिले। अतः जबतक सरकार कूपकों से सारा विक्रेय अधिशेष खरीदने या वसूल करने में समर्थ नहीं होती और उनकी वितरण-व्यवस्था पूर्ण सक्रिय तथा सक्षम नहीं बन जाती, तब तक दोहरी बाजार व्यवस्था ही उपयुक्त है। बास्तव में, इसके बिना कोई चारा ही नहीं। वितरण-व्यवस्था को हाथ में लेने से प्रशासन-व्यय ने भारी बृद्धि स्वाभाविक है। इसकी आर्थिक प्रतिक्रिया को भी ध्यान में रखना होगा। पर्याप्त प्रबन्ध किए बिना योक व्यापार का अधिग्रहण उचित नहीं।

परन्तु क्या सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करने का साहस बटोर सकेगी और अनु-कूल समय आने तक प्रतीक्षा कर सकेगी? खाद्यान्ननीति को, जिसके दक्ष सचालन पर अस्तरण निर्धन लोगों का जीवन निर्भर है, प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनने देना चाहिए। आर्थिक समस्याओं को विशुद्ध आर्थिक आवार पर ही हल करना चाहिए। गलत नीतियों को सुधारने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। परन्तु यदि सरकार यह समझती है कि उसे अनाज

के थोक व्यापार को अपने हाथों में लेने की नीति पर अटल रहना चाहिए—मतलब यह कि चावल के थोक व्यापार का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए तो सरकार को उपरोक्त खामियों को दूर करने के लिए हर प्रयास करना होगा। उस स्थिति में हर नागरिक के लिए उचित कीमत पर अनाज की उचित मात्रा की व्यवस्था करना केवल मात्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। हाँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले सरकार को पूरी तरह ठड़े दिमाग से सोच विचार कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रहे कि लोगों के लिए निर्धारित उचित दाम इतने कुत्रिम न हो कि उन्हें बनाए रखने के लिए खजाने पर अधिक बोझ डालना पड़े जो हानिकारक स्फीती-परिस्थितियों को जन्म दे। ज्ञातव्य हो कि सरकार ने खरीफ की वसूली के लिए धान की वसूली कोमत ५६ रु० से बढ़ा कर ६३ रु० प्रति किलोटन करदी है। परन्तु कीमत बढ़ाना ही काफी नहीं। अन्य उपाय भी कड़ाई से लागू करने होंगे। सरकारी खाद्य नीति के और अधिक अध्ययन के लिए अव्याय १० के अतिम चार परिच्छेद भी देखें।

अनुलेख—भारत सरकार ने हाल ही में १९७४-७५ की रबी कट्टु के लिए अपनी खाद्य नीति में परिवर्तन कर लिया है। थोक व्यापार के सरकारी अधिग्रहण की नीति को छोड़ दिया गया है। अब व्यापारी गेहूँ का थोक व्यापार कर सकेंगे परन्तु पजाब, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, झज्जप्रदेश तथा राजस्थान में उन्हें खरीदे गए गेहूँ का ५० प्रतिशत सरकार को १०५ रुपये प्रति किलोटन पर देना पड़ेगा।

अध्याय १०

कृषि-कीमतें तथा कीमत-नीति

१०.१ आर्थिक सबूद्धि की सकल्पना

पिछले अध्यायों में हमारे विवेचन में सुस्पष्ट है कि उत्पादन के विभिन्न उपादानों की उत्पादन-दक्षता में चहूँ-मुखी सुधार तथा प्रभुख प्रौद्योगिकीय परिवर्तन व नवक्रियाएँ कृषि क्षेत्रक के स्थापातरण तथा द्रुतविकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कृषि-क्षेत्रक की सफलता का माप इसके आर्थिक सबूद्धि में योगदान की सीमा द्वारा निर्धारित होता है। आर्थिक सबूद्धि विशेषकर के उच्च जीवन-स्तर, उभयत आहार तथा आवास, बेहतर शिक्षा, उद्यत चिकित्सा, परिवहन तथा सचार - सुविधाओं, प्राम-विद्युतीकरण तथा सामान्य कल्याण सबवीं अन्य अभिन्नामों में प्रकट होती है। सदैर में, आर्थिक सबूद्धि आय में वृद्धि को बतलाती है और सामान्यत उपभोग के बेहतर स्वरूप में परिवर्तित होती है। कृषि क्षेत्रक तभी दक्ष कहलाएगा जबकि वह 'स्थिरता-महित आर्थिक सबूद्धि' को सुनिश्चित कर सके। कहने का अनिश्चय यह है कि उच्च उत्पादन-दक्षता उच्च आय में परिणत होनी चाहिए, तभी यह कृपकों की आर्थिक स्थिरता में योगदान दे सकती है। अन्य शब्दों में, कृपक की अपनी आय को बढ़ाने की कुशलता तथा योग्यता ही उसकी आर्थिक स्थिरता को लाती है।

आर्थिक स्थिरता के व्येक की प्राप्ति कृपकों को आर्थिक प्रेरणाओं की उपलब्धता तथा इन प्रेरणाओं के प्रति उनकी सकारात्मक अनुक्रिया पर निर्भर है। कृपकों को आर्थिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अतः यह सरकार का कर्तव्य है कि वह कृपकों की अपनी आय को बढ़ाने और स्थिर करने हेतु उपायों को प्रपनामे में सहायता करे तथा उनका आर्थिक उत्पादन करने हेतु मार्गदर्शन करे ताकि वे आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर सकें। आर्थिक स्थिरता कृपकों की, उपलब्ध सासाधनों का दक्षता से आवटन करने में, सहायता करती है और फलस्वरूप उनकी उत्पादन-दक्षताओं का सबद्धन करती है और बाह्यनीय आय-सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। वास्तव में कृपकों की उत्पादन-दक्षता, आय-सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता निकट हृष से सम्बद्ध हैं तथा आर्थिक सबूद्धि के प्रक्रम के अनिवार्य अप (पाठ) हैं। कृपक की आय-सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता, अपने व्यापक सदमों में, कृषि-कीमतों, कृषि वित्त तथा उधार की उपलब्धता तथा खेती के पैमाने से सम्बन्धित हैं और उनके द्वारा प्रभावित होती हैं।

हम अगले कुछ पृष्ठों में कृषि-विकास में कृषि-कीमतों के कायों व महत्व तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रभावित कीमत-नीति का विवेचन करेंगे। यह ध्यान रहे कि कृपक की उपज का उचित तथा उक्संरक्त प्रतिफल ही उसकी स्थिरता को सुदृढ़ तथा सुरक्षित बना सकता है और उसे अपने भावी उत्पादन का विवेकपूर्ण ढग से आयोजन करने के योग्य

चना सकता है। इस सदर्म में कृषि-कीमतों का प्रसग महत्वपूर्ण है।

१०.२ कृषि-कीमतों के कार्य

कृषि-कीमतें अनेक कार्य सम्पन्न करती हैं जिनमें से कुछ एक आधिक सवृद्धि के प्रक्रमों के लिए विशेष महत्व के हैं। कृषि-कीमतों के मुख्य कार्य ये हैं—

(क) कीमत-आय-वितरक के रूप में—कृषि-कीमतें केवल विभिन्न व्यक्तियों तथा आय वर्गों में आय वितरण में ही महत्वपूर्ण तथा प्रभावी कार्य नहीं करती बल्कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी आय-वितरण को प्रभावित करती हैं। कृषि-कीमतों में परिवर्तन सब वर्ग के भोगों—उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं—को प्रभावित करती हैं। उत्पादकों की आय उनके द्वारा विक्रय (विके : मार्केटेंड) माल अर्थात् उपज के उस भाग के अनुपात में प्रभावित होती है जो वे बाजार में बेचते हैं। दूसरी प्रोट, उपभोक्ताओं की वास्तविक आय उनकी आय के उस भाग के अनुपात में प्रभावित होती जो वे हृषि-पदार्थों पर व्यय करते हैं। अतः कीमतों में वृद्धि लघु कृपक को (जो उपज का बहुत कम भाग विक्रय के लिए बचा सकता है) अपेक्षा बहुत उत्पादक (जिसके पास काफ़ी विक्रेय अधिशेष होता है) के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। निम्न आय नगरीय उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग खाद्य पदार्थों की खरीद पर व्यय करते हैं और कृषि-कीमतों में वृद्धि से उनकी वास्तविक आय में कमी होती है। हो सकता है कि बढ़ती हुई कीमतों के फलस्वरूप उन्हें अपनी घरेन्हु खपत में कमी करनी पड़े जो विलकूल वांछनीय नहीं है। कृषि-कीमतों में वृद्धि आय का कृपी-तर क्षेत्रक (नॉन-एग्रीकल्चरल सेंटर) से कृषि-क्षेत्रक की ओर कृषि-पदार्थों के विपर्यास के अनु-पात में अतरण करती है। कीमतों में गिरावट हर प्रकार के कृपकों को क्षति पहुँचाती है क्योंकि इनसे सब वर्गों की आय स्तर में कमी होती है। लघु कृपक निवाह मात्र के लिए भी आय प्राप्त नहीं कर सकते। कीमत में मामूली सा परिवर्तन भी ऐसे कृपकों को गम्भीर संकट में डाल सकता है और उनकी चालू पूँजी को कम कर सकता है। लघु जोतदारों तथा भूमिहीन कृपकों की बहुत बड़ी सहमा को कीमतों में वृद्धि के कारण कष्ट उठाना पड़ता है क्योंकि उन्हें सारा वर्ष नकद खाद्य पदार्थ खरीदने होते हैं। अत खाद्याद्दों की ऊँची कीमतें कृपकों की अपेक्षा व्यापारियों के लिए अधिक लाभप्रद हैं। सक्षेप में, कृषि-कीमतों में परिवर्तन कृषि तथा अर्द्धगिनिक क्षेत्रकों में आय-वितरण पर विशेषी प्रभाव डालते हैं।

(ब) कीमत-पूँजी-निर्माण के उद्दीपक के रूप में—कृषि कीमतें सवृद्धि के लिए अतिरिक्त समाधनों के उत्पादन में महत्वपूर्ण योग देती है। वे इस कार्य को पूँजी-निर्माण को प्रोत्साहित करके निर्माणी हैं। ऊँची कीमतों के परिणामस्वरूप उत्पादन का मूल्य बढ़ जाता है और निवेश के अधिक प्रतिक्ल शाप्त होते हैं। इससे बचत तथा निवेश-दरों तेज हो जाती है। ऊँची कीमतों के फलस्वरूप प्राप्त ऊँची आय कृपक को बचाने तथा उचार लेने को क्षमता को बढ़ाती है, उसे अधिक उचार पात्र बनाती है और इस प्रकार अधिक निवेश को प्रोत्साहित करती है। यह ध्यान रहे कि आय में वृद्धि सदैव अधिक बचत या निवेश का कारण नहीं बनती। लघु कृपक जिनके पास बहुत कम विक्रेय अधिशेष होता है, अपना पेट काटकर बचत करने को अपेक्षा अपने उपभोग स्तर में वृद्धि करने की ओर अधिक प्रवृत्त होंगे। उन कृपकों

की आय में जिनके पास काफी अधिक विक्रेय अधिशेष होता है (अर्थात् जो अपनी उपज का काफी बड़ा भाग बेचते हैं), काफी अधिक आनुपातिक वृद्धि होगी जिससे वे अपनी वधत-निवि को बढ़ा सकेंगे। सधेप में, कृषि-क्षेत्रक में निवेश में वृद्धि उपज उस अनुपात पर निर्भर है जो बाजार में बेचा जाता है अर्थात् कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि विक्रेय (बिकाज) पर्णों द्वारा प्रभावित होती है।

इसकी तुलना में, ऊँची कृषि-कीमतें औद्योगिक क्षेत्रक में निवेश पर विरोधी प्रभाव डालती है। बढ़ती हुई खाद्य-कीमतें नगरीय क्षेत्रों में निर्वाह खर्च बढ़ा देती हैं जिससे राज-नैतिक अशांति उत्पन्न होती है और फलस्वरूप नकद मजदूरी पर उपरिमुखी दबाव पड़ता है। विनिर्माण उद्योग में ऊँची मजदूरी तथा ऊँची कच्चा माल-लागते उत्पादन-लागतों को बढ़ाती हैं और औद्योगिक सामों का अधिसकृचन करती हैं जिससे औद्योगिक क्षेत्रक की लाभकारिता कम हो जाती है और परिणामस्वरूप इस क्षेत्रक में बचत तथा निवेश-दरें मद हो जाती हैं। बढ़ती हुई खाद्य कीमतें सेवा-क्षेत्रक में नकद मजदूरी पर सरकारी व्यय में वृद्धि करती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि औद्योगिक सञ्चालन को बढ़ावा देने हेतु उपलब्ध सरकारी निधियों में कमी हो जाती है। निम्न-आय नगरीय उपभोक्ताओं के लिए रियायती दरों पर अनाज नगरीय क्षेत्रों में निर्वाह खर्च को कम करने में सहायक हो सकता है तथा इस प्रकार उच्च लोचदार अमन्पूर्ति की परिस्थितियों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक श्रमिकों का आकर्षण करके मजदूरी-वृद्धि को पेशबदी की जा सकती है। इससे औद्योगिक सामों में वृद्धि होगी और इन क्षेत्रों में बचत तथा निवेश-दरें बढ़ जाएंगी।

कीमतों में वृद्धि होने पर कृषक कूपीतर क्षेत्रक में उत्पादित निविट्टि कारकों का अधिक उपयोग करने की ओर प्रवृत्त होगे क्योंकि उन्हे इस निवेश से उचित लामाश प्राप्त होने की आशा होगी। उच्च कृषि-कीमतों के परिणामस्वरूप निविट्टि-उपदानों की मांग में यह वृद्धि इन उद्योगों में निवेश के पक्ष में जाएगी। परन्तु ऐसा केवल अल्पावधि के लिए हो सकता है क्योंकि इन उद्योगों में सीमात उत्पादन-लागत बढ़ने पर लाभ अन्ततः अवश्य कम हो जाएगे। इसी प्रकार कृषि-क्षेत्रक में ऊँची आय के कारण कूपीतर-क्षेत्रक में उत्पादित माल की मांग भी बढ़ जाएगी जिसके फलस्वरूप इन उद्योगों में भी केवल अल्पावधि के लिए ही निवेश को प्रोत्साहन मिल सकेगा।

हमें अपने वर्तमान अध्ययन के लिए इन वस्तुओं की बड़ी हुई मांग के फलस्वरूप इनकी कीमतों में वृद्धि के परिणामों तथा प्रभावों का विवेचन करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यहाँ हमारा सम्बन्ध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में कीमतों के सापेक्ष, कृषि-कीमतों में परिवर्तन तथा उनके स्तर से है।

(ग) कीमत-संसाधनों के आवंटक के रूप में—कृषि-कीमतों में सापेक्ष परिवर्तन समस्त कृषि-उत्पादन को कहाँ तक प्रभावित करते हैं और वे कृषि-पर्णों के उपयोग पर कैसा प्रभाव डालते हैं, वे कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। अतः अब हम कृषि-क्षेत्रक की समस्त पूर्ति तथा माँग-ग्रनुक्रिया का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमें कीमत-पूर्ति-लोक तथा कीमत-माँग-सोच की परिभाषाओं को समझ सेना चाहिए।

किसी वस्तु की कीमत में निर्दिष्ट परिवर्तन होने से जिस अनुपात में उसकी पूर्ति में परिवर्तन होता है, वह उसकी कीमत-पूर्ति लोच कहलाती है। अर्थात् किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी पूर्ति (अर्थात् उसके उत्पादन या क्षेत्रफल) में आनुपातिक परिवर्तन को कीमत-पूर्ति-लोच कहते हैं। तथा किसी वस्तु की कीमत में निर्दिष्ट परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी कीमत भावा (अर्थात् उसके उपयोग) में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को उसकी कीमत-मांग-लोच कहते हैं।

परम्परागत कृषि में, क्षेत्रफल के एक बहुत बड़े भाग में प्रमुख खाद्य फसलें उपजाई जाती हैं और इन फसलों के क्षेत्र में और अधिक विस्तार करने की सीमा बहुत सीमित है। उदाहरणातः भारत में कुल फसल क्षेत्र के ७५ प्रतिशत भाग में खाद्य फसलें बोई जाती हैं। कृषकों की बहुत बड़ी संख्या कीत निविष्टियों का उपयोग करने में समर्थ नहीं है। न ही अन्य क्षेत्रों में (या अन्य क्षेत्रों से) अम-अतरण को काफी सभावनाएँ मौजूद हैं। अतः सापेक्ष कीमत-परिवर्तनों के फलस्वरूप समस्त पूर्ति-अनुक्रिया बहुत ही कम है। इस स्थिति के लिए अन्य कारण भी हैं। कृषकों की जोतें बहुत छोटी हैं जिनसे उन्हें बहुत कम आय प्राप्त होती है। वे सदा विभिन्न प्रभारों जैसे भू-राजस्व (माल गुणारी), कर, बीज, अनाज तथा यन्त्र खरीदने के लिए लिये गए अद्युत तथा प्रगत उत्तरदायित्वों से दबे होते हैं और वे कीमतें निरन्तर पर अपने सामान्य उत्पादन को कम नहीं कर सकते। इसलिए अल्प-विकसित देशों में अनुप-पूर्ति-लोच अशत् कृषकों की परिस्थितियों तथा अभिवृत्तियों के कारण और अशत् कृषि के विशिष्ट स्वरूप व प्रकृति के कारण होता है। कृषक भलीमांति जानते हैं कि उनकी न्यून आय में और अधिक कमी उन्हें और अधिक दीन बना देगी। इसलिए कीमतों के गिरने पर भी उनका यही प्रयास होगा कि उत्पादन को कम करने की बजाय, उत्पादन को बढ़ाएं ताकि वे अपने आय-स्तरों को बनाए रख सकें। कीमतों के बढ़ने पर भी, कृषक अपनी बड़ी हुई आय का उपयोग आधुनिक निविष्टियों के खरीदने पर नहीं कर सकते क्योंकि पहले वे अपने नहरों तथा दायित्वों को चुकता करना चाहेंगे। इससे उनका उत्पादन मंद हो जाता है और आय-बृद्धि उन्हें कोई तात्कालिक प्रेरणा नहीं दे पाती।

इसके अतिरिक्त फसल तंयार होने में समय लगता है और किसी भी कृषि-पदार्थ की पूर्ति को अल्प अवधि में नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि उत्पादन सम्बन्धी निर्णय वास्तविक सम्भाई से बहुत पहले लेने होते हैं। कृषि-पदार्थ सामान्यतः विनाशशील होते हैं और उनके एक बार उत्पादन होने पर उनकी सम्भाई को रोके नहीं रखा जा सकता। न ही कृषकों के पास भडार को रोक कर रखने की शक्ति या क्षमता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि निर्वाहमात्री फसलों की पूर्ति-लोचें न्यून होती हैं। कुछ दशाओं में कुछ फसलों, विशेषकर कपास, पटसन और गन्ना जैसी व्यापारिक फसलों की पूर्ति-लोचें ऊँची होती हैं परन्तु सापेक्ष कीमत-परिवर्तनों के प्रति यह उच्च पूर्ति-अनुक्रिया प्रमुख खाद्य फसलों की कीमत पर होगी जिसका परिणाम यह होता है कि समस्त पूर्ति अनुक्रिया अपेक्षाकृत कम होती है। इसका अर्थ यह है कि कीमत-परिवर्तन समस्त कृषि-उत्पादन को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करते।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऊँची कीमतें अकेले कृषि-उत्पादन में बृद्धि नहीं साकर्त्त्वी, जबतक उनका काफी हृद तक आय-प्रज्ञान न हो और जब तक वे सिचाई कुप्रेर्णे व

भू-मुधार आदि पूँजीगत मुधारो तथा आधुनिक निविष्टि कारकों में अधिक निवेश का साधन नहीं बन जाती। नीति के हथ में उच्च-कीमत निर्धारण द्वारा ऐसे प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों को बढ़ावा मिलना चाहिए जो प्रति इकाई उत्पादन-लागत कम करने और इस प्रकार लाभ कारिता (प्रोफिटेबिलिटी) को बढ़ाने में सहायक हों। केवल इसी तरह कृषकों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिल सकती है। अन्यथा ओ० राजकृष्ण के शब्दों के अनुसार ऐसी नीति अहंकारमुक्त भिन्न होगी। वैसे इन कार्यों को ऊँची कृषि-कीमतों की अपेक्षा उधार-सुविधाएँ अधिक अच्छी प्रकार से कर सकती हैं।

ऊँची कीमते सभवतः कृषि-उत्पादन को बढ़ा सकती हैं यदि वे धर्म की अधिक नियुक्ति को प्रोत्साहित कर सके तथा कृषि पारिवारिक धर्म का विद्याम से कृषि कार्य की ओर अधिक अतरण ला सकें। यह तभी सन्नव है यदि कृषि रोजगार में धर्म की सीमात उत्पादिताएँ सार्थक रूप में घनात्मक हो। अतः कुछ अवस्थाओं में चढ़ती हुई कीमतों के कारण कृषि-उत्पादन में अधिक धर्म के उपयोग की काफी सभावनाएँ होती हैं जिससे वेकारी तथा अल्प रोजगार कम करने के काफी अवसर प्राप्त होते हैं।

इसके अतिरिक्त यदि अधिक कीमतों से ग्रामीण क्षेत्र के अधिक भाग प्राप्त होती है तो इससे सरकार द्वारा किये जाने वाले विकास-प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि इससे सदकों, बिजली सप्लाई, विस्तार, अनुसधान तथा कृषि में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन की आधारिक सरचना के अन्वय यशों में अधिक निवेश की आवश्यकता होगी।

किसी वस्तु की पूर्ति-अनुक्रिया केवल उस वस्तु की कीमत पर ही निमंत्र नहीं रहती बल्कि उसके स्थानापन्न पदार्थों (सबस्टीट्यूट्स) की कीमत पर भी निमंत्र होती है। अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल कीमत वाली फसलों के कुछ क्षेत्रफल के कम अनुकूल कीमत वाली फसलों की ओर अतरण की कुछ न कुछ सभावना तो अवश्य होती है। इस सदर्भ में, पूर्ति-अनुक्रिया का अर्थ, स्थानापन्न-पदार्थ की कीमत के सापेक्ष वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन या क्षेत्र में हुए परिवर्तन से होगा तथा इसकी मात्रा (कोटि) पूर्ति में स्थानापत्ति लोच (ईलास्टीसिटी आफ सबस्टीट्यूशन इन सप्लाई) द्वारा मापी जाती है। अतः सापेक्ष कीमतों में निर्दिष्ट आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप सापेक्ष उत्पादन या क्षेत्र में आनुपातिक परिवर्तन को वस्तु की पूर्ति की स्थानापत्ति सोच कहते हैं और इस सम्बन्ध को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है :

$$\frac{A_x}{A_y} \text{ या } \frac{O_x}{O_y} = a + b \frac{P_x}{P_y}$$

अर्थात् $\frac{\text{'क' फसल के क्षेत्र में परिवर्तन}}{\text{'ख' फसल के क्षेत्र में परिवर्तन}}$ या $\frac{\text{'क' फसल के उत्पादन में अन्तर}}{\text{'ख' फसल के उत्पादन में अन्तर}}$

$$= a + b \times \frac{\text{'क' फसल की कीमत में परिवर्तन}}{\text{'ख' फसल की कीमत में परिवर्तन}}$$

अतः सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन से स्पर्शी फसलों के क्षेत्र में भी परिवर्तन होगे। इससे पता चलता है कि कृषि-कीमतों में परिवर्तनों का कृषि पद्ध्यों के बीच साधनों के प्रावंटन पर काफी प्रभाव पड़ता है। साधनों का पुनः ग्रावंटन परिवर्ती पूर्ति-लोचों द्वारा निर्धारित

होता है जो सापेक्ष लाभकारिता तथा विभिन्न स्थानों पर समयों में स्थित भौतिक, आर्थिक तथा कृषि सम्बन्धी (मृदा, जलवायु, स्थलाकृति, कृषि के प्रकार आदि) परिवर्तियों पर निर्भर है।

दूसरी ओर निम्न आय वाले देशों में खाद्यान्नों के लिए कीमत-माँग-लोच काफी ऊँची होती है। विशेषकर कृषि-पण्यों की समस्त माँग के संदर्भ में तो ऐसा ही है। आनुभाविक साक्षों से पता चलता है कि बढ़ती हुई कीमतें कृषि-पण्यों के उपभोग पर, विशेषकर निम्न आय वर्गों द्वारा उपभोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। भारत में खाद्यान्नों की अनुमानित कीमत-माँग-लोच — ०.५५ है। इससे स्पष्ट है कि निर्वन वर्गों को बढ़ती हुई कीमतों के फलस्वरूप अनाज के उपभोग को कम करना पड़ता है। यह कथन इस तर्क से सन्तुत है कि अनाज की कीमतों में वृद्धि होने से निम्न आय वर्ग उपभोक्ताओं की वास्तविक आय काफी कम ही जाती है और वे अपने पहले वाले घटिया आहार की ओर घटी हुई मात्रा चरीदने पर बाध्य होने हैं। समाज कल्याण की हड्डि से निर्वन वर्गों के लिए खाद्यान्न की माँग काफी बेलोच होनी चाहिए।

१०.३ देशीय व्यापार-स्थिति तथा आर्थिक विकास

कृषि कीमतों में सापेक्ष उत्तार-चढ़ाव का विश्लेषण करके ही हम कृषि तथा उद्योग क्षेत्रों में व्यापार की स्थिति में परिवर्तन का निर्धारण कर सकते हैं तथा अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्रक से दूसरे क्षेत्रक में आय के अन्तरणों का अध्ययन कर सकते हैं। कृषि-कीमतों में सापेक्ष उत्तार-चढ़ाव पूँजी-निर्माण तथा सासाधनों के आवश्यक और आर्थिक संवृद्धि के स्वरूप व दर के निर्धारण को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि तथा आर्द्धोगिक कीमतों में सबधों का अध्ययन उत्पादन के स्वरूप तथा स्तर के निर्धारण में सहायक है तथा सापेक्ष लाभकारिता को प्रभावित करता है।

सारणी १२१ भारत में १९६०-६१ से १९६६-७० की अवधि में उद्योग में कीमतों के सापेक्ष कृषि-कीमतों में उत्तार-चढ़ाव को दर्शाती है। सापेक्ष कीमतें एक श्रेणी के खोक-कीमतों के सूचकान्कों को दूसरी श्रेणी के सूचकान्कों द्वारा विभाजित कर प्राप्त की जाती हैं। यह अनुपात दोनों क्षेत्रको में कीमतों के बीच सम्बन्ध को व्यक्त करता है।

आँकड़ों के परीक्षण से स्पष्ट है कि १९६० से १९६३ तक को अवधि में कृषि-कीमतें अपेक्षाकृत गिरी हैं अर्थात् कृषि कीमतों में कृपीतर कीमतों की अपेक्षा कमी हुई है। विशुद्ध कीमत के विचार से यह कमी उद्योग क्षेत्रक के विकास के लिए अधिक अनुकूल दशा तथा कृषि-उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए कम अनुकूल दशा को द्योतक है। १९६३ से १९६६ तक की अवधि में कृषि-पण्यों की सापेक्ष कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे इस बात का आमास मिलता है कि इस अवधि में कृषि-उत्पादन में वृद्धि हेतु कीमत प्रेरणा काफी होती रही होगी। एक ही साथ मजदूरी तथा लाभों पर बढ़ते हुए दबाव ने व्यापार की स्थिति को उद्योग क्षेत्रक से हटा कर कृषि क्षेत्रक के पक्ष में कर दिया होगा। सरकारी चालू-व्यय का नियन्त्रण उद्योग क्षेत्रक की अपेक्षा कृषि क्षेत्रक के अधिक अनुकूल होना चाहिए। वास्तव में मुद्रा स्प्लाई भी विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में उत्तार-चढ़ाव का एक कारण है।

सारणी १०१ समस्त कृषि तथा उद्योग में सापेक्ष कीमतों के ग्राहक : १६६०-६१ से
(१६५२-५३=१००)

वर्ष	कीमत सूचकांक				अनुपात	
	कृषि	उद्योग	कलेचा माल	कृषि/उद्योग	कलेचा माल/उद्योग	
१	२	३	४	५	६	
१६६०-६१	१२३	१२४	१४५	६६.२	११६.८	
१६६१-६२	१२३	१२७	१३७	६६.६	१०७.६	
१६६२-६३	१२३	१२६	१३७	६५.३	१०६.२	
१६६३-६४	१३१	१३१	१५६	१००.०	११६.१	
१६६४-६५	१५६	१३७	१६३	११३.६	११६.०	
१६६५-६६	१६६	१४६	१६६	११३.४	१२६.८	
१६६६-६७	१६६	१६३	२२६	१२२.१	१४०.५	
१६६७-६८	२२१	१६६	२१६	१३३.१	१३१.६	
१६६८-६९	२१०	१६६	२२४	१२४.३	१३२.५	
१६६९-७०	२२८	१६३	२५७	१२४.६	१४०.४	

छोट दिव्यव देक औंक इनिहा तथा आधिक कलाहकार कार्यालय पर आधारित

उपरोक्त सारणी में यह स्पष्ट है कि व्यापार स्थिति-विनिर्माण (प्रथम् उद्योग) की तुलना में औद्योगिक कच्चे माल के प्रति अधिक अनुकूल रही है। यह ध्यान रहे कि विनिर्माण की कीमतें उनके कच्चे माल की कीमतों से सम्बद्ध हैं और औद्योगिक कच्चे माल की फसलों का इस तुलना में विशेष महत्व है। विनिर्माण के विछद्ध औद्योगिक कच्चे माल के पक्ष में व्यापार-स्थिति के होने का अर्थ है—ऊँची लागतें, जिनका परिणाम लाभों तथा निवेश-सभाभ्यासों का कम होना है। अत ऊँची कच्चे माल की उच्च उपनति (हायर दंपट और रॉमेंटिरियल्स) औद्योगिक माल की सापेक्ष कीमत को बढ़ाने की ओर प्रवृत्त होती है, वहाँ दूसरी और मुद्रा-पूति (सप्लाई) का सकुचन इन कीमतों को नीचे जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएँ एक दूसरे को विपरीत दिशा में काम करती हैं और सापेक्ष कीमतों में नेट शेष प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं। औद्योगिक कीमतों के सापेक्ष कच्चे माल की फसलों की ऊँची कीमते कृषि-आय के लिए लाभदायक हैं। कृषि-ज्ञेत्रक अपनी फालतू आय का उद्योग-ज्ञेत्रक में अतारण करके उद्योग-ज्ञेत्रक के विकास में महत्वपूर्ण योग दे सकता है। इस प्रक्रम को तेज करने के लिए सरकार कृषि-आय पर कर लगा सकती है और इस प्रकार प्राप्त राजस्व का औद्योगिक पूँजी निर्माण के लिए उपयोग कर सकती है। साथ ही कृषक को अधिक बचत करने और अपनी बचतों को सीधे उद्योग क्षेत्रक में निवेशित करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए।

१०.४ कृषि-उत्पादन, कीमतें तथा आय

पिछले परिच्छेद में हमने कीमत-परिवर्तनों के आय-प्रभावों का विवेचन किया है।

परन्तु कृषि-आय काफ़ी हृद तक कृषि-उत्पादन द्वारा भी प्रभावित होती है। वास्तव में कृषि-आय पर कृषि-उत्पादन का प्रभाव कीमतों के प्रभाव की अपेक्षा बहुत अधिक है। सारणी १०.२ इस विषय पर रोचक प्रकाश ढालती है।

सारणी १०.२ उत्पादन, कीमतें तथा आय के सूचकांक

वर्ष	१९६०-६१	१९६८-६९	% परिवर्तन
उत्पादन (१९५०-५१=१००)	१४८.७	१६६.०	११.६
कीमतें (१९५२-५३=१००)	१२३.०	२१०.०	७०.७
आय (कृषि) (१९६०-६१=१००)	१००.०	१०६.६	६

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कृषि-उत्पादन में १० प्रतिशत परिवर्तन के पीछे, भारत में वास्तविक कृषि-आय में ८.३ प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, जबकि कृषि-कीमतों में १० प्रतिशत परिवर्तन के पीछे वास्तविक कृषि-आय में केवल १४ प्रतिशत वा परिवर्तन हुआ। यह ध्यान रहे कि उन अर्थव्यवस्थाओं में, जिनमें उपज का अधिकांश भाग घरेलू खपत के काम में लाया जाता है और जहाँ विक्री के लिए बहुत कम भाग बचता है, कीमतों में परिवर्तन वास्तविक आय की उत्पत्ति में सहायक नहीं होता। कीमतें वास्तविक आय के उत्पादन के सदर्भ में तभी प्रासादिक हो सकती है यदि विकेय अधिशेष वाकी भाचा में हों। कीमत में परिवर्तन, उपज के घरेलू खपत वाले भाग के लिए, वास्तविक आय में कोई योग नहीं देता बतोकि इस भाग का तुष्टियुण ममान रहता है और सभी बीतने पर परिवर्तन नहीं होता है। अतः निम्न आय वाले देशों में, जहाँ विकेय-अधिशेष अधिक नहीं होता, बाजार कीमत का प्रभाव उपज के बहुत योड़े भाग पर होता है। सधेष में, कीमतें उत्पादन के केवल विकाऊ भाग के अनुपात में ही आय को प्रभावित करती है।

इस विवेचन से हम इन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं—

- (i) निम्न आय वाले देशों में कृषि-पर्यों की कीमत-माँग-लोच काफ़ी अधिक है।
- (ii) निम्न आय वाले देशों में कृषक की उपज का अधिकांश भाग घरेलू उपयोग के काम आता है और उपज का धोड़ा-सा भाग ही विक्री के लिए बाजार में भेजा जाता है।

अतः कीमत-माँग-लोच, उत्पादन का विक्रय भाग (प्रोपोर्शन आँफ आउटपुट मार्केट) और उत्पादन में परिवर्तनों के फलस्वरूप इनमें परिवर्तन, कृषि-आयों पर उत्पादन परिवर्तनों का अध्ययन करने हेतु महत्वपूर्ण निर्धारक तत्त्व हैं।

कीमत-माँग लोच का अनुमान कीमत-नम्यता गुणांक(प्राइस फल्सेसीबिलिटी कोएफीसियेन्ट) में ज्ञात किया जाता है जो भाँग में एक इकाई प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप, कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन का माप है। जाहेन डब्ल्यू, मेल्लर तथा अशोक देर ने भारत में खाद्यांशों के लिए कीमत-नम्यता-गुणांक -१.८३ परिकलित किया है जिसका ग्रन्थ यह हुआ कि भाँग में १ प्रतिशत परिवर्तन होने से कीमत सूचकांक में १.८३ प्रतिशत का

परिवर्तन होगा। कीमत नम्यता-गुणाक का प्रतिलोप (इनवर्स) (पर्यात् १/-१८३ = -५५ कीमत-माँग-लोच का अनुभान है। कीमत नम्यता गुणाक ज्ञात करते समय सकल उत्पादन तथा उपभोग को ध्यान में रखा जाता है।

निम्न उदाहरण में हमने उत्पादन में परिवर्तनों के कृषि-आयों पर प्रभाव का परीक्षण किया है। यह अध्ययन निम्नलिखित पूर्वधारणाओं पर आधारित हैः—

(१) प्रथम धारणा यह है कि घर में उत्पादित घर में उपर्युक्त अनाज का वास्तविक मूल्य भवत्य बीतने पर नहीं बदलता तथा इस घटक को स्थिर वास्तविक कीमत पर माना गया है।

(२) माधारण उत्पादन परिवर्तन के साथ साथ प्रतिलोमी कीमत-परिवर्तन होता है। मानवों अनाज की कीमत माँग लोच -५५ है जो कि -१८३ के कीमत नम्यता-गुणाक के समत है। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्पादन में ११ प्रतिशत की वृद्धि सापेक्ष कीमतों में लगभग २० प्रतिशत की कमी लाएगी तथा उत्पादन में ११ प्रतिशत की कमी से बाजार-कीमतों में २० प्रतिशत की वृद्धि होगी।

(३) हम यह भी कल्पना करते हैं कि भारत में औसतन, कृषक अपनी उपज का २५ से ३० प्रतिशत तक भाग विक्रय करते हैं।

सारणी १०३ उदाहरण निम्न आय ग्रन्थव्यवस्थाओं में उत्पादन में परिवर्तन का दृष्टि आय पर प्रभाव (कीमत नम्यता गुणाक = -१८३, विकाऊ उत्पादन २५% पर्यात् उत्पादन में ११% प्रतिवर्तन के साथ कीमत में २०% प्रतिलोमी परिवर्तन)

माडल	आधारिक स्थिति		परिवर्तित स्थिति		आय में परिवर्तन	
	इकाईयों वास्तविक मूल्य	प्रति इकाई मूल्य	कुल इकाईयों वास्तविक मूल्य	प्रति इकाई मूल्य	कुल इकाईयों वास्तविक मूल्य	परिवर्तन
I			(उत्पादन में वृद्धि)			
उत्पादन	१००	—	१००.००	१११	—	१०५.४५ +५.४५
विकाऊ	२५	१.००	२५.००	२७.७५	०.८०	२२.२० —२.८०
घरेन्हु खपत	७५	१.००	७५.००	८३.२५	१.००	८३.२५ +८.२५
II			(उत्पादन में कमी)			
उत्पादन	१००	—	१००.००	८६	१३.	—६.५५
विकाऊ	२५	१.००	२५.००	२२.२५	१.२०	२६.७० +१.७०
घरेन्हु खपत	७५	१.००	७५.००	६६.७५	१.००	६६.७५ —८.२५

नोट—(१) सर्वोपुक्त विवरण के लिए देखिए—

मिलर : 'द कवचन आक द एशीकल्वरर्ख प्राइवेज इन इकोनोमिक डेवलपमेंट' कर्नेल पुनिकियटी, न्यूयॉर्क, १९६६

(२) सारणी १००.३, १००.५ तथा १००.५ लेखक द्वारा दिए गए परिकलित उदाहरण हैं। आकड़ा बॉन, डब्ल्यू. मिलर के अध्ययन पर आधारित है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जब उत्पादन में ११ प्रतिशत की वृद्धि होती है तो कीमत में २० प्रतिशत की कमी होते हुए भी वास्तविक कृषि आय में ५.४५ प्रतिशत की वृद्धि होती है। परन्तु मॉडल II में, कीमतों में २० प्रतिशत वृद्धि होने पर भी वास्तविक कृषि-आय में ६.५५ प्रतिशत की कमी हुई है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कृषकों की वास्तविक आय उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित है। उच्च उत्पादन-परिवर्त्तन में निम्न उत्पादन-परिवर्त्तन की अपेक्षा वास्तविक आय अधिक होती है। अतः निम्न आय-अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि का परिणाम कृषकों की वास्तविक आय वृद्धि में परिणत होती है चाहे यह उत्पादन-वृद्धि अच्छे मौसम के कारण हो या ग्रोवरिंगीय परिवर्तन डारा। उच्च आय-अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन तथा वास्तविक आय में प्रतिलोमी सम्बन्ध है। देखिए सारणी १०.४।

सारणी १०.४. (उदाहरण) उच्च आय-अर्थव्यवस्था में कृषि आय पर उत्पादन परिवर्तनसे का प्रभाव

(कीमत नम्यता-गुणांक = १.८३, विकाऊ उत्पादन ७५%)

मॉडल	आधारिक स्थिति			परिवर्तित स्थिति			आय में परिवर्तन
	इकाइयाँ वास्तविक भूल्य	प्रति इकाइ मूल्य	कुल	इकाइयाँ वास्तविक भूल्य	प्रति इकाइ मूल्य	कुल	
(उत्पादन में वृद्धि)							
उत्पादन	१००	—	१००.००	१११	—	१४४.३५	—५.६५
विकाऊ	७५	१.००	७५.००	८३.२५	०.८०	६६.६०	—८.४०
घरेलू खपत	२५	१.००	२५.००	२७.७५	१.००	२७.७५	+२.७५
(उत्पादन में कमी)							
उत्पादन	१००	—	१००.००	८६.०	—	१०२.३५	+२.३५
विकाऊ	७५	१.००	७५.००	६६.७५	१.२०	८०.१०	+५.१०
घरेलू खपत	२५	१.००	२५.००	२२.२५	१.००	२२.२५	-२.७५

अतः उच्च आय-अर्थव्यवस्थाओं में कृषि-उत्पादन में न्यूनता के होने से कृषि-आय में वृद्धि होती है और कृषि-उत्पादन में वृद्धि का परिणाम वास्तविक कृषि-आय में कमी के रूप में प्रकट होता है। यही स्थिति बड़ी जोरों वाले कृषकों पर भी लागू होती है।

उपरोक्त उदाहरणों से यह रोचक तथ्य प्रकट होता है कि अधिक उत्पादन की स्थिति में कृषक की नकद आय न्यून होती है और कम उत्पादन की स्थिति में कृषक की नकद आय अधिक होती है। यह बात तभी सत्य होगी यदि उत्पादन का बेचा जाने वाला भाग वही रहे अर्थात् उसमें कोई परिवर्तन न आए। यह तर्क भी दिया जा सकता है कि उत्पादन में वृद्धि की हालत में कृषक अपने विक्रेता अधिकारों के भ्रष्टपात को भी बढ़ा देंगे और उत्पादन में कमी होने पर वे बेचे जाने वाले भाग को कम कर देंगे। सारणी १०.५ में इन्हीं पुर्वधारणाओं को ध्यान में रखा गया है।

सारणी १०.५ (उदाहरण) निम्न आय-प्रबंधव्यवस्था में उत्पादन में परिवर्तनों का कृषि-आय पर प्रभाव (कीमत अनुपात-गुणाक-१.८३, विकाऊ उत्पादन में परिवर्तन ५%)

मॉडल	आधारिक स्थिति			परिवर्तित स्थिति			आय में परिवर्तन
	इकाइयाँ वास्तविक मूल्य	प्रति इकाई मूल्य	कुल	इकाइयाँ वास्तविक मूल्य	प्रति इकाई मूल्य	कुल	
V	(विकाऊ २५% से ३०%)						
उत्पादन	१००.००	—	१००.००	१११	—	१०४.३४	+४.३४
विकाऊ	२५.००	१.००	२५.००	३३.३	०.६०	२६.६४	+१.६४
घरेलू खपत	७५.००	१.००	७५.००	७७.७	१.००	७७.७०	+२.७०
VI	(विकाऊ २५% से २०%)						
उत्पादन	१००.००	—	१००.००	८६	—	८२.५६	-७.४४
विकाऊ	२५.००	१.००	२५.००	१७.८	१.२०	२१.३६	-३.६४
घरेलू खपत	७५.००	१.००	७५.००	७१.२	१.००	७१.२०	-३.८०

मॉडल I तथा मॉडल V की तुलना करने से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि कृषि-आयनी विकाऊ-उपज का अनुपात बढ़ा कर अधिक नकद आय प्राप्त कर सकते हैं यद्यपि इससे कुल वास्तविक आय में थोड़ी-सी कमी आएगी।

१०.५ कीमत-नीति

उपरोक्त विश्लेषण का मूल निष्कर्ष यही है कि आर्थिक सबूद्धि को उद्दीपित करने के यन्त्र के रूप में कृषि-कीमत-नीति के बल सीमित तथा सहायक योग ही दे सकती है। आर्थिक संबूद्धि के जनन हेतु कोई भी सार्वजनिक नीति उत्पादन एवं बाजार प्रधान होनी चाहिए। यही कारण है कि कृषि-रूपांतरण तथा विकास के यन्त्र के रूप में प्रौद्योगिकीय (तकनीकी) परिवर्तन कृषि-कीमत-नीति से बढ़ कर है।

प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, निविट्टियों के उपयोग की दृष्टा में बढ़ि करता है और इस प्रकार उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कम करके लाभकारिता को बढ़ाता है। इससे कृषि-उत्पादन को बढ़ाने में उसी प्रकार में प्रेरणा मिलती है जिस प्रकार कीमतों के बढ़ने से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जहाँ कीमत बढ़ि विक्रय-अधिशेष के अनुपात में लाभ पहुँचाती है, वहाँ प्रौद्योगिकीय परिवर्तन सकल उत्पादन के अनुपात से लाभ पहुँचाता है। हाल ही में विकसित अधिक पैदावार देने वाली किसी जैसे नवक्रियाएँ की त निविट्टियों के बहुत उपयोग को अधिक लाभशद बनाती हैं। अतः एक प्रभावी कीमत-नीति प्रौद्योगिकीय परिवर्तन से सबधित होनी चाहिए। इस संदर्भ में निविट्टियों का उचित कीमत-निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि-कीमत-नीति प्रौद्योगिकीय परिवर्तन को तीव्र करने में उपयोगी तथा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। एक उत्तम कीमत-नीति वस्तुतः प्रभावी उत्पादन-नीति ही है। तभी यह कृषि-विकास के आदर्श-यन्त्र के रूप में कार्य कर सकती है।

१०.६ कीमतों में उत्तार-चढ़ाव के कारण

इस परिच्छेद में हम कृषि-कीमतों में उत्तार-चढ़ाव के कारणों तथा आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए कीमतों को स्थिर करने के उपायों का विवेचन करेंगे। निम्न आय वाले देशों में कृषकों की बहुत बड़ी सह्या के पास विक्रय के लिए बहुत कम विक्रेय अधिक्षेप होता है और उनके पास पर्याप्त क्रय-शक्ति नहीं होती जिसका परिणाम यह होता है कि कीमतों में मामूली उत्तार-चढ़ाव भी उनके लिए सकारात्मक रूप में हानिकारक सिद्ध होते हैं। कीमतों में वृद्धि निर्वाहमात्री कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के, जिनकी सह्या बहुत अधिक है, कट्टों को बढ़ाती है। कीमतों में गिरावट कृषकों की वास्तविक आय में गिरावट लाती है। कीमतों में उत्तार-चढ़ाव के कारण आय में उत्तार-चढ़ाव होता है जो कृषि निवेश-निर्यांशों की ग्रलाभ-कर-प्रणाली का कारण बनते हैं और अनिश्चितता तथा अद्वितीयता को जन्म देते हैं।

कीमतों में अनिश्चितता के कारण कृषक अपने उत्पादन के आयोजन के लिए विवेकपूर्ण नीति नहीं अपना सकता जिससे संताधन-उपयोग से अपब्यय होता है। वह विभिन्न कृषि-संक्रियाओं में उपलब्ध संसाधनों का प्रभावपूर्ण ढंग से आवटन नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त कृषक उस फसल के उत्पादन का जोखिम उठाने के लिए कम तैयार होंगे जिसकी कीमतों में उत्तार-चढ़ाव काफी होता है। कृषि में अनुवर्ती निवेश के अभाव में सारे समाज को हानि होती है। सबैपे में, हम कह सकते हैं कि कीमत-अनिश्चितता हमारी कृषि की अद्वितीयता तथा पिछड़ेपन का एक कारण है और उन कारकों को निष्फल करने के लिए जो कीमतों में उत्तार-चढ़ाव लाते हैं, कड़े उपाय करने होंगे। तभी कृषि का आधुनिकीकरण किया जा सकता है।

कीमत उत्तार-चढ़ाव की व्याप्ति व्यापार चक के एक भाग के रूप में की जा सकती है। कीमतों में उत्तार-चढ़ाव व्यावसायिक ममृद्धि तथा मदी की प्राकृतिक उपनतियों के कारण होता है। ममृद्धि तथा मदी हर प्रकार की आर्थिक गतिविधि का मुख्य भाग है। व्यापार चक की माधारणतः चार स्थितियाँ हैं—तेजी, गिरिसत्ता (प्रतिकरण) मदी, पुनर्व्याप्ति। अतः कीमत-परिवर्तन चक्रीय उत्तार-चढ़ाव के कारण होते हैं जिनकी दो मुख्य दशाएँ हैं—तेजी तथा मदी अर्थात् व्यापार-चक के अधिकतम तथा न्यूनतम बिन्दु। तेजी स्फोटिकारी-परिस्थितियों को व्यक्त करती है तथा मांग और कीमतों की बहुमुखी वृद्धि में दिवार्डि देती है। दूसरी ओर मदी मांग और कीमतों की बहुमुखी गिरावट में प्रदर्शित होनी है। वास्तव में उत्तर मौसमी अवस्था वार्षिक उत्तार-चढ़ाव उत्पादक तथा उपनोत्ता, दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्पादक तथा वितरक इन उत्तार-चढ़ावों को रोकने का प्रयत्न करते हैं परन्तु इस उपनति को पूर्णतः अवरुद्ध करने में मायन्यता वे असफल रहते हैं। फिर भी चक्रीय विरोधी नीतियाँ चक्रीय उत्तार-चढ़ाव को निरस्त कर सकती हैं।

निम्न आय वाले देशों में कृषि-पदायांशों की पूर्ति-लोच तुलनात्मक रूप में कम है और कृषक पूर्ति की मांग के अनुरूप समायोजित करने की स्थिति में नहीं है। अतः कृषि-पदायांशों की पूर्ति की लोकहीनता द्वारा कीमत उत्तार-चढ़ाव का एक अन्य कारण है।

इसके अतिरिक्त, कृषि एक अनिश्चित उद्योग है। मुज़ा, बाड़, प्रकाल तथा अधड़ भारत में बारंबार घटित होते हैं और फसनों व जान-माल की अत्यधिक क्षति के कारण कीमतों में कष्टदायक बढ़ि होती है जो कृषकों की कठिनाइयों व मुसीबतों को और अधिक बढ़ाती है। कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के अन्य कारण हैं— जनसंख्या का तेजी से बढ़ना तथा सरकारी नीति में एकरूपता तथा संगति का अभाव; कीमतों में उतार-चढ़ाव योक्ता व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सट्टेबाजी, और बाजारी तथा जमान्होरी के कारण भी होता है।

दूसरी ओर कीमतों में स्थिरता उन कृपकों की आय-बढ़ि में योगदान देती है जिनके पास काफी विशेष अधिशेष है और इस प्रकार निवेश को बढ़ावा देती है जिससे सारी अर्थ-व्यवस्था और समाज को निश्चितता की दृष्टि से बल प्राप्त होता है। यह ध्यान रहे कि कृषि-उत्पादन में बढ़ि निवेश पर निर्भर है और इसलिए सब निम्न आय वाले देशों में कीमत स्थिरता-उत्पादन-दक्षता, आय-सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी है।

स्थिर कीमते निर्वाहमात्रों जोतदारों के लिए सदा ही लाभदायक नहीं होतीं। परन्तु वे इसलिए न्यायसंगत हैं क्योंकि वे उनके वर्तमान आय-स्तर को स्थिरता प्रदान कर उनके हितों की रक्षा करती हैं। यह भी ध्यान रहे कि अल्पकाल के लिए कीमतों में स्थिरता उचित साधन-आवटन की निश्चित गारंटी नहीं है जबतक इसके साथ-साथ कृषि-उत्पादन में भी बढ़ि न हो। परन्तु कटाई के समय कीमतों में मंदी को रोकने के लिए, भौतिकी कीमतों में सामान्य से अधिक बढ़ि को रोकने के लिए और फसल कटाई के समय कीमतों को स्थिरता प्रदान करने के लिए कीमत स्थिरीकरण नीति का होना आवश्यक है।

विचौलियों द्वारा कमाए जाने वाले बहुत लाभ तथा कीमत-स्थिरीकरण की जहरत राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक बना देते हैं। कीमतों में उतार-चढ़ाव को कम करने तथा कीमतों को उचित स्तर पर स्थिर रखने के लिए राज्य द्वारा एग उठाए जाने चाहिए ताकि उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

कृषि-पर्यायों के सबवध में कीमत-नीति इस प्रकार से निर्धारित होनी चाहिए जिससे कृषि क्षेत्रक में तेजी से बढ़ती हुई उत्पादिता की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। एक और तो उत्पादकों द्वारा प्राप्त की जाने वाली कीमत इतनी आकर्षक होनी चाहिए जो उन्हें अधिक भ्रम लगाने और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करे और दूसरी ओर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपभोक्ताओं को अत्यधिक अनुचित कीमतें अदान करनी पड़े।

संक्षेप में कीमत-संरचना ऐसी होनी चाहिए जो उत्पादक को अधिक प्रतिफल दिलाए, बेकार जनशक्ति की कृपीतर क्षेत्रक में स्थायी रोकगार पाने में सहायता करे और कृषि क्षेत्रक में तकनीकी ज्ञान तथा कौशल के अधिक उपयोग को प्रोत्साहन दे।

१०.७ नीति-संबंधी उपाय तथा कार्यक्रम

प्राथमिक उत्पादकों द्वारा प्राप्त की जाने वाली कीमतों अथवा आय को स्थिर करने के लिए, प्रत्येक प्रकार की नीतियों की रचना की गई है जिनमें से कुछ एक का वर्णन नीचे किया जाएगा। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के उपाय करने होंगे। उदाहरणातः यदि कीमतों में उतार-चढ़ाव चक्रीय दशा के एक भाग के रूप में होता है, तो चक्रीय विरोधी

उपाय प्रभावी होगे। मंडी यथार्थ कीमतों में हर तरह गिरावट की स्थिति में ग्रीमण क्षेत्र में उपयुक्त लोक-निर्माण-कार्य, निवेश की उच्च दर को बनाए रखने तथा उपयुक्त वित्त तथा मुद्रा-नीतियों के कार्यान्वयन सबधी कार्यक्रम चालू करने होगे। मंडी में ग्रीमणी बहुतायत के फलस्वरूप कीमतों में गिरावट की स्थिति में नीति यह हो सकती है कि सरकार नियत कीमतों पर फालतू भंडार को खरीद ले। इसी प्रकार यदि पदार्थ को कम क्षेत्र पर उपजाया जाए या उत्पादन में कमी को जाए तो कीमतों के बढ़ने की समावना है परन्तु यह उपाय निम्न आय वाले देशों में अत्यधिक अव्यावहारिक है। कई बार उत्पादन को सीमित करने के लिए जुताई में कमी की जाती है और इसके उपलक्ष में कृपकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। चरम परिस्थितियों में फालतू अनाज को जला दिया या नष्ट कर दिया जाता है। व्यावहारिक दृष्टि से उपाय या कार्यक्रम का निम्न कोई भी निर्दिष्ट रूप हो सकता है :—

(क) सुरक्षित भंडार का निर्माण : खाद्य अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में सुरक्षित भंडार के निर्माण का बड़ा महत्व है। सुरक्षित भंडार प्रतिकूल वर्षों में उत्पादन कम होने पर बाजारी अभाव को पूरा करने के लिए ही जहरी नहीं बल्कि कीमत को अन्तर-मौसमी स्थिरता प्रदान करने के लिए भी जहरी है। कीमतों का नियंत्रण क्षय-भंडारण-विक्रय कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। जब कीमतों के गिरने की प्रवृत्ति होती है, तो सरकार कीमत-समर्थन हेतु अपने भड़ारों को बड़ा लेती है और विलोमतः जब परिस्थितियाँ कीमत बढ़िकी और प्रवृत्त हों, तब सरकारी एजेंसी औसत कीमत को बनाए रखने के लिए अपने भड़ारों में से अनाज को बेचती है।

अतः नियंत्रण देशों में पर्याप्त आकार का सुरक्षित भड़ार उनकी खाद्य-नीतियों का केन्द्रीय अग्रणी होगा। अनुमान है कि मारत में ५० लाख टन अनाज का सुरक्षित भड़ार अपसामान्य उत्तर-चढ़ाव को छोड़कर शेष सब प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त होगा। परन्तु ऐसे सुरक्षित भड़ार के निर्माण के लिए काकी भड़ारण, प्रशासनिक तथा वित्तीय सम्बन्धों की आवश्यकता होती है। हो सकता है इस कार्यक्रम से सामान्य विपणन-माध्यम अवयव-स्थित या अस्त व्यस्त हो जाए। भारत में यह प्रबन्ध भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है।

(ख) सुरक्षित निधि की स्थापना—इस कार्यक्रम में एक सुरक्षित निधि की स्थापना की जाती है जिसका एक क्षतिपूर्ति व कराथान को योजना द्वारा कीमतों तथा आय को स्थिर करने हेतु उपयोग किया जाता है। इस योजना के अधीन सरकारी या संस्थागत अधिकारियों (जैसे उत्पादक सहकारी समिति) उपज को निर्दिष्ट या लक्ष्य कीमत पर खरीदने का वायदा करता है और उसे उत्पादकों की ओर से बाजार में बाजार कीमत पर बेचता है। यदि एजेंसी द्वारा प्राप्त बाजार कीमत औसत या लक्ष्य कीमत से अधिक हो तो अतिरिक्त प्राप्ति के बराबर कर लगाया जाता है और कर-राशि-निधि में डाल दी जाती है। यदि लक्ष्य कीमत ठीक प्रकार से नियत की जाए तो कर राशि क्षति पूर्ति-राशि के बराबर होगी तथा निधि का औसत मान शून्य होगा। परन्तु औसत कीमत-निधारण करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। योजना की सफलता इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली एजेंसी के

सदस्यों की ईमानदारी पर निर्भर है।

(ग) कीमत-विभेद तथा द्वि-कीमत कार्यक्रम-कीमत विभेद कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मांग लोधी वाली विभिन्न मण्डियों में निम्न-निम्न कीमतें नियत की जाती हैं। इस कार्यक्रम का कार्यन्वयन करने वाले अभिकरण को बाजारों को पृथक्-पृथक् करने का पर्याप्त एकाधिकार दिया जाता है। योजना के अधीन बहुत फसल के एक भाग को न्यून लोचदार मांग वाले बाजार से अधिक लोचशील बाजार में भेजा जाता है। यह दिक्षपरिवर्तन स्थिरता में वृद्धि लाता है। ज्ञात हो कि खाद्यान्धों के लाने-सेजाने पर धेनीय प्रतिवन्धों से अन्तर क्षेत्रीय अधिका अन्तर्राज्य कीमत-अन्तर उत्पन्न होते हैं।

हमें ज्ञात है कि कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप निर्धन नगरीय उपभोक्ताओं की वास्तविक आय में बहुत कमी हो जाती है। इसलिए उचित यही है कि ऐसे उपभोक्ताओं को रियायती दरों या सामान्य कीमत (अर्थात् वह कीमत जो सामान्य फगल के होने पर होती है) पर अनाज सप्लाई किया जाए। इसमें राशनिंग की आवश्यकता होगी। उन उत्पादकों पर जो कीमतों में वृद्धि से लाभान्वित होगे, सरकारी उपदान की क्षतिपूर्ति के लिए कर लगाए जा सकते हैं। कृषकों पर इस बोझ को कम किया जा सकता है यदि सरकार उपज के एक भाग की ही प्रनिवार्य वसूली करे और उन्हे शेष अनाज को खुले बाजार में बेचने की आज्ञा हो। इसका परिणाम यह होगा कि खुले बाजार में कीमतें बहुत चढ़ जाएंगी।

इस प्रणाली में प्रत्येक मूल पदार्थ के लिए द्वि-कीमत नियन्त्रित बाजार होगा। इसमें निर्धन लोगों को कम कीमतों पर न्यूनतम सप्लाई की गारन्टी मिल जाती है जबकि वे सोग जो अधिक मात्रा का उपयोग करते हैं और अधिक कीमत दे सकते हैं, बाजार से ऊँची कीमत पर खरीद सकेंगे।

एक बेहतर विकल्प यह है कि ग्रामीण छोटों में सार्वजनिक वितरण (राशनिंग) प्रणाली चानू की जाए तथा उत्पादन न करने वाले ग्रामीण निर्धनों को रियायती दरों पर अनाज वितरित किया जाए। उदाहरणार्थ सरकार चीनी को नियत राशन मात्रा में उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से नियन्त्रित कीमतों पर वितरित करती है जबकि खुले बाजार में इसकी कीमत काफी ऊँची है। चीनी के आशिक विनियवण अथवा नियवण का प्रोग्राम वास्तव में कीमत-विभेद (या द्विकीमत) का प्रोग्राम है। चीनी मिलों को खुले बाजार में बेचे जाने वाली चीनी पर उत्पादन शुल्क के रूप में विशेष लेवी देनी पड़ती है। अर्तः कीमत विभेद का कार्यक्रम सकल सरकारी आय को बढ़ाने में भी योगदान देता है। खुले बरजार में चीनी की सप्लाई सरकार द्वारा आवधिक मोन्तन के अनुभार होती है। स्कीम की सफलता कमज़ोर वर्गों को पर्याप्त मात्रा में अनाज के दक्ष वितरण पर निर्भर होगी। दक्ष वितरण के लिए पर्याप्त सुरक्षित भड़ार का निर्माण करना होगा।

(घ) पेशबंदी तथा जिन्स वायदा सहायात्राओं को विकसित करना (हैडिंग एण्ड डेवलपिंग कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट्स) — किसी विशेष उद्देश्य हेतु पृथक्वर्त (जिन्स) सविदा (अनुबद्ध : मर्केन्डाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट) के स्थान पर अस्थायी प्रतिस्थायी के रूप में वायदा (फ्यूचर्स) सविदा (अनुबद्ध) का उपयोग पेशबंदी कहलाती है। यह जोखिम को दूर करने अथवा कम करने की एक युक्ति है। इस सदर्भ में बुआई के समय ही अर्थात् उत्पादन पूरा होने से पहले ही

उत्पादक वायदों (ग्रुवर्स) के विकल्प-मनुबन्ध करके पेशवदी कर लेते हैं। यह खास जिनसों की जिनकी उपज हो रही होती है, वायदा विक्री के प्रतिस्थायी का काम करती है। पेशबंदी का उद्देश्य चानू कीमतों का साम उठाना होता है या भिन्न-भिन्न वैकल्पिक उपायों के चुनाव द्वारा अद्यव्यवस्था में कुछ फायदा प्राप्त करना होता है। 'पेशबंदी' या क्षति अवरोधक 'विक्री' चानू कीमतों पर पर्णों की वायदा विक्री को बढ़ावा देती है और उत्पादक को उपज की भावी कीमत-प्रनिश्चितताओं से छुटकारा दिलाती है। सरकार सविदाओं की उपयुक्त खरीद व विक्री करके तथा कृपकों का फल केत होते जैसी कुछ क्षतियों का बीमा करके उत्पादक पेशबंदी को प्रोत्साहन कर सकती है। स्थिर भावी वायदा सट्टाबाजारी कीमत की सकल्पना में 'वायदा कीमत' का नियन्त्रण शामिल है।

अतः वायदा कीमतों का नियन्त्रण कृपि-नीति की पहली शर्त है। सरकार को समय-समय पर वायदा कीमतों की घोषणा करनी चाहिए जो कम से कम एक उत्पादन-प्रवधि तक लागू रहे। इससे कीमत-निश्चितता प्राप्त होगी, कृपि-प्राय स्थिर होगी और कृपि में अधिक साधान-दबता उत्पन्न होगी। जहाँ कम कीमतें अधिक उत्पादन करने के उत्पाद हो समाप्त कर देती हैं, वहाँ स्थिर कीमतें अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती हैं। इससे आयोजन में अधिक यथार्थता आती है।

स्थिरता प्रदान करने के अन्य कार्यक्रम हैं—विक्रेय उपज की गुणवत्ता का नियमन या अन्तर्राष्ट्रीय बस्तु विनियम द्वारा व्यापार करना। कई बार सरकार स्थिरता प्रदान करने के लिए अन्य देशों के साथ व्यापार करार करती है। आम तौर पर विभिन्न परिस्थितियों में चलाए जाने वाले कार्यक्रम उपरोक्त उपायों या विधियों के विभिन्न रूप होते हैं।

१०.८ समर्थित (टेक) कीमतें तथा समर्थन-स्तर

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऐसी फसल, जिसकी स्थिति में कीमत-प्रनिश्चितता काफ़ी अधिक होती है, के उत्पादन में बूढ़ि करने के लिए कीमत की गारन्टी का कार्यक्रम आवश्यक है। वास्तव में उपरोक्त सब कार्यक्रम-नीतियाँ उपज के लिए प्रेरणात्मक कीमत की संकल्पना के इन-गिर्द घूमती हैं। न्यूनतम कीमतों का निर्धारण कृपि-उत्पादन हेतु 'प्रेरणा' के रूप में महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार उचित उपभोक्ता कीमतों की सकल्पना हेतु उच्चतम कीमत सीमाओं के निर्धारण की भी आवश्यकता है। यही कारण है कि निम्नतम निर्धारित कीमतें तथा उच्चतम निर्धारित कीमतें कीमत-नीति के प्रनिवार्य अंश व सिद्धांत हैं। एक विवेकपूर्ण कीमत नीति वह होगी जिसमें प्रत्येक कृपि जिन्स की विपणन-कीमत को समर्थन प्राप्त होगा। यह व्यापन रहे कि सरकारी खरीद के विभिन्न स्थितियों में विभिन्न उद्देश्य हैं। कभी के समय में सरकार की खरीद 'बसूली' (प्रोक्योरमैट) का रूप लेगी जबकि अधिकता के समय यह खरीद-कीमत समर्थन के उद्देश्य से की जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न समर्थित कीमतें नियत करनी होगी। यहाँ समर्थित कीमतों व बसूली (समाहरण) कीमतों में अन्तर को समझ लेना चाहिए।

न्यूनतम समर्थित कीमत एक प्रकार की बीमा कीमत है। एक बार समर्थित कीमत घोषित होने पर सरकार उस कीमत पर फसल की असीमित मात्रा को खरीदने में बाध्य

होगी चाहे फसल किसी भी हो और चाहे बाजार-कीमत कुछ भी ब्यो न हो । न्यूनतम समर्थित कीमत में प्रति इकाई उत्पादन लागत कवर हो जानी चाहिए । प्रचालन-लागतों में मानव-श्रम, पशु तथा मशीन-श्रम वीज, उर्वरक, कौटनाशी तथा सिंचाई प्रभार ज्ञामिल हैं । बधी लागतों में निजी भूमि का लगान-मूल्य, पट्टे पर ली हुई भूमि का किराया, भू-राजस्व य अन्य कर तथा स्थायी परिसम्पत्ति पर ब्याज व मूल्यहास आते हैं । इसके अतिरिक्त न्यूनतम समर्थित कीमतों में कृपक के सामान्य लाभाश का भी समावेश होना चाहिए । उदाहरणात् यदि उत्पादन बहुत अधिक हो और बाजार कीमतों में मन्दी आ जाए, यहाँ तक कि वे न्यूनतम समर्थित कीमतों से भी नीचे चली जाएं, तो किसानों को कोई विशेष चिन्ता नहीं होनी चाहिए क्योंकि सरकार धोयित समर्थित कीमत पर फसल को लेने के लिए बाध्य है । सरकार को चाहिए कि वह प्रत्येक प्रमुख फसल के लिए तुग्राई से बहुत पहले न्यूनतम समर्थित कीमतों की धोयणा कर दे ताकि कृपकों को प्राप्त होने वाली बीमा मात्रा का ज्ञान हो सके । इससे ससाधनों के दक्ष आवटन में सहायता मिलेगी ।

समर्थन-स्तर वर्तमान पूर्ति एवं मार्ग-स्थिति के मूल्याकान द्वारा निर्धारित किया जाता है । मार्ग-अनुमान जनस्वया तथा प्रतिव्यक्ति आय के बहिर्वेशन, आय-मार्ग-लोच-अनुमान तथा मुद्रा पूर्ति जैसे अन्य कारकों पर आधारित होते हैं । पूर्ति का अनुमान प्रौद्योगिकीय निविष्टियों तथा भौमिक में परिवर्तनों को ध्यान में रखकर प्रतिदर्श सर्वेक्षण अथवा बहिर्वेशन द्वारा लगाया जाता है । साधारणतः समर्थन-स्तर फसल के साईंज का व्युत्क्रमानुपाती (सपोर्ट लेवल बेराइज इनवर्सली विधि व साइज ऑफ द क्रॉप) है । वसूली या समाहरण-कीमतों का ध्येय समर्थित कीमतों से कुछ भिन्न है । जब कृपक स्वयं अपने अनाज को सार्वजनिक एजेंसियों के पास बेचना चाहते हैं जैसे अधिक उत्पादन होने पर, तब समर्थित कीमतों की सार्थकता है परन्तु जब सरकार अपनी ओर ने कृपकों से अनाज खरीदना चाहती है ग्राह्यात् जब सरकार बाजार में फसल की उपलब्ध पूर्ति के एक भाग को प्राप्त करने की बड़ी ज़रूरत अनुभव करती है तो वसूली कीमतों के निर्धारण की आवश्यकता है । यदि वसूली कीमतें वास्तविक बाजार कीमतों को तुलना में बहुत कम होगी, तो किसान या व्यापारी स्वेच्छा से अपने भण्डार को सरकार के पास नहीं बेचेंगे । दूसरी ओर अनाज की वसूली का मुख्य उद्देश्य समाज के उन कमज़ोर बगों को, जो अभाव के समय चालू बाजार-कीमत पर बनाज नहीं खरीद सकते, उचित कीमतों पर अनाज का सप्लाई करना है । अतः वसूली का ध्येय समाप्त हो जाएगा यदि वसूली-कीमत वही हो जो बाजार कीमत हो । वसूली-कीमत सामान्यतः समर्थित कीमत के स्तर से कुछ अधिक हो सकती है परन्तु यह बाजार कीमत के वरावर नहीं हो सकती । क्योंकि बाजार की परिस्थितियों को यथार्थता से फसल की कटाई के ही बाद आंका जा सकता है, इसलिए वसूली कीमत की विपणन-समय के समीप आने पर ही विफारिश की जा सकती है । अतः समर्थित कीमतों की धोयणा तुग्राई से कुछ समय पूर्व तया वसूली कीमत की कटाई से तुरन्त पहले की जानी चाहिए । सीमात् यवस्था में, जब बाजार में अनाज की बहुलता हो, तो वसूली कीमत न्यूनतम समर्थित कीमत की ओर झुकती है । अन्य भौसमों में, यह कुछ अधिक होगी । दोनों कीमतों में अन्तर बाजार की वास्तविकता और तथा सार्वजनिक वितरण-व्यवस्था की आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित होगा ।

कृषि-कीमत कार्यक्रमों के सचालन में यह ज़रूरी है कि इनमें भण्डारण-लागतों को पूरा करने के लिए पूर्णतः पर्याप्त मीसभी कीमत-वृद्धि की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार विशिष्ट मण्डियों में कीमतों में पूरी परिवहन-लागतों का समावेश होना चाहिए। वरेतु कृषि-कीमतों का नियतन अपनाई जाने वाली व्यापारिक नीतियों के अनुरूप होना चाहिए। उप-मोक्ता कीमतों का नियतन निम्न सोशनों से सम्बद्ध होना चाहिए।

(i) उत्पादकों के लिए उचित तथा आधिक कीमतें (ii) उचित थोक विकेता साम (iii) उचित फुटकर विकेता का साम अथवा सरकारी अधिग्रहण की अवस्था में संचालन-चय तथा (iv) उपभोक्ता के लिए उचित कीमत। कई बार कमज़ोर वर्गों की सहायतार्थ सरकार को रियायती दरों पर अनाज देना पड़ता है। इस हेतु सरकार को उपदान या सब-सिडी की अवस्था करनी पड़ती है। यह ध्यान रहे कि बहुत अधिक सबसिडी जहाँ सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ डालती है वहाँ स्फीतिकारी शक्तियों को जन्म देती है। इसलिए कीमत निर्धारित करते समय उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों वर्गों के हितों में सामर्जस्य होना ज़रूरी है।

१०६ सारांश : समर्थन-कार्यक्रमों के ध्येय तथा विशिष्ट समर्थन उपाय

उपरोक्त ग्रन्थ्यन से स्पष्ट है कि कृषि-कीमत समर्थन-कार्यक्रमों का मूलभूत उद्देश्य कृषि आय-स्तर में बढ़ाव लाना है। उद्देश्य यह है कि फार्म-परिवारों की आय फार्म-तर-परिवारों के अनुरूप हो जाए अर्थात् फार्म तथा आय फार्म-तर परिवारों की औसत आय बराबर हो जाए। आय-क्षमता (इनकम पेरिटी) के ध्येय को पूरा करने के लिए यह ज़रूरी है कि कृपकों को संरक्षण दिया जाए क्योंकि वे अपनी उपज को अत्यधिक स्पर्धात्मक बाजार में बेचते हैं जबकि उन्हें एक सरक्षित तथा आशिक रूप में एकाधिकारी बाजार में से खरीद करनी पड़ती है।

समर्थन का दूसरा ध्येय कृपक के लिए अधिक आय-सुरक्षा प्रदान करना है। फार्म-कीमतें मांग तथा पूर्ति में परिवर्तनों से इतनी प्रभावित होती हैं कि एक भरपूर फमल या मांग में कमों कीमतों तथा आय को बहुत अधिक कम कर सकती हैं। इसलिए उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नतम समर्थित कीमतों को नियत करना ज़रूरी है। कहने का अनिप्राय यह है कि कीमतों का स्थिरीकरण ही कृपक को आय-सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

समर्थन-कार्यक्रमों का तीसरा ध्येय उत्पादन-समायोजन को प्रेरित करना है। फार्म कीमतें इननी अनिश्चित हैं कि कृपक उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप अपने भावी उत्पादन का निरुद्योग नहीं कर सकते। इसलिए समय से पहले ही कीमत-समर्थनों की धोयणा कर दी जानी चाहिए ताकि वे मांग में परिवर्तन के अनुसार अपने समाधानों के उपयोग को समायोजित कर सकें। बायदा कीमतें कृपकों का उत्पादन सम्बन्धी मार्गदर्शन करती हैं।

कृषि-कीमतों के समर्थन के तीन उपाय हैं—पूर्ति में न्यूनता, कीमतों में कमी के बदले प्रत्यक्ष अदायगी तथा मांग-विस्तार।

सरकार समर्थित कीमतों पर बाजार द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा से अधिक उपज को खरीदकर पूर्ति में कमी कर सकती है। दूसरा उपाय उत्पादन पर नियन्त्रण का है। परन्तु यह ध्यान रहे कि एक विशिष्ट पदार्थ के उत्पादन में कमी करना तभी उचित है यदि इस

न्यूनता के कारण निमुक्त भूमि, श्रम तथा पूँजी आदि संसाधनों का उपयोग किसी अन्य पदार्थ के उत्पादन में उत्तीर्ण हो बृद्धि के लिए किया जाए ताकि सामाजिक उत्पाद अधिकतम किया जा सके। नवीन निविटियों तथा नवक्रियाओं के कारण उत्पादिता में इतनी बृद्धि हो जाती है कि क्षेत्र को कम करके उत्पादन-नियन्त्रण कीमत-समर्थन का प्रभावी उपाय नहीं रहा। आयात-प्रतिबध लगा कर या निर्यात-उपदान देकर भी घरेलू पूर्ति को कम किया जा सकता है और कृषि-कीमतों का समर्थन किया जा सकता है। यदि बाजार कीमत समर्थन-स्तर से कम हो तो कृषक को इस अन्तर की अदायगी करके भी पूर्ति को कम किया जा सकता है। निर्यात आर्थिक सहायता का आधार यह है कि ऐसे पदार्थों की अधिक मात्रा को विश्व की मंडियों में कम कीमत पर बेचा जाए और घरेलू मंडियों में घटी हुई पूर्ति को ऊँची कीमत पर बेचा जाए। इनमें से किसी भी कार्यक्रम को कृषि-कीमत नीति के अन्तर्गत प्रयोग में लाया जा सकता है। अगले परिच्छेद में भारत में कीमत नीति सम्बन्धी कृषि-कीमत-आयोग के कार्य की समीक्षा की जा रही है।

१०.१० कृषि-कीमत आयोग तथा नीति उपाय

(क) नीति के अध्येय—कीमत-नीति को किसी भी समीक्षा को शुरू करने से पहले अधोविश्वान ध्येयों को भलीभांति समझ लेना चाहिए। इनका कथन कृषि-कीमत-आयोग (एग्री-कल्चरर प्राइम कमीशन · एपीमी) के, जिसकी स्थापना १९६५ में हुई, उद्देश्य-पत्र में मिलता है। कृषि-कीमत-आयोग से रुहा गया कि वह अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में तथा उत्पादकों व उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कृषि-पदार्थों के लिए सापेक्ष कीमत-सरचना के माध्यम से सरकार को कीमत नीति पर सलाह दे। आयोग को यह भी जतलाया गया कि वह कीमत नीति की सिफारिश करते समय उत्पादकों को प्रेरणा देने की आवश्यकता तथा भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखे। उन्हे इस बात पर भी विचार करना होगा कि उनके द्वारा सुझाई हुई कीमत-नीति का शेष अर्थव्यवस्था पर क्या संभावित प्रभाव होगा? कृषि कीमत आयोग काफी हृद तक अपनी सिफारिशों में इन बातों का ध्यान रखता रहा है परन्तु ये कभी भी नीति निर्माताओं (मुख्यमन्त्रियों) द्वारा स्वीकार नहीं की गईं। कई बार यह आभास होता है कि कहीं सरकारी कीमत-नीति के वास्तविक उद्देश्य उपरोक्त घोषित उद्देश्यों से भिन्न तो नहीं? इसका विवेपण हम नीचे कर रहे हैं।

(ख) नीति-उपाय (।) कीमत-संरचना : (दी प्राइस स्ट्रक्चर) —सिद्धान्ततः एव व्यवहार में कीमत ढाँचा (सरचना) तीन स्रोतों से निर्मित है—प्रथम न्यूनतम समर्थित कीमत, द्वितीय व्यमुक्ती या समाहरण कीमत तथा तृतीय-बाजार कीमत। चतुर्थ स्रोतन कानूनी अधिकतम कीमत का हो सकता है परन्तु व्यापक चोर बाजारी की उपस्थिति में इसकी कोई सार्थकता नहीं। इस कीमत-सरचना के सुकल्पनात्मक ढाँचे को आसानी से समझा जा सकता है। न्यूनतम समर्थित कीमत लागतों को पूरा करेगी तथा इसमें सामान्य लाभ भी सम्मिलित होगे। व्यमुक्ती (समाहरण) कीमत बाजार कीमत से कम परन्तु समर्थन स्तर से ऊपर होनी चाहिए। अतः व्यमुक्ती को अनिवार्य ₹० में एक कर माना जाना चाहिए।

यदि मुख्य घेय कीमत में कमी हो, तो उपरोक्त योजना सही है। परन्तु यदि उद्देश्य कीमतों को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना हो तो वसूली कीमत की बाजार-कीमत से कम होने की कोई ज़रूरत नहीं। वसूली कीमतें बाजार-कीमतों के पीछे नहीं रह सकती। वे एक दूसरे के सदा समीप रहेगी। उस स्थिति में अच्छे वर्षों में भी समर्थित कीमतों का कोई रोल नहीं होगा। १९७३ में गेहूँ के योक व्यापार के सरकारी अधिग्रहण के असफल होने से पूर्व तक सरकार स्वयं भी समर्थित तथा वसूली कीमतों में अन्तर को स्वीकार नहीं करती रही। सरकार द्वारा १९६८-६९ में यह निर्णय कि क्योंकि सरकार विक्री के लिए प्रस्तुत अनाज की किसी भी मात्रा को वसूली कीमत पर निर्देशन के लिए बाध्य है, इसलिए न्यूनतम समर्थित कीमतों की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, इस बात की पुष्टि करता है। बड़े कृषकों का सरकार पर यह दबाव रहा कि वह बुआई से पहले वसूली कीमतों की घोषणा कर दे ताकि वे ग्रपने उत्पादन-प्रोग्राम को बनाने से पहले इसे जान सकें। क्योंकि योक व्यापार-अधिग्रहण के बाद सरकार ही प्रमुख केता होगा और सरकार द्वारा कृषि-कीमत-आयोग को रखी १९७३ की वसूली कीमतों को सितम्बर, १९७२ में ही घोषित करने के लिए बाध्य करना इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार की हृषि में कीमत-नीति के रूप में न्यूनतम समर्थित कीमतों का निर्धारण अनावश्यक था। अरीफ १९७३ के लिए भी यही नीति अपनाई गई है और आयोग को अपनी रिपोर्ट जून, १९७३ में देने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक ऐसे समय पर वसूली कीमतों के स्तर का निर्धारण करना जबकि बुआई की परिस्थितियों का ज्ञान तक नहीं, सही नहीं कहा जा सकता। आयोग द्वारा सुझाई गई वसूली कीमतों को न्यूनतम समर्थित कीमतें मान लेना आर्थिक चिन्तन के अभाव को प्रकट करता है। तथा इससे निहित स्वार्थ वाले तत्वों को सरकार पर दबाव डालने का ग्रवसर मिलता है। इसका परिणाम यह होता है कि फसल की असफलता के समय सरकार अनाज को पूरी वसूली नहीं कर सकती। योक व्यापार के सरकारी अधिग्रहण की असफलता के कारणों का विस्तृत विवेचन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। उस समय इस तथ्य पर भी प्रकाश ढाला गया था। सफल फसल वर्षों में वसूली (समाहरण) अनिवार्य रूप में एक समर्थन किया ही है। यह प्रबन्ध कीमतों में कमी करने की वाचिक नीति से कितना भगत है, इस पर अधिक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। कीमत नीति के दृष्टि के रूप में 'वसूली' प्रोग्राम का मूल्यांकन करने के लिए हमें नीति के एक अन्य दृष्टि 'वाल्य-नीति' पर प्रतिक्रिया का भी अध्ययन करना होगा।

(ii) मण्डलन अर्थात् अनाज की गति पर क्षेत्रीय प्रतिक्रिया-मण्डलन की अर्थात् लाद्यान्नों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाने ले जाने पर प्रतिक्रियों की नीति के पक्ष में एकमात्र सकं यह है कि प्रत्येक राज्य को अनाज का क्षेत्र बना देने से सरकार के लिए फालतू अनाज वाले राज्यों में अनाज की बड़ी मात्राओं को खरीदना आसान हो जाएगा। मण्डलन तथा कीमत-निर्धारण-नीतियों की अन्तिम कीमतों पर प्रभाव की सीमा वसूली कीमत, वसूली मात्रा तथा समाहूत ग्रनाज के वितरण के स्थान तथा कीमत पर निर्भर होगा। ये तीन तत्व औसत अद्वितीय कीमत को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। सरल अनुभविक नियम यह है कि 'अच्छे वर्षों में प्रतिक्रियों में फ़ील' दे देनी चाहिए। यह नीति विकेतामों के लिए हितकर होगी क्योंकि अनाज की बेरोक टोक गति प्रचुर फसल वाले

वर्षों में कीमतों में निरावट के विरुद्ध सर्वोत्तम नीति है जबकि कठोर मण्डलन या स्ट्रीय प्रतिबन्ध, कीमतों में काफ़ी कमी ला सकते हैं। समर्थित कीमत के रूप में वसूली कीमतें इस नीति को हटाता प्रदान करती हैं। अच्छे वर्षों में खेत्रीय प्रतिबन्धों में ढील समर्थन-नीति के तुल्य ही है। दोनों उपाय कृषकों के पक्ष में जाते हैं। बृहत् मण्डलों का कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं होता भर्थात् वे प्रभावहीन सिद्ध होते हैं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अनाज के लाने लेजाने पर प्रतिबन्धों में ढील पजाब तथा हरियाणा जैसे फालदू अनाज वाले राज्यों के किसानों के पक्ष में है परन्तु उत्तर प्रदेश जैसे आयात करने वाले राज्यों के किसानों के लिए मण्डलन (जोनिंग) ही हितकर है क्योंकि ऐसे राज्यों में मण्डलन की नीति फसल के समय की कीमतों में वृद्धि कर सकती है। यह व्यान रहे कि पजाब व हरियाणा में कुल विक्रेय अधिशेष का ७५ प्रतिशत भाग फसल के समय (अप्रैल-जून) ही मढ़ियों में आ जाता है जबकि उत्तर प्रदेश में यह आमद ५० प्रतिशत है। अक्तूबर से मार्च की कमी वाली अवधि में पजाब व हरियाणा में कुल विक्रेय अधिशेष का केवल ८ प्रतिशत भाग ही मढ़ियों में आता है जबकि उत्तर प्रदेश में २० प्रतिशत अधिशेष इन्हीं महीनों में मढ़ियों में लाया जाता है। बस्तुतः समर्थित कीमतें हर जगह के कृषकों के लिए सामन्त्रिक हैं यद्यपि वे पजाब तथा हरियाणा के कृषकों के अन्य राज्यों के किसानों की अपेक्षा अधिक अनुकूल हैं। इससे अन्तर्राज्य-अन्तर्रोपनीयों में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। सक्षेप में हम कह सकते हैं कि समर्थन नीति फसल-कटाई के समय कीमतों को बढ़ाती है तथा अमोसमी कीमतों को दिना छोड़े सामान्य स्तर पर रहने देती है।

(ग) वसूली (सरकारी खरीद) कीमत तथा उत्पादन-लागत—इसमें पूर्व कि हम उत्पादन-लागतों तथा वसूली कीमतों के बीच सम्बन्धों का अध्ययन करें, पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा निर्धारित समर्थित तथा वसूली-कीमतों का ज्ञान होना जरूरी है। सारणी १०.६ इन पर प्रकाश डालती है।

सारणी १०.६ वरित कृषि पर्यों की समर्थित तथा वसूली कीमतें

(रुपये प्रति विवटल)

फल	वर्ष	नारन्टीकृत समर्थित कीमतें	वसूली कीमतें (सरकारी खरीद)
भान	१९६६-७०	४५·००	४५·०० से ५६·२५
	१९७०-७१	४६·००	४६·०० से ७४·००
	१९७१-७२	—	५६·००
	१९७२-७३	—	५६·००
	१९७३-७४	*६३·००	७०·००
चावल	१९६६-७०	—	७२·६६ से ८६·००
(मिल का)	१९७०-७१	—	
	१९७१-७२	—	
	१९७२-७३	—	

ज्वार	१६६६-७०	४४००	५२००
	१६७०-७१	४५००	
	१६७१-७२		
	१६७२-७३		
गेहूं	१६७०-७१	—	७१ से ७६
	१६७१-७२	—	७१ से ७६
	१६७२-७३	—	७६
	१६७३-७४	—	७६
	१६७४-७५	८०८५	१०५+

नोट. *सरकार ने जून, १६७३ में धान की बसूली कीमत ६३ रु० निर्धारित की, परन्तु बाद में इसे समर्थित कीमत भान निया गया। + समर्थित एवं बसूली कीमत

यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना उचित ही होगा कि आज से कुछ वर्ष पहले तक प्रमुख कमलों के लिए न्यूनतम समर्थित कीमतें तथा बसूली-(श्रधार्ति-सरकारी खरीद) कीमतें पृथक्-पृथक् नियत की जाती थीं परन्तु बाद में बसूली-कीमत ही वास्तव में समर्थित कीमत बन गई। मुख्य मत्रियों ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि क्योंकि सरकार स्वयं ही गेहूं तथा चावल की प्रमुख कीता है, समर्थित कीमत के नियतन का कोई अर्थ नहीं। अतः सरकार ने न्यूनतम समर्थित कीमत निर्धारित करना बन्द कर दिया। सरकार द्वारा गेहूं के योक व्यापार के अधिग्रहण तक यही स्थिति थी। उस समय सरकार इस स्थिति पर जमी रही तथा ग्रनंक ओर से मुट्ठ मांग के बावजूद उसने बसूली कीमत में कोई भी परिवर्तन करने से इनकार कर दिया। इसी स्थिति पर रहते हुए सरकार ने जून १६७३ में ही खरीफ (धान) की फसल के लिए ६३ रु० प्रति किलो की बसूली कीमत की घोषणा कर दी। परन्तु उम समय सारी स्थिति बदल गई जब मुख्य मत्रियों ने केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय की सहमति से कीमत आयोग द्वारा खरीफ फसल के लिए बसूली कीमत की सिफारिशों को न्यूनतम समर्थित कीमतों में बदलने का निरांय ले लिया। इस संदर्भ में कृषि-कीमत आयोग के विचार स्पष्ट हैं:—

कृषि कीमत आयोग का कहना है कि 'अधिग्रहण के निरांय के बाद 'न्यूनतम समर्थित कीमत' की धारणा का उपयोग अनुकूल नहीं बनता। इसका अभिप्राय है—नियत कीमत पर गेहूं की एकाधिकार खरीद। एक ऐसे बाजार की अनुपस्थिति में, जिसमें मांग तथा पूर्ति शक्तियाँ कीमतों में परिवर्तन लाती हैं, बाजार कीमतों को समर्थन प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।'—खंड नाम कुछ भी हो, कृपको को कुआई की छट्टु से पहले उसकी उपज के प्राप्त होने वाली गारन्टी-कीमत का पता लगना ही चाहिए।

विचित्र बात तो यह है कि ग्रमी दो महीने पहले ही में मुख्यमत्री 'न्यूनतम समर्थित कीमतों' को निर्धारित करने के विरुद्ध थे। कृषि कीमत आयोग ने जिसकी सिफारिशों प्रायः विशुद्ध आधिकारिकों पर आधारित होती है, इसी बात को ध्यान में, रखते हुए खरीफ की बसूली-कीमत ५६ रु० प्रति किलो से बढ़ाकर ६३ रुपये प्रति किलो कर दी थी। परन्तु मुख्य

मन्त्रियों द्वारा इस कीमत को न्यूनतम समर्थित कीमत के रूप में स्वीकार करना इस बात का द्योतक था कि खरीफ फसलों की बमूली कीमतें इससे भी काफ़ी अधिक होगी। अक्टूबर, १९७३ में सरकार द्वारा धान की खरीद कीमत ७० रुपये प्रति किलोटल निर्धारित की गई। अभी भी १९७३ में ही मुख्य मन्त्री धान की बमूली कीमत ६५ रु. प्रति किलोटल निर्धारित करने की मांग कर रहे थे। सरकार के इस निर्णय के दो ही कारण हो सकते हैं— एक यह कि सरकार गेहूं के थोक व्यापार के अधिग्रहण-कार्यक्रम की असफलता के बाद किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहती और अपने बमूली संधर्य को पूरा करने के लिए किसी भी कीमत को देने के लिए तैयार है। दूसरे शब्दों में यह निर्णय व्याप्त सकट तथा आतक का परिणाम था। दूसरे यह कि सरकार किसान लांबी तथा अन्य निहित स्वार्थ वाले तत्वों के दबाव द्वारा प्रतावित हुई है। जो कुछ भी हो धान की बमूली कीमत में १४ रुपये प्रति किलोटल की अत्यधिक वृद्धि (१९७२ में ५६ रु. प्रति किलोटल से बढ़कर १९७३ में ७० रु प्रति किलोटल) किसी भी तरह न्यायोचित नहीं। कम से कम इतनी अधिक वृद्धि का कोई आर्थिक आधार नहीं। अब सरकार ने १९७४-७५ के लिए गेहूं की न्यूनतम समर्थित कीमत ८५ रु. प्रति किलोटल निर्धारित की है। बमूली-कीमत की कटाई से पहले घोरणा की जाएगी। इस निर्णय से कीमत-नियन्त्रण (प्राईस रेस्ट्रॉन्ट) के व्येय को काफ़ी घक्का लगा है। 'कीमतों में इतनी वृद्धि उपभोक्ता के हितों की कहाँ तक रक्खा करती है ? ' यह विचारणीय है। मार्च, १९७४ में सरकार ने १९७४-७५ के लिए गेहूं की समर्थित एवं बमूली कीमत १०५ रुपये प्रति किलोटल रखी है जबकि कृषि कीमत आयोग ने ९५ रुपये तक की यह अत्यधिक वृद्धि (३७ प्रतिशत) निर्धारित उपभोक्ताओं के हितों की धोर उपेक्षा ही मानी जाएगी।

यह कहा जाता रहा है कि सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की बमूली-कीमतें इसकी उत्पादन-लागत को पूरा नहीं करती तथा गेहूं कृषि को फलदायक तथा लाभदायक बनाने के लिए अधिक कीमत तथा अतिरिक्त प्रेरणाओं की आवश्यकता है। विशेष रूप में सरकार द्वारा गेहूं के थोक व्यापार के अधिग्रहण के समय इस बात को बहुत उच्छ्वास लगा। इस तर्क की सत्यता की जांच करने के लिए यह आवश्यक है कि गेहूं की उत्पादन लागत से सबधित तर्थों का अव्यवहार किया जाए।

कृषि-कीमत-आयोग ने १९७४-७२ की गेहूं की फसल से सबधित उत्पादन लागत के अनुमान लगाए हैं। ये अनुमान झेत्र प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं जिनका सप्रहण तथा सकलन पजाब, हरियाणा तथा उत्तरप्रदेश के विश्वविद्यालयों, कृषि-अर्थ अनुसंधान केन्द्रों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा किया गया। लागत के परिकलन में चार उपादानों को ध्यान में रखा गया।

(i) पजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तरप्रदेश में गेहूं की नकद जिन्स लागतें (पैड आउट कॉस्ट्स) क्रमशः २७.०३ रुपये, २३.५७ रुपये तथा १६.४८ रुपये प्रति किलोटल थीं। नकद जिन्स लागतों में मानव-पशु-श्रम का माड़ा, बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशी, सिचाई आदि पर व्यय, उपकरणों तथा कृषि भवनों का मूल्यहास, फसल-क्रहणों पर व्याज, भूराज-रुप तथा अन्य कर सम्मिलित हैं।

(ii) यदि नकद लागतों में कूपकों द्वारा पट्टे पर ली गई भूमि का किराया जोड़ दिया

जाए तो पजाव, हरियाणा तथा उत्तरप्रदेश में उत्पादन लागत क्रमशः २८.४४ रुपये, २४.०७ रुपये तथा १६.६४ रुपये प्रति किंवटल हो जाएगी ।

(iii) यदि उपरोक्त लागत भे निजी भूमि का किराया तथा निजी अचल पूँजी का व्याज भी जोड़ दिया जाए तो औसत लागत पजाव में ५४.३४ रुपये, हरियाणा में ४१.३६ रुपये तथा उत्तर प्रदेश में ४२.३४ रुपये हो जाएगी ।

(iv) और अन्त में यदि परिवार-शम का आरोपित मूल्य (मजदूरी) भी इन लागतों में जोड़ दिया जाए तो, औसत व्यापक (समस्त) लागत पजाव में ६१.०४ रुपये, हरियाणा में ४८.१० रुपये तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ४६.६८ रुपये प्रति किंवटल तक पहुँच जाती है ।

इसके आधार पर यह स्पष्ट है कि ७६ रुपये, प्रति किंवटल की निर्धारित वसूली कीमत (तथा सरकार द्वारा कृपक को उसका गेहूँ इस कीमत पर खरीदने का आश्वासन) किसान को काफ़ी अच्छा लाभ भुलभ करती है तथा किसान के लिए उत्पादन व उत्पादिता में वृद्धि हेतु आकर्षक प्रेरणा प्रस्तुत करती है । अतः वसूली-कीमत केवल उत्पादन-लागत को ही पूरा नहीं करती बल्कि कृपक को कृषि के व्यवसाय को अपनाने के लिए सामान्य लाभ भी प्राप्त करती है ।

इही घट्यमानों के आधार पर कृषि-कीमत-आयोग इस परिणाम पर पहुँचा कि गेहूँ की वसूली-कीमत किसान के लिए न्याय लगत है । किसान का अपना लाभ कुल लागत का समग्र २५ प्रतिशत होता है जो कम नहीं कहा जा सकता ।

सामान्यतः वसूली कीमतों का निर्धारण उत्पादन की औसत लागत के आधार पर किया जाता है परन्तु उत्पादन की औसत लागत की यह आधारिक सकल्पना भी विवाद रहित नहीं है । ऊँची वसूली कीमत की मांग करने वालों का तरफ़ यह है कि अब तक कीमत स्तर का

धरिण करते समय हम उत्पादन की औसत लागत को ही आधार मानते थाए हैं । उनके अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन-लागत भिन्न-भिन्न होती है और औसत उत्पादन-लागत पर आधारित कीमतें केवल उन थोड़े-से बड़े कृपकों को ही प्रोत्साहित कर सकती हैं जो अधिक धनी तथा अधिक दक्ष हैं । परन्तु कृपकों की एक बहुत बड़ी संख्या के लिए जिनकी लागत औसत लागत से अधिक होती है, ये कीमतें प्रेरणा-विहीन रिक्त हो सकती हैं । (जहरी नहीं यह धारणा ठीक हो), उनका मत है कि अन्याय की स्थिति में कीमत ऐसी होनी चाहिए जो दोनों प्रकार के कृपकों की उत्पादन-लागतों को पूरा करे । अतः कीमत-नीति में उत्पादन की औसत लागत की सकल्पना को अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं तथा कीमत इस प्रकार से निर्धारित की जानी चाहिए जिसमें सीमा के उत्पादन की लागत पूरी हो सके । उनके अनुमार गेहूँ की कीमत १३० रुपये प्रति किंवटल होनी चाहिए क्योंकि अन्यके कृपकों की उत्पादन लागत १३० रु० प्रति किंवटल है । घ्यान रहे कि उत्पादन की औसत लागत केवल ६१.४७ रु० है । दूसरे शब्दों में उनका कहना यह है कि कीमत इसलिए अधिक होनी चाहिए क्योंकि कृपकों का एक बगं दूसरे बगं की अपेक्षा कम दक्ष है और उसके उत्पादन को लागत अपेक्षाकृत

^१ देखिए एस. एस. जोल : ग्रीट प्राइस पालिसी (फाइनेंशल एवेलेंस, १९७४)

अधिक है। यह एक विचित्र तर्क है और अदक्षता के लिए बोनस को माँग के तुल्य है। वास्तव में हर कृषक का यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करे और अपनी दक्षता को बढ़ाए। कीमत इतनी होनी चाहिए जिससे उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों वर्गों के हितों की रक्षा हो। श्रेयस्कर यह होगा कि कृषकों को उचित दामों पर निविट्यों की सप्लाई की जाए, ताकि उनकी उत्पादन-लागत अधिक न हो। इनके वितरण की वर्तमान व्यवस्था को भी अधिक सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

बसूली कीमत को बढ़ाने की माँग के लिए एक दलील यह दी जाती है कि इन वर्षों में निविट्य-कीमतों में काफी वृद्धि हो गई है परन्तु बसूली-कीमतें १९७१-७२ व १९७२-७३ में वही रही है। यह ध्यान रहे कि कुल व्यापक लागत का ६२.६६ प्रतिशत प्रचालन-लागतें हैं जबकि बंधी लागतों का भाग ३७.३४ प्रतिशत है। बीज, खाद, उर्वरक तथा कीटनाशी पदार्थों पर कुल लागत का २० प्रतिशत व्यय होता है। सिवाई प्रभार ८.६६ प्रतिशत है। कहने का अभिप्राय यह है कि निविट्य-लागतें कुल लागत का अपेक्षाकृत लघु भाग है। कृषि कीमत-आयोग के परिकलनों के अनुसार निविट्य-कीमतों में १९७२-७३ में १९७१-७२ के स्तर की तुलना में ६.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। यदि कुल निविट्य लागतें ३० प्रतिशत भी हो अर्थात् पंजाब में ये लागतें १८.३० रु प्रति किवटल हो और इनकी कीमतें में ६.६ प्रतिशत वृद्धि की गुणायश भी कर दी जाए तो कुल लागत में केवल १.२१ रु प्रति किवटल की वृद्धि होगी और पंजाब में कुल लागत ६२.२५ रु प्रति किवटल होगी। उस स्थिति में ७६ रुपये प्रति किवटल की बसूली कीमत कम नहीं कही जा सकती। इसलिए अधिक कीमत की माँग को निहित स्वाधें वाले तत्त्वों के भ्रामक प्रचार से बल मिला है। वैसे ७६ रु प्रति किवटल की कीमत कम नहीं है। अतः १९७४ रखी की फसल के लिए ८.५ रुपये प्रति किवटल समर्थित कीमत के निर्धारण में कृषि-कीमत-आयोग का निरांय कुल लागत पर ही आधारित नहीं अपितु वह अनेक अन्य कारणों द्वारा भी प्रभावित हुआ है जिनका उल्लेख आयोग ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में भी किया है। इस सम्बन्ध में आयोग के जो विशेषज्ञों तथा विजुद्ध अर्थ-शास्त्रियों की समिति है, विचार स्पष्ट तथा मार्गदर्शी हैं। इनका वर्णन हम आगे करें। मार्च १९७४ में कीमत-आयोग ने अपने प्रतिवेदन में १९७४-७५ के लिए गेहूँ की बसूली कीमत ६५ रु प्रति किवटल रखने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि विश्व के बाजारों में गेहूँ की मात्रा में कमी और फलस्वरूप कीमत अधिक होने के कारण सरकारी खरीद कीमत का बढ़ाना आवश्यक हो गया है। ध्यान रहे कि आयोग द्वारा सुभाई गई सरकारी खरीद की यह कीमत इसके द्वारा घोषित ८.५ रु प्रति किवटल की समर्थित कीमत से १० रु प्रति किवटल अधिक है और आयोग का यह कहना है कि पिछले वर्ष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और खाद व ईधन आदि निविट्यों की कीमतों में वृद्धि के कारण होने वाली उत्पादन लागत में वृद्धि को यह बढ़ातेरी पूरा कर सकेंगी। यह वृद्धि निविट्य-लागतों में ४० प्रतिशत तक की वृद्धि को पूरा करती है। १९७३-७४ में निविट्य कीमतों में इससे अधिक वृद्धि तो नहीं हुई?

जैसे कि ऊपर बताया गया है कृषि-कीमत-आयोग एक सलाहकार समिति है, नीति-

विवान करने वाली नहीं। इसलिए जहाँ इसकी सिफारिशें अधिकाश आर्थिक चिन्तन से प्रेरित होती हैं, वहाँ मुख्यमन्त्री, जो वास्तविक रूप में नीति-निर्धारक हैं, आर्थिकतर कारकों द्वारा भी प्रभावित होते हैं और ऐसी स्थिति में समाज के आर्थिक कल्याण के वास्तविक उद्देश्यों के दृष्टि से ओझल होने की अधिक सभावना होती है। यह ध्यान रहे कि जहाँ तक कीमतों के निर्धारण का सम्बन्ध है उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हित कुछ हद तक एक दूसरे के विरोधी होते हैं। भारत में उत्पादक-वर्ग उपभोक्ताओं की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तिशाली हैं। इसलिए यदि कीमत-नीति का निर्धारण उनके दबाव में शाकर किया जाएगा तो कमज़ोर वर्गों के हितों की ज्ञाति होगी। इसलिए अल्प आय वाले देशों में वही कीमत-नीति सफल सकती है जिसमें उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों वर्गों के हितों का सामजस्य हो, अन्यथा आर्थिक अशान्ति, राजनीतिक अस्थानि आयवा अराजकता को जन्म देती है।

इसमें कोई शक नहीं कि कृषि-कीमत-आयोग की सिफारिशों चालू आर्थिक परिस्थितियों तथा कीमत-नीति के उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं और उनमें विना ठोस कारण कोई भी परिवर्तन उद्देश्य-पूर्ति में बाधा डालता है और जहाँ तक हो सके उनमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये।

एरनु सरकार द्वारा सदा से ही कृषि-कीमत-आयोग तथा उसकी सिफारिशों की उपेक्षा की गई है और जैसे कि सारणी १०७ से स्पष्ट है सरकार ने आयोग की सिफारिशों को कभी भी स्वीकार नहीं किया।

सारणि : १०.७ जेहू की वसूली कीमते (विषयन भौसम)

(रुपये प्रति विवटल)

वर्ष	राज्य	सामान्य देसी		मैदानीकन	
		कृ.की.आ.	सरकार+	कृ.की.आ.	सरकार
१९६७-६८	हरियाणा	६१.५०	७६.००		
	पंजाब	६१.५०	८५.००		
	उ.प्रदेश	६१.५०	७६.००		
१९६८-६९	सब राज्य	७०.००	७६.००	६६.०० मे ७.००	७६.००
१९६९-७०	सब राज्य	७०.००	७६.००	७०.००	७६.००
१९७०-७१	सब राज्य	७२.००	७६.००	७२.००	७६.००
१९७१-७२	सब राज्य	७४.००	७६.००	७४.००	७६.००
१९७२-७३	सब राज्य	७२.००	७६.००	७२.००	७६.००
१९७३-७४	सब राज्य	७६.००	७६.००	७६.००	७६.००
१९७४-७५	सब राज्य	६५	१०५.००	६५	१०५.००

*कृषि कीमत आयोग की सिफारिशें

+राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित कीमतें

चौतः कृषि कीमत आयोग के प्रतिवेदन

ज्ञातव्य है कि पिछले वर्षों में गेहूँ के उत्पादन में काफी वृद्धि के बावजूद इसकी कीमत में कोई विशेष कमी नहीं हुई। कीमतों में इस उपनति के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियाँ जिम्मेदार हैं। सरकार की वसूली तथा अनाज की गति पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी नीति ऐसी रही है जो बड़े कृषकों, विशेषकर पजाब तथा हरियाणा क्षेत्र के बड़े कृषकों के पक्ष में रही है और इससे बड़े कृषकों के हितों की ही रक्षा हुई है। इस प्रकार के पक्षपाती हस्तक्षेप से अन्तर्राज्य तथा अन्तर्क्षेत्रीय असमताओं को बढ़ावा भिलता है और कीमतों में वृद्धि से आव वितरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि सरकार द्वारा अपनाई गई नीति कीमत-नीति के घोषित उद्देश्यों के सदर्भ में सगत नहीं है।

प्रश्न उठता है कि क्या सरकारी उपेक्षा के कारण कृपि-कीमत-पायोग जैसी गैर सरकारी विशेषज्ञ सम्या द्वारा अपनी जिम्मेदारी का परित्याग उचित माना जाएगा? कदाचि नहीं। इस स्थिति में आयोग के काम का महत्व तथ्यों को ग्रनावृत करने तथा सरकारी नीति के लक्ष्यों की उल्लंघनों की व्याख्या तथा इस सम्बन्ध में सरकार को सतर्क करने में निहित है। और इस सदर्भ में कृ. की आयोग का नवीनतम प्रतिवेदन सही मार्गदर्शन करता है। अपनी सिफारिशों के सम्बन्ध में आयोग ने लिखा है—

“देश में वर्तमान कठिन स्थाय-स्थिति, तथा सुरक्षित भंडार की दुबारा पूर्ति की आवश्यकता की हृषिट से प्रवर्धी न कही जाने वाली स्थिति को मध्यकालिक सम्भावनाओं को व्यान में रखते हुए मह कहा जा सकता है कि बुआई के भौतिक से पहले घोषित की जाने वाली गेहूँ की गरमटीकृत कीमत उस कीमत के लगभग सन्त्रिकट होनी चाहिए जिस पर सम्भवतः वसूली की जानी है। इस कीमत का अनुमान, १९७२-७३ की गेहूँ फसल की घोषित वसूली एव समर्थित कीमत में निविष्ट-कीमतों में उत्तरवर्ती परिवर्तनों का समायोजन करके, तथा इस बात के लिए कि कृषकों को गेहूँ के थोक व्यापार के सरकारी अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अपना विक्रेय अधिशेष नियत कीमतों पर बेचना पड़ेगा, अतिरिक्त लाभ प्रदान कर के लगाया जा सकता है।” यह व्यान रहे कि मुक्त व्यापार की स्थिति में एक कृषक अनाज के अभाव के समय में अपनी उपज के लिए वसूली एव समर्थित कीमत से अधिक कीमत प्राप्त कर सकता है और अधिग्रहण की स्थिति में उसे इस अतिरिक्त लाभ से बचित होना पड़ेगा, इसलिए उसे अतिरिक्त लाभ दिया जाना चाहिए।

आयोग ने लिखा है कि ‘इस आधार पर बुआई की ऋतु से पहले घोषित की जाने वाली गेहूँ की उचित गारटीकूत कीमत ८५ रु० प्रति किलोटल होगी।

कृपि-कीमत आयोग ने आगे लिखा है कि ‘जहाँ तक सम्भव हो सिफारिश की गई कीमतों को विपणन-भौतिक से तुरन्त पहले न छेड़ा जाए और इन्हें ही वसूली-कीमत के रूप में रखा जाए।’ इसकी पुष्टि में आयोग का कहना है कि वर्तमान स्थिति में जब देश का कमज़ोर वर्ग स्फीति-दबावों के भार से कराह रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूँ की विक्री कीमत में वृद्धि करने को भी एक सीमा है।

“इस प्रतिबन्ध तथा स्फीति-ज्वार-माटे को रोकने के लिए एक उपाय के रूप में सरकारी उपदान (सवसिडी) को सीमित करने की आवश्यकता को व्यान में रखते हुए आयोग इस बात की आवश्यकता पर बल देता है कि विपणन-भौतिक से पहले वसूली कीमत में किसी

भी और वृद्धि के विचार में अत्यधिक समय बर्ता जाए।^१ क्या सरकार इस सिफारिश को ध्यान में रखेगी? — यह निश्चित नहीं है।^२

हम विभिन्न कीमत-स्थिरीकरण कार्यक्रमों के प्रमुख तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ यह लिखा उचित ही होगा कि कीमत-स्थिरीकरण-योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बृहत् प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होती है और इन समाधनों में काफी अधिक ध्यय होगा।

कृपि कीमतों की समस्याओं तथा नीतियों से सम्बन्धित कोई अध्ययन भी पूरा नहीं होगा जबकि कृपि-निविष्टियों के कीमत-निर्धारण (प्राइंजिंग ऑफ इनपुट्स फॉर एग्रीकल्चर) का विवेचन उस अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग न हो। यद्यपि क्रीत निविष्टियों पर अध्ययन कुल लागत का थोड़ा-सा भाग ही है परन्तु इनकी कीमतों का कृपकों के निर्णयों पर काफी प्रभाव पड़ता है। इस विषय पर निम्न संक्षिप्त नोट हमारे अध्ययन के लिए पर्याप्त है।

१०.१० निविष्टियों का कीमत-निर्धारण

नवीन टैक्नॉलॉजी के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप क्रीत निविष्टियों का महत्व बहुत बढ़ गया है। उपादान-उत्पाद कीमत-सम्बन्धों में परिवर्तनों का कृपि-आयो पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। निविष्टियों की बढ़ती हुई कीमतों तथा इनके उपयोग की तीव्रता के परिणामस्वरूप किमान लोग लागत-कीमत अधिसकृतन अनुमत करते हैं तथा फलस्वरूप उनकी नेट आय में कमी होती है। कृपक अपनी वार्षिक कृपि आय का काफ़ी बड़ा भाग कार्म सुधारों में निवेशित करते आ रहे हैं। निवेश की गति को बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि कृपकों को पर्याप्त लाभांश से आश्वासित किया जाए और कई मौसम पहले न्यूनतम गारटी-कीमतों की घोषणा की जाए। क्योंकि उल्लादकों की प्रेरणाएँ क्रीत निविष्टियों की कीमतों तथा उपज की कीमतों दोनों द्वारा प्रभावित होती हैं, इसलिए कीमत-नीति की रचना इस प्रकार में होनी चाहिए कि दोनों के बीच लाग्नप्रद सम्बन्ध स्थापित हो जाए।

विजिष्ट निविष्टियों (जैसे जल, उर्वरक, बीज आदि) की कीमतों से सम्बद्ध अध्ययन हम विस्तारपूर्वक अध्याय ३, ४ तथा ५ में कर चुके हैं। यहाँ इतना लिख देना काफ़ी है कि निविष्टियों से सम्बन्धित कीमत अनिविष्टताओं को जहाँ तक हो सके कम करना चाहिए ताकि कृपक उनके उपयोग को अधिक मात्रा में स्वीकार कर सकें तथा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। निविष्टियों की कीमतें भी स्थिर की जानी चाहिए। निविष्टियों को खरीदने के लिए उन्हें उधार दिया जाए जिसे वे जिन्स में या उपज कीमत से सबद्ध नकद राशि द्वारा लौटा सकें। वितरण-माध्यमों की दक्षता तथा प्रतियोगिता भी निविष्टियों की कीमत को प्रभावित करती है।

१. अनुलेख इस परिच्छेद के विषयने के कुछ देर बाद ही सरकार ने १९७४-७५ के लिए नेटूँ की समाहरण कीमत १०५ इ० प्रति विकल निर्धारित की है। यह बात हमारे उपरोक्त विषयेपर तथा बाज़ार की पुष्टि करती है।

१०.११ भारत में सरकारी खाद्यनीति : उद्देश्य एवं साधन

कीमत-नीति का सरकारी खाद्य नीति से सीधा सम्बन्ध है। इसलिए अध्याय का नमाप्त करने से पूर्व उसके स्वरूप पर भी प्रकाश पड़ना आवश्यक है। चौथी योजना में खाद्य-नीति के मुख्य उद्देश्य हैं—

- (१) उपभोक्ता कीमतों को स्थिर करना, विशेषकर निम्न आय वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करना;
- (२) उत्पादकों को उचित कीमतों की प्राप्ति तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन सुनिश्चित करना;
- (३) डिलिविल दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खाद्यान्दों के पर्याप्त सुरक्षित भड़ारों (बफर स्टाक) का निर्माण करना।

अपर निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपलब्ध साद्य-साधनों, कीमत-उपनतियों आदि पर निर्भर रहते हुए खाद्य-समरण का दक्ष प्रबन्ध करना तथा लोकों नीति अपनाना आवश्यक है। आवश्यक उपाय निम्न दिए गए हैं—

- (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी रखना;
- (ख) सुरक्षित भड़ार तथा सार्वजनिक वितरण-प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनाज के विक्रेय अधिशेष के काफी बड़े भाग को सरकारी खरीद द्वारा बसूल करना;
- (ग) बसूली लक्ष्यों को पूरा करने के लिए या अभाव की स्थिति में कीमतों में अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यकतानुसार खाद्यान्दों के साने-लेजाने पर प्रतिबन्ध लगाना;
- (घ) सट्टेबाजी तथा जमालोरी पर रोक लगाने के लिए बैंक अधिकारी और लोगों तथा निजी व्यापार का नियमन;
- (ङ) बायदा व्यापार (फोरवर्ड ट्रेडिंग) पर लगाई गई रोक को जारी रखना।

फिलहाल, इन सभी उपायों को नीति के तत्वों के रूप में अपनाया जा रहा है। स्थिति के अनुसार इन तत्वों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में परिवर्तन किया जा सकता है। उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन तत्वों का उचित समन्वय तथा सयोजन आवश्यक है। सरकारी नीति के अनुसार कि 'उत्पादन में वृद्धि करकी भावा में सुरक्षित भंडार का निर्माण, आंतरिक बसूली (खरीद) तथा विस्तृत सार्वजनिक वितरण-प्रणाली के दक्ष संचालन द्वारा ही खाद्यान्दों की सुनिश्चित किया जा सकता है। खाद्यान्दों तथा व्यापक उपभोग के ग्रन्थ पदार्थों के सहकारी वितरण को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कीमतों की कुंजी अस्फोतिकारी सत्ताधनों के जुटाव (मोबिलाइजेशन और नॉन इनफ्लेशनरी रिसोर्सेज) तथा उत्पादन-वृद्धि के लिए सतत प्रयासों में निहित है।'

१०.१२ सारांश : उचित कृषि-नीति की सकल्पना

'कृषि-कीमत-नीति कैसी हो?' यह एक विवाद का विषय है। कृषि-कीमत-नीति मुक्त व्यापार से लेकर मुक्त व्यापार की पूर्ण समाप्ति तक कोई भी रूप ले सकती है। किसी भी देश

मेरी नीति उपराय दोर्घंकालिक कृषि-कीमत-नीति की आवश्यकताओं के सदर्भ मेरे सुविचारित ढंग से लागू किए जाने चाहिए। इस सबध मेरे खाद्य-नीति-समिति ने अपने प्रतिवेदन मे ११४७ में कहा था 'समस्या का वास्तविक समाधान आयात या समाहरण तथा वितरण पर नियंत्रण मेरे नहीं है बल्कि घरेलू उत्पादन मेरे बृद्धि करके ही देश की खाद्य-समस्या को हल किया जा सकता है।' खाद्य-उत्पादन मेरे असफलता के कारण ही इस शातान्त्री के छठे दण्ड मेरे वितरण पर नियंत्रण करने की आवश्यकता अनुभव हुई जिसके कारण वाद मेरे मुक्त व्यापार का पूर्णतः अत हो गया।

हमने यह देखा है कि विक्रेय अधिशेष की आशिक या पूर्ण अनिवार्य वसूली की नीति असफल रही है क्योंकि निर्धारित कीमतें बाजारी शक्तियों की उपेक्षा करती रही हैं। बड़े-बड़े नगरों मेरे कानूनी राशनिंग के कारण सरकार का कार्य बढ़ गया तथा वितरण के लिए इसे आयातित अनाज पर निर्भर रहना पड़ा। व्यापक रूप मेरे चोर बाजारी के कारण स्थिति और भी बिगड़ती रही और सरकार की खाद्य-नीति विवाद का केन्द्र बन रही। यह आवश्यक है कि वर्तमान वितरण-व्यवस्था को सुधारा जाए या पूर्णतः बदल दिया जाए। हमारी वर्तमान खाद्य-नीति बाजार-पूर्तियों को जुटाने तथा परिणामस्वरूप देशीय अनाज बाजार को स्थिरता देने मेरे असफल रही है।

यहाँ यह घ्यान रहे कि खाद्यान्न-सबबी सरकारी नीतियों जैसे मडलन, वितरण, समाहरण (वसूली) उच्चतम कीमतों का नियतन आदि का मुख्य उद्देश्य इनकी कीमतों को नीचे रखना रहा है जबकि दालों, तिलहन तथा अन्य नकदी जिस्तों की कीमतों के बारे कोई नीति नहीं अपनाई गई है। परिणामस्वरूप जहाँ इन वस्तुओं की कीमतें मुक्त बाजार-शक्तियों के कारण बढ़ती-घटती रही हैं, खाद्यान्नों की कीमतें नियन्त्रित रही हैं। ऐसी स्थिति मेरे यदि वाणिज्यिक फसलों के कीमतों के खाद्यान्नों की कीमतों को अपेक्षा बढ़ने दिया जाए तो खाद्य फसलों मेरे उपयोग की जाने वाली निविटियों का उपयोग अखाद्य फसलों के उत्पादन के लिए होने लगेगा। इससे खाद्यान्नों की कीमतों के बारे मेरे अनिश्चितता भी बढ़ेगी। अत यह ज़हरी है कि कृषि-कीमत-नीति के घ्येयों को नियन्त्रित किया जाए। खाद्य-कीमतों के नियंत्रण तथा वाणिज्यिक फसलों के लिए मुक्त बाजार का परिणाम यह होगा कि अखाद्य फसलों के उत्पादन मेरे खाद्यान्नों की कीमत पर बृद्धि होगी तथा खाद्यान्नों मेरे आत्मनिर्भरता का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। यदि लक्ष्य खाद्यान्नों मेरे आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है तो खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि फसलों की कीमतों मेरे समता लानी पड़ेगी। इससे सासाधनों का खाद्य फसलों मेरे अधिक आपूर्ति होगा। मुक्त बाजार मेरे अनाज की मांग मेरे बृद्धि की कीमतों के प्रभाव से नियन्त्रित हो जाएगी।

जैसाकि हम ऊपर बता चुके हैं कि खाद्यान्नों की कीमत मेरे बृद्धि या आर्थिक शब्दों मेरे 'व्यापार-स्थिति' का कृषि-क्षेत्रक के पक्ष मेरे होना ही काफ़ी नहीं है। प्रो० राजकृष्ण ने 'व्यापार-स्थिति को कृषि' के पक्ष मेरे करने की नीति को 'ऋणात्मक नीति' का नाम दिया है। (मुन्दर विवरण व समीक्षा के लिए साउथवर्थ जानस्टन द्वारा संपादित पुस्तक एप्रीक्ल्यरल डेवलपमेंट एन्ड इकोनोमिक प्रोफ, कानौल विश्वविद्यालय, न्यूयार्क, १९६८ मेरे राजकृष्ण का कृषि-कीमत-नीति तथा आर्थिक विकास नामक लेख देखें)। हम इस नीति के गुण-दोषों की

व्याख्या कर चुके हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि देशीय व्यापार की स्थिति यद्यपि कृषि-काति लाने में सफल न हो परन्तु वह तकनीकी परिवर्तनों द्वारा लाए जाने वाले सबूद्धि-दर को तेज या कम कर सकती है। वितरण-प्रक्रियाएँ इस सब्द में महत्वपूर्ण हैं।

कृषि-कीमत-नीति को अनेक कार्य करने होते हैं जैसे कि कृषि तथा कृपीतर-क्षेत्रों के बीच ससाधनों का आवटन, कृषि क्षेत्र के अन्दर ससाधन-आवटन, बचत तथा निवेश दरों को बढ़ाना तथा क्षेत्रों के बाय का वितरण आदि।

उन उपायों का जो कृषि कीमतों को ऊँचा करने के लिए किए जाते हैं, परिणाम यह होता है कि ससाधन कृषि क्षेत्र में उपयोग होने लगते हैं और अन्य क्षेत्रों की सबूद्धि मंद हो जाती है। ऐसी नीति से जहाँ कृषि को लाने होता है वहाँ अन्य क्षेत्रों को हानि होती है। सामान्यतः हृषि-कीमतों में बूढ़ि कीमत-नीति की असफलता की प्रतीक है।

अल्पविकसित देशों में बढ़ती हुई जनमंस्या, निम्न औद्योगिक विकास, मद गति से बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति ग्राय तथा तकनीकी रूप में गतिहीन कृषि के परिप्रेक्ष्य में कृषि-कीमतों का बढ़ाना स्वाभाविक ही है जबतक कि कृषि-पदार्थों की मांग को कृत्रिम रूप में कम न किया जाए या जबतक कृषि पदार्थों का आयात न बढ़ाया जाए।

यदि मांग को नियन्त्रित कीमतों या राशनिंग द्वारा कम किया जाता है तो क्षय-शक्ति का उन पदार्थों में अतरण हो जाएगा जो दुर्लभ विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हैं या उन पदार्थों में जो उपभोक्ता-माल-उत्पादन में ससाधनों का अतरण करते हैं। दोनों स्थितियों में पूँजीगत माल में कमी होगी। यदि आयात किया जाता है तो विदेशी मुद्रा का व्यय करना पड़ेगा और आयातित पूँजीगत माल के अभाव के कारण विकास धीमा पड़ जाएगा।

यदि कृषि-कीमतों की मांग को, कम करके या आयात को बढ़ाकर, कम नहीं किया जाता तो ससाधन अर्थव्यवस्था के कृपीतर क्षेत्रक से कृषि-क्षेत्रक की ओर चले जाएंगे। कृषि में तकनीकी गतिहीनता की स्थिति में इन ससाधनों के घटते हुए प्रतिफल प्राप्त होने जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन लागतें बढ़ जाएंगी। फलस्वरूप बढ़नी हुई नकद मजदूरी तथा कृषि आधारित कठबैंझाल की लागतें औद्योगिक क्षेत्रक से सबूद्धि-दर को मद कर देती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि कृषि-क्षेत्रक में तेज गति से प्रौद्योगिकीय प्रगति हो। इस संकलनना का विश्लेषण अध्याय १२ में रेनिस-के के मॉडल में भी किया गया है।

आदर्श कृषि कीमत-नीति वह है जो उत्पादन व बाजार प्रधान हो तथा विवृत बाजार क्रियाओं व संरक्षित भडारों पर नियमित हो। इस नीति के कारण अच्छी फसल के समय कृषि-कीमते नहीं गिरेंगी क्योंकि सरकार फालतू अनाज समर्थित कीमतों पर स्वयं खरीद सेभी जिसका उपयोग अभाव के समय में औद्योगिक थम और निर्धन वर्गों को उचित मूल्य पर देने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार की नीति निश्चितता प्रदान करेगी। आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहना भी उचित नहीं है क्योंकि ठीक समय पर आयातित अनाज का प्राप्त न होना प्रनिश्चितता उत्पन्न करता है। ऐसी उच्चतम तथा नियन्त्रित कीमतों का नियन्तन जो बाजारी शक्तियों की उपेक्षा करे, कृपको व व्यापारियों द्वारा अनाज की जमांदोरी करने को बढ़ावा देता है और अस्थिरता और आशका उत्पन्न करता है जबकि सरकारी

नीति का मुख्य उद्देश्य स्थिरता प्रदान करना होता है।

किसी भी नीति की सफलता के लिए दक्ष प्रशासन का होना आवश्यक है। सरकारी नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें उत्तराधिक व उपमोक्ता दोनों के हितों को रक्षा हो। सक्षेप में नीति ऐसी होनी चाहिए जो कृपि में तेज़ी से तकनीकी परिवर्तन लाकर उत्पादन में वृद्धि ला सके।

अध्याय ११

फार्म-परिमाप तथा भूमि-सुधार

११.१ परिचय :

आधुनिक रीतियों तथा नवक्रियाओं का पूर्ण सामने तभी उठाया जा सकता है जब कृपक का अपनी उत्पादन-निविलिंग्यों तथा सासाधनों पर पर्याप्त नियन्त्रण हो। कृपक के लिए भूमि उत्पादन का अनिवार्य उपादान है, अतः सबसे महत्वपूर्ण निविलिंग है। यह कृपक का अपनी भूमि पर पैंतुक अधिकार तथा नियन्त्रण ही है जो उसे अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है और परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करता है। भूमि उसे आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करती है जो उसकी उत्पादन-निविलिंग्यों व आकार तथा अपने उपज के विपरीत उपभोग पर बेहतर नियन्त्रण रखने में सहायक होती है। यही कारण है कि 'बुद्धकाश्त प्रणाली' (ओनर कल्टीवेशन सिस्टम) को सबसे अधिक प्रसन्न किया जाता है। उत्पादन तथा उपभोग-स्वरूपों पर मुहूर नियन्त्रण के कारण सासाधनों का अच्छी प्रकार से आवटन होता है और परिणामस्वरूप उत्पादन-दक्षता में बढ़ि होती है। इसके अतिरिक्त फार्म की दक्षता कृपक द्वारा जोते जाने वाले फार्म के परिमाप (क्षेत्रफल) पर भी निमंत्र है। संधेय में हम कह सकते हैं कि कृषि-उत्पादिता कृषि के पैमाने तथा कृपक के अपने खेत पर अधिकार तथा नियन्त्रण के स्वरूप द्वारा प्रभावित होती है।

(क) जोत का परिमाप—सरल प्रश्न यह है कि जोत का परिमाप (क्षेत्रफल) कितना हो जिससे कृषि की अधिकतम दक्षता सुनिश्चित की जा सके और जिससे कृपक तथा उसके परिवार को उचित जीवन-स्तर प्राप्त हो सके? इस प्रकार के परिमाप का निर्धारण अनेक कारकों जैसे भूमि की उर्वरता, कर्पण की तीव्रता, बोई गई फसल, कृषि-रीति व उसका समर्थन, नागरिकों, प्रतिफलों तथा निर्वाहि लागतों आदि पर निमंत्र है। उत्पादन-दक्षता, आय-सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता एक दूसरे से निकटतः सम्बद्ध हैं और अन्तिम दो लक्षणों को पूर्ण प्रथम लक्षण को प्राप्त किये विना नहीं हो सकती। एक दक्ष फार्म के परिमाप के निर्धारण तथा उस फार्म पर कृपक को अधिकार तथा नियन्त्रण देने के लिए भूमि का पुनर्वितरण करना पड़ेगा। भूमि का पुनर्वितरण सामाजिक न्याय तथा समता प्रदान करने के लिए जल्दी तथा बाढ़ीय है। निम्न आय वाले देशों में ठोस भूमि नीतियाँ तथा न्यवस्था सम्बन्धी परिवर्तन (मोरगनाइजेशन चेन्जेज) कृषि-उत्पादिता में काफी बढ़ि साने में सहायक हो सकते हैं। हम इस प्रसग का भारत के सदर्म में अध्ययन करें।

११.२ कृषि का पैमाना तथा प्रतिफल

पिछले पन्द्रह वर्षों में देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में कृषि-प्रबन्ध के अर्थतन्त्र का अध्ययन

करने हेतु तथा लाभकारी उपादान-उत्पाद सम्बन्धों को ज्ञात करने के लिए और निविटियों तथा उत्पत्ति के बीच सम्बन्ध व्युत्पन्न करने के लिए अनेक अन्वेषण किए गए हैं। ये अध्ययन भारत में कृषि-ग्रन्थव्यवस्था की सरचना तथा कार्यविधि के बारे में मूल तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। साथ ही ये अन्वेषण प्रति एकड़ उत्पादन-लागत तथा प्रति इकाई उत्पादन लागत के आंकड़े संख्याई करते हैं और इस प्रकार फार्म के परिमाप तथा फार्म-दक्षता के बीच संबंधों को प्रस्तुत करते हैं। जोत का परिमाप (क्षेत्रफल) सभवत, कृषि-प्रतिफलों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपादान है। फार्म-परिमाप को क्षेत्रफल या उपज की मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है। फार्म-दक्षता के निम्न माप हो सकते हैं :—

- (१) प्रति एकड़ (या प्रति हैक्टर) — उत्पादन या उपज प्रति इकाई क्षेत्रफल (ग्राहीत् उत्पादिता द्वारा)।
- (२) प्रति एकड़ कृषि व्यवसाय आय — कृषि-व्यवसाय-आय कुल उपज में से नकद व जिस व्यय घटाने पर प्राप्त होती है।
- (३) प्रति एकड़ नेट लाभ (ग्राहीत् लाभकारिता द्वारा) — नेट लाभ कुल उपज में से कुल निविटियों (ग्राहीत् नकद व जिस व्यय तथा आरोपित लागत) घटाने पर प्राप्त होता है।
- (४) लागत प्रति इकाई उत्पादन — (ग्राहीत् नकद लागत प्रति इकाई उत्पादन)।
- (५) प्रति एकड़ परिवार-श्रम-आय — परिवार-श्रम-आय कुल उपज में से नकद व जिस व्यय, बधी पूँजी पर व्याज तथा निजी भूमि के लगान मूल्य को घटाने से निकाली जाती है।

ज्ञातव्य है कि उत्पादन के उपादान के रूप में भूमि पूर्णतः विभाज्य है। इसी प्रकार से श्रम, जल, उर्वरक, बीज तथा कीटनाशी पदार्थ आदि निविटियाँ भी विभाज्य हैं और भूमि के क्षेत्रफल के मानुपात व हिसाब से इनकी भिन्न-भिन्न मात्राओं का उपयोग किया जा सकता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि बड़े फार्म छोटे फार्मों की अपेक्षा अवश्य ही अधिक दक्ष होंगे। यह बात रोचक लगेगी कि कृषि के क्षेत्र में अभिनव प्रौद्योगिकीय प्रगति बड़े पैमाने की कृषि के लिए अरक्षित नहीं है और परम्परागत कृषि के ह्यातरण के लिए आवश्यक निवेश का स्वरूप ऐसा नहीं है जिसके लिए बड़े फार्मों की स्थापना की ही आवश्यकता हो। फार्मों का परिमाप या क्षेत्रफल कृषि-ह्यातरण के फलस्वरूप बदल मकता है और सक्रियाओं के पैमाने के संदर्भ में छोटे फार्म तकनीकी रूप में अधिक दक्ष बन सकते हैं। अतः 'फार्म के पैमाने तथा इनके प्रतिफल' हमारे अध्ययन के बुनियादी विषय हैं जिन पर विचार करना चाहते हैं।

यदि कृषि क्षेत्रक में फार्म के पैमाने के संदर्भ में बढ़े मान प्रतिफल प्राप्त होते हों तो फार्म-दक्षता की छटिय से बड़े फार्म छोटे फार्मों की अपेक्षा अधिक बाधनीय है। दूसरी ओर यदि पैमाने के संदर्भ में समानुपातिक या स्थिर प्रतिफल प्राप्त हो तो छोटे फार्म अपेक्षाकृत बड़े फार्मों की तुलना में अधिक दक्ष सिद्ध होंगे। निम्न-आय वाले देशों में प्रतिफल सामान्यतः फार्म के पैमाने के समानुपाती या स्थिर होते हैं और अधिकतम उत्पादन-दक्षता की शर्त तभी पूरी की जा सकती है यदि भूमि को लघुतम सभव इकाइयों (स्मानेस्ट फीसेबिन यूनिट्स)

में सगठित किया जाए। जहाँ तक भारतीय कृषि का सम्बन्ध है यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पैमाने के सदमें में बढ़ मान, प्रतिफल प्राप्त हो रहा है या हासमान अध्याव स्थिर? हमारे तर्क पिछले पन्द्रह वर्षों में किये गये कुछ एक फार्म-प्रबन्ध-अध्ययनों के परिणामों तथा निष्कर्षों पर ही आधारित हैं, यद्यपि इनका साहियकीय आधार सबत नहीं है।

११३ फार्म-परिमाप तथा फार्म-दक्षता में सम्बन्ध

फार्म-प्रबन्ध-अध्ययनों के परिणाम संक्षेप में इस प्रकार सकलित किए जा सकते हैं :—

- (१) अधिकाश हालतों में, फार्म के क्षेत्रफल तथा उत्पादिता में व्युत्क्रम सम्बन्ध होता है। अर्थात् जोत के क्षेत्रफल के साथ प्रति एकड़ उपज कम होती जाती है। जैसे जैसे फार्म के क्षेत्रफल में विस्तार होता है प्रति एकड़ पूरे उत्पादन में गिरावट आती है। छोटे फार्मों पर प्रति एकड़ उच्च उत्पादन उनमें कृषि की सघनता तथा तीव्रता का परिणाम है। कृषि की सघनता तथा तीव्रता, प्रति एकड़ उच्च अमनिविट तथा एक ही जोत पर बहुफसली या रिले खेती से प्रकट होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि फार्म-परिमाप तथा कुल उत्पादन-लागत (जिसमें परिवार धम का आरोपित मूल्य तथा निजी भूमि का लगान मूल्य सम्मिलित है) के बीच प्रतिलोमी सम्बन्ध है। अन्य शब्दों में छोटे फार्मों में प्रति एकड़ (या प्रति हैक्टर) समग्र फसल क्षेत्र बड़े फार्मों की तुलना में अधिक होता है, (यद्यपि छोटे फार्मों में एक ही जोत पर एक से अधिक फसलें उपजाई जाती हैं)। इसका परिणाम यह है कि छोटे फार्मों में उत्पादन दरे ऊँची होती हैं। छोटे फार्मों द्वारा बड़े परिमाप-व्यवसाय के लाभ प्राप्त करने के लिए यह सबसे अधिक सरल तथा प्रभावी विधि है।
- (२) अधिकाश रूप में, फार्म परिमाप तथा प्रति एकड़ (या प्रति हैक्टर) कृषि-व्यवसाय-आय (फार्म विजेनेस इनकर्म) के बीच व्युत्क्रम सम्बन्ध है अर्थात् फार्म के परिमाप के साथ प्रति एकड़ कृषि-व्यवसाय-आय [(समग्र उत्पादन-नकद-जिन्स व्यय) / फार्म का क्षेत्रफल] कम होती जाती है। संक्षेप में जैसे-जैसे फार्मों के क्षेत्रफल में विस्तार होता है, प्रति एकड़ कृषि-व्यवसाय-आय में कमी होती है। कृषि-व्यवसाय-आय की सकलना की अध्याय २ में व्याख्या विस्तार से की जा सकती है।
- (३) प्रति एकड़ (या प्रति हैक्टर) लाभ तथा फार्म के परिमाप में घनाट्यक या प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। जैसे-जैसे फार्म के क्षेत्रफल में विस्तार होता है, प्रति एकड़ नेट लाभ (अर्थात् लाभकारिता) बढ़ता जाता है। लाभकारिता धम के आरोपित मूल्य समेत लागतों पर कुल उत्पादन की बेशी है। फार्म-परिमाप की आरभिक श्रेणियों में प्रति एकड़ औसत लागत प्रति एकड़ उत्पादन-मूल्य से अधिक होती है जिसके कारण इन दशाओं में हानि होती है। छोटे फार्मों की दशा में प्रति एकड़ निम्न नेट लाभ (प्रथमा हानि) ऊँची औसत लागतों का परिणाम है यद्यपि कृषि

मेरे काम कर रहे परिवार-थ्रम का आरोपित भूल्य चालू मजदूरी दरो पर गिना जाता है तथा निजी भूमि की लगान-कीमत मनमानी रूप मे आरोपित की जाती है। क्योंकि अधिकाश जोतें छोटी इकाइयों में सचालित की जाती हैं इसलिए यह कहना उचित ही होगा कि अधिकाश भारतीय कृषि अलाभकारी दिखाई देती है। फार्म-प्रबन्ध-व्यव्ययनों मेरे काफी दशाओं मे लाभ के बहुणात्मक ब्रॉकडो अर्थात् हानि की यही व्याख्या दी जा सकती है।

उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि जहाँ तक भूमि की उत्पादन-क्षमता या किमान-परिवार की न्यूनतम आय का सम्बन्ध है वडे पेंमाने पर खेती जरूरी नहीं है। किसी हृद तक यह उत्पादन-दक्षता एव आय-सुरक्षा दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। न्याय की हृष्टि से भी यह बाढ़नीय नहीं। दूसरी ओर बहुत अधिक छोटी जोतें भी बिलकुल अलाभकर तथा अनार्थिक होगी, और यह भी बाढ़नीय नहीं है। सक्षेप मे हम कह सकते हैं कि जोत का परिमाप इतना अनार्थिक नहीं होना चाहिए कि उत्पादन-निवेशों का पर्याप्त लाभ प्राप्त भी न हो, और न ही यह फार्म-थ्रम की उपलब्धता के सदर्भ मे बहुत बड़ा होना चाहिए। यही कारण है कि कृषि क्षेत्र की भावी सगठनात्मक सरचना के केंद्रक के रूप मे ऐसी 'ग्रामिक हृष्टि से' सक्षम छोटी कृषि जोतों की सिफारिश की जाती है जिन्हे दक्ष कृषि-इकाइयों मे ढाला जा सके। हम बाद मे इस विषय पर पुनः विचार करेंगे।

हम परिमाप (क्षेत्रफल) के अनुसार जोतों के स्वामित्व के वितरण के सम्बन्ध मे पहले ही बता चुके हैं। हम यह बता चुके हैं कि देश मे अधिकाश सव्या बहुत ही छोटी जोतों की है। इन जोतों का आगे अत्यधिक विवडन हो चुका है। ७२ प्रतिशत भू-स्वामियों मे से प्रत्येक के पास २.०२ हैक्टर से भी कम भूमि है जो आगे एक से छ. दुकडों मे बटी हुई है। ये कृपक कुल क्षेत्र के केवल २० प्रतिशत के स्वामी हैं। दूसरी ओर केवल ३ प्रतिशत जोतदार २६ प्रतिशत भू-क्षेत्र के स्वामी हैं और उनमे से प्रत्येक के पास १०.१२ हैक्टर से भी अधिक भूमि है। लगभग २० प्रतिशत परिवारों मे से प्रत्येक ०.४ हैक्टर (१ एकड़) मे भी कम भूमि का स्वामी है जबकि कुल कृषि कामगारों मे से २४ प्रतिशत भूमिहीन श्रमिक हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए उपाय करने होंगे। इनमे कृषि-जनसंख्या के विभिन्न बगों मे भूमि का पुनर्वितरण भी सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त लगभग ७० प्रतिशत शमजीवी शक्ति कृषि मे लगी हुई है और अपने निर्बाह के लिए भूमि पर निर्भर है। कृषीय कामगारों मे व्यापक देकारी तथा अल्प रोजगार भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव को दर्शाते हैं और उनकी गरीबी का मूल कारण हैं।

११.४ जोतों के प्रकार

अतः भूमि एक अल्प पूर्वि वाला साधन है और इसका क्षेत्र आसानी से नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह असम वितरित (अनइविनली डिस्ट्रिब्यूटेड) है। दूसरी ओर हमारे देश मे श्रमिकों की काफी फालतू सव्या है और इनमे से अधिकाश को कृषि मे ही उपाना पड़ेगा। समानता तथा सामाजिक न्याय इस बात की माँग करता है कि भूमि का राशन किया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज के सुसमृद्ध बगों (अर्थात् वडे कृपकों)

को एक निश्चित सीमा (प्रधिकनम निर्धारित सीमा) से अधिक अपनी भूमि के भाग का परिव्याग कर देना चाहिए ताकि इस प्रकार प्राप्त कालतू भूमि को समाज के कमज़ोर वर्गों में बांटा जाए। इससे भूमि के स्वामित्व में असमानताओं को कम करने में काफी सहायता मिलेगी। परन्तु इससे पूर्व की हम ऐसी सीमा के जो कि एक व्यक्ति या परिवार जुताई के लिए रख सके, निर्धारण की कस्तौटियों का विवेचन करें और इसके फलस्वरूप विभिन्न वर्गों में भूमि के पुनर्वितरण के पक्ष-विपक्ष में अपने तर्क दे, विभिन्न प्रकार की जोतों की परिमाणाओं तथा सकल्पनाओं का ज्ञान उचित होगा।

(क) पारिवारिक जोत—पारिवारिक जोत, जो कि न्यूनतम ममत्व इकाई मानी जाती है, भूमि का वह सचालन क्षेत्र है जिससे एक विशेष ग्रीसत आय प्राप्त हो सके। पारिवारिक जोत वह क्षेत्र है जो स्थानीय परिस्थितियों तथा चालू उक्नीकी दशाओं के अन्तर्गत बैलों की एक जोड़ी का प्रयोग कर रहे एक ग्रीसत साईंज के परिवार के लिए (ग्रामीण पति, पत्नी व तीन अवयस्क बच्चों के लिए) कार्य इकाई या हल इकाई के तुल्य हो। १९५५ में पारिवारिक जोत की परिमापा करते हुए यह बताया गया कि यह भूमि का वह टुकड़ा है जो परिवार के लिए उस समय की कीमतों पर १२०० रु की नेट वार्षिक कृषि आय प्रदान कर सके। परिवार-सदस्य-सम्पदा के आधार पर इससे छठ दी जा सकती है। घर्तमान कीमतों पर इससे २७०० रु से ३००० रु की नेट वार्षिक आय प्राप्त होनी चाहिए। सक्षेप में पारिवारिक जोत भूमि का वह क्षेत्र है जो एक सामान्य परिवार को पूर्णतया काम पर लगाए रखे या उचित नेट आय (२७०० रु या अधिक) प्रदान कर सके या बैलों की एक जोड़ी को जो सबसे व्यापक कर्पण इकाई है पूरी तरह काम पर लगाए रख सके। ४ से ६ हैक्टर की सिवित जोतें बैलों की जोड़ी, परिवार रोजगार तथा निम्नतम आय के उम्मीदों की जीचों पर पूरा उत्तरती हैं।

(ख) आर्थिक जोतें—निम्न आय वाले देशों में कार्म अर्थव्यवस्था क्षेत्र, विखरे हुए तथा अनार्थिक हैं और इन देशों में यह धररणा (प्रथाग्रार्थिक जोत) व्यापक रूप में प्रचलित है। यह वह क्षेत्र है जो अर्थशास्त्रियों की हप्टि में कृपि की एक ऐसी मांडल इकाई है जिसका एक ग्रीसत परिवार या एक व्यक्ति द्वारा सचालन होना चाहिए। आर्थिक जोत भूमि का वह टुकड़ा है जो ग्रीसत साईंज के परिवार (पति, पत्नी, तीन अवयस्क बच्चों) को उचित जीवन स्तर तथा पूर्ण रोजगार प्रदान कर सके तथा क्षेत्र में कृषि-ग्रन्थव्यवस्था के उपादानों के अनुरूप हो। एक आर्थिक जोत कृपक को उसके और उसके परिवार के निवाहि तथा अपने सब खर्च निकाल कर सुख से रहने के लिए पर्याप्त आय (ग्रथवा उत्पादन) प्राप्त कराएगी। वास्तव में आर्थिक जोत अर्थशास्त्रियों की भावनात्मक सकल्पना (इकोनोमिस्ट एवं ट्रैक्शन) है और इसका परिमाप भूमि की उवंरता, जुताई की तीव्रता, फसल के स्वरूप, निर्वाह-व्यय, उत्पादन-लागतों तथा कीमतों द्वारा प्रभावित होता है। आर्थिक जोत का अनार्थिक जोत से भेद करने के लिए कोई पक्का नियम नहीं

है। विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक जोतों का क्षेत्रफल भिन्न-भिन्न होगा और वहाँ की अवस्थाओं तथा कृषि-जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर है। एक आर्थिक जोत अनार्थिक बन सकती है यदि परिस्थितियाँ अनुकूल न हो। गुर यह है कि सबसे अधिक स्वाभाविक (नैसर्जिक) आर्थिक इकाई वह है जो पारिवारिक जोत के तिगुनी हो। वर्तमान सदर्म में भूमि की राशनिंग योजना में आर्थिक जोत भूमि का अधिकतम राशन है अर्थात् यह भूमि को वह उच्चतम सीमा है जिसे एक आसत परिवार को रखने का अधिकार होना चाहिए।

(ग) आधारभूत जोत—यद्यपि भूमि का कृषि की आर्थिक इकाइयों में पुनर्गठन एक आदर्श प्रबन्ध होगा परन्तु ऐसा करना न व्यावहारिक है और न ही सामाजिक दृष्टि से बाढ़ती है। निम्न आय वाले देशों में अधिकाश जोते बहुत छोटी हैं और उपरोक्त वातों पर आधारित भूमि के पुनर्गठन से अवसीमात (सबमार्जिनल) छोटे किसानों की हालत और भी बिगड़ जाएगी क्योंकि इस पुनर्वितरण के परिणाम स्वरूप वे कृषि से बाहर फेक दिए जाएंगे। इससे गांव वालों की मुसीबतें तथा दुःख बढ़े गे और उनमें अशान्ति फैलेगी जिसके भयानक परिणाम होगे।

हमारे देश में जोत का आसत क्षेत्रफल २६३ हैक्टर (६.५७ एकड़) है। लगभग ४२ प्रतिशत जोतदार १.०१ से ४.०५ हैक्टर (२.५० से १० एकड़) के बीच की जोत-इकाइयों का सचालन करते हैं। इनका संचालन क्षेत्रफल कुल का एक तिहाई है। इनमें से बहुत कम जोते आर्थिक कहीं जा सकती हैं। कृषि की वर्तमान तकनीक के अनुसार इनमें से अधिकाश अनार्थिक हैं। हम सब अवसीमात तथा अनार्थिक इकाइयों (सबमार्जिनल एण्ड अन इकानोमिक यूनिट्स) को समाप्त नहीं कर सकते। परन्तु साथ ही भूमि के उन बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों पर जो कि ०.२० हैक्टर (०.४६ एकड़) से भी कम की इकाइयों में सचालित किए जाते हैं मानव तथा भौतिक सासाधनों को बरबाद करना भी मूर्खता होगी।

कहने का अनिप्राय यह है कि आर्थिक जोत से छोटी जोतें भी वर्तमान सामाजिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कायम रहेंगी और उन्हे छेड़ा नहीं जाएगा चाहे आर्थिक दृष्टि से यह उचित न भी हो। फिर भी हमें ऐसी आधारभूत जोत के क्षेत्रफल का निर्धारण करना ही होगा जिससे कम की किसी भी जोत को कायम नहीं रखा जाएगा। यह आधारभूत जोत भूमि के अनुनतम राशन अर्थात् जोत की निम्नतम सीमा का निरूपण करेगी। आधारभूत जोतों से बड़ी अनार्थिक जोतों को सहकारिताओं में संगठित किया जाना चाहिए। आधारभूत जोतों से छोटी जोतों द्वारा सचालित क्षेत्रफल का सामूहिकीकरण किया जा सकता है या इसको फालू भूमि समझा जा सकता है क्योंकि इन जोतदारों की हालत किसी भी दशा में भूमिहीन कृपकों से अच्छी नहीं है। गुर यह है कि आधारभूत जोत एक पारिवारिक जोत की एक तिहाई होनी चाहिए।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निक्षय पर पहुँचते हैं कि भारत में कार्म-जोतों का भूमि की उच्चतम-निर्धारित तथा निम्नतम-निर्धारित सीमाओं की योजना द्वारा पुनर्गठन करना पड़ेगा। निम्न अनुच्छेदों में हम उपरोक्त स्थिरों को पूरा करने हेतु उच्चतम सीमा के निर्धारण के लिए कर्तृतीयों को व्याख्या करेंगे।

११.५ उच्चतम स्तर के निर्धारण हेतु कसौटियाँ

भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव इस बात की माँग करता है कि भू-तन का विन्यास (ले आउट) तथा उपयोग मुनियोजित तथा विवेकपूर्ण ढग से होना चाहिए। यह बहुत आश्यक है कि भूमि के स्वामित्व में अमानताओं को बहुत कम कर दिया जाए। किसी भी व्यक्ति को भूमि की असीमित मात्रा के रखने तथा इसके फलस्वरूप उन लोगों का जो इसकी कृषि पर निर्भर हैं, शोषण करने का दंडीय अधिकार नहीं है। अतः सार्वजनिक हित तथा सामाजिक न्याय के लिए एक व्यक्ति द्वारा रखी जाने वाली भूमि की मात्रा की उच्चतम सीमा नियत करना ज़रूरी है। समाज के निम्न तथा उच्च वर्गों में वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक असमताओं को कम करने के लिए तथा प्रगतिशील स्थिर आम-अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण अनिवार्य है। भूमि की उच्चतम सीमा के निर्धारण का विषय लगभग तय हो चुका है। परन्तु भूमि का पुनर्गठन तभी आर्थिक कल्याण का साधन बन सकता है जब वह निम्न शर्तों तथा कसौटियों को पूरा करे :

- (१) जोत की उच्चतम सीमा इस प्रकार से निर्धारित होनी चाहिए जिससे कृषि-उत्पादन में वृद्धि मुनिश्चित हो सके और जिसमें कृषि-ससाधनों का अधिकतम उपयोग हो अर्द्धत्रिंशिंश जिसमें उत्पादन-दक्षता में वृद्धि हो। कृषि अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की कोई भी योजना जिससे उत्पादन-दक्षता पर दुष्प्रभाव पड़े सामाजिक न्याय के आधार पर भी उचित नहीं ठहराई जा सकती। साध हो, इससे आम-जनसंख्या में जो अपने निर्वाह के लिए भूमि पर निर्भर है या जिसके पास भूमि नहीं है, प्रचलित बेरोजगारी (डिसगाइड अनएम्प्लायमेंट) को कम करने और यदि सबव हो सके तो समाप्त करने में सहायता मिलनी चाहिए। आश्यकता एक ऐसी कृषि-प्रणाली के विकास करने की है जिसमें प्रति एकड़ अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अम-ससाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। ससाधनों के आर्थिक उपयोग के लिए हमें उत्पादिता बढ़ाने के लिए ऐसी रीतियाँ अपनानी चाहिए जिनमें बहुत अम-ससाधनों का अधिकतम उपयोग हो परन्तु पूँजीगत व्यवस्थान को बदलना चाहिए।
- (२) अनार्थिक जोतें भारतीय कृषि को सबसे गम्भीर समस्या है। जहाँ तक हो सके जोतों का पुनर्गठन इस प्रकार से होना चाहिए कि कृषकों तथा उनके परिवारों को पर्याप्त आय-मुरक्खा प्राप्त कराई जा सके। उच्चतम सीमा इस प्रकार से निर्धारित की जानी चाहिए कि जोत में किनान तथा उसके परिवार को उचित जीवन-स्तर से आशवस्त किया जा सके। इससे पर्याप्त आय प्राप्त होनी चाहिए ताकि कुआँ खोदने या पम्प सेट लगाने जैसे भूमि-उपति के कार्यों में निवेश लगाया जा सके।
- (३) फार्म से कृषक को बिक्री के लिए पर्याप्त अधिशेष प्राप्त होना चाहिए ताकि वह कृषि में पर्याप्त निवेश करने के योग्य हो सके। सक्षेप में फार्म का परिमाप बहु-उद्देश्य-नूतन जैसे उत्पादन दक्षता, बेकारी तथा ग्रल्प बेरोजगारी के न्यूनीकरण हेतु अम के अधिक उपयोग, कृषक परिवार के लिए आय-मुरक्खा तथा खाद्यान्न के

पर्याप्त विकेग अधिशेष आदि के सदर्म में निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त फार्म का परिमाप चाहे किसे भी निर्धारित हो, आधिक ट्रिट से जीवन-क्षम (वाइएबिल) होना चाहिए।

वह संचालन जोत जिसको उपज का मूल्य उपभुक्त परिवार-अम समेत सब निविटियोंके मूल्य को अपने में समेटे रहे या निविटियों के मूल्य से बढ़ जाए, जीवनक्षम जोत (वाइएबिल होल्डिंग) मानी जाती है। परन्तु इस परिभाषा में कृषक के परिवार की जीवन-निर्वाह सबधी आवश्यकताओं की उपेक्षा की गई है। जीवन-निर्वाह एक प्रकार की वधी लागत है। एक फार्म केवल इसलिए जीवन-क्षम नहीं माना जा सकता क्योंकि उसका नेट लाभ लागत से अधिक है जबकि यह लाभ फार्म परिवार का पेट भी न भर सके। निर्वाह व्यय लागत का भाग माना जाना चाहिए। हम देख चुके हैं कि कृषि की नवीन व्यूहरचना के सदर्म में, सिचाई की सहायता से, अपेक्षाकृत छोटी जोत भी जीवनक्षम इकाई बन सकती है। अतः सिचाई का खोत तथा इसको निरन्तरता (पेरीनिएलटि वाहरमासी प्रकृति) का उच्चतम स्तर के निर्धारण में विशेष महत्व है।

उपलब्ध आंकड़ों से पता चताता है कि छोटे फार्म तकनीकी रूप में फार्मों से अधिक दक्ष हैं। अभिनव अध्ययनों के अनुसार, सिचित क्षेत्र की प्रतिशतता, शस्य प्रतिगतता (कॉर्पिंग इन्ट्रोसिटि) प्रति एकड़ अम-निविटि तथा उपज निश्चित रूप से छोटे फार्मों में बड़े फार्मों की अपेक्षा अधिक हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि विशाल कार्मों का सिद्धात अर्थात् कृषि में जितनी उत्पादन-इकाई बड़ी होगी, उतनी ही वह अधिक दक्ष होगी, भारतीय परिस्थितियों में लागू नहीं होता तथा जोतों की निम्न उच्चतम सीमा नियत करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जोतों की निम्न उच्चतम सीमा नियत करने से उत्पादित तथा सकल उत्पादन में बृद्धि होगी। इसके साथ-साथ ग्राम समाज के कमज़ोर वर्गों में पुनर्वितरण के लिए अतिरिक्त भूमि भी उपलब्ध होगी। उच्चतम सीमा को इतना नीचा अवश्य रखना होगा जिससे अम के फार्म यन्त्रीकरण द्वारा प्रतिस्थापन को बढ़ावा न मिले। परन्तु यहाँ पर उच्चतम सीमा के निर्धारण के विवरण भी कर लेना चाहिए।

११.६ उच्चतम सीमाओं के निर्धारण के विवरण तक

- (१) आलोचकों का मत है कि यह एक प्रतिसारी कदम है। उनका तर्क है कि निम्न उच्चसीमाओं का नियन्त्रण उत्पादन पर अवश्य ही दुरा प्रभाव ढालेगा क्योंकि इससे यन्त्रीकृत कृषि जो केवल मात्र अधिक अन्त-प्रदान कर सकती है, की गति मद हो जाएगी। इसके अतिरिक्त बड़ी जोतों के छोटी इकाईयों में द्विशाखन के परिणाम-स्वरूप अनेक अनाधिक जोतों का जन्म होगा जिससे स्थिति और भी अधिक दिग्ड़ जाएगी।
- (२) उच्चतम सीमा के निर्धारण से बड़ी जोतें टूट जाएंगी और इनमें लगे हुए बड़ी सहवा में कृषि श्रमिक बेकार हो जाएंगे जिससे उनका दुख बढ़ कर्ण और अधिक बढ़ेगा।
- (३) यह समस्या का स्पायी समाधान नहीं है। ये जोतें उत्तराधिकारी नियमों के

सचालन के अधीन हैं और धीरे-धीरे ये छोटी अनार्थिक इकाइयों में बट जाएंगी जिससे उत्पादन में रुकावट आएगी।

- (४) यह भी तर्क दिया जाता है कि सीमा-निर्धारण के फलस्वरूप होने वाला उप-विभाजन आधिक संवृद्धि की संभवी प्रक्रिया (क्षूमीलेटिव प्रोसेस) में कोई योग नहीं दे सकेगा क्योंकि कुल आय में वृद्धि होने पर निम्न आय वर्गों द्वारा उपभोग भी बढ़ जाएगा और विक्रेय अधिशेष कम हो जाएगा।
- (५) यह भी तर्क दिया जाता है कि इम प्रकार के पुनर्यंठन से प्रबन्धकीय कुशलता य योग्यता की गुणवत्ता का ह्रास होगा और यह परिवर्तन और भी बिगड़ करेगा। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए 'कि क्षेत्रफल का सीमा नियन्त्रण योग्यता या दक्षता का सीमा-नियन्त्रण नहीं है। एक बार इस प्राधार पर भूमि का पुनर्वितरण होने पर, उन जोतों से होने वाली आय में वृद्धि पर कोई सीमा नहीं होगी। कोई भी बात कृपकों को अपनी आय को दुगुना या तिगुना करने से नहीं रोकती और बेहतर कृषि ढग अपना कर ऐसा किया जा सकता है।'
- (६) इमके अतिरिक्त इस प्रकार के पुनर्वितरण का सभाव प्रौद्योगिकीय उन्नति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह प्रौद्योगिकीय नवक्रियाओं के उपयोग तथा यन्त्रीकरण की सभावनाओं को कम करता है।
- (७) यह भी कहा जाता है कि मात्र भूमि जोतों पर इस प्रकार की प्रतिबद्ध प्रकृति की सीमा लगाना जबकि भूमि तथा सम्पत्ति के स्वामित्व पर ऐसी कोई रोक नहीं है, अन्यायपूर्ण तथा भेद मूलक है। उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भूमि की पूर्ति पूर्णतः लोचहीन है जबकि उत्पादन के नगरीय साधन ऐसे नहीं हैं। इसलिए आरोही करों के अतिरिक्त ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे नगरीय आय पर पूर्ण भौतिक सीमा लगाना सभव हो सके। हमें जात है कि कृषीतरन-साधनों से प्राप्त आय पर कर लगता है, जबकि कृषि-ग्राम पर कर नहीं लगता जो कि असमानता का एक स्रोत है। अतः एक विशेष क्षेत्रफल से ऊपर वाली सब जोतों पर मारी कर लगाने का ठोस कारण भौजूद है, विशेषकर सधन कृषि को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी जोतों पर कर लगाना जरूरी है। अतः भूमि सीमा नियन्त्रण संकल्पनात्मक रूप में कृषि पर सम्पत्ति-कर के तुल्य है और इसे इस प्रकार के ही माना जाना चाहिए।

अब हम भूमि की उच्चतम सीमा के वास्तविक निर्धारण का विवेचन करेंगे।

११.५ उच्चतम सीमा तथा सरकारी नीति

हम यह बता चुके हैं कि आर्थिक जोत भूमि की वह उच्चतम सीमा है जिसे एक प्रौसत परिवार (वर्ति, पत्नी तथा तीन अवयस्तक बच्चे) को रखने का अधिकार होना चाहिए। हम यह भी बता चुके हैं कि सामान्यतः यह उच्चतम सीमा पारिवारिक जोत की तिगुनी होती है, इन जोतों का परिमाप भूमि की कृषि-जलवायु-परिस्थितियों अर्थात् भूमि की उवंरता, जुताई की तीव्रता, सिचाई सुविधायों, निविष्टियों की मात्रा, फसल के स्वरूप ग्रादि पर निर्भर

है और भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में उच्चतम सीमा भी भिन्न-भिन्न होगी। व्यावहारिक स्तर पर इस बात का काफी प्रमाण है कि एक कृपक २ या ३ हैक्टर सिंचित भूमि से जो वर्ष में दो फसलें देने वाली हो, नवीन निविष्टियों की सहायता के साथ अपने परिवार का पेट पाल सकता है। यदि कृपक की भूमि वर्ष में एक फसल देने वाली हो और जल की व्यवस्था हो तो पारिवारिक जोत ४ से ५ हैक्टर की होगी। अंततः ८ हैक्टर से १० हैक्टर का असिंचित फार्म (शुष्क क्षेत्र) कृपक के परिवार को उचित निर्वाह स्तर प्रदान कर सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जोतों की सीमाएँ निम्न होनी चाहिए :—

(1) उच्चतम सीमाएँ—(आधिक जोत)—(क) वर्ष में दो फसलें देने वाली सिंचित भूमि : ६ हैक्टर से ९ हैक्टर (अर्धात् १५ एकड़ से २२ $\frac{1}{2}$ एकड़)

(ख) वर्ष में एक फसल देने वाला क्षेत्र (सिंचित) : १२ हैक्टर से १५ हैक्टर (अर्धात् २७ एकड़ से ३७ $\frac{1}{2}$ एकड़)

(ग) शुष्क क्षेत्र—२४ हैक्टर से ३० हैक्टर (६० एकड़ से ७५ एकड़)

(ii) निम्नतम सीमाएँ (आधारभूत जोत)—(क) दो फसली सिंचित क्षेत्र ०.६७ हैक्टर से १ हैक्टर (१.६७ एकड़ से २.५ एकड़)

(ख) एक फसली सिंचित क्षेत्र—१.३४ हैक्टर से २ हैक्टर (३.३५ एकड़ से ५ एकड़)

(ग) शुष्क क्षेत्र—२.६७ हैक्टर से ३.३४ हैक्टर (६.७ एकड़ से ८.३३ एकड़)

भूमि पर जनसंख्या के प्रत्याधिक दबाव को देखते हुए सरकार के लिए भूमि की जोत की निम्नतम सीमा निर्धारित करना राजनीतिक दृष्टि से खतरे से बाली नहीं है और कोई भी सरकार इस जोखिम को नहीं उठाना चाहेगी चाहे आधिक चिन्तन उसके पक्ष में हो हो। सम्भवतः यही कारण है कि जोत की निम्नतम सीमा के निर्धारण को सिद्धातः स्वीकार नहीं किया गया जबकि भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण हमारी भूमि नीति का अनिवार्य अंग है। अगले पृष्ठों में हम इस सदर्भ में सरकारी नीति का विस्तारपूर्वक विवेचन करेंगे।

(1) भूमि-सीमा सम्बन्धी सरकारी नीति (१९५८-१९७१) तथा उसकी असफलता के कारण—पिछले २५ वर्षों में अधिकांश राज्यों में एक व्यक्ति या एक परिवार द्वारा रखी जाने वाली भूमि या भविष्य में अधिग्रहण की उच्चतम सीमा से सम्बन्धित अनेक कानून बनाए गए हैं। उच्चतम सीमा के अनुप्रयोग की इकाई (व्यक्ति या परिवार), 'हस्तांतरण तथा छूट सम्बन्धी धाराएँ भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न रही हैं। केरल, तामिलनाडु, प. बंगाल तथा आसाम में उच्चतम सीमाओं को बाद में बढ़ा दिया गया। १९७२ से पहले बनाए गए नियमों का विवरण, अनुभानित फालतू भूमि तथा इसके वितरण का विवरण सारणी ११.१ में दिया गया है।

सारे देश में केवल १०.७५ लाख हैक्टर (२६.६ लाख एकड़) कालतू भूमि घोषित की गई जिसमें से ५ लाख हैक्टर (१२.५ लाख एकड़) भूमि का वितरण किया गया।

कुछ भी हो, इन पारित नियमों से बाहित परिणाम प्राप्त नहीं हुए क्योंकि कानून में

सारणी ११.१ जोतो की उच्चतम सीमाएं तथा फालतू भूमि का वितरण

राज्य	वर्ष	उच्चतम निर्धारित सीमा (एकड़ो मे)	इसाई फालतू अधिगृहीत भूमि	वितरित (००० हेक्टर में)
आन्ध्र प्रदेश	१९६१	२७ से ३२४	जोतदार	३०
आमाम	१९५८	२५	जोतदार	२७
बिहार	१९६२	२० से ६०	जोतदार	—
गुजरात	१९६१	१६ से १३२	परिवार के सब सदस्य	२०
हरियाणा*	१९६१	२७ से १००*	जोतदार	७३
हिमाचल प्रदेश*	१९६१	२७ से १००	जोतदार	२.६
जम्मू व कश्मीर	१९५८	२२३	जोतदार	१८०
केरल	१९७०	१२ से १५	परिवार	—
मध्य प्रदेश	१९६१	२५ से ७५	जोतदार	३४
महाराष्ट्र	१९६१	१८ से १२६	जोतदार	१५२
मैसूर	१९६९	२७ से २१६	परिवार	—
उड़ीसा	—	२० से ८०	जोतदार	—
पंजाब*	१९६१	२७ से १००	जोतदार	७१
राजस्थान	१९६३	२२ से ३३६	परिवार	२४
तामिलनाडु	१९६२	१२ से ६०	परिवार	११
उत्तर प्रदेश	१९६१	४० से ८०	जोतदार	६७
प० बगाल	१९७१	१२४ से १७.३	जोतदार	३५४
कुल				१०७५.६
				५००४

स्रोत : भारत १९७१-७२ सारणी १२५।

न्यूनताओं के कारण निहित स्वार्थ वाले तत्वों ने विभिन्न चतुर युक्तियों द्वारा इन नियमों की घाराओं को निष्फल बना दिया है।

चतुर्थ पचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूप रेखा (१९६६) में भूमि सीमाओं के कार्यान्वयन पर स्पष्ट निरांय यह था : “भूमि सीमा का यह मुख्य घेय कि योजना बढ़ आधार पर भूमिहीनों को उचित कीमत पर भूमि का पुनर्वितरण किया जाए, अधिकाश रूप में असफल हो गया है।”

इस असफलता के अनेक कारण हैं। प्रथम यह कि स्वार्थ कानूनों में अनेक न्यूनताएं तथा खामियाँ थीं। उच्चतम सीमाओं के स्तर मनमाने ढंग से निर्धारित किए गए। सामान्यतः ये सीमाएं काफी ऊँची थीं तथा अनेक भनुप्रक घाराओं, अपवादों तथा छटों ने वास्तविक व्यवहार में उन्हें विकल कर दिया था। यद्यपि उच्चतम सीमा का नियन्त्रण सिद्धान्त तः

विलक्षण उचित तथा सावंजनिक हित की दृष्टि से तर्क सगत है परन्तु इस सम्बन्ध में बनाए गए कानूनों का उन लोगों द्वारा जो इसमें दुष्प्रभावित होने, विरोध स्वाभाविक ही है। इसके साथ-साथ ये सीमाएँ भूमिहीन तथा सीमात कृपकों को पुनर्वितरित करने हेतु अभीष्ट फालतू भूमि के परिमाण के अनुरूप नहीं थी। अधिकाश राज्यों में सीमा की इकाई 'व्यक्ति' थी, 'परिवार' नहीं थी जिससे परिवार के सदस्यों में भूमि के 'गुप्त अतरण' को बढ़ावा मिला।

यह ध्यान रहे कि भूमि सीमा सम्बन्धी कानूनों को लागू करने में महत्वपूर्ण वित्तीय, प्रशासनिक तथा प्रबन्धकीय समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। अधिग्रहण की हुई फालतू भूमि के लिए मुश्वावजा देना होगा। पिछले वर्षों में वैधानिक धाराओं को कार्यान्वित करने में विलम्ब अद्यक्षता तथा भ्रष्टाचार का धोन बाला रहा है। यह कथन इस बात से स्पष्ट है कि सीमा नियमों के लागू होने के समय १० वर्ष बाद भी केवल १० लाख हैक्टर भूमि ही फालतू घोषित हो पाई। यह कुल बोये क्षेत्र के ०.८ प्रतिशत से भी कम था। २० हैक्टर से अधिक जोतों के कुल क्षेत्रफल का यह केवल ८ प्रतिशत था। एलाटियों को चुनने में प्रशासनिक आलस्य के अतिरिक्त फालतू भूमि के पुनर्वितरण के कार्य में भूमिदारों की मुकदमेबाजी तथा भूस्वामियों द्वारा दी गई भूमि की निकृष्ट गुणवत्ता के कारण भी झकाबट आई है। यह बड़ा ज़हरी है कि स्वीकृत सीमा को अधिक विवेकपूर्ण ढंग से, अधिक शुद्धता, ईमानदारी तथा अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। अभीष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिए सीमायों को एक व्यक्ति की अपेक्षा परिवार पर लागू करना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो विभिन्न राज्यों के राज्य नियमों में व्यापक रूप में एकसमानता होनी चाहिए और इन उद्देश्य हेतु राज्यों को विशेष निर्देश दिए जाने चाहिए। माय ही राजस्व-प्रशासन को जो इस कानून को लागू करने वाली एजेंसी है, सुटूंड करना होगा तभी ध्येय को प्राप्त किया जा सकेगा।

(ii) उच्चतम सीमा-निर्धारण सम्बन्धी नियंत्रण—जुलाई, १९७२ में राज्य मुख्य-मंत्रियों की सहमति से रचित कृपि जोतो के परिमाप पर नये नियंत्रण व्यापक एकसमानता लाने की दिशा में ही एक कदम है। यह निर्णय किया गया कि नये भीमा सम्बन्धी नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर जनवरी, १९७१ से लागू किया जाए। राज्यों को इससे पहले की किसी तिथि से इन्हें लागू करने की छूट थी। मुख्यमंत्री इस बात पर भी सहमत हुए कि भूमि पर उच्चतम सीमा को वर्ष के प्रत्यन्त तक लागू कर दिया जाए। नवीन नियंत्रण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

(१) यह निर्णय किया गया कि आश्वासित सिचाई तथा वर्ष में दो फसलें देने वाली

भूमि पर, भूमि तथा सम्बद्ध उपादानों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए,

उच्चतम सीमा १० से १८ एकड़ (४ से ७.४ हैक्टर) तक निर्धारित किया जाए।

निजी स्थोतों से सिचित भूमि के लिए २५ प्रतिशत की छूट दी जाएगी परन्तु

उच्चतम सीमा किसी भी अवस्था में १८ एकड़ से अधिक नहीं होगी।

(२) वर्ष में एक फसल के लिए आश्वासित सिचाई वाली भूमि की उच्चतम सीमा २७ एकड़ (लगभग ११ हैक्टर) होगी। इसमें निजी जल स्थोतों के लिए कोई छूट नहीं होगी।

- (३) बारानी (शुष्क) भूमि के लिए उच्चतम सीमा ५४ एकड़ होगी। मरु तथा पर्वतीय क्षेत्रों में यह सीमा ५४ एकड़ से अधिक हो सकती है परन्तु यह छूट केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय से सलाह मंशवरे के साथ दी जाएगी।
- (४) बर्तमान फलोद्यानों की दशा में सामान्य सीमा से ५ एकड़ की रियायत दी जाएगी या उन्हें बारानी भूमि के बराबर माना जाएगा और उच्चतम सीमा को ५४ एकड़ तक बढ़ाया जा सकेगा। ये रियायतें भावी फलोद्यानों के लिए भी उपलब्ध होगी।
- (५) उच्चतम सीमा परिवार पर लागू होगी। परिवार पति, पत्नी तथा तीन अवयस्क बच्चों से निर्मित माना जाएगा। बड़े परिवारों के लिए अतिरिक्त भूमि की छूट दी जाएगी परन्तु किसी भी अवस्था में जोत मानक साइज के परिवार की जोत के दूने से अधिक नहीं होगी। अपस्क बच्चों को, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत, स्वयं अपनी जोतें रखने का अधिकार होगा।
- (६) अशवालाओं, गौशालाओं, डेरी फार्मों तथा बागानों के लिए दी जाने वाली छूट के प्रश्न का निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाएगा।
- (७) नवीन स्टॉम के अन्तर्गत, राज्य सरकारें इस बात का निर्णय करेंगी कि धार्मिक न्यासों तथा शिक्षा-संस्थाओं की भूमि को सीमा-नियमों से छूट दी जाएगी या नहीं। पुण्यार्थ न्यासों को तभी छूट मिल सकेनी यदि वे सार्वजनिक हित के उद्देश्यों में लगे हों। यन्वीकृत फार्मों, सुव्यवस्थित फार्मों, वीरता-पुरस्कार के रूप में मिली भूमि तथा मिलो द्वारा सचालित गन्ना-फार्मों पर कोई छूट प्राप्त नहीं होगी।
- (८) उच्चतम सीमा से अधिक भूमि के लिए मुग्रावजा बाजार-कीमत पर नहीं दिया जाएगा; एक खण्ड-पद्धति अपनाई जाएगी जिसमें कम फालत् भूमि के लिए अधिक फालत् भूमि की अपेक्षा अनुपाततः ऊची दर पर मुग्रावजा दिया जाएगा। मुग्रावजे का नियतन राज्यों पर छोड़ दिया गया है। परन्तु मारा है कि भू-राजस्व या उचित लगान का कोई गुणज होगा।
- (९) यह भी बताया गया कि जहाँ तक समव हो फालत् भूमि को भूमिहीनों में बांटा जाए।

इन सिफारिशों के पक्ष तथा विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। उदाहरणतः उच्चतम सीमा का निर्धारण करते हुए सिचाई के स्रोत तथा इसकी निरन्तरता पर ज़रूरत से अधिक जोर दिया गया है। प्रासंगिक यह नहीं है कि सिचाई का स्रोत क्या है या सिचाई निरन्तर है या नहीं, बल्कि एक ईमानदार, परिभ्रमी, प्रगतिशील किसान को भूमि की सुद-काश्त से किन्तु अधिकतम सामाजिक अनुमेय ग्राम (मैक्सीम सोसियली परमिसीविल इनकम) ग्राप्त होनी चाहिए। एक बार आय की सीमा निर्धारित होने पर, ग्रामीक प्रकार की भूमि बारानी या मोसमी या निरन्तर सिचित की श्रीसत उत्पादिता के आधार पर रूपातरण-अनुपात (कनवरसन रेशियो) निकाले जा सकते हैं और इसका भूमि-तुल्य ज्ञात

किया जा सकता है। उच्चतम सीमा स्तर के निर्धारण की अन्तिम कसौटी आय ही होनी चाहिए।

यह भी कहा जा सकता है कि 'परिवार' की, जो कि उच्चतम सीमा की इकाई होगी, परिनापा में परिवर्तन बड़े जोतदारों के लिए बहुत बड़ी रियायत है तथा इससे नवीन स्कीम का उद्देश्य विफल हो जाएगा और भूमिहीनों में भूमि पुनर्वितरण के क्षेत्र का विस्तार नहीं हो सकेगा। उपर तत्त्व इन निर्देशों को 'कृपक लावी' के सामने आत्म-समर्पण कह सकते हैं। 'परिवार' की नई परिभाषा वयस्क वच्चों को, जाहे वे विवाहित हो या अविवाहित, स्वयं अपनी जोत रखने का अधिकार देती है। अतः एक परिवार, जिसमें पति, पत्नी, तीन वयस्क तथा दो अल्पवयस्क वच्चे हों, दो फसलों के लिए आश्वासित सिवाई बाली ४० से ७२ एकड़ भूमि तक या एक फसल बाली १०८ एकड़ सिवित भूमि तक का अधिकारी होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि गुजरात, केरल, मैसूर, राजस्थान तथा दिल्ली जैसे राज्यों में, जहाँ पहली सीमाओं की इकाई 'परिवार के सब सदस्य थे' पुनर्वितरण के लिए उपलब्ध अतिरिक्त भूमि पहले सीमा-नियमों में घोषित अतिरिक्त भूमि से बहुत कम होगी। इसके अतिरिक्त नई योजना वयस्क वच्चों के पक्ष में जाती है और अल्प वयस्कों के हितों की रक्खा नहीं करती क्योंकि उत्तराधिकारी नियम समान उत्तराधिकार के सिद्धात पर आधारित है। परिवार में पिता की मृत्यु पर भूमि अल्प वयस्क वच्चों में समान रूप में बांटी जाएगी। यह उनके साथ घोर अन्याय है। इसके अतिरिक्त लड़कियाँ भी अपने पिता द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति में कानूनी रूप में अपने भाग की अधिकारी हैं। परिणाम में भूमि का विखण्डन तथा उभविभाजन होगा जिससे अनार्यक तथा जीवन-अक्षम जोतों का जन्म होगा।

११.८ भूमि-सीमा से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण

भूमि की उच्चतम सीमा का नियतन विभिन्न वर्गों में असमानताओं को दूर करने के लिए तथा मामाजिक टृप्टि से ही न्याय संगत नहीं वर्त्क उत्पादन में बूढ़ि हेतु जोतों की उत्पादन-दशता में बूढ़ि करने के लिए तथा देरोजगारों को रोजगार देने के लिए भी ज़रूरी है। परन्तु इस सारी योजना का केन्द्रक विन्दु इसके परिणामस्वरूप प्राप्त 'अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण' है और इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर है कि अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण कैसे किया जाता है अर्थात् यह पुनर्वितरण उपरोक्त उद्देश्यों को कहीं तक पूरा करता है।

भूमि सीमा-सम्बन्धी नए निर्देशों में इस बात की सिफारिश की गई है कि जहाँ तक समव हो, निर्मुक्त अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन कृपकों में बांटा जाए। परन्तु उठता है कि क्या इन कानूनों के लागू होने पर इतनी अतिरिक्त भूमि प्राप्त हो सकेगी जिससे भूमि को भूख को दूर किया जा सके और क्या अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में पुनर्वितरण आर्थिक टृप्टि से तकर्कसगत है? जातव्य है कि भारत में १९७२ से पहले के भूमि सीमा-नियमों के परिणाम-स्वरूप केवल ११ लाख हैक्टर भूमि ही अतिरिक्त भूमि घोषित की जा सकी जिसमें से लगभग ५ लाख हैक्टर भूमि ही बांटी जा सकी।

भारत में लगभग १ करोड़ ६० लाख भूमिहीन हृषक परिवार हैं। यदि एक परिवार

को एक हैबटर भूमि भी दी जाए तो केवल भूमिहीन परिवारों के लिए ही १६० लाख हैबटर भूमि की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त लगभग २ करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक एकड़ (०.४ हैबटर) से भी कम भूमि है और उनकी दशा भी भूमिहीनों के तुल्य ही है। यह भूमि प्रायः बेकार ही जाती है क्योंकि न तो इतनी छोटी जोतों पर ढग से कृषि हो सकती है और न ही इनसे उन परिवारों का पेट भर सकता है। स्वामानिक ही है कि उनकी गिनती भी कृषि-अभियोगों में की जाएगी। इसलिए यदि गरीबी को दूर हटाना है और कृषि का उद्धार करना है, तो भूमि की उच्चतम सीमा के साथ-साथ निम्नतम सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए। आर्थिक सवृद्धि, आर्थिक सिद्धांतों को उपेक्षा करके प्राप्त नहीं की जा सकती। आर्थिक मिद्दांतों को ताक पर रखने या उल्टा टाँगने से गरीबी दूर नहीं हो सकती। निम्नतम सीमाएँ भी भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमि के लिए भिन्न-भिन्न होगी। डाकेकर तथा रथ ने अपनी पुस्तक 'पॉवर्टी इन इडिया' में विभिन्न राज्यों के लिए ०.४ हैबटर से लेकर ४ हैबटर के बीच निम्नतम निर्धारित सीमाओं के आवार पर यह अनुमान लगाया है कि केवल वर्तमान जोतों को निम्नतम सीमा वाली जोतों तक लाने के लिए २ करोड़ हैबटर अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। यह ध्यान रहे कि ये निम्नतम परिमाप की जोतें भी आर्थिक नहीं होगी और अनार्थिक ही कही जाएंगी। सारणी ११.२ में हमने वर्तमान जोतों को एक एकड़ तथा एक हैबटर वाली निम्नतम जोतों में लाने के लिए अभीष्ट अतिरिक्त भूमि का अनुमान लगाया है। इस आधार पर भूमिहीन परिवारों के लिए अभीष्ट भूमि का भी समावेश किया गया है।

सारणी ११.२ निम्नतम-भीमा-नियतन तथा पुनर्वितरण हेतु अभीष्ट अतिरिक्त भूमि

क्रमांक	जोत का धेन हैबटर	जोतों की संख्या (वार्षिक में)	कुल धेनकल लग्ज हैबटर	अभीष्ट अतिरिक्त भूमि निम्नतम निर्धारित सीमा ०.४ हैबटर १ हैबटर साथ हैबटर में	
१.	०.००	१६०.०	०	७६.००	१६०.००
२.	०.०० से ०.२०	१६०.०	७.०१	६८.६६	१८२.६६
३.	०.२० से ०.४०	४५.७	१३.४८	४.८०	३२.२२
४.	०.४० से १.०१	११४.८४	७७.१५	—	३७.६६
कुल					१४६.७६ ४४२.६०

धोत: नियी जोतों का वितरण, एन एस. रिपोर्ट १४४ के आधार पर

सारणी से स्पष्ट है कि यदि प्रत्येक कृषक-परिवार (भूमिहीन तथा सीमात) के पास एक एकड़ (अर्थात् ०.४ हैबटर) की जोत का व्यवेष रखा जाए तो इसके लिए लगभग १५० लाख हैबटर फालतू भूमि की आवश्यकता होगी। यदि निम्नतम जोत एक हैबटर की हो तो लगभग साड़े चार करोड़ हैबटर भूमि की ज़रूरत पड़ेगी जो देश के लेट कृषि-क्षेत्र का लगभग एक तिहाई बनता है। क्या नवीन भूमि सीमा-नियमों के फलस्वरूप इतनी भूमि प्राप्त हो

सकेगी। विशेषकर के जबकि परिवार की नवीन परिमापा वडे समृद्ध परिवारों को वर्तमान भूमि से भी अधिक भूमि रखने की अधिकारी बनाती है? यदि सीमा के निर्धारण का उद्दे श्य सब भूमिहीनों को भूमि देने हेतु फालतू भूमि प्राप्त करना ही है, तो उच्चतम सीमाओं को उपरोक्त सिफारिशों में दी गई सीमाओं से बहुत कम रखना होगा। वर्तमान सीमाएँ निर्धनों को ऊँचा उठाने में कोई विशेष सहायक नहीं होंगी। सबके लिए भूमि जुटाना सभव नहीं है और न ही यह मार्ग कृषि-विकास के विचार से बांछनीय दिखाई देता है।

भारत में इस समय लगभग ३ करोड़ ५० लाख जोते अनाधिक हैं। यदि भूमि-सीमा कानूनों से प्राप्त होने वाली फालतू भूमि का भूमिहीन कृपकों में पुनर्वितरण किया गया तो अनाधिक जोतों की सरूप्या में भारी वृद्धि होगी। अतः फालतू भूमि के थोटे-थोटे टुकड़ों के भूमिहीन किसानों में वितरण से न तो भूमिहीनों की भलाई होगी और न ही भूमि का विकास हो सकेगा।

देखा जाए तो अन्यथा तथा पुनर्वितरित भूमि सामान्यतः निकृष्ट होगी। थोटे-थोटे टुकड़ों में वितरित इस भूमि पर कृषि करना किसी के लिए भी लाभकर नहीं होगा। इन भूमियों का विकास करना भी नए जोतदारों के बम की बात नहीं होगी। सहकारी समितियों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से उपलब्ध दीर्घ अवधि या अल्प अवधि ऋण की कोई भी राशि इन अनाधिक जोतों को जीवन-क्षम नहीं बना सकती। बहुत हृद तक यह सभव है कि नए जोतदार अपनी भूमि को बेच देंगे और फिर भूमिहीन बन जाएंगे पौर इस प्रकार भूमि-पुनर्वितरण की सारी प्रक्रिया विफल हो जाएगी। यदि इस भूमि का विक्रय निपिढ़ होगा तो थोटे कृपक अपनी भूमि वडे कृपकों को पट्टे पर दे देंगे और लगानदारी (टेनेसी) नया तथा उत्क्रम (रिवर्स) रूप ले लेंगे। लघु अनाधिक जोतदार अपनी भूमियों को गिरवी रखने पर वाध्य होंगे क्योंकि उन पर कृषि करने का कोई लाभ नहीं होगा। प्रत्यक्षत अलाभकर प्रस्थापना को कानून द्वारा बनाए रखा नहीं जा सकता। अत उच्चतम सीमा के न्यूनीकरण के फलवरूप प्राप्त फालतू भूमि के भूमिहीनों में पुनर्वितरण से किमी भी लाभदायक उद्दे श्य को पूर्ति नहीं होगी क्योंकि

(१) इससे निर्धनता की समस्या का समाधान नहीं होता।

(२) भारत में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व है और इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में कियमारण आर्थिक जटिलियों के परिप्रे क्ष में आर्थिक हृष्टि से यह समस्या का व्यावहारिक हल नहीं। उच्चतम सीमा के निर्धारण से कृपक भूमि में निजी निवेश करने में अनुसत्ताहित होंगे। यदि नई जोतों में निजी निवेश की अनुमति नहीं दी जाती तो इनके विकास की जिम्मेदारी स्वयं राज्य पर होगी। क्या राज्य इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले सकेगा?

(३) इससे कृषि-विकास में अभिनव प्रौद्योगिकीय प्रगति द्वारा प्रदत्त अभिन्ने रणा समाप्त हो जाएगी। यह प्रे रणा तभी दी जा सकती है यदि फार्म-व्यवसाय को बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएं। जोतों के वडे परिमाप पर निजी कृषि उपयोगी सिद्ध होती है।

उपरोक्त विवेचन से पता चलता है कि फालतू भूमि का थोटे-थोटे टुकड़ों में भूमिहीन

कृपको में वितरण गरीबी को हटाने में कोई विशेष सहायता नहीं कर सकता। दूसरी ओर यह भूमिहीन कृपकों को 'न छोड़ने, न जोतने' की स्थिति में डाल देगा जिससे कृषि-विकास में वृद्धि नहीं होगी। इसलिए आर्थिक हार्टिं से श्रेयस्कर यह होगा कि अतिरिक्त भूमि का उपयोग इस प्रकार से हो कि वर्तमान जीवन-शक्ति (नान वाइएचिल) जोतों को अधिक संख्या को जीवन-क्षम स्तर तक लाया जा सके। कृषि-उत्पादन के सम्भव के विचार से यह सुहृद तथा ठोस प्रस्तावना है। इस प्रकार यदि बहुत छोटी जोतों को बड़ा बना दिया जाएगा तो सिचाई की सुविधाएँ प्रदान करना भी आमान हो जाएगा और वे नवीन कृषि-प्रविधियों का भी लाभ उठा सकेंगे। परन्तु अधिकांश लोगों का विचार यह है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त अतिरिक्त भूमि प्राप्त नहीं हो सकेगी।

व्यान देने योग्य बात यह है कि यदि लघु अनार्थिक जोतों को जीवन क्षम फार्मों में समर्पित नहीं किया जा सकता तो उन नई अनार्थिक जोतों का भविष्य क्या होगा जो फालतू भूमि के भूमिहीन किसानों में पुनर्वितरण के परिणामस्वरूप बनेंगे? अतः भूमि-सीमा कानूनों से प्राप्त होने वाली फालतू भूमि के पुनर्वितरण में अत्यधिक छोटे कृपकों तथा भूमिहीन किसानों को भूमि देने से कोई लाभ नहीं होगा और इनको इस स्त्रीम से वाहर ही रखना चाहिए। अच्छा यह होगा कि फालतू भूमि का पुनर्वितरण करते समय उन छोटे कृपकों पर अधिक व्यान दिया जाए जिनकी जोतें योड़ी-सी अतिरिक्त भूमि मिलने पर जीवन बन जाती है। वास्तव में वर्तमान परिस्थितियों में उच्चतम सीमाओं के साथ-साथ जोत की निम्नतम सीमाएँ (प्लोशर्स) भी निर्धारित की जानी चाहिए और उच्चतम सीमा से ऊपर की फालतू भूमि का उपयोग सब ग्रामीण परिवारों में पुनर्वितरण के लिए करने की जरूरत नहीं है बल्कि इसका उपयोग सीमात-जोतों की अधिकतम संख्या को निम्नतम निर्धारित सीमा तक लाने में किया जाना चाहिए। उदाहरणात्, यदि जोत की निम्नतम सीमा एक हैवटर निर्धारित की जाए, तो फालतू भूमि का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इससे छोटी जोतों की अधिकाधिक संख्या को एक हैवटर की जोतों में समर्पित किया जा सके। निम्नतम निर्धारित सीमा ने ग्रामीण छोटी जोतें स्वयं ही समाप्त हो जाएँगी या उन्हें बाहर धकेलना पड़ेगा।

बड़े फार्मों से छोटे तथा सीमात फार्मों में भूमि तथा पूँजी संसाधनों के पुनर्वितरण से कुल उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि होगी वयोंकि लघु फार्मों में प्रति इकाई भूमि-क्षेत्र तथा पूँजी व श्रम की उपलब्धता अधिक होती है। सक्षेप में हम कह सकते हैं कि—

- (१) जोतों की उच्चतम तथा निम्नतम दोनों सीमाएँ सीमात निर्धारित की जानी चाहिए।
- (२) भूमि-सीमा नियन्त्रण से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का उपयोग तथा पुनर्वितरण लघु जोतों को जीवनक्षम बनाने तथा सीमात जोतों को निम्नतम निर्धारित सीमा तक लाने के लिए किया जाना चाहिए।
- (३) निम्नतम निर्धारित सीमा से बड़ी परन्तु जीवन-शक्ति व अनार्थिक जोतों को जीवनक्षम रहकारी फार्मों (वाइएचिल कोआंपरेटिव फॉर्मेंस) में संगठित किया जाना चाहिए। सहकारी कृषि से अनिप्राय है—भूमि का पूलन तथा सयुक्त प्रबन्ध ताकि प्रबन्ध की इकाई को बड़ाया जा सके और उपलब्ध संसाधनों तथा नवक्रियाओं का पूर्ण लाभ उठाया जा सके।

- (४) लघु तथा सीमांत हृषकों को मुर्गी-पालन तथा दुग्ध-उद्योग जैसे रोजगार-अभियुक्त धन्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे रोजगार के साथ-साथ अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकें। इससे इन बगों की बेकारी तथा अल्प देरोज़गारों भी दूर हो सकती है।
- (५) सीमांचों के अन्तर्गत फार्मों को विकास तथा बृद्धि को समुचित सुविधाएँ दी जाएँ ताकि कृषि-श्रमिकों को उनमें नियमित तथा वेहतर बेतन पर रोजगार प्राप्त हो सके। तब लोगों को भूमि पर नहीं बसाया जा सकता, इसलिए ऐसे लोगों के लिए, जिन्हें कृषि-मजदूरी रोजगार से बाहर फेंक दिया जाएगा, कृषि से बाहर के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर देने के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ करना होगा। इस दिशा में शामोद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करना होगा। श्रमिकों को रोजगार देने के लिए ग्राम-निर्माण तथा विकास कार्य भी हाथ में लिए जा सकते हैं।
- (६) योजना की सफलता इस बात पर निर्भर होगी कि इसका कार्यान्वयन करने के लिए प्रजासत्त्विक ढाँचा कितना दक्ष व ईमानदार है। सीमा-नियमों को प्रभावी बनाने के लिए प्रजासत्त्विक ढाँचे को मुहूर्द करना होगा।

(७) भूमि-सुधार—ग्रामीक तथा सामाजिक संगठन का प्रत्येक स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी भूमि की समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। अतः भू-स्वामित्व का प्रश्न ग्राज कृषि-विकास तथा पुनर्निर्माण की मूलभूत समस्या है। ग्राम-सुधार तथा सामाजिक विकास भूमि-सुधारों से सम्बन्धित हैं। सामान्यत हमारी भूमि नीति ऐसी होनी चाहिए जो निम्न आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करें:—

- (१) भूमि-नीति ऐसी होनी चाहिए जो कृषि-उत्पादन में वृद्धि तथा उन्नत एवं विविध ग्रामीय अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित कर सके।
- (२) इसे सम्पत्ति तथा आय की अनमानताओं को दूर करना चाहिए।
- (३) इसे किराएदारों तथा श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए तथा उनके शोषण को समाप्त करना चाहिए।
- (४) इससे ग्रामीय समाज के विभिन्न बगों को समान अवसर तथा स्तर की प्राप्ति होनी चाहिए।

उपरोक्त लक्ष्य निम्न भूमि-सुधारों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं ?

११.६ भूमि-सुधार-उपाय :

जहाँ भूमि सीमा-नियतन का मुख्य उद्देश्य भूमि का पुनर्वितरण तथा भूमिजोतों में असमताओं को दूर करना है, वहाँ कुछ सम्बद्ध सुधार उपाय ऐसे हैं जो कृषि-ग्रामीय का पुनर्वितरण भी कर सकते हैं और कृषि क्षेत्रक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

एक कृषक अपनी उत्पादिता में वृद्धि नहीं कर सकेगा यदि (१) भूमि-सत्ताधनों पर उसके मावी नियन्त्रण के सबंध में अनिश्चितता वनी रहेगी तथा (२) यदि उसे इस बात का भय बना रहेगा कि उसके साधनों के उपयोग में किए गए उस द्वारा प्रयासों का आनुपातिक

फल उसे नहीं मिलेगा। ये वातें कृषि-उत्पादन में वृद्धि के रास्ते में रुकावटें हैं। अतः भूमि-नीति का मुख्य व्यवय यह होना चाहिए कि कृषि-उत्पादन वृद्धि में कृषिक सरचना में से उत्पन्न होने वाली वाधाओं को दूर किया जाए तथा कृषिक प्रणाली में मौजूदा शोषण तथा सामाजिक अन्याय के तत्वों को निरस्त कर दिया जाए। यह तभी समझ हो सकता है यदि कृषक का भूमि पर पूर्ण अधिकार हो या उसके अधिकारों को नुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

भूमि के स्वामित्व, लगानदारी तथा उत्तराधिकारित्व का नियमन करने वाले अधिकारों के स्वरूप को भूमि-पट्टा संरचनाएँ कहते हैं। भूमि पट्टा-संरचनाएँ विकास प्रक्रम के महत्वपूर्ण माध्यन हैं और ये अवरोधकों या प्रोत्साहकों के रूप में कार्य करती हैं। कृषिक सरचनाओं में परिवर्तन आधिक सवृद्धि, सामाजिक उन्नति तथा राजनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी हैं।

भूमि पट्टा-संरचनाएँ प्रेरणाओं, तकनीकी तथा प्रबन्धकीय नवक्रियाओं तथा पूँजी निर्माण को प्रभावित करती हैं। ये प्रति श्रमिक उत्पादिता को प्रभावित कर कृपीकर पदार्थों तथा भेदांशों के लिए शब्द बाजार तथा अन्य क्षेत्रों के लिए छोड़े जाने वाले अम तथा पूँजी के परिमाण को भी प्रभावित करती हैं। इस प्रकार भूमि-पट्टा-संरचनाएँ देश के आधिक विकास में महत्वपूर्ण योग दे सकती हैं। वे पट्टा-प्रबःध जो किराएदार को उत्पादन-प्रक्रम में उसके द्वारा लगाई गई निविटियों के अनुपात में फल प्रदान नहीं करते, किराएदार को अधिक उत्पादन करने के लिए या अपनी उत्पादिता में वृद्धि करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। अतः कृषक का अपनी भूमि पर अधिकार तथा नियन्त्रण अर्थात् उसके पट्टा-अधिकारों की सुरक्षा तथा भूमि से उचित तथा न्याय संगत प्रतिफल को प्राप्ति का प्रारब्ध-सन भूमि-सुधारों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। भारत में राज्य तथा कृषक के मध्य में अनेक प्रकार के विवादियों रहे हैं जिनका किसी न किसी रूप में भूमि पर अधिकार रहा है और इसके फलस्वरूप कृषकों के साथ सामाजिक न्याय नहीं हो पाया। इसलिए भारत में भूमि-सुधारों के मुख्य सद्य तथा कार्य निम्नलिखित हैं—

- (१) विवैतियों के पट्टों का उन्मूलन अर्थात् जमीदारी के मध्यम स्तरों को समाप्त करना,
- (२) पट्टे दारी व्यवस्था का मुधार अर्थात् पट्टे की सुरक्षा प्रदान करना, किराए (लगान) को कम करना, किराएदारों को स्वामित्व के अधिकार दिलाना ताकि निजी सम्पत्ति को प्रेरणाएँ सुलभ हो,
- (३) भू-स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण, तथा
- (४) कृषि का पुनर्गठन अर्थात् चक्रवर्ती, उपविभाजन तथा विस्तृण को रोकना, सेवा-सहकारिताओं का विकास करना तथा सहकारी कृषि का सीमित प्रोत्साहन।

१११० मध्यवर्ती पट्टे दारियाँ (जमीदारी प्रथा) तथा उनका उन्मूलन

जमीदारी प्रथा जिसे जमीदारी, जागीरदारी, विस्वेदारी तथा इनाम आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है, वास्तव में विटिश शासन की देन थी और लगभग देश के ४० प्रतिशत क्षेत्र में प्रचलित थी। आरम्भ में अग्रजों ने भू-राजस्व (मालगुजारी) के संग्रह को नियमित

तथा सुव्यवस्थित करने के लिए इस प्रथा को चालू किया। इस प्रथा में जमीदार जो भूमि का स्वामी माना जाता था, स्वयं खेती नहीं करता था बल्कि काश्तकारों (या मुजारों) से खेती करवाता था। सरकार को भालगुजारी देने का उत्तरदायित्व जमीदार पर होता था जिसे वह अपने पास से नहीं देता था बल्कि यह भू-राजस्व जमीदारों द्वारा उन काश्तकारों से प्राप्त किया जाता था जो भूमि पर वास्तविक रूप में कृषि करते थे। इस प्रणाली का आधार वह ब्रिटिश प्रथा थी जिसमें जमीदार स्वयं गाँव में रहता था, भूमि के सुधार के लिए धन व्यय करता था; तथा काश्तकारों को बीज, खाद तथा यन्त्रों आदि की सहायता देता था। परन्तु मारतीय जमीदारों ने ऐसा कोई कार्य न किया; शुरू-शुरू में ये जमीदार मात्र 'भूराजस्व उगाहक' (रेवेन्यू कलेक्टर्स) थे। क्योंकि सरकार के लिए प्रत्येक किसान से अलग-अलग मालगुजारी प्राप्त करना सभव नहीं था, इसलिए सरकार ने किसान तथा सरकार के बीच 'जमीदारों' के रूप में एक मध्यवर्ती वर्ग स्थापित कर दिया। अतः भू-राजस्व सम्बन्धी करार मीठे वास्तविक काश्तकारों के साथ नहीं थे बल्कि उन 'वरिष्ठ अधिकारियों व जोतदारों' के बर्ग के साथ किए गए जो अमल में भू-राजस्व कर्मचारी थे। उनके अधीन वास्तविक काश्तकारों के कोई स्पष्ट तथा निश्चित अधिकार नहीं थे, इसलिए वे जमीदारों के 'पट्टैदार' माने जाने लगे। ये जमीदार कृषक से काफी अधिक लगान प्राप्त करते और उसका कुछ भाग सरकार को भालगुजारी के रूप में दे देते। इस प्रकार किसान के खून पसीने की कमाई में जमीदार व्यर्थ का भागीदार बन जैठा। दूरवासी जमीदार जो कृषि-उत्पादन की प्रक्रिया में कोई भाग भी नहीं लेता था, उत्पादन के एक बड़े भाग का घर बैठे ही स्वामी बन जाता था। कई धनी लोगों ने जमीदारी-अधिकार खरीद लिए और जमीदार बन गए। यह प्रणाली असम, बगाल, विहार, उत्तरप्रदेश, उडीसा, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास तथा मध्यप्रदेश के कई क्षेत्रों में प्रचलित थी।

क्योंकि इस प्रथा के अधीन वास्तविक काश्तकारों अर्थात् 'रैयतों' के अधिकार स्पष्ट तथा निश्चित नहीं दे, इसलिए उनके पट्टैदारी तथा जमीदारों को देय लगान से मध्यमित अनेक विकट समस्याएँ उठ खड़ी हुईं। मनमानी वेदप्रलियाँ, अत्यधिक लगान का बलात् ग्रहण तथा बेगार लेना सामान्य बातें हो गईं। ग्रतः जमीदारों के अधीन जोतदारों के अधिकारों को निश्चित करने के लिए तथा पट्टे की शर्तों तथा किराए की शर्तों में उनको मुरदाप्रदान करने के लिए कई पट्टैदारी नियम बनाए गए। १९४० तक, जमीदारों की हालत पुनः मालगुजारी उगाहकों की सी हो गई।

भूमि-नट्टा-कानूनों का मुख्य लक्ष्य जमीदारों के अधीन सब वास्तविक काश्तकारों को सरकार प्रदान करना था परन्तु 'पट्टैदार' की कानूनी परिभाषाएँ इतनी प्रतिवन्धात्मक थीं कि अनेक वास्तविक काश्तकारों (कृषकों) को कोई संरक्षण प्राप्त न हुआ। बींत वर्षों में कुछ सरकार पट्टैदारों ने 'विचोलिया' बनाया लानकर सभभा और उन्होंने अपनी भूमि उप-पट्टे पर दे दी। जमीदारों ने भी अपने अधीन वेमियादी किराए के जोतदारों के एक नए वर्ग का निर्माण किया जो बाद में भू-स्वामी बन गए। अतः सरकार तथा वास्तविक काश्तकार के बीच अनेक मध्यवर्ती स्तरों का विकास हुआ जो काश्तकारों द्वारा दिए जाने वाले

भू-राजस्व में सामीदार बन गए जबकि यह सारी को सारी राशि सरकार के पास जानी चाहिए थी।

अतः देश की स्वतन्त्रता के बाद यह स्वाभाविक था कि सुधार की ओर पहला कदम यह हो कि इन 'विचौलियों' का उन्मूलन किया जाए, जो कि केवल मात्र 'मालगुजारी उगाहक' होते हुए काफी लाभ हड्डप कर रहे थे और कृषकों का कई प्रकार से शोपण कर रहे थे। १९५४ तक विनियन राज्यों ने आवश्यक कानून पास कर दिए थे। यह सुधार लगभग पूर्ण हो चुका है। सब तरह की मध्यवर्ती पट्टेदारी का उन्मूलन किया जा चुका है। लगभग दो करोड़ कृषकों का राज्य से सीधर सम्बन्ध स्थापित हो चुका है और उन्हे भूमि का मालिक बनने के योग्य बना दिया गया है।

मालिक हप में 'मध्यवर्तीयों का उन्मूलन' भू-राजस्व-प्रशासन सम्बन्धी नुस्खार है परन्तु यह सामाजिक न्याय की दृष्टि से समतावादी समाज की स्थापना में महायता भी देता है। प्राय मारे देश में विचौलियों की पट्टेदारियों को समाप्त कर दिया गया है परन्तु कुछ गैर-रैयतवारी पट्टेदारियाँ भी भी हैं। असम में अस्थायी हप से दी गई जागीरों, और केरल, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु, गोआ, दीव तथा दादर व नगरहवेली में कुछ इनामों तथा पट्टेदारियों को समाप्त करने के लिए कानून बनाने शेष थे। आशा है तिसगाना क्षेत्र, गुजरात के देवस्थान में तथा उत्तरप्रदी भाग में मुत्तादारी तथा मालगुजारी पट्टेदारियों से सम्बन्धित कानून जल्दी बना लिए जाएंगे।

कुछ विचौलियों ने ऐसी भूमि जो हासिया रखी है जो सरकार के पास होनी चाहिए थी अथवा जिस पर पट्टेदारों का अधिकार होना चाहिए था। ऐसे मामलों की जाँच तथा मध्यवर्तीयों की समार्ति से सम्बन्धित कानूनों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए कड़ी कार्रवाही की जानी चाहिए।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि जमीदारी का उन्मूलन करते समय सरकार ने उनकी भूमियों को जब नहीं किया है वल्कि सरकार ने अतिरिक्त भूमि के बदले उचित मुआवजा देकर उसे अपने प्रधिकार में लिया है। वडे जमीदारों को मुआवजा दींकालीन दूर्घात-पत्रों के रूप में दिया गया है जिन पर नियमित व्याज मिलेगा और जिन्हें १५ से ४० वर्ष पश्चात् भुनाया जा सकता है। छोटे जमीदारों को क्षतिपूर्ति की राशि नकद दी गई है। इसके अतिरिक्त उन्हें पुनर्वाय-अनुदान भी दिया गया है। मुआवजे की दर सभी राज्यों में एक समान नहीं है। भिन्न-भिन्न राज्यों में मुआवजे की दर तथा रीतियाँ भिन्न-भिन्न हैं। कुछ राज्यों में मुआवजा देने की गति धीमी रही है। कुछ एक राज्यों में क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण तथा अदायगी होना शेष है। अनुमान है कि मुआवजे की कुल राशि ६४० करोड़ हपये होगी। इस समय तक लगभग ४०० करोड़ हपये अदा किए जा चुके हैं।

'जमीदारी का उन्मूलन' एक ज्ञातिकारी उपलब्धि है। इससे इन क्षेत्रों में ग्राम्य समाज की सामतवादी सरकार का लोप हो गया है और इसके साथ ही काश्तकारों का शोपण तथा उनके साथ होने वाला अन्याय तथा दुर्व्यवहार भी समाप्त हो गया है। बहुत से राज्यों में, विशेषकर, पश्चिमी बगाल में, जमीदारी-उन्मूलन तथा भूमि-सीमा सम्बन्धी नियमों के लागू होने के फलस्वरूप सरकार को काफी अकृष्ट परन्तु कृष्य भूमि प्राप्त हुई है। एक अनु-

मान के अनुसार इस भूमि का क्षेत्रफल लगभग २४ लाख हैक्टर है। विचार यह था कि इस भूमि का भूमिहीन श्रमिकों में पुनर्वितरण किया जाए। इसमें से काफी क्षेत्र ऐसा है जिसका उपयोग भें लाने से पहले काफी विकास करना पड़ेगा। इस भूमि के पुनर्वितरण की प्रगति बड़ी धीमी रही है और इस दिशा में पेश आने वाली वृद्धियों को शीघ्र दूर किया जाना चाहिए। एक बात स्पष्ट है कि भूमि उसी की होनी चाहिए जो उसे जोते।

जमीदारी के उन्मूलन के बाद के नवीन उत्तरदायित्वों, बेकार भूमि, वनों, मछली-पालन तथा लष्ट सिवाई निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को पूरा करने, किराया जगहने तथा भूमि रेकार्डों की देखभाल करने के लिए आवश्यक भूराजस्व-प्रशासन की स्थापना करनी होगी। तभी इस सुधार का उचित लाभ उठाया जा सकेगा।

११.११ पट्टेदारी अर्थात् लगानदारी व्यवस्था में सुधार

देश के अन्य भागों में प्रारम्भिक भू-राजस्व बन्दोबस्त वास्तविक काश्तकारों के साथ किया गया था और कोई भव्यवर्ती तत्व नहीं थे। मरकार एक सरकारी एजेंसी द्वारा प्रत्येक गाँव के काश्तकारों से लगान बमूल करती थी और स्वयं ही उनका रेकार्ड रखती थी। आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू, कश्मीर, केरल, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, उडीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बगाल तथा देश के अन्य भागों में प्रचलित इस प्रथा को 'रेयतदारी प्रथा' कहते हैं। अतः जमीदारी उन्मूलन के बाद देश में लगभग सब धोरों में 'रेयतदारी प्रथा' प्रचलित हो गई।

परन्तु कई 'रेयत' भी स्वयं खेती नहीं करते थे और उन्होंने अपनी भूमि को भागे पट्टे पर या बटाई पर देना लाभप्रद समझा। इसी प्रकार जमीदारी प्रथा में भी प्रनेक पट्टेदारों व काश्तकारों ने अपनी भूमि आगे पट्टे पर दे दी थी। यद्यपि विभिन्न कानूनों में पट्टेदार की स्थिति मुरक्कित हो गई, यी परन्तु विधान नी 'उप-पट्टेदारों' जैसे "बटाईदार, बरमादार, अधियार, सामी" आदि वर्गों को किराएदार नहीं मानता था। इस प्रकार खेती करने वाले काश्तकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो मौल्सी काश्तकार (ग्राकूपेन्सी टीनेंट) और दूसरे गैर-मौल्सी काश्तकार (टीनेंट एट चिल)।

मौल्सी काश्तकार को भूमि पर कृपि करने का अधिकार स्थायी तथा पैंतुक होता है। लगान निश्चित होता है और इसकी नियमित ग्रादायगी हीने पर उसे भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। वह किराए पर लो हुई भूमि को भागे ठेके पर दे सकता है। इस प्रकार इन काश्तकारों के अधिकार मुरक्कित हैं। परन्तु गैर-मौल्सी काश्तकार का पट्टा स्थायी नहीं होता। जमीदार जब चाहे, उसे बेदखल कर सकता है। उसका लगान भी निश्चित नहीं होता और उसे बढ़ाया जा सकता है। अतः इस वर्ग के लिए पट्टे की सुरक्षा तथा लगान का बोझ भारी समस्याएँ हैं और इसी वर्ग को संरक्षण की सबसे अधिक आवश्यकता है। जहाँ तक सामियों तथा बटाईदारों का सम्बन्ध है, उनकी दशा और भी निराशाजनक तथा शोचनीय है क्योंकि उनके साथ कोई लिखित अनुबन्ध नहीं होता। पट्टा या बटाई मौखिक होती है जिसका कोई कानूनी मूल्य नहीं होता। इस दशा में सुधार के लिए विस्तृत भूमि-रेकार्ड की ज़रूरत होती है। प्रनेक राज्यों में किराएदारों को मुरक्षा देने तथा लगान को नियमित करने

के लिए कानून बनाए गए हैं परन्तु प्रगति सन्तोषजनक नहीं हुई। यह भी प्रनुभव किया गया कि अच्छा यही होगा कि 'पट्टेदारी' की प्रथा को ही समाप्त कर दिया जाए और भूमि का स्वामित्व कृषि करने वाले किराएदारों को दे दिया जाए ताकि 'जो कृषि करे वही भूमि का मालिक हो' के उसूल को चरितार्थ किया जा सके। इस प्रकार के पट्टेदारों तथा उप-पट्टेदारों (शिक्षी और दर शिक्षी काश्तकारों) को स्वामित्व प्रदान करने के लिए कई राज्यों में कानून बनाए गए हैं। उद्देश्य यह है कि 'दूरस्थ स्वामित्व' (एवं संस्कृती अँनरशिप) की पढ़ति समाप्त हो।

(क) पट्टे को सुरक्षा तथा लगान का नियमन—जब भूमि का स्वामी स्वयं कृषि नहीं करता वहिं अन्य काश्तकारों को निश्चित किराए और शर्तों पर जोतने के लिए दे देता है, उसे लगानदारों या पट्टा खेती कहते हैं। काश्तकार के लिए पट्टे की सुरक्षा अत्यन्त महत्व की है। यह सुरक्षा उसे विभिन्न निविट्यों को प्राप्त करने में सहायता देती है और वह प्रमाणपूर्ण ढंग से कृषि-उत्पादन कार्यों में भाग ले सकता है। अनेक राज्यों में पट्टे की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाए गए हैं। कई एक राज्यों में भूस्वामियों को 'व्यक्तिगत कृषि' के लिए अपनी भूमि को पुनर्ग्रहण की अनुमति दें दी गई है। कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति में पट्टेदारों तथा बटाईदारों को अतिरिक्त सरक्षण दिया गया है। अनेक दूसरे राज्यों में भू-स्वामियों को पुनर्ग्रहण के अधिकार से अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है जिससे 'पट्टेदारों' से सबधित धाराओं का उल्लंघन हुआ है। यह घ्यान रहे कि 'व्यक्तिगत अथवा निजी कृषि' के तीन अनिवार्य तत्व होते हैं (i) व्यक्तिगत श्रम (ii) कृषि का जोखिम (iii) भू-स्वामी या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत निरीक्षण। प्रयाम यह होना चाहिए कि पट्टेदार भूमिहीन न बन जाए।

पट्टे की सुरक्षा की समस्या से भूस्वामी को खेतिहार पट्टेदार द्वारा दिए जाने वाले लगान के विनियमन का प्रत्यक्ष रूप में सबब है। पट्टे की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयास तब सार्वक नहीं होते जब लगान निरंकुश हो और वे पट्टेदार के सामर्थ्य के बाहर हो। ऐसे मामलों में पट्टेदारों को बकाया लगान की राशि देनी होती है। इस स्थिति में भू-स्वामी द्वारा उसमें पट्टे का स्वेच्छा-नामर्पण करवाया जाता है। किराया नकदी में होना चाहिए और भू-राजस्व का गुणक हो। यह उपज का ३ या ५ से अधिक नहीं होना चाहिए।

ग्रन्तः पट्टे की सुरक्षा प्रदान करने के अविरिक्त लगान का नियमन भी जरूरी है। इसके साथ-साथ ऐसी ऋण-अर्थवस्था की भी जरूरत है कि पट्टेदार अपनी भूमि के सुधार के लिए सुविधापूर्वक ऋण प्राप्त कर सके और अनिवार्य बेदखली होने पर उसे भूमि-सुधार पर किए गए व्यय के लिए मुद्रावजा मिल सके। उसे महकारिताधी के पास ऋण के बदले में अपनी भूमि गिरवी रखने को भी अनुमति होनी चाहिए। वे अपनी पट्टे वाली भूमि को खरीद सकें, इस बात की अवस्था भी होनी चाहिए। पट्टेदारों को आसान शर्तों पर स्वामित्व के अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए और भूमि बधक बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से इस हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त होनी चाहिए। विभिन्न राज्यों में हुई प्रगति का वर्णन नीचे किया गया है।

(ल) विभिन्न राज्यों में लगानदारी सुधार—(i) आंध्र प्रदेश—पहले बाले आंध्र क्षेत्र में पट्टे की सुरक्षा की बत्तमान व्यवस्थाएँ अस्थायी तथा अतिरिक्त हैं और सब पट्टों की वेदखली स्थगित कर दी गई है। सिचित भूमि के लिए लगान कुल उपज के ५० प्रतिशत और शुष्क भूमियों के लिए उपज के ४० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। तिलगाना क्षेत्र में लगान सिचित भूमि के लिए उपज के एक चौथाई से अधिक नहीं होगा। अन्य दशाओं में ३४ भाग अधिवाय भू-राजस्व का ३ से ५ गुना लगान लिया जाएगा। सरक्षित पट्टेदारों को प्रनिवार्य स्वामित्व-अधिकार भी दिए गए हैं। लगभग ३५००० पट्टेदारों ने ये अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। नवीन लगानदारियों का निर्माण अनियमित छोड़ दिया गया।

(ii) असम—असम में भू-स्वामी को व्यक्तिगत (निजी) कृपि के लिए भूमि पुनर्ग्रहण का अधिकार दे दिया गया था और इस अधिकार को छोड़ कर उप-रेयतों तथा अधियारों (बटाईदारों) के पट्टे स्थिर कर दिए गए। परन्तु प्रत्येक उप-रेयत तथा अधियार के पास ३ $\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि उत्त समय तक रहेगी जबतक कि उन्हें स्पालीय क्षेत्र में तुल्त भूत्य की वैकल्पिक भूमि नियत नहीं हो जाती। पुनर्ग्रहण के अधिकार १८ फरवरी, १९६३ को समाप्त हो गए और अब अधियारों तथा उपरेयतों को पट्टे की पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है। लगान उपज के $\frac{3}{4}$ तथा ३४ भाग के बीच होगा।

(iii) बिहार—लगानदार को भूमि पर १२ वर्ष कम्बे के उपरान्त मौखिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। लिखित पट्टे बाले पट्टेदार की पट्टों की अवधि समाप्त होने पर वेदखली हो सकेगी। मौखिक पट्टे बाले लगानदारों को वेदखल नहीं किया जा सकता बशर्ते कि वह भूमि का कुप्रयोग न करे या किराया न आदा करे। अधिकारी बटाईदार भूमि को मौखिक पट्टे पर रखे हुए हैं इसलिए कानून में उन्हें पट्टे की सुरक्षा प्राप्त है। व्यवहार में वे गैर-मौखिक पट्टेदार हैं। भूस्वामी को निजी सेती के लिए भूमि-पुनर्ग्रहण का अधिकार है। पट्टेदार को कुछ न्यूनतम क्षेत्रफल रखने की अनुमति है। उप-रेयतों को इस सीमा से अधिक भूमि के लिए पट्टे की स्थिरता प्रदान की गई है। लगान कुल उपज के $\frac{3}{4}$ से अधिक नहीं होगा। गैर-मौखिकी पट्टेदार अविकर्तु: असुरक्षित हैं।

(iv) गुजरात—भूस्वामियों को इस शर्त पर निजी कृपि के लिए भूमि के पुनर्ग्रहण का अधिकार दिया गया कि किरायेदार पट्टेदार के क्षेत्र का आधा भाग प्रयोग साप्त रख सकेगा। भूस्वामियों द्वारा अधिकार प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो चुकी है। किराया कुल उपज के १/६ या भू-राजस्व के २ से ५ गुना से अधिक नहीं होगा। -

पहले के वर्ष वाले क्षेत्र में ६.२० लाख लगानदार स्वामित्व प्राप्त करने के अधिकारी थे। उन्हें भूमि के लिए खरीद-कीमत देनी थी। कीमत-नियतन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कई पट्टेदार इसलिए स्वामित्व-अधिकार प्राप्त नहीं कर सके वयोंकि उनके पास पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं था। अनेक लोग भूमि को खरीदना नहीं चाहते थे। उन्हें ऐसा करने के लिए एक और अवसर दिया गया। उन पट्टेदारों को जो भूमि को नहीं खरीद सकते उन्हें सुविधाएँ मुलग करानी चाहिए।

(v) जम्मू व कश्मीर—भूस्वामी सीमित क्षेत्र का पुनर्ग्रहण कर सकता है। इस अधिकार के अन्तर्गत लगानदारों का पट्टा स्थिर कर दिया गया है। लगान उपज के $\frac{3}{4}$ तथा

के बीच है। छोटे भूस्वामी उपज का आधा माग किराए के रूप में ले सकते हैं। काविञ्चित पट्टेदार भूमि को खरीद सकते हैं। इस उद्देश्य हेतु सरकार उनको तकाबी देती है। नए पट्टेदार अभी भी अमुरक्षित हैं।

(vi) केरल—भू-स्वामियों को केवल विशेष दशाओं में ही भूमि के पुनर्ग्रहण का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त लगानदारों का पट्टा स्थिर कर दिया गया। अपुनर्ग्रहणीय भूमि के स्वामित्व-अधिकारों के पट्टेदारों को अतरण की भी व्यवस्था की गई। स्वेच्छा-समर्पण तथा भूस्वामियों को नियमों का उल्लंघन करने पर दण्डित करने की भी व्यवस्था की गई है। लगानदारों तथा कुडिकिडापुकारों की वेदखली स्थगित कर दी गई। धान की फसल के लिए किराया कुल उपज का $\frac{1}{4}$ भाग रखा गया। स्वेच्छा-समर्पित भूमि केवल सरकार को दी जा सकती।

(vii) मध्यप्रदेश—किराएदारों को भूमि के वर्गनिःसार ५ एकड़ से लेकर २५ एकड़ तक भूमि के लिए पट्टे स्थिर कर दिए गए। इसके ऊपर भूस्वामी को भूमि के पुनर्ग्रहण का अधिकार था। लगान भू-राजस्व के २ से ४ गुना तक हो सकेगा। अपुनर्ग्रहणीय भूमि की दशा में स्वामित्व-अतरण की व्यवस्था की गई है। चार लाख से अधिक पट्टेदारों को स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो चुके हैं।

(viii) मद्रास (तमिलनाडु)—वेदखलियों से किराएदारों को सरकार देने के लिए १६५५ में अतरिम-नियम बनाया गया जिसे अब तक लागू किया जा रहा है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में भूस्वामी भूमि का पुनर्ग्रहण कर सकते हैं। सिन्चित भूमि के लिए किराया उपज का ४० प्रतिशत होगा। अन्य दशाओं में यह उपज का एक तिहाई होगा।

(ix) महाराष्ट्र—किराएदारों का पट्टा स्थिर कर दिया गया है। भूस्वामियों को निजी कृपि के लिए सीमित क्षेत्र का पुनर्ग्रहण करने का अधिकार दिया गया था। किराया 'निर्धारित कर' के २ से ५ गुना अथवा कुल उपज के $\frac{1}{4}$ से अधिक नहीं हो सकता। पट्टेदारों को स्वामित्व अतरण की व्यवस्था भी की गई है। लगभग $7\frac{1}{2}$ लाख पट्टेदारों को २१ लाख एकड़ भूमि के स्वामित्व-अधिकार दे दिये गये हैं। मराठवाडा क्षेत्र में उन साधारण पट्टेदारों को जिनके कबजे में अपुनर्ग्रहणीय भूमि थी, अनिवार्य स्वामित्व प्रदान किया गया है।

(x) मैसूर कर्णाटक—मैसूर के पूरे पुनर्गठित राज्य पर लागू करने के लिए १६६१ में एक विस्तृत कानून बनाया गया जिनमें पट्टे को स्थिर करने की व्यवस्था की गई। भू-स्वामी को पट्टे के आधे क्षेत्र तक पुनर्ग्रहण करने का अधिकार दे दिया गया। उचित लगान कुल उपज के $\frac{1}{4}$ में $\frac{1}{2}$ भाग के बीच होना चाहिए। विभिन्न त्रुटियों को १६६५ के सांशोधित नियम में दूर किया गया है। हजारों लोगों ने पुनर्ग्रहण के लिए आवेदन किए हैं। इन पर निर्णयों के बाद ही पट्टेदार मालिक बन सकेंगे।

(xi) उडीसा—उडीसा में भी १६६५ में मैसूर की तरह का ही एक नियम बनाया गया है। किराया कुल उपज के $\frac{1}{4}$ से अधिक नहीं होगा। अपुनर्ग्रहणीय क्षेत्रों में पट्टेदारों को स्वामित्व-अधिकार देने की व्यवस्था है। भूस्वामी आधी से अधिक भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं कर सकेंगे।

(xii) पंजाब व हरियाणा—पट्टे दारों को पट्टे की सुरक्षा प्रदान की गई है। भूस्वामी को पुनर्ग्रहण का अधिकार दे दिया गया परन्तु पट्टे दार के पास कम से कम ५ एकड़ भूमि उस समय तक रहेगी जबतक कि उसे राज्य द्वारा वेकलिपक भूमि नहीं दे दी जाती। विशेष अवस्थाओं में किराएदारों को भूमि खरीदने का ऐच्छिक अधिकार भी दिया गया।

(xiii) राजस्थान—किरायेदार को राज्य के विभिन्न भागों में १५-६ एकड़ से १२५ एकड़ तक के न्यूनतम क्षेत्र के लिए पट्टे की पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई। इससे फालतू भूमि का भूस्वामी द्वारा पुनर्ग्रहण किया जा सकता है। अपुनर्ग्रहणीय क्षेत्र के स्वामित्व के अवतरण की भी व्यवस्था की गई है। किराया कुल उपज के $\frac{1}{2}$ से अधिक नहीं होगा। नवीन पट्टे-दारियाँ अनियमित ही छोड़ दी गई हैं।

(xiv) उत्तर प्रदेश—सब पट्टे दारों तथा उप-पट्टे दारों का सरकार के साथ सीधा सम्बन्ध हो गया है और उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। जमीदारी उन्मूलन नियम, १९५१ के अनुसार जमीदारों के पहले बाले पट्टे दारों द्वारा भूमि को आगे किराए पर देने की मनाही है परन्तु इसे बटाई पर देने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। अतः बटाई की प्रथा को परोक्ष रूप में स्वीकृति ही प्रदान नहीं की गई बल्कि बटाईदार अवतरण पूर्णतः अमुरक्षित रहे हैं।

(xv) पश्चिमी बंगाल—पश्चिमी बंगाल में सब लगान प्राप्ति के हितों का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया और उपर्युक्तों तथा पट्टे दारों का सरकार से सीधा सम्बन्ध हो गया। बटाईदारों (बरगादारों) को पट्टे दार नहीं माना जाता परन्तु उनके पट्टे को इस शर्त पर स्थिर कर दिया गया कि भूस्वामी पट्टे के दो-तिहाई क्षेत्र का पुनर्ग्रहण कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास ७ $\frac{3}{4}$ एकड़ से कम भूमि हो, तो वह सारे क्षेत्र का पुनर्ग्रहण कर सकता है। यदि भूस्वामी कृपि के व्यय को स्वयं सहन करता है तो उसका भाग कुल उपज के आधे से अधिक नहीं होगा, वरन् यह ४० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह किराया अब घटाकर एक चौथाई कर दिया गया है। अब भूस्वामी उतनी ही भूमि का पुनर्ग्रहण कर सकेगा जिससे उसकी कृपि जोत ७ $\frac{3}{4}$ एकड़ से अधिक न हो परन्तु बरगादार के पास कम से कम २ एकड़ भूमि अवश्य छोड़नी पड़ेगी। इस प्रकार बटाईदारों को भी कुछ सुरक्षा मिल गई है।

इसी प्रकार केन्द्र-शामित प्रदेशों में भी नियम बनाए गए हैं और किराया उपज के $\frac{1}{2}$ से $\frac{1}{4}$ भाग के बीच नियत किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में केवल ३० लाख पट्टे दार, उप-पट्टे दार तथा बटाईदार ही २८ लाख हैक्टर भूमि की खरीद कीमत अदा करके स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर सके हैं। परन्तु इन उपायों के बावजूद भी स्थिति में कोई बहुत प्राधिक सुधार नहीं हुआ। 'पट्टे दारी' नए रूप में प्रकट हुई है। यह ध्यान रहे कि अमुरक्षित पट्टे दारी से केवल अधिक उपज प्राप्त करने में ही बाधा नहीं पड़ती बल्कि कुछ मामलों में इससे सामाजिक तथा कृपि सम्बन्धी तनाव भी पैदा हुए हैं।

उपरोक्त सभीका स्पष्ट है कि इस समस्या पर उचित ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण अधिकांश राज्यों में पास किए गए कानून प्रभावी सिद्ध नहीं हुए। यह स्वाभाविक

ही था कि गाँधी मेरे रहने वाले छोटे या बड़े भूस्वामी इन उपायों का विरोध करते क्योंकि इनसे उनके स्वामित्व-प्रधिकार समाप्त या सीमित हो जाते हैं। उनसे सहयोग की आशा नहीं की जा सकती परन्तु कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विफलता का एक मुख्य कारण यह है कि कानून बनाने मे पहले राजस्व-प्रशासन को जिस पर कि इन कानूनों को लागू करने का उत्तरदायित्व था, सुझ़ नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त सरकार के पास भूमि के पर्याप्त रेकार्ड भी उपलब्ध नहीं थे।

ग्रनेक राज्यों मे अधिकार रूपों मे किराएदारी गैर कानूनी घोषित की गई है परन्तु यह ग्रनेक गुप्त रूपों मे विद्यमान है और देश मे व्यापक रूप मे प्रचलित है। यद्यपि वर्तमान अनियमित लगानदारी प्रबन्धों मे छोटे कृपकों के लिए थोड़ी-सी अतिरिक्त भूमि प्राप्त करना कठिन है परन्तु बड़े कृपक घटलते से अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। अतः दो प्रकार के पट्टौ-बाजार साथ-साथ चल रहे हैं—एक मे, बड़े कृपको (जो पट्टौदार हैं) का पट्टौकर्ताओ (छोटे कृपको) पर प्रभुत्व है और दूसरे मे पट्टौकर्ताओ (बड़े कृपको) का पट्टौदारो (छोटे कृपको) पर प्रभुत्व है। यह अनुभान लगाया गया है कि कुल कृपक-परिवारो मे पट्टौदार-परिवारो की संख्या २३.५६ प्रतिशत है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण १९५३-५४ के अनुसार सचालित क्षेत्र का २०.३४ प्रतिशत पट्टौ पर लिया गया था। १९६०-६१ मे यह अनुपात घट कर ८.६ प्रतिशत हो गया। परन्तु पट्टौ पर लिए गए तथा पट्टौ पर दिए गए क्षेत्रों के आंकड़ो मे अन्तर इतना अधिक है कि इस सर्वेक्षण के आंकड़ो पर विश्वास करना कठिन है। तो भी इन आंकड़ो से इतना सिद्ध प्रवश्य हो जाता है कि अभी भी काफी क्षेत्र पट्टौ पर हैं और यह प्रथा किसी न किसी रूप मे विद्यमान है। पट्टौदारी के प्रभावहीन उन्मूलन से बेहतर यह है कि इस व्यवस्था को खुला रखा जाए परन्तु साथ ही प्रभावी ढंग से नियमित भी किया जाए। सारणी ११.३ मे कुल सचालित क्षेत्र मे से पट्टौ पर ली गई भूमि का अनुपात दिया गया है।

सारणी ११.३ भारत मे परिमाप अनुसार सचालित क्षेत्र तथा पट्टौ पर लिया गया क्षेत्र (१९६०-६१)

फर्म का परिमाप (एकड़)	सचालित क्षेत्र (लाख एकड़)	पट्टौ पर लिया गया क्षेत्र (लाख एकड़)	प्रतिशत (३) - (२)
(१)	(२)	(३)	
०.१- २.५	२३३.२०	४०.०८	१७ %
२.५- ५.०	४१६.६१	६०.०१	१४ %
५.०-१०.०	६६३.३३	८२.३८	१२ %
१०.०-२०.०	७८४.४५	५४.२२	७ %
२०.०-५०.०	७६६.३१	३३.०७	४ %
५०.० तथा ऊपर	३६५.६५	—	२४.६४
कुल	३२६५.८५	२६४.७०	८.६ %

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण स. १७६ (१९६७), लाप. ४६

लगानदारों के परिमाण में कमी पट्टेदारों की वेदखलियों तथा उनसे भूमि द्वित जाने के कारण भी हो सकती है। कई भूस्वामी भाड़े के अभिकों से भी खेती करवाने लगे हैं। परन्तु अनीपचारिक, अनियमित तथा प्रच्छन्न (इनकार्मल, इररेग्नलर एंड डिसगाइज्ड) किराएदारी अब भी जारी है और इसके विस्तार का अनुमान लगाना कठिन है। अनीपचारिक पट्टेदारी तथा फसल-बन्टाई के अधीन भू-स्वामी भूमि के सुधार में निवेश करने को बुद्धिमत्ता नहीं समझाता जबकि पट्टेदार उद्वंशक जैसी निविटियों में निवेश करने के योग्य नहीं या निवेश करने से हिचकिचाता है। अतः कृपि-उत्पादन के नए सदर्म में स्वामित्व के प्रभावी अन्तरण की अब बहुत अधिक जरूरत है। कुछ भी हो पट्टेदारों तथा उप-पट्टेदारों में सुरक्षा की भावना जागृत करना अत्यावश्यक है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:-

(i) सभी पट्टेदारियों को अपुनर्ग्रहणीय तथा स्थायी घोषित किया जाए। सेना में कार्य कर रहे व्यक्तियों तथा विशिष्ट प्रकार की असमर्थता के शिकार सोगों को इससे छूट दी जा सकती है।

(ii) जहाँ पुनर्ग्रहण की अनुमति दी जा चुकी है, वहाँ इन मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए। पुनर्ग्रहण के परिणामस्वरूप जहाँ बहुत वेदखली होने की सभावना हो, वहाँ पुनर्ग्रहण पर अधिक प्रतिवध लगाए जाएं।

(iii) स्वेच्छा से पट्टेदारी छोड़ने का नियमन इस प्रकार किया जाए कि भूस्वामी इस समय पट्टे पर दी गई भूमि का पुनर्ग्रहण न कर सकें और सरकार अथवा स्थानीय अधिकारियों को यह अधिकार हो कि वे यह भूमि अन्य पट्टेदारों को दे सकें।

(iv) ऐसी भूमि के पट्टे की पूरी सुरक्षा की जाए जिस पर कृपकों और अभिकों ने अपने रहने के मकान बना रखे हैं।

(v) यह भी देखना जरूरी है कि उप-पट्टेदारों के पट्टों की सुरक्षा के लिये बनाए गए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तथा उसके उपबधों का उल्लंघन न किया जा सके।

(vi) गलत वेदखलियों के लिए दड़ की व्यवस्था होनी चाहिए।

(vii) पट्टे की शर्तें अधिक यथार्थ होनी चाहिए। जहाँ किराया इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि पट्टेदार उसे अदा करने में असमर्थ हो या उसका औचित्य न हो, वहाँ यह इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि भूस्वामी की भूमि सुधार में कोई रुचि ही न रहे। याद रहे कि नई कृपि में भूस्वामी तथा पट्टेदार के बीच भूमि के भाग में ही भागीदार नहीं चलिक उन्हे अन्य निविटियों में भी अपना-अपना भाग अदा करना है। पट्टे की शर्तें नियत करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाए।

(viii) ये करार किसी सस्यागत एजेंसी के माध्यम से किए जाने चाहिए ताकि वह ऐसी भूस्वामी या पट्टेदार की मनमानी व्याख्या के विरुद्ध दोनों बांगों के हितों की रक्षा कर सके।

सारणी ११.३ से पता चलता है कि पट्टे पर दी गई कुल भूमि का लगभग २० प्रतिशत बड़े कृपकों के पास था। बड़े कृपकों द्वारा अपने हिस्से में उत्तरोत्तर (विस्तार) फैलाव थोटे कृपकों की दशा को और भी शोचनीय बना रहा है। इसलिए उचित यही है कि केवल

द्योटे कृपकों को ही भूमि पट्टे पर लेने की अनुमति हो। बड़े कृपकों को पट्टे पर भूमि प्राप्त करने की विल्कुल अनुमति नहीं होनी चाहिए। एक आवश्यक सम्बद्ध उपाय यह है कि 'भूमि को गिरवी' रखने (लैंड मार्टिनेज) की कानूनी रूप में मनाही की जाए।

वास्तव में काश्तकारी-व्यवस्था में सुधार का उद्देश्य स्वामित्व अवधार कृषि-जोतो का पुनर्वितरण नहीं है, बल्कि काश्तकार द्वारा जोती जाने वाली भूमि के उत्पाद में उसके लिए बेहतर भाग सुरक्षित कराना है ताकि भूमि पट्टे की सुरक्षा के साथ-साथ उसे भूमि-सुधार तथा अधिक उत्पादन के लिए प्रेरणा प्रदान की जा सके। जब पट्टे दारी को समाप्त करके स्वामित्व का अतरण पट्टे दारी को किया जाता है तो स्वामित्वाधिकार की जोतों का अवश्य ही पुनर्वितरण होता है। इस दशा में भूस्वामियों से भूमि-मुग्रावजा देकर भूमि ले ली जाती है। दूसरी ओर भूस्वामियों द्वारा अपनी भूमि व्यक्तिगत कृषि हेतु पुनर्प्रेरण करने पर अनेक पट्टे दार भूमि से बेदखल हो जाते हैं। अतः पट्टे दारी की व्यवस्था के उन्मूलन का अनिवार्य नेट परिणाम यह होता है कि भूमि के स्वामित्व का अधिक समान वितरण हो जाता है। शोषण-विहीन श्रम-सहित खुद काश्त में विस्तार कृषि को लाभप्रद व्यवसाय बना सकता है। खुदकाश्त की व्यवस्था कृषि-विकास तथा उत्पादन-वृद्धि के लिए नवीन समावनाएं तथा अवसर प्रदान करती है। इससे कृपक भूमि सुधार और नवीन निविदियों के उपयोग की ओर प्रेरित होता है और वह अपने सासाधनों का अधिक अच्छी प्रकार से उपयोग कर सकता है। इससे कृपक की ऋण लेने की क्षमता भी बढ़ेगी और उसकी आर्थिक दशा भी सुधरेगी। अतः भावी कृषि विकास पूर्णत खुदकाश्त व्यवस्था द्वारा दो गई प्रेरणा पर निर्भर है क्योंकि इसमें प्रौद्योगिकीय नवक्रियाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है।

भूमि-नीतियाँ एक प्रकार के मामाजिक नियन्त्रण उपाय हैं जिनका उद्देश्य समुदाय द्वारा अपनी भूमि-समस्याओं का समाधान करना है। अतः इन समस्याओं के हल करने के लिए दो प्रकार की नीतियों की रचना करनी पड़ेगी। प्रथम प्रकार की नीतियों का सम्बन्ध मृदा-जलबायु तथा भूमि की उपयोग-क्षमताओं जैसे भौतिक उपादानों से है जबकि दूसरी प्रकार की नीतियाँ जनस्थान-दबाव तथा सम्पत्ति-अधिकार-संरचनाओं जैसे मानवीय साधनों से सम्बन्धित हैं। हमारी अधिकाश नीतियों में द्वितीय प्रकार की समस्याओं के समाधान पर बल दिया गया है जबकि प्रथम प्रकार की समस्याओं की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। जल-निकास में बाधा, सेम, लवण्यता, क्षारीयता, मृदा-अवक्षय, भूक्षरण तथा अन्य कई प्रकार के सासाधन-अवक्षय इसी प्रकार की समस्याएँ हैं और भूमि की उत्पादन-निविदि के रूप में दक्षता इन समस्याओं के समाधान तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में सुविचारित पूर्व-आयोजन पर निर्भर होगी। इनमें से कुछ सामान्य समस्याओं का अध्ययन हम विस्तार से पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। यहाँ सर्वेष में हम यह कह सकते हैं कि उत्पादिता में वृद्धि करने के लिए केवल भूमि-पट्टे तथा अन्य सम्बद्ध समस्याओं का समाधान ही काफ़ी नहीं बल्कि भूमि-सुधार के साथ-साथ भूमि के उपयोग व संरक्षण तथा इसकी विकास आवश्यकताओं से सम्बन्धित समस्याओं को हल करना भी जरूरी है। देश के नव-निर्माण में दोनों प्रकार की नीतियाँ एक दूसरे की संपूरक हैं।

११.१२ चकवन्दी

भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव इस बात की माँग करता है कि भूमि की सतह का उपयोग तथा विन्यास विकेकपूर्ण तथा सुनियोजित ढंग से किया जाए। इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि कृषि की नवीन व्यूहरचना के सदर्भ में सिचाई की सहायता से अपेक्षाकृत छोटी जोत भी एक जीवन-क्षम इकाई बन सकती है। देश के बहुत से क्षेत्रों में जोते के बल छोटी ही नहीं बल्कि व्यापक रूप में विखरी हुई तथा विखड़ित हैं। न उत्तम कृषि और न ही दक्ष सिचाई विखण्डन से मेत खाती है। पजाब, हरियाणा तथा यश्विमी उत्तर प्रदेश में कृषि में हाल की उन्नति का एक कारण यह रहा है कि इन राज्यों में विखड़ित जोतों की चकवन्दी की दिशा में प्रगति हुई है। जोतों की चकवन्दी के उन क्षेत्रों में परिणाम बहुत अच्छे निकले हैं जहाँ खेतों का धायतकरण तथा पुनः रूपण इस कार्यक्रम के अश हैं और जहाँ फार्म-सड़कों तथा ग्रामीण आबादी के विस्तार की ध्यवस्था की गई है। दूसरी ओर जहाँ चकवन्दी का अर्थ विखरे हुए टुकड़ों की परस्पर अदला-बदली रहा है, वहाँ कृषि-उत्पादन में बूढ़ी का कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ। भारत में जोतों की चकवन्दी के कार्यक्रम की प्रगति सारणी ११४ में दर्शायी गई है।

सारणी ११४ जोतों की चकवन्दी में प्रगति

अवधि	चकवन्दी का क्षेत्रफल		दर्शक (कोरोड रुपये)
	(लाख हेक्टर)	वार्षिक	
	संचयी		
१९५१ से पूर्व	१२.५०	१२.५०	—
१९५१-१९५६	३३.००	४५.५०	—
१९५६-१९६१	७५.००	१२०.५०	१६.०१
१९६१-१९६६	१२०.२३	२४०.७३	१६.२०
१९६६-१९६६	५४.६६	२६५.७२	१२.८८
१९६६-१९७४	६४.२४	३८६.६६	२८.३६

स्रोत : चतुर्थ पचवर्षीय योजना प्रारूप पृष्ठ १४०।

इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बात यह है कि जोतों की एक बार चकवन्दी होने के बाद इनका पुनः विखण्डन न हो। जोतों का उप-विभाजन तथा विखण्डन उत्तराधिकारी नियमों की प्रक्रिया तथा अनियमित पट्टों व अन्तरणों का परिणाम है। जोतों में हास साधारणतः विभाजनों से होता है। यह कृषि उत्पादन के हित में नहीं। इसलिए नीति यह होनी चाहिए कि अतरणों, विभाजनों तथा पट्टों का नियन्त्रण करके इस प्रवृत्ति को रोका जाए। इस उद्देश्य के लिए अनेक राज्यों में कानून बनाए गए हैं। परन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष है।

अध्याय १२

कृषि-श्रम, वेरोज़गारी तथा रोज़गार-नीति

१२.१ गारंटीकृत अर्जक रोज़गार की आवश्यकता

किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ की आर्थिक सबूद्धि, सामाजिक प्रगति तथा राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर होता है। अल्पविकसित तथा निम्न आय वाले देशों में कृषि का वहाँ के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है। विकास के प्रथम चरणों में उन देशों की आर्थिक सबूद्धि कृषि-विकास पर निर्भर होती है। यही कारण है कि अल्प-आय देशों में उत्पादन-दक्षता, आय-सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता तथा समाज-कल्याण कृषि-नीति के मुख्य ध्येय हैं।

भारत जैसी अल्प आय-अर्थव्यवस्था में कृषि-श्रम ही मात्र फालतु ससाधन है। अन्य सब वास्तविक ससाधनों की पूर्ति न्यून है। कहना न होगा कि कृषि-श्रमजीवी जनसंख्या की रोज़गार परिस्थितियों कृषि-विकास की गति को काफी हद तक प्रभावित करती है। उत्पादन-दक्षता श्रम की दक्षता पर निर्भर है तथा श्रम की दशा में सुधार समाज-कल्याण तथा राजनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी है। वर्तमान अव्याय में हम कृषि-श्रमजीवी जनसंख्या तथा उनकी रोज़गार की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे तथा उनकी वेरोज़गारी को दूर करने के लिए विभिन्न नीतियों तथा मुझावों का विश्लेषण करेंगे।

हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय ससार में अन्य देशों की अपेक्षा निम्नतम है। यह अल्प आय भी अममानरूप में वितरित है। जनसंख्या के निर्धनतम लोग औसत से बहुत कम आय प्राप्त करते हैं। करोड़ों लोग अभावप्रस्तता का जीवन विता रहे हैं। वास्तव में असंख्य लोग अर्ध-अकाल राशन पर युजारा कर रहे हैं। अनुमान है कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग २१ करोड़ लोग 'निर्धनता-रेखा' (पार्टी लाइन) से भी नीचे स्तर पर रह रहे हैं। उनकी परिस्थिति इतनी दयनीय तथा भयावह है कि विश्वास करना कठिन है। '७० प्रतिशत श्रमजीवी जनसंख्या ग्रामीण से भी कम राष्ट्रीय आय का उपार्जन करे'— यह बात कृषि श्रमजीवियों की उत्पादन अदक्षता को ही जताती है।

निर्धनता का प्रकोप उन क्षेत्रों में विकटतम है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का भारी दबाव है या जहाँ स्थानीय ससाधनों के अपूर्ण विकास के कारण उत्पादिता-स्तर कम है और सतत (अविराम) काम का अभाव है। अतः यह जरूरी है कि काम के अतिरिक्त यवसर सुलभ कराए जाएं ताकि न्यूनतम आय वर्गों के लोग उत्पादक रोज़गार द्वारा अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आय कमाए सकें। इसके लिए तेज़ औद्योगिकरण की आवश्यकता है। तेज़ आर्थिक विकास के लिए सरचनात्मक परिवर्तन भी जरूरी हैं।

परन्तु जबतक श्रीदेविक आधार प्रचल्लो प्रकार से मुहूङ्ग नहीं कर दिया जाता, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ विकासित नहीं हो जातीं, उस समय तक अर्थव्यवस्था समग्र श्रम-शक्ति को उचित एवं पर्याप्त परिधम पर काम देने हेतु अभीष्ट संवृद्धि-दर को प्राप्त महीं बर सफाती। अतः कृषि-नीति का एक मुख्य तात्कालिक लक्ष्य यह है कि उन सब लोगों को, जिनके पास रोजगार के पर्याप्त उत्पादन-साधन नहीं हैं और जो एक न्यूनतम मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार हो, न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार देने की गारटी दी जाए। वहने का प्रभिप्राय यह है कि प्रत्येक उस व्यक्ति को, जो काम की तलाश में हो, 'अर्जन्क रोजगार (गेन-कुल एम्प्लायमेंट) मुलभ करना कृषि श्रम-नीति का मुख्य घट्य है।

वेकारी वर्तमान कृपीय प्रणाली की गम्भीर कमज़ोरी तथा इसकी प्रस्थिरता का मुख्य लोत है। कृषि में रोजगार मीसमी तथा आमदनी कभी-कभी अर्थात् आतरायिक होती है। वास्तव में कृपकों की वेकारी ही उनकी निर्धनता का कारण है। इस समस्या का विश्लेषण करने से पहले कृषि-जनराज्या तथा कृषि-श्रमिक शक्ति को सरचना व उनकी वशा का ज्ञान उपयोगी होगा।

१२.२ श्रमिक शक्ति व कृषि श्रमिक

१६७१ की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या ५४.७६ करोड़ थी जिसमें से ४३.८८ करोड़ अर्थात् ८१.१ प्रतिशत लोग गांवों में रहते थे। नगरीय जनसंख्या १०.६१ करोड़ थी। परन्तु सारी श्रम-जनसंख्या कृषि जनसंख्या नहीं होती। कृषि-जनसंख्या में निम्न-लिखित वर्ग शामिल हैं :

- (१) वे कृपक जो भूमि के पूर्णतः या मुख्यतः भानिक हैं तथा उनके आधित,
- (२) वे कृपक जिनकी भूमि पूर्णतः या मुख्यतः निजी नहीं तथा उनके आधित
- (३) कृषि श्रमिक तथा उनके आधित
- (४) नगरन-ग्राही ग्राही वे भू-स्वामी जो वेती नहीं करते (अकृपक भू-स्वामी)

इस आधार पर कि भारत में ७० प्रतिशत लोग प्रपनी आजीविका के लिए कृषि पर आधित है, १६७१ में भारत की कृषि-जनसंख्या ३८.५३ करोड़ थी। अन्य वर्षों में जनसंख्या के अर्कडे अव्याप्त २ में दिये गये हैं।

१६६१ की जनगणना के अनुसार भारत की थमजीवी जनसंख्या १८.८४ करोड़ थी जिसमें से १३.१० करोड़ कृषि में काम करते थे। १६७१ में कामगारों की कुल संख्या २३.६० करोड़ थी जिसमें से १६.४७ करोड़ कृषि वर्ग के हैं। पशुपालन, बनो, बागानो, फलोदानो तथा सम्बद्ध कारों में लगभग ४६ लाख लोग (अर्थात् कुल थम शक्ति का १.६५ प्रतिशत) काम करते थे। पिछली तीन जनगणनाओं में कामगारों का वर्गीकरण सारणी १२.१ में दिया गया है।

सारणी १२.१ से स्पष्ट है कि १६७१ में कुल श्रम-शक्ति में कृषि के ग्रंथ में १६६१ की अपेक्षा कुछ बढ़ि हुई है। विचित्र बात यह है कि पिछले १० वर्षों में कृपकों की आनुपातिक संख्या में तेजी से कमी हुई है जबकि कृषि-श्रमिकों का ग्रन्थ तेजी से बढ़ा है। कृषि-श्रमिकों

भारतीय कृषि-अर्थव्यवस्था

सारणी १२१ भारत में श्रम जीवी जनसंख्या का वर्गीकरण
(१९५१, १९६१ तथा १९७१ में)

	१९५१	१९६१	१९७१	
कामगारों का वर्ग	संख्या	कुल श्रम का प्रतिशत	संख्या	कुल श्रम का प्रतिशत
(करोड़ों में)	(करोड़ों में)		(करोड़ों में)	प्रतिशत
कृषि	६६८	५०.०	६६५	५२.८
कृषि अधिक	२७५	१६.७	३१५	१६.७
कुल कृषि श्रम				
शक्ति	६.७३	६८.७	१३.१०	६६.५
कृषितर श्रम				
शक्ति	४.२२	३०.३	- ५.७४	३०.५
कुल श्रम शक्ति १३.६५	१००.०	१८.८४	१००.०	२३.६० १००.००

चोन सेसस आँकड़े १९५१, १९६१, १९७१

के अनुपात में इतनी वृद्धि ने १९७१ जनगणना के आँकड़ों को सदिग्द बना दिया है। इसका एक कारण १९६१ तथा १९७१ की जनगणना से सबधित विभिन्न सकलपनाओं की परिभाषाओं में घन्तर भी हो सकता है। सभव है कि १९७१ में कुछ अनिदिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को कृषि-अधिकों में शामिल कर लिया गया हो। कुछ भी हो कृषि-अधिक भारत की जनसंख्या का महत्वपूर्ण अंश हैं। कृषि अधिक ग्राम समाज की निम्नतम सीढ़ी पर हैं और उनकी सामाजिक तथा आर्थिक दशा का समय समय पर सर्वेक्षण उनकी दशा को सुधारने में सहायक हो सकता है। इस संबंध में अबतक हुए अन्वेषणों का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

सर्वभारत स्तर पर कृषि-अधिकों की दशा की प्रथम विस्तृत जाँच १९५०-५१ में की गई। इस प्रथम कृषि-अधिक जाँच (फस्ट एग्रीकल्चरल लेवर एनक्वायरी) के दौरान रोजगार, वेरोजगारी, कृषि अधिक परिवारों से सवध रखने वाले कामगारों की व्यक्तिगत आय तथा ऐसे ही परिवारों की अहणप्रस्तता से सबधित उपयोगी आँकड़े इकट्ठे किए गए।

प्रथम जाँच के समय देश में आयोजन युग पूरे जोर से चालू नहीं हुआ था। प्रथम योजना की अवधि में काफी विकास-व्यव किया गया था और इसके फलस्वरूप ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में काफी रोजगार का जन्म हुआ। अतः इस बात का पता लगाना जरूरी था कि इन विकासनकारों से कृषि अधिक कहीं तक साभान्वित हुए हैं। परिणामस्वरूप कृषि-अधिक-परिवारों से सबधित तुलनात्मक आँकड़ों का सग्रह करने के लिए १९५६-५७ के दौरान दूसरी कृषि-अधिक जाँच की गई। आँकड़ों की सग्रह-प्रविधियों में सुधार करने तथा अधिक व्यवाधता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दूसरी जाँच वी घारणाओं, परिभाषाओं तथा प्रक्रिया में अनेक परिवर्तन किये गये। स्वाभाविक ही है कि दोनों जाँचों के आँकड़ों में पूर्णतः

तुलना नहीं हो सकती ।

दूसरी पचवर्षीय योजना को अधिक विकास प्रयास किया गया । दूसरी योजना का परिव्यव भी काफी अधिक था । इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों की गति भी काफी तेज हो गई । इसलिए यह जरूरी हो गया था कि इन परिवर्तनों के प्रभाव को भापने के लिए तथा कृषि-श्रमिकों की सामाजिक व आर्थिक दशा के बारे में अधुनातन सूचना प्रदान करने के लिए जाँच का एक अन्य चक्र हो ताकि उनकी दशा को अधिक वेहतर बनाने के लिए भावी कार्यक्रमों की रचना की जा सके । इस जाँच में कृषि श्रमिक परिवारों समेत सब ग्राम-श्रमिक-परिवारों से सवालित सूचना इकट्ठी की गई, इसलिए इस जाँच का नाम ग्राम-श्रमिक-जाँच रखा गया ।

यह जाँच पहली दो जाँचों से अधिक विस्तृत तथा व्यापक थी । इसमें (i) रोजगार तथा अल्प रोजगार (ii) जीवन स्तर तथा ग्रामीण श्रमिक-परिवारों से सवालित श्रमिकों के रोजगार की दशाओं के सही अध्ययन पर विशेष बल दिया गया । रोजगार, वेरोजगारी, आय तथा ऋणग्रस्तता के आंकड़े अक्टूबर, १९६४ से सितम्बर १९६५ के दौरान इकट्ठे किए गए । क्षेत्र-ग्रन्थेण राष्ट्रीय संघर्ष सर्वेक्षण निदेशालय द्वारा किया गया । इस जाँच के लिए अपनाई गई कुछ महत्वपूर्ण सकल्पनाएँ तथा परिभाषाएँ खेत्रों में नीचे दी जा रही हैं ।

- (i) परिवार (हाउसहोल्ड) — परिवार से श्रमिकाय व्यक्तियों का वह वर्ण है जो सामान्यतः इकट्ठे रहते हैं और एक ही रसोईघर से योजन प्राप्त करते हैं । अस्थायी अनुपस्थित व्यक्तियों को परिवार का सदस्य माना गया परन्तु अस्थायी अतिथियों को बाहर रखा गया ।
- (ii) श्रमिक परिवार (लेबर हाउस होल्ड) — यदि परिवार को सर्वेक्षण से पहले वाले ३६५ दिनों के दौरान अधिकांश आय शारीरिक अम्ल की मजदूरी से प्राप्त हो तो वह श्रमिक परिवार भाना जाएगा । मजदूरी नकदी या जिन्म के रूप में हो सकती है ।
- (iii) कृषि श्रमिक (एग्रीकल्चरल लेबर) — वह व्यक्ति जो भाड़े के श्रमिक के रूप में किसी भी कृषि-कार्य (बेती करना, जोतना, डेरी फार्म उद्योग कार्य, बागवानी-पदार्थों का उत्पादन-कार्य, पशु-पालन, मधु बनाना या मुर्गीखाने का कार्य आदि) को करे, कृषिक-श्रमिक कहलाएगा ।
- (iv) कृषि श्रमिक परिवार (एग्रीकल्चरल लेबर हाउसहोल्ड) — यह वह परिवार है जिसकी सर्वेक्षण से पूर्व के ३६५ दिनों की अवधि में अधिकांश आय कृषि-श्रम व्यवसाय से प्राप्त हुई ।
- (v) आय अवाका कमाई (प्ररनिःस) — ये वे भुगतान हैं जो नकद या जिन्म अवाका नकद व जिन्म दोनों में प्राप्त किये गये । जिन्म के रूप में आय में वे अनुलाभ सम्मिलित हैं जो रिवाज के मुताबिक काम के बदले में दिए जाते हैं । आवर्ती अनुलाभों में अवाज, पका हुआ साना, तम्बाकू, चाय, आवास, कपड़े, जूते आदि शामिल हैं ।

जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है पहली तथा दूसरी कृषि श्रमिक-जाँच की

सकल्पनाओं, परिभाषाओं तथा अपनाई मई प्रविधियों में कुछ अन्तर था। इस प्रकार दूसरी कृषि श्रमिक-जांच तथा ग्राम श्रमिक-जांच में भी कई फर्क था। अन्तर इस प्रकार हैः—

(क) कृषि श्रमिक परिवार—पहली जांच में कृषि श्रमिक-परिवार वह था जिसके मुखिया या घर में कमाते वाले ५० प्रतिशत या इससे अधिक सदस्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि-श्रम था। मुख्य व्यवसाय से अभिप्राय यह था कि व्यक्ति पिछले बर्ष आधे या आधे से अधिक दिनों के लिए उस व्यवसाय में लगा रहा हो। अतः इसमें मजदूरी पर रोजगार की मात्रा (समय की कसोटी) श्रमिक परिवार की जारी थी।

दूसरी कृषि-श्रमिक-जांच तथा ग्राम-श्रमिक-जांच में कृषि श्रमिक परिवार वह था जिसकी अधिकांश आय कृषि-कार्यों में मजदूरी से प्राप्त हो। अतः इन जांचों में मजदूरी आय की मात्रा (आय की कसोटी) को आधार माना गया।

(ख) रोजगार तथा वेरोजगारी के सन्दर्भ में, प्रथम जांच में आधे दिन या इसमें अधिक के लिए मजदूरी पर रोजगार को पूरे दिन का रोजगार मान लिया गया तथा आधे दिन से कम काम को छोड़ दिया गया। वह व्यक्ति जिसने एक महीने में एक दिन भी काम किया, अर्जक (कमाऊ) कामगार माना गया। दूसरी ओर वेरोजगारी के आंकड़े केवल उन वयस्क पुरुष कामगारों के सन्दर्भ में इकट्ठे किये गये जिन्होंने प्रत्येक मास मजदूरी पर रोजगार के बारे में रिपोर्ट की। जिन कामगारों ने मजदूरी-रोजगार की रिपोर्ट नहीं की उन्हें आधे समय के लिए स्व-नियोजित (मेलक एम्प्लायड) तथा आधे समय के लिए वेरोजगार मान लिया गया। पहली जांच में स्वनियोजन सम्बन्धी आंकड़े पृथक् से इकट्ठे नहीं किए गए थे बल्कि ३६५ में से मजदूरी तथा वेरोजगारी के दिन घटाकर प्राप्त किए गए थे।

दूसरी कृषि-श्रमिक-जांच तथा ग्राम-श्रमिक जांच में विभिन्न प्रकार के कार्यों पर खर्च किए गए दिनों की सूचा का पृथक्-पृथक् उल्लेख किया गया। आशिक रोजगार का सामूहीकरण उचित भारों के आवधन द्वारा किया गया। सामान्य कार्य के घटों के तीन चौथाई या इससे अधिक के कार्य को पूरा दिन माना गया। एक चौथाई में तीन चौथाई घटों तक काम के लिए $1/2$ का भार दिया गया। एक चौथाई घटो से कम कार्य के लिए $\frac{1}{2}$ का भार निर्धारित किया गया।

(iii) प्रथम जांच में कामगारों को जिस के लिए गई मजदूरी के भुगतान का मूल्याकान परचून-कीमतों पर किया गया था जबकि दूसरी कृषि-श्रमिक-जांच तथा ग्राम-श्रमिक-जांच में इन भुगतानों का मूल्याकान और कीमतों पर किया गया। इन जांचों के परिणाम, सारणी १२२ में संक्षेप में दिए जा रहे हैं।

सारणी १२२ स्वतः स्पष्ट है। आय सम्बन्धी आंकड़े बताते हैं कि श्रमिक की कृषि-कार्यों से आय कितनी निम्न है। इससे पूर्व कि हम कृषि रोजगार तथा वेरोजगारी व अल्प वेरोजगारी के परिमाण का अध्ययन करें, हमें वेरोजगारी की सकल्पना तथा इसके सैद्धांतिक आधार का विवेचन कर लेना चाहिए। सारणी से स्पष्ट है कि इन १५ वर्षों में श्रमिकों की दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ।

सारणी १२.२ भारत में कृपि-धर्मिकों की रोजगार, आय तथा छहप्रस्तता सम्बन्धी आँकड़े

विषय	कामगारों का दर्गेंकरण	प्रथम कृपि धर्मिक जीवि (१९५०-५१)*	दूसरी कृपि धर्मिक जीवि (१९५६-५७)*	ग्राम धर्मिक जीवि (१९६४-६५)
बार्षिक मजदूरी प्राप्त रोजगार	पुरुष	२१८ दिन	२२२ दिन	२४२ दिन
स्त्री	१३४ दिन	१४१ दिन	१६० दिन	
स्व-नियोजन	पुरुष	७५ दिन	४० दिन	३० दिन
काम के अभाव के कारण	पुरुष	७२ दिन	५६ दिन	४८ दिन
वेरोजगारी				
समग्र कृपि कार्य से श्रीसत दैनिक आय	पुरुष स्त्री शिशु	१०६ रु० ०.६८ रु० ०.७० रु०	०.६६ रु० ०.५६ रु० ०.५३ रु०	१.४३ रु० ०.६५ रु० ०.७२ रु०
प्रति छहणी परिवार श्रीमत भ्रहण राजि	कृपि धर्मिक परिवार	१०५ रुपये	१३८ रुपये	२४३.८७ रुपये
प्रति परिवार श्रीसत भ्रहण राजि	कृपि धर्मिक परिवार	४७ रु०	८८ रु०	१४७.८६ रुपये
अनुमानित ग्राम परिवार सहश्रा	कुल ग्राम परिवार कृपि धर्मिक परिवार	५.८६ करोड १.७६ करोड (३०.३६%)	६.६६ करोड १.६३ करोड (२४.४७%)	७.०४ करोड १.५३ करोड (२१.७६%)

दूसरे, ग्राम धर्मिक जीवि पर आरम्भिक प्रतिवेदन प्रयोगशाला जिमला माचं, १६७०

नोट प्रथम तथा द्वितीय कृपि धर्मिक जीवि में आय के आँकड़े अनियत धर्मिकों ने सम्बन्धित हैं।

१२.३ मजदूरी-दर का निर्धारण तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक

साधारण स्थिति में जबकि थम तथा भूमि बाजार प्रतियोगी होते हैं, मजदूरी-दर धर्मिकों की मांग तथा पूर्ति के सतुलन द्वारा निर्धारित होता है। एक भूस्वामी ग्रपनी अतिरिक्त भूमि को पट्टे पर भी दे सकता है तथा वह मजदूरी के धर्मिकों की सहायता से स्वयं भी इस पर कृपि कर सकता है। इसी प्रकार एक धर्मिक के लिए तीन विकल्प हैं (१) या वह भूमि को पट्टे पर ले (२) या वह मजदूरों पर काम करे (३) या वह कृपीतर-शैत्र में काम करे।

सिचाई, कसल-प्रतिशतता, जंब-रासायनिक नब-फियाएं तथा अन्य सम्बद्ध परिवर्तन उत्पादन की समावनाओं को बढ़ाते हैं और थम की मांग तथा पूर्ति को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में जबकि भूमि पट्टे पर लेना धर्मिक लाभकारी होगा, इसलिए धर्मिक अधिक मजदूरी लेंगे। इसी प्रकार व्यस्ततम् मौसमों में धर्मिकों की मांग में बढ़ि होगी जिससे उनकी सीदा शक्ति बढ़ जाती है। जिन क्षेत्रों में सिचाई-नुविधाएं तथा परिणामस्वहप फसल-

प्रतिशतता (सघनता) अधिक होगी, वहाँ (यदि अन्य बाते समान हो) अन्य क्षेत्रों की तुलना में मजदूरी-दरें अधिक होगी। यन्त्रीकरण तथा अन्य श्रम बचाऊ युक्तियाँ भी मजदूरी को प्रभावित करती हैं।

यदि उत्पादन-सभावनाएँ अनिश्चित हो तो भूस्वामी भूमि को या तो पट्टे पर दे देंगे या श्रम बचाऊ कम सघन खेती करेंगे। ऐसी स्थिति में मजदूरी-दरें कम होगी तथा कृषि-श्रमिक-क्षेत्र के बाहर या कृपीतर-रोजगार तलाश करेंगे। अतः कृपीतर क्षेत्रक में रोजगार की संभावनाएँ तथा इस क्षेत्रक में मजदूरी दर कृषि क्षेत्रक में मजदूरी दर को प्रभावित करती हैं। औद्योगिकरण व शहरीकरण तथा वागनोद्योगों की उपस्थिति मजदूरी दरों में बढ़ि करती है।

श्रमिकों की पूति इस बात पर निर्भर है कि ग्रामीण श्रम-शक्ति का कितना भाग मुख्यतः कृषि-मजदूरी-रोजगार पर निर्भर है। यदि किसी क्षेत्र में यह स्थिति बहुत अधिक है और कृपीतर-क्षेत्रक में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं तो मजदूरी दर बहुत कम होगी क्योंकि ऐसी स्थिति में उनकी सौदा-शक्ति बहुत कम होती है। यदि श्रमिक कहाण्यस्ता है तो भी उनकी गौदा-शक्ति कम होगी, परन्तु यदि आप अधिक हो तो अधिक अहाण्यस्ता सौदा-शक्ति को प्रभावित नहीं करती। कृषि श्रमिकों का बेहतर सगठन उनकी सौदा-शक्ति को बढ़ाता है जबकि श्रमिक भव आदोलन की अनुपस्थिति नियोजकों में एकाधिकारी प्रवृत्ति उत्पन्न करती है।

कई बार श्रम की माँग मजदूरी दर को प्रभावित नहीं करती बल्कि रोजगार की मीमा तथा मजदूरी आप को प्रभावित करती है।

उपरोक्त अध्ययन की सहायता से हम मजदूरी-दरों में अन्तर्राज्य-अतरो का विश्लेषण कर सकते हैं। सारली १२३ में विभिन्न राज्यों में १६५६-५७ तथा १६७०-७१ में मजदूरी दरों तथा अन्य चरों से सम्बन्धित आकड़े दिये गये हैं जो अन्तर्राज्य-अन्तरों की व्याख्या में सहायक हो सकते हैं।

विभिन्न राज्यों में कृषि मजदूरी के दरों में अतर को सिचित क्षेत्र-नेट फसल क्षेत्र-अनुपात, कुल श्रमशक्ति में कृषि श्रमिकों की स्थिति के अनुपात तथा कृपीतर क्षेत्रक में मजदूरी-दरों आदि कारकों के सदर्भ में स्पष्ट किया जा सकता है। उन क्षेत्रों में जहाँ सिचाई की सुविधाएँ अधिक हैं, कृषि-श्रमिकों की सापेक्ष स्थिति कम है और कृपीतर-अन्यों में मजदूरी-दर अधिक है, कृषि की मजदूरी-दरें अधिक होने की सभावना होती है। पजाब तथा आसाम में कृषि मजदूरी की दरें ऊँची हैं क्योंकि इन राज्यों में सिचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, कृपीतर-क्षेत्रक में मजदूरी-दर अधिक है तथा कृषि पर निर्भर कृषि-श्रमिकों का अनुपात अपेक्षाकृत कम है। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा उडीसा में सिचाई-सुविधाओं का अभाव है, भूमिहीन-श्रमिकों की स्थिति बहुत अधिक है तथा कृपीतर-क्षेत्रक में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं, और यही बातें कृषि-मजदूरी की न्यून दरों का कारण दिखाई देती हैं। केरल में सिचित क्षेत्र के न्यून अनुपात तथा कृषि-श्रमिकों की अत्यधिक स्थिति होने के बावजूद कृषि मजदूरी की दरें अपेक्षाकृत अधिक हैं। इसका कारण यह है कि वहाँ वागन होने के कारण औसत कृपीतर-मजदूरी दर अधिक है और वहाँ कृषि श्रमिक

कुपि-ध्रम, वेरोजगारी तथा रोजगार-नीति

२८१

सारणी १२.३ कुपि मजदूरी-दर में भास्तर-राज्य-विचारण तथा सर्वधित घर

१६५४-५७ पुस्तक अनियंत्रित धर्मिक *

(१५.५५ आयु वर्ष)

राज्य	(रु. प्रतिदिन)	प्रतिष्ठान	(रु. प्रतिदिन)	प्रतिष्ठान	कुपि मजदूरी		कुपि मजदूरी		कुपि मजदूरी		कुपि मजदूरी	
					दर	दर	परिवार प्राप्ति	परिवार	दर	दर	प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान
झारखण्ड	०.८७	२५.२	३५५६	०.६७	३.२२	२७.७	३१३८	३.७८	३१३८	३.८६	१.८६	
भारतम्	१.५५	२८.६	१८.१८	१.६८	३.७८	२५.७	३०.७५	४.४१	३०.७५	४.४१	१.८६	
बिहार	०.६१	२३.६	२६.५५	०.६६	२.२६	२७.१	३५.६३	२.६६	३५.६३	२.६६	१.८६	
उत्तर-गुजरात	०.८७	५.४	१६.०३	०.६६	२.४५	२२.३	२२.४३	२.३६	२२.४३	२.३६	१.८६	
केरल	१.२८	१८.३	२२.७३	१.३६	४.२५	१६.५	२८.४०	१.३५	२८.४०	१.३५	१.८६	
मध्यप्रदेश	०.७६	५.३	२४.५३	०.६०	१.६८	७.८	२१.७३	१.४१	२१.७३	१.४१	१.८६	
महाराष्ट्र (ता. ना.)	०.८४	८.३	३६.५४	०.६१	२.४२	४.१	३०.५०	३.६६	३०.५०	३.६६	१.८६	
मेसूर (कन्दिक)	०.८४	७.४	२७.७७	१.१३	१.६१	११.२	२८.४२	३.२५	२८.४२	३.२५	१.८६	
उडीया	०.८०	१७.५	२६.४१	१.६०	१.६०	१६.४	२६.७४	१.६०	२६.७४	१.६०	१.८६	

	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
पजाव	१.६६	४०२	६.३८	१.३८	४.६७	४.६७	७०.४	३४६२	५५४				
राजस्थान	०.६६	११.४	६६०	१.२५	३.०३	३.०३	११०	५३३	२६६				
उत्तरप्रदेश	०.६२	२७.३	१७२४	०.६६	२.४९	२.४९	३६.१	१८५६	२५५				
प. बंगाल	१.४३	२३.५	२५.००	१.२७	—	—	—	—	—				
महाराष्ट्र	—	—	—	—	३.३८	७.२	२६.६०	२६.६०	२६.६०				

* घोल : दूसरी कृषि अधिकार जौव रिपोर्ट तथा खाद तथा कृषि मन्त्रालय

× घोल : पार्टीप संभव सर्वेत, १५वाँ एक (१६७०-७१) तथा भारत की जनगणना।

अच्छी प्रकार से संगठित है।

जिन क्षेत्रों में श्रमिकों की सम्पुण्डी बहुत अधिक है वहाँ श्रमिक प्रवासन द्वारा स्थिति में सुधार किया जा सकता है, परन्तु इसकी सभावनाएँ बहुत कम होती हैं। अन्तर-राज्य विषय-मतायों को दूर करने के लिए तथा निर्धनता को हटाने के लिए यह ज़रूरी है कि उन क्षेत्रों का जो अल्प विकसित है तथा जहाँ वेरोज़गारी घर किए हुए हैं, तेज़ी से विकास किया जाए तथा इस उद्देश्य हेतु सतत प्रयास किए जाएँ।

परन्तु इससे पूर्व कि हम वेरोज़गारों की समस्या का अध्ययन करे, हमें वेरोज़गारों की सकल्पना तथा इसके संदातिक आधार का विवेचन कर लेना चाहिए।

१२.४ वेरोज़गारी का स्वरूप तथा इसका संदर्भातिक आधार

अल्प विकसित देशों में कृषि-क्षेत्रक में जनशक्ति के अपूर्ण उपयोग की समस्या महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में वेरोज़गारी निम्न रूपों में विद्यमान है :

- (i) पूर्ण, अविराम तथा खुली वेरोज़गारी
- (ii) विवृत अल्प सेज़गार अववा मौसमी रोज़गार (ओपन अन्डर एम्प्लायमेंट और सीज़नल एम्प्लायमेंट)
- (iii) प्रचलन वेरोज़गारी (डिसगाइंड अनएम्प्लायमेंट)

(i) पूर्ण वेरोज़गारी—भारत में कृषि-श्रमजीवी जनसंख्या के दो मुख्य वर्ग हैं—कृषि-श्रमिक तथा कृपक। जहाँ तक कृषि-श्रमिकों का सम्बन्ध है वे या तो नियोजित होते हैं या विलुप्त वेरोज़गार। परन्तु कृपकों की अवस्था में ऐसा नहीं है। भारत में कृषि एक मौसमी व्यवसाय है और यहाँ कृषि-उत्पादन का विशिष्ट स्वरूप ऐसा है कि मौसम के अनुसार कार्य-भार (बंक लोड) भी मिन्न-मिन्न होता है और परिवार द्वारा अत्युत्तम प्रबन्ध करने पर भी कार्यभार को सारा वर्ष एक समान नहीं किया जा सकता इमलिए कई बार उपलब्ध मानव शक्ति के पूर्ण उपयोग से कम का उपयोग होता है। कहने का अनिप्राय यह है कि स्वनियोजित परिवार मानवशक्ति के लिए (अर्थात् सेल्फ एम्प्लायड फैमिली भैन पावर) कृपक-कृषि : (पीजेन्ट एग्रीकल्चर) वाली अर्थव्यवस्था में पूर्णरूपेण वेरोज़गारी बहुत कम होती है परन्तु मौसमी वेरोज़गारी तथा अल्प वेरोज़गार बहुत अधिक होता है।

सक्षेप में, एक कृपक-कृषि-अर्थव्यवस्था में बहुत कम लोग नियमित रूप में वेरोज़गार होते हैं और यह कार्य उपलब्धता की अनियमितता ही है जो वेकारी की समस्या को जन्म देती है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में वेरोज़गारी तथा अल्प रोज़गार साथ-साथ विद्यमान हैं, और उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। गाँवों में वेरोज़गारी साधारणतः अल्प रोज़गार का रूप ले लेती है। देश के अनेक भागों में व्यस्त कृषि मौसमों में श्रम का अभाव प्रायः महसूस किया जाता है परन्तु वर्ष के एक बड़े भाग में कृषि-श्रमिकों का एक बहुत बड़ा नाग लगातार बिना किसी रोज़गार के होता है। मजदूरों का गाँवों से नगरों की ओर गमन केवल मात्र ध्यान को गाँवों से नगरों की ओर आकर्षण का साधन है। नगरों में वेरोज़गारी की ऊँची दर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त काम के अवसरों के अभाव को ही व्यक्त करती है। वास्तव में नगरीय तथा ग्राम्य वेरोज़गारी एक ही ग्रामिनाज्य समस्या के घर हैं।

(ii) अल्प रोजगार (अर्थात् अल्प-वेकारी : अन्डर एम्प्लायमेंट) अल्प रोजगार या अल्प-वेकारी वह निष्पक्षता है जो प्राप्य श्रमजीवी संस्था के एक भाग पर कुछ समय के लिए (वर्ष, मास अथवा दिन के किसी भाग के लिए) कृपि परिस्थितियों द्वारा थोपी गई हो। इसे मौसमी रोजगार भी कहते हैं।

वास्तव में अल्प रोजगार या अल्प वेकारी अधिक व्यापक संकल्पना है और यह उपलब्ध स्व-नियोजित तथा पारिवारिक मानवशक्ति के अनुप्रयुक्त भाग को व्यक्त करती है। इसमें उपलब्ध श्रम संस्था का वह भाग भी सम्मिलित है जिसकी सारे वर्ष न तो आवश्यकता पड़ती है और न ही उसका उपयोग किया जाता है। इसे प्रच्छन्न वेकारी (डिसगाइज्ड अनएम्प्लाय-मेट) या प्रच्छन्न अल्परोजगार भी कहते हैं। अतः अल्परोजगार दो घटकों से निर्मित है:

(i) मौसमी अल्प रोजगार कृपि-धर्मों (कार्यों) में मौसमी अल्प रोजगार आवश्यक शक्ति है।

(ii) प्रच्छन्न अल्प रोजगार अर्थात् वह श्रम जिसकी सारे वर्ष आवश्यकता नहीं पड़ती और न ही सारे वर्ष उसका प्रयोग किया जाता है।

(iii) प्रच्छन्न वेरोजगारी (डिसगाइज्ड अनएम्प्लायमेट) - कुछ अर्थशास्त्रियों की यह धारणा है कि अल्प विकलित अर्थव्यवस्थाओं में श्रम की निम्न उत्पादिता वेकारी के एक विशेष परिभाषा को कुपाए हुए है जिसे प्रच्छन्न वेकारी कहा जा सकता है। यह वेकारी श्रम के अनु-पूरक संसाधनों की कमी के कारण उत्पन्न होती है। उनका मत यह है कि उन लोगों में से, जो काम में नाभमात्र को करते हैं परन्तु अपने आपको पूर्णतः या आधिक रूप में नियोजित समझते हैं, कुछ एक की उत्पादिता इतनी निम्न होती है कि यदि सामाजिक उत्पादन में उनके योगदान को आकिं जावे तो प्रभाव की दृष्टि से वे वेरोजगार कहे जा सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि इन लोगों को कृपि के क्षेत्र से हटा लिया जावे तो कृपि-उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। पारिभाषिक शब्दावली में हम कह सकते हैं कि इस श्रम का सीमांत उत्पाद सून्ध है।

प्रत्यक्षत जितना कृपि का पुनर्गठन अधिक होगा और जितना पूँजी का अधिक प्रयोग होगा उतने ही अधिक लोगों का कृपि-उत्पादन को प्रभावित किए जिनका कृपि-क्षेत्र से वाहर अतरण किया जा सकता है। अतः प्रच्छन्न अल्प रोजगार की सीमा टैक्नॉजी तथा श्रम की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले सास्थानिक उपादानों द्वारा परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है।

विशेषज्ञों ने प्रच्छन्न वेरोजगारी की परिभाषा इस प्रकार की है :—

यदि अन्य सभी बातें समान रहें (अर्थात् पूँजी-भूमि-श्रम-अनुपात निश्चित हों) तो वह अवस्था जिसमें कृपि-श्रम का उत्पाद शून्य या उपेक्षणीय (नेग लोजीविल) होता है, प्रच्छन्न वेरोजगारी की अवस्था कहलाती है। अतः प्रच्छन्न वेरोजगारी श्रम की वह मात्रा है जिसे वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत (अर्थात् कृपि-उत्पादन में परिवर्तन के बिना : सेट्रिंग पारीवस) कृपि-उत्पादन में कमी किए जिनका कृपि से हटाया जा सकता है। इसे वेशी श्रम या कृपिक-अधिकता (एंप्रैखिन एक्स्ट्रेंस) भी कहते हैं। सेट्रेप में प्रच्छन्न वेरोजगारी श्रम शक्ति का वह भाग है जिसके निकास से उत्पादन में कोई कमी नहीं आती (जबकि कृपि-प्रविधियों

में कोई परिवर्तन न किया जाए)।

यहाँ कुछ प्रश्नों पर विचार करना इस संकल्पना के स्पष्टीकरण में सहायक सिद्ध हो सकता है।

- (१) यदि अभिक अनियोजित या अन्वधा वेकार जा रहा है तो ऐसी तकनीकों को क्यों नहीं अपनाया जाता जिनमें थम की अपेक्षा कम भूमि तथा पूँजी का उपयोग हो? यथात् यदि श्रम वेशी है तो अधिक थम प्रधान तकनीकें वर्यों प्रयोग में नहीं लाई जाती?
- (२) दूसरा प्रश्न यह है कि टैक्सॉलोजी की वर्तमान प्रवस्था में थम का उस बिन्दु तक उपयोग क्यों किया जाता है जहाँ इसका कोई प्रतिफल प्राप्त न हो? उन मजदूरों को, जिनका उत्पाद शून्य है, मजदूरी देने से नियोतकाश्रों को हानि होगी तथा उन स्वनियोजित कृपकों के लिए जो कुछ भी उत्पादन नहीं करते, वेहतर यह होगा कि वे मजदूरी करे। वे वेकार कृपि में क्यों पड़े रहते हैं?
- (३) मजदूरी सीमान्त उत्पाद से अधिक क्यों है? यदि लोगों की काफी सध्या कुछ भी उत्पादन नहीं करती या बहुत कम उत्पादन करती है, तो मजदूरी में अभिक के सीमांत उत्पाद तक गिरावट क्यों नहीं आती?

आर. एस. इकोस ने अपने लेख 'अत्यविकसित देशों में उपादान अनुपात' ('फेन्टर प्रपो-रेशन्स इन अन्डरडेवलप्ड कन्ट्रीज' अमेरिकन इकोनोमिक रिव्यू बाल्यूम ४५ सितम्बर, १९५५) में प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया है। उमका भत है कि अत्यविक श्रम-प्रधान कृपि-प्रक्रिया में भी प्रति इकाई थम, पूँजी की किसी न किसी न्यूनतम राशि की आवश्यकता पड़ती है यथात् उसमें भी कोई न कोई न्यूनतम पूँजी-थम अनुपात होता है। बहुत से अत्यविकसित देशों में इतनी पूँजी नहीं है कि वे अपनी सारी थम शक्ति का उपयोग कर सके इसलिए प्राप्य थम शक्ति का एक भाग अनुपयुक्त रह जाता है।

कृपि थम के शून्य सीमात उत्पाद की व्याख्या करते हुए जारज़स्टू रोगन ने अपने लेख (इकोनोमिक अधिकारी एण्ड एप्रेंटिन इकोनोमिक्स. फरवरी, १९६०) में यह भत दिया है कि 'जनाधिक देश में न तो पूँजीवाद और न ही सामाजिक व्यवस्था को समर्पित करने का एक दशा है।' पूँजीवाद के अन्तर्गत थम का उस बिन्दु तक उपयोग किया जाएगा जहाँ इसका सीमात उत्पाद मजदूरी-दर के बराबर हो जाता है। परिणामस्वरूप थम-शक्ति का कुछ भाग वेकार रहेगा। इस दशा में कुल कृपि-उत्पादन अधिकतम नहीं होगा। सामतवाद में परिवार का रोज़गार तब अधिकतम हो जाता है जब इसका सीमात उत्पाद मजदूरी के बराबर होता है। अब सामतवाद का स्थान व्यक्तिगत हृपक जोतों ने ले लिया है और उसका कुल कृपि-उत्पादन अब भी अधिकतम है क्योंकि कृपक परिवार का रोज़गार सीमात उत्पादिता के सिद्धात की अपेक्षा कुल पारिवारिक उत्पादन के अधिकतमकरण द्वारा निर्धारित होता है। अतः परिवार काम का कुल उत्पादन जब अधिकतम हो जाता है तो सीमात शून्य हो जाता है।

रेगनर नसें ने भी थम के शून्य सीमात उत्पाद को प्रच्छन्न बेरोज़गारी का नाम दिया है। उसका कहना है कि भूमि जोतों को चकवदी आदि द्वारा समर्पित करने से कृपि-उत्पादन

में कभी किए दिना अम के एक बड़े भाग को फ़ार्मेंटर (नान फ़ार्म) कामों में लगाया जा सकता है अर्थात् वेकार अम को वौध-निर्माण तथा ग्रामीण-सड़कों के बनाने में लगाया जा सकता है।

'श्रमिक की मजदूरी सीमात उत्पाद से अधिक बयो है और यह सीमात उत्पाद तक बयो नहीं निरती'—इस प्रश्न का उत्तर ल्युइस ने अपने प्रसिद्ध लेख 'असीमित अमपूर्ति सहित आर्थिक विकास' (इकोनोमिक डेवलपमेंट विध अनलिमिटेड सप्लाइज आफ लेबर, मई, १९५४) में वही अच्छी प्रकार से दिया है। उसका तर्क है कि कामगार अपने सीमात उत्पाद के बराबर मजदूरी प्राप्त नहीं करते बल्कि उससे अधिक एक पारम्परिक मजदूरी (ट्रैडीशनल बेज) प्राप्त करते हैं जो कि प्रति श्रमिक औसत उत्पाद द्वारा निर्धारित होता है।

कृषक कृषि-अर्थव्यवस्था में परिवार का प्रत्येक सदस्य परिवार के औसत उत्पाद के बराबर प्राप्त करता है चाहे उसका अपना योगदान कुछ भी हो। वयोंकि फ़ार्म से बाहर परिवार फ़ार्म पर प्राप्त औसत उत्पाद से अधिक मजदूरी प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए वह फ़ार्म को छोड़ने की ओर प्रेरित नहीं होता और औसत उत्पाद सीमात उत्पाद से अधिक होगा। यही कारण है कि जबतक निर्वाहमात्री क्षेत्रक (कृषि क्षेत्र) में वेशी अम होगा, उसे पूँजीमूलक क्षेत्रक (कैपिटलिस्ट सेक्टर) में भी पारम्परिक मजदूरी मिलती रहेगी। यह मजदूरी अम के शून्य सीमात उत्पाद से अधिक होती है। यहाँ आर्थिक विकास के सिद्धातों के रूप में ल्युइस तथा रेनिस व के के मॉडलों का विवेचन उपयोगी रहेगा।

(ब) आर्थिक विकास संबंधी ल्युइस का मॉडल (ल्युइस मॉडल रिगार्डिंग इकोनोमिक डेवलपमेंट)—एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जिसमें अम का बाहुल्य हो परन्तु ससाधन का अभाव हो, जिसमें अधिकांश जनसंख्या कृषि का धर्धा करती हो, जहाँ व्यापक प्रचलन वेरोज्गारी विद्यमान हो और जिसमें जनसंख्या की सबूढ़ि-दर बहुत अधिक हो किस प्रकिया द्वारा नतिहीन अवस्था से स्व-धारणीय सबूढ़ि की अवस्था (फ़ाम कर्डीशन आँफ स्टैगनेशन टु वन आँफ संलक सस्टेनिंग ग्रोथ) को प्राप्त कर सकती है? इस बात का विश्लेषण अनेक अर्थशास्त्रियों ने किया है। इस सबध में ल्युइस तथा रेनिस व के के मॉडलों का विवरण यहाँ दिया जा रहा है।

आर्थर डब्ल्यू ल्युइस में आर्थिक विकास के अपने सिद्धात का प्रतिपादन अपने प्रसिद्ध लेख 'असीमित अम पूर्ति सहित आर्थिक विकास' (१९५४) में किया है। ल्युइस अपने मॉडल में एक अल्प विकसित देश के निर्वाहमात्री क्षेत्रक तथा पूँजीमूलक क्षेत्रक में सदब्ध का विश्लेषण करता है। ल्युइस एक द्वि-क्षेत्रक मॉडल (ट्रैडीशनल मॉडल) प्रस्तुत करता है और अर्थव्यवस्था को पूँजीमूलक अर्थात् प्रगतिशील तथा निर्वाहमात्री दो क्षेत्रकों में बांटता है। ल्युइस के मॉडल में पूँजीमूलक अर्थात् उच्चोग क्षेत्रक को अपने विस्तार हेतु स्तरे अम की सप्लाई निर्वाहमात्री अर्थात् कृषि क्षेत्रक से प्राप्त होती है।

फालतू कृषि श्रमिकों का (जिनका उत्पादन में योगदान शून्य के समान या नगण्य होता है) उद्योग में विनियोग व पुन आवेदन (जहाँ वे अमशक्ति के उत्पादक

सदस्य बन जाते हैं) विकास का द्योतक है। उद्योग में उनकी मज़दूरी कृषि में सस्थागत मज़दूरी के बराबर होती है। कृषि क्षेत्रक से उद्योग-क्षेत्रक की ओर फालतू श्रम के गमन की प्रक्रिया उस समय तक जारी रहेगी जबतक कि अतिशय कृषि-श्रम-शक्ति समाप्त नहीं हो जाती और औद्योगिक श्रम-पूर्ति-वक्र ऊपर की ओर अग्रसर नहीं होता। यह अवस्था अर्थव्यवस्था के विकास का 'मोड़' (टर्निंग पोइन्ट) कहलाती है। औद्योगिक वास्तविक मज़दूरी की उपरिमुखी गति अर्थव्यवस्था के 'वाणिजजीकरण बिंदु' को व्यक्त करती है।

ल्युइस के अनुसार फालतू श्रम ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में विद्यमान है। ग्रामीण फालतू श्रम इस अर्थ में प्रचलित कहसाता है क्योंकि हर व्यक्ति कार्य कर रहा होता है, परन्तु यदि इसका एक भाग कृषि से हटा लिया जाए तो उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। शेष श्रमिक अधिक परिश्रम से काम करेंगे। नगरीय फालतू श्रम पूर्णतः वेकार होता है। ल्युइस का कहना है कि जबतक निर्वाहमात्री क्षेत्रक में फालतू श्रम मौजूद है, पूँजीमूलक क्षेत्रक में नियोजित श्रम को पारपरिक मज़दूरी मिलती रहेगी। न्यून तथा स्थिर मज़दूरी के परिणाम-स्वरूप बृहत् लाभ प्राप्त होते हैं और पूँजीमूलक क्षेत्रक में शब्द पुनर्निवेश होता है। उद्योग क्षेत्रक के आकार के सापेक्ष लाभों में अधिक बृद्धि होती है तथा अर्थव्यवस्था का विकास तेज़ी से होता है और राष्ट्रीय आय का वर्षमान अब पुनर्निवेशित होता है।

ल्युइस का कहना है कि उन देशों के लिए जिनके द्वारा हर प्रकार के यत्न के आवश्युद अपनी भाँग के अनुरूप तेज़ी से खाद्यान्न का उत्पादन नहीं किया जा सकता, श्ये यस्कर यह होगा कि वे विनिर्माण-पदार्थों के निर्यात को बढ़ाएँ। कहने का अभिप्राय यह है कि विनिर्माण-उत्पादन में विस्तार के लिए कृषि-उत्पादन में विस्तार आवश्यक नहीं है यदि विनिर्मित पदार्थों के निर्यात को बढ़ाया जा सके। भारत जैसे देश को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। नियति की संवृद्धि वर ही आतंरिक विस्तार की सीमा का नियतन करती है। अत्पविक्षित देशों को बाहिए कि वे उद्योग-क्षेत्रक के पदार्थों का अधिकाधिक निर्यात करे और इस प्रकार वे अपनी आवश्यकताओं के लिए खाद्य पदार्थों का आयात कर सकते हैं।

यद्यपि ल्युइस कृषि-उत्पादिता में बृद्धि को अत्यधिक जनसंख्या बाले देशों में आर्थिक विकास की पूर्व शर्त मानता है परन्तु उसके भुक्तान के अनुसार कृषि-उत्पादन को बढ़ाने की इसलिए आवश्यकता है ताकि विनिर्मित पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने पर अधिक टेक न रखनी पड़े। बस्तुतः ल्युइस के माडल में कृषि-क्षेत्रक उपेक्षित रहा है और इसका महत्त्व केवल इतना है कि यह श्रम का भडार है। अतः ल्युइस निर्वाहमात्री अर्थात् कृषि-क्षेत्रक का सतोपजनक विश्लेषण प्रस्तुत करने में सफल नहीं रहा। यदि इस क्षेत्रक का विकास न हुआ तो समग्र अवस्था के अवश्य होने का भय है। तेज़ आर्थिक विकास के लिए यह ज़रूरी है कि दोनों क्षेत्रकों की सदृढ़ि में उचित संतुलन बनाए रखा जाए। इस उद्दे श्य हेतु रेनिस

तथा फे ने ल्युइस के मॉडल मे सशोधन किए हैं और अपने मॉडल मे 'उपेक्षित कृपि क्षेत्रक' के महत्व सदृशी विश्लेषण पर बल दिया है। उन्होंने यह दर्शाया है कि कृपि तथा कृपोतर क्षेत्रक परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं और विकास की गति को तेज करने के लिए कृपि क्षेत्रक का महत्व कम नहीं है। रेनिस व फे के मॉडल का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

- (व) आर्थिक विकास का रेनिस व फे का सिद्धांत—रेनिस व के मॉडल ल्युइस के मॉडल का उत्कृष्ट सशोधित रूप है और अल्प विकसित देशों की समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त नीति के निर्माण मे सहायक है उनके डिक्सेत्रक मॉडल मे अधिकों का कृपि से उद्योग की ओर प्रवासन व स्थानान्तरण वह केंद्रीय प्रक्रम है जिसके दूर्द-गिर्द इस सिद्धांत की रचना की गई है। सिद्धांत की रचना करते समय आतंरिक व्यापार की विगड़ती हुई स्थिति, प्रब्लेम वेकारी, सास्थानिक मजदूरी, वाणिज्यीकरण विदु, सतुरित सबृद्धि तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्तन आदि अनेक आधारभूत समस्याओं को व्यान मे रखा गया है।

रेनिस तथा फे के अध-बहुल देशो के विकास को तीन चरणों मे बांटते हैं। उनका यह विभाजन इस संकल्पना पर आधारित है कि कृपि-उत्पादिता तथा जनसंख्या मे कोई विशेष परिवर्तन न हो।

- (१) रेनिस व के मॉडल विकास के प्रथम चरण मे वे कृपि-अधिक जो कृपि-उत्पादन मे कोई वृद्धि नहीं कर रहे होते, औद्योगिक क्षेत्रक मे चले जाते हैं। अर्थव्यवस्था के वर्तमान मजदूरी-स्तरों मे कोई भी वृद्धि नहीं होती क्योंकि उनके जाने मे कार्म-उत्पादन मे कोई कमी नहीं आती।
- (२) दूसरे चरण मे, वे फार्म-अधिक भी औद्योगिक क्षेत्र मे चले जाते हैं जो कुछ न कुछ उत्पादन कर रहे होते हैं और जिनका उत्पादन उनकी मजदूरी से कम होता है। उनके प्रवासन के फलस्वरूप फार्म-उत्पादन मे कमी हो जाती है। व्यापार-स्थिति फार्म-क्षेत्रक के पक्ष ने बदल जाती है और औद्योगिक क्षेत्रक मे नकद मजदूरी को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। विकास के इस चरण मे औद्योगिक क्षेत्रक मे व्यापार-स्थिति विगड़ती जाती है क्योंकि उद्योग पदार्थों के विनियम हेतु कृपि पदार्थों मे सापेक्ष अभाव अनुभव किया जाता है। यह चरण काफी कठिन होता है क्योंकि इसके दौरान कृपि पदार्थों की कमी होने लगती है। वस्तुतः दूसरा चरण कृपि-पदार्थों के अभाव से आरम होता है। इसलिए प्रथम तथा द्वितीय चरण को सीमा को 'अभाव-विन्दु' का नाम दिया गया है।
- (३) यदि अधिकों का प्रवासन जारी रहे तो एक विदु ऐसा पहुँच जाता है जहाँ वे अधिक भी जिनका उत्पादन उनकी मजदूरी के बराबर होता है उद्योग मे चले जाते हैं। यह 'वाणिज्यीकरण विदु' तीसरे चरण का प्रारम है जबकि उत्कर्ष अवस्था (टेक मॉडल) का ग्रत होता है और स्वाधारित सबृद्धि का आरम और हम ऐसी अवस्था मे प्रवेश करते हैं जबकि कृपि-क्षेत्रक वाणिज्यीकृत पूँजीमूलक प्रणाली का रूप धारण कर लेता है। इस चरण मे कृपि-क्षेत्रक मे सीमात-

उत्पादिता और वास्तविक मजदूरी बराबर हो जाती है और प्रच्छन्न वेरोज़गारी समाप्त हो जाती है।

(४) रेनिस व के का कहना है कि कृषि-उत्पादिता को बढ़ाकर कठिन दूसरे चरण की अधिक को कम किया जा सकता है, क्योंकि प्रवसन करने वाले श्रमिकों की सीमात नीतिक-उत्पादिता में बूढ़ि होने में वे अपनी मजदूरी तक शीघ्र पहुँच सकते हैं और प्रति-प्रवासी-श्रमिक कृषि-वेशी भी अधिक होती है जिसके कारण विगड़ती हुई व्यापार-स्थिति में सुधार होता है। यदि उत्पादिता में बूढ़ि पर्याप्त हो तो पूर्ण दूसरे चरण को निरस्त किया जा सकता है और अर्थव्यवस्था सीधे ही स्वधारित-संबूद्धि की अवस्था में प्रवेश कर जाती है।

(५) कृषि क्षेत्रक में निवेश के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की समकालिक प्रक्रिया की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तव में दोनों क्षेत्रक एक दूसरे पर निर्भर हैं। उत्पादन की वृष्टि से दोनों क्षेत्रको को एक दूसरे के पदार्थों के क्रय-विकल्प की व्यवस्था करनी होगी। निविष्टि की दिशा में भी, उद्योग-क्षेत्र को कृषि-क्षेत्र द्वारा छोड़े गए श्रमिकों को खपाना होगा। यही कारण है कि 'संतुलित सबूद्धि' विकास की केन्द्रीय सकल्पना है।

हैनरी टी. ओशीमा ने रेनिस व के के मॉडल पर अपनी टिप्पणी में मॉडल की समलोचना की है जिसका सार इस प्रकार है :

(क) ओशीमा का भत है कि रेनिस व के ने अपने विश्लेषण में विदेशी व्यापार के महत्व की उपेक्षा की है। एक मुली अर्थव्यवस्था में उद्योग-पदार्थों के बढ़ने में दूसरे देशों ने कृषि-पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यापार-स्थिति के विगड़ने की सम्भावना नहीं होगी। एशिया में कई देश अम्र की कमी वाले देशों को खाद्यान्न का आयात करते हैं। युद्ध से पूर्व जापान ने कोरिया तथा ताईवान से सस्ते फार्म-पदार्थों का आयात कर औद्योगिक क्षेत्रक के लिए व्यापार की स्थिति में सुधार किया था। इसलिए रेनिस-के मॉडल तभी स्वीकार किया जा सकता है यदि इसमें विदेशी व्यापार का समावेश किया जाए। विदेशी व्यापार के समावेश से कृषि-उत्पादिता में तेज बूढ़ि करना इतना आवश्यक नहीं रहेगा और संतुलित सबूद्धि तेजी से प्राप्त हो जाएगी।

रेनिस व के का कहना है कि विदेशी सहायता 'अमाव विदु' के आगमन को स्थगित कर सकती है परन्तु विकास-प्रक्रिया किसी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था के आकार तथा विदेशी व्यापार के अवसरों पर निर्भर करती है। भारत के सदर्म में उनका कहना है कि वहे ग्रल्पविकसित देशों की समस्याओं को मूलतः देश के ग्रन्दर ही हल करना होगा क्योंकि अनाज की घरेलू आवश्यकताएँ इतनी अधिक होती हैं कि आमाल पर अधिक भरोसा रखना उपयोगी नहीं होगा।

(ख) रेनिस-के के अनुसार 'वाणिज्योकरण विदु' विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अवस्था है। इस ममय तक काफी श्रमिक कृषि को छोड़ चुके होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में श्रम का अभाव हो जाता है। भूस्वामियों को अब सीमात नीतिक उत्पादिता

भारतीय कृषि-अर्थव्यवस्था

(MPP) के अनुरूप मजदूरी देनी होगी और उद्योग-नियोजको से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। अमिक्राय यह है कि इस विदु के बाद भी विदेशी व्यापार को अनु-पस्थिति में कृषि-उत्पादिता में लगातार वृद्धि करनी पड़ेगी। तभी फार्म-जन-सत्या में गिरावट आ सकती है।

ओशीमा का कहना है कि बद अर्थव्यवस्था में शम-प्रवासन से कृषि-पदार्थों में लगातार कमी होगी और यह अतिस्फीति (हाइपर-इनफ्लेशन) का आरम्भ होगा।

खुली अर्थव्यवस्था में जहाँ उद्योग-पदार्थों के नियति के बदले में खाद्यान्नों का आयात किया जा सकता है, निर्वाहमात्री क्षेत्रक तथा ओशीमीकृत क्षेत्रक एक दूमरे के साथ इकट्ठे रह सकते हैं।

इस सदर्भ में रेनिस-के का कहना है कि मोड़ की अवस्था इसलिए महत्व-पूर्ण है क्योंकि प्रच्छृत वेरोजगारी से पीड़ित अमिक अब उत्पादक सदस्य बन, गए हैं। इसके बाद कृषि-क्षेत्रक का विकास बढ़ा जाएगी है। शेष अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए दोनों क्षेत्रको के सतुलित विकास की आवश्यकता है और ओशीमा की अतिस्फीति के आरम्भ की धारणा उचित नहीं है।

- (ग) रेनिस व के के मॉडल में प्रच्छृत वेरोजगारी तथा साम्यानिक वास्तविक मजदूरी के स्थिर दर की धारणाओं की भी आलोचना की जाती है। रेनिस व के का भत है कि पार्किस्तान भारत व लका जैसे देशों में फार्म शम-शक्ति का ३० प्रतिशत सीमात अमिक हैं जो बहुत कम या शून्य उत्पादन करते हैं। आलोचकों का कहना है कि यह अप्त ५ प्रतिशत से अधिक नहीं है। रेनिस-के के अनुसार भूमि का परिमाण निरिचत है और जनसख्या का एक भाग ऐसा अवश्य होगा जिसकी सीमात भौतिक उत्पादिता शून्य हो जाएगी। आलोचकों का भत है कि फालतू जनसख्या नगरों में चली जाएगी और अल्पावधि के लिए विवृत रूप में वेकार होगी। समय रहते यह जनसख्या लंबु उद्योगों में खप जाएगी या वापस गावों में आ जाएगी। आलोचकों के भत के अनुसार भूमि का परिमाण नियत नहीं है क्योंकि अप-सीमात भूमि (एकसटा मार्जीनल लैंड) जैसे बन, जगल, पहाड़ी भूमि आदि पर भी खेती की जाने लगेगी। उनका भत है कि यद्यपि कुछ अमिको का प्रतिकल कम होगा परन्तु वह शून्य से अवश्य अधिक होगा। इसी प्रकार वे कहते हैं कि यदि वास्तविक मजदूरी का स्तर स्थिर है तो भू-स्वामियों तथा पट्टे दारों में सधर्प क्यों होता है? उनका कहना है कि मजदूरी सीमात भौतिक-उत्पादिता से कम होती है न कि अधिक। इमलिए रेनिस-के की उपरोक्त दोनों धारणाएँ स्वीकार्य नहीं हैं।

रेनिस-के ने इस आलोचना का उत्तर देते हुए लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि काफी जनसख्या फालतू है जहाँ वह नगरों में पूर्ण वेकार हो या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छृत वेरोजगारी से पीड़ित हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे वेकार अमिक विद्यमान हैं जो राष्ट्रीय उत्पाद का उपयोग तो करते हैं परन्तु उसमें उनका योगदान शून्य के बराबर है। स्थिर वास्तविक मज-

दूरी की आलोचना का उत्तर देते हुए वे लिखते हैं कि यदि मजदूरी सीमात नीतिक उत्पादिता से कम है तो भूस्वामी कृषि-उत्पादन में वृद्धि के लिए इनको अधिकाधिक काम पर लगाएंगे। इससे जनसंख्या में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।

(प) आलोचकों का यह भत्ता भी है कि यह धारणा 'कि विकास के प्रयत्न दो चरणों में कार्म-उत्पादिता में वृद्धि के साथ-साथ कार्म-मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा' स्वीकार्य नहीं है। कार्म-उत्पादिता में वृद्धि कृपक की वास्तविक आय में वृद्धि में परिणत होती है क्योंकि कर बहुत ही कम हैं। फलस्वरूप काश्तकारों के निरपेक्ष भाग में भी वृद्धि होती है। आलोचकों का तर्क है कि उत्पादिता में वृद्धि के साथ-साथ मजदूरी में भी वृद्धि होती है। उनका कहना है कि मौँडल में मै प्रच्छन्द वेरोजगारी की सकल्पना को निकालने से कृषि-उत्पादिता को बढ़ाने की आवश्यकता बढ़ जाती है।

उन्नीसवीं शताब्दी के जापान का उल्लेख करते हुए रेनिस-के ने लिखा है कि यद्यपि जापान में कृषि-उत्पादिता में तेजी से वृद्धि हुई, वास्तविक मजदूरी में नाममात्र की वृद्धि हुई। यद्यपि राजकीयी साधनों तथा जन कल्याण सम्बन्धी मिथ्या नीतियों से कुछ समय के लिए औद्योगिक वास्तविक मजदूरी को बढ़ाया जा सकता है परन्तु कृषि क्षेत्र में प्रचुर प्रच्छन्द वेरोजगारी की उपस्थिति में मजदूरी में वृद्धि को सतत बनाए रखने की कल्पना करना भी कठिन है।

जहाँ एक और उपरोक्त अर्थशास्त्रियों ने 'प्रच्छन्द वेकारी' की सकल्पना की मान्यता का समर्थन किया है वहाँ वाईनर, वारीनर तथा शुल्ज आदि अर्थशास्त्री प्रच्छन्द वेरोजगारी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। शुल्ज का कहना है कि नसार में किमी भी निर्धन देश से इस बात का प्रभाल नहीं मिलता कि अन्य बातें समान रहने पर बर्तमान धर्म-शक्ति के एक छोटे से अंश को भी कृषि से हटाने पर कृषि-उत्पादन में कोई कमी न आई हो। भारत तथा लातीनी अमरीका के देशों के उदाहरणों के आधार पर शुल्ज ने यह बताया कि हृषि-धर्म के हटाने से कृषि-उत्पादन में कमी होती है।

परन्तु ल्युइम का कहना है कि ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में फालतू धर्म विद्यमान है। ग्राम धर्म वेशी इस अर्थ में छिपी हुई है कि यहाँ हर व्यक्ति काम कर रहा होता है परन्तु यदि इसके कुछ भाग को निकाल लिया जाए, तो उत्पादन कम नहीं होगा क्योंकि कृषि में शेष रह गए अभिक अधिक परिश्रम से कार्य करेंगे।

यह ध्यान रहे कि मजदूरों को पूर्ण एकको में ही हटाया जा सकता है अर्यात् किसी व्यक्ति को कृषि में बाहर ले जाने के लिए उसे पूरी तरह कृषि को छोड़ना पड़ेगा। व्यक्ति के हिस्से नहीं किये जा सकते। इसलिए प्रच्छन्द वेकार धर्म वह अल्प प्रयुक्त धर्म है जो दो भागों से निर्मित है। (१) वह वेशी धर्म (अर्थात् अभिकों की वह सम्मान) जिसे कृषि से हटाया जा सकता है (२) वह अल्प प्रयुक्त आशिक धर्म (फैक्ट्रियल लेवर) जिसे कृषि से हटाया नहीं जा सकता। अतः प्रच्छन्द वेकारी अभिकों को वह नहूँया है जिसे कृषि से कृषि-उत्पादन में कमी किये विना हटाया जा सकता है।

कृषि में प्रच्छन्द अल्प रोजगार की मात्राका, धर्म उ पलब्धता से सापेक्ष धर्म ग्रामश्वकर्ता

के ग्रांकड़ों के आधार पर, पता लगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक फार्म-परिवार की मानव-शक्ति का लेखा जोड़ा करना पड़ेगा। जब दोनों ओर का समयोजन पूरा होता है अर्थात् जब मानव शक्ति की इकाइयों (तथा श्रम-घटों) में उपलब्ध श्रम की मात्रा घट की (तथा उत्पादन अवधि में इसके वितरण की) अभीष्ट मात्रा के बराबर हो तो प्रच्छन्न अल्प रोजगार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः फालतू अथवा बेकार श्रम उपलब्ध श्रम तथा अभीष्ट श्रम का प्रन्तर है। बेरोजगारी मानव शक्ति का वह परिमाण है जो व्यर्थ जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी श्रम की पूर्ति तथा माँग के अन्तर को कहते हैं। श्रम की पूर्ति जनसंख्या तथा सहभागिता-दर (पार्टीमिपेशन रेट) का परिणाम है। यह ध्यान रहे कि अगले पन्द्रह बीस वर्षों में श्रमिक बनने वालों का जन्म हो चुका है और जन-संख्या की वृद्धि में तुरन्त कमी का बर्तमान स्थिति पर कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, इन वर्षों में हुई कमी का प्रमाण १५-२० वर्ष बाद श्रम की पूर्ति पर अवश्य पड़ेगा। श्रम की माँग पूँजी स्टाक तथा श्रम-प्रतिशतता (लेवर इन्टेसिटि) अर्थात् पूँजी-श्रम-अनुपात द्वारा निर्धारित होती है। संक्षेप में निवेश-दर तथा तकनीकी परिवर्तन श्रम की माँग की प्रभावित करते हैं। श्रम की उपलब्धता (या पूर्ति) में श्रम की काम करने की इच्छा निहित है।

१२.५ बेरोजगारी का माप

उपरोक्त ग्रन्थयन से स्पष्ट है कि बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार (अथवा अल्प-बेरोजगारी) के परिमाण को मापने के लिए अंतर्क पैमाने हैं। किसी भी पैमाने को निश्चित कहना व्याप्त नहीं होगा। विनिय सकलनालो के आधार पर परिकलित अनुमान भी निन्न होने और समस्या के समाधान के लिए नीतियाँ भी भिन्न-भिन्न होगी। अनेक बार बेरोजगारी का परिमाण ज्ञात करने के लिए एक से अधिक कसोटियों का संयोजन भी कर लिया जाता है। प्रो० राजकृष्णन ने अपने लेख 'अनएफ्लायमेट इन इन्डिया' (इकोनोमिक एण्ड पालिटिकल बीकली, मार्च ३, १९७३) में इनका विस्तृत विवेचन किया है।

जब हम बेरोजगारी का अनुमान लगाते हैं तो उसमें अल्परोजगार के कारण होने वाली बेकारी भी सम्मिलित होती है। कहने का अनिवार्य यह है कि बेरोजगारी में पूर्ण बेकारी, अल्पबेरोजगारी तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी सब सम्मिलित हैं। प्रब हम बेरोजगारी की विनिय कसोटियों का संखेप चेतावन, करें।

(क) समय की कसोटी—एक शक्ति बेरोजगार कहा जा सकता है जबकि वह किसी भी अंतर्क (बमाऊ) छन्दे में लगा हुआ न हो या वह किसी अंतर्क घंटे में सामान्य से कम समय के लिए कार्य कर रहा हो। यह सामान्य समय सामान्यतः पूर्ण रोजगार-समय या इष्टतम समय होता है। अंतर्क व्यवसायी की परिनापा भी भिन्न-भिन्न स्थितियों में भिन्न-भिन्न हो सकती है। उदाहरणतः राष्ट्रीय संघर्ष सर्व द्वारा कुछ व्यवस्थाएँ में वह शक्ति अंतर्क व्यवसायी माना गया है जिसने एक सप्ताह में एक घटे के लिए भी अंतर्क कार्य किया अर्थात् एक घटे के लिए भी प्राप्त में वृद्धि करने वाला कार्य किया। पूर्णत बेरोजगार वही शक्ति माना गया

जिसने सप्ताह में एक घटे के लिए भी अर्जक कार्य नहीं किया हो। इस परिभाषा में एक सप्ताह की निर्देश अवधि (रेफेरेन्स पीरियड) नियत की गई है। यह अवधि एक दिन, पखवाड़ा, मास या एक वर्ष भी हो सकती है। १९६१ की गणना में इस उद्देर्श्य के लिए मौसमी काम की कार्यकारी छतु—(वकिंग सीजन फॉर सीजनल वृक्ति) निर्देश-अवधि मानी गई। जितनी निर्देश अवधि अधिक होगी, परिभाषा के अनुसार व्यक्ति के वेरोज़गार होने के (अर्थात् एक घटा अर्जक काम करने के) अवसर अधिक होंगे और इस प्रकार वेरोज़गारों की संख्या कम होगी। निर्देश-अवधि जितनी कम होगी, वेरोज़गारों की संख्या अधिक होने की उतनी ही अधिक सभावना होगी। इसलिए वेकार या अल्प नियोजित व्यक्ति की परिभाषा में अर्जक कार्य तथा निर्देश अवधि का विशेष महत्व है।

इसी प्रकार यदि पूर्ण रोज़गार का प्रतिमान (नोर्म) प्रति सप्ताह ४२ घटे का अर्जक कार्य हो तो वे व्यक्ति जो सप्ताह में ४२ घटे ने कम कार्य कर रहे हैं, अल्पनियोजित (अन्डर एम्प्लायड) कहलाएंगे। अल्प रोज़गार की सीमा आगे अर्जक कार्य के समय पर निर्नय होती है। जैसे सप्ताह में २८ घटे से कम काम करने वाले व्यक्ति को गम्भीरल्प से अल्पनियोजित कहा जा सकता है जबकि प्रति मप्ताह २८ घटे से अधिक परन्तु ४२ घटे से कम काम करने वाला व्यक्ति परिमित अल्पनियोजित (मोडरेटली अन्डरएम्प्लायड) अर्थात् न अधिक और न कम अल्प रोज़गार वाला व्यक्ति कहलाएगा।

(ख) आय के संदर्भ में—रोज़गार आय उत्पन्न करने का साधन ही नहीं वल्कि आय-वितरण का साधन नहीं है। व्यक्तियों को काम करने से अर्थात् रोज़गार से आय प्राप्त होती है और वे व्यक्ति वेरोज़गार कहलाएंगे जो काम प्राप्त नहीं कर सके। अतः एक व्यक्ति वेरोज़गार या अल्पनियोजित कहलाएगा यदि वह वार्षिक न्यूनतम स्तर से कम आय कमाता हो अर्थात् यदि उसका जीवन-स्तर वार्षिक न्यूनतम स्तर से भी न्यून हो। इस प्रकार वह व्यक्ति जो किसी अर्जक काम में नहीं लगा हुआ है और काम की तलाश में है और साथ ही अपने संयुक्त परिवार से अधिकार के रूप में आय प्राप्त कर रहा है, आय की हृष्टि से न नियोजित है और न ही वह वेकार माना जाएगा। परन्तु क्योंकि उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं है, इसलिए उत्पादन की हृष्टि से वह वेरोज़गार है। इन धारणा के समर्थकों का यह तर्क है कि रोज़गार का स्तर कम से कम इतना अवश्य होना चाहिए कि जनसंख्या को न्यूनतम आजीविका प्रदान की जा सके। व्यक्ति की वेकारी उसकी निर्धनता का मुख्य कारण है। आय-प्रदायक काम की अनुपलब्धता ही को वेरोज़गारी कहते हैं। इसलिए व्यक्ति द्वारा एक वार्षिक न्यूनतम आय से कम आय की प्राप्ति अपूर्ण रोज़गार को व्यक्त करती है। डाकेकर तथा रेंय ने अपनी पुस्तक ‘पॉवर्टी इन इण्डिया’ (१९७१) में इस सकल्पना के सदर्म में संख्या का मुन्दर विस्तैपण किया है।

(ग) वेरोज़गारी आयवा उत्पादन को कसौटी—उत्पादन को हृष्टि से वे व्यक्ति वेरोज़गार कहनाते हैं जिनके क्षेत्रक से निकास के परिणामस्वरूप उत्पादन पर क्रें-

प्रमाण नहीं पड़ेगा। वह व्यक्ति जिसकी उत्पादिता सामान्य उत्पादिता से कम है वे रोजगार माना जाएगा क्योंकि उसके निकास से उत्पादन में कोई बदली नहीं आएगी यदि मामूली तकनीकी परिवर्तनों द्वारा वाकी रह गये कामगारों की उत्पादिता को समान्य बनाया जा सके। हम इस बात का पहले ही विवेचन कर चुके हैं कि शून्य नीमात उत्पाद की विद्यमानता के स्पष्ट प्रमाण नहीं है और कामगार की पारम्परिक मजदूरी सीमांत उत्पाद से अधिक होती है। यह मजदूरी परिवार के श्रीसत उत्पाद के बराबर होती है। परन्तु कामगार की निम्न उत्पादिता उसकी निम्न आय व निर्धनता का कारण है। इसलिए उत्पादिता का प्रतिमान आय का ही प्रतीक है।

(घ) काम करने की इच्छा—जहाँ तक कृषि-अभियन्त्रों का संबंध है, वेकार होने पर उनके पास इसके मिथाय और कोई चारा नहीं कि वे नये काम की तलाश करें परन्तु कृपक अपने फार्म पर स्व-नियोजन को प्रावधिकता देते हैं और अपने फार्म पर काम के कम होने पर भी वे मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते। इसी प्रकार स्त्रियाँ जिन्हे पर का काम भी करना पड़ता है समय की कसीटी से अल्प रोजगार मानी जाती हैं और वे गांव से बाहर काम के लिए उपलब्ध नहीं होती। कहने का अभिप्राय यह है कि वह जरूरी नहीं है कि वे जब व्यक्ति जिनके पास पूरा काम नहीं है या जिनकी आय वाढ़ित स्तर से कम है और अधिक काम की खोज करें। उदाहरणतः वे वेकार, व्यक्ति जिनके पास बचाई दुई पूँजी है या जिन्हे परिवार वा सबधियों से आय सबधी महायता प्राप्त है, कम मजदूरी बाला काम करने के लिए तैयार नहीं होते और वे रोजगार रहना ही पसन्द करते जब तक कि उन्हें उच्च मजदूरी बाला काम नहीं मिल जाता। ऐसे व्यक्ति स्वेच्छा से वे रोजगार हैं।

वास्तव में वे रोजगार वह व्यक्ति है जो वर्तमान की अपेक्षा अधिक काम करने का इच्छुक हो अर्थात् वह और अधिक काम की तलाश कर रहा हो या चालू मजदूरी पर (या वह मजदूरी जिसका वह आदी है) काम के लिए लभ्य हो। सख्त में वे सब व्यक्ति जो निर्धन हैं या जिनके पास अर्जक काम है, वेकार, नहीं कहलाएँगे जबतक वे और अधिक काम करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

ऐसे भी व्यक्ति हैं जो भूरे समय के लिए काम करते हैं परन्तु उनकी आय इतनी कम है कि वे 'निर्धनता-रेखा' से भी नीचे के स्तर पर निर्बाह कर रहे हैं। समय के अनुसार वे वारोजगार हैं और अक्तिरिक समय के लिए लभ्य नहीं है। यह वह वर्ग है जो अचागित है तथा जिसकी सौदा करने की शक्ति कम है। इस वर्ग को कानून या सामूहिक सौदाकारी का सरकार प्राप्त नहीं होता जिनके कारण उसकी मजदूरी कम होती है और वह निर्धन रहता है।

गरीबी के हटाने से सवधित नीतियाँ—यद्यपि वे रोजगारी गरीबी का मुश्य कारण है परन्तु लोगों की गरीबी हटाने की नमस्य काम के लिए लभ्य लोगों की वेकारों को दूर करने की समस्या से बहुत विशाल है। विभिन्न वर्ग के लोगों की निर्धनता को दूर करने के लिए मिश्न-निम्न नीतियाँ घरनानी होंगी। उदाहरणतः अनियोजनीय वर्ग अर्थात् उन लोगों के

लिए जो रोज़गार योग्य नहीं है, आर्थिक तथा सामाजिक सहायता या आय-आंतरण की जरूरत पड़ेगी जबकि स्व-नियोजित लोगों की निर्धनता दूर करने के लिए उन्हें उधार तथा अतिरिक्त निविट्टियों का उपयोग करने के लिए सुविधाएँ सुलभ करानी पड़ेगी। इस वर्ग में लघु कृदक तथा सीमात कृषक आते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न उपायों तथा नीतियों का अध्ययन हम पिछले एक वर्षायां में कर चुके हैं।

वेरोज़गार नियोजित लोगों की निर्धनता को दूर करने के लिए प्रभावी शक्ति संगठन तथा सम्पत्ति व भूमि सुधारों की आवश्यकता होगी। जबकि वेरोज़गारों के लिए घन्ये की अवस्था करनी पड़ेगी या उनके लिए उत्पादन-साधनों का समान वितरण करना पड़ेगा। आने वाले अनेक वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में मानव-शक्ति के सासाधनों का उपयोग कृषि-विकास, सड़क-निर्माण, ग्रामीण गृह-निर्माण तथा ग्राम्य सुविधाएँ सुलभ कराने सबधी कार्य-क्रमों तथा परिवोजनाओं में किया जा सकेगा। वेरोज़गारों को दूर करने से सक्षमिता नीतियों का अध्ययन हम बाद में करेंगे। पहले समस्या के फ़ैलाव का विवेचन करेंगे।

१२.६ वेरोज़गारी के अनुभान

(१) उपरोक्त परिच्छेद में 'वेरोज़गारी' का अनुभान लगाने के लिए विभिन्न कर्सोंटियों का अध्ययन किया गया है। कई बार इनका सयोजन भी किया जा सकता है। संक्षेप में उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है : - (१) काम के कारण वेकार (२) निर्धन (आय-वेरोज़गारी) (३) अधिक काम के लिए इच्छुक (४) वेकार तथा निर्धन (५) वेकार व इच्छुक (६) निर्धन व इच्छुक (७) वे जो वेकार भी हैं, निर्धन भी हैं और अधिक काम करने के लिए तैयार भी हैं। अतिम वर्ग के लोगों की सहायता अन्य वर्गों की अपेक्षा सबसे कम होती है। निर्धनों की सहायता वेकारों से अधिक होती है और सब बेकार अतिरिक्त काम करने के इच्छुक नहीं होते। इसलिए रोज़गार का प्रबन्ध तो केवल उन व्यक्तियों के लिए करने की आवश्यकता होगी जो काम करने के इच्छुक हों। इसी प्रकार सब निर्धन भी काम करने के इच्छुक नहीं होते। सबसे उत्तम नीति यह है कि सर्वप्रथम काम के इच्छुक निर्धन वेकारों को रोज़गार सुलभ कराया जाए।

इच्छा (वित्तिगनेस) की धारणा वेरोज़गारी की समस्या को वास्तविक परिप्रेक्ष्य में धाँकने में सहायता करती है और समस्या के परिमाण को कम करती है। संक्षेप में वेरोज़गार व्यक्ति वह है जो निवेश अवधि में, सामान्य श्रतिमान से कम समय के लिए अर्जक काम करता हो और अधिक काम करने का इच्छुक हो। राष्ट्रीय संम्पत्ति सर्वेक्षणों का आधारभूत इष्टिकोण यही है। वेरोज़गारी से सर्वधित धाँकड़ों का अध्ययन नीचे किया जा रहा है।

ग्रामीण भारत में वेरोज़गारों के सरकारी अनुभानों के दो स्रोत हैं : - दशवर्षीय जन-गणनाएँ तथा राष्ट्रीय संम्पत्ति सर्वेक्षण (नेशनल संम्पत्ति सर्वेज N. S. S.)। १९५१ की जनगणना में केवल तीन राज्यों के लिए वेरोज़गारों के धाँकड़े इकट्ठे किए गए। १९७१ की जनगणना में वेरोज़गारों का कोई स्पष्ट वर्ग नहीं है। इसलिए १९६१ की जनगणना ही इस समस्या पर कुछ प्रकाश डालती है।

१९६१ की जन-गणना में दो निर्देश-प्रबंधियां ली गई—चारहमासी कार्य के लिए निर्देश-प्रबंधि १५ दिन रखी गई जबकि मौसमी कार्य के लिए कार्यशील मौसम (वर्किंग सीजन) निर्देश-काल रखा गया। यही कारण है कि १९६१ के वेरोजगारी के आंकड़े अव-प्रावक्तित (अन्डर एस्टीमेटेड) हैं।

राष्ट्रीय संम्पल सर्वेक्षण (N. S. S.) ६वें चक (१९५५) से वेरोजगारी पर आंकड़े संश्लेषित रहता रहा है। अन्तिम चक २५वें के आंकड़े पूर्णतः उपलब्ध नहीं हैं। चौहवें चक (१९५५-१९५६) से लेकर इकीमवें चक तक रा. सै. सर्वे की निर्देश-प्रबंधि 'एक सप्ताह रही है। इनसे पहले चकों में यह अवधि एक दिन, एक वर्ष, एक सप्ताह भी रही है। इन सर्वेक्षणों में निम्न प्रकार के आंकड़े एकत्र किये गये :—

- (१) अम शक्ति (अर्जंक-नियोजन, पूर्णतः वेरोजगार, कुल)
- (२) अर्जंक (कमाऊ) नियोजित व्यक्तियों का समय-विश्लेषण

सारणी १२.४ शास्त्रीय भारत में वेरोजगारी के अनुमान

वर्ष	वेरोजगार	वेरोजगारी						
		अनुमानित वर्ष शक्ति	वर्ष	प्रतिशत	संख्या	वर्ष	प्रतिशत	संख्या
१९६१	१५.६० करोड़	अर्जंक		१५ १४	पूर्ण		०.७६	करोड़
		पूर्ण	५८.०२	८.७८	पूर्ण		०.७६	करोड़
		गम्भीर			गम्भीर			
		अल्प	२०.३२	३.०८	अल्प	५.५२	०.८४	"
		परिमित			परिमित			
		अल्प	२०.४४	३.०६	अल्प	४.०२	०.६१	"
					कुल		२.२१	करोड़
१९७१	१६.८७ करोड़	अर्जंक		१६.०४	पूर्ण	४.१६	०.८३	करोड़
		पूर्ण	४.१६	०.८३	करोड़			
		गम्भीर						
		अल्प	५.५४	१.१०	"			
		परिमित						
		अल्प	३.४७	०.६६	"			
					कुल	१३.१७	२.६२	"

नोट : १९६१ में दो गई प्रतिशतवारे नियोजित धन की है जबकि १९७१ में दो गई प्रतिशतवारे कुल वर्ष शक्ति की है।

दोगँ : वेरोजगारी के सम्बन्धित कृषि विशेषज्ञों की समिति दर कार्यकारी वर्ष के नवम्बर १९७२ के प्रतिवेदन में एन. एस. एस. प्रतिवेदन १००, १५६, ११४ तथा १४० में उद्दूत।

- (i) २८ घटे या इससे कम काम करने वाले या गंभीर अल्पनियोजित
- (ii) २६ घटे से ४२ घटे तक काम करने वाले अर्थात् परिमित नियोजित
- (iii) ४२ या ४२ घटों से अधिक काम करने वाले : पूर्ण रोजगार
- (३) अधिक काम के लिए लम्बे श्रम शक्ति : (i) गंभीर अल्पनियोजित तथा (ii) परिमित नियोजित कामगारों में से ।

ये सब आंकड़े कुल जनसंख्या या कुल श्रम-व्यक्ति की प्रतिशतताओं में दिये गये हैं। सारणी १२.४ में ग्रामीण भारत में पूर्णतः वेरोजगार, गंभीर अल्पनियोजित तथा परिमित नियोजित के अनुमान दिये गये हैं। १९६१ के अनुमानों के लिए चौदहवें, पंद्रहवें, सोलहवें तथा सप्तद्वें चक्रों के आंकड़ों की औसत का प्रयोग किया गया है जबकि १९७१ के अनुमानों के लिए १७वें, १६वें तथा २१वें चक्रों से प्राप्त आंकड़ों की औसत नी गई है। वेरोजगार वे ही माने गये हैं जो अधिक काम करने के लिए इच्छुक हैं।

सारणी १२.४ में दिए गए आंकड़े ग्रामीण लोगों में वेरोजगारी का न्यूनतम परिमाण है। १९६१ में १ करोड़ ६० लाख व्यक्ति पूर्ण वेरोजगारी तथा गंभीर अल्प वेरोजगारी से पीछे ये जबकि १९७१ में इनकी संख्या १ करोड़ ६३ लाख थी। १९७१ में २ करोड़ ६२ लाख ग्रामीण व्यक्ति रोजगार के लिए लम्बे थे।

यदि वेरोजगारी को तुल्य श्रम वर्षों में मापा जाए तो १९६१ में वेरोजगारी को दूर करने के लिए १ करोड़ ५० लाख श्रम-वर्षों का कार्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। इसी प्रकार १९७१ में ग्रामीण लोगों में १.६८ करोड़ अभन्वर्षों के तुल्य वेरोजगारी थी। ध्यान रहे कि यह परिमाण केवल उन लोगों तक सीमित है जो अधिक काम के लिए लम्बे हैं। वेरोजगारों का समग्र परिमाण बहुत अधिक है।

यदि सारा वेरोजगार-श्रम अकुणल हो तो २.५० रु० प्रति श्रम दिन की मजदूरी के हिसाब से ३०० दिन (अर्थात् एक श्रम वर्ष लाये) की मजदूरी ७५० रुपये होगी। इस प्रकार १.६८ करोड़ अभन्वर्ष कार्य के लिए मजदूरी का कुल विल तगड़ग १४.८५ करोड़ रुपये होगा। यदि वेरोजगारों को न्यूनतम वाचित मजदूरी पर अर्जक काम प्रदान करने के लिए ऐसी परियोजनाओं को भी चालू किया जाए तिनका कम से कम ७५ प्रतिशत व्यय अकुणल-श्रम की मजदूरी पर हो, तो भी उपरोक्त परिमाण में कार्य प्रदान करने के लिए परियोजना-व्यय १९६० करोड़ रुपये वार्षिक होगा। यदि श्रम-दिन की मजदूरी ३ रु० हो तो यह परिव्यय २३७६ करोड़ रुपये वार्षिक होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि सब इच्छुक व्यक्तियों को अर्जक काम प्रदान करने के लिए अगले पाँच वर्षों में कम से कम १०,००० करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेगे।

(ii) प्रति व्यक्ति उपयोग-व्यय तथा रोजगार-स्तर—उपरोक्त धारणा पर आधारित अनुमानों की आलोचना करते हुए योजना आयोग द्वारा १९६८ में स्वायित विशेषज्ञ समिति ने अपनी आरम्भिक रिपोर्ट में लिखा है—“.....इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सारे वर्ष के लिए पूर्ण या तुनी वेरोजगारी बहुत ही कम होती है परन्तु मौसमी वेरोजगारी तथा अल्प रोजगार बहुत अधिक है। अल्प रोजगार की विशालता का प्रश्न महत्वपूर्ण है परन्तु इसका अभन्वर्षों को इकाइयों में मापन अनुपयुक्त है, व्योकि अल्परोजगार वाले व्यक्तियों का

आपस्तर, उनके द्वारा इच्छित अतिरिक्त काम का स्वरूप तथा वे शर्तें जिन पर धन काम के लिए लम्ब्य हैं, भी समस्या के प्रासंगिक विषय हैं।”

इसी तर्क के आधार पर, डाढ़ेकर तथा रेख ने अपनी पुस्तक ‘पावर्टी इन इण्डिया’ (इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल बीकली, १९७१) में ‘वेरोज़गारी के विस्तार’ के विषय का विवेचन करते हुए लिखा है……“जैसे कि समिति का मत है यदि सारा वर्ष खुली बेरोज़गारी की अपेक्षा अल्प रोज़गार प्रधान विषय है और यदि इसके मापन में अल्प-नियोजित व्यक्तियों की आप एक प्रासंगिक पक्ष है तो उपमोक्ता-व्यय के आँकड़ों से देख में अल्प रोज़गार के विस्तार का मापन किया जा सकता है।”

हम प्रथम अध्याय में इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि ग्रामीण भारत में ४० से ५० प्रतिशत जनसंख्या ‘निर्धनता-रेखा’ से भी नीचे के स्तर पर निर्वाह कर रही है। इस पर टिप्पणी करते हुए डाढ़ेकर तथा रेख ने लिखा है ‘कि इस स्थिति का इसके सिवाय और क्या कारण हो सकता है कि इस जनसंख्या के अभजीवी सदस्य अल्प-नियोजित हैं।

भारत सरकार द्वारा १९६२ में स्थापित एक अध्ययन भड़ल ने पहले सिफारिश की थी कि १९६०-६१ की कीमतों पर वाढ़नीय निर्धनतम उपमोक्ता-व्यय २० हॉ प्रति मास (अथवा २४० हूपये प्रति वर्ष) प्रति व्यक्ति होना चाहिए। १९६०-६१ में लगभग २१ करोड़ लोग इस स्तर से कम स्तर पर निर्वाह कर रहे थे। इनमें से निर्धनतम १० प्रतिशत जनसंख्या के बारे में योजना आयोग (चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना, १९६४-७४) का भुक्तान है कि ‘जनसंख्या का यह अवधि (निर्धनतम दम प्रतिशत) अधिकाश दीनहीन, असमर्थ, पेशन प्राप्त करते वालों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों से निर्मित है जो आर्थिक मक्कियता की धारा में पूर्णतः भाग नहीं लेते। उनको आप तथा उनके जीवन स्तरों में अर्थव्यवस्था में सबूद्धि के फलस्वरूप कोई सुधार होने की प्रत्याशा नहीं है जबतक कि उन्हें कोई विशेष सहायता न दी जाए। शेष ६० प्रतिशत जनसंख्या उत्पादन तथा रोज़गार में सबूद्धि में सीधे लाभान्वित होने की आशा कर सकती है।

डाढ़ेकर तथा रेख का तर्क है कि यदि निर्धनतम १० प्रतिशत जनसंख्या को, जिन्हें योजना आयोग के भुक्तान के अनुसार अतिरिक्त रोज़गार की अवाद सामाजिक सहायता की आवश्यकता है, घोड़ भी दिया जाए ‘तो कम से कम ३० प्रतिशत ग्राम जनसंख्या (जो निर्धनतम रेखा से कम स्तर पर रह रही है) की निर्धनता का कारण इसके अभजीवी सदस्यों के पास पर्याप्त रोज़गार का अवाद है’। उनका कहना है कि ‘प्रति व्यक्ति उपमोक्ता-व्यय के न्यूनतम वाढ़नीय स्तर के राष्ट्रीय प्रतिमान की स्वीकृति स्वत ही हमें आप के रूप में रोज़गार के पर्याप्त स्तर के राष्ट्रीय प्रतिमान को प्रदान करती है’।

‘यदि नह मान लिया जाए कि इस ३० प्रतिशत जनसंख्या के निम्न स्तर का कारण पर्याप्त रोज़गार का अवाद है’ तो प्रश्न उठता है कि ‘इस जनसंख्या को न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त कराने के लिए कितना अतिरिक्त रोज़गार प्रदान करना पड़ेगा।’ संक्षेप में वह राशि जिसके मूल्य का अतिरिक्त रोज़गार प्रदान करना पड़ेगा, ताकि ग्रामीण जनसंख्या (निर्धनतम १० प्रतिशत को घोड़कर) न्यूनतम वाढ़नीय स्तर प्राप्त कर सके, अल्प-रोज़गार (या अल्प बेरोज़गारी) का माप है।

डांडेकर तथा रेंथ ने इस जनसंख्या को न्यूनतम निर्वाह प्रदान करने के लिए अतिरिक्त रोज़गार के रूप में उनमें अल्प वेरोज़गारी के विस्तार का प्रावकलन किया है। उनका अनुमान इस घारणा पर आधारित है कि ग्रामीण भारत में १६६०-६१ की कीमतों पर न्यूनतम वाद्यनीय प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय का राष्ट्रीय स्तर १८० रुपये प्रति वर्ष होना चाहिये। १६६०-६१ की कीमतों पर प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोक्ता-व्यय ३२४ रुपये होना चाहिए। डांडेकर तथा रेंथ के अनुसार निर्धनतम १० प्रतिशत जनसंख्या को छोड़ कर अगली ३० प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या (१२.८५ करोड़) का १६६०-६१ से औसत वार्षिक उपभोक्ता व्यय २६० रु० था। इसलिए इस जनसंख्या के लिए औसत व्यय को ३२४ रु० के न्यूनतम व्यय तक लाने के लिए ६४ रु० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की अतिरिक्त आय की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कहने का अभिप्राय यह है कि इस जनसंख्या को निम्नतम वाद्यनीय स्तर तक पहुँचाने के लिए (१२.८५ × ६४) अर्थात् ८२४ करोड़ रुपये के तुल्य का अतिरिक्त रोज़गार प्रदान करना पड़ेगा और यही १६६०-६१ में (अर्थात् बोधी योजना के आरम्भ में) व्याप्त ग्रामीण वेरोज़गारी तथा अल्प वेरोज़गारी की माप है। सक्षेप में लगभग ८०० करोड़ रुपये के तुल्य अतिरिक्त रोज़गार के निर्माण करने की आवश्यकता होगी।

योजना ग्रायोग ने (१६६०-६१ कीमतों पर) २४० रु० प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष न्यूनतम वाद्यनीय उपभोक्ता-व्यय की सिफारिश की थी। बी. एस. मिन्हस ने अपने एक अध्ययन में २०० रुपये प्रति वर्ष को 'निर्वन्ता रेखा' माना है। यद्यपि ये सिफारिशों स्वेच्छ (अर्थात् मनमर्जी की) हैं परन्तु इन बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि डांडेकर-रेंथ का अनुमान अव-प्रावकलित दिखाई देता है। उपरोक्त स्तरों के आधार पर डांडेकर-रेंथ के अध्ययन के सदर्न में संशोधित अनुमान सारणी १२.५ में दिए गए हैं-

सारणी १२.५ न्यूनतम वाद्यनीय उपभोक्ता स्तर प्रदान करने हेतु अतिरिक्त आवश्यक राशि (३० प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या) (१६६०-१६६१)

(१६६०-६१ की कीमतों पर)

क्रमांक	प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय स्तर बोझत न्यूनतम वाद्यनीय	प्रति व्यक्ति अधीष्ट राशि	निर्धन जनसंख्या	कुल अधीष्ट राशि
१	२६० रुपये * ३२४	६४	१२.८५ करोड़	८२२.४ करोड़ रु०
२	२६० रुपये ३६०	१००	१२.८५ करोड़	१२८५.० "
	२६० रुपये ३६६	१३६	१२.८५ करोड़	१७४७.६ "
४	२६० रुपये ४३२	१७२	१२.८५ करोड़	२२१०.२ "

* १. डांडेकर-रेंथ अनुमान

२. १६६०-६१ कीमतों पर वाद्यनीय स्तर क्रमशः १८० रु०, २०० रु०, २२० रु०, २४० रु० प्रतिवर्ष है।

सारणी १२.५ में यदि प्रथम (डांडेकर-रेंथ) अनुमान अव-प्रावकलित (ग्रन्डर एस्टीमेटेड) माना जाए तथा अतिम अनुमान अधिप्रावकलित हो तो दूसरे व तीसरे अनुमान उपयुक्त दिखाई देते हैं क्योंकि ये अनुमान राठ सं० सर्वेक्षण के वेरोज़गारी के अनुमानों से मेल खाते

है। हम पुनः उसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लोगों की अत्यधिक रोजगारी और रोजगारों की समस्या के समाधान हेतु प्रतिवर्ष कम से कम २००० करोड़ रुपये के तुल्य भवितव्य रोजगार का निर्माण करना पड़ेगा। रोजगारी की परिभाषा कुछ भी हो, समस्या की गम्भीरता में कोई अन्तर नहीं आता।

१२.७ रोजगार-नीति

थ्रम-शक्ति में बृद्धि के साथ-साथ उसके अनुरूप रोजगार अवसरों का द्रुत विस्तार हमारी नीति का तात्कालिक व्यव होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हमें उन समस्याओं का समाधान करना होगा जो रोजगार-संबृद्धि को प्रभावित करते हैं। वे तत्त्व हैं : जनसंख्या संबृद्धि दर तथा भाग-प्रहण-दर, निवेश दर तथा तकनीकी परिवर्तन।

जहाँ तक थ्रम-शक्ति के सदर्म में जनसंख्या की संबृद्धि-दर को कम करने का प्रश्न है, इससे अगले १५-२० वर्षों में थ्रम-शक्ति के प्रवेश दर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। १५-२० वर्षों में थ्रम-शक्ति में प्रवेश लेने वाले लोगों का जन्म हो चुका है। इसलिए इस दिशा में किये गये प्रयासों का १५-२० वर्ष के बाद ही कोई प्रभाव होगा। जहाँ तक प्रवेश-दर को कम करने का प्रश्न है, वर्तमान परिस्थितियाँ इसके विपरीत हैं। स्त्री शिक्षा का प्रसार, भारी भौगोलिक, उपभोग के उच्च स्तरों की प्रत्याशा, संयुक्त परिवार-प्रथा का खड़न आदि कारक प्रवेश दर को बढ़ाते हैं। हाँ, जहाँ तक हो सके वज्रों को थ्रम-शक्ति से बाहर रखना चाहिए। यही कारण है कि २० संम्प्ल सर्वों के अनुमानों में थ्रम-शक्ति १५-१६ वर्ष आयु वर्षों से निर्मित है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि थ्रम-शक्ति के प्रवेश-दर को बहुत कम प्रभावित किया जा सकता है।

इसलिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि निवेश-संबृद्धि दर को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। साय ही रोजगार संबृद्धि-दर को बढ़ाने के लिए तकनीकी परिवर्तन के स्वरूप तथा दर को भी प्रभावित करना होगा। वेरोजगारी के वर्तमान उच्च स्तरों पर सादी गई तेजी से बढ़ रही थ्रम-शक्ति की तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए आर्थिक विकास, विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नवीन टॉपिकों को अपनाने की जरूरत है। पुराने टॉपिकों पर अपर्याप्ति है। पिछले कुछ वर्षों में अल्पविकसित देशों में ग्रौद्योगिक रोजगार में बृद्धि की दर आद्योगिक उत्तरादेश में बृद्धि की दर से आधी रही है। फलस्वरूप आय-संबृद्धि-दर अपर्याप्त रही है और इसका लाभ भी चढ़ पूँजीपतियों तथा अधिक नेतृत्व वाले पट्टों पर कारबंद करने वाले थोड़े-से व्यक्तियों को रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि अधिक रोजगार प्रदान किया जाए और आय का व्यापक वितरण हो। इस उद्देश्य के लिए एक विशाल कार्य-गारन्टी विपक्ष कार्यक्रम की रखना इस प्रकार से करनी होगी जिससे स्थायी उत्पादक-परिसम्भवति का निर्माण हो सके।

व्यापर रहे कि विनिर्माण तथा सेवा-उद्योग ही विस्तारित रोजगार के मुख्य अन्तिम स्तर होने चाहिए। हृषकों की तेजी से बढ़ती ही ही आय के फलस्वरूप ग्रौद्योगिक उपभोक्ता-पदार्थों की मीठ बढ़ेगी और इन उद्योगों में निवेश हेतु अधिक वचतों से ग्रौद्योगिक रोजगार में व्यापक संबृद्धि को ग्रोत्साहन मिलेगा। लघु उद्योगों का तेज विस्तार रोजगार में बृद्धि का एक

अत्यधिक प्रभावो साधन है। सिलाई मशीनें, साइकिलें, ट्राजिस्टर रेडियो, कृपि यन्त्र तथा अन्य छोटे औजार पूर्णतः या अंशतः लघु उद्योगों में निर्मित किये जा सकते हैं। लघु उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा प्रति इकाई पूँजी अधिक नौकरियाँ प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त कृपि-क्षेत्रक में समठित पूँजी बाजार तथा निवेश प्रधान कीमत तथा राजकीय नीतियों की अनुपस्थिति में, लघु उद्योग कृपि-क्षेत्रक में छोटी बचतों को जुटाने की दक्ष विधि प्रस्तुत करते हैं।

परन्तु जबतक औद्योगिक आधार मुहूर नहीं हो जाता और बड़े व सघु उद्योगों का पूर्ण विकास नहीं हो जाता उस समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में मानव शक्ति-साधनों का उपयोग कृपि-विकास के कार्यक्रमों, सड़क विकास-परियोजनाओं, गृह-निर्माण तथा ग्राम सुविधाओं को प्रदान करने हेतु कार्यक्रमों में करना पड़ेगा। जबतक लाखों परिवार कृपि-विकास-कार्यक्रमों में भाग लेकर सतत प्रयास नहीं करते, कृपि-उत्पादन में बृद्धि को तेज कर पाना कठिन है।

अल्प रोजगार की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जहाँ वैज्ञानिक कृपि को व्यापक रूप में अपनाने की आवश्यकता है वहाँ ग्राम्य आर्थिक सरचना को सुदृढ़ करने तथा इसके विविधीकरण की भी जरूरत है। कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास, गाँवों की अर्थव्यवस्था को नगरीय केन्द्रों से सम्बद्ध करना, परिकरण उद्योगों की सहकारी आधार पर स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में नये उद्योगों को चालू करना कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हे तेज करने की आवश्यकता है। ग्राम-विद्युतीकरण के विस्तार से इन्हें बढ़ावा मिलेगा।

जहाँ एक और इस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाए, वहाँ दूसरी और सब ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक तथा विस्तृत निर्माण कार्य शुरू करने की जरूरत है। शाम-निर्माण कार्य का व्यापक कार्यक्रम अतिरिक्त रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि देश के तेज आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध बृहद् मानवशक्ति का उपयोग करने के लिए भी एक जरूरी साधन है।

कृपि-मंवद्धि की द्रुत दर के संदर्भ में ग्राम लोक निर्माण-कार्यक्रम रोजगार-विस्तार की उत्तम समावनाएँ प्रस्तुत करते हैं। अम प्रधान लोक-निर्माण कार्यों पर प्रतिफल-दर काफी प्रधिक होनी है और ये देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं।

देश के ग्रनेक भागों में, व्यस्त कृपि मौसमों में प्राय थ्रम का अभाव अनुभव किया जाता है परन्तु वर्ष के अधिकांश भाग में कृपि-थ्रमिकों तथा सम्बद्ध कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों को बहुत बड़ी संख्या के पास अविराम काम नहीं होता। अत ग्रामीण क्षेत्रों में वेरोजगारी तथा अल्प रोजगारी साथ-साथ विद्यमान हैं और उनके बीच अतर रेखा खीचना कठिन है। यह भी व्यान रहे कि वेरोजगारी की समस्या उन क्षेत्रों में अधिक विकट है जहाँ जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है और जहाँ स्थानीय साधनों के अल्प विकास के कारण उत्पादिता-स्तर न्यून है। इसके अतिरिक्त भारत में कृपक-कृपि-प्रथंव्यवस्था चानू है और कृपक द्वारा स्वनियोजन को महत्व देना उसकी गतिशीलता को कुप्रभावित करता है। वे काम के लिए गाँव को छोड़ना पसन्द नहीं करेंगे जबतक कि उनकी परिस्थितियाँ उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य न करदे। उपरोक्त घट्यव्यय के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि

- (१) सर्वप्रथम रोजगार उन अल्पविकसित क्षेत्रों में प्रदान करना होगा जहाँ जनसंस्था का धनत्व अधिक है।
- (२) रोजगार उस समय सुलभ कराना होगा जिस समय कृपकों के पास करने को कोई काम न हो अर्थात् कृपकों को कार्याभाव- (मन्दी) अवधि के लिए रोजगार की जरूरत होती है।
- (३) जहाँ तक सम्भव हो रोजगार गाँव में या गाँव के समीप दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर भी पहुँचते हैं कि अल्प-विकसित क्षेत्रों में ग्राम्य निर्माण कार्य रोजगार के उत्तम अवसर प्रदान करते हैं। जहाँ एक और ये अल्प रोजगार की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकते हैं, वहाँ वे स्थानीय संसाधनों को विकसित कर समग्र तमुच्चाय के लिए उत्पादक परिसम्पत्ति का निर्माण कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कार्यालय कर सकते हैं।

एक ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम ग्राम-रोजगार के अवसर भी प्रदान कर सकते हैं और अधिक कृषि-उत्पादन के लिए उन्नत सुविधाओं का भी निर्माण कर सकते हैं। लघु सिचाई, सिचाई हेतु क्षेत्र-नालियाँ, भू-सरक्षण, भूमि-समतलन, जन निकास प्रणालियाँ, बाड़-निरोध, तालन-निर्माण, सड़क-परियोजनाएँ, मटियों का विकास आदि कार्यक्रमों का प्रतिफल काफी अधिक होता है और वे फसल के स्थिर उत्पादन को सुनिश्चित करते हैं। ऐसा अनुभान है कि एक साधारण कच्ची सड़क के निर्माण से परिवहन-लागतों में ७० से ८० प्रतिशत तक कमी हो जाती है। ग्राम्य निर्माण-कार्य-परियोजनाएँ अपनी लागत को चन्द्र वर्षों में ही पूरा वही कर लेंगी बल्कि वेरोजगार व्यक्तियों को बहुत-मा रोजगार भी मिलेगा।

इससे पूर्व कि हम उद्देश्य हेतु निमित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति का अध्ययन करें, यह बात ध्यान रखने योग्य है कि कृषि में प्रत्येक अल्पनियोजित व्यक्ति को निर्माण-कार्यक्रमों में रोजगार देने की आवश्यकता नहीं। केवल उन्हीं लोगों को पूर्ण रोजगार देने की आवश्यकता है जिनके जाने से शेष को पर्याप्त काम मिल जाएगा। यदि २० प्रतिशत ग्रामीर अल्पवेरोजगार व्यक्तियों को पूरे समय का रोजगार दिया जा सके तो शेष लोगों की वेरोजगारी स्वतः समाप्त हो जाएगी।

१२.८ पंचवर्षीय योजनाएँ तथा रोजगार

(क) अल्पविकसित जनाधिक्य वाले देशों में रोजगार के अवसरों में बृद्धि करना ग्राम्यक आयोजन का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। पहली योजना के अन्तिम प्रतिवेदन में योजना आयोग ने वेरोजगारी की समस्या का उल्लेख करते हुए लिखा है 'ऐसे कृषि-कामगारों की बृहत् सूच्या की विद्यमानता जिनके पास धारित व स्थिर रोजगार का अभाव है और जो प्रायः भासाजिक ग्रामीणों से पीछित है वर्तमान कृषिक व्यवस्था में ग्रामीर कमज़ोरी तथा अस्थिरता का कारण है।'

वेरोजगारी देश में ध्याप्त निधनता की ही जड़ नहीं है बल्कि ग्राम्यक विषमता का भी मूल कारण है जिससे अनेक ग्रामीर राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याएँ उठ सड़ी होती हैं। इसलिए किसी भी देश के ग्राम्यक विकास हेतु रचित व्यूहरचना में इस समस्या को उपेक्षा

नहीं की जा सकती। दूसरी योजना के मसौदे में लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए योजना आयोग ने लिखा है :

“विकास का क्रम और आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की होती चाहिए जिससे न केवल राष्ट्रीय आय और रोज़गार के अवसरों में काफी बढ़ोतारी हो बल्कि विभिन्न वर्गों की आय में समानता आए और किसी वर्ग विशेष के पास धन इकट्ठा न हो……… आर्थिक विकास का लाभ समाज के कमज़ोर वर्गों को अधिकाधिक पहुँचे और आय, धन और आर्थिक शक्ति कुछ ही लोगों के हाथ में न रह कर, समाज के बड़े माम के हाथ में हो।”

सम्पत्ति, आय और आर्थिक शक्ति को कुछ ही हाथों में केन्द्रित होने से रोकना और इसे अधिक से अधिक लोगों में वितरित करना तथा रोज़गार और शिक्षा की वेहतर व्यवस्था के द्वारा सामान्य लोगों और कमज़ोर वर्गों की दशा में सुधार करना—सामाजिक न्याय और समानता के दो मुख्य पहलू हैं।

जहाँ तक सम्पत्ति, आय और आर्थिक शक्ति को कुछ ही हाथों में केन्द्रित होने से रोकने तथा इसके सम्यक् वितरण का प्रयत्न है—दो प्रकार की नीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। प्रथम यह कि उत्पादन के साधनों का सम्यक् वितरण किया जाए अर्थात् उन सब लोगों में, जो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, कृषि-भूमि का सम्यक् वितरण किया जाए तथा अर्थव्यवस्था में वर्तमान उत्पादन-सरचना के उपयुक्त टैक्नॉलॉजी को अपनाया जाए। दूसरी नीति यह है कि उत्पादन के साधनों का सम्यक् वितरण किए बिना आय का सम्यक् वितरण किया जाए।

अधिक रोज़गार प्रदान करने के सदर्म में यह कहना उचित होगा कि पहली दो योजनाओं में प्रथम वर्ग की नीतियों को कार्यान्वित करने पर अधिक बल दिया गया है और आय के सम्यक् वितरण की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। इन योजनाओं में रोज़गार अवसर देने हेतु जो नीतिया अपनाई गई हैं, उनमें भूमि-मुदार, भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण तथा कालतू भूमि का भूमिहीनों में वितरण, पारपरिक ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन तथा उनके उपयुक्त टैक्नॉलॉजी का आविष्कार तथा उपयोग मुख्य हैं।

जहाँ तक उपलब्ध भूमि के भूमिहीन तथा निर्धन वर्गों में वितरण का प्रयत्न है, हम पिछले अध्याय में इसका विस्तृत विवेचन कर चुके हैं। पिछले अनुभव के आधार पर और हमारे अध्ययन के प्रतिशेष्य में यह कहा जा सकता है कि इस नीति से उन लोगों का कोई विशेष भला होने वाला नहीं है और इन नीतियों के कार्यान्वयन में बड़े परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वास्तव में इससे निर्धनता की यह विशाल समस्या हट नहीं हो सकती। दूसरी ओर इस नीति से कृषि में हाल की प्रीवीडिगिय प्रगति के फलस्वरूप होने वाले कृषि-विकास को घक्का पहुँचेगा। यह नीति समस्या का आशिक रूप में हल सिद्ध हो सकती यदि वितरण से उन लोगों को लाभ पहुँचाया जा सके जिनकी जोते प्रतिरिक्त भूमि मिलने पर आर्थिक ही सकेगी। कहने का अभिप्राय यह है कि उत्पादन के साधनों का वितरण उत्पादक-प्रकृति का होना चाहिये।

इसी प्रकार पहली तथा दूसरी योजना में ग्रामोद्योगों द्वारा रोज़गार की उच्च समावनाओं के महत्व को स्वीकार किया गया और समस्या के समाधान हेतु इन पर योचित व्याप

दिया गया। परन्तु प्रनुभव से यह पता चलता है कि बेरोजगारी को समस्या इन्हीं विशाल है कि केवलमात्र इन उपायों द्वारा उसे हल नहीं किया जा सकता। इसलिए इस समस्या के समाधान हेतु हमारी नीति आय के सम्बन्ध के वितरण पर आधारित होनी चाहिए। इसके लिए यह चर्चा है कि उन सब साधन रहित लोगों को जो एक न्यूनतम मजदूरी पर काम करने के लिए तंत्रज्ञान हैं, अर्जक रोजगार की गारंटी प्रदान की जाए।

(ख) तीसरी योजना में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया कि बड़े तथा छोटे उद्योगों, कृषि तथा आर्थिक व सामाजिक सेवाओं के विकास के कार्यक्रमों के साथ-साथ ग्राम्य निर्माण कार्य का भी बड़े पैमाने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। ग्राम्य निर्माण-कार्यक्रम को विशेषकर घने आवाद क्षेत्रों में अल्परोजगार वाली अवधि के लिए उन कृषि-क्षेत्रों में चलाया जाएगा। जबकि काम की कमी होती है।

योजना के अनुमार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्माण कार्यक्रम निम्न वर्गों के कावों से रचित होना था :

- (१) वे परियोजनाएँ जो राज्यों तथा स्थानीय सम्बंधियों की योजनाओं में सम्मिलित की गई हैं और जिनमें अकुशल तथा अद्विकुशल श्रम का उपयोग होगा।
- (२) कानून के अनुरूप समुदाय अधिकारी फायदा पाने वालों द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्य।
- (३) वे विकास कार्य जिनमें स्थानीय लोग अम दान देंगे जबकि कुछ सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी।
- (४) वे योजनाएँ जो ग्राम-समाज की लाभकारी परिस्थिति के निर्माण में सहायक हैं।
- (५) अधिक बेरोजगारी से प्रभावित क्षेत्रों में संगठित की जाने वाली अनुप्रूपक कार्य-योजनाएँ।

जहाँ तक वर्ग २, ३, ४ में उल्लिखित कार्य-योजनाओं का सम्बन्ध है, वे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की सामान्य योजनाओं का भाग हैं और सीमित मजदूरी रोजगार प्रदान करते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर मजदूरी रोजगार वर्ग १ तथा वर्ग ५ के अन्तर्गत आने वाले कावों द्वारा प्राप्त होगा।

अतः ग्रामीण कावों की अतिरिक्त योजना के लिए दो प्रकार के मुख्य वर्ग हैं जिनमें अकुशल तथा अद्विकुशल श्रम का उपयोग किया जा सकता है।

- (i) खद तथा गाँव के स्तर पर स्थानीय कार्य तथा
- (ii) वे बड़े कार्य जिनमें विनायों द्वारा तकनीकी निरीक्षण तथा प्रायोजन की आवश्यकता है।

इन योजनाओं में अधिक बहु इस पर दिया जाना था कि कार्य ऐसे हों जिनमें अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके जैसे सदूच-निर्माण, लघु सिचाई-योजनाएँ, भूमि-सुरक्षण, ग्राम्य गृह निर्माण, ग्रामीणोंग व संघु उद्योग आदि।

इस बात का भुमाव मी दिया गया कि ब्नाक स्तर पर इन निर्माण कावों के लिए निर्माण-संगठन तथा अधिक महकारिताएँ गठित की जाएँ। ये संगठन-सम्बन्धीय वर्गों का भड़ार कर सकती हैं, ठेका से सकती हैं, मावश्यक तकनीकी तथा प्रशासनिक सहायता प्राप्त

कर सकती हैं; प्रशिक्षित तथा कुशल कामगारों को संगठित कर सकती हैं तथा जिता अधिकारियों, पचायत समितियों तथा ग्रन्थ के सहयोग में काम कर सकती हैं।

यह भी निश्चय किया गया कि इन विकास कार्यों में लगते वाले कामगारों को उचित मजदूरी मिलेगी।

निर्माण कार्यों के गठन का अनुभव प्राप्त करने के लिए ३४ प्रायोगिक परियोजनाएँ (पाइलट प्रोजेक्ट) चालू की गईं। इनके अनुभव के आधार पर कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लागू करने का विचार था। आशा थी कि पहले वर्ष एक लाख व्यक्तियों को इन कार्यों से रोज़ग़ार मिलेगा। दूसरे वर्ष में ४ लाख व्यक्तियों को, तीसरे वर्ष में १० लाख व्यक्तियों को तथा अन्तिम वर्ष में २५ लाख व्यक्तियों को इन निर्माण-कार्यों में रोज़ग़ार दिया जा सकेगा। सारे कार्यक्रम पर १५० करोड़ रुपये परिव्यय का अनुमान था। परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण प्रत्याशित प्रयास न किये जा सके। ग्राम्य निर्माण-कार्यों के लिए १५० करोड़ रुपये के स्थान पर केवल १६ करोड़ रुपये ही उपलब्ध किए जा सके। योजना के अन्तिम वर्ष में केवल ४ लाख व्यक्तियों के लिए वर्ष में १०० दिन के लिए काम दिया जा सका। १६६७-६८ तथा १६६८-६९ की वार्षिक योजनाओं में इन कार्यों पर ११ करोड़ रुपये का व्यय किया गया। इन योजनाओं के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि कार्यक्रम विशाल सासाधनों तथा प्रयासों की माँग करता है। कार्यक्रम को ठोस आधार पर मुद्द़ तथा पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

(ग) चौथी योजना तथा ग्राम्य निर्माण-कार्य—पहली योजना के आरम्भ में वेरोज़गारों की कुल संख्या का अनुमान ३३ लाख था। पहली तीन योजनाओं के दौरान श्रम शक्ति में ३ करोड़ ८० लाख व्यक्तियों की वृद्धि हुई जबकि नौकरियों की संख्या में ३ करोड़ १५ लाख (२ करोड़ २५ लाख कृषीतर-सेवक में तथा ६० लाख कृषि क्षेत्रक में) की वृद्धि हुई। इस प्रकार तीसरी पचवर्षीय योजना के अन्त में वेरोज़गारों की संख्या १८ लाख थी। चौथी योजना में श्रम-शक्ति में २ करोड़ ३० लाख की वृद्धि होने का अनुमान है जबकि १ करोड़ ६० लाख अतिरिक्त नौकरियों के उत्पन्न होने की समावना है। अतः १६७३-७४ के अन्त में वेरोज़गार लोगों की संख्या लगभग १ करोड़ ३८ लाख हो जाएगी। इस प्रकार चौथी योजना की अवधि में श्रम-शक्ति में नेट वृद्धि तथा सभावित उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त रोज़ग़ार में ४० लाख का अन्तर था। “यदि रोज़ग़ार में इस प्रत्याशित अन्तर को ग्राम्य निर्माण-कार्यक्रम द्वारा पाटा जाना था तो कार्यक्रम इतना बढ़ा अवश्य होना चाहिए जो ४० लाख व्यक्तियों को कम काम वाले कृषि मौसमों में काम प्रदान कर सके।”

इस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम को मुद्द़ बनाने के लिए तथा ठोस आधार पर चलाने के लिए चौथी योजना के मसौदे में ये मुझाव दिए गए :

(१) ग्राम निर्माण-कार्यों के सिए क्षेत्र चुनते समय प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जानी चाहिए जो अल्पविकसित हों और जहाँ काफी वेरोज़गारी हो—अर्थात् जहाँ मद सबृद्धि और जनसंख्या के अत्यधिक दबाव के कारण कृषि तथा ग्राम-विकास को तेज़ करने हेतु उपलब्ध मानवशक्ति को उत्थयोग करने का विस्तृत क्षेत्र विद्यमान हो।

(२) यद्यपि ग्राम निर्माण कार्यक्रम एक प्रकार का अनुपूरक कार्यक्रम है परन्तु वास्त-

विक कार्यान्वयन में इसे ज़िला व खड स्तर के विकास कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। कार्यों का चुनाव करते समय स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। उद्देश्य वह होना चाहिए कि जहाँ तक हो सके फालतू मानव-शक्ति का उपयोग स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुधृढ करने के लिए किया जाए। अमावस्या द्वेषों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

(३) चुनिन्दा द्वेषों में, निर्माण-कार्यक्रम उत्पादक-प्रकृति के छोटे कार्यों से निर्मित होना चाहिए। लघु सिंचाई, भू-सरक्षण, बन-रोपण, आमीण सङ्को आदि कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(४) आमीण युवकों के निर्माण हेतु नवीन कौशल का प्रशिक्षण दिया जाए और श्रम-सहकारिताओं के गठन को ग्राम निर्माण-कार्य के साथ सम्बद्ध किया जाए।

(५) क्योंकि इस कार्यक्रम में होने वाले छोटे-छोटे निर्माण कार्य घनेक गाँवों में फैले होंगे। इसलिए कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भए है कि इसका कार्यान्वयन कितनी दक्षता तथा तीव्रता से होता है। इस हेतु पर्याप्त सगठन का निर्माण करना होगा। विभिन्न गाँवों तथा खण्डों में चलने वाले कार्यों के सचालन का उत्तरदायित्व ज़िला स्तर पर होना चाहिए।

कार्यक्रम के लिए केवल ६५ करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई। क्योंकि रोजगार सम्बन्धी इन कार्यक्रमों को कृषि-विकास के सम्प्र कार्यक्रम का ही एक माग मान लिया गया, इसलिए आम्य निर्माण कार्यक्रम के लिए काफी राशि विकास की अन्य स्वीकृत मर्दों से प्राप्त है। अब इस सम्बन्ध में संचालित कुछ विशेष कार्यक्रमों का विवरण दिया जा रहा है।

(१) सूखाप्रस्त क्षेत्र-कार्यक्रम (ड्राउट प्रोन एरियाज प्रोग्राम : D. A. P. A.)—यह कार्यक्रम इस समय ५४ ज़िलों में चालू है। इसका मुख्य उद्देश्य उन शुष्क क्षेत्रों में जहाँ सासाधनों का अभाव है ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करना और साथ ही ऐसी उत्पादक परिस्पत्ति का निर्माण करना है जिससे अनावृटि (सूखा) के प्रभावों का ह्रण किया जा सके। इस कार्यक्रम को निरोधक तथा उपचारक दोनों रूपों में कार्य करना था। उपचारक इसलिए कि अभाव-प्रस्त क्षेत्रों में राहूत कार्यों के लिए पहले ही प्रयोजन किया जाएगा तथा निरोधक इस रूप में कि भूमि तथा श्रम की उत्पादिता में बढ़ि हेतु किये गये विकास-कार्य अतः अभाव को हरने में योग देये। आरम्भ में बल थमप्रधान स्थायी सिविल कार्यों के निर्माण पर था। कार्यक्रमों की मास्टर योजनाएं राज्यों द्वारा इस आधार पर बनाई जानी थीं जिन्हें भावी अभाव की प्रवधियों में क्षेत्रों के सामान्य विकास के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जा सके। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सबसे बड़ी रुकावट सासाधन-विभवों के बारे में आधारभूत विस्तृत सूचना का प्रभाव है। हाल ही में एक नया कार्यक्रम आम्य इजीनियरिंग सर्केशण चालू किया गया है जो समवतः सासाधन-स्थिति पर प्रकाश ढाल सकेगा।

यह अनुभव किया जा रहा है कि सूखे की समस्या का दीर्घकालिक आधार पर समाधान करना होगा। अल्पकालीन उपाय समस्या का स्थायी हल नहीं है। योजना की रचना ज़िला या खड के स्तर पर क्षेत्र की आवश्यकताओं के सदर्भ में की जानी चाहिए, न कि राज्य के

स्तर पर। इस विषय का विश्लेषण हम आगे चल कर करेंगे।

(ii) ग्रामीण रोज़गार का त्वरित कार्यक्रम (प्रौद्योगिक स्तर कार्यक्रम एम्प्लायमेंट : C. S. R. E.)—अभी तक किसी ऐसी योजना की रचना नहीं हुई थी जिससे सारे देश में ग्रामीण रोज़गार पर थोड़ा-सा प्रभाव भी डाला जा सके। इस कमी को ध्यान में रखते हुए १९७१-७२ में ग्रामीण रोज़गार से सम्बन्धित एक त्वरित (कॉश) कार्यक्रम का श्रीगणेश किया गया। इस योजना का मुख्य ध्येय प्रत्येक घट में १०० व्यक्तियों के लिए या प्रत्येक ज़िले में १००० व्यक्तियों के लिए सारे वर्ष के लिए निर्माण-कार्यों पर रोज़गार प्रदान करना था। इस प्रकार प्रत्येक ज़िले में प्रतिवर्ष २.५ लाख श्रम दिन (१००० व्यक्तियों के लिए २५० थम-दिन) के कार्य का निर्माण करना था। उद्देश्य यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को निम्नतम जीवन-स्तर पर निर्बाह करने के लिए ऐसा रोज़गार दिया जाए जिससे उसे एक सी स्थिर मासिक प्राप्त हो सके।

योजना का एक अन्य लक्ष्य स्थानीय विकास योजनाओं के सामजस्य में स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्ति का निर्माण करना था ताकि थम-प्रधान परियोजनाओं द्वारा ज़िले के समग्र विकास में सहायता दी जा सके। ये परियोजनाएँ सड़क-निर्माण, घू-विकास, लघु उचित, बनरोपण, स्कूल इमारतों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण से सम्बन्धित हो सकती हैं। स्तरीय के निर्देशों में यह बताया गया है कि वरित ग्रामीण निर्माण कार्य ज़िले में उन स्थानों पर चालू किए जाएंगे (i) जहाँ लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमात कृषक तथा कृषि-थमिक एजेंसी, सूखा प्रभावित लघु जोतदार स्तरीय ग्रामीण कोई विशेष कार्यक्रम लागू न हो, (ii) जहाँ सूमिहीन श्रम की प्रतिशतता तथा वेरोज़गारी का प्रभाव भैक्षकाकृत अधिक हो तथा (iii) जो अपेक्षाकृत कम विकसित हों। योजना में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि जहाँ एक और ग्रामीण लोगों के लिए रोज़गार उत्पन्न करने की ज़रूरत है वहाँ दूसरी ओर इस बात को सुनिश्चित करने की भी ग्रावस्यकता है कि उनके श्रम का फल टिकाऊ हो और जिलों के विकास में सहायक भी हो।

१९७१-७२ में इस योजना पर ५० करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान था परन्तु केवल ३२.३७ करोड़ रुपये व्यय हुए। अनुमान है कि कार्यक्रम में द करोड़ २० लाख श्रम दिनों के रोज़गार का निर्माण किया गया। स्तरीय को बौद्धी योजना में सम्मिलित कर लिया जाय है और योजना के अन्तिम दो वर्षों के व्यय की पूर्ति के लिए १०० करोड़ रुपये के परिचय की व्यवस्था की गई है।

स्तरीय की सफलता या असफलता पर स्पष्ट रूप में कुछ कहना अनी संभव नहीं है। ग्रामीण रोज़गार त्वरित योजना के अधीन १५ खुने हुए खण्डों में एक प्रायोगिक सघन ग्रामीण रोज़गार परियोजना (पाइलट इन्टैंसिव रूरल एम्प्लायमेंट प्रोजेक्ट P. I. R. E. P.) चानू की गई है ताकि सम्बन्धित प्रश्नों का उचित रूप में प्रध्ययन किया जा सके।

परन्तु इस कार्यक्रम के पिछले दो वर्षों के कार्यान्वयन से प्राप्त सीमित अनुभव से पता चलता है कि इस योजना के लाभों को सारे ज़िले में वित्त रूप में पहुँचाने का प्रयास किया गया है। वैसे भी यदि ग्रामीण भारत में वेरोज़गारों को भारी संख्या के लदमें व परिप्रे क्षय में इस योजना के लक्ष्यों का प्रध्ययन किया जाए, तो इसे एक थोड़ा-सा प्रयोग ही

कहा जा सकता है। जबतक भारी तथा भरपूर प्रयास न किए जाएंगे, इस योजना का ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव स्पष्ट नहीं होगा। बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए वहे प्रयासों की आवश्यकता होती है। हाँ, इस योजना के परिणामों के आधार पर एक विशाल योजना की रूप रेखा की रचना की जा सकती है। इतने छोटे पैमाने पर चलाई गई कोई भी योजना कुछ व्यक्तियों को थोड़े दिनों के लिए रोजगार प्रदान कर सकती है परन्तु आर्थिक विकास के प्रक्रम में सहायक नहीं हो सकती।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक क्षेत्र की परिस्थितियाँ तथा आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं और किसी भी योजना को देश के सब क्षेत्रों में एक समान लागू नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार प्रत्येक जिले के लिए समान राशि का निर्धारण तर्कसंगत नहीं है। कहने का अनिप्राय यह है कि रोजगार सबधी योजनाएँ व कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने चाहिए।

इसी प्रकार रोग का उपचार करने से पूर्व रोग का निदान आवश्यक है। कई क्षेत्रों में वेरोजगारी का कारण सिचाई-सुविधाओं का अभाव या अदृश्य जल-प्रबन्धन या आवारिक संरचना (सड़कों, रेलवे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य-सुविधाओं आदि) का अभाव है। सिचाई होने से एक से अधिक फसलें उपजाई जा सकती हैं और अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। देखना यह है कि कौन-सा उपाय किया जाए जिससे स्थायी रूप में लोगों की अधिक रोजगार प्राप्त हो सके। कान्ता आहूजा ने अपने एक लेख (एप्रिल-मैर्च १९७३) में इस समस्या का सुन्दर विश्लेषण किया है। 'राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जहाँ रोजगार प्रदान करने हेतु बन रोपण, सड़क तथा बध-निर्माण आदि कई कार्य किए गए हैं, स्थिति में कोई अतर नहीं आया। जल के अभाव में झाड़ियाँ कैसे हरी भरी रह सकती हैं। कुछ समय के बाद बनाई गई सड़के रेत के नीचे दब जाती हैं और सारा क्षेत्र पहले की तरह ही मरुस्थल बन जाता है। कान्ता आहूजा का कहना है कि 'इस क्षेत्र की वास्तविक समस्या जल की है, अतः इस क्षेत्र को रोजगार कार्यक्रम की बताय जल प्रबन्ध के एक जोरदार कार्यक्रम की आवश्यकता है। दक्षिणी राजस्थान के लिए भी समस्या जल-तंसाधनों के उचित सदोहन की है ताकि दूसरी फसल सभव हो सके। यहाँ आवारिक संरचना भी विकसित नहीं है। जो छोटी ग्रामीण सड़के कैंश कार्यक्रमों या राहत कार्य-योजनाओं में बनाई गई, वे अगली वर्ष ज्वान में बह गईं। पूर्वी राजस्थान में वाहतुकिय क समस्या जनस्वास्थ्य का घनत्व है।' कहने का अनिप्राय यह है कि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी-अपनी विशिष्ट समस्याएँ हैं और रोजगार-योजना इन समस्याओं के समाधान की योजना का अग होनी चाहिए। अस्थायी मुमीवत के समय राहत एवं रोडनार-योजनाओं को चानू करना ही होता है।

(घ) पांचवीं योजना तथा रोजगार—पांचवीं पंचवर्षीय योजना की परिकल्पना में कहा गया है कि "प्रत्येक व्यक्ति के लिए आय का न्यूनतम स्तर निर्धारित करने का लक्ष्य तभी पूरा किया जा सकता है जब उपयोगी रोजगार के अधिकतम ग्रबसर उपलब्ध करने का कार्यक्रम तैयार किया जाए। पांचवीं योजना में सामाजिक सेवाओं के विस्तृत कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक रोजगार की व्यवस्था के प्रस्तुत को यदि घोड़ा दिया जाए, तो अधिक रोजगार

उपलब्ध करने वाले विकास-कार्यों में ये कार्यक्रम आते हैं :— (१) लघु सिंचाई; (२) मू-सरकाण; (३) क्षेत्र विकास; (४) दुरधशालाएँ और पशुपालन; (५) बन-विकास; (६) मद्दली पालन; (७) गोदाम और विपणन-व्यवस्था; (८) ग्रामोदयोग तथा लघु उद्योग; (९) सड़कें तथा (१०) लघु कृषक-विकास-एजेसी, सीमात कृपक एवं कृषि श्रमिक एजेसी, गृहस्थ क्षेत्र विकास, ग्रामीण रोजगार के व्यवस्था योजना जैसे कार्यक्रम।

इन मदों में चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा (जिनमें स्थागत वित्त-व्यवस्था मी शामिल है) लगभग ३६०० के लेकर ३६०० करोड़ रुपये तक व्यव किया गया। पांचवी योजना में अधिक रोजगार देने वाले इन कार्यक्रमों तथा निम्नांग कार्यों, सड़क परिवहन, कृषि आदि कार्यों पर अधिक पूँजी लगाई जाएगी।

रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करने के सामान्य कार्यक्रमों के पूरक के रूप में शिक्षित वेरोजगारों की समस्या को हल करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने होंगे और इन दोनों क्रिस्म के कार्यक्रमों को समन्वित करना होगा। चौथी योजना में शामिल किए गए विशेष कार्यक्रम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं थे।

१४ वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा, परिवार-नियोजन तथा बच्चों के लिए पौष्टिक आहार, समन्वित सार्वजनिक स्वास्थ्य-सुविधाएँ, गावों में पीने के पानी की सप्लाई, भूमिहीन मजुदूरों को मकान बनाने के लिए जमीन, ग्रामीण सड़कें, ग्राम-विद्युतीकरण आदि न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं से सबधित कार्यक्रमों तथा उपरोक्त विकास-कार्यक्रमों ऐ अध्यापकों, लाइटरों, चिकित्सा-सहायकों, “जीनियरों, पशु-चिकित्सकों, कृषि-वैज्ञानिकों और अन्य शिक्षित वेरोजगारों को काफी रोजगार मिलेगा। इनके अलावा प्राकृतिक सम्पदा के संवर्धण के कार्यक्रमों तथा विज्ञान और ईकानालोजी के क्षेत्र में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों से भी शिक्षित लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार मिलेगा।”

पांचवी योजना के हृष्टिकोण-पत्र में रोजगार की भीति पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि ‘तेजी से विकास और विषमताओं को दूर करने के लिए अधिक से अधिक लोगों के लिए उचित और उत्पादक रोजगार देना आवश्यक है। रोजगार-नीति ऐसी होनी चाहिए, जो वेतन पर अधिक से अधिक काम देने की व्यवस्था के साथ-साथ लोगों को स्वयं अपने धर्घे जु़ूल करने का भी प्रोत्साहन दे।

काग करने का अधिकार एक मूल अधिकार है। अतः गरीबी पर हमला करने के लिए रोजगार की व्यवस्था करना समुद्र तट पर पुनित की तरह है।कृषि-ग्रोद्योगिक क्षेत्र एक विकासशील क्षेत्र है। इनके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। इसलिए कृषि तथा दुर्बल-उत्पादन, मध्यमीपालन, पशुपालन आदि सम्बद्ध क्रियाकलायों में रोजगार के और अवसर पैदा किए जाएंगे। क्योंकि कृपीतर-क्षेत्रक में रोजगार के अवसर सीमित होंगे, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई अभ्यन्तरीक्ति के काफी भाग को खेतों बाड़ी में ही खपाना होगा। ऐसा करने से कुछ परिस्थितियाँ ऐसी पैदा होंगी जिनसे लोग स्वयं अपना धन कर सकें। ऐसा या तो उत्पादन के क्षेत्र में या सामुदायिक सेवाओं के क्षेत्र में हो सकेगा। यदि दृष्टिकोण-पत्र का ध्यान से अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि वेकारी-निवारण के प्रश्न पर योजनाकारों का स्वर बहुत ऊँचा नहीं। वेरोजगारों के बारे में वे निराश लगते

है। पत्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि 'इस समस्या का हल इतना सरल नहीं है जितना कि वह लगता है।'.....पर इस समय श्रीद्योगीकरण की जो गति है उससे लोगों का अधिक संख्या में खेती बाड़ी से हट कर उद्योगों में जनना प्रायः संभव नहीं है इससे कुछ हद तक देहातों में मजबूरों की समस्या और अधिक विकट हो जाएगी।'

योजना की नीति और कार्यक्रम पर प्रकाश ढालते हुए योजना आयोग का कहना है :-

"'निर्वन्तरा रेखा' स्तर से नीचे की गरीबी को हटाने और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के दो मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो नीति भ्रष्टाचार जाएगी, वह इस प्रकार है : रोजगार की सुविधाएँ निम्नतम आवश्यकता और की पूर्ति का राष्ट्रीय कार्यक्रम, निर्धारित प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन तथा मूल्य-वेतन-आय नीति।

'योजना को कार्यान्वित करने की नीति में वे तत्त्व एक हड्ड तकं-संगत व्यवस्था से आपने भी जुड़े हुए हैं। एक की पूर्ण दृष्टि में सम्बद्ध है। यह योजनाओं का समूहमात्र नहीं है। यह एक योजना के अतिरिक्त परस्पर-सम्बद्ध कार्यक्रम है।'

'व्यवस्था गरीबी हटाने कार्यक्रम के लक्ष्य के रूप में काम से न्यूनतम आय की गारंटी देने की व्यवस्था करनी होगी, फिर भी पांचवाँ योजना के कार्य का आधार यह पता लगाना होगा कि प्रशासनिक, संस्थागत और वित्तीय प्रयत्नों को अधिकतम बढ़ाकर किस सीमा तक अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध किए जा सकते हैं।'

उपरोक्त विवेचन में सरसरी तौर पर यह आभास होता है कि पचार्हीय योजना में इस सबध में एक शान्तिक जात दुना गया है और वास्तविक समस्या को टाल दिया गया है। आलोचकों के अनुमान योजना बेरोजगारी की समस्या पर सीधे प्रहार नहीं करती। इस पर प्रहार करने के लिए अभी तक हम केवल 'ठोस आधार' की ही तलाश की जा रही है और बेरोजगारी को कह दिया गया है कि वे अभी और इन्तजार करें। जरा प्रशासनिक, घंस्थागत और वित्तीय ढाँचे को सुहृद हो लेने वीजिए।'

परन्तु देखा जाए तो योजनाकारों ने पहली बार समस्या को उसके उचित परिषेक्ष्य में देखा है। रोजगार की समस्या खंरात बौंटने या दान देने से हल नहीं होगी। इसे प्रत्येक देश के सामूहिक विकास से जोड़ना होगा ताकि समस्या का स्थायी हल प्राप्त हो सके। इस सबध में आवश्यकता यह है कि कार्यक्रमों को इमानदारी से और ठोस आधार पर लागू किया जाए। हृष्टिकोण-पत्र के अनुसार 'जहाँ तक व्यापक आधार और तेज गति से रोजगार देने के कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता-कार्यक्रम का सबध है, इन्हे लागू करने का महत्त्व स्वतः स्पष्ट है। इनके कार्यान्वयन में विलंब, अनुप्रयोग और बर्बादी से बचना आवश्यक है।'

इसी उल्लेखनीय बात यह है कि योजना आयोग इस बात के महत्त्व पर बल देता है कि कार्यक्रमों के आयोजन तथा कार्यान्वयन की व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। रोजगार कार्यक्रम की इकाई गाँव या खड़ होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है 'कि कार्यक्रम के लिए बहुस्तरीय आयोजन की प्रभावशाली प्रणाली का निर्धारण करना होगा।'

योजनाकारों ने रोजगार प्राप्त करने के लिए 'स्वनियोजन' को बहुत महत्त्व दिया है

परन्तु निम्न प्राय, बढ़ती हुई कीमतों और वित्त-संकुचन की उपस्थिति में ऐसी सभावनाएँ बहुत कम हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में अधिक रोजगार देने वाले विकास कार्यक्रमों पर लगभग ३६०० करोड रुपये व्यय होने का अनुमान है। इन कार्यक्रमों तथा पांचवीं योजना में व्यापक स्तर पर रोजगार सुलभ कराने के कार्यक्रमों के लिए इससे दुगुनी राशि खर्च की जाएगी। इसके अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों पर २८०० करोड रुपये खर्च किए जाएंगे। वे कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें बड़ी सम्भावना में लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। अत न्यूनतम आवश्यकताओं एवं ग्राम विकास सबधी कार्यक्रमों पर लगभग १०,००० करोड रुपये की आवश्यकता होगी अर्थात् प्रति वर्ष २००० करोड रुपये जुटाने होंगे। जैसे हमने पिछले परिष्क्रेद में अनुमान लगाया था यदि ये कार्यक्रम रोजगार-उन्मुख हो, तो इस समस्या का समाधान निवाल सकता है। हमारे विवेचन से इस बात का पर्याप्त सकेत मिल जाता है कि रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने और गरीबी हटाने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए कितने बड़े दैमाने पर प्रयास करना होगा। परन्तु इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए प्रशासनिक ढांचे में मूलभूत परिवर्तन करने होंगे। भ्रष्टाचार तथा अदक्षता को जड़ से समाप्त करना होगा। अन्यथा इतने अधिक परिव्यय के बावजूद न तो उत्पादन-क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होगी, त ही सार्वक आय अतरण होगा और इससे ग्रामीण क्षेत्र में विषमताएँ बढ़ेंगी।

१२६ रोजगार के अवसर तथा रोजगार-कार्यक्रमों के समर्थन हेतु धनराशि की व्यवस्था

अपने अध्ययन को समाप्त करने स पहले हम दो बातों का संक्षेप से बरांगत करेंगे। प्रथम यह कि क्या इतने लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने के लिए पर्याप्त काम मिल सकेगा? दूसरे यह कि रोजगार कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करने के लिए अतिरिक्त धन राशि कैसे जुटाई जा सकती है?

रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले धनधो का हम विस्तार से बरांगत कर चुके हैं। यहीं संक्षेप में इतना कहना काफी है कि कृषि-संवृद्धि दरों में तेज़ वृद्धि रोजगार विस्तार का तात्कालिक दो क ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर ढाल देती है। क्रीत निविष्टियों (बांधरको, कीटनाशी पदार्थों) की बढ़ती हुई मात्र तथा अनाज का बढ़ता हुआ विपणन, जो कि कृषि शक्ति के साथ साथ चलते हैं, सड़को, भूमि समतलन, सिचाई-योजनाओं तथा ग्राम-विद्युतीकरण जैसे अम प्रधान निर्माण कार्यों के प्रतिपाल दर में काफी वृद्धि करते हैं। बड़े हुए बाल्य उत्पादन के कुछ मार्ग का बड़ी हुई श्रम शक्ति का पेट भरने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अनुमान यह है कि पांचवीं योजना की अवधि में भूमि-उद्घार, लम्ह सिचाई, गृह-संरक्षण तथा सड़क निर्माण जैसे कार्यों में लगभग १२ लाख व्यक्तियों को कार्य मिलेगा। अविराम रोजगार के सदर्म में, सिचाई के विस्तार से श्रम की मात्रा में ८० प्रतिशत की वृद्धि होगी और १९७६ के बाद इससे लगभग २५ लाख व्यक्तियों को अविराम अतिरिक्त रोजगार मिलेगा।

आर्थिक संवृद्धि के कलस्वरूप बढ़ते हुए रोजगार और आय के कारण फलों, बनस्पतियों

तथा पशुधन से प्राप्त पदार्थों की मांग में ग्रनुपात से अधिक वृद्धि होती है। इनके उत्पादन तथा परिष्करण में काफी धम की ज़रूरत होती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 'हरित क्राति' के फलस्वरूप आय में वृद्धि से अकेले 'दूध' की मांग इतनी बढ़ जाएगी कि १.५० करोड़ भूमिहीन श्रमिक परिवारों के वापिक रोजगार तथा आय में ५० प्रतिशत वृद्धि के तुल्य काम प्राप्त हो सकेगा। कृषि में इन और विभिन्नों में काफी सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता होगी। ये निवेश मनुसंधान, शिक्षा, उधार तथा बाजार-विकास के रूप में होंगे। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बेकार करने वाली नीतियाँ न अपनाई जाएं। पट्टेदारों को बेदखलियों के विशद सुरक्षा-प्रदान करनी होगी। श्रमिकों को भशीनरी द्वारा ग्रलत ढग से प्रतिस्थापित न किया जाए।

विनिर्माण तथा सेवा उद्योग रोजगार के मुख्य दोषकालिक स्रोत होंगे। कूपकों की तेजी से बढ़ती हुई आय के कारण औद्योगिक उपभोग पदार्थों की मांग में वृद्धि होती है। साथ ही अधिक बचतों के कारण अन्य उद्योगों में निवेश हेतु पूँजी संचय भी होता है। इनके कारण औद्योगिक रोजगार में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

छोटे पंमाने के उद्योगों का तेज विस्तार रोजगार अवसरों में वृद्धि का प्रभावी साधन है। इनसे प्रति इकाई पूँजी अधिक नीकरियाँ प्राप्त होती हैं।

संकेत में यदि रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकें तथा इन कार्यक्रमों को ठीक ढग से लागू करने के लिए दक्ष प्रशासनिक तथा सगठनात्मक दाँचे का निर्माण किया जा सके तो इस समस्या का समाधान हो सकता है परन्तु इसमें सभी लगेगा और इसके लिए काफी प्रयास करना होगा। यह बोझ उन लोगों को सहन करना होगा जिनमें ऐसा करने की क्षमता है। निर्धनों का बोझ धनवानों को ही उठाना होगा।

हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि निवेश-दर का अधिकतमकरण रोजगार नीति का मबसे महत्वपूर्ण घटक है। निवेश हेतु अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के साधनों के बारे के समय-समय पर विशेषज्ञों ने अंतक सुझाव दिए हैं। बाजू समिति के अनुभार देश में कम से कम ७००० करोड़ रुपये का काला धन है। लगभग ८४० करोड़ रुपये की कर तथा करेतर बकाया राशि ऐसी है जो सरकार को देय है। इसी प्रकार सार्वजनिक संस्थानों के प्रबन्ध में सुधार करके लगभग ५०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। ३०० करोड़ रुपये का सहकारी क्रहण अतिरिक्त (मोबार छ्यू) है जिसकी वसूली को तेज किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि ईमानदारी से पुढ़ स्तर पर कदम उठाए जाएं तो रोजगार कार्यक्रमों के समर्थन के लिए साधन जुटाए जा सकते हैं।

डाकेकर तथा रेंय ने अपनी पुस्तक 'पॉवर्टी इन इंडिया (१९७१)' में ८६६.५ करोड़ रुपये की राशि जुटाने के लिए ठोस सुभाव प्रस्तुत किए हैं। उनका तर्क है कि प्रत्येक निर्धन व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने के लिए लगभग ८३० करोड़ रुपये प्रति वर्ष की आवश्यकता है। ऊपर वाले धनवान न्यूनतम वार्षिक स्तर से तीन चार गुना अधिक व्यय कर रहे हैं। इसलिए निर्धनों को न्यूनतम स्तर प्रदान करने का बोझ इन धनवानों को बहन करना चाहिए। उनका सुभाव यह है कि यदि सबसे अधिक ५ प्रतिशत धनी लोग अपने

व्यय में १५ प्रतिशत की कटौती करलें तथा दूसरे नम्बर के ५ प्रतिशत घनी लोग अपने व्यय में ७.५ प्रतिशत की कमी करलें तो रोज़गार हेतु निवेश के लिए ८६६.५ करोड़ रुपये (६३६.७ करोड़ ८० ग्रामीणों से तथा २२६.८ करोड़ ८० नगरीय जनसंख्या से) की राशि जुटाई जा सकती है। धनिकों के धन, निवेशों के श्रम तथा सरकार व समुदाय के आवश्यक संगठन द्वारा सामुदायिक परिसम्पत्ति का सृजन होगा जिससे धनिकों समेत सारे समाज को लाभ होगा।

समृद्ध भूस्वामियों तथा कृषकों की तेजी से बढ़ती हुई आय रोज़गार कार्यक्रमों के समर्थन के लिए एक बहुत तथा वर्धन कर-आधार प्रस्तुत करती है। हरितक्रांति से पहले भी भू-हित भव-करारोपित (अन्डर टेक्सड) थे। भारत में उपरि-आय वाले ग्रामीण लोग उसी आय वाले नगर-लोगों की तुलना में एक तिहाई कर अदा कर रहे थे।

भूमि-हितों वाले तत्व लोगों की निर्धनता के बावजूद ऊँची कूपि-कीमतें बमूल कर रहे हैं और ऐसे करों से बच रहे हैं जो कि रोज़गार-कार्यक्रमों का समर्थन कर सकते हैं। स्थानीय कृषकों पर कर लगा कर-उत्पादक सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था की जा सकती है क्योंकि इन कार्यों से वे ही सबसे अधिक साभान्वित होते।

१६७२-७३ में लगभग १६०३३ करोड़ रुपये की राष्ट्रीय आय कूपि से प्राप्त हुई है। भारत में ५ प्रतिशत बड़े ग्रामीदार (८.०६ हैक्टर से अधिक) ३६ प्रतिशत भू-क्षेत्र के स्वामी हैं। इसी प्रकार ७ प्रतिशत जोतदारों द्वारा २७ प्रतिशत भू-क्षेत्र सचालित किया जाता है। यहीं वे बड़े कृषक हैं जो कूपि-आय में कम से कम ३५ प्रतिशत का योगदान करते हैं। इन कृषकों की कुल वापिक आय लगभग ६६५० करोड़ रुपये (१६०३३ का ३५ प्रतिशत) होती है। यदि इस आय में ४५ प्रतिशत की छूट दे दी जाय तो करयोग्य कूपि आय लगभग ३६६७.५ करोड़ रुपये होती है। यदि इस आय पर १७ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत के समान दर से कर लगाया जाए तो इससे राज्य को लगभग ६४० करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। यह यथि लगभग उतनी ही है जितनी डिडिकर तथा रेंथ के अनुसार १० प्रतिशत घनी लोगों द्वारा अपने व्यय में कटौती करने से प्राप्त होती। अतः आय-कर लगाकर या व्यय-कर लगाकर इतनी राशि जुटाई जा सकती है। क्या राजनीतिज्ञ तथा प्रशासक देश को सही नेतृत्व प्रदान कर समय की कस्ती पर खरे उत्तर सकेंगे? ग्रामीण रोज़गार में विस्तार हेतु कूपि का सघन कफलतों तथा पशुधन में विविधीकरण करना होगा तथा साथ ही ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण-कार्यक्रमों का विस्तार करना होगा और इसके लिए भ्रातरिक उपलब्ध समाज-धनों का अधिकतम सदोहन तथा उपयोग करना होगा। उच्च आय-वर्गों का हित इसी में है कि वे इसमें मरपूर योगदान दे।

अध्याय १३

कृषि तथा पूँजी-निर्माण

१३.१ अर्थव्यवस्था की पूँजीगत आवश्यकताएँ

आर्थिक विकास के लिए पूँजीगत आवश्यकताएँ बहुत अधिक होती हैं। अल्प विकसित देशों में जनसंख्या तथा प्राकृतिक साधनों के सापेक्ष पूँजी का अभाव होता है जिसके कारण श्रम तथा अन्य साधनों का संदोहन तथा पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए एक विकास-शील अर्थव्यवस्था के उद्योग-क्षेत्र में पूँजी का निर्माण मार्थिक सवृद्धि के लिए अतिवार्य है। उद्योग-क्षेत्र में पिछड़ी हुई टैक्नॉलॉजी के स्थान पर नवीन तकनीक अपनाने के लिए भी पूँजी की काफी आवश्यकता होती है। कारखानों के चालू होने पर लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। पूँजी की आवश्यकता केवल फार्मेंटर रोजगार के प्रत्यक्ष मृजन के लिए ही नहीं होती वहिं शक्ति के विकास तथा उच्च शिक्षा के प्रसार आदि अनेक सहायक कार्यों के लिए भी पड़ती है। अनुमान है कि लघु उद्योग में प्रत्यक्ष रोजगार में प्रत्येक नौकरी के मृजन के लिए १०००० रु० के निवेश की ज़रूरत होती है जबकि भारी उद्योगों में प्रत्येक नई नौकरी प्रदान करने के लिए २५ लाख रुपये निवेशित करने पड़ते हैं।

अल्प आय वाले देशों में पूँजी दुर्लभ साधन है, इसके बावजूद प्रत्यक्ष निवेश की प्रतिफल-दर बहुत न्यून है। परिवहन, सचार तथा शक्ति का अभाव कामबद्धी का कारण बनते हैं कुशल मानव-शक्ति तथा प्रशासन के अभाव में पूँजी के उपयोग की दक्षता में कमी आती है। परन्तु परिवहन, सचार तथा शक्ति के विकास तथा शिक्षण व प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार के लिए भी तो पूँजी की ज़रूरत होती है।

वास्तव में निम्न आय वाले देशों में पूँजी के सदर्भ में अल्पकालिक कल्याण-कार्यों तथा दीर्घकालिक कल्याण-कार्यों में संघर्ष होता है। उदाहरणतः 'चर' (आवास) व्यक्ति की न्यू-नतम आवश्यकता है। निम्न आय वाले वर्ग के लिए 'जनता टार्फ' के नगरीय मकान की सागत नगरग परिवहन दस-बारह हजार रुपये है। लघु उद्योग में 'एक नौकरी' का मृजन करने के लिए भी इतनी ही राशि का निवेश करना पड़ेगा। बौन-से कार्य के लिए पूँजी जुटाई जाए? यदि 'रोजगार' के दीर्घकालिक व्यय को प्रायमिकता दी जाए तो नगरीय प्रावास (गृह निर्माण) की उपेक्षा करनी पड़ेगी। इससे नगरों में स्वास्थ्य की ममस्थाएँ उठ खड़ी होंगी जो श्रम को अदक्ष बना देंगी और श्रीदोगीकरण की गति मद हो जाएगी।

इसके भवित्विक्त कृपि के विकास व आधुनिकीकरण के लिए नवीन टैक्नॉलॉजी अर्थात् क्रीड़-निविष्टियों तथा नव-कियाओं का उपयोग ज़रूरी है जिसके लिए काफी पूँजी निवेश की आवश्यकता होगी।

आर्थिक विकास के लिए पूँजी तीन स्रोतों से प्राप्त हो सकती है : (१) विदेशी सहायता (२) विदेशी वाणिज्यिक निवेश (३) घरेलू बचतें ।

विदेशी सहायता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे घरेलू खपत पर विना दबाव पड़े पूँजी प्राप्त होती है । शुल्क-शुल्क में निम्न आय वाले अल्पविकसित देशों में जटिल मशीनरी तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति देशीय स्रोतों से प्राप्त नहीं होते । इनके लिए इन देशों को विदेशी सहायता पर निर्भर होना पड़ता है । परन्तु विदेशी सहायता के परिणामस्वरूप उत्पन्न राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिबद्ध देश के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं । वैसे भी विदेशी सहायता की अधिकता सहायता-प्राप्त देशों के लिए कोई गोरख की बात नहीं है ।

जहाँ तक विदेशी वाणिज्यिक निवेशों का सबध है, वे भी एक प्रकार के विदेशी ऋण ही हैं जिन्हे अतिरिक्त व्याज सुमेत लौटाया जाना होता है । विकास के आरभिक चरणों में विदेशी निवेश अधिक परिमाण में उपलब्ध नहीं होता क्योंकि उस अवस्था में उस पर प्रतिफल-दर बहुत ही कम होता है । शुल्क-शुल्क में विदेशी वाणिज्यिक निवेश खनिज-निष्कर्षण (मिनरल ऐक्सट्रैक्शन) तथा अन्य ऐसे उद्योगों के लिए भीमित होता है जिन्हे विदेशी ही ढुला सकते हैं । विनिर्माण-उद्योग में विदेशी-निवेश के समर्थन में बड़े परिमाण में देशीय निवेश की भी आवश्यकता है और किसी भी देश के आर्थिक विकास में इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती । संक्षेप में बड़े अल्पविकसित देशों में अधिकांश पूँजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति को व्यवस्था घरेलू स्रोतों से ही की जानी चाहिए । यहाँ संक्षेप में यह भी जान लेना चाहिए कि 'पूँजी-निर्माण' से क्या अनिप्राप्य है ।

'पूँजी-निर्माण' वह राशि है जो वर्ष के दौरान (१) सकल स्थायी परिसम्पत्ति अर्थात् भूमि, इमारतें, संयंशो व मशीनरी तथा (२) कच्चे माल, तंयार माल तथा प्रक्रियाधीन काम के स्टॉक में निवेशित की जाती है । संयुक्त राष्ट्र सांश्यकी कार्यालय के अनुसार देशीय पूँजी निर्माण देश के बर्तमान उत्पादन तथा आपात का वह भाग है जिसका लेखा-अवधि में उपभोग या निर्यात नहीं किया जाता और जिसे पूँजीगत माल के स्टॉक में बूढ़ि के लिए पृथक् रखा जाता है ।

नेट पूँजीनिर्माण भावी उत्पादन के लिए उपलब्ध अचल पूँजी (इमारतों, निर्माण कार्यों, उपस्करों व मशीनरी) तथा कार्यशील पूँजी (उत्पादकों के स्टॉक) में बूढ़ि को व्यक्त करता है ।

पूँजीरी निर्माण में इस बात की आवश्यकता होती है कि सभाज अपनी बर्तमान उत्पादक सक्षियता का एक भाग तात्कालिक उपभोग के लिए प्रयोग में लाए तथा एक भाग वास्तविक (वस्तुरूप) पूँजीगत माल के बनाने में लगाया जाए ।

संक्षेप में पूँजी निर्माण भावी उपभोग के लिए आय को बचाना तथा निवेशित करना है ।

यदि अल्प-आय वाले देश विदेशी सहायता समावित राजनीतिक तथा आर्थिक दबावों के कारण नहीं लेना चाहते या विदेशी निवेश को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते तो उन्हें अपने समाधनों पर ही टेक रखनी पड़ेगी । इन देशों में पूँजी निर्माण के लिए घरेलू बचत तथा

निवेश-दरों को बढ़ाने की आवश्यकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सबूद्धि के लिए बचत तथा निवेश की आवश्यकता है। बचत चालू आय का वह भाग है जिसका उपभोग नहीं किया जाता बल्कि जिसका भावी आय के उच्च स्तर का निर्माण करने के लिए निवेश किया जाता है। सक्षेप में अधिकतम संबूद्धि का अर्थ है—बचतों तथा निवेश का अधिकतम करणा।

१३.२ निवेश तथा बचत

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सबूद्धि की दर तथा इसके स्वरूप में सुधार करने के लिए अनेक उपाय करने पड़ेंगे।

प्रथम अनिवार्यता निवेश के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने की है विशेष करके सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसा करना बड़ा ही चाहीरी है। निवेश-प्रयास के अस्फीतिकारी वित्तीयन (नाँत इनप्लेशनरी फाईनेंसिंग) को बढ़ावा देने के लिए अग्रताप्राप्त क्षेत्रकों (प्रायरिटी सेंटर) में प्रतिष्ठापित क्षमताओं (इनस्टाल्ड कैपेसिटीज) के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना चाहीरी है। उद्योग के अतर्गत अप्रणीत क्षेत्रकों के विकास द्वारा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में बूद्धि को रोका जा सकता है जिनकी बाजार लाभकारिता तो अधिक है परन्तु सामाजिक मूल्य अधिक नहीं है। कृषि में धान्य-उत्पादन में बूद्धि के साध-साध दालो, गन्ना, कपास तथा पटसन जैसी अन्यान्य फसलों के उत्पादन में भी काफ़ी बूद्धि करने की आवश्यकता है। अतः पृथ्वी उपजाने वाले क्षेत्रकों में तेज प्रगति के अनुरूप शक्ति तथा परिवहन जैसी अनिवार्य सेवाओं में भी विस्तार करना पड़ेगा।

सबूद्धि की प्रथम आवश्यकता निवेश-दर को बढ़ाने की है। निवेश-दर बाजार कीमतों पर निवल (नेट) निवेश तथा निवल (नेट) आतरिक (देशीय) उत्पाद के बीच अनुपात को कहते हैं।

$$\text{निवेश दर} = \frac{\text{नेट निवेश (चालू कीमतों पर)}}{\text{नेट आतरिक उत्पाद (चालू कीमतों पर)}}$$

धरेलू सप्ताहनों के तुटाव के आधार पर निवेश दर में बूद्धि करने के लिए बचत दर में बूद्धि करना नितात आवश्यक है। इसलिए बचत-प्रयासों का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक बचत-दर की बूद्धि करना होना चाहिए। सार्वजनिक बचतों के स्तर में बूद्धि दो शर्तों के अधीन सम्भव है—

(१) नेट देशीय उत्पाद में नेट सार्वजनिक प्रयोज्य आय (नेट पब्लिक डिसपोजेक्शन इनकम) के भाग में बूद्धि होनी चाहिए।

(२) नेट सार्वजनिक प्रयोज्य आय में सार्वजनिक उपभोग के भाग में कमी होनी चाहिए।

पहली शर्त को पूरा करने के लिए निम्न तरीके अपनाये जा सकते हैं:—

(१) राष्ट्रीय आय में कर राजस्व के अनुपात को बढ़ाया जाए।

(२) सार्वजनिक क्षेत्र उपादान-प्राय में बूद्धि हेतु उपयुक्त उपाय किए जाएं।

तथा (३) निजी क्षेत्रकों दी जाने वाले उपदानों (सबसिडीज) की सीमा को कम किया जाए।

दूसरी शर्त को पूरा करने के लिए भ्रान्तावश्यक सार्वजनिक उपभोग में बूद्धि को कम करना होगा।

नेट देशीय उत्पाद में सार्वजनिक प्रयोज्य आय के अनुपात में बढ़ि समग्र बचत दर को तभी बढ़ा सकती है यदि सार्वजनिक क्षेत्रक की सीमात बचत-दर निजी क्षेत्रक की अपेक्षा अधिक हो। अतः सार्वजनिक क्षेत्रक में बचत की उच्च सीमात दर बचत व्यूहरचना का अनिवार्य तत्व है।

सार्वजनिक बचत घरेलू बचतों को बढ़ाने का ज़रूरी तथा बाध्यनीय साधन है। इसके अनेक लाभ हैं।

(क) यदि निजी से सार्वजनिक प्रयोज्य आय की ओर अंतरण समाज में घनी वगों की कोमल पर हो और यदि ऐसी मर्दों पर सार्वजनिक उपभोग पर प्रतिबंध लगाये जाएँ जिनका लोगों की भताई में कोई योगदान नहीं है तो उस दशा में सार्वजनिक बचत अर्थव्यवस्था के बचत-दर को बढ़ाने की सबसे न्यायसंगत तथा सम्यक् युक्ति होगी।

(ख) निजी बचतों में निजी परिसम्पत्ति का निर्माण होता है और अधिकाश बचत समृद्ध वगों द्वारा को जाती है इसलिए इससे आय तथा धन की असमानता बढ़ती है। दूसरी ओर सार्वजनिक बचत समुदाय की सामूहिक आय तथा धन को बढ़ाती है और इस प्रकार संवृद्धि तथा सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण साधन है।

(ग) सार्वजनिक बचत में नियोज्य निवियों का सूजन तथा जुटाव साथ-साथ होता है। बचतों का उच्च अमर्ताप्राप्त निवेश में लगाना कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता। निजी बचतों विशेषकर परिवार बचतों का जुटाव तथा निवेश कठिन समस्याएँ प्रस्तुत करता है। सार्वजनिक बचत के निम्न दर का परिणाम यह होगा कि सार्वजनिक निवेश के वित्तीयत हेतु सार्वजनिक क्षेत्रक को निजी बचतों से काफी राशि लेनी पड़ेगी। जबकि सार्वजनिक बचत की उच्च दर से सार्वजनिक क्षेत्रक अपने निवेश के अधिकाश के लिए स्व-वित्त की व्यवस्था कर सकेगा।

सार्वजनिक बचतों सार्वजनिक निगमित बचत (पब्लिक कॉरपोरेट सेविंग) तथा सामान्य सरकारी बचत से निर्मित हैं। भारत में पद्धति सार्वजनिक निगमित क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है परन्तु सार्वजनिक निगमित बचतों नगण्य ही रही हैं।

सार्वजनिक बचत पर बल देने का अर्थ निजी बचत के महत्व को कम करना नहीं है। वास्तव में निजी बचत कुल बचत का बहुत भाग है और भविष्य में भी निजी बचत कुल बचत का प्रमुख भाग रहेगी। इस सदर्भ में समस्या के दो पहनू हैं (१) निजी उपभोग की कीमत पर निजी बचत के प्रवाह को बढ़ाना तथा (२) इस प्रवाह का स्वीकृत निवेश-प्राय-मिकताओं के उद्देश्यपूर्ति के लिए पुनः उपयोग करना।

निजी बचत निगमित बचत (कॉरपोरेट सेविंग), सहकारी बचत तथा परिवार बचत से निर्मित है। इसमें भी निगमित क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र का अशादान बहुत ही कम है और परिवार-बचत ही निजी बचत का प्रमुख भाग है। भविष्य में भी यही क्षेत्र अधिकतम अशादान देने की सम्भावनाएँ प्रस्तुत करता है।

अन्तिम विस्तेवण में हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की निवेश-बचत-समस्या वास्तव में नेट देशीय उत्पाद के विन्यास की पुनर्रचना (रिस्ट्रक्चरिंग) की समस्या है। पर्याप्त संवृद्धि प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि नेट देशीय उत्पाद का अधिक भाग नेट

निवेश के उपयोग में लाया जाए। बतंगान अवस्था में हमें काफ़ी सेवाओं तथा वस्तुओं का आवाहन करना पड़ता है और इससे तथा भुगतान संतुलन के अन्य घटकों से होने वाले घाटों को विदेशी सहायता से पूरा करना पड़ता है। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह ज़रूरी है कि इस घाटे को पूरा करने के लिए अपने नेट देशीय उत्पाद में से अधिक से अधिक वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात किया जाए तथा विदेशों की पूँजी परिशोधन-प्रदायणियों (कैपिटल अमोटिजेशन पैमेट्स) तथा बढ़ती हुई निवेश-माय की प्रदायणियों को प्रदा किया जा सके। नेट देशीय उत्पाद के अधिक अनुपात को नेट निवेश में निविष्ट करने के लिए तथा पदार्थों व सेवाओं को नेट आवाहन को पर्याप्त निर्यात अधिकार में बदलने के लिए सार्वजनिक तथा निजी उपयोग में निविष्ट होने वाले नेट देशीय उत्पाद के अनुपात में कमी करनी होगी। यही निवेश-बचत समस्या का सार है।

भारत में निवेश-दर, बचत-दर तथा कर-राजस्व के नेट देशीय उत्पाद के साथ अनुपात के आंकड़े सारणी १३.१ में दिए गए हैं।

**सारणी १३.१ भारत में निवेश, बचत तथा कर-राजस्व अनुपात
(नेट देशीय उत्पाद की प्रतिशतताओं में)**

वर्ष	निवेश दर	बचत दर	कर-राजस्व अनुपात
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
१९६०-६१	१२	८.६	८.६
१९६५-६६	१३.४	११.१	१३.३
१९६८-६९	६.५	८.४	—
१९६९-७०	६.२	८.४	—
१९७०-७१	६.६	८.३	१२.८
१९७१-७२	८.६	८.२	—
१९७३-७४*	१३.१/१३.७	११.६/१२.२	
१९७५-७६*	१६.३	१५.७	
१९८०-८१*	१५.६/१७	१६.५/१८	१८.५

* प्रक्षेप (प्रोजेक्शन)

स्रोत : चतुर्थ योजना—मन्त्रालयीय समीक्षा, फरवरी, १९७२ चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना (ड्राफ्ट आउट लाइन) मार्च, १९६६. पीबीयोजना का प्रारूप

उपरोक्त अध्ययन को ध्यान में रखते हुए हम सारणी १३.१ में दिए गए आंकड़ों का इस प्रकार विश्लेषण कर सकते हैं :

- (i) निवेश-दर—१९६०-६१ में निवेश दर १२ प्रतिशत था। १९६५-६६ में पर्याप्त तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में यह १३.४ प्रतिशत के चरम स्तर पर पहुँच गया। अगले तीन वर्षों में यह गिर कर १९६८-६९ में ६.५ प्रतिशत तथा १९६९-७० में ६.२ प्रतिशत हो गया। चौथी योजना के प्रक्षेपानुसार १९७३-

७४ में नेट निवेश-दर ११.१ प्रतिशत होगा। यहाँ १६७३-७४ तथा १६८०-८१ में नेट देशीय उत्पाद के विन्यास का उल्लेख करना उपयोगी होगा।

सारणी १३.२ नेट देशीय उत्पाद का विन्यास (भारत)

क्रमांक	मद	१६७३-७४ प्रतीप	१६७३-७४ प्रत्याशित	१६८०-८१ प्रतीप	वाचित वृद्धि या घटना (+/-)
	,	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
१. नेट-निवेश	१३.१	११.१	१५.६	+४.५	
२. सार्वजनिक उपभोग	६.८	१०.७	८३.८	-५.५	
३. निजी उपभोग	७७.६	७८.६			
४. नेट निर्यात	- (०.५)	- (०.४)	+ (०.३)	+ ०.७	
कुल	.	१००.०	१००.०	१००.०	

स्रोत : अनुमं पचवर्षीय योजना मध्यावधि सूच्याकान, फरवरी, १६७३.

१६७४-७५ से १६८०-८१ की व्यवधि में नेट देशीय उत्पाद के विन्यास के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए नेट-निवेश तथा पदार्थों व सेवाग्रो के निर्यात के अश में कमशः ४.८ तथा ०.७ प्रतिशत को वृद्धि करनी होगी जबकि सार्वजनिक तथा निजी उपभोग में ५.५ प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, चौथी योजना की शेष अवधि के अन्तर को भी पाठना होगा। यह इस दशक के दौरान अभीष्ट निवेश-बचत प्रयास का परिमाण है।

(ii) बचत दर—बचत दर भी १६६५-६६ में चरम स्तर पर थी। १६६५-६६ में बचत दर ११.१ प्रतिशत थी जबकि १६६८-६९ में यह कम होकर ८.४ प्रतिशत हो गई। चौथी योजना के प्रक्षेपानुसार १६८०-८१ के अन्त तक घरेलू बचत-दर निवेश-दर से अधिक हो जाएगी। लक्ष्य यह है कि १६८०-८१ के बाद विदेशी सहायता की आवश्यकता न पड़े तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। १६७१-७२ में बगला देश के शरणार्थियों व सूखा तथा बाढ़ राहत कार्यों पर काफ़ी अतिरिक्त राशि व्यय होने के कारण बचत-दर गिर गई परन्तु विदेशी सहायता के कारण निवेश-दर में कोई कमी नहीं आई।

१६७३-७४ में ४१ प्रतिशत की सार्वजनिक बचत-दर नियत की गई थी, परन्तु चौथी योजना के पहले दो वर्षों में इस दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ। १६७०-७१ में सार्वजनिक बचत की दर १.१ प्रतिशत थी। १६८०-८१ के अन्त तक सार्वजनिक बचत के अशादान को नेट देशीय उत्पाद के ६.२ प्रतिशत के तुल्य करना होगा।

निजी बचत में नियमित बचत नेट देशीय उत्पाद का केवल १.१ प्रतिशत है। इसमें वृद्धि करने के लिए नियमित क्षेत्र का विस्तार करना होगा। मध्यम उद्यमियों को उचित प्रोत्साहन मिलना चाहिए तथा समुक्त क्षेत्र-सकलना की पूर्ण सभावनाओं का विदेशीन करना चाहिए। यद्यपि व्यापक तथा व्यापक सहकारी सेवक तेजी से बढ़ रहा है परन्तु सहकारी बचत बहुत कम है। सहकारी क्षेत्र का विकास भी प्रमाणी बचत व्यूहरचना का महत्वपूर्ण अग्र हो सकता है।

निजों बचतों में प्रमुख योगदान परिवार-बचतों का है। परिवार-बचत की वर्तमान दर परिवार-प्रयोज्य-आय का केवल ७-८ प्रतिशत है। १९६०-६१ तक नेट देशीय उत्पाद में परिवार बचत की दर ८% प्रतिशत रखी गई है। परिवार बचत-दर में बृद्धि करने के लिए सतत प्रधानों की आवश्यकता है परन्तु यह काम आसान नहीं है। बचत करने वालों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापक रूप में वित्तीय संस्थाओं तथा उपयुक्त साधनों की व्यवस्था ज़रूरी है।

(iii) कर राजस्व का अनुपात—१९६५-६६ में कर राजस्व-नेट देशीय उत्पाद अनुपात १३.३ प्रतिशत था। १९७०-७१ में १२.८ प्रतिशत का अनुमानित अनुपात १९६५-६६ के स्तर से कम था। १९६५-६६ के स्तर से राष्ट्रीय आय में बृद्धि को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कर-राजस्व के निरते हुए अशदान का कारण यह है कि क्षेत्रक जिन पर हल्का कर है अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रकों में सबसे महत्वपूर्ण कृषि है। चालू कीमत पर कृषि से प्राप्त होने वाला राष्ट्रीय आय का अग्र १९६०-६१ की कीमतों पर इसके अग्र से अधिक है जिससे नेट देशीय उत्पाद में कर राजस्व का अनुपात और भी अधिक कम हो गया है। सारांश यह है कि ऐसे क्षेत्रकों से काफ़ी अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए प्रभावी उपाय करने होंगे। कहना न होगा कि कृषि क्षेत्रक इस दिग्गज में प्रचुर सभावनाएँ प्रस्तुत करता है।

१३.३ कृषि का पूँजी निर्माण में योगदान

अल्प आय अर्थव्यवस्थाओं में कृषि प्रमुख क्षेत्रक है और यह पूँजी-निर्माण के स्वरूप इसकी गति को भुल्य रूप में प्रभावित करता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होता है। अतः कृषि-उत्पादन में परिवर्तन (चाहे ये नवीन निवेश के कारण हो या तकनीकी परिवर्तनों या भौसम में परिवर्तनों के कारण) कुल राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं और परिणामस्वरूप बचत तथा निवेश-दरों भी प्रभावित होगी।

प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा पूर्ति-मांग सतुलन कृषि में निवेश की लाभकारिता तथा उस आय-पूँज के परिमाण को प्रभावित करते हैं जिसमें से बचत व निवेश किये जाते हैं। सारणी १३.३ में कृषि से प्राप्त आय के राष्ट्रीय आय से सम्बन्ध के बांकडे दिए गए हैं।

सारणी १३.३ कृषीय तथा राष्ट्रीय आय

वर्ष	(१९६०-६१ कीमतों पर)	कृषि आय- राष्ट्रीय आय	कृषि उत्पादन	राष्ट्रीय आय
	राष्ट्रीय आय	कृषीय आय	१९६०-६१	सूचकांक
			=१००	१९६०-६१=१००
		प्रतिशत		
१९६०-६१	१३३०८	६८२२	५१.३	१००
१९६४-६५	१५६८३	७५४०	४७.२	११२.२
१९६५-६६	१५०४५	६४२१	४२.७	८३.६

१६६६-६७	१५१७३	६४११	४२.२	६२.५	११४.७
१६६७-६८	१६५२५	७५६०	४५.७	११३.३	१२५.३
१६६८-६९	१६८३०	७४७७	४४.४	११२.२	१२८.३
१६६९-७०	१७६५५	७८४६	४३.७	११६.५	१३५.१

घोष : वार्षिक सर्वेक्षण १६७०-७१ पर आधारित

कृपीतर क्षेत्रक में, लागत सरचनाएँ कृषि में उत्पादित कच्चे माल की कीमतों और आधारिक खाद्य पदार्थों की (जिन पर श्रोद्योगिक श्रम-शक्ति के उपभोग व्यय का मुख्य भाग सर्व होता है) कीमतों द्वारा प्रभावित होती हैं। अतः कृषि-क्षेत्रक श्रोद्योगिक संबूद्धि तथा पूँजी-निर्माण में महत्वपूर्ण योग देता है। पूँजीगत माल के उत्पादन में लगी हुई नगरीय श्रम-शक्ति के लिए खाद्यान्न की सम्पाद्य कृषि-क्षेत्रक द्वारा पूँजीमूलक योगदान का ही एक रूप है। श्रोद्योगिक विकास से अनाज समेत सब मजदूरी पदार्थों की मांग में वृद्धि होती है और इससे कृषि की संबूद्धि-दर तेज हो जाती है।

कृषि बढ़ते हुए श्रोद्योगिक क्षेत्रक के लिए कच्चा माल भी प्रदान करती है जो कि कुल श्रोद्योगिक लागतों का मजदूरी तथा वेतन से भी बड़ा अंश है। सरकारी तथा सेवा-क्षेत्रक भी विकास-प्रक्रम में महत्वपूर्ण योग देते हैं। इन सेवा-क्षेत्रकों की लागत-सरचनाओं में भी मजदूरी तथा वेतन अधिक महत्व के हैं। इस प्रकार कृषि-उत्पादन श्रोद्योगिक कच्चे माल की कीमतों तथा मजदूरी पर अपने प्रभाव द्वारा उद्योग-निवेशों को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती है। कृषि पूँजी के निर्माण में निम्न भाव्यमों द्वारा योगदान देती है :

- (१) कृषिको द्वारा अन्य क्षेत्रको में प्रत्यक्ष निवेश के रूप में।
- (२) व्यापार यथं (टर्म्स ऑफ ट्रेड) में परिवर्तन अर्थात् कीमत तंत्र से।
- (३) कृषि कराधान द्वारा।
- (४) कृषि में न्यूनतम निवेश द्वारा अर्थात् अपने वर्तमान संसाधनों के द्वारा उत्पयोग द्वारा।

१३.४ कृषिकों द्वारा अन्य क्षेत्रकों में निवेश

कृषि क्षेत्रक को उवरक, यत्र, जल आदि निविष्टियाँ अन्य क्षेत्रकों से प्राप्त करनी होती हैं। कृषि इन क्षेत्रकों के विकास में प्रत्यक्ष अदायगियों तथा प्रत्यक्ष निवेशों द्वारा अपना योगदान दे सकती है।

कृषि-उत्पादन में वृद्धि करके ग्राम्य क्रय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है जिससे ग्रामों में श्रोद्योगिक माल की मांग बढ़ेगी और उपभोक्ता पदार्थ उद्योगों का तेज विस्तार होगा। श्रोद्योगिक माल के लिए ग्राम्य बाजार का विस्तार उद्योगों के विकास के लिए उतना ही लाभकारी है जितना कि कराधान या पूँजी ग्रतरण।

कृषिको द्वारा प्रत्यक्ष निवेश वित्तीय मध्यस्थों द्वारा किया जा सकता है। जापान में डाक-खानों (वचत बैंकों) ने इस सदर्म में महत्वपूर्ण भूमिका ग्रदा की है।

भारत में सहकारी चीनी मिलों और अन्य परिष्करण उद्योगों की स्थापना कृषि द्वारा

प्रत्यक्ष निवेश के उदाहरण है। संक्षेप में कृषि-क्षेत्रक की उपभोक्ता पदार्थों की मांग और तदनन्तर ग्रामीणों द्वारा लघु उद्योगों में निवेश पूँजी-निर्माण में काफी प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। हमारे पास इससे सम्बन्धित अंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और सूचना के भवाव में इस विषय पर अधिक अध्ययन करना सभव नहीं है। मुख्यतः वह निवेश लघु उद्योगों में ही हुआ है जो कि कुल श्रौद्धोगिक क्षेत्रक का १० या १५ प्रतिशत भाग ही है।

कृषि-क्षेत्रक में आय में वृद्धि से उद्योग क्षेत्रक में पूँजी निर्माण को लाभ हो सकता है यदि कृषक अधिक बचत करें तथा इन बचतों को प्रत्यक्ष निवेश के रूप में उद्योगों में लगा दे। परन्तु अभी तक ऐसा कम ही हुआ है।

१३.५ व्यापार-अर्थ में परिवर्तन अर्थात् कीमत-तत्र द्वारा पूँजी निर्माण

हम अध्याय १० के परिच्छेद १०.२ तथा १०.३ में कृषि कीमतों के (पूँजी-निर्माण के उद्दीपक के रूप में तथा व्यापार-स्थिति के आर्थिक विकास से) महत्व का विस्तृत विवेचन कर चुके हैं। हम यह भी देख चुके हैं कि पिछले १० वर्षों में कृषि-पद्धों की सापेक्ष कीमतों में काफी बृद्धि हुई है जिससे श्रौद्धोगिक क्षेत्रक में मजदूरी तथा लानो पर काफ़ी दबाव पड़ा है तथा व्यापार स्थिति उद्योग की तुलना में कृषि के अधिक अनुकूल रही है। उद्योग क्षेत्रक में ऊँची लागतों का परिणाम यह होता है कि वहाँ लाभ तथा निवेश-समाव्यताएँ कम हो जाती हैं। इस विषय का अध्याय १० में विस्तृत अध्ययन किया गया है। यहाँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि श्रौद्धोगिक क्षेत्रक का विकास कृषि-उत्पादन पर निर्भर है। कृषि-उत्पादन राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है तथा श्रौद्धोगिक कच्चे माल की पूर्ति का स्रोत है।

कृषि-उत्पादन में कभी से कच्चे माल समेत कृषि-पद्धों की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और लागतों के बढ़ने से उद्योग में पूँजी-निर्माण कम हो जाता है और इस प्रकार से आर्थिक विकास की गति मद हो जाती है। अतः कृषि-उत्पादन में वृद्धि श्रौद्धोगिक पूँजी-निर्माण तथा आर्थिक विकास-प्रक्रम के लिए जरूरी है।

कृषि-उत्पादन में वृद्धि कीमतों में कभी करके पूँजी-निर्माण में योगदान कर सकती है। कीमतों में कभी वास्तविक आय का कृपीतर-क्षेत्रक में अतरण करती है क्योंकि नगरीय अम भक्ति का निवाह-व्यय अपेक्षाकृत कम हो जाता है और बिना जीवन-स्तर कम किए मजदूरी भरनवाना अपेक्षाकृत निम्न रहती है। इसके व्यापार-प्रबंध (व्यापार की स्थिति) कृपीतर-क्षेत्रक के पक्ष में हो जाता है। परिणामस्वरूप नगरीय उद्योगों में लाभ अधिक होते जो कि पूँजी-निर्माण के आधार हैं।

१३.६ कृपीय कराधान

प्रत्यक्ष निवेश के अतिरिक्त पूँजी का कृषि-क्षेत्रक से कृपीतर-क्षेत्रक को अतरण कृषि-क्षेत्रक में अधिक कराधान द्वारा भी किया जा सकता है। कृषि-क्षेत्रक में अधिक कराधान की मांग प्रायः प्रभाव-क्षेत्रक तथा अन्तर-क्षेत्रक समता तथा न्याय, सावंजनिक व्यय के सापेक्ष लान तथा बचत जुटाव के आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है। कृषि पर कर मुख्यतः भूमि, आय तथा सम्पत्ति के आधार पर लगाया जाता है।

(क) भूमि कर (टैड टैक्सेज) — भू-राजस्व (लैड रेवेन्यू) एक प्रत्यक्ष कर है जो भूमि

के क्षेत्रफल पर आधारित है। यह सब भूमिजोतों पर प्रति एकड़ एक समान दर के हिसाब से लगाया जाता है, चाहे जोत बड़ी हो या छोटी हो। ये कर एक प्रकार के नेट उपज पर कर हैं और साधारणतः प्रत्याशित सामान्य उपज स्तर के आनुपातिक होते हैं।

भू-कर अदा करने की क्षमता से सम्बन्धित किये जा सकते हैं और सामान्यतः ये ऐसे नियत कर हैं जो उत्पादन को अनुत्साहित नहीं करते। वर्तमान भू-राजस्व का भूमि की उत्पादिता या भूमि के उपयोग के साथ कोई संबंध नहीं है। भू-राजस्व के दर सामान्यतः मूल्यांकन में 'नेट परिसम्पत्ति' की प्रतिशतता में व्यक्त किये जाते हैं। परन्तु पिछले ३०-४० वर्षों में ये दरें निश्चित रही हैं यद्यपि इन वर्षों में जमीदारी उन्मूलन, जोतों की निम्नतम सीमा-निर्धारण आदि अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन कृषि-क्षेत्रक में हो चुके हैं। इस प्रकार ये कर समय के साथ मेल नहीं खाते हैं। आम्यतरिक दृष्टिकोण के कारण ये कर आय, उत्पादन या कीमत में परिवर्तन से परिवर्तित नहीं हुए।

यदि भूमिकर नकदी में बसूल किये जाएं तो वे कृषि-उत्पादन में वार्गिज्यीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। निर्वाहमात्रों कृषकों को अदा करने के लिए अधिक उपज बेचनी पड़ेगी और वे बाजार की मांग तथा सुभाव्यताओं के अनुलूप कार्य करेंगे। नियत करारोप का वास्तविक मूल्य विकास के स्फीति दबाव के अधीन कम हो जाता है। इसलिए कर दरों में वृद्धि संकंप संगत है। यदि कर उपज में लिया जाए तो उसका मुद्रा-मूल्य कीमत परिवर्तनों का परिचायक होगा। इससे सरकार अनाज का पर्याप्त भडार कर सकेगी और इस प्रकार विपणन, भडारण तथा कीमतों को स्थिरता प्रदान की जा सकेगी। इन करों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इन्हे एकत्र करना अपेक्षकृत सरल तथा सस्ता है।

जापान निम्न आय तथा घने आवाद देश का एक ऐसा विशुद्ध उदाहरण है जो विकास के आरम्भिक चरणों में पूँजी के लिए कृषक-क्षेत्रक पर बहुत अधिक निर्भर रहा है। आरम्भिक अवधि में कृषि पर भारी कर लगाए गए। यहाँ तक कि १८८८-१८६२ की अवधि के दौरान कुल कर-राजस्व का ८५ प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त हुआ। भूमि-करों में सुधार के बाद भी कृषि पर कर-भार बहुत अधिक था। भूमि कर भूमि के अवश्य मूल्य का नियत भाग या तथा नकदी में दिया जाना था। भूमि सुधार (१८७३) के समय कुल उत्पाद का लगभग ३४ प्रतिशत सरकार के पास कर के रूप में चला जाता था। कर-सुधार के प्रथम दर्द में कुल कर सामान्य फसल मूल्य के २५ प्रतिशत के बराबर थे। जैसे ही विकास तेज होता गया, कृषि के योगदान का महत्व भी कम होता गया। जापान सरकार ने परिवहन, संचार, शक्ति तथा विनिर्माण उद्योगों आदि में निवेश में विशेष रुचि दिखाई। जापान में १८८७ तक आयकर नहीं लगाया जाता था और उसकी भी दर बहुत निम्न थी। १८०५ से पहले उत्तराधिकारी तथा स्थावर-समदा-कर भी अनुपस्थित थे।

जापान में कर का भारी भार दो तरह से कृषि-क्षेत्रक के पुनर्गठन में परिणत हुआ। प्रथम बहुत से लघु कृषकों को अपनी भूमि की अनाधिक इकाईयों की बेचना पड़ा। लघु कृषकों को कर अदा करने के लिए उपज के एक बड़े भाग को बाजार में भेजना पड़ा जिस पर बड़े कृषकों का नियन्त्रण था। उनके लिए एक मात्र विकल्प यह था कि वे कृषि ले जो बड़े कृषकों से ही प्राप्त हो सकता था। अद्वितीय परिणाम वही था क्योंकि इसका अल्पकालिक तथा

उच्च दर पर उपलब्ध होता था। भूमि की बिक्री का फल यह था कि पटेलारों की सस्ता में और नए कारखानों में रोजगार तलाश करने वालों की सख्ता में काफ़ी बढ़ि हो गई। इस प्रकार जापान में भारी कर लगा कर अदक्ष कृषकों को कृषि से हटा दिया गया। दूसरी ओर वे लोग जो कृषि में रह गए उन पर भारी करों के कारण उनके फार्मों पर उत्पादिता में बढ़ि हुई। क्योंकि भूमि कर भूमि के अवश्य मूल्य का अनुपात था और नकदी में भदा करता था, इसलिए कर-भार को भूमि की उत्पादिता बढ़ा कर या उपज की कीमत बढ़ा कर या दोनों तरीकों द्वारा ही कम किया जा सकता था। मुख्य राहवर उत्पादन में बढ़ि से ही प्राप्त हुई। उत्पादिता में बढ़ि फसलों के हेर फेर, जल-निकास-सुविधाओं, उन्नत बीजों उत्तरको तथा सधन प्रविधियों को अपना कर प्राप्त की गई। जापान का जमीदार काफी प्रगतिशील था और उत्पादिता बढ़ाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नवकियाएं ऐसी थीं जो छोटे खेतों पर भी प्रभावी ढग से अनुप्रयुक्त की जा सकती थीं। इस प्रकार कृषि ने जापान के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। यह ध्यान रहे कि जापान में १९६० में जोत का असीत लोतफल केवल १.१८ हेक्टर (आर्थित २.६२ एकड़) था।

भूराजस्व का राजकीय वित्त में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह राजकीय राजस्व का एक मुख्य स्रोत है। सारणी १३.४ में हमने राजकीय करों से प्राप्त कुल राजस्व, भू-राजस्व कृषि-आय-कर तथा देश की कृषि राष्ट्रीय आय तथा सम्बद्ध आंकड़े दिए हैं।

निम्न सारणी १३.४ से निम्न बातों का पता चलता है:—

- (i) १९६६-७० में सब राज्यों में भूमिकर से प्राप्त राजस्व की ११७.५ करोड़ रुपये की राशि काफी प्रभावक दिखाई देती है परन्तु सारणी से यह भी पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में भू-राजस्व का कुल राजस्व में सापेक्ष योगदान कम ही रहा है। पहली, दूसरी तथा तीसरी योजनाओं की अवधि में भू-राजस्व कुल राजस्व का कमशः २५%, २४% तथा १७% प्रतिशत था परन्तु पिछले कुछ वर्षों में यह अनुपात लगभग ७% प्रतिशत रह गया है।
- (ii) सारणी में यह भी देखा जा सकता है कि विभिन्न वर्षों में भूमि कर से बस्ती की राजियों में काफ़ी उतार-चढ़ाव है। इस अंतर के अनेक कारण हैं। प्रथम, सूखाप्रस्त तथा बाढ़प्रस्त वर्षों में राज्य सरकारें सहायतार्थ भू-राजस्व क्षमा कर देती हैं या इसके संग्रह का स्थगन कर देती हैं। इसी प्रकार युद्ध के समय दर बढ़ा दिये जाते हैं या भू-करों से सबधित करारोप (लेवीज) लगा दिये जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कुछ राज्यों में छोटी जोतों को भू-राजस्व से छूट दें दी गई है।
- (iii) सारणी से यह भी पता चलता है कि कुल कृषि कर (भू-राजस्व तथा कृषि आय-कर) कृषि से प्राप्त राष्ट्रीय आय के १% प्रतिशत से भी कम है। स्पष्ट है कि ससाधनों के जुटाव के सदमें में इस क्षेत्र का योगदान अतिम्मूल्य है।

भू-राजस्व की समाप्ति तथा इसकी पद्धति में सुधार के बारे में समय-समय पर अनेक चुनाव प्रस्तुत किये गये हैं जैसे कि भू-राजस्व कृषि-आयकर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए या कृषि आयकर भूराजस्व के एक समान निम्न दरों से सम्बद्ध किया जाए या उपज के बिक्री स्थान पर बिक्री कर लगाया जाए इत्यादि।

कृषि तथा पूँजी-निर्माण

सारणी १३.४ कुल राजकीय राजस्व, भू-राजस्व, कृषि-भाष्यकर, कृषि राष्ट्रीय भाष्य

अवधि/वर्ष	राजकीय राजस्व	भू-प्राज्ञस्व	कृषि आवाहक	प्रतिशतता %	कृषि से रा. आय	कृषि से रा. आय	प्रतिशतता %
	१	२	३	४	५	६	७
	(करोड रुपयों में)	(करोड रुपयों में)	(करोड रुपयों में)	(२)-(१)	(३)-(१)	(५)-(६)	(३)-(६)
पहली योजना (१९५१-५२ से १९५५-५६)	१२५७.१	३२६.७	२४६.	२५.६	२.०	-	-
दूसरी योजना (१९५५-५६ से १९६०-६१)	१८६६.६	४५५.०	४२५	२४.०	२.०	-	-
तीसरी योजना (१९६१-६२ से १९६५-६६)	३३३६.३	५७०.३	४८६	१७.०	१.४	-	-
-	४७.२	३.४	-	-	-	६८२२	१.४
१९६०-६१	१११.६	३.८	-	-	-	४८४६	१.१
१९६५-६६	-	-	-	-	-	११७५५	०.५
१९६६-६७	१३२७.४	६४.६	१०.३	७.१	०.५	११७५३	०.५
१९६७-६८	१५१४.४	१०७.७	१२.१	७.१	०.५	१४६१७३	०.५
१९६८-६९	१६६८.४	११६.५	११.८	६.१	०.७	१५५५१०	०.५
(संकोषित) (बजट)	१७६८.१	११७.४	६.४	०.७	१५५५००	०.५	.०५

टोट : १. सुदूरक एवं चित्र प्रतिशेषत पर आधारित
२. जिवं वेक और इंडिया ट्रेलिंग (विभिन्न घंटे)

भूराजस्व का कृषि आयकर द्वारा प्रतिस्थापन भारत जैसे अल्पविकसित देश के बर्तमान आर्थिक ढांचे और ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में उपयुक्त तथा विवेकपूर्ण नहीं है क्योंकि कृषि आयकर की राशि सदिग्ध है और राज्य भूराजस्व से प्राप्त आय की क्षति का जोखिम नहीं उठा सकते। साथ ही कृषि आयकर छोटे कृपकों पर, जिनकी सख्त्य कुल के लगभग ७५ प्रतिशत है, नहीं लग सकेगा। इसी प्रकार यदि इसकी दर को कम कर दिया जाए और साथ में कृषि आयकर लगा दिया जाए तो इससे अधिक असमता उत्पन्न होगी। परन्तु यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि करापात (करवाह्यता) (इन्सीडेन्स आफ टेस्मेशन) वालिंग्डिक फसलों की अपेक्षा खाद्यान्नों पर, सिंचित भूमि के कृपकों की अपेक्षा असिंचित भूमि के कृपकों पर, बड़ी जोतों की अपेक्षा छोटी जोतों पर अधिक है। यह भी ठीक है कि विभिन्न राज्यों में भूराजस्व की दरों में बड़ा अंतर है। उडीसा में यह २ ह० प्रति एकड़ है जहाँ बिहार में ७८० ह० प्रति एकड़ है। बास्तव में भू-राजस्व दरों के विभिन्न राज्यों में उत्पादित तथा उत्पादन से कोई सबध नहीं है।

इसमें कोई शक नहीं कि भू-राजस्व में प्रगतिशीलता के तत्त्वों का अभाव है क्योंकि समानुपातिक दर से लगाये जाने के कारण छोटे और निवांन किसानों पर इसका भार अधिक पड़ता है। यह भी ठीक है कि चिरकाल से शोपित किसानों को इस अधोगामी कर से छुटकारा मिलना चाहिए। कराधान जाँच आयोग (१९५३-५४) ने विषय का महत्व प्रध्ययन करने के बाद ये विचार दिए हैं “न तो भूराजस्व को आय और मूल्य सापेक्ष बनाने के लिए इसमें आमूल चूल परिवर्तन ही समव है और न ही इसे अन्य किसी प्रगतिशील कर द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।” आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि सारे देश में भूराजस्व का मानकीकरण कर दिया जाए तथा इसे उस स्तर पर अवरुद्ध कर दिया जाए।

बास्तव में भू-राजस्व की समाप्ति की बजाय इसके पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भू-राजस्व ममंजनीय अर्थात् विसर्पी (स्लाइडिं स्केल) दर से लगाया जाए जो कीमतों से सबधित हो और जिसका साल या दो साल बाद पुनर्निर्धारण किया जाए। इससे भूमि कर का युक्तीकरण होगा और उसमें लोच तथा कीमतों व आय के सापेक्षता के तत्त्व सम्मिलित हो जाएंगे। छोटी जोतों को छोड़ कर शेष सब जोतों पर भू-राजस्व की दरों में वृद्धि करने की भी आवश्यकता है। बहुत छोटी जोतों को कर से मुक्त किया जा सकता है।

आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि सब राज्यों द्वारा उच्च कृषि-आयवर्ग पर कर लगाने की आवश्यकता है और कृषि-आय-कर और आय-कर को मिला कर एक कर दिया जाना चाहिए। मसावनों के उचित जुटाव के लिए कृषि-आय पर कर लगाना अत्यधिकशक्त है।

(ख) कृषि-आय-कर (एप्रीक्ट्वरल इनकम टेस्स) —सिद्धात रूप में कृषि-आय-कर, प्रगतिशील तथा मूल्य और आय के सापेक्ष होने के कारण भू-राजस्व से अधिक उपयुक्त हैं। ये कर गदा करने की जक्ति पर उचित बल देते हैं। विकास के दौरान मुद्रा प्राप्ति तथा बास्तविक आय में वृद्धि होती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की आय का मापन करना पड़ेगा और रिकार्ड तथा प्रशासन सबधी भौतिक कठिनाइयों उठ खड़ी हो सकती है।

भारत में कृषि आय कर की स्थिति का विश्लेषण करने से पहले कृषि की संवैधानिक स्थिति का ज्ञान हो जाना चाहिए। भारतीय संविधान की सातवी अनुसूची के अनुसार कृषि एक राज्य विषय है और भारत की सरकार को कृषि आय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। केवल राज्य सरकारें ही ऐसा कर सकती हैं। परन्तु यदि दो या अधिक राज्य चाहे तो सदस्य समाजों के अतर्गत उन राज्यों में लागू करने के लिए कुछ नियम बना सकती हैं। इसी धारा के अतर्गत बहुत सी राज्य विधान सभाओं ने सब सरकार को कृषि-भूमि पर संपदा-शुल्क लगाने का अधिकार दे दिया है। अतः यह राज्य विधान समाजों की शक्ति में है कि वे अपने राज्यों में कृषि-आय-कर का प्रबन्ध करने का अधिकार केन्द्र को दे दें। परन्तु अभी तक ये अधिकार राज्य-सरकारों के पास ही हैं।

भारत में सबसे पहले कृषि-आय कर १९३८ में बिहार में लागू किया गया। आय में से ५००० रुपये तक की छूट दी गई। न्यूनतम कर-दर ६ पाई प्रति रुपया थी। अधिकतम कर-दर ३० पाई प्रति रुपया थी जो १५ लाख रु० वार्षिक से अधिक आय के लिए थी। पजाब, हरियाणा तथा गुजरात को छोड़ कर अम्बर सब राज्यों ने कृषि-आय कर लगा दिया है। परन्तु इसके बावजूद भी कृषि-आय कर से प्राप्त राशि बहुत कम है (भारती १३.४ देखें)। अतः कृषि-आय कर के अतर्गत कर-भार नगण्य है। इसके मुख्य कारण अनावश्यक छूट सीमाएँ, निहित स्वार्थ वाले तत्वों का विरोध तथा प्रशासकों की राजनीतिक अवसर-वादिता है। यहाँ कृषि-आय कर के पक्ष तथा विपक्ष का विवेचन करना उपयोगी होगा।

अलिंगिक समाजों को जुटाने के लिए अधिक कृषि-कराधान की समस्या पिछले कुछ समय से विवाद का विषय रही है। अधिक कृषि कराधान के अलोचकों का मुख्य तर्क यह है कि कृषि विरकाल से प्रथमव्यवस्था का निर्धन तथा अवनत क्षेत्र क रहा है। कृषि राष्ट्र की ७० प्रतिशत जनसंख्या को आजीविका प्रदान करती है, इसलिए कृषि की अधिक कर भार से मुक्त रखा जाना चाहिए। एक मत यह है कि उस निजी श्रम तथा देखरेख की, जो खाद्य फसलों को उगाने में लगाया जाता है, लागत का अनुमान लगाना कठिन है। कार्मी पर आय कर लगाने से उन्हें बहुत कष्ट होगा। यह तर्क इस मावनात्मक विचार पर आधारित है कि कृषक अन्नदाता है, उसे पुरस्कार मिलना चाहिए न कि उस पर कर लगाया जाए। कई आलोचक लोगों की निर्धनता की दुहाई देते हैं। उनका तर्क यह है कि ८० प्रतिशत कृषक छोटे जोतदार हैं जिनके पास ५ एकड़ से भी कम भूमि है और यदि उन्होंने हाल के बर्षों में कुछ नाम कमाया है तो उचित यह होगा कि उन्हें अपने निम्न जीवन-स्तरों को बढ़ाने दिया जाए। परन्तु विचित्र बात यह है कि किसी ने भी यह नहीं कहा है कि इन पर आय-कर अवश्य लगाया जाए। तर्क तो यह है कि उच्च कृषि-आय कर-मुक्त नहीं होनी चाहिए, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ मिलाई सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

वे लोग जो 'ग्रामीणों की निर्धनता' का तर्क देते हैं, वास्तव में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय अंतरण का अधिमूल्य करते हैं क्योंकि राष्ट्रीय आय विवरण ग्रामीण आय का अल्प मूल्यन करते हैं और नगरीय आय में उपयोगी अनुरक्षण लागतों का हिसाब नहीं करते। वे इस बात को भूल जाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी विभिन्न बर्यों में काफी आय-प्रतर है और गावों में भी ऐसे धनी लोग हैं जो पूँजीगत योगदान की पर्याप्त क्षमता

रखते हैं और उन से कोई कर न लेना न्यायसंगत नहीं है।

कृषि-कराधान के पक्ष में यह तर्क है कि क्योंकि कृषि-क्षेत्रक भारी सरकारी आर्थिक सहायता का पात्र है और लगभग आधी राष्ट्रीय आय का स्रोत है, इसलिए वर्तमान की अपेक्षा इसे अधिक कर-मार सहन करना चाहिए। इस संदर्भ में योजना आयोग (चौथी पञ्चवर्षीय योजना द्रापट) ने सुझाव दिया है:-

'आयोजन के आरम्भ से ही कृषि क्षेत्रक में सार्वजनिक निवेश के फलस्वरूप कृषि-माय राशियों में काफ़ी वृद्धि हुई है। परन्तु कृषि क्षेत्रक द्वारा सरकारी खजाने में अंशदान में इसके अनुरूप वृद्धि नहीं हुई। इसलिए कृषि-क्षेत्रक से अधिक साधन जुटाने की आवश्यकता है ताकि इसके विकास के लिए घन लगाया जा सके। इसके लिए अच्छे खाते-पीते कृषकों पर अतिरिक्त भार ढालना नहीं।' पिछले २३ वर्षों में कृषि व सामुदायिक विकास पर व्यय इस प्रकार हुआ है:-

पहली योजना (१९५१-५६)	२६० करोड़ रुपये
दूसरी योजना (१९५६-६१)	५२६ "
तीसरी योजना (१९६१-६६)	१०८६ "
चारिंकी योजनाएँ (१९६६-६६)	२७१६ "
चौथी योजना (१९६६-७४)	२७२८ "

इतने अधिक निवेश के बावजूद कृषि का देश की बचतों, वित्तीय संसाधनों या कर-राजस्व में अशदान इसके परिमाण या महत्व के अनुरूप नहीं है। कृषि को अन्य क्षेत्रको का बोझ नहीं बनाना चाहिए। कम से कम इसे अपने विकास के लिए वित्त का पर्याप्त भाग तो जुटाना ही चाहिए।

नवीन कृषि-न्यूहरचना, जिसने प्रति एकड़ अधिक उत्पादिता को संभव बनाया है, ने ग्रामीण क्षेत्रों में आय-असमानताओं को बढ़ाया है क्योंकि नवीन तकनीकें अधिकतर घनी कृषकों को ही उपलब्ध थीं। इसमें कोई शक नहीं कि कृषि-जनस्वयं के एक विशेष दर्गं की आय बहुत अधिक है और यही वह वर्ग है जिसे कर जात में अधिक से अधिक पकड़े की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त जैसे कि हमने पिछले परिच्छेद में देखा है, पिछले कुछ वर्षों में व्यापार की स्थिति कृषीतर-क्षेत्रक की अपेक्षा कृषि-क्षेत्रक के मनुकूल रही है जिससे कृषि-क्षेत्रक की कर आदा करने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक है। इसलिए कृषि आय पर कर लगाना पूरी तरह उचित ही है।

धीरे-धीरे भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है। सारी जलक्षणसां का उपयोग करने के लिए, अधिक उपज देने वाले धीरों के उपयोग का विस्तार करने के लिए, सम्बद्ध नवीन निविष्टियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तथा अन्य सुविधाओं को जुटाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। कृषि के रूपातरण के लिए इससे पहले भी काफ़ी राशि व्यय की जा चुकी है। काफ़ी काम बाकी है। इसमें कृषकों को भी अपना अशदान देना होगा जिसके लिए एक प्रभावी कर की आवश्यकता है।

ग्रान्तर-क्षेत्रक समता (इन्ड्रा सेक्टोरल इविवाटी) के आधार पर भी कृषि-माय कर लगाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रक में भी निर्धन कृषक पर धनों कृषक की अपेक्षा करापात

भविक है। वर्तमान कर-प्रणाली में वाणिज्यिक फसलों के कृपको पर खाद्यान्न उपजाने वालों की अपेक्षा करायात कम है। इसी प्रकार बड़े कृपकों की अपेक्षा छोटे कृपको पर, सिचित थेव वालों की अपेक्षा अनिवार्यता अधिक है। आन्तर-क्षेत्रक समता भूनिवित करने के लिए यह ज़रूरी है कि बड़े कृपको पर कर आरोही हो। इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि कृषि-क्षेत्रक में आय-वितरण में बड़ी असमानता है।

हमारी कृषि-नीति भी चयनात्मक रही है। उदाहरणतः सघन कृषि-जिन्ना-कार्यक्रम तथा सघन कृषि-क्षेत्र कार्यक्रम (आई. ए. डी. पी. एण्ड आई. ए. ए. पी.) उन क्षेत्रों तक सीमित रहे हैं जहाँ जल, बीज, उबरक, कीटनाशी पदार्थ तथा अन्य निविटियों की सप्लाई आश्वस्ता थी। ये कार्यक्रम कृष्य भूमि के केवल १० प्रतिशत क्षेत्र में चालू किये गये हैं। स्वाभाविक ही है कि इन क्षेत्रों के कृपक सरकार की कृषि-नीतियों से भीवे लाभान्वित हुए हैं यद्यपि इन्हें कर का कोई अतिरिक्त धोख सहन नहीं करना पड़ा। कहने का अनिप्राय यह है कि ६० प्रतिशत निधन कृपक १० प्रतिशत धनी कृपकों को आर्थिक सहायता देते रहे हैं और ये १० प्रतिशत लोग ६० प्रतिशत लोगों के हितों की उपेक्षा के कारण विकास के लाभ प्राप्त करते रहे हैं। इन बात का कोई ग्रोवित्य नहीं है कि इन कार्यक्रमों ने लाभान्वित लोगों की अतिरिक्त आय कर से मुक्त रखी जाए। इस आन्तर क्षेत्रक असमता का निवारण अतिरिक्त कर लगा कर ही किया जा सकता है।

इसी प्रकार देश के विभिन्न राज्यों में प्रति एकड़ भू-राजस्व दरों में काफी अन्तर है। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में कर-वाहृता अधिक है। पंजाब, तमिलनाडु, मैसूर (कर्नाटक) में उत्तादिता सर्व भारत धौमत की अपेक्षा अधिक है परन्तु प्रति एकड़ भू-राजस्व दरों बहुत कम हैं। इसी प्रकार अनेक राज्यों में कृषि-आय कर लगाया गया है जबकि पंजाब, हरियाणा व गुजरात में ऐसा कोई कर नहीं है। महाराष्ट्र में यह कर केवल बागानों पर लगाया गया है। इस प्रकार कर के स्वरूप तथा संरचना में समानता का अभाव है। इसी संदर्भ में चौथी योजना में यह सुझाव दिया गया है कि 'कृषि-क्षेत्रक से अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए उन राज्यों में जहाँ हृषि आयकर लागू है, इसे विकसित करने की आवश्यकता है जबकि जहाँ भी तक कृषि-आयकर लागू नहीं है, इसे लगाने की आवश्यकता है। यह भी ज़रूरी है कि कर की दर केवल सब राज्यों में ही एक समान न हो बल्कि कृषीतर-आय पर सधीय कर दर के भी समान हो। एक विकल्प यह भी हो सकता है कि भू-राजस्व पर आरोही दरों से अधिनार (सरचाज) लगाया जाए जो जोत के क्षेत्र या उपजाई गई फसल की किस्म के अनुरूप हो'।

इसमें कोई झक नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रक अव-करारोपित (अन्डर टैक्स्ट) है परन्तु अन्तर-क्षेत्रक असमता (इन्टरसंक्टोरल) का विश्लेषण करने से पहले अप्रत्यक्ष करों के बारे में जान लेना चाहिए क्योंकि अप्रत्यक्ष करों की दृष्टि से भी कृषि क्षेत्र पर करायात कम है।

(ग) अप्रत्यक्ष कर (इनडाइरेक्ट टैक्सेज) — विकासशील अर्थव्यवस्था में करायान केवल राजस्व-प्राप्त करने के लिए ही आवश्यक नहीं बल्कि अन्य मार्थिक घेयों की पूर्ति हेतु भी महत्वपूर्ण है। उपमोक्षा-सामान पर कर लगा कर समाज के धनी वर्गों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं को खपत को रोका जा सकता है, निर्यात योग्य अधिशेषों को प्राप्त किया

जा सकता है और उत्पादक संसाधनों का वाढ़नीय आवटन किया जा सकता है। कुछ धन्त्रों में इसका उपयोग उत्पादकों के अधिशेष को जमा करने के साधन के रूप में किया जा सकता है और इस प्रकार यह उत्पादकों की आय पर कर के समान कार्य करता है।

अप्रत्यक्ष कर वे परिवर्ती कर हैं जो कृषि पदार्थों के स्वामित्व में परिवर्तन के समय लगाये जाते हैं। इनका प्रबन्ध करना बड़ा आसान है परन्तु ये उत्पादन में बृद्धि को अनुसार हित करते हैं। निर्यात करों के रूप में ये निर्यात मूल्य का एक अश होते हैं तथा कीमतों को स्थिर करने के लिए उपयोग किये जा सकते हैं। बर्मा, घाना, यूगांडा तथा थाईलैंड कृषि-पद्धों के प्रमुख निर्यात करने वाले देश हैं और वे अप्रत्यक्ष निर्यात करों का उपयोग करते हैं। आतंरिक अर्थव्यवस्था में ये उपभोग पर बिक्री करों के रूप में या कृषि-वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने लेजाने पर लगाए जा सकते हैं। भारत में बिक्री कर तथा अन्तर्राज्य बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर हैं।

यद्यपि इन करों का निर्वाह-मात्री खेती करने वाले कृपको (सर्वसिस्टैंस फार्मसें) पर प्रभाव अधिक नहीं है परन्तु निम्न आय वाले नगरीय उपभोक्ता इनसे काफी दुखी होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि बिक्री-दरों में अन्तर-राज्य एकसमानता लाई जाए और वर्तमान कर प्रणाली की जटिलताओं को दूर किया जाए।

कराधान जांच आयोग ने १९५३-५४ में ग्रामीण तथा नगरीय परिवारों के लिए अप्रत्यक्ष करों के भार का अध्ययन किया और इस परिणाम पर पहुँचा कि केन्द्रीय तथा राज्य करों की कर-वाहता ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगर-क्षेत्रों में अधिक है। व्यय के सदर्भ में अप्रत्यक्ष करों की कर-वाहता कुल व्यय में कर की प्रतिशतता द्वारा व्यक्त की जाती है। सारणी १३.५ में व्यय अनुसार कर-वाहता के आंकड़े दिए गए हैं।

सारणी १३.५ सर्व भारत व्यय स्तर अनुसार अप्रत्यक्ष कर-वाहता (१९५३-५४)
(कुल व्यय के प्रतिशत में कर)

व्यय वर्ग (मासिक व्यय) रखयों में	नगरीय परिवार	ग्राम परिवार	सर्व भारत
१-५०	३.३	२.२
५१-१००	४.४	२.३
१०१-१५१	५.१	२.७
१५१-३००	५.१	३.३
३०० से अधिक	८.३	५.६
सर्व वर्ग	५.६	३.६

धोति - टैक्सेन इनवायरी कमीशन्स रिपोर्ट भाग १, व्यवाय ५, इनसिडेन्स

वित्त मत्रालय के कर अनुसधान एकक के अनुसार १९५६-५७ में कुल व्यय में अप्रत्यक्ष कर का अनुपात ५.७ प्रतिशत या जो वित्त मत्रालय के ही एक अध्ययन अनुसार १९६३-६४

में बढ़कर १०.१ प्रतिशत हो गया। ग्रामीण परिवारों में कर-वाहूता व्यय के ८ प्रतिशत थी जबकि नगरीय क्षेत्रों के लिए कर-वाहूता १६.६ प्रतिशत थी।

इसी प्रकार अप्रत्यक्ष कराधान की राज्यवार कर-वाहूता में भी बड़ा अन्तर है। १६६३-६४ में उड़ीसा में प्रति व्यक्ति मासिक कर पजाव की अपेक्षा आधे से भी कम था। सर्व भारत औसत मासिक कर २.६८ रु० प्रति व्यक्ति था तथा आधा प्रदेश, विहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में औसत से कम था। इससे सिद्ध होता है कि कृषि कराधान प्रणाली समता तथा न्याय के सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। अब हम इस स्थिति में हैं कि कर-प्रणाली को अन्तर-क्षेत्रक असमता के व्यापक परिप्रे क्षय में देख सकें।

यह एक सत्यापित तथ्य है कि ग्रामीण-क्षेत्रक अव-करारोपित (अन्डर टैक्स) है। कृषि न्याय तथा कृषीतर-न्याय पर कराधान दरों के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय न्यायकर-पद्धति अत्यधिक अव्यवहार्य है।

एक अध्ययन के अनुसार १६५०-५१ से १६६४-६५ की अवधि के दौरान कृषि-क्षेत्रक औसतन अपनी न्याय का ३.५ से लेकर ७ प्रतिशत तक कर के रूप में देता रहा है जबकि कृषीतर क्षेत्रक अपनी न्याय का इस प्रतिशतता में दुगुना कर देता रहा है।

भारत में अन्तर-क्षेत्रक (अन्डर सैकटोरल) कर भारों का अनुमान लगाने के लिए अनेक गहन अध्ययन किये गये हैं जिनमें से कुछ एक का उल्लेख हम पहाँ करेंगे। डा. एस. एल. शेट्रों ने अपने अनुसधान अध्ययन “टैक्स बर्डन आन फार्म एण्ड नान-फार्म सैक्टर्स इन इंडिया (एन इन्टरमैक्टोरल एण्ड इन्टर क्लास एनालिसिस), १६७०” में कर भार के अनुमान लगाए हैं। उनके अनुसार १६५१-१६६६ के १८ वर्षों में फार्म क्षेत्रक पर प्रति व्यक्ति औसत कर भार ६ रु० से ३५ रु० के बीच रहा जबकि फार्मेलर-क्षेत्रक पर इसी अवधि में कर भार प्रतिव्यक्ति ३८ रु० से १४३ रु० के बीच रहा। फार्म क्षेत्रक पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना तथा वार्षिक योजनाओं (१६६६-६६) की अवधि में अपनी न्याय का कमशः ५.१, ६.७, ६.१ तथा ७.९ प्रतिशत कर के रूप में दे रहा था। जबकि फार्मेलर क्षेत्रक का अध्यान अपनी न्याय का कमशः ८.२, १०.६, १६० तथा १८.४ प्रतिशत था। कृषि-क्षेत्र में प्रथम करों का भार न्याय के कमशः १.५, १.७, १.६ तथा ०.६ प्रतिशत था जबकि कृषीतर क्षेत्रक में यह भार ढाई से सात गुना तक था।

महेश पाठक तथा प्रश्न पटेल ने अपने अध्ययन ‘एग्रीकलचरल टैक्सेशन इन गुजरात’ (एशिया पब्लिशिंग हाउस वाम्बे, १६७०) में अनुमान लगाया है कि गुजरात में कृषि-क्षेत्रक का कुल कराधान-भार (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर) प्रतिव्यक्ति न्याय का १२ प्रतिशत है जबकि कृषीतर-क्षेत्रक में यह प्रतिव्यक्ति न्याय का लगभग २० प्रतिशत है। वेद. पी. गांधी तथा ई. टी. मैथू ने भी अन्तर-क्षेत्रक तथा अन्तर-क्षेत्रक असमता का विश्लेषण किया है।

वेद गांधी ने अपने अध्ययन ‘टैक्स बर्डन थान इंडियन एग्रीकलचर’ (इन्टरनेशनल प्रोग्राम टैक्सेशन हार्बर्ड लॉ स्कूल ऑफिजिल, मास १६६६) में असमानताओं को दर्शाने के लिए सीमात कर भार (माजिनल टैक्स बर्डन) का प्राक्कलन किया है। क अवधि में अतिरिक्त करों का अतिरिक्त न्याय से अनुपात सीमात कर-भार को व्यक्त करता है। वेद गांधी के अनुसार १६५०-५१ से १६६४-६५ की अवधि में कृषि क्षेत्रक के लिए सीमात कर भार के बीच ७.५

प्रतिशत था। जबकि कृषीतर-क्षेत्रके लिए यह ४४ प्रतिशत था। इससे पता चलता है कि कृषीतर-क्षेत्रक आर्थिक विकास के प्रक्रम के वित्तीयन के लिए लगाये गये अतिरिक्त करों के भार को कितने असमानुपाती तरीके से सहन करता रहा है?

गांधी, मैथ्यू तथा शेट्टी ने कृषि तथा कृषीतर क्षेत्रको में सापेक्ष कर भारों के अनुमान लगाए हैं। उनकी तुलना सारणी १३.६ में की गई है। गांधी के अनुमान १९५०-५१ से १९६४-६५ की अवधि के लिए हैं जबकि मैथ्यू के केवल एक वर्ष १९५८-५९ के लिए है।

सारणी १३.६ सापेक्ष कर-भार के विभिन्न अनुमानों की तुलना
(करोड़ रु०)

अवधि/वर्ष	प्रत्यक्ष कर			अप्रत्यक्ष कर		
	कृषि धैत्र	कृषीतर-क्षेत्र	सापेक्ष भार	कृषि धैत्र	कृषीतर क्षेत्र	सापेक्ष भार
वेद गांधी के (१)						
प्रथम योजना (ग्रीसत)	७६.७६	१९७.२७	२.५७	१४७.२३	२४९.३२	१.६६
द्वासरी योजना (ग्रीसत)	१०८.६२	२८१.२६	२.५७	२४५.०१	४५३.२२	१.८५
तीसरी योजना (ग्रीसत)	१३६.००	५१४.०६	३.७०	३९६.२०	६२६.३६	२.३६
मैथ्यू के अनुमान (२)						
१९५८-५९	११३.४६	२१२.६१	१.८७	३१०.६६	३६२.१६	१.१६
शेट्टी के अनुमान (३)						
प्रथम योजना (ग्रीसत)	७७.१२	१६८.४६	२.५७	१७८.४०	२०६.१३	१.१७
द्वासरी योजना (ग्रीसत)	१०८.२७	२८२.२६	२.६१	३१०.८७	३६५.२०	१.२७
तीसरी योजना (ग्रीसत)	१३७.५६	५५६.८५	४.०५	६६८.७७	८७४.५	१.३१
१९६६-६७ (ग्रीसत)	१२६.३८	७४२.६३	५.७४	१०५६.७४	१४०८.६८	१.३३

धोठ १. वेद गांधी के 'ईक्स बड़न बॉन इंडियन एसीकल्चर' पूर्वोक्त पुस्तक ५३

२. ई० टो० मैथ्यू के एपीस्टचरल ट्रैवेशन एण्ड इकोनोमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, १९६८ (एसिया)

३. शेट्टी—पूर्वोक्त

वेद गांधी, मैथ्यू तथा शेट्टी के कर भार के अनुमानोंमें अन्तरों का मुख्य कारण धारणाओं और विधि की भिन्नता है। जहाँ तक गांधी और शेट्टी के अनुमानोंकी तुलना का सबध है, प्रत्यक्ष करोंके सापेक्ष कर भार में कोई विशेष अन्तर नहीं है परन्तु अप्रत्यक्ष करोंके सापेक्ष भार में काफ़ी अंतर है। यह अतर इसलिए है कि दोनों द्वारा विभिन्न अप्रत्यक्ष करोंको कृषि तथा कृषीतर क्षेत्रके विभाजन के लिए भिन्न-भिन्न विधियाँ अपनाई गई हैं। विशेषकर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयात शुल्क के बटवारे में दोनों में काफ़ी अन्तर है।

परन्तु विभिन्न अनुमानोंसे एक बात स्पष्ट है कि सापेक्ष प्रत्यक्ष कर-भार अनुपात कप्रत्यक्ष कर भार-अनुपातोंकी तुलना में बहुत अधिक हैं जिसका अर्थ यह है कि कृषि तथा कृषीतर-क्षेत्रोंमें अप्रत्यक्ष करोंके भार में उतनी असमानता नहीं है जितनी कि प्रत्यक्ष करों

के भार में है। गांधी के अध्ययन के अनुसार पहली तीन पचवर्षीय योजनाओं की अवधि में सापेक्ष कर भार-अनुपात २.५७ से ३.७० के बीच में रहे हैं जबकि शेषी के अनुसार ये अनुपात २.५७ से ४.०५ के बीच रहे हैं। १९६६-६७ की अवधि के लिए शेषी के अनुसार यह अनुपात ५.७४ था। दोनों अध्ययनों से स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष कर भार कृपीतर क्षेत्र-पर प्रत्यक्ष कर भार की अपेक्षा बहुत कम है अर्थात् कृषि-क्षेत्रक प्रत्यक्ष करों के सदर्भ में अव-करारोपित है। भारत के भू-राजस्व तथा कृषि-आयकर दो मुख्य प्रत्यक्ष कर हैं और उपरोक्त अध्ययन के परिवेक्षण में यह कहा जा सकता है कि कृषि-क्षेत्रक पर और अधिक कर लगाना उचित ही होगा। इस दिशा में कृषि-क्षेत्रक विस्तृत सम्भावनाएँ प्रस्तुत करता है।

मैथ्यू, गांधी तथा शेषी ने फार्म तथा फार्मेंटर-क्षेत्रकों में प्रति व्यक्ति प्रत्यक्ष करों तथा अप्रत्यक्ष करों के सापेक्ष भार के भी अनुमान लगाए हैं। अध्ययनों से यह पता चला है कि दोनों क्षेत्रकों में अप्रत्यक्ष करों के सापेक्ष प्रति व्यक्ति भार (रिलेटिव पर कैपिटा वर्डेन) में इतनी अधिक असमानता नहीं है जितनी कि प्रत्यक्ष करों के सापेक्ष प्रति व्यक्ति भार में है। वास्तव में दोनों क्षेत्रकों में कर भार में अन्तर प्रत्यक्ष करों के सापेक्ष भार के अत्यधिक अंतरों के कारण है। कृषि-क्षेत्रक पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर भूमि कर है। भूमि कर जिलों, गांवों और यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृपकों के बीच बड़ी असमता से लाभ है। इसलिए कृषि-कराधान में सुधार करने की परमावश्यकता है ताकि इसे न्याय-समगत तथा लोधील बनाया जा सके। संक्षेप में कृषि-आय पर कर लगाने से खजाने के लिए केवल राजस्व ही प्राप्त नहीं होगा बल्कि इससे कराधान-पद्धति को अधिक समता भी प्राप्त होगी।

इस सम्बन्ध में ये बातें भी उल्लेखनीय हैं—

- (i) समृद्ध कृपकों का सावंजनिक व्यय के वित्तीयन में अंशदान समृद्ध अकृपकों की तुलना में बहुत कम रहा है।
- (ii) कृषि-कराधान कई दशाओं में अवरोही है जबकि कृपीतर-क्षेत्रक में कराधान आरोही है।
- (iii) अनेक राज्यों में कृषि-आय कर नहीं लगाया गया है। जहाँ लगाया भी गया है, वहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रक का उच्चतर आय वर्ग अवकरारोपित (अन्डर टैक्स्ड) है।
- (iv) इस समय अविकाश कर-भार कर्मचारियों (वेतन-प्राप्तकर्ताओं), लाभ तथा अन्य फार्मेंटर आय कमाने वालों पर है। कराधान के व्यापकीकरण की आवश्यकता है और कृषि आय को इसमें छूट देने का कोई ग्रोवित्य नहीं।
- (v) राष्ट्रीय सम्पल सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण अपनी आय का केवल २.७ प्रतिशत बचाते हैं जबकि वे व्याह-शादियों, नशीले पदार्थों (शराब आदि), तम्बाकू, पान, मनोरजन पर अपनी आय का १० प्रतिशत से भी अधिक खर्च करते हैं। कर लगाकर इन अनावश्यक खर्चों से बचा जा सकता है और इससे उन्हें कोई विशेष कष्ट नहीं होगा।
- (vi) कृषि-आय पर कर लगाने का एक लाभ यह होगा कि अधिक कृषि-अधिशेष

(गाल) मडियो में आएगा और सरकार अपनी खाच और कीमत-नीतियों को अच्छी प्रकार से कार्यान्वित कर सकेगी। इससे अधिक अधिक स्थिरता प्राप्त होगी।

अंतत हम कह सकते हैं कि अल्प विकसित देशों में अधिक विकास हेतु पूँजी निर्माण के लिए यदि कृषि से कृषीतर क्षेत्रक में पूँजी का अन्तरण उत्तरण है, तो कृषि आय पर अतिरिक्त कर इसका एक दब्बा साधन है।

कई बार यह सदेह प्रकट किया जाता है कि कृषि-आय पर कर एक प्रकार से कृपकों की दक्षता पर दब होगा और इससे उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ेगा परन्तु जापान जैसे देशों के अनुमति से यह मिछ हो गया है कि कृषि-कर उत्पादिता तथा दक्षता बढ़ाने में प्रेरक मिछ हुए हैं और यह सदेह मिथ्या है। कृपक, कर से चुटकारा पाने में इतनी रुचि नहीं रखते जिन्होंने कि रुचि वे अपनी आय को बढ़ाने में रखते हैं।

ओद्योगीकृत देशों में प्राप्त अनुभव विकासशील देशों की नीतियों के निर्धारण में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जापान, इगलैंड तथा फ्रान्स में प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि कृषि-क्षेत्रक से पूँजी अतरणों का (चाहे ये राजकोषीय उपायों से हो या नास्थानिक प्रबन्धों द्वारा अथवा व्यापार-अर्थ (व्यापार-स्थिति) के माध्यम से हो), इन विकसित देशों में अन्तर कर्म करने तथा उत्पादन बढ़ाने की दक्षता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। बहुत से विकासशील देशों में कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र में विस्तार सम्भव नहीं है। इसलिए कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने हेतु वहाँ दक्षता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कृषि-कराधान कृषि-क्षेत्रक के विकास की गति को मद नहीं करेगा। वास्तव में इसके फलस्वरूप दक्षता-वृद्धि हेतु पड़ने वाला दबाव तथा नवीन टैक्नॉलॉजी व निविष्टियों का उपयोग उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होगे।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि कृषि कराधान की वर्तमान प्रणाली असमीकृत तथा लोचहीन है और धन तथा आय के सकेंद्रण को बढ़ावा देती है। जोधी योजना के पहले दो वर्षों में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का ५२ प्रतिशत कृषि-क्षेत्रक को प्राप्त हुआ है। इसके काफ़ी भाग को विकास के लिए जुटाया जा सकता है। राज्यों को इस कार्य में महत्व-पूर्ण भूमिका निभानी है।

कृषि-क्षेत्र ग्रल-करारोपित है और कृषि-आय को केन्द्रीय आय कर के व्यापक ढाँचे से अत्यंत रखना काफ़ी कर-वचन (टेक्स इवेन्यन) का एक लोत है। कृषि आय को प्रत्यक्ष आय-कराधान के व्यापक ढाँचे के अन्तर्गत लाने की उपयुक्त विधि यह है कि कृषि तथा कृषीतर दोनों प्रकार की आय पर कर की एकीकृत प्रणाली (यूनीफाइड सिस्टम ऑफ टेक्स) लागू की जाए। सविधान को धारा २५२ के अन्वेन राज्य केन्द्रीय सरकार को शक्ति सौंप सकते हैं ताकि केन्द्रीय सरकार कृषीतर-आय के साथ-साथ कृषि-आय पर भी कर लगा सके। कृषि आय से प्राप्त होने वाला कर परस्पर सहमति के आधार पर राज्यों में वाँटा जा सकता है।

१३.७ कृषि-कराधान में वृद्धि हेतु सुझाव

हमारे अध्ययन से स्पष्ट है कि भारत में कृषि-कराधान का विकास नहीं हुआ। वास्तव

मेरे भू-राजस्व तथा कृपि-आय का भार कम होता जा रहा है। कृपि-क्षेत्रके राजकोपीय अशदान मेरे बूढ़ि करने के लिए निम्न सुभाव विचारयोग्य हैं।

(i) भू-राजस्व सुधार सबंधी सुभाव—हम भू-राजस्व के स्वरूप तथा इसकी करवाहता का अव्ययन कर चुके हैं। हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि किसी भी हटिसे देखा जाए भू-राजस्व न्यायसंगत तथा सम्यक् नहीं है। उत्पादिता के विचार से भी भू-राजस्व का निष्पादन आशा के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त भू-राजस्व मेरे लचक भी नहीं है। जहाँ तक कर के आर्थिक प्रभावों का प्रश्न है यह ठीक है कि भू-राजस्व अधिक उपजाने की प्रेरणाधर्थों को कुप्रभावित नहीं करता और न यह संमाधन उपयोग की दिशा में कोई परिवर्तन लाता है परन्तु राजस्व के लोत के रूप में या फार्म-आय के कराधान के साधन के रूप में यह असफल रहा है। भू-राजस्व मेरे कृपि आय के १ प्रतिशत से भी कम की आय प्राप्त होती है। इसलिए इस राशि को बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है। इस सबव मेरनेक सुभाव रखे गये हैं जिनमें से कुछ एक का वर्णन हम कर चुके हैं। ये सुभाव इस प्रकार हैं :

- (१) अत्यधिक अनार्थिक जोतों पर भू-राजस्व समाप्त कर दिया जाए।
- (२) वर्तमान भूमि जोतों को मानक एकड़ों के अनुसार पुनः वर्गीकृत किया जाए।
- (३) अनार्थिक जोतों को छोड़ कर शेष जोतों पर आरोही दर से भू-राजस्व लगाया जाए और ऐसा सभाव्य नेट आय पर किया जाए।
- (४) कृपि कीमतों मेरिक्वर्टों के अनुरूप भूराजस्व-दरों में आवधिक संशोधन किये जाएं।
- (५) जहाँ तक संभव हो विभिन्न राज्यों मेरे भू-राजस्व दरों मेरे एक समानता लाई जाए आदि-आदि।

भारत मेरे भू-राजस्व से प्रतिवर्ष ११७ करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं जबकि नेट फसल क्षेत्र लगभग ३४ करोड़ एकड़ है। इस प्रकार भू-राजस्व की श्रीसत दर ३.५० रु० प्रति एकड़ बनती है। इस समय ७२ प्रतिशत कृपक ऐसे हैं जिनकी जोतें ५ एकड़ (२.०२ हैक्टर) ये कम की हैं। यदि इन छोटी जोतों पर भू-राजस्व को समाप्त कर दिया जाए, तो ७२ प्रतिशत छोटे कृपकों को इस कर के स्टार के मुक्ति घिलेनी परन्तु ये ७२ प्रतिशत कृपक केवल २० प्रतिशत भूमि के स्वामी हैं। इससे भू-राजस्व की प्राप्ति मेरे लगभग २३-२४ करोड़ रुपये की हानि होगी। भूमि की जोत की अविकतम सीमा १८ एकड़ (सिचित क्षेत्र) से ५४ एकड़ (शुष्क क्षेत्र) के बीच रखी गई है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिन लोगों के पास १८ एकड़ से जितनी भी अधिक भूमि होगी उनके पास असिचित क्षेत्र का अनुपात उतना ही अधिक होगा। इसलिए यदि २० एकड़ तक की जोतों पर आरोही दर से भू-राजस्व लगाया जाए तो २० एकड़ से अधिक की जोतों पर उच्चतम सीमा पहुँचने के बाद कर की दर अवरोही होनी चाहिए। विशेषकर, भूमि-सीमा के नियमों के लागू होने के बाद तो यही अविकत है। कहने का अभिप्राय यह है कि भू-राजस्व समजनीय दर (स्लार्डिंग स्केल) से लगाया जाए।

प्रस्ताव इस प्रकार है :-

जोत का आकार	राजस्व दर पर अधिशार	अनुमानित भू-राजस्व
०—५ एकड़	कर मुक्त	—
५—१० एकड़	५० प्रतिशत	३६ करोड़ रुपये
१०—१५ एकड़	१०० प्रतिशत	३२ " "
१५—२० एकड़	२०० प्रतिशत	३६ " "
२०—३० एकड़ } .	सीमान समायोजन द६ "	" "
३०—५४ एकड़ } .	(मार्जिनल एडजस्टमेंट)	
	कुल	१६० करोड़ रुपये

कराधान जाँच आयोग ने भी यह सिफारिश की थी कि सारे देश में भू-राजस्व का मानकीकरण किया जाए। दूसरे शब्दों में वर्तमान भूमि जोतों का मानक एकड़ों में पुनः वर्गीकरण करने तथा समाधि नेट आय पर भू-राजस्व के आरोही दर लगाने की जरूरत है। यदि इस सुझाव को कार्यान्वित कर लिया गया होता तो इससे भूमि-कराधान के मुक्ती-करण में काफी सहायता मिलती, परन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्रब समय अनुकूल है। विभिन्न राज्यों में भूमि-जोतों की उच्चतम सीमा-निधारिण सदृशी नियमों का कार्यान्वयन इस सदर्भ में भू-जोतों के पुनर्वर्गीकरण का स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। भूमि का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है:—

- (i) 'क वर्ग भूमि'—वह भूमि जहाँ सिचाई सुविधाएँ प्राप्त हों और जिसमें वर्ष में दो फसलें उपजाने की क्षमता हो (सरकारी नहरों तथा नल कूपों द्वारा सिचित)
- (ii) 'क क वर्ग भूमि'—वह भूमि जिसमें प्राप्त होने वाली भूमि के अधीन वर्ष में दो फसलें उपजाने की क्षमता हो परन्तु जिसे निजी नल कूपों द्वारा सिचित किया जाता हो।
- (iii) 'ख वर्ग भूमि'—प्राप्त होने वाली भूमि
- (iv) 'ग वर्ग भूमि'—उपरोक्त किसी की भूमियों को छोड़ कर बागान समेत शेष हर प्रकार की भूमि।

जोत की भूमि का मूल्याकान विभिन्न वर्गों की भूमि को 'ग वर्ग की भूमि' में निम्न मूल्य अनुसार परिवर्तन कर किया जा सकता है:

क वर्ग	क क वर्ग की	ख वर्ग की	ग वर्ग की
की १ इकाई=१.२५ इकाइयाँ	= १.५ इकाइयाँ	= ३ इकाइयाँ	

नयोंकि 'ग वर्ग की भूमि' की जोत की उच्चतम सीमा २१.८ हेक्टर (५४ एकड़) निधारित की गई है। इसलिए जोतों पर 'ग वर्ग की भूमि' के आधार पर भू-राजस्व लगा कर भू-राजस्व का मानकीकरण किया जा सकता है, इससे भू-राजस्व में आय तथा कीमत के मनुमार लोकशीलता के गुण का समावेश किया जा सकता है। हमारे उपरोक्त १६० करोड़ के अनुमानित भू-राजस्व के मनुमान में सीमात-समायोजन का आशय यही था कि भू-

राजस्व भूमि की उत्पादिता तथा उपज सभाज्य के आधार पर लगाया जाना चाहिए। तभी इसका युक्तीकरण किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त भी भू-राजस्व प्राप्तियों के सबर्धन के लिए अनेक सुझाव दिये जाते रहे हैं जिनमें से महत्वपूर्ण ये हैं—

(क) वाणिज्यिक फसलों पर उपकर (संस और कार्मिशल कॉर्प्स) —हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि वाणिज्यिक फसलों के उत्पादकों पर कर-वाह्यता अपेक्षाकृत कम है। यद्यपि इनके उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में अधिक वृद्धि नहीं हुई परन्तु इनकी कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसलिए आन्तर-क्षेत्रक न्याय का तकाजा है कि इन फसलों के उत्पादकों पर भू-राजस्व के साथ-साथ अतिरिक्त कर लगाया जाए। काँकी, तम्बाकू तथा चाय केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के अंतर्गत आते हैं और उन पर अधिक कर लगाने का क्षेत्र सीमित है। भारत में गन्ना, मूँगफली, कपास तथा पटसन कुल फसल क्षेत्रफल के लगभग १२ प्रतिशत भाग में उपजाई जाती हैं अर्थात् इन चार फसलों का कुल क्षेत्र लगभग ४.१ करोड़ एकड़ है। यदि इन पर सारे भारत में ५ रुपये प्रति एकड़ उपकर लगाया जाए तो २० करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति हो सकती है।

(ख) सिचाई-दरों या जल-दरों में वृद्धि (एनहैन्मेंट और इरीगेशन, प्रौद्योगिक वाटर रेट्स) —राज्य-सरकारें वाणिज्यिक सिचाई निर्माण-कार्यों तथा वहुमुखी परियोजनाओं पर लगभग प्रति वर्ष ८१ करोड़ रुपये की वार्षिक हानि उठा रही है। निचाई-परियोजनाओं से वित्तीय प्रतिफलों में सुधार हेतु उपाय सुझाने वाली निजिलिंगप्पा समिति ने यह सिफारिश की थी कि सिचाई-दर सिचित फसलों से कृपकों को प्राप्त अतिरिक्त नेट लाभ के २५ से ४० प्रतिशत तक होने चाहिए और जहाँ इस नेट लाभ का अनुमान न लगाया जा सके, वहाँ ये दर सिचित फसलों से कुल व्यय का ५ से १२ प्रतिशत तक होने चाहिए। समिति ने अनुरक्षण तथा सचालन व्यय को पूरा करने हेतु अनिवार्य प्रधिभार तथा खुशहाली-कर का सुझाव दिया था। अधिकांश भार कृषि-भेत्रक पर पड़ेगा क्योंकि वह इनसे प्रत्यक्षतः लाभान्वित होता है। इन दरों में वृद्धि कर के भी कुछ अतिरिक्त उगाही प्राप्त की जा सकती है।

भू-राजस्व से प्राप्ति के सबर्धन हेतु पिछले वर्षों में अनेक राज्यों में स्थानीय सस्थानों द्वारा या स्थानीय सस्थानों के लिए भू-राजस्व पर अनेक प्रकार के उपकर लगाए गए हैं। कई बार यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य कर के रूप में भू-राजस्व को समाप्त कर देना चाहिए तथा स्थानीय सस्थानों को अपनी आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार कर लगाने की छूट होनी चाहिए। इससे स्थानीय वित्त-व्यवस्था को सुहृद किया जा सकता है। साथ ही कृपक इन करों के देने में आना कानी नहीं करेंगे क्योंकि इनसे स्थानीय लाभ प्राप्त हो सकेंगे। उपरोक्त ग्रन्थयन से स्पष्ट है कि भू-राजस्व को चाहे यह राज्य द्वारा इकट्ठा किया जाए अथवा स्थानीय सस्थानों द्वारा, समाप्त करना आवश्यक नहीं। यह किसी न किसी रूप में रहेगा। कई राज्य भू-राजस्व के एक भाग को या इस पर उपकरों की राशि को विशेष या सामान्य उद्देश्यों के लिए स्थानीय सस्थानों को दे देते हैं। वैसे भी भू-राजस्व एक उत्तम स्थानीय कर है और यह स्थानीय स्वशामन-सस्थानों द्वारा ही इकट्ठा किया जाना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो, शक्ति का अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।

ग्रन्त. उपरोक्त अध्ययन में स्पष्ट है कि भूमि पर अधिक कर होने चाहिए। उपरिलिखित सुझावों के अनुसार भू-राजस्व से प्रतिवर्ष १०० से १२५ करोड़ रुपये तक की प्राप्ति की जा सकती है। एक सुट्ट कर नीति के तीन सिद्धान्त होते हैं: (१) सामाजिक न्याय (२) प्रशासनिक व्यावहारिकता तथा (३) आर्थिक दक्षता।

कर निर्धारण मुख्यतः भूमि की क्षमता तथा आर्थिक दक्षता पर आधारित होना चाहिए न कि उत्पादन पर। इससे कृषक लोग अधिक उत्पादन करने के लिए उद्यत तथा बाध्य होगे। हमारे भू-राजस्व के सबर्थन-सम्बन्धी सुझाव सामाजिक न्याय, प्रशासनिक व्यावहारिकता तथा आर्थिक क्षमता व दक्षता के सिद्धान्तों पर खरे उत्तरते हैं और इन्हें ग्रादा करने में कृषकों को कोई कष्ट नहीं होगा।

(१) कृषि-आय-कर सम्बन्धी सुझाव—भारतीय कराधान-जांच समिति ने १६२५ में अपनी रिपोर्ट में कहा था 'कि कृषि से प्राप्त आयों की आयकर से लगातार छूट का कोई ऐतिहासिक तथा संद्वातिक ग्रौचित्य नहीं है। परन्तु इसमें पूर्व कि हम इस विषय का आगे विवेचन करे, हमें कृषि-आय की परिभाषा का ज्ञान होना चाहिये।

भारतीय आयकर नियम, १६२२ के परिच्छेद २ (२) के अनुसार 'कृषि-आयों' से अभिप्राय है—

(क) कोई भी किराया या आय जो ऐसी भूमि में प्राप्त हो जो कृषि-उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है और जिस पर या तो भारत में भू-राजस्व निर्धारित किया गया है या जिस पर सरकारी अधिकारियों द्वारा स्थानीय दर निर्धारित की गई है और इस प्रकार कर एकत्र किया गया है;

(ख) ऐसी सूमि से कोई भी आय जो

(१) कृषि द्वारा या (१) कृषक अथवा जिन्स किरायाग्राही द्वारा साधारणतः प्रपनामे गये परिकरण के सहारे जिससे उगाई गई या प्राप्त की गई उपज को बाजार के योग्य बनाया जाता हो, के निष्पादन से या (११) कृषक अथवा जिन्स किरायाग्राही द्वारा बिना किसी परिकरण के उपजाई गई या प्राप्त की गई उपजाई गई बिक्री से, प्राप्त हो।

हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि भारत में कुल कृषि-आयकर कृषि-आय के ०.१ प्रतिशत से भी कम है और यह भू-राजस्व से प्राप्त राशि का केवल दसवाँ भाग है। कृषि-आयकर के इस नगण्य-तुल्य अगदान का मुख्य कारण यह है कि यह कर सब राज्यों में लागू नहीं किया गया और जिन राज्यों में लागू भी किया गया है वे राज्य इसको प्रभावी ढंग से लागू करने में हिचकिचा रहे हैं। उदाहरणतः गुजरात, पंजाब, तथा हरियाणा जैसे समृद्ध राज्य कृषि-आयकर लगाने से हिचकिचा रहे हैं। आध्रप्रदेश में इसे लगाकर समाप्त कर दिया गया है। कृषि-आयकर के सबव भी एक विशेष बात यह है कि कुल आयकर का लगभग ७० प्रतिशत भाग तीन राज्यों द्वारा, केरल तथा तामिलनाडु से प्राप्त होता है जहाँ बागानों की अधिकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कृषि-आयकर का अधिकांश भाग बागानों से प्राप्त होता है। राज्यों में कृषि-आयकर की दरें प्रायः बहुत निम्न हैं। जम्मू व कश्मीर में यह कर केवल वाणिज्यिक फसलों पर लागू है। कुछ राज्यों में कृषि-आयकर के

लिए ग्राय की छट की सीमा बहुत ऊँची रखी गई है और उसमें काफी मिश्रता है विशेषकर के उस स्थिति में जबकि सीमा का आधार जोत का क्षेत्रफल हो। कई राज्यों में छट की सीमा वहाँ निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक या इसके करीब रखी गई है, जिसका अर्थ यह हुआ कि किनी भी कृपक पर कर नहीं लग सकेगा। उदाहरणार्थ पश्चिमी बगाल में छूट की सीमा ८२ वीथा (२६.२४ एकड़) रखी गई। जबकि वहाँ उच्चतम सीमा ७५ वीथा (लगभग २५ एकड़) थी। इसी प्रकार छूट की सीमा मेसूर में निम्नतम बर्ग की भूमि के ५० एकड़ तथा मध्यप्रदेश में ट्रैकट्रीकृत भूमि के लिए ५० एकड़ तथा अट्रैकट्रीकृत भूमि के लिए १०० एकड़ रखी गई। महाराष्ट्र में कृषि-ग्राय में छट सीमा ३६००० रुपये है। उत्तर-प्रदेश में छूट की सीमा ३६०० रुपये तथा ३० एकड़ भूमि है। सक्षेप में हम कह सकते हैं कि अनेक राज्यों में छूट की अत्यधिक उच्च सीमाएँ बर्तमान कृषि-ग्रायकर-प्रणालों का सबसे बड़ा दोष है। इसके कारण कृषि-ग्रायकर का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोई आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ सका। इसलिए इस दिया में सुधार की अत्यधिक गुंजायश है।

अनेक राज्यों ने भू-राजस्व को प्रगतिशील व न्यायसंगत बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और यह तर्क दिया जा रहा है कि भू-राजस्व के युक्तीकरण तथा सुधार के बाद कृषि-ग्राय पर कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या कृषि-क्षेत्रक में ऐसे लोग विद्यमान हैं जिनकी ग्राय संशोधित भू-राजस्व देने के बाद भी इतनी अधिक होगी कि उन पर कर लगाया जा सके और क्या ऐसे समृद्ध बर्ग की ग्रायकर से मुक्ति का परिणाम विप्रमताओं को बढ़ावा देना नहीं होगा? कहने का अभिप्राय यह है कि कृषि-क्षेत्रक में मौजूद धनीबर्ग को कर से मुक्ति का कोई दैवीय अधिकार प्राप्त नहीं है और सामाजिक न्याय तथा आर्थिक दक्षता की हाफिट से उनको आय पर उचित कर लगाना न्यायसंगत है।

कृषि-ग्रायकर के आलोचकों को यह नहीं भूलना चाहिये कि भू-राजस्व में सुधार, सशोधन व संवर्धन के बाद भी बर्तमान प्रत्यक्ष करों का कृषि-क्षेत्रक पर भार कृषि-ग्राय के १.५ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जबकि कृषीतर-क्षेत्रक पर प्रत्यक्ष करों का भार ग्राय के ६-७ प्रतिशत के बराबर है। इस सदर्भ में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कुल करों का कृषीतर-क्षेत्रक पर भार कृषि-क्षेत्रक की तुलना में दुगुना या तिगुना है। इसलिए यह परमावश्यक है कि कृषि-क्षेत्रक में भी समृद्ध कृपकों की कृषि-ग्राय पर कर लगाकर अधिक से अधिक ससाधनों का जुटाव किया जाए, यद्यपि इस बात से भी इकार नहीं किया जा सकता कि कृषि-क्षेत्रक में कर-आधार अधिक विस्तृत तथा व्यापक नहीं है और इसे लागू करने में अनेक प्रशासी तथा तकनीकी कठिनाइयाँ या सकती हैं। यहाँ कृषीतर तथा कृषि-क्षेत्रक के कर-आधारों में अतर को समझ सेना चाहिए।

हाल ही में किये गये कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि फार्मर परिवार क्षेत्र में लगभग ७५ प्रतिशत प्रत्यक्ष कर भार ऐसे परिवारों को सहन करना पड़ता है जिनकी ग्राय १५००० रुपये प्रतिवर्ष से अधिक है। दूसरी ओर ग्राय-वितरण के अनुमानों से पता चलता है कि फार्म-क्षेत्र में इतनी ऊँची ग्राय वाले परिवारों की संख्या न के बराबर है (अर्थात् बहुत कम है)। इसलिए फार्म-क्षेत्र में उच्च सीमात कर-दरों के लागू होने का क्षेत्र सीमित

है। इनके अतिरिक्त भूमि सुधार-उपायों के कार्यन्वयन, विशेषकर भूमि जोतो की उच्चतम सीमाओं के लागू होने से भू-उपविभाजन को बढ़ावा मिला है और इससे कृषि-आय-कर के कर-आधार पर दुष्प्रभाव पड़ा है। कहने का अभिप्राय यह है कि भूमि सीमा सम्बन्धी नियमों के प्रभावी ढग से लागू होने के बाद किसी भी परिवार की कृषि से प्राप्त आय को २५-३० हजार रुपये प्रतिवर्ष से अधिक होने की सम्भावना नहीं है। इस प्रकार कृषि आय-कर का क्षेत्र काफी सकीर्ण है। कृषि-क्षेत्र में सारं कर का भार मध्य आय वर्ग को सहन करना पड़ेगा जबकि कृषीतर-क्षेत्रक में कर का बहुत बड़ा भाग उच्च आय वर्ग से प्राप्त होता है।

कृषि-आय की कर से मुक्ति फार्मेटर-क्षेत्र में कर-दंबन (टैक्स इवेजन) का एक बड़ा साधन रही है। फार्मेटर-क्षेत्र में कई लोग जो अपने व्यवसाय के साथ-साथ कृषि का काम भी करते रहे हैं, फार्मेटर-क्षेत्र में प्राप्त आय को कृषि-आय के रूप में दिखाते रहे हैं जिसके कारण उन्हें इस राशि पर आयकर से छठ मिल रही है और इस प्रकार काफी फार्मेटर-आय कर से विचित रही है। इसलिए अच्छी बात तो यह है कि आय-कराधान के लिए कृषि तथा कृषीतर-आय को मिला दिया जावे। निस्सदैह इसके लिए सविधान में सशोधन करना पड़ेगा। पाँचवे वित्त आयोग ने भी १९६६ में इस सदर्भ में तर्क दिया था कि 'कृषि तथा कृषीतर-आय दोनों पर एक ही आय कर लगाने से एक एकीकृत व्यवस्था के लाभ प्राप्त होंगे और अधिकाश आय को न्यून करारोपित या अ-करारोपित भागों में दिखा कर लोगों को कर-दंबन का अवसर प्राप्त नहीं होगा। ससार के उन्नत देशों में भी ऐसी ही प्रथा है'। परन्तु सब राज्यों का इस व्यवस्था से सहमत होना सभव नहीं है। अनेक राज्य सम-वतः अपनी वित्तीय स्वायत्तता को छोड़ने के लिए तंयार नहीं होंगे। इसलिए सविधान-सशोधन को छोड़कर वर्तमान परिस्थितियों में सर्वोत्तम मार्ग यह है कि कृषि-आय-कर में, जहाँ तक सम्भव हो सके, केन्द्रीय आयकर की अधिकाश विशेषताओं का समावेश किया जाए। यह ध्यान रहे कि कृषि-आय पर कृषीतर-आय की अपेक्षा कर-दंदर कम होने चाहिए क्योंकि भू-राजस्व तथा जल-दर आदि आरायमियों के कारण कृषकों की करदान-समता (टैक्सेविल कैपेसिटी) कम हो जाती है। विकल्प में इन करों तथा अधिभारों को कर योग्य राशि से घटाया जा सकता है। नेट कर योग्य आय प्राप्त करने के लिए उचित निर्वाह राशि को छठ देनी पड़ेगी।

राज-समिति ने अक्टूबर, १९७२ में दो गई अपनी रिपोर्ट में अनेक मुझाव दिए हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का विवेचन नीचे किया जा रहा है।

समिति ने सिफारिश की है कि कृषि तथा कृषीतर आयों के कर-निर्धारण के लिए कर यदा करने वाली इकाई 'परिवार' होनी चाहिए। यह तर्क लिंकल उचित है क्योंकि भूमि-जोतों की उच्चतम सीमाएँ परिवार-जोतों पर लागू होंगी इसलिए कृषि-जोत-कर भी परिवार जोत पर ही लागू होना चाहिए।

ऐसी जोतों के बारे में जिन पर एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं राज-समिति का मुझाव है कि एक जिले या क्षेत्र की फसलों का थोड़े से फसल वर्गों में वर्गीकरण कर लेना चाहिए और प्रत्येक ऐसे वर्ग के लिए श्रौतस्त दर-योग्य मूल्य (रेटेविल वैल्य) निकाल लेना

चाहिए। तब सापेक्ष फसल वर्गों के दर-योग्य मूल्यों के आधार पर कृषि-जोत का दर-योग्य मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में दो समस्याएँ हो सकती हैं। एक समस्या एक ही वर्ष में एक से अधिक फसलों (अर्थात् बहु फसलों) की है या फसलों के हेर-फेर की है। दूसरी समस्या मिश्रित फसलों की है। इनके कारण दर योग्य मूल्य ज्ञात करने की प्रविधि काफी समय लेने वाली तथा खर्चीली होगी। दर-योग्य मूल्य कुल उपज में से कृषि लागतें तथा सिचाई-व्यय घटाने से प्राप्त होता है।

समिति ने कर के लिए वास्तविक आय पर समाव्य आय ('पोटेन्सियल इनकम) के आधार को बरीयता दी है। वास्तव में अल्पविकसित देशों में समाव्य आय पर आधारित कृषि-कराधान प्रेरणा-कराधान का प्रभावी रूप ले सकता है। वे लोग जो अपनी भूमियों की ओर व्यापार नहीं देंगे इडिट होगे जबकि वे जो अपनी भूमि का व्यापार रखेंगे, लाभान्वित होंगे क्योंकि समाव्य आय औसत व्यापारादन पर आधारित है।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि कृषि जोत कर (एप्रीकल्चरल होल्डिंग टैक्स) अर्थात् कृषि आयकर सञ्चालन-जोतों पर लागू होना चाहिए न कि निजी स्वामित्व की जोतों पर। इसको मान्य आर्थिक तर्क के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। यदि कृषि से आय ही को कर-आवार बनना है तो सञ्चालन-जोत का महत्व है न कि स्वामित्व-जोत का, क्योंकि भूमि से आय प्राप्त करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि कृषक भूमि का स्वर्यं स्वामी हो।

प्रायः: यह सुझाव दिया जाता है कि कर-उद्देश्यों के लिए कृषि तथा कृषीतर-आयों के पृथक्करण से केवल सरकार को राजस्व की ही हाति नहीं होती बल्कि विभिन्न करदाताओं के बीच समस्तर समता के सिद्धान्त का भी उल्लंघन होता है। समिति का विचार था कि दोनों वर्गों की आयों का सम्पूर्ण एकीकरण असमता तथा कर-वचन की समस्याओं का सतोप-जनक हल नहीं है। **अतः:** समिति ने कृषीतर-आय पर कर-दर निर्धारण हेतु दोनों प्रकार की आय के आशिक एकीकरण (पारशियल इन्टींशन) की सिफारिश की है। समिति द्वारा सुझाई गई आशिक एकीकरण की योजना के अनुमान एक करदाता की आय के दोनों कृषि तथा कृषीतर-घटक को इकट्ठा कर लिया जाएगा और कृषीतर-घटकों पर समस्त आय के उच्चतम खड़ कर-दर से कर लगाया जाएगा। यद्यपि एकीकरण का विचार सराहनीय है परन्तु इसके कार्यान्वयन में अनेक कठिनाइयाँ हैं जिनमें से कुछ एक का उल्लेख पहले हम कर चुके हैं।

हमने पिछले अध्याय में रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु साधनों को प्राप्त करने के लिए समृद्ध कृषकों पर आयकर लगाने के सुझाव का सक्षिप्त वर्णन किया था। कच्चे अनु-मानों के अनुसार लगभग ६४० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कृषि आयकर से प्राप्त हो सकते हैं। यह अनुमान विभिन्न राज्यों की कृषि परिस्थितियों को व्याप में रखते हुए संशोधित किया जा सकता है। निचे हम उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कृषि-आय कर का अनुमान लगाने का प्रयत्न करेंगे।

भारत में १९७२-७३ में कृषि-क्षेत्रक से चानू कीमतों पर कुल आय १६०३३ करोड़ रुपये और नेट फसल क्षेत्र ३४ करोड़ एकड़ था। इस प्रकार प्रति एकड़ औसत कृषि-आय लग-

भग ५६० रुपये है। यदि १० एकड़ तक की सब सचानन जोतों को (अर्थात् ५६०० रु. की वार्षिक आय को) कृषि-आयकर से छूट दे दी जाए और १० एकड़ से अधिक की जोतों पर आय कर लगाया जाए, तो लगभग ६० लाख कृपकों पर जो कि सगभग २० करोड़ एकड़ भूमि पर खेती कर रहे हैं, कृषि-आयकर लगेगा। उनकी कुल कृषि आय का अनुमान ११२०० करोड़ रुपये है।

राज-समिति की सिफारिश के अनुसार एक जोत का दर योग्य मूल्य कुल उत्पादन में से सिचाई व्यय समेत कृषि-लागतों को घटाकर प्राप्त किया जाता है; समिति ने सुझाव दिया था कि ये लागते कुल उत्पादन का सामान्यतः ४० प्रतिशत होगी परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि पट्टे वाली भूमि का किराया इस कसोटी में सम्मिलित है या नहीं। यदि हम ४५ प्रतिशत भी छूट दे देते तो ज्ञेप ६१६० करोड़ रु. की कृषि आय कर-योग्य होगी। क्योंकि उच्चतम सीमा के निर्धारण के बाद कृषि में उच्च आय वर्ग शून्य के बराबर होगा और आयकर का भार मध्य आय वर्ग पर पड़ेगा जो कि पहले ही कुछ भू-राजस्व दे रहा है, इसलिए कृषि-आय पर कर दर कम होनी चाहिए। यदि कृषि आय पर एक समान कर की दर १० प्रतिशत हो (जो कि सामान्य कर के निम्नतम आय खंड पर लगती है) तो कृषि आयकर से लगभग ६१६ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त हो सकेंगे। यह व्यान रहे कि १० एकड़ तक की जोतों को आयकर से छूट देने के फलस्वरूप ८० प्रतिशत से अधिक कृपकों को कृषि-आय पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा। यहाँ एकड़ का मानकीकरण दर-योग्य मूल्य निर्धारित कर के किया जा सकता है। आय के विभिन्न खंडों (स्लेट्स) पर कर की दरें भिन्न-भिन्न हो सकती हैं परन्तु कृषि आय को दो या तीन खंडों में ही बांटा जाना चाहिए।

यह व्यान रहे कि प्रशासनिक तथा वैधानिक प्रतिबन्धों के कारण फार्म-सेंट्रक में राजस्व विभव कम हो सकता है। विशेषकर के (१) भूमि मुधारो तथा भूमि वितरण में परिवर्तनों, (२) परिवार के बड़े आकार के कारण एक से अधिक कमियों के होने और फलस्वरूप एक से अधिक कर-विवरणों के प्रस्तुतीकरण की सभावना तथा (३) कृषि प्रविधियों में निहित आय को कम-वताने की सभावना के कारण राजस्व विभव कम होने की सभावनाएँ अधिक हो सकती हैं।

संक्षेप में आय तथा धन पर करारेपण का उद्देश्य केवल अधिक राजस्व प्राप्त करना ही नहीं बल्कि इसके द्वारा आय तथा धन में असमानताओं को भी बढ़ने से रोका जा सकता है। हमारे सुझावों के अनुसार ५ एकड़ से भी कम की जोतों पर कोई भू-राजस्व नहीं होगा और १० एकड़ से कम की जोतों वाले कृपकों पर जिनकी संख्या ८० प्रतिशत है, कोई आय कर नहीं लगेगा और उन्हें कर से छूट होगी। यह बहुत आवश्यक है कि सब कर योग्य आयों तथा सम्पदा को कर के घेरे में लाया जाए, उपहार द्वारा आय तथा परिसम्पत्ति के विभाजन को रोका जाए, जीवन भर के संचयनों पर सम्पदा-कर लगाया जाए और पूजीगत अभिलामों पर अधिक कठाई से कर लगाये जाएं। आर्थिक विकास की गति को तेज़ करने के लिए यह चलारी है कि उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण विदोहन किया जाए।

कृषि-अनुसंधान और शिक्षा

१४.१ अनुसंधान का महत्व

मर्थव्यवस्था के त्वरित विकास के लिए यह जरूरी है कि कृषि का वाणिज्यिक प्राधार पर विकास किया जाए और इसका प्रबन्ध दक्षता में हो। इसके लिए उत्पादन के सब कारकों की उत्पादन-दक्षता में समग्र सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है। अतः कृषि-विकास वर्तमान सासाधनों की उत्पादिता में बढ़ि पर निर्भर करता है। आधुनिक कृषि की उच्च उत्पादिता के मुख्य साधन पुनरुत्पादनीय सासाधन हैं। इन सासाधनों में भौतिक निविटियाँ तथा उनको सफलतापूर्वक प्रयोग करने हेतु ग्रभीष्ट कौशल और क्षमताएँ सम्मिलित हैं। कृषि-विकास तभी सम्भव है यदि इन सासाधनों के न्यूनतम उपयोग से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके अर्थात् कृषि-विकास को तेज़ करने के लिए ऐसी प्रविधियों के अपनाने की आवश्यकता है जिनसे अधिकतम उत्पादिता प्राप्त हो। कहने का अभिप्राय यह है कि तकनीकी परिवर्तन व सुधार आर्थिक प्रगति की जड़ है। कृषि उस समय तक उच्च प्रतिफल प्राप्त नहीं कर सकते जबतक कि कृषि-क्षेत्रों में प्रभावी अनुसंधान नहीं किया जाता। वास्तव में कृषि का विकास नवीन विज्ञान तथा टैक्नॉलॉजी पर निर्भर है। संक्षेप में सुव्यवस्थित अनुसंधान वह आधार है जिस पर आधुनिक कृषि का निर्माण किया जा सकता है।

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तकनीकी सुधार निविट-उत्पत्ति गुणाक (इनपुट-आउटपुट कोएफीग्याएन्ट) में न्यूनता लाते हैं। फलस्वरूप सासाधनों की मांग के वर्तमान स्तर में कमी हो जाती है। इसमें जहाँ एक और उत्पाद-पूर्ति फलनों (प्रोडेक्ट सिल्वार्ड फक्कशन) में बढ़ि होती है, वहाँ दूसरी ओर कारक मांग फलनों (फेटर डिमाड फक्कशन) में सापेक्ष कमी होती है। कहना न होगा कि उत्पाद-पूर्ति-फलनों में बढ़ि और कारक-मांग फलनों में सापेक्ष सकूचन कृषि-प्रगति का परिचायक तथा मापदण्ड है। अमरीका तथा जापान जैसे विकिमित देश इस सदर्भ में सर्वोत्तम उदाहरण हैं। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी कृषि निविटियों का लगातार विकास तथा परीक्षण किया जाए जो अधिक लाभ प्राप्त कराने वाली हो। तेज़ कृषि विकास के लिए सतत परिवर्तनशील टैक्नॉलॉजी की आवश्यकता है। जब तकनीकी परिवर्तन सुक जाता है, कृषि स्वतः ही गतिहीन हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि कृषि में क्रांति के लिए अनुसंधान में क्रांति की आवश्यकता है।

जननिक तथा रासायनिक टैक्नॉलॉजी के कारण (अर्थात् अधिक उपज देने वाले दोजों और उर्वरकों के प्रयोग के फलस्वरूप) उत्पादन की संभावनाएँ बढ़ गई हैं और इस प्रगति के कारण अन्य क्षेत्रों जैसे यन्त्रीकरण, सिल्वार्ड, मर्यादास्व, विपणन, जल-प्रयोग व प्रबन्धन

आदि में भी नए अनुसंधान तथा टैक्नॉलॉजी को आवश्यकता अनुमति होने लगी है। कृषि में सत्र वृद्धि-दर को बढ़ाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में सुधार के नए साधनों की सदृश्यता शास्त्र में रहना होगा। कृषि-विकास में सामाजिक प्रगति बढ़ाए रखने के लिए प्रशासन को अनुसंधानकर्ताओं, तकनीकी, शंकाणिकों तथा कृषकों सबको लगन से अपना-प्रपन्ना काम करना होगा। तकनीकी सुधार के लिए अनुसंधान तथा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश कृषि नीति का मुख्य प्रगति होना चाहिए। जहाँ नए अनुसंधान द्वारा भौतिक साधनों की उत्पादिता में वृद्धि होगी वहाँ शिक्षण व प्रशिक्षण द्वारा मानव साधनों की दक्षता व क्षमता में वृद्धि होगी और वर्तमान तथा नवीन निविटियों का अधिकतम लाभ उठाया जा सकेगा।

इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि अर्थव्यवस्था में व्याप्त विषमताओं तथा धर्मसमानताओं को दूर करने के लिए या तो उत्पादन के साधनों का पुनर्वितरण करना होगा अथवा आय के सम्यक् वितरण की आवश्यकता होगी। परन्तु केवल भूमि का पुनर्वितरण नात्र ही काफी नहीं है। लघु कृषक तबतक उच्च प्रतिफल प्राप्त नहीं कर सकते जबतक कि इन उपायों के साथ-साथ प्रभावी अनुसंधान की सहायता प्रदान नहीं की जाती। लघु कृषकों की दशा में सुधार लाने के लिए यह ज़रूरी है कि सरकार की ओर से उन्हें उन्हें श्याय्य पूर्ण तथा सुव्यवस्थित समाजीकृत सेवाएँ और सुविधाएँ प्राप्त कराई जाएँ। सहायक सार्वजनिक कार्यों में सिचाई तथा भूसरक्षण में निवेश तथा उधार सुविधाएँ सम्मिलित हैं। ये सुविधाएँ पूँजी की लागत को कम करती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि साधनों की वास्तविक कीमत को कम करने के लिए तथा इनकी युग्मवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सचालित अनुसंधान तथा शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये सामाजिक तथा अविकेय क्रियाएँ कृषि-साधनों की उत्पादिता में वृद्धि करने, कृषि पूर्ति-फलन के सर्वधन तथा कृषि के विकास में अत्यधिक प्रभावी हित हो सकती हैं। कृषि-विकास नवीन विज्ञान तथा टैक्नॉलॉजी पर निर्भर है। वास्तव में देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का (चाहे वे वर्षा पर निर्भर हो या सिंचित हो) सतुरित विकास मनुसंवान पर निर्भर है। इसी प्रकार कृषि जनसंख्या के विभिन्न वर्ग (बहुत, मध्यम या लघु) अपनी उन्नति के लिए अनुसंधान पर निर्भर हैं। पिछले ५० वर्षों में अमरीका तथा जापान में कृषि-क्षेत्रक में तकनीकी सुधार के लिए अनुसंधान तथा शिक्षा में मारी सार्वजनिक निवेश किए गए हैं।

निम्न आय वाले देशों में प्रशासनिक न्यूनतायों तथा शिक्षा में अमाव के कारण प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों का काव्यन्वयन पूर्णतः सफल नहीं हो सकता। इसलिए इन देशों में जहाँ आधुनिक निविटियों के अनुप्रयोग के लिए आधारभूत अनुसंधान को प्राथमिकता देनी होगी वहाँ इन्हे आवश्यक कौशल व क्षमताएँ प्राप्त करने के लिए अपने ही लोगों के शिक्षण व प्रशिक्षण में मारी निवेश करना होगा। तकनीकी अनुसंधान से समाज को अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। कहना न होगा कि लगातार तकनीकी उन्नति व सुधार का कृषि-विकास के प्रक्रम में विशेष महत्व है। वैज्ञानिक प्रगति आर्थिक विकास की कु जी है। अल्प विकसित देशों में निम्न जीवन-स्तर प्रौद्योगिक विनंता के कारण लोगों के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों के लिए पूँजी जुटाना सभव नहीं है। इसलिए यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह इन महत्वपूर्ण कार्यों को अपने हाथ में ले। निर्यन्त देशों की आर्द्धिक सवृद्धि के लिए

सार्वजनिक अनुसंधान व शिक्षा एक क्रातिक उपादान है। सार्वजनिक अनुसंधान तथा शिक्षा के अनेक लक्ष्य हो सकते हैं जिनमें में कुछ एक का संक्षिप्त वर्णन यहाँ किया जा रहा है :

१४.२ सार्वजनिक अनुसंधान के लक्ष्य

- (i) फार्म आय में बढ़ि करना—सार्वजनिक अनुसंधान व शिक्षा का मुख्य लक्ष्य फार्म आय में बढ़ि प्राप्त करना है। कृषि-व्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति आय अति निम्न होती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और मांग लोचों के स्तर ऐसे हैं कि अधिक सकल फार्म-आय प्राप्त करने के लिए उत्पादन को बढ़ाने के सिवाय कोई चारा नहीं है। निम्न आय बाले देशों में अधिक उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनुसंधान तथा विकास-निधानों का मामाजीकरण जरूरी है। ये लक्ष्य सार्वजनिक अनुसंधान तथा शिक्षा-व्यवस्थाओं द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं।
- (ii) भूखमरी को रोकना—कृषि-प्रधान देशों में भूमि सीमित है तथा जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। भूजन-अनुपात बहुत कम है। कृषि अविकसित होती है और उत्पादन इतना कम होता है कि लोगों को पेट भर रोटी भी नसीब नहीं होती। भूखमरी को रोकने के लिए दूसरे देशों से भारी मात्रा में अन्न का आयात करना पड़ता है जिसके लिए विदेशी मुद्रा जुटाना कठिन है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय ऐसी विधियाँ अपनाना हैं जिनसे उत्पादन में बढ़ि हो। भूमि की मात्रा सीमित होने के कारण भूमि का क्षेत्र नहीं बढ़ सकता। कृषि-उत्पादन में बढ़ि करने का एक मात्र विकल्प उचित टैक्मॉलोजी का प्रयोग रह जाता है। ऐसी स्थिति में प्रौद्योगिकीय सुधार ही भूमि का स्थानापन्न (सबस्टीट्यूट कोर लेंड) बन जाता है। निम्न आय बाले देशों में सार्वजनिक अनुसंधान व शिक्षा सहायता की अनुपस्थिति में तकनीकी उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अन्नाभाव को अनुसंधान की सहायता से ही दूर किया जा सकता है।
- (iii) अंतर-क्षेत्रीय व अंतर-राज्य असमानताओं को कम करना—एक देश के विभिन्न खंडों की जलवायु, भूगि, (मृदा), उत्तरण (एलीवेशन) आदि उपादानों में बड़ा अंतर होता है। ये अन्तर पौधों की उर्वरक, जल तथा अन्य कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। वास्तव में कृषि की जैविक आवश्यकताएँ (वाइलोजीकल रिक्वायरमेंट) विशेष महत्व की हैं। इसलिए भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कृषि की प्रविधियाँ व आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होगी। एक विशेष क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त कृषि विधियों के निर्धारण के लिए अनुसंधान की आवश्यकता होती है। अत अनुसंधान व शिक्षा की सहायता में कृषि का विकास कर अंतर-क्षेत्रीय तथा अंतर-राज्य असमानताओं और विप्रमत्ताओं को कम किया जा सकता है। सार्वजनिक अनुसंधान केवल पिछड़े क्षेत्रों के विकास में ही महायक नहीं होगा बल्कि इसकी सहायता से विभिन्न राज्य व क्षेत्र अपनी प्रतियोगी स्थिति को भी बनाये रख सकेंगे। अतः सार्वजनिक अनुसंधान व शिक्षा का एक लक्ष्य राज्यों की प्रतियोगी व प्रतिस्पर्धी स्थिति को

बनाये रखना है।

- (iv) ज्ञान वृद्धि—साकंजनिक अनुसधान व शिक्षा नवीन विधियों के उपयोग तथा ज्ञान प्रसार को तेज़ करने में सहायक हो सकते हैं। लाभदायक ज्ञान और कौशल के कारण ही उच्चत देश अपने उपयोग के लिए ऐसे उपादानों का सृजन कर सके हैं जो तकनीकी रूप में अन्य देशों में उपयोग किये जाने वाले उपादानों से बेहतर होते हैं। निर्धन देश ज्ञान द्वारा ही जैवीय तथा अन्य परिस्थितियों के उपयुक्त नवीन उपादानों का विकास कर सकते हैं। अल्प विकसित देशों की कृपि की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नए उपादानों और नवीन विधियों का सृजन तथा विकास अनुसंधान द्वारा ही किया जा सकता है। पौधों, पशुओं, मृदा, यत्रों आदि से संबंधित मान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों का ज्ञान अत्यावश्यक है। ज्ञानवर्धन व प्रसार अनुसधान व शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। वास्तव में ज्ञान-उपादान अतिम उद्देश्य है और यह एक प्रकार का अर्थ-उपयोग पदार्थ (सेमी कन्जम्पशन मुड्स) है।
- (v) आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा (प्रमोशन आॅफ इकोनोमिक ग्रोथ)—अनुसधान की सफलता आर्थिक विकास तथा तकनीकी प्रगति में परिख्यत होती है। कृपि अनुसधान की सहायता से निम्न आय वाले देश केवल खाद्यान्नों के उत्पादन में ही आत्मनिर्भर नहीं होंगे बल्कि निर्यात के लिए कृपि पदार्थों और उद्योगों के लिए कच्चे माल की भी प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो सकेगी। अल्प विकसित देशों में कृपि विकास द्वारा ही लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा किया जा सकता है और आर्थिक संवृद्धि की मति को तेज़ किया जा सकता है। अनुसधान आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अत्यावश्यक है।

१४.३ अनुसंधान-प्रक्रम का स्वरूप तथा विकासशील देशों की अनुसंधान-आवश्यकताएँ—

यह सर्वविदित है कि कृपि-शेवक में कारकों की उत्पादन-दक्षता को बढ़ाने के लिए निरतर अनुसधान की आवश्यकता है। इसलिए अनुसधान-प्रक्रम के स्वरूप तथा इसकी जटिलता को भलीभांति समझ लेना चाहिए। अनुसधान के अनेक रूप होते हैं—

- (i) मूलभूत अनुसंधान (बेसिक रिसर्च)—मूलभूत अनुसधान पौधों, पशुओं, मृदा, यत्रों आदि से संबंधित मान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा नियमों का वह ज्ञान-माडार है जिसकी सहायता से तकनीकी रूप में बेहतर उपादानों का सृजन किया जा सकता है और जो कृपि की विशिष्ट जैवीय तथा अन्य परिस्थितियों के उपयुक्त नवीन उपादानों के विकास में सहायक होता है।

पिछले वर्षों में हुई जननिक तथा रसायनिक तकनीकी प्रगति के कारण उत्पादन की सभावनाओं में भी काफी वृद्धि हुई है जिसके कलस्वरूप अन्य जैवों-यंत्रोंकारण, सिंचाई, जल-उपयोग व प्रबन्धन, विपणन, मृदा अर्थशास्त्र आदि में भी नवीन अनुसधान तथा ढंकनालोजी की जरूरत अनुभव होने लगी है। कहने का अभिप्राय यह है कि मूलभूत अनुसधान का अनु-

प्रयोग कर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मूलभूत अनुसंधान ही अनुप्रयुक्त अनुसंधान (अप्लाइड रिसर्च) का लोत है। परन्तु मूलभूत अनुसंधान काफी खर्चीना होता है और इसके लिए अनेक कृतिम सुविधाओं की आवश्यकता होती है। मूलभूत अनुसंधान काफी अधिक समय लेता है और इसका फल अनिश्चित होता है। परन्तु इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि तकनीकी प्रगति तथा अनुप्रयुक्त अनुसंधान का आधार मूलभूत अनुसंधान है और अनुसंधान में किये गये निवेश का प्रतिफल बहुत अधिक होता है।

परन्तु यह ज़रूरी नहीं कि एक देश की कृपि के लिए उपयुक्त निविष्टियाँ तथा विधियाँ अन्य देशों में भी लाभदायक सिद्ध हो। भिन्न-भिन्न देशों व क्षेत्रों की जलवायु, मिट्टी की रचना, उच्चयन व अन्य अवस्थाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं और एक देश या क्षेत्र में किये गये अनुसंधान का अन्य देशों व क्षेत्रों में सफल अतरण सम्भव नहीं है। आधुनिक निविष्टियाँ तैयार माल नहीं जिन्हें जहाँ चाहे, जब चाहें, इच्छा के अनुसार प्रयोग किया जा सके। कृषि की जैवीय आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण अतर हैं। एक स्थान के उपयुक्त सकर भीज को किस्म शायद दूसरे स्थान के उपयुक्त न हो। फलतों की वे किस्में जो शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं, उनके सिंचित होने पर उपयुक्त नहीं रहेंगी। सिंचित क्षेत्रों के उपयुक्त नई किस्मों के लिए नई जुताई-रीतियों की आवश्यकता होगी। उर्वरक-दर और फसल-स्वरूप में भी परिवर्तन होगा और एक प्रकार नये प्रबन्ध की व्यवस्था करनी होगी। कई बार वे विधियाँ जो एक बातावरण में बहुत उत्पादक हैं दूसरे बातावरण में अनुष्ठानक सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार शीतोष्ण झज्जों में अधिक दूष देने वाली डेयरी गायों की नस्ल ऊपर कटिबंधीय झज्जों में उतना दूष नहीं देती। सीमांत कृपक तथा कृपि अमिक विकास एजेंसी के अतर्गत भैंसों के लिए दिए जाने वाले औरण की एक शर्त यह है कि खरीदी जाने वाली भैंस की नस्ल अच्छी हो। क्योंकि इस प्रकार की भैंसें विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब उन क्षेत्रों में लाया जाता है जहाँ यह स्कीम चालू है, तो वे जलवायु की भिन्नता के कारण कम दूष देती हैं। इसी प्रकार मिट्टी की रचना में ग्रतर पादप, उर्वरक, जल तथा जुताई आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। बहुत कम पुनरुत्पादनीय कारक ऐसे हैं जो अन्य स्थानों में कम सफलतापूर्वक काम में लाये जा सकते हैं। केवल छोटे यत्र, उपस्कर तथा छोटी मशीनों के अनुसंधान कर सफलतापूर्वक ग्रल्फिक्सित देशों में अतरण किया जा सकता है। अनुसंधान का अधिकतम लाभ तभी उठाया जा सकता है, यदि इसके परिणामस्वरूप प्राप्त नवीन निविष्टियाँ व विधियाँ क्षेत्र के बातावरण के अनुकूल हो। उदाहरणार्थ समव है प्रयोगात्मक केन्द्र पर काफी अधिक उपज देनी वाली नवीन विधि कृपक के बीत पर लाभप्रद सिद्ध न हो। हो सकता है केन्द्रों पर अपनाई जाने वाली रीतियाँ और अनुप्रयोग की जाने वाली निविष्टियाँ किसान के खेनों में भार्थिक हृष्टि से पुनरुत्पादनीय न हों। अतः बहुत से क्षेत्रों में खेत-प्रधान अनुकूली अनुसंधान की तुरन्त आवश्यकता है।

(ii) अनुकूली अनुसंधान (एडेंटिव रिसर्च)—अनुकूली अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें मूलभूत सिद्धातों तथा सामान्य रीतियों का विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र या अवस्था के अनुसार अनुकूली अनुसंधान का उद्देश्य इसके परिणामस्वरूप प्राप्त

नवीन विधियों व निविष्टियों का किसान के हेतों पर उत्पादक उपयोग है। अत्यधिक सित ग्रथंव्यवस्थाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञात आधुनिक कूपि कारकों का अनुकूलन करने के लिए भी अनुसंधान व विकास ज़रूरी है।

जापान एसा देश है जिसने विकास के आरम्भिक चरणों में एक सफल अनुसंधान-कार्यक्रम का विकास किया। जापान ने अन्य देशों से प्राप्त मूलभूत तथा अनुप्रयुक्त अनुसंधान का अपनी अवस्था के अनुरूप अनुकूलन कर अधिकतम लाभ उठाया। जापान में आदर्श स्तर के प्रयोगात्मक केन्द्रों का निर्माण किया गया। इन केन्द्रों से परीक्षण तथा निदान (टेस्ट एण्ड डिमोन्स्ट्रेशन फार्म्स) कामों का ऐसा जाल विद्याया गया जिससे हर प्रकार की विशेष नौकरियों की आवश्यकताओं की जौच व पूर्ति की जा सके। इन नवीन विधियों व परीक्षणों के आधार पर कृपकों के शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

सक्षेप में, वर्तमान समय के विकासशील देश मूलभूत विज्ञान ज्ञान के असीम भडार से बहुत लाभ उठा सकते हैं। और अधिक अनुसंधान द्वारा वे इस ज्ञान-भडार को ऐसी आधुनिक कूपि-व्यवस्था में समेकित कर सकते हैं जो कि आधिक सबृद्धि में भरपूर योगदान दे सकती है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कोई अकेला सरल तरीका नहीं है। इसके लिए निरन्तर अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के एक स्वधारित प्रक्रम का विकास करना होगा ताकि नवीन विधियों और नवीन टैक्नॉलॉजी द्वारा उपलब्ध समाधनों और मानव-शक्ति का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

यह व्याख्या रहे कि उन्नत कूपि-प्रविधियाँ, नव कियाए तथा नवीन निविष्टियाँ विलगन में बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध नहीं हो सकती। विभिन्न कृपक वर्गों तथा विभिन्न स्थितियों के लिए रीतियों तथा निविष्टियों के मिश्र-भिन्न सयोजनों की आवश्यकता होती है। इन विधियों तथा निविष्टियों का अनुप्रयोग एकमुश्त होना चाहिए। मिश्र-भिन्न स्थितियों तथा वर्गों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न सयोजनों के पैकेज का निर्धारण समन्वित अनुसंधान द्वारा ही किया जा सकता है और इस उद्देश्य हेतु एक सुबहुत तथा समन्वित हाप्टिकोए अपनाने की आवश्यकता है। उदाहरणतः हाल के वर्षों में अधिक उपज देने वाले बीजों ने अपनी अत्यधिक अनुकूलनशीलता, उच्च उपज-समर्थता, उवरण के प्रति उच्च अनुक्रिया, प्रकाश अप्राप्तिता व असर्वेदिता, बोनी पौध-ज़ैंचाई आदि गुणों के कारण उपज बढ़ाने की अत्यधिक समर्वनाओं को जन्म दिया है। यहाँ तक कि विज्ञान तथा टैक्नॉलॉजी पर आधारित 'बीज-उवरंरक उपयोग' की इस नवीन ब्लूहरवना को हरित ज्ञानिति का नाम दिया गया है। परन्तु इन किसी की पूर्ण समर्थता या संभाव्यताओं को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि इनके उपयोग के माय-साथ उत्पादन टैक्नॉलॉजी के अन्य घटकों जैसे उवरंरक तथा कीटनाशी पदार्थों का उपयोग, मुनियत्रित जल प्रबन्धन, भू-तंत्रज्ञानी, बेहतर घासपाल-नियन्त्रण व अन्य नवीन रीतियों व नेवाप्रो आदि की व्यवस्था भी हो। कहने का अभिप्राय यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में विलगित अनुसंधान उत्पादन-दक्षता में बढ़ि करने से इतना सहायक सिद्ध नहीं होगा। इस उद्देश्य हेतु एक सुबहुत, एकोकून, समन्वित तथा सुव्यवस्थित अनुसंधान-कार्यक्रम को चाहूँ करने की आवश्यकता है। कूपि-सबवी अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम के लिए

नव चेतना, नवीन विचार, प्रगतिशील आयोजन तथा गम्भीर व दक्ष कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

एक विकासशील देश में अनुसंधान-आयोजन त्वरित आर्थिक सबूद्धि की ज़रूरी शर्त है। सकलना और सचालन में अनुसंधान का आयोजन एक विलगित प्रक्रम नहीं है, वास्तव में यह कृषि-विकास सबधी समय आर्थिक निर्णयों का एक भाग है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक अनुसंधान में समय-विस्तार तथा पक्षवनावधि का विशेष महत्व है। प्रश्न केवल यहीं नहीं है कि अनुसंधान का लाभकारी फल प्राप्त होगा या नहीं बल्कि यह भी है कि अनुसंधान का फल कब प्राप्त होगा। देखा जाए तो अनुसंधान के परिणाम सबधित क्षेत्र में वर्तमान ज्ञान के विकास की अवस्था पर भी निमंर होते हैं। उदाहरणतः मैक्सीको में गेहूं व अनाज की लाभ प्रद किस्मों का विकास करने के लिए दस वर्ष लगे परन्तु मारत में मैक्सीको के अनुभव से लाभ उठाते हुए आर्थिक उपज देने वाली किस्मों का केवल चार वर्ष में ही विकास कर लिया गया।

सबधित आयोजन-प्रक्रियाओं और परिणामों के मूल्यांकन के बिना अनुसंधान-आयोजन भ्रष्ट होगा। मूल्यांकन-प्रध्ययन इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि अनुसंधान एवं विकास-कार्यक्रमों में निवेशित राशि का उपयोग कैसे किया गया है और उनका लागत-हित-लाभ-अनुपात क्या है? लागत-हितलाभ-अनुपातों को परिकलित करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना होगा जैसे कि अनुसंधान परियोजनाओं के वयन में अपनायी गई विधियाँ, सबधित क्षेत्र में ज्ञान के विकास की अवस्था, अनुसंधान-परियोजना की सफलता की सभावना, अनुसंधान-परियोजना के कार्यान्वयन की ममय-प्रवधि, अनुसंधान के लिए अभीष्ट सुविधाओं को प्राप्त करने की रीति, नवक्रिया या नवीन निविष्टि के अन्वेषण और अनुप्रयोग के बीच की अवधि और अनुसंधान निर्मम (रिसर्च अन्डरप्रूट) की मानव तथा पूर्ति लोकों आदि-आदि। अनुसंधान की विस्तृत राष्ट्रीय योजना की रचना आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं के परिप्रे क्षय में की जानी चाहिए तथा इसमें विभिन्न अनुसंधान-क्षेत्रों में प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

वैज्ञानिक अनुसंधान की खोज मानव-क्रियाओं का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। परन्तु मूल रूप में उपयोगितावादी होने के कारण यह कला व साहित्य से भिन्न है। एक और यह मानव की वैज्ञानिक योग्यता की अभिलाला को सुनुष्ट करता है और आर्थिक व सामाजिक-सबूद्धि के स्तर व इसकी गति को प्रभावित करता है तो दूसरी ओर वैज्ञानिक विचार व रीति स्वयं सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों द्वारा प्रभावित होती है। अनुसंधान-प्रक्रिया अनिवार्यतः मानव-ज्ञान व योग्यता की उपज है। टैक्नॉलॉजी वास्तव में भूमि, धर्म तथा पूँजी-समेत आर्थिक संबूद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। टैक्नॉलॉजी, विज्ञान-ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव से प्राप्त वह समस्त ज्ञान-मडार है जिसका आर्थिक विकास के लिए अनुप्रयोग किया जा सके।

अल्प विकसित देशों तथा विकसित देशों के विकास-स्तरों ने अन्तर का एक मुख्य कारण यही है कि जहाँ विकसित देशों में विज्ञान तथा टैक्नॉलॉजी के क्षेत्र में काकी पहले काति आ चुकी है, अल्प विकसित देशों में अनुसंधान मुविधाओं के अभाव के कारण टैक्नॉलॉजी व विज्ञान के अनुप्रयोग में विसर्ज होता आया है।

यह सर्वविदित है कि भूमि, धम तथा पूँजी की दी हुई पूर्ति से प्राप्त होने वाला परिमाण बतंमान प्रौद्योगिकीय ज्ञान स्तर द्वारा सीमित होता है। विकसित देशों में प्रौद्योगिकीय प्रगति, आर्थिक सबूद्धि तथा सावंजनिक नीति के बीच सम्बन्ध को आंकने के लिए अनेक अध्ययन किए गए हैं परन्तु आर्थिक सबूद्धि पर टैक्नॉलॉजी के प्रभाव को अन्य उपादानों के प्रभावों से विलग करना सरल काम नहीं है। यह समस्या कार्यविधि सबूद्धि अवरोधों के कारण काफी कठिन है। हाल ही के समय में अनुसधान-लागतों और प्राप्त सामाजिक व आर्थिक प्रतिफलों से सम्बन्धित कुछ व्यक्तिगत अध्ययन किए गए हैं जिनके फलस्वरूप कार्यविधि-सबूद्धी रूकावटों काफी हद तक दूर हो गई हैं और नीति-निपरिक उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। अमरीका में 'अनुसधान के प्रतिफल' से सम्बन्धित जैड ग्रिनिशिज द्वारा किये गये एक अध्ययन में यह अनुसधान लगाया गया है कि १६५५ तक सकर मक्का की अवस्था में अनुसधान की प्रतिफल दर प्रतिवर्ष ७०० प्रतिशत रही है और इसके अतिरिक्त 'सकरण' पर काफी आधारभूत अनुसधान-ज्ञान उपार्जित हो चुका है जिसके दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः सकर बीजों के अन्य देशों में अनुकूलन के उद्देश्य से किये जाने वाले अनुसधान के प्रतिफल दर की इससे भी अधिक होने की सम्भावना है। अल्पविकसित देशों के सिए अनुकूली अनुसधान (एडेटिव रिसर्च) कितना महस्त्वपूर्ण और आवश्यक है, इसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। प्रयोग-केन्द्रों में किये गये कृषि-अनुसधान का किसान के छेत्रों पर परीक्षण तथा सफल प्रदर्शन ही कृषि-विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है। कृषक उस समय तक किसी नवीन निविष्टि या नवक्रिया को स्वीकार नहीं करेगा जबतक उसे यह पूर्ण विश्वास न हो जाए कि इससे प्राप्त होने वाली उपज गुणवत्ता व मात्रा दोनों में पहले से अधिक होगी और नवीन निविष्टियों का अनुप्रयोग उसके लिए अधिक लाभदायक होगा।

वस्तुतः भारती कृषि-सबूद्धि व विकास अधिकाधिक उन्नत टैक्नॉलॉजी पर निर्भर होगा और इसके लिए नवीन उत्पादिता-निविष्टियों के सतत प्रवाह की आवश्यकता होगी जो निम्न पर आधारित होगी :

- (क) अनुकूली अनुसधान ताकि नवक्रियाओं को विभिन्न स्थितियों व वातावरणों के अनुरूप दाला जा सके।
- (ख) परिरक्षी अनुसधान (प्रोटेक्टिव रिसर्च) जिसका उद्देश्य व्यापक हानि पहुँचाने वाले कीड़ों तथा रोगों की महामारी को कम करना या इनकी पेशबद्दी करना है, तथा
- (ग) नवक्रिया अनुसधान जिसका उद्देश्य अधिक उपज देने वाले पदार्थों तथा रीतियों की लगातार सप्लाई को मुनाफ़ा करना है।

कहने का अभिप्राय यह है कि नवीन निविष्टियों के साथ-साथ फसल-उत्पादन तथा कीट-नियंत्रण रीतियों पर भी अनुसधान की आवश्यकता होगी।

पहले अनुच्छेदों में हम भारत में कृषि-अनुसधान पर निवेश तथा इसकी विद्युत दो दशकों में हुई प्रगति का बरांन करेंगे।

१४.४ कृषि-अनुसंधान एवं विकास में निवेश तथा अनुसधान-अनुपात

सारणी १४.१ में कृषि-क्षेत्रक में कुल सरकारी निवेश तथा अनुसधान व विकास

(रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट) पर कुल परिव्यय के बीच सबध की तुलना की गई है। सारणी में कृषि-अनुसंधान व विकास पर निवेश-सबूदि तथा सकल राष्ट्रीय-उत्पाद (ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट) सबूदि के बीच रुपू मात्रात्मक सम्बन्ध को दर्शाने का भी प्रयत्न किया गया है। 'अनुसंधान-अनुपात' (जो अनुसंधान व्यय और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच प्रतिशत में अनुपात है) इस क्षेत्र को संसाधन-आवटन के निर्धारण हेतु प्रमुख नीति चर है।

सारणी १४.१ कृषि-क्षेत्रक में सार्वजनिक निवेश व अनुसंधान परिव्यय में सम्बन्ध तथा अनुसंधान-अनुपात

(चालू कीमतों पर)

१	२	३	४	५	६
वर्ष	सार्वजनिक निवेश	अनुसंधान व्यय	अनुसंधान व्यय कुल निवेश का	*राष्ट्रीय उत्पाद उत्पाद जोड प्रतिशत [(३)-(२)]	अनुसंधान- अनुपात (३)-(५)
	करोड रुपये	करोड रुपये	%	करोड रुपये	%
१९५६-६१	५४६	१४.४२	२.६	३१५००	००५
१९६१-६६	१०८८	३२.३६	३.०	४२७७०	००८
१९६६-६६	११६७	५१.००	४.४	४१६१०	०१२
१९६६-७४	२७१६	८५.००	३.१	८६८८०	०१०

स्रोत : १. सी.एम.बी.

२. आर.बी.आई.डॉलेटिन, १९६६

* कुल जोड़।

सारणी १४.१ से निम्न लिखित बातों का पता चलता है :

(१) चौथी पचवर्षीय योजना (१९६६-१९७४) की अवधि में कृषि-अनुसंधान एवं विकास पर कुल निरपेक्ष परिव्यय दूसरी योजना की तुलना में लगभग ६ गुना बढ़ गया है।

(२) दूसरी (१९५६-६१), तीसरी (१९६१-६६) तथा चौथी (१९६६-७४) योजना की अवधि में कृषि-अनुसंधान पर व्यय कुल निवेश का क्रमशः २.६, ३.० तथा ३.१ प्रतिशत रहा है।

यहाँ यह बात व्यापक रखने योग्य है कि इन योजनाओं में कृषि-क्षेत्रक में अनुसंधान व विकास पर व्यय समग्र अनुसंधान व विकास पर कुल व्यय का २५ से ३० प्रतिशत रहा है। यहाँ इम बात का उल्लेख करना भी जरूरी है कि भारत में इन योजनाओं के दौरान समग्र अनुसंधान एवं विकास पर व्यय कुल निवेश का लगभग १ प्रतिशत रहा है।

(३) सारणी में विभिन्न योजनाओं में कृषि-क्षेत्रक में अनुसंधान-अनुपातों की तुलना भी की गई है। अनुसंधान-अनुपात देश में विज्ञान हेतु बुटाए गए सापेक्ष प्रयासों के स्तर का निरूपण करता है। पिछली चार योजनाओं में भारत में सब क्षेत्रकों के

लिए समग्र अनुसंधान-अनुपात आवे प्रतिशत से भी कम रहा है जबकि अमरीका, जापान, जर्मनी जैसे विकसित देशों में अनुसंधान-अनुपात भारत की तुलना में तीन या चार गुना अधिक है। जैसे कि सारणी से स्पष्ट है दूसरी तथा तीसरी योजनाओं में कृषि-क्षेत्रक में अनुसंधान-अनुपात ०.१ प्रतिशत से भी कम रहा है जबकि योजना में यह अनुपात ०.१ प्रतिशत के लगभग था। कहने का अभिप्राय यह है कि भारत कृषि-क्षेत्रक में विज्ञान के प्रोत्साहन तथा विकास पर कृषि से प्राप्त कुल राष्ट्रीय उत्पाद का ०.१ प्रतिशत से भी कम व्यय कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान की उन्नति तथा इसके विकास हेतु संसाधन जुटाने के लिए भरमक प्रयत्न किए जाएं। यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना भी उचित होगा कि भारत एक बहुसंख्यक देश है और यदि हम प्रतिव्यक्ति अनुसंधान-व्यवहार में अनुमान लगाएँ तो यह व्यय जर्मनी की अपेक्षा १/१०० वाँ भाग तथा जापान की तुलना में १/३० वाँ भाग है। संक्षेप में भारत में अनुसंधान एवं विकास का समर्थन-स्तर सारांश में निम्नतम में से है।

यह ध्यान रहे कि किसी भी देश में विज्ञान तथा टैक्नॉलॉजी की प्रगति के लिए सुशिक्षित व प्रशिक्षित मानव शक्ति महत्वपूर्ण निविष्ट है। अमरीका में लगभग ४.७ लाख वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिक (साइंटिफिक एण्ड टैक्नीकल परसनल) अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगे हुए हैं, जबकि भारत में १९६८-६९ में यह संख्या केवल ६२ हजार थी। जर्मनी अमरीका व जापान में प्रत्येक दस हजार की जनसंख्या पर क्रमशः ३०, २५ व १४ वैज्ञानिक तथा तकनीकी (रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट) कार्मिक हैं जबकि भारत में प्रति १०००० व्यक्ति के पीछे यह संख्या केवल १.२ है। अन्य देशों की अपेक्षा भारत में प्रति वैज्ञानिक लागत अत्यधिक कम है जिससे पता चलता है कि भारतीय वैज्ञानिक कार्मिकों को काफ़ी तनाव व दबाव के अधीन अपना काम करना पड़ता है क्योंकि उनकी सेवा-शर्तें तथा अनिवार्य मुकाबों की संप्लाई निकृष्ट होती है। अन्यीं इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है।

१४.५ कृषि-अनुसंधान, शिक्षा तथा जनशक्ति

भारत सरकार ने विज्ञान-नीति-प्रस्ताव (१९५८) में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि आधुनिक युग में टैक्नॉलॉजी राष्ट्रीय समृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारक है परन्तु प्रौद्योगिकी (टैक्नॉलॉजी) के बल विज्ञान के अध्ययन तथा अनुप्रयोग से ही उत्पन्न हो सकती है। आधुनिक कृषि की नींव एक सुव्यवसित कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा प्रणाली ही पर रखी जा सकती है।

भारतीय कृषि-अनुसंधान-परियद (आइ.सी.ए.आर) जो कृषि में अनुसंधान तथा उच्च शिक्षा का पथ प्रदर्शन तथा समन्वय करने वाली सर्वोच्च राष्ट्रीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना १९२६ में हुई। परियद का १९६५ में पुनर्गठन किया गया और सब केन्द्रीय तथा पर्यावरण-अनुसंधान संस्थान इसके प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन हो गये। इस समय परियद के नियन्त्रण के अधीन पञ्चोंस अनुसंधान-संस्थाएँ तथा आठ भू-संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण-केन्द्र हैं। समन्वित मकान-प्रबन्धन योजना (१९५७) तथा त्वरित सोर्वम (ज्वार) मुघार-योजना (१९६१)

की भारमिक सफलताओं के परिप्रे क्ष्य में परिषद् ने मिट्टी, स्थ्य-विज्ञान, इजीनियरिंग, पशु-विज्ञान तथा प्रमुख फसलों के लिए क्षेत्र या राज्य स्तर की अपेक्षा राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारत समन्वित परियोजनाओं की रचना की है।

केन्द्रीय तथा राज्य-संस्थाओं तथा कृषि विश्वविद्यालयों में काम कर रहे ग्रनुसंधान-वैज्ञानिक परिषद् द्वारा नियुक्त संयोजक के अधीन एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। समन्वित ग्रनुसंधान-परियोजनाओं ने भारत में ग्रनुसंधान की गति को काफी तेज़ किया है। पिछले १५ वर्षों से परिषद् द्वारा संचालित अखिल भारत समन्वित फसल-सुधार ग्रनुसंधान-कार्यक्रमों में प्रमुख फसलों की अनेक अधिक उपज देने वाली किसीं का विकास या सुधार किया गया है। इन्होंने कृषि-उत्पादन को बढ़ाव में महत्वपूर्ण योग दिया है।

कृषि विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय कृषि विकास की गति को तेज़ करने में बड़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इस समय लगभग प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय है। इस समय भारत में १८ कृषि विश्वविद्यालय, ७३ कृषि कालेज, २२ पशु चिकित्सा-महाविद्या लय, २ डेवरी महाविद्यालय तथा ८ कृषि-इजीनियरिंग कालेज हैं जो कृषि, पशु-विज्ञान तथा कृषि-इजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों में शिक्षण व प्रशिक्षण देते हैं। इनके अतिरिक्त भारतीय कृषि ग्रनुसंधान संस्थान भी एक स्नातकोत्तर विद्यालय चला रहा है। अभी कुछ वर्ष पहले तक कृषि-महाविद्यालय केवल शिक्षा केन्द्र थे और उन पर व्यापक शिक्षा की बहुत कम जिम्मेदारी थी। भारत में कृषि विश्वविद्यालयों को अपने शिक्षा, ग्रनुसंधान तथा विस्तार कार्यक्रमों को समन्वित तथा सुहृद करने के लिए अमरीकन वित्तीय सहायता के ग्रन्तिगत अनेक अमरीकी विश्वविद्यालयों से सहायता मिलती रही है। विश्वविद्यालय कृषि-शिक्षा के शिक्षण, ग्रनुसंधान तथा प्रसार पक्षों में समन्वित हटिकोण अपनाने पर बल देते हैं।

इनके अतिरिक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के अविराम अध्ययन के लिए तथा ग्रन्थ महत्वपूर्ण तदर्थं अध्ययन करने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कृषि-अर्थशास्त्र ग्रनुसंधान-केन्द्र (एंप्रो इकोनोमिक रिसर्च सेन्टर्स) स्थापित किये गये हैं।

इस प्रकार की व्यापक ग्रनुसंधान प्रणाली में बहुत सूख्या में वैज्ञानिक व तकनीकी कार्मिकों की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण सब-ग्रनुसंधान केन्द्रों का महत्वपूर्ण भाग होता है। निम्न आय वाले देशों में प्रशिक्षित जनशक्ति का अभाव होता है और आवश्यकता इस बात की होती है कि सर्वोत्तम प्रशिक्षित कार्मिक क्षेत्रीय ग्रनुसंधान तथा मूलभूत ग्रनुसंधान-कार्य के लिए लगाये जाएं। विकास के आरम्भिक चरणों में विदेशी प्रौद्योगिकीविद् आवश्यक कौशल तथा क्षमताओं का विकास करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। नवीन टंकनालोजी के निर्माण और उपयोग की प्रक्रिया में जहाँ प्रधिक उत्पादक नवीन निविप्टियों का विकास करना जरूरी है वहाँ इस बात का ज्ञान सुलभ कराना भी बड़ा ज़रूरी है कि उनका उपयोग केंद्रे किया जाए। शिक्षण व प्रशिक्षण के साथ-साथ ग्रनुसंधान कार्य भी जारी रहना चाहिए। भारत में प्रशिक्षित वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

पिछले दो वर्षों में कृषि-विकास के लिए प्रशिक्षित मानव-कृति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि तथा पशुचिकित्सा-स्नातकों के प्रशिक्षण हेतु मुविद्याओं में तेज़ी से विस्तार हुआ है। १९६०-६१ में कृषि तथा पशुचिकित्सा स्नातकों की सख्त क्रमशः १४००० तथा

५००० थी जो १९६५-६६ में बढ़कर क्रमशः ३२००० तथा ६३०० हो गई। १९६८-६९ में वार्षिक प्रवेश तथा उत्तीर्ण स्नातक तथा स्नातकोत्तरों की संख्या सारणी १४.२ में दिखाई गई है-

सारणी १४.२ कृषि-तथा पशुचिकित्सा-शिक्षा-सुविधाएं

(१९६८-६९)

महाविद्यालय	स्नातक		स्नातकोत्तर	
	प्रवेश	बाहर निकलने वाले	प्रवेश	बाहर निकलने वाले
(१) कृषि	८५६२	५८१०	१७०४	१६३२
(२) पशु चिकित्सा व पशुपालन	११६७	१०७६	३१२	१६२
(३) कृषि इंजीनियरिंग	२५०	२३०	६०	४०
कुल	१०००६	७११६	२०७६	१८६४

उपरोक्त सारणी के आधार पर १९७३-७४ के अत में कृषि तथा पशुचिकित्सा-स्नातकोत्तरों की संख्या क्रमशः ७०००० तथा १५००० के करीब हो गई है। पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में भी बेकारी होने लगी है। ऐसा प्रनुभान है कि १९७३-७४ के अत में फालतू कृषि-स्नातकोत्तर व्यक्तियों की संख्या क्रमशः ६००० व ४६०० थी जबकि पशु-चिकित्सा विज्ञान में ये संख्याएं क्रमशः १६१५ व ६०० हैं। कृषि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में १९७३-७४ के अन्त में लगभग ७०० स्नातक बोरोज़गार थे। इस प्रकार लगभग १६००० स्नातकोत्तरों को नौकरी देने की आवश्यकता है। इन्हे रोज़गार के नये ग्रवसर मुलम कराने होंगे। फार्मों के अतिरिक्त कृषि उद्योगों, ग्रामीण बैंकिंग, सहायक सेवाओं, निविट्स-सेवाओं, कृषि-प्रसार तथा स्व-नियोजन योजनाओं में भी रोज़गार के ग्रवसर प्रदान करने होंगे।

प्रनुभान है कि पांचवीं योजना के दौरान कृषि, पशुचिकित्सा तथा कृषि इंजीनियरिंग में क्रमशः ४०००, ४२०० तथा १४०० विद्यार्थी स्तानक की उपाधि प्राप्त करेंगे। अतः पांचवीं योजना के दौरान संस्थाओं की संख्या या प्रवेश संख्या में वृद्धि करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि नवीन वर्षभान आवश्यकताओं के अनुलेप्त तकनीकों, कुशलताओं, व्यावहारिक (प्रायोगिक) कार्य-अनुभव, स्तर, गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता पर अधिक बल दिया जाए।

१९५६ से सरकार ने ग्रामीण युवकों को ग्राम्य बातावरण में माध्यमिक स्तर के बाद उच्च शिक्षा देने के लिए तेरह ग्राम संस्थान (रुरल इन्स्टीट्यूट्स) स्थापित किए हैं। इन ग्राम संस्थानों का उद्देश्य ऐसे कृषि-विद्यार्थियों का निर्माण करना है जो खेती के काम या प्रबन्ध में प्रसंगत अनुभव करें या सरकार के विकास-कार्यक्रमों में स्थान ले सकें। कृषकों के शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए भी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

१४.६ अनुसंधान-सक्रियता के क्षेत्र

हम कृषि माध्यनिकीकरण हेतु नवीन न्यूहरचना के विभिन्न घटकों से सम्बन्धित ग्रन्थाओं

में अनुसंधान के महत्व तथा इसकी आवश्यकता का उल्लेख कर चुके हैं। जल-प्रबन्ध व सिचाई, उर्वरकों तथा अधिक उपज वाली किस्मों के विकास तथा उपयोग, पादप-रक्षण, यज्ञीकरण तथा कृषि-विपणन आदि क्षेत्रों में अनुसंधान का कार्यक्षेत्र बड़ा विस्तृत तथा व्यापक है। हम विभिन्न क्षेत्रों में यथा सदर्म अनुसंधान के कार्यक्षेत्र तथा रामावनाओं का अध्ययन कर चुके हैं। परन्तु पिछले वर्षों में एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है वह यह है कि जैव-विज्ञानों में अनुसंधान प्रौद्योगिकीय प्रगति का मुख्य आधार है।

सक्षेप में नवीन टैक्नॉलोजी के निर्माण तथा उपयोग की प्रक्रिया में निविष्टियों के ऐसे नवीन समुच्चय या पैकेज का विकास करना होगा जो बहुत अधिक उत्पादक हो। नवीन निविष्टियाँ उर्वरकों की अधिक मात्रा के प्रति अधिक अनुक्रियाशील नयी फसल किस्मों का रूप भी ले सकती हैं और पशुओं या मुर्गियों की नयी नस्लों का भी या वे ऐसी नई मशीनों या सारोधित पुरानी मशीनों का रूप भी ले सकती हैं जो मानव तथा पशु-शक्ति की दक्षता को काफ़ी बढ़ा सकें। तकनीकी परिवर्तन की स्वधारित प्रक्रिया कृषि-सबृद्धि में तभी योग दे सकती है यदि (१) पहले की अपेक्षा अधिक लामदायक तथा अविक्षिप्त उत्पादक नवीन टैक्नॉलोजी उपलब्ध कराई जा सके तथा (२) नवीन टैक्नॉलोजी के विकास की प्रक्रिया लगातार जारी रहे और साधनार्थ वैज्ञानिक जन-शक्ति का निर्माण भी किया जाए ताकि अनुप्रयुक्त टैक्नॉलोजी से अधिकतम आर्थिक लाभ उठाया जा सके।

सारांश यह है कि कृषि हेतु अनुसंधान-कार्य के विकास की गति को तेज़ करने के लिए नव चेतना, नवीन विचार, गत्यात्मक आयोजन तथा अविराम अन्वेषी अनुसंधान (एक्सप्लो-रेटरी रिसर्च) की आवश्यकता है। अन्वेषी अनुसंधान उन योजनाओं तथा कार्यक्रमों से निर्भित है जिनका उद्देश्य नवीन विकास को प्रभावित करना होगा। कृषि में सबृद्धि के सतत दर को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि सुधार की नवीन संभावनाओं की तलाश जारी रखी जाए। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दीर्घकालिक तथा क्रातिकारी अनुसंधान पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

आधुनिक कृषि निविष्टि-प्रधान है और इसका विकास व माधुरिकीकरण उर्वरक, कीट-नाशक तथा मशीनरी जैसे आधोगिक पदार्थों पर निर्भर है। यह ज़रूरी है कि इन कीमती व मौहगी निविष्टियों की दक्षता में बृद्धि की जाए। अतः कृषि-टैक्नॉलोजी मी उत्पादन में बृद्धि के लिए एक प्रनिवार्य निविष्टि है और इसमें सुधार के लिए अन्वेषी अनुसंधान का विशेष महत्व है। नवीन अनुसंधान-नीति की रचना इसी आधार पर की जानी चाहिए।

पारिभाषिक-शब्दावली

प्रक्रिति चौडाई	Rated width	अंतः स्पंदन	Infiltration
अंतर-फसल	Inter-Crop	अंतर-राज्य	Inter-state
अंतर-क्षेत्र	Inter-regional	अंतर क्षेत्रक	Inter-sectoral
अखात्य	Non-food grains	भ्रगुप्रा बैंक	Lead Bank
अप्रस्तुति खरीदार	Priority Buyer	अप्रतापा प्राप्त क्षेत्रक	Priority Sector
अचल पूँजी	Fixed Capital	अप्रतिदेय	Over due
अतिरिक्त	Additional	अधान्य	Noncereal
अधिक प्रावक्तव्य	Over estimation	अधिक उपज देने वाली किस्म	High Yielding variety
अधिकरण	Authority	अधिभार	Surcharge
अधिशेष	Surplus	अधोगमी कर	Regressive Tax
अनायिक जोत	Uneconomic holding	अनियत थमिक	Casual worker
अनिवार्य उगाही/वसूली	Levy	भनुकूल	favourable
अनुकूलित	Adapted	भनुकूली अनु-	Adaptive Research
भनुक्रिया	Response	सधान	
भनुप्रयोग	Application	भनुप्रयुक्ति अनु-	Applied Research
भनुमेय धार्य	Permissible Income	सधान	
भनुसधान	Research	भनुमति प्राप्त	Licensed
अपनयन	Removal	अनुरक्षण	Maintenance
अपेक्षाकृत	Relatively	अन्वेषी भनु-	Exploratory
अभिकरण	Agency	सधान	Research
अजंक रोजगार	Gainful employment	अपवाह	Run off
अलाभ कर	Uneconomic	अप्रत्यक्ष कर	Indirect Tax
अल्प-उपयुक्त	Under utilised	अभिवित्यस्त	Oriented
अल्प विकसित	Under developed	अथं व्यवस्था	Economy
		अल्प-अवधि	Short-term
		अल्प रोजगार	Under employment
		अवकरारोपण	Under taxation

प्रवक्तरारोपित	Under taxed	प्रवधि	Period, term, duration
घटनत	Depressed	घट प्रावक्तन	Under estimation
घटसीमांत	Submarginal	घटविकसित	Undeveloped
घविहम	Continuous	घसमता	Inequity
घसमानताएँ	Inequalities	घसम्यक्	Inequitable Distribution
भस्फोतिकारी	Non-inflationary	वितरण	
आतर खेत्रक	Intra-sectoral	अक्षत भूमि	Virgin Land
प्राप्तिक एकोकरण	Partial Integration	आतरिक	Domestic Product
आत्मविकासी	Self developmental	उत्पाद	
भावुनिकीकरण	Modernization	आत्मनिर्भरता	Self sufficiency
आनुभविक प्रमाण	Empirical Evidence	आधार भूत	Basic holding
भास्म्यतरिक	Inbuilt	जोत	
भायकर देश	Ayacut	आनुपातिक	Proportional change
भाय सुरक्षा	Income Security	परिवर्तन	
भारोपित मूल्य	Imported value	आनुवंशिक	Genetic
भार्यिक क्रियात्मकता	Economic Feasibility	आय	Income, Earning
भार्यिक दक्षता	Economic Efficiency	आयकर	Income Tax
भार्यिक विकास	Economic Development	आयात	Imports
भार्यिक संबृद्धि	Economic Growth	आरोही कर	Progressive Tax
भार्यिक स्थिरता	Economic Stability	आर्थिक जोत	Economic holding
भावटन	Allocation	आर्थिक प्रगति	Economic Progress
भावासित सिचाई	Assured Irrigation	आर्थिक शक्ति	Economic Power
इकाई	unit	आर्थिक सहायता	Economic Assistance, subsidy
इष्टटम	optimum	आवंटक	Allocator
उगाहक	Collector	आवास	Housing
		इच्छिता	willingness
		उच्चवर्षण	High precipitation

उच्चतम सीमा	Ceiling	उत्तर-चंडाल	Fluctuations
उत्पत्ति-निविदि	Output-input ratio	उत्पादक	Productive
प्रनुपात			
उत्पादन	Production	उत्पादन अभिविन्यस्त	Production oriented
उत्पादन कर	Excise Duty	उत्पादन दक्षता	Production Efficiency
उत्पादन लागत	Cost of Production	उत्पादन क्षमता	Production Efficiency
उत्पादिता	Productivity	चंडार	Credit
उधार स्थिरीकरण	Credit stabilization	उन्नत बीज	Improved seeds
निधि	Fund		
उन्नयन	Elevation	उन्मूलन	Abolition
उपकर	Cess	उपज	Yield, produce
उपज प्रनुक्षिण	Yield response	उपज विभव	Yield potential
उपदान	Subsidy	उपनति	Trend
उपभोक्ता व्यय	Consumer's expenditure	उपभोग	Consumption
उपभोग उधार	Consumption Credit	उपभोग व्यय	Consumption expenditure
उपविभाजन	Subdivision	उपस्कर	Equipment
उपादान	Factor	उपादान असतुलन	Factor imbalance
उर्वरक	Fertilizer	उर्वरण	Fertilization
उर्वरता	Fertility	उष्ण कटिबन्धीय	Tropical climate
		जलवायु	
ऋण	Debt	ऋण-प्रस्ताता	Indebtedness
ऋणदाता	Creditor	ऋण-पत्र	Debentures
ऋणी	Debtor		
एकक	Units	एक समान	Uniform, unified, flat
एकीकरण	Integration	एकीकृत प्रणाली	Unified or integrated system
कमाई कर	Earnings Tax	कमाऊ रोजगार करदान क्षमता	Gainful employment Taxable capacity

कर-भार	Tax burden	कर योग्य	Taxable
कर राजस्व	Tax revenue	कर बंचन	Tax evasion
कर वाह्यता	Incidence of Taxation	कराधान	Taxation
करापात			
कराधान जाँच	Taxation Enquiry	कर्ज़	Loan
आयोग	Commission		
कर्पंक पशु	Draught animal	कर्पंण	Traction
कर्पंण नियन्त्रण	Cultural control	कस्टोटी	Criterion
कारक	Factors	कारक असतुलन	Factors imbalance
कार्मिक	Personal	कार्य गील पूँजी	Working capital
कार्यान्वयन	Implementation	किराएदार	Tenant
कीमत	Price	कीमत-तंत्र	Price mechanism
कीमत-निर्धारण	Price Determination	कीमत-पूर्ति लोच	Price supply elasticity
कीमत-माग लोच	Price Demand elasticity	कीमत-विभेद	Price discrimination
कीमत-सरचना	Price structure	कीमत-समर्पण	Price support
कीमतेतर	Non-Price	कृषक	Farmers, Peasants
कृषक-कृषि	Peasant Agriculture	कृषि-प्रधान्यवस्था	Agricultural economy
कृषि-आय	Agricultural Income	कृषि-उत्पादिता	Agricultural productivity
कृषि-कराधान	Agricultural Taxation	कृषि कीमत आयोग	Agricultural Price Commission
कृषि-सामग्र	Cost of cultivation	कृषि-विकास	Agricultural Development
कृषि-विपणन	Agricultural Marketing	कृषि-व्यवसाय	Farm Business
कृषि-शम/श्रमिक	Agricultural Labour	कृषि-संवर्द्ध	Agricultural Growth
कृषि-सेवक	Agricultural Sector	कृषिक प्रधिकरण	Agrarian excess
कृषीतर-आय	Non agricultural Income	कृषीतर-शम-शक्ति	Non-agricultural Labour force
कृष्ट अवस्था	Cultivated condition	कृष्य भूमि	Cultivable land
कृत्रिम सिंचाई	Artificial irrigation	केंद्रीय सहकारी बैंक	Central cooperative Bank
कोटि सहसंबंध	Rank correlation	क्रियात्मकता	Feasibility
कीर्ति निविष्टि	Purchased input		

खंड	Block, Parcel, Zone, Slab	स्थिति निष्कर्षण	Mineral extraction
खपाना	Absorb	खाच	Cereals
खाद्यान्न	Foodgrains	खाचेतर	Nonfood
खुद काश्त	owner cultivation	खुशहाली कर	Betterment Levy
गुणवत्ता	Quality	गुणांक	Coefficient
गैर मोर्सी	Tenants at will	गोदाम व्यवस्था	Warehousing
काश्तकार			
प्राम श्रमिक	Rural Labour	प्रामीण निर्माण कार्य	Rural works
जाँच	Enquiry		
प्रामीण क्षेत्रक	Rural sector	प्राम्य/प्रामीण	Rural
प्राम्य रोजगार	Rural Employment	प्रामोद्योग	Rural Industries
घटक	Components	घरेलू बचतें	Domestic Savings
चकवन्दी	Consolidation	चयन स्वातंत्र्य	Freedom of choice
चयनात्मक	Selective	चालू कीमत	Current price
चालू मूँजी	Working capital		
चिढ़काव	Sprinkler irrigation	चूट	Exemption
सिन्चाइ			
जनसंख्या-	Population Explo-	जननिक	Genetic
प्रस्फोट	sion	जनाधिक्य	over population
जमीदार	Land Lord	जल-प्राप्तिकर्ता	Water requirement
जल-निकास	Drainage	जल-निस्सरण	Water delivery
जल-प्रबंधन	Water management	जल, भूपृष्ठ	Surface water
जल, भूमिगत	Ground water	जल विन्यास	Water Disposal
जलाश	Moisture content	जान बूझकर बकाया	Willing defaulter
		रखने वाला बाकीदार	
जिन्स आय	Income in kind	जिस मजदूरी	Wages in kind
जीवन-प्रत्याशा	Life expectancy	जीवन-स्तर	Standard of Living
जीवन क्षम	Viable	जुटाव	Mobilisation
जैव नियन्त्रण	Biological control	जौखिम	Risk
जोत	Holding		
ट्रैक कीमत	Support Price	ट्रैक्टरीकरण	Tractorisation
ट्रैक्टरीकृत	Tractorised		

तकनीकी परि- Technical change		तीव्रता	Intensity
परिवर्तन		त्वरित प्रोजेक्ट	Crash programme
दर । Rate		दक्षता	Efficiency
दिक् परिवर्तन Diversion		दीर्घ अवधि	Long term
देशीय उत्पाद Domestic product		द्विपथ यातायात	Two way traffic
धारणीय Sustainable		धारित	Sustained
नकद आय Income in cash		नगरीय क्षेत्र	Urban area
पाल Pipe line		नलकूप	Tube well
नव क्रियाएँ Innovations		नाशक जोखनाशी	Pesticides
निगम Corporations		पदार्थ	
निगमित बचतें Corporate Saving		निजी उपभोक्ता व्यय	Private consumers expenditure
निजी बचत Private Saving		निजी क्षेत्रक	Private Sector
निम्न आय Low income economy		निम्नतम सीमा	Floor Price
प्रथं-व्यवस्था		कीमत	
नियत लागत Fixed cost		नियतन	Fixation
निरतरता Perenniality		निरपेक्ष	Absolute
निर्जलित पदार्थ Dehydrated Products		निर्देश अवधि	Reference Period
निर्धनता रेखा Poverty line		निर्माण कार्य	Works
निर्यात Exports		निर्वाह जीवी	Subistence
निर्वाहमात्री फसलें Subsistence crops		निवल	Nett, Net
निविष्टियाँ Inputs		निविष्टि-	
		उत्पत्ति अनुपात	Input-output ratio
निवेश Investment		निवेश दर	Investment rate
निवेश, वाणिजिक Commercial investment		निष्कर्ष	Conclusion
निस्पदन Seepage		निष्पादन	Performance
		नौकरी	Job
एक अपवाह Muddy run off		पट्टा	Tenure
पट्टे दार Tenant		परंपरागत	Traditional
किराएदार		परती भूमि	Fallow Land
परस्पर क्रिया- Interacting		परिमाप	Size
शोल		परिमित	Moderate
परिवर्ती लागत Variable Cost		परिवहन	Transport

परिवार	Household, Family	परिव्यय	outlay
परिकल्पना	Processing industry	परिष्कृत	Processed
उद्योग		परिसंपत्ति	Assets
पशु धन	Live stock	पादप रक्खण	Plants protection
पारमिक	Traditional	पारिवारिक जोत	Family holding
पास्कुरीकरण	Pasturisation	पुनरावृत्त सर्वेक्षण	Repeat Survey
पुनर्गठन	Reorganization	पुनर्वासि	Resettlement
पुनर्वितरण	Redistribution	पुराना बाकी	Overdue
पूँजी, अचल	Fixed capital	पूँजी, कार्यशील	Working capital
पूँजीगत	Capital Requirements	पूँजीगत माल	Capital Stock
धावण्यकार्ता		पूँजी प्रयोगी	Capital using
पूँजी मूलक	Capitalistic	पूर्ण बेरोजगारी	Complete unemployment
पूर्ण रोजगार	Full employment		
पूलन	Pooling	पेश बंदी	Hedging
पैमाना	Scale	पोषक पदार्थ	Nutrients
पौध सरकार	Plant Protection	प्रक्रम/प्रक्रिया	Process
प्रचलित अल्प	Disguised underemployment	प्रचलित बेरोजगारी	Dguised unemployment
रोजगार	ment		
प्रतिदान	Repayment	प्रतिपारित लागतें	Retained costs
प्रतिफल	Returns	प्रतिबंध	Restrictions, Restraints
प्रतियोगी	Competitor		
प्रतिव्यक्ति	Per capita National Income	प्रतिशतता	Percentage, Proportion
राष्ट्रीय आय	come		
प्रतिष्ठापित	Installed capacity	प्रत्यक्ष कर	Direct Tax
क्षमता		प्रथम मंडी/प्रायमिक	Primary market
प्रदत्त पूँजी	Paid up capital	बाजार	
प्रबंध/प्रबन्धन	Management	प्रभावी मांग	Effective Demand
प्रपोज्य आय	Disposable Income	प्रबण्णन	Grading
प्रशासी,	Administrative	प्रशिक्षण	Training
प्रशासनिक		प्रशीतन	Refugeration
प्रसार	Extension	प्रस्फोट	Explosion
प्रायोगिक परियोजना	Pilot Project :	प्रेरणाएँ	Incentives
	परियोजना	प्रोद्योगिकीय परिवर्तन	Technological change
फलोदान	Orchards	फसल-प्रतिशतता	Crop intensity

फसल समय	Crop calendar	फसल क्षेत्र	Cropped area
चक्र	Cycle	फसलोत्तर	Post harvest
फार्म आकार/Farm size	Farm size	फार्म का क्षेत्रफल	Farm size
फार्म परिमाप	Farming operations	फार्म क्रियाएँ	Farming operations
फार्म व्यवसाय Farm Business Income	Farm Business Income	फार्मोत्तर आय	Non-farm Income
आय	Income		
बकाया कर्ज़	Outstanding loan	वाकीदार	Defaulter
बागान	Plantations	वाजार कीमत	Market Price
बाजार संगठन	Market organization	वाजार समाकलन	Market Integration
बारानी क्षेत्र	Dry area	विक्री कर	Sales tax
बिचोलिया	Middleman, intermediary	बीमा	Insurance
देवखली	Eviction	बेकारी/वेरोजगारी	Unemployment
द्याज, निरपेक्ष	Interest, inelastic	ब्याज	Interest
मंडारण्ण	Storage	भार	Weights
भारतीय खाद्य	Food corporation of India	भू-जन अनुपात	Man land ratio
निमग्न	India	भू-पृष्ठ जल	Surface water
भू-राजस्व	Land Revenue	भू-रूपांतरण	Land Trans formation
भू-संरक्षण	Land conservation	भू-स्वामी	Land owner
भू-स्वामित्व	Land ownership	भूमि कर	Land Tax
भू-क्षरण	Soil erosion	भूमि जोत, सचालन	Land holding, operational
भूमिगत जल	Ground water	भूमि बंधक बैंक	Land Mortgage Bank
भूमि जोत,	owned land holding	भूमि की निम्नतम	Land floors
निजी		सीमा	
भूमि की ऊच्च-	Land ceiling	भूमि सुधार	Land Reforms
तम सीमा			
भूमि समतलन	Land levelling	मंडी, प्रथम	Primary Market
मडलन	Zoning	मजदूरी दर	Wage Rate
मडी, सीमात	Terminal Market	मध्यवर्ती	Middle man intermediaries
मध्य अवधि	Medium term	मानव-दिन/मानव	Man day/Man year
मलहरण	Desilting	वर्ष	
मानकीकरण	Standardization	मुक्त वहाब	Gravity flow
मिट्टी	Soil		
मुआवजा	Compensation		

मुद्रण	Tenant	मूल्याकान	Evaluation
मृदा	Soil	मोहसी काशकार	Occupancy tenant
यन्त्र	Implements, tools, machines	यंत्रीकरण	Mechanisation
यांत्रिक	Mechanical conveyers	यंत्रीकरण की कोटि	Degree of mechanisation
संबाहुक		युक्तीकरण	Rationalization
योजना आयोग	Planning commission		
राजकीय	State Revenue	राजकोपीय	Fiscal
राजस्व		राष्ट्रीय आय	National Income
राष्ट्रीय संैपल	National Sample Survey	रासायनिक	Chemical
सर्वेक्षण		रिपायत, आर्थिक	Subsidy
रोजगार	Employment	रोजगार, अजंक	Gainful employment
रोजगार अल्प	Under employment	रोजगार अवसर	Employment opportunity
लगान	Rent	लगानदारी	Tenancy
लघु उद्योग	Small scale industry	लघु सिंचाई	Minor irrigation
लब्धन पूर्व	Preharvest	लब्धनोत्तर	Post harvest
लागत	Cost	लागत, आरोपित	Imputed cost
लागत, परिवर्ती	Variable cost	लागत प्रतिवार्ति	Retained cost
लागत, प्रदत्त	Paid out cost	लागत संरचना	Cost structure
लागत हितलाभ	Cost benefit Analysis	लाभ	Profit
विश्लेषण		लाभ अलाभ स्थिति	Break even point
लाभकारिता	Profitability	लाभकारी/लाभप्रद	Profitable
लेवी	Levy		
वन	Forests	वन-रोपण	Afforestation
वरण्णात्मक	Selective	वसूली की मत	Procurement Price
वयस्क	Adults	वाणिजीकरण	Commercialization
वातन	Aeration	वायदा	Future
वायदा बाजार	Forward market	वायु मिश्रण	Aeration
वाष्पोत्सर्जन	Evapotranspiration	विकास	Development
विक्रय अधिसेष	Marketed surplus	विक्रेय अधिसेष	Marketable surplus
विलङ्घन	Fragmentation	वितरण	Distribution
वित्त	Finance	वित्तीय निवेश	Financial investment

वित्तीयन/वित्- Financing		विद्युतीकरण	Electrification
पोषण		विनिर्माण उद्योग/ पदार्थ	Manufacturing industry/Manufactured goods
विन्यास Disposal		विभव	Potential
विपणन Marketing		विभेदक दर	Differential rates
विपणन लाभ Marketing margins		विवेक पूर्ण	Rational
विभाज्य Divisible		विशाल फार्म	Gigantic Forms
विविधीकरण Diversification		विशुद्धता	Purity
विवृत अस्ति Open under employ- रोजगार ment		विसर्पी मान	Sliding scale
विषमताएँ Disparities		व्यापार ग्रंथि	Terms of Trade
व्यवस्था संबंधी Organizational change		व्यापार स्थिति	
परिवर्तन		व्यापार सरकारी- करण	State Trading
व्यापार अधि- State taking over of भ्रहण Trade		व्युत्क्रमानुपाती	Inversely proportional
व्यावहारिकता Practicability			
व्यूहरचना Strategy			
शब्द उत्पादन Potential Production		शस्य स्वरूप	Cropping Pattern
शीत संग्रह Cold storage		शीतोष्ण जलवायु	Temperate climate
भंडार		शुल्क	Levy
शुष्क क्षेत्र Dry area		श्रम अभिविन्यस्त	Labour oriented
श्रम घंटा/दिन/ Man hour/day/year		श्रम जीवी जनसंख्या	Working population
वर्ष		श्रम प्रतिशतता	Labour intensity
श्रम प्रधान Labour oriented		श्रम योग्य पशु	Working cattle
श्रम शक्ति Labour force		श्रम समय विन्यास	Labour Time Dis- poration
श्रम स्थानापक्ष Labour substitution			
श्रेणीकरण Grading			
सकल्पना Concept		संक्रमण अवस्था	Transitional stage
संचयी प्रक्रिया Cumulative process		संचालन जोत	Operational holding
सञ्चालन सामग्री Operational cost		संपदा कर	Estate duty
समावय आय Potential Income		संयुक्त कर्ज	Joint Loan
संयुक्त स्वा- Joint ownership		संयोजन	Combination
मित्र		संरचना	Structure
संरचनात्मक Structural change		संसाधन	Resources

परिवर्तन		संसाधन-आवंटन	Resource allocation
संस्थागत उधार	Institutional credit	संधन कृषि	Intensive Agriculture
संधनता	Intensiveness	समजीमान	Sliding scale
समता	Equity, parity	एमता कीमत	Parity price
समन्वयन	Coordination	समय चक्र	Calendar
समय परवता	Time lag	समय समंजन	Scheduling
समयांतराल	Time gap	सुमर्थन स्तर	Level of support
समर्थित कीमत	Support price	समाज-कल्याण	Social welfare
समानुपाती	Proportional	समाहार कीमत	Procurement price
समुदाय विकास	Community Development	सम्यक् वितरण	Equitable Distribution
सम्भाल	Handling	सर्वेक्षण	Survey
सत्य सबंधी	Agronomical	सहकारी उधार	Cooperative Credit
सहकारी	Co-operative Marketing	समिति	society
विपणन समिति	society	सहनागिता दर	Participation rate
सास्थानिक	Institutional Credit	सापेक्ष कीमत	Relative price
उधार		सामाजिक प्रगति	Social Progress
सामान्य	General trend	सार्वक सह संबंध	Significant correlation
उपनति			
सावंजनिक	Public sector	सिचाई विभव	Irrigation Potential
हीत्र/झेत्रक		सीमांत उत्पाद	Marginal Product
सीमांत कृषक	Marginal Farmer	सीमांत प्रतिफल	Marginal Return
सीमांत समा-	Marginal adjustment	सुरक्षित भंडार	Buffer stock
योजन		सूचकांक	Index Numbers
सूक्ष्म पोषक	Micro nutrients	स्थल रूपण	Land Farming
तत्त्व		स्थानापन पदार्थ	Substitution goods
स्थानिक/	Local	स्थिरता	Stability
स्थानीय		स्थिरीकरण	Stabilization
स्नेहक	Lubricant	स्फीत प्रनुभान	Inflated estimate
स्फीति	Inflation	स्फीतिकारी	Inflationary
स्वजनक	Self generating	स्वनियोजन	Self employment

स्वनियोजित	Self employed	स्व परिपोषक	Self Liquidating
स्वामित्व	Ownership		
हरित काति	Green Revolution	हितलाभ	Benefit
क्षमता	Capacity	क्षमता, प्रनु- मति प्राप्त	Licensed capacity
क्षमता, प्रतिष्ठापित	Installed capacity		

हमारे अर्थशास्त्र विषयक अन्य प्रकाशन

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. कराधान : एक संदान्तिक विवेचन | अनु. लक्ष्मीनारायण नाथरामका |
| 2. आर्थिक दिर्घेषण | ले. के. इ. बोलिडम |
| 3. द्रव्य, व्यापार और विनियोग | अनु. धर्मपाल पाण्डे |
| 4. केन्सीय अर्थशास्त्र | से. जी. डी. एच. कौल
अनु. शंकरसहाय सम्पोदना,
धर्मनारायण माथुर
कृ. मीना गुप्ता |